

संस्कृत-साहित्य

मे

अन्योक्ति के उद्भव एवं विकास का एक आलोचनात्मक अध्ययन
[A Critical Study of the Origin and Development of Anyukti]
in
Sanskrit Literature.

प्रयागविश्वविद्यालय की डी०फिल् उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

लेखक

राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, एम्० ए०

निर्देशक

डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र

संस्कृत-विभाग
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग
अगस्त, १९६६

प्रस्तावना
○○○○○○

प्रस्तावना



बचपन में ही, पूज्य पितामह (पं० रामानन्द मिश्र) ने सैकड़ों देवस्तुतियों एवं वैवाहिक शाखोच्चारों को कण्ठस्थ कराके, संस्कृत भाषा के प्रति मेरी अभिरुचि उत्पन्न कर दी थी। कक्षा ६: से आठ के बीच, जब शिष्यमण्डल में विद्यमान उनके साथ, दो बार मुझे श्रीमद्भागवत की अमृतमयी-कथा (भाषा टीका) को वांचने का सौभाग्य मिला, और जब अपने पुरखों का इतिवृत्त, कर्णपरम्परया सुनकर यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा परिवार पिछले सौ वर्षों से देववाणी का शृंगार-मन्दिर रह चुका है तो शैशव की 'अभिरुचि', जीवन भर के लिए अमिट प्रीति बन गई। शिक्षा सम्बन्धी इस प्रसंग में, जीवन की दो घटनाएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

“ढाई वर्ष की ही अवस्था में, जब पूज्य पिताजी (पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र) का स्वर्गवास हो गया और मेरे मावी-अम्युत्थान का सारा भार पूज्य पितृव्य (डा० आद्याप्रसाद मिश्र) के ऊपर आया, तो मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। क्योंकि मेरे अन्य चाचा लोग, विभिन्न शिक्षण-कोटियों में जा चुके थे, किन्तु विज्ञान का अध्ययन किसी ने स्वतन्त्ररूप में नहीं किया था। सम्भवतः परिवार मुझसे 'इंजीनियर प्रवृत्ति' होने की आज्ञा करता था। मैंने हाईस्कूल तक विज्ञान पढ़ा भी, किन्तु इण्टरमीडिएट में ज्यों ही यह ज्ञात हुआ कि 'संस्कृत' के साथ विज्ञान मिलना सम्भव नहीं है, त्यों ही बिना किसी से कुछ पूछे मैंने 'कला' संबंधी विषय चुन लिये।”

“बी०ए०उत्तीर्ण होने के पश्चात् इसी प्रकार जब एम०ए० के लिए विषय चुनने का प्रश्न आया, तो सेवावृत्ति का ध्यान रखते हुए, पूज्य पितृव्य ने यद्यपि कोई

मी मनोनुकूल विषय (अंग्रेजी, दर्शन एवं संस्कृत) वरण करने की अनुमति दी, फिर मी उनका विशेष जोर संस्कृतेतर भाषा पर ही था । किन्तु मैंने आप्तकाम होने के लिए 'संस्कृत' को ही चुना । और आज, जब मैं कदा क्त से ही प्रारम्भ उस 'द्वादशवार्षिक अभिरुचिमहायाग' की पूर्णाहुति में दीक्षित हो रहा हूँ, ऐसी प्रतीति होती है, मानो मुझे समस्त पार्थिव-आनन्द-वैभव प्राप्त हो गया है ।"

(मेरा शोध-कार्य ठीक चौबीसवें महीने में पूरा हो रहा है । इन दो वर्षों में रात-दिन जितना परिश्रम किया, सम्भवतः भावी जीवन में उतना कमी न कर पाऊंगा । यद्यपि, स्य०ए० परीक्षा में, समस्त कला निकाय (Art's Faculty.) में, लगातार दो वर्ष तक (सन् १९६४-६५ई०) मुझे 'प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान' प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, किन्तु तब मी प्रयाग विश्वविद्यालय में, मरसक प्रयत्न करने पर मी, कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो सकी । फलतः घनाभाव में, तंजौर, मद्रास, मैसूर, सूरत एवं अन्यान्य स्थान, जहाँ के पुस्तकालयों में रह कर मैं, अपने विषय का समुचित-रूप से अध्ययन कर सकता था, नहीं कर सका । पुस्तकें अपने खर्च पर मंगानी पड़ीं, सो मी सब की सब आ न सकीं । किन्तु इन सब कठिनाइयों के रहते हुए मी न तो मेरे अध्ययन का कोई अंश अधूरा ही रहा और न मुझे कमी निराशा ही हुई । बूँकि मेरे शोध-निर्देशक, पूज्यपाद पितृव्य (डा० आधाप्रसाद मिश्र) ही रहे, अतः अपने अन्य सतीर्थ्यों की अपेक्षा, उनकी कृत्रहाया में रहने का मुझे बहुत अधिक अवसर मिला । यद्यपि, इस सम्बन्ध एवं सहवास का, उनकी निरन्तर कार्य-व्यस्तता के कारण, मैं कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सका, फिर मी जैसे उदीप्त रवि का तापमुण, शिलाखण्डों में तथा दीपार्चिका गुण नयनों में स्वतः संक्रान्त हो जाता है, ठीक वैसे ही उनकी अध्ययन सम्बन्धी एकतानता, बिना कहे ही, मुझे प्रेरित करती रही है । वस्तुतः इस प्रौढ़ अवस्था में मी उनकी लगन, परिश्रम एवं अध्यवसाय, किसी अभिरुचि-हीन विद्यार्थी को मी प्रचण्ड जिज्ञासु बना सकते हैं । इस सत्र में ही लगातार तीन शोध प्रबन्धों का प्रत्यक्ष-निरीक्षण करने के पश्चात् ही वे मेरा कार्य देख सके हैं । अतः मेरे परिश्रमरूपी हेम को 'हेमकार' की ही मांति 'भूषण' रूप देने का सारा श्रेय उन्हीं को है ।)

अन्योक्ति के उद्भव और विकास का आलोचनात्मक अध्ययन करने में प्रथम दो अध्यायों में, अनेक विद्वानों के मतों की आलोचना, एक बार या कई बार, करनी पड़ी है। वस्तुतः ऐसा करने में कोई व्यक्तिगत स्वारस्य नहीं था, प्रत्युत वे आलोचनाएं, अपने विचार से, युक्तिपरक होने के कारण विद्वत् समाज के समक्ष आनी, आवश्यक थीं। प्राचीन आचार्यों का मतालोचन भी, निरपेक्ष रीति से ही किया गया है। प्रायः प्रत्येक समस्याओं को मौलिक रूप से ही सोचने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्रियों एवं उनके टीकाकारों का प्रतिपद अनुवर्तन किया गया है। क्योंकि, बिना आधार के आधेयस्थापना की कल्पना ही व्यर्थ है। नवीन विद्वानों का, यदि अल्पमात्र भी साहाय्य लिया गया है तो नीचे पाद टिप्पणी में, उनका ऋणनिर्देश अवश्य है। सम्भव है, कुछ स्थानों पर ऐसा न किया गया हो, किन्तु उसका यह भाव नहीं है कि हमें उनका 'आदान' अपहरण करने की इच्छा रही, वरन् उसका रहस्य यह हो सकता है कि मेरी चिन्तन-शैली उनसे मिलती है। वस्तुतः मैं वहां निरपेक्ष रहा हूं, बिना यह जाने कि दूसरों ने भी उस विषय पर कहीं 'कुछ' लिखा है। 'चिन्तन साम्य' तो किसी भी देश के साहित्य में, देखा जा सकता है, क्योंकि वह असम्भव नहीं है।

एक ज्ञातव्य तथ्य यह है कि 'लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उसके मान्य कवि' शीर्षक पांचवां अध्याय जब पूर्णतः टाइप हो चुका, तब संयोगवश मुझे एक अर्वाचीन किन्तु महत्त्वपूर्ण 'संग्रह ग्रन्थ' और प्राप्त हुआ, जिसका नाम है-- 'विधाकर-सहस्रकम्'। इस ग्रन्थ के अन्योक्ति-वाङ्मय सम्बन्धी योगदान को देखते हुए इसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट संख्या २ के रूप में दे दिया गया है।

इस संक्षिप्त उद्गार के साथ, प्रस्तावना समाप्त करता हूं। किन्तु उस वातावरण एवं उन व्यक्तियों का उल्लेख करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं, जो प्रकारान्तर से इस कार्य में सहायक रहे। पूज्यपाद, अध्यक्ष महोदय -- (पं० सरस्वती प्रसाद जी चतुर्वेदी) एवं विभाग के अन्य समस्त श्रेष्ठ गुरुजन मेरी चैतसिक-श्रद्धा एवं विनीत - आत्मनिवेदन के अधिकारी हैं, जिन्होंने वस्तुतः मुझे इस कार्य के योग्य बनाया। विश्वावध, पुस्तकालय के अधिकारी श्री त्रिवेदीजी

हिन्दी साहित्य सम्मेलन में पाण्डुलिपि अधीक्षक श्री वाचस्पति गैराँला एवं अन्यान्य स्थानीय ग्रन्थागारों के कर्मचारी-गण यथासमय अपेक्षित सहायता देने के कारण मेरे श्रद्धामाजन हैं। शोधशाला के समस्त मित्रगण एवं अन्य सेही बन्धु जिनमें से अधिकांश मुझसे ज्येष्ठ होते हुए भी, अपनी ही कोटि का समर्थन कर, अपार स्नेह करते रहे, वे सब-के-सब मेरे प्रीति पात्र हैं। शोध प्रबन्ध के टाइपिस्ट श्री रामहित जी त्रिपाठी का तो मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे निराश रहने पर भी, मेरा कार्य पूर्ण कर देने की शर्त बंदी और अपनी प्रतिज्ञा के ही अनुसार, रात-दिन एक करके, केवल डेढ़ महीने में 'प्रबन्ध ग्रन्थ' को तैयार कर दिया।

इस 'प्रबन्ध' को लिखकर अब मैं अपने गन्तव्य-स्थान को पहुँच गया हूँ। अतएव यदि इसमें विद्वद्वर्ग को, मेरा अध्यवसाय सार्थक प्रतीत हुआ तो समझूँगा कि मेरा प्रयत्न वास्तव में प्रयत्न ही रहा, 'प्रयत्नाभासे' नहीं। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत शोधग्रन्थ को 'माँ भारती' के श्रीचरणों में समर्पित करता हूँ।

रक्षाबन्धन

सत्यसदन

२६, बलरामपुर हाउस, प्रयाग

३० अगस्त, १९६६ ई० ।

विनयावनत--

राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

एम०ए०(संस्कृत)

विषयानुक्रमिका



(अ)

विषयानुक्रमिका

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
<u>प्रस्तावना</u>	
<u>विषयानुक्रमिका</u>	अ - 3.
<u>प्रथम अध्याय -- विषय-प्रवेश</u>	१-६३.
१- प्रस्तावना- अन्योक्ति, अमिव्यक्ति की एक कलाविशेष ।	
२- अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्वरूप ।	
३- अन्योक्ति की प्राचीनता-समस्त वेद एवं पुराण-साहित्य(रूपक-प्रतीक एवं संकेत) ।	
४- अन्योक्ति तथा --	
(अ) रूपक (<i>allegory</i>) प्रतीक एवं संकेत (<i>symbol.</i>)	
(ब) दृष्टान्त (<i>parable.</i>) आख्यान (<i>fable.</i>) तथा ध्येयपरक कथा (<i>motif.</i>) ।	
(स) व्याजोक्ति (<i>irony.</i>) तथा अधिज्ञेय (<i>satire.</i>)	
(द) प्रहेलिका तथा अन्य चित्रकाव्य (<i>riddles and other enigmatic literature.</i>) क्या इन सब का परस्पर तादात्म्य है ?	
५- अन्योक्ति के पर्याय-अन्यापदेश, अप्रस्तुत-प्रशंसा (अप्रस्तुत-स्तोत्रप्रस्तुतस्तुति) समासोक्ति, अनन्योक्ति, उभयोक्ति, प्रस्ताव; (परोक्ति-सन्ध्योक्ति एवं गर्भोक्ति) व्याजोक्ति ।	

-- आचार्य भरत का लक्षण सिद्धांत तथा अन्योक्ति का उद्भव ६४-१२८.

- १- लक्षण की सामान्य रूपरेखा ।
- २- नाट्यशास्त्र में काव्यतत्त्व : हृन्दोविधान, वृत्तलक्षण, रस एवं भावनिरूपण षोडशाध्याय--काव्यदोष, काव्य-गुण, काव्यालंकार एवं काव्यलक्षण ।
- ३- भरत का लक्षण-विषयक मत, लक्षणों की उपयोगिता एवं संख्या, पूर्वस्थिति ।
- ४- अभिनवगुप्त-कृत लक्षण-व्याख्यान : दशपदी-सिद्धांत लक्षणों की परम्परा तथा संख्या-विषयक वैमत्य, लक्षण एवं अभिनय, लक्षण एवं काव्य, आधुनिक विद्वानों के लक्षण-विषय-मत ।
- ५- लक्षण एवं अप्रस्तुत-प्रशंसा-अलंकार : मनोरथ-लक्षण, अन्यापदेश, अप्रस्तुतप्रशंसा का परवर्ती सर्वमान्य स्वरूप, लक्षणों में उसके तत्त्व । मट्टोत एवं अभिनव के साक्ष्य ।
- ६- मूलभूत लक्षणों का विवेचन : प्रधान एवं गौण मूल ।

-- अन्योक्ति का सैद्धान्तिक-विकास (पूर्व मम्मट युग)

१२८-१७७.

- १-अन्योक्ति की सर्वप्रथम आलंकारिक मान्यता मैघाविन्दु? आचार्य मामह एवं उद्भव ।
- २- अन्योक्ति की सैद्धान्तिक परम्परा में एक नवीन मोड़ । आचार्य दण्डी की समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा।मोज द्वारा दण्डी का मतानुकरण ।
- ३-अन्योक्ति 'उपमा-प्रपञ्च' के रूप में । आचार्य वामन का मत-निरूपण 'त्रिक साम्य-पद्धति' ।
- ४-अन्योक्ति, एक अभिनव नामकरण के रूप में : आचार्य रुद्रट का योगदान। रुद्रट कृतअर्थालंकार-विभाजन तथा अन्योक्ति नाम की सार्थकता । रुद्रट-कृत प्रयास की सफलता ।

५- पूर्वमम्मट युग के अन्य आचार्य तथा अन्योक्ति ।
आचार्य आनन्दवर्धन एवं कुन्तक के सिद्धान्त
ध्वनिकार द्वारा अन्योक्ति का वर्गीकरण ।

- १- ध्वनिकार कृत 'अन्योक्ति वर्गीकरण' का मम्मटयुग में विकास--राजानक तिलक एवं मम्मट ।
- २- आचार्य मम्मट द्वारा व्यवस्थापित अन्योक्ति का बृहत्तम स्वरूप । कारण-निबन्धना, कार्य-निबन्धना, सामान्य-निबन्धना, विशेष-निबन्धना एवं सारूप्य-निबन्धना ।
- ३- अन्योक्ति-विषयक मम्मटीय-व्यवस्था; एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण ।
 - (क) अप्रस्तुत-वर्णन का औचित्य
 - (ख) सम्बन्धत्रय का स्वरूप
 - (ग) श्लेष एवं समासोक्ति विषयक तथ्य
 - (घ) वाच्य के त्रैविध्य का विचार
 - (ङ) साधर्म्य-वैधर्म्य का विचार
 - (च) अन्यापदेशध्वनि ।
- ४- अन्योक्ति एवं 'प्रस्तुताङ्कुर' अलंकार : भेद-अभेद (आचार्य अप्पय्य दीक्षित का मत) ।
- ५- आचार्य मम्मट के अनुवर्तियों द्वारा 'अन्योक्ति' का विवेचन नवीनतारं ।
 - (क) पण्डितराज जगन्नाथ के पूर्ववर्ती आचार्य गण
 - (ख) ,, ,, के परवर्ती आचार्य गण
- ६- संस्कृत-काव्यशास्त्र में प्रख्यात, अन्य अलंकारों से अन्योक्ति का सम्बन्ध ।

१- लिखित अन्योक्ति-साहित्य तथा इसके तीन रूप--

(क) संग्रह-ग्रन्थों में प्राप्त अन्योक्तियां

(ख) काव्य-ग्रन्थों में प्राप्त अन्योक्तियां

(ग) स्वतन्त्र अन्योक्तिग्रन्थ ।

२- संस्कृत साहित्यके प्रमुख संग्रह ग्रन्थ तथा उनमें अन्योक्ति-

निबन्धन ।--अन्योक्तियों के विषय एवं उनके प्रणता ।

३- काव्य के विविध रूप तथा उनमें प्रतिपादित अन्योक्तियां ।

स्वरूप- विषय एवं कवि ।

४- स्वतन्त्र अन्योक्ति-ग्रन्थों का प्रारम्भ एवं उनकी परम्परा ।

-- एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण ।

५- अप्रकाशित अन्योक्ति-ग्रन्थों का विवरण ।

-- संदिग्ध अन्योक्ति रचनाएं ।

६- आधुनिक अन्योक्ति-वाङ्मय ।

१- काव्य एवं शास्त्र में भेद (आचार्य राजशेखर का मत)

२- अन्योक्ति के काव्यात्मक एवं काव्यशास्त्रीय विवेचन का तात्पर्य ।

३- काव्यात्मक विवेचन --

(क) अन्योक्ति-वाङ्मय में व्यक्ति एवं समाज का चित्रण

(ख) अन्योक्ति-वाङ्मय में प्रकृति एवं प्रणय का चित्रण

(ग) अन्योक्ति-वाङ्मय में प्रतिबिम्बित, जीवन के विविध

रूप ।

४- काव्यशास्त्रीय विवेचन--

(क) अन्योक्ति- वाङ्मय में शब्दशक्ति विवेचन

(ख) अन्योक्ति- वाङ्मय में गुण-दोष एवं
अलंकार विवेचन ।

(ग) अन्योक्ति- वाङ्मय में रीति एवं वृत्ति विवेचन

(घ) अन्योक्ति- वाङ्मय में वक्रोक्ति एवं -
औचित्य विवेचन ।

(ङ) अन्योक्ति- वाङ्मय में रसपरिपाक ।

सप्तम अध्याय

-- अन्योक्ति का मूल्यांकन

४०९-४२८.

१- मूल्यांकन की आधार-शिला : मनुष्य तथा उसका जीवन ।

२- अन्योक्ति वाङ्मय में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की स्थापना -

(क) सांसारिक सत्यों का प्रतिपादन ।

(ख) लोककल्याण का माव ।

(ग) काव्य-सौन्दर्य ।

३- अन्योक्ति के वैशिष्ट्य ।

परिशिष्ट

-- (क) ग्रन्थ-सूची

(ख) विद्याकरसहस्रकम्

प्रथम अध्याय

-0-

विषय - प्रवेश

oooooooooooooooo

प्रथम अध्याय

-0-

विषय - प्रवेश

देवताओं के स्वभाव के विषय में हमारे शास्त्रों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही गई है -- 'परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षादिषः' । इस आभाषणक का अन्य चाहे जो भी अर्थ हो, किन्तु इसका एक तात्पर्य, यह भी अवश्य प्रतीत होता है कि, किसी भी बात को, विशेषतः उन्मन बना देने वाली कटु बात को, प्रत्यक्षा, अर्थात् सीधे-सीधे न कह कर, परोक्ष रूप से ही कहना अधिक संगत होता है । दिव्य अथवा सात्त्विक वृत्ति वाले, उदारचेता पुरुषों के लिए, ऐसे प्रसंगों में यही उचित भी है । 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्' इत्यादि विधान प्रस्तुत करने में, स्मृतिकार मनु का भी सम्भवतः यही अभिप्राय था । मूर्ख को 'मूर्ख', अपकारी को 'अपकारी' तथा कृतघ्न को 'कृतघ्न' कहना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता । यदि, इतना होने पर भी, कोई इन सम्बोधनों का अनिवार्यतः पात्र बन ही जाय तो, उसे साक्षात् रूप से न कहकर परोक्ष रूप से कहा जाय, स्पष्ट न कहकर सकेतमात्र किया जाय । शिष्ट व्यक्तियों के कथन की यही रीति है, और इसी रीति को कला भी कहते हैं । साहित्य, चाहे वह संस्कृत-साहित्य हो, चाहे हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी, इसी अर्थ में 'कला' है ।

'स्पष्टवक्ता वचक नहीं होता है, और यह भी सत्य है कि 'स्पष्ट' अर्थात् 'कटु-सत्य' किसी को भी प्रिय नहीं होता । अतः यह एक विचारणीय समस्या है कि उस नग्न-यथार्थ को हम किस माध्यम से प्रकट करें कि 'सांप मर भी जाय और लाठी टूट भी न'। अतीत प्रबुद्ध युग से ही, जब आर्य जाति ने पवित्र सप्तसैन्धव प्रदेश में पदार्पण किया, जब सरस्वती से लेकर सदानीरा तक का प्रदेश, वैदिक ऋषियों की

हो जाते हैं 'इसी प्रस्तुत एवं प्रतिपाद्य पद को 'अन्योक्ति' में देखिये -- '

रात्रिर्गमिष्यति मविष्यति सुप्रमातं मास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः ।
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ १

जीवन के प्रमातकाल (समृद्धिकाल) में किसी उदारराशय महामाग की दयालुता एवं सहायता से, कोई अकिंचन व्यक्ति ऊंचे उठता है । किन्तु अहंकार के घने आवरण में पड़कर, वह कृतज्ञता का निर्वाह कर पाता । उल्टे, उसी उपकारी को 'उपेक्षा' एवं तिरस्कार माव' से ठुकराता है । ऐसे कृतघ्न-नराधम के प्रति, किसी विवेकशील व्यक्ति के ये वचन कितने सारवान् एवं उपादेय हैं ।

मुक्ता मृणालपटली भवता निपीतान्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषे वितानि ।

रे राजहंस । वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन मवितासि कृतोपकारः ॥ २

अर्थात् हे राजहंस, जिस सरोवर में तुने सब दिन मृणालमत्तण किया, मीठा जल पिया तथा अरविन्दों का सेवन किया, मला अपने किस कार्य से तू उसका उपकार चुकासा ? (यदि तू अब उसे तिरस्कृत करना चाहता है तो --)

उपर्युक्त उदाहरणों से यह तथ्य, स्पष्ट है कि कराल कालाति तथा 'कृतघ्नता' सरीखे कटु-सत्यों को अभिव्यक्त करने के लिए, इन अन्योक्तियों से अधिक सुगम स्वंसरस सरणि, शायद ही कोई और हो । यही 'अन्योक्ति' प्रस्तुत शोध का विषय है ॥

अब यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि 'अन्योक्ति' क्या है ? अथवा हेर किस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रस्तुत शोध-निबन्ध में हुआ है । यद्यपि ये, दोनों ही प्रश्न, साकूत एवं सामिप्राय हैं तथा इन्हीं प्रश्नों का आमूलबूड परिशीलन करने के लिए, प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में कई स्वतन्त्र अध्यायों की सर्जना की गई है, किन्तु इस अध्याय में अन्योक्ति-सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों का परिचय

१- सुमाषितावली (डा० पीटर्सन द्वारा प्रकाशित, बम्बई १८८६ ई०) पद्य- ७५४ ।

२- मामिनी-विलास (पण्डितराज जगन्नाथकृत) : प्रस्ताविक-विलास पद्य-४८ ।

करा देना प्रसंगानुकूल ही होगा । 'अन्योक्ति' का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विवेचन उन्हीं तथ्यों में से एक है ।

संस्कृत-काव्यशास्त्र का उदय, आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र से (ई०पू० द्वितीय शती) होता है । इसी प्रकार उसकी चरम परिणति भी पण्डितराज जगन्नाथ के लक्षण ग्रन्थ 'रसगंगाधर' में होती है (सत्रहवीं शती ईसवी) मङ्गरत और पण्डितराज का मध्यवर्ती दो सहस्र वर्ष ही, स्थूल रूप से, काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों के उद्भव तथा विकास का समय है । 'काव्यात्मा की मान्यता' को ही अपना लक्ष्य बनाकर पनपने वाले, जाने कितने सिद्धान्त इसी युग की विरासत हैं । मङ्गरत का रस-सम्प्रदाय मामहादि का अलंकार-सम्प्रदाय (छठवीं शती ई०), वामन का रीति-सम्प्रदाय (आठवीं शती ईसवी), आनन्दवर्धन का ध्वनि सम्प्रदाय (नवीं-शती का उत्तरार्द्ध), कुन्तक का वक्रोक्ति-सम्प्रदाय (दशम शती ई०) तथा दामोदर का औचित्य-सम्प्रदाय (ग्यारहवीं शती ई०) सब इसी युग की दाय हैं ।

प्रस्तुत स्थल पर केवल 'अलंकार-सम्प्रदाय' पर प्रकाश डाला जायगा, क्योंकि अन्योक्ति के 'सैद्धान्तिक-विवेचन' से हमारा तात्पर्य उसके आलंकारिक-विवेचन से ही है । अलंकार-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य, मेघाविन्-मामह-दण्डी-उद्भट तथा रुद्रट हैं । नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने अन्य काव्य तत्त्वों के साथ ही साथ चार अलंकारों को भी मान्यता दी थी-- उपमा, रूपक, दीपक और यमक । इनमें से प्रथम तीन अर्थालंकार तथा अन्तिम शब्दालंकार हैं । भरत के पश्चात् मेघाविन् का नाम आता है । मेघाविन् का काल तथा कृति, यद्यपि दोनों अज्ञात हैं, तथापि आचार्य मामह के साक्ष्य पर, उनकी स्थिति दूसरी शती ई० के आस पास स्वीकार की जा सकती है । मामह ने अलंकारों के विषय में, अपने किसी पूर्ववर्ती आचार्य का हवाला दिया है जो केवल पांच अलंकार (अनुप्रास सहित भरत प्रोक्त चार अलंकार) मानते थे । चूंकि मामह स्वयं अड़तीस अलंकार स्वीकार करते हैं, अतः निश्चित है कि, पांच अलंकारों को मान्यता देने वाले आचार्य भरत-मामह से भिन्न तथा उन्हीं के मध्यवर्ती रहे होंगे ।

१- अनुप्रासः सयमको रूपकं दीपकोपमे ।

इति वाचामलंकाराः पञ्चैवान्येरुदाहृताः ।।काव्या० २।४

मामहालंकार में उल्लिखित अन्तरंग साद्यों के आधार पर हम यह मान सकते हैं, कि वह आचार्य मेघाविन् (या मेघाविरुद्र-- डा० पी०वी० काणे) ही थे। इस सन्दर्भ में दातव्य युक्तियां भी तृतीय अध्याय में प्रस्तुत की जायेंगी।

मामह के पूर्ववर्ती कुछ ऐसे भी आचार्य थे, जो अर्थालंकार मानते ही नहीं थे। वे केवल, सुप, (nouns) तथा तिङ् (verbs) की व्युत्पत्ति (proper form.) मात्र को 'वाणी का अलंकार' मानते थे। रूपक प्रकृति अलंकारों को भी वे बाह्य ही मानते थे^१। 'बाह्य' का अर्थ, एक आलोचक के शब्दों में --

Which is not intrinsically connected with poetry. According to them the grammatical form of the words constitutes a good composition. That is because, according to them Kāvya consists of words that can be read, heard or understood. They perhaps think that sense is beyond the pale of poetry.²

किन्तु आचार्य मामह ने, स्पष्टतः इस मत का प्रतिरोध किया, और यह मत उपन्यस्त किया कि, शब्द एवं अर्थ दोनों, समवेत होकर ही 'काव्य' बनते हैं, अतः व्युत्पत्ति, किसी एक की न होकर दोनों की ही होगी। अतएव अलंकार भी एक के न होकर दोनों के -- शब्द एवं अर्थ के -- होंगे। मामह ने यह तथ्य भी स्पष्ट किया कि सौशब्दय मात्र ही (Proper formation of words.) अलंकार नहीं है, प्रत्युत 'अर्थव्युत्पत्ति' भी ≠ (Excellence of ideas.)। पूर्वपक्षी आचार्यों ने, वस्तुतः अलंकार सम्बन्धी धारणा को ही गलत रूप में समझा था। चूंकि वे 'काव्य' को शब्द-संगठन मात्र मानते थे, अतः काव्यालंकार का स्वरूप भी 'सौशब्दय' (Grammatical correctness.) रूप में ही सम्भव था।

अलंकारों से सम्बद्ध, पूर्वपक्षियों के 'बाह्यवादी-सिद्धान्त' का समूलोन्मूलन करके, मामह ने सर्वप्रथम अन्तर्वादी-सिद्धान्त का श्रीगणेश किया। उन्होंने अलंकारों को

१- रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे। सुपां तिङांच व्युत्पत्तिं वाचां वाङ्मन्त्यलंकीम् ॥१४
तदेतदाहुः सौशब्दयं नार्थव्युत्पत्तिरीहशी। शब्दाभिज्ञेहालंकारमेवादिष्टं द्वयंतु नः ॥१५
-- (काव्या०१)

२- श्रीशंकरराम शास्त्री, काव्यालंकार टीका (बालमनोरमा सीरिज नं०५४, मद्रास १९५६ई०)

काव्य का अन्तस्तत्त्व (*Intrinsically connected*) माना । जैसे, कान्त होकर भी वनिता का सुख, भूषणों के अभाव में सुशोभित नहीं होता, ठीक वैसे ही काव्य की भी रूपकादि अलंकारों के अभाव हैं --

रूपकादिमलंकारस्तस्यान्यैर्बहुषोदितः ।

न कान्तमपि निर्भूषणं विभाति वनिताननम् ॥११३३ काव्या०
किन्तु अलंकारों का यथोचित मूल्यांकन किया आचार्य दण्डी ने । संस्कृत काव्यशास्त्र में दण्डी एक क्रान्तिकारी आचार्य के रूप में मान्य हैं । भामह द्वारा स्थापित मान्यताओं को, यथास्थान विदीर्ण करके, आचार्य दण्डी ने अलंकार-शास्त्र के एक-एक अंग को, विस्तीर्ण थाल में, शुभ्र-पारद-विन्दु की भांति संजो दिया । दण्डी ने ही सर्वप्रथम अलंकारों को काव्य का शोभाकारक घर्म स्वीकार किया --

‘काव्यशोभाकरान्घर्मानलंकारान्प्रवृत्ते ॥’

-- काव्यादर्श २।१

इस प्रकार आचार्य दण्डी ने अलंकारों को काव्य का आत्मतत्त्व स्वीकार किया । वे काव्य के शोभाघायक अथवा उत्कर्षाघायक तत्त्व न रह कर शोभाकारक तत्त्व बन गए । दण्डी की यही मान्यता, तब से लेकर आज तक, अलंकार-सम्प्रदाय का मैरुदण्ड बनी हुई है । आचार्य दण्डी ने कुल ३७ अलंकार स्वीकार किये ।

वामन यद्यपि रीति को ही काव्यात्मा मानते थे, किन्तु अलंकारों के प्रति उनकी आस्था, बहुत थी । यही कारण था कि अलंकारों को सीधे-सीधे, काव्य का शोभावर्द्धक तत्त्व न मान कर, उन्होंने प्रकारान्तर से माना । उन्होंने काव्य को ग्राह्य माना, क्यों ? अलंकारों के कारण । किन्तु ये अलंकार उपमा, रूपक, यमकादि नहीं, प्रत्युत कुछ और ही थे । अलंकार से वामन का तात्पर्य था सौन्दर्य से, अर्थात् काव्य का स्वभावगत-सौन्दर्य । यही सौन्दर्य रूप अलंकार, कारणव्युत्पत्ति के बल से, अर्थात् साधन रूप होकर उपमादि का सूचक बनता है --

सौन्दर्यमलंकारः ॥१११२

अलंकृतिरलंकारः । कारणव्युत्पत्त्या पुनः अलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु-
वर्तते (काव्यालंकारसूत्रवृत्ति)

इस प्रकार, वामन द्वारा सौन्दर्य रूप में अलंकार को काव्य की उपयोगिता का मूल कारण मानना, यह सिद्ध करता है कि वे अलंकार को यदि काव्य की आत्मा

नहीं तो आत्मतुल्य ही कोई विशिष्ट-तत्त्व अवश्य मानते थे । वामन ने काव्य के उत्कर्षाधायक तत्त्व के रूप में कुल ३३ अलंकार स्वीकार किया ।

उद्भट एवं रुद्रट, अलंकारसम्प्रदाय के इन दोनों आचार्यों का सारा मनोबल प्रायेण अलंकारों के विकास एवं विस्तार की ओर रहा । आचार्य उद्भट ने 'काव्यालंकारसंग्रह' में इकतालीस तथा रुद्रट ने 'काव्यालंकार' में कुल इकहत्तर अलंकारों का विवेचन किया । पूर्व-मम्मट-युग के अन्य आचार्यों में राजानक कुन्तिक तथा मोज आते हैं, किन्तु अलंकारसम्प्रदाय का एक युग रुद्रट के ही साथ समाप्त होता है ।

अलंकार-सम्प्रदाय के किसी भी आचार्य ने स्पष्टतः यह घोषणा नहीं की कि 'अलंकार काव्य की आत्मा है' और यही, इस सम्प्रदाय की सबसे बड़ी कमी भी है । दण्डी ने यद्यपि 'शोभाकारक' शब्द में 'कृ' धातु का प्रयोग करके, अलंकारों के काव्यात्मत्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया, किन्तु 'कर्तृत्व तथा आत्मत्व' में ऐक्य स्थापना का प्रयत्न भले किया जाय, परन्तु है वह असम्भव ही । किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि मामहादि आचार्यों के अनुसार 'अलंकार ही काव्य के सर्वस्व हैं' । यदि ऐसा न होता तो वे रसादि तत्त्वों को भी अलंकारों में ही क्यों विलीन करते ? ऐसा भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि वे, काव्य में रसादि का मूल्य नहीं समझते थे । वस्तुतः जैसा कि आचार्य रुम्यक एवं जगन्नाथ ने स्वीकार किया है, वे रसादिकों का महत्त्व समझते थे कि 'रस-प्रतीति ही काव्य का चरम लक्ष्य है' किन्तु बूझि अलंकारों के बिना वे काव्य की सत्ता को ही सम्भव नहीं समझते थे अतः रसप्रतीति का माध्यम भी रसादि अलंकारों को ही स्वीकार किया । आचार्य जयदेव ने संकेततः अलंकारों को ही काव्यात्मा स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि --

'अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती असां न मन्यते कस्मादनुत्थामनलं कृती ॥

--(चन्द्रा० १।८)टीका

टीकाकार गंगाभट्ट ने यहाँ आचार्य का मत इस प्रकार स्पष्ट किया है -- 'अलंकारादि-समनियतमेवकाव्यत्वमिति भावः ॥' इससे अलंकारों के काव्यात्मत्व में कोई शंका नहीं रह जाती । उपर्युक्त विवेचन से यह तात्पर्य निकला कि 'अलंकार सम्प्रदाय' संस्कृत -

१- द्रष्टव्य- अलंकार सर्वस्व, पृ० ४--त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज-४०, सन् १९१५ ई०

रसगगाधर- पृ० ४१५ काव्य माला संस्करण। सन् १८८८ ई०

२- अर्थशेते रलंकारो यत्रा प्यन्यः प्रतीयते अनुस्वानोपमव्यंग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥२५
रूपकादिरलंकारवर्गो यो वाच्यतांश्रितः स सर्वा गम्यमानत्वं बिभ्रदप्रप्रा प्रदर्शितः ॥२६

अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते तत्परत्वं न वाच्यस्य नासां मार्गो ध्वनेर्मतः ॥२७

--(ध्वन्या० द्वितीयोद्योत)

काव्यशास्त्र में वह सम्प्रदाय विशेष हैं, जिसके संस्थापक अथवा उन्नायक आचार्यों के मतानुसार 'अलंकार' ही काव्य का सर्वस्व है, आत्मतत्त्व है। इस विषय में मामह. दण्डी तथा वामन का मत ऊपर निरूपित किया जा चुका है। परवर्ती युग में, ध्वनि-सिद्धांत का उदय होने पर यद्यपि अलंकार-विषयक, उपर्युक्त मान्यता जाती रही, तथापि आचार्य आनन्दवर्धन ने अलंकारों को त्रिविध-ध्वनि में अन्तर्भूत करके, इसकी काव्यात्मकता को जीवित रखा^१। अलंकारों का वास्तव में अर्थ भी यही है कि वे केवल काव्यालंकारण के उपकरण मात्र नहीं हैं वरन् सहृदय-सामाजिकों के समाप्लुत हृदय में, एक अद्भुत रणरणक उत्पन्न करके, वैभाविक-उद्दीप्त के माध्यम से रस चर्चणा कराना भी उन्हीं का काम है। इसी कारण परवर्ती युग में भी अलंकार विषयक, माहात्म्य उसी रूप में आचार्य जयदेव^२ एवं अप्पय्य दीक्षित आदि द्वारा स्वीकृत किया गया।

उसी प्रस्थान अलंकार-सम्प्रदाय रूपी वनमाला का एक पावन-प्रसून 'अन्योक्ति' है जिसे हम 'अग्रस्तुत-प्रशंसा' अथवा 'समासोक्ति' आदि नामों से भी जानते हैं। अलंकारों की जो सरणि, नाट्यशास्त्र से प्रारम्भ हुई थी, वह अमन्द एवं अटूट गति से उन्नीसवीं शती ई० तक विद्यमान रही, किन्तु उसका सम्प्रदाय अर्थात् काव्यात्मा रूप में उसकी मान्यता, मम्मट के पूर्व ही एक प्रकार से समाप्तप्राय हो गयी।

मामह, उद्दमत तथा वामन ने तथा वक्रोक्तिवादी राजानक कुन्तक ने भी अस्तुत-प्रशंसा रूप में तथा आचार्य दण्डी ने 'समासोक्ति' रूप में 'अन्योक्ति' को स्वीकार किया। भोज ने भी अन्योक्ति को दण्डी के अनुकरण पर 'समासोक्ति' रूप ही माना किन्तु उन्होंने इसकी तीन अभिनव संज्ञाओं को और स्वीकार किया^३। अन्योक्ति अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति। आचार्य मम्मट के बाद यद्यपि ये दोनों ही नाम प्रचलित रहे, किन्तु तत्त्व जैसा कि यथा प्रसंग सुस्पष्ट किया जायेगा, दोनों का एक ही है।

प्रश्न यह है कि जब 'अग्रस्तुतप्रशंसा' नाम ही स्थापना की दृष्टि से प्राचीन है, तो फिर 'अन्योक्ति' के प्रति इतना मोह क्यों? इसका संक्षेप में एक,

१- अर्थशक्तिरुद्धारो इत्यादि।

(पृ० सात पर दिमा मया उद्धरण, संख्या दो)

२- द्रष्टव्य चन्द्रालोक १।८

३- संक्षेपेणोच्यते तस्मात्समासोक्तिरियं ततः सैवान्योक्तिरनन्योक्तिः

उभयोक्तिश्च कथ्यते ॥ ४।४६ सरस्वती ०

ही उतर प्रस्तुत किया जा रहा है कि 'अन्योक्ति' नाम अप्रस्तुत-प्रशंसा की भांति केवल अलंकार-विशेष के ही अर्थ में संकीर्ण नहीं है, वरन् 'अलंकार तथा एक स्वतन्त्र वाङ्मय दोनों का परिचायक है। प्राचीन काल से ही लोक रूढ़ि की अपेक्षा परम्परा को अधिक सम्मान देता आ रहा है, क्योंकि परम्परा का प्रत्यक्ष स्वं साक्षात् सम्बन्ध मनुष्य के दैनन्दिन व्यवहारों से है। अतः यद्यपि रूढ़ि अपने स्थान पर परम्परा से अधिक बलवती अवश्य होती है तथापि लोकानुमोदन उसे नहीं प्राप्त होता है। अप्रस्तुत-प्रशंसा तथा अन्योक्ति के बीच भी प्रायः यही व्यवस्था देखने को मिलती है। 'अन्योक्ति' लोक-व्यवहारानुकूल होने के कारण ही अधिक प्रचलित स्वं प्रख्यात है। एक तथ्य यह भी है कि अन्योक्ति की प्राचीनतम संज्ञा, अप्रस्तुत-प्रशंसा नहीं, वरन् 'अन्यापदेश' है, जो यथाकथञ्चित्, आचार्य मरत से भी पूर्व साहित्य तथा लोक दोनों में विद्यमान थी। अन्योक्ति के पर्यायों का व्याख्यान करते समय, इस विषय में स्थायी तत्त्व उपस्थित किये जायेंगे।

जैसे पपीहों की पुकार, उन्मत्त कलकण्ठी की कूक, सहकार मंजरी तथा अलस विलास आदि वैशिष्ट्यों से समुपेत ऋतु 'वसन्त' कही जाती है, ठीक उसी प्रकार अप्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत गम्य का व्यंजनयाबोध, विशेषणों की असमानता, इतिवृत्त की समानता तथा अन्यापदेशत्व आदि वैशिष्ट्यों से युक्त अलंकार अन्योक्ति (या अप्रस्तुत) है। किन्तु जैसे तथाकथित गुणों से विभूषित ऋतुराज एकस्थ या संकुचित न रहकर समस्त भूमण्डल में, एक नरेश की भांति अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित कर देता है, कवि की हृत्तन्त्री भङ्ग हो उठती है, वियोगियों की यातनायें प्रारम्भ हो जाती हैं तथा समस्त लोक में वसन्त दृष्टिगोचर होता है, ठीक उसी प्रकार अन्योक्ति भी जब कतिपय लक्षणों के बन्धन तोड़कर अपनी सैद्धान्तिक कारा से बाहर आ जाती है तो उसका भी एक स्वतन्त्र रूप 'लोक-साहित्य' के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है।

१- द्रष्टव्य, नादयशास्त्र, षोडशाध्याय, (मनोरथ लक्षण की परिभाषा)

२- हिन्दी कवि रत्नाकर का एक पद्य देखिये:-

कूजन लगे हैं पिक पंचम रसीले राग, गूजन लगे हैं मौर संघ सुधराई हैं।

कहें 'रत्नाकर' रसाल बौर भूमि उठे, फूलि उठे सुमन अनन्द अधिकाई में ॥

साजन लगे हैं साज सुखद संजोगी गन, बाजन लगे हैं बाज बिसद बघाई में।

दन्त लागे चांपन, वियोगी कहिं हाय, हन्त, सन्त लागे चांपन वसन्त की अवाई में ॥

अन्यापदेश नाम को 'प्राचीनतम' कहने का मूलतः यही अभिप्राय है कि आलंकारिक-मान्यतायें तो भरत एवं मामह से ही प्रारम्भ होती हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि अन्योक्ति (अप्रस्तुत) अलंकार-विशेष होने के कारण, भरत के पूर्व नहीं थी ? नहीं, अन्योक्ति, अन्यापदेश के रूप में, मावाभिव्यक्ति की व्यंजनामयी एक कलाविशेष के रूप में अथवा व्यवहार रूप में भरत के पूर्व भी थी । अन्योक्ति इतनी प्राचीन है, जितना कि जन-जीवन । क्योंकि जन-जीवन का, सच्चा प्रतिनिधित्व अन्योक्ति ही करती है ।

'अन्योक्ति' नाम का सर्वप्रथम उल्लेख, नवम शती में उत्पन्न आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकार' में किया । ग्रन्थ के आठवें अध्याय में रुद्रट ने औपम्यमूलक मूलक इक्कीस अलंकारों का व्याख्यान किया है । जब वक्ता प्रस्तुत वस्तु को स्वरूपतः (स्वरूप विशेष से) अन्य रूप में प्रतिपादित करने के लिए, उसी के समान अन्य वस्तु का अधिधान करे तो वहाँ 'औपम्य' होता है^१ । रुद्रटालंकार के टीकाकार नमिसाधु के शब्दों में, हम स्थूल रूप से उपमानोपमेय भाव की प्रतीति को ही 'औपम्यतत्त्व' कह सकते हैं^२ । औपम्यमूलक वर्ग में कुल २१ अलंकार हैं -- उपमा-उत्प्रेक्षा-रूपक-अपह्नुति - संशय-समासोक्ति-मत-उत्तर-अन्योक्ति-प्रतीप-अर्थान्तरन्यास-उभयन्यास-प्रान्तिमान-आज्ञाप-प्रत्यनीक-दृष्टान्त-पूर्व-सहोक्ति-समुच्चय-साम्य तथा स्मरण ।

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध है कि जब अन्योक्ति भी औपम्यमूलक वर्ग के अलंकारों में से अन्यतम है, तब फिर उसमें भी 'अन्यवस्तु का अधिधान' अथवा 'उपमानोपमेयभाव' अवश्य होगा । होता यही है, अन्योक्ति में उपमानों द्वारा उपमेयों का, व्यंजनया बोध होता है । व्यंजनया बोध होने का कारण यह है कि अन्योक्ति में केवल उपमान मात्र (जिसे हम अप्रस्तुत, अप्रकृत, अप्रासंगिक, अमुख्य आदि भी कहते हैं) का ही शब्दशः अधिधान होता है, अर्थात् अप्रस्तुत-पदा ही वाच्य होता है । किन्तु उपमेय पदा (जिसे हम प्रस्तुत, प्रकृति, प्रासंगिक, मुख्य आदि कहते हैं) सर्वदा, वाच्य न होकर व्यंग्य ही रहता है । आचार्य रुद्रट के अनुसार --

असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम् ।

उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥ ७४
(रुद्रटालंकार, अध्याय ८)

१- सम्यक्प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति वस्त्वन्तरमभिदध्याइवक्ता यस्मिंस्त-
दौपम्यम् ॥ ८१ (रुद्रटालंकार) ।

२- यत्रोपमानोपमेयभावः श्रौतः प्रातीतिको वा तदौपम्यमिति तात्पर्यम् ।

अर्थात् जहां असमान विशेषणों वाला (किन्तु) समान इतिवृत्त(कथानक) वाला उपमेय वाच्य-उपमान द्वारा गम्य होता है, वहां 'अन्योक्ति' होती है। उदाहरणार्थ--

मुक्त्वा सलीलहंसं विकसित कमलोज्ज्वलं सरः सरसम् ।

बकहूलितजलं पत्वलमभिलषसि सखे! न हंसोऽसि ॥

अर्थात् हे राजहंस ! फूले हुए कमलों के कारण, घबल प्रतीत होने वाले तथा क्रीडारत हंसो से मुक्त, रमणीय-सरोवर छोड़कर (जो तुम) बगुलों से कर्दमाक्त छोटी बावली में जाना चाहते हो, (इस कारण) हे मित्र ! तब तुम हंस नहीं हो ! (क्योंकि हंस तो आजीवन स्वच्छ-सरोवर में ही रहना चाहता है) यह वर्णना 'अप्रस्तुत-पदा' की हुई, जो 'कविसरम्मगोचर' नहीं है ।

किन्तु प्रस्तुत उदाहरण 'अन्योक्ति' का है । यहां, कवि ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उपस्थित किया है, जो सब दिन, गुण-शील युक्त तथा पवित्र-प्रणय वाली अपनी पतिव्रता पत्नी में ही निरत रहा, किन्तु अब (किसी कुसंगति वश) किसी चरित्रहीन वेश्या के प्रति आकृष्ट है । यह तो, एक विशिष्ट वर्ग की बात हुई । किन्तु इस अन्योक्ति को हम अन्य भी सामाजिक-तत्त्वों में चरितार्थ कर सकते हैं, जैसे किसी सच्चरित्र व्यक्ति का साथ छोड़कर लम्पट व्यक्ति की संगति करना अथवा 'पूर्वपुरुषों' द्वारा प्रारम्भकिये गए घर्मकर्म को तिलांजलि देकर, घर में अघर्माचरण करना या करवाना आदि । परन्तु इन - सभी स्थानों पर, इस अन्योक्ति का एक ही आशय रहेगा - 'किसी व्यक्ति का अपनी सम्मान्य-स्थिति से, किसी कारणवश, परिस्खलन !'

एक प्रश्न उठाया जा सकता है, वह यह कि जब अन्योक्ति में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत पदा में, विशेषण सब के सब असमान होते हैं तो फिर उपमान से उपमेय का अवगम, होता कैसे है ? इस प्रश्न का उपन्यास तथा निराकरण दोनों ही रुद्रट के टीकाकार आचार्य नमिसाधु ने भली भांति किया है^१ । अन्योक्ति में उपमेय की (प्रस्तुत पदा की) दो विशेषतायें हैं --(१) उपमेय के विशेषण उपमान के विशेषणों से सर्वथा भिन्न होते हैं । उपर्युक्त उदाहरण में ही, सलील हंसादि विशेषण, व्यक्ति-

१- ननु यद्यसमानविशेषणं तत्कथं तेन गम्यत इत्याह-समानेतिवृत्तमिति । समानं सदृशम् इतिवृत्तमर्थशरीरं यस्य तत्तथोक्तम् । यत् उपमानतुल्यव्यवहारमुपमेयमतस्तेन गम्यत इत्यर्थः ।

-- (नमिसाधु कृत टीका)

विशेष (जो उपमेय है) के विशेषणों से सर्वथा पृथक् है । नमिसावु के शब्दों में --
न हि पुरुषः सरो मुक्त्वा पत्वलममिलषति ।

(२) उपमेय का इतिवृत्त, उपमान के इतिवृत्त के सर्वथा समान होता है ।
उपर्युक्त उदाहरण में ही, 'व्यक्ति विशेष का अनुरक्ता स्वं शीलवती पत्नी को छोड़कर
वेश्यासेवन रूप कथावस्तु ठीक उसी प्रकार की है, जैसे --'रमणीय सरोवर को छोड़कर
हंस का, बावली-सेवन' ।

इसी इतिवृत्त का साम्य, उपमान द्वारा उपमेय का व्यंजनया बोध कराता
है । क्योंकि 'अन्योक्ति' में कवि का सारा प्रयत्न प्रासंगिक वृत्त के ही स्पष्टीकरण
में रहता है किन्तु वाच्य रूप में उसे उपस्थित करके नहीं । क्योंकि उस रूप में वर्णना,
प्रस्तुत करने में कोई वैशिष्ट्य नहीं, कोई उक्तिवैचित्र्य नहीं, कोई नवीनता नहीं ।
परन्तु कवि तो क्रान्तदर्शी होता है, उसकी वाणी का तो स्फुट प्रयोजन है सुचारु
काव्य की सर्जना^१ और राजानक कुन्तक के शब्दों में इमी प्रकार के काव्यामृत रस से
पाठक के हृदय में चतुर्वर्गातिशायी, चैतसिक-चमत्कार उत्पन्न होता है ।^२

इतना तो निश्चित ही है कि प्रत्येक व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता ।
क्योंकि कवित्व का स्फुट कारण है प्रतिभा, वह प्रतिभा जो स्मृति (व्यतीत विषयों
से सम्बद्ध) मति (आगाभी चिंतनपरक) तथा बुद्धि (तात्कालिक विषय से सम्बद्ध)
तीनों से ही विलक्षण तथा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञायुक्त होती है^३ । वह सर्वजनसामान्य
नहीं, और इसी कारण उससे प्रसूत अभिव्यक्ति भी, ध्वनिकार के शब्दों में 'अलोकसामान्य'
ही होती है । इस शक्ति के रहने पर ही, साधारण सा अभिधेय बहुमुखीन वैचित्र्यों के
साथ, कवि के मानस-पटल पर स्फुटित होता है ।^४

इसी दशा में प्रतिभावान् कवि के समझ स्फुट 'कर्तव्य' यही रहता है कि
वह अपने वक्तव्य को किस चातुरी से युक्त करे कि पाठक, ज्ञानमात्र के लिए विस्मित
हो जायं । क्योंकि अकेला आनन्द तो संगीतादिक से भी प्राप्त हो जायगा, अतः उस

१- फलमिदमेव हि विदुषां शुचिपदवाक्यप्रमाणशास्त्रेभ्यः यत्संस्कारो वाचां वाचश्च
सुचारुकाव्यफलाः ॥११३३ (रुद्रटालकार)

२- चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदुदाम् ।

काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो पितन्यते ॥--वक्रोक्ति०प्रथमोन्मेष का०५

३- काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभाक्तः ॥--काव्यालंकार मामहकृत, १।५

४- स्मृतिव्यतीतविषया मतिरागाभिगोचरा बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञात्रैकालिकी मता ॥

५- प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ॥--आचार्य भट्टतात(काव्य कौतुक)

६- सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महता कवीनाम् ।

अलोकसान्प्रथमोन्मेषप्रतिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम् ॥ध्वन्या०प्रथमोद्योत का०६

७- मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकवाभिधेयस्य ।

अक्लिष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥११५ (रुद्रय०)

स्थिति में काव्यानन्द का वैशिष्ट्य ही क्या? अन्योक्ति के प्रसंग में भी कवि का बहुत कुछ दायित्व इसी कोटि का होता है। इसी कारण वह प्रस्तुत-पदा को अभिधया न व्यक्त करके व्यंजनया व्यक्त करता है। व्यंजनया व्यक्त करने पर कोई भी तथ्य अपनी प्रकृतशक्ति से कई गुना अधिक वेग वाला हो जाता है। इसके दो कारण हैं -- एक तो पुरुष को लज्जित अथवा अपमानित करने के लिए अप्रस्तुत-इतिवृत्त का निबन्धन तथा दूसरा, प्रत्यक्षतः न कहकर परोक्षरिति से संकेत।

वैदर्भी-रिति की प्रशंसा में पद्मगुप्त (परिमल) ने 'नवसाहस्रकवचित (प्रथम सर्ग, श्लो० ५) में एक, महत्त्वपूर्ण बात कही है --

निस्त्रिंशद्वारासदृशैर् येषां वैदर्भमार्गेण गिरः प्रवृत्ताः

चूँकि वैदर्भी रिति का व्यंजना के साथ नीर-क्षीर सम्बन्ध है, अतः अन्योक्ति में प्रतिष्ठित व्यंजना के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि निस्त्रिंशद्वारा के समान प्रवृत्त होने वाली, यही व्यंजनामयी उक्ति, अन्योक्ति को काव्यजगत् में सर्वोत्कृष्ट स्थान दे देती है। सिद्धान्त रूप में अन्योक्ति का यही सिद्धांत, किन्तु स्पष्ट स्वरूप है।

वसन्त ऋतु एवं वसन्त-साम्राज्य का दृष्टान्त देकर पूर्वानुच्छेद में, अन्योक्ति अलंकार तथा अन्योक्ति-साहित्य का पार्थक्य ज्ञाने का पहले प्रयत्न किया गया है। इस विषय में कुछ अपेक्षित सामग्री अभी शेष है। अन्योक्ति के सिद्धान्तिक-स्वरूप का अभिप्राय उसके आलंकारिक स्वरूप से है। इसी प्रकार उसके व्यावहारिक स्वरूप का तात्पर्य उसके स्वतंत्र साहित्य से है। सिद्धान्त एवं व्यवहार (Theory and practice.) दोनों परस्पर सापेक्ष, पद हैं, दोनों में अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है। जहाँ किसी भी पदार्थ से सम्बद्ध कोई सिद्धान्त होगा, वहाँ उसका अनुवर्ती व्यवहार अवश्य होगा और जहाँ कहीं व्यवहार होगा वहाँ उसके मूल में कोई न कोई सिद्धान्त भी अवश्य होगा।

अन्योक्ति नाम ग्रहण करने के कारण तद्विषयक सामग्री पूर्वानुच्छेदों में संकलित कर चुके हैं किन्तु अन्योक्ति का यही स्वरूप सब दिन नहीं रहा। आचार्य दण्डी तथा भोज ने इसकी संज्ञा एवं सिद्धान्त के विषय में कुछ सुधार अवश्य प्रस्तुत किया,

१- संगीत और काव्य के आनन्द का भेद, कविवर्य श्री नीलकण्ठ दीक्षित ने (


(ऋग्वेदहृदीं शशी ईसवी) इस प्रकार दिया है --

कर्णं गतं शुष्यति कर्णं स्व संगीतकं सैकतवारिरित्या ।

आनन्दयत्यन्तरनुप्रविश्य सूक्तिः कवेरेव सुधासगन्धा ॥

किन्तु वह यथेष्ट नहीं था । आचार्य आनन्द वर्धन (नवम शती ई०) ने सर्वप्रथम उसके तीन भेदों--सामान्य विशेष भाव, निमित्तैमित्तिक भाव तथा साम्य भाव -- का व्याख्यान किया । प्रतीहारेन्दुराज ने भाट्टालंकार टीका में इसके एक भेद की तथा अभिनव ने ध्वन्यालोक की टीका में उपर्युक्त तीनों भेदों का विधिवत् प्रतिपादन किया । अभिनव ने उदाहरण प्रस्तुत करके इन्हीं भेदों को पांच रूपों में व्याख्यात किया, इसका व्याख्यान कार्य यथाप्रसंग तृतीय अध्याय में होगा । इस प्रकार मम्मटाचार्य के पूर्व समय तक अन्योक्ति का केवल यही स्वरूप हमारे समक्ष रहा --अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत का बोध । किन्तु मम्मट युग में राजानक तिलक ने सर्वप्रथम इसके पांचों भेदों का विस्तृत व्याख्यान, उद्भटालंकार की स्वकृत टीका में किया और उन्हीं के समसामयिक आचार्य मम्मट ने राजानक तिलक प्रोक्त पांचवें प्रभेद 'सारूप्य-निबन्धन' का पुनः दो दृष्टियों से षोढा विभाजन करके अन्योक्ति का क्षेत्र इतना विस्तृत कर दिया कि जाने कितने अन्य अलंकार भी इसी में विलीन हो गए । वाङ्मय की दृष्टि से अन्योक्ति का यह विभाजन अत्यन्त यथार्थ एवं सूक्ष्म है । इस प्रकार मम्मट के युग तक अन्योक्ति का विस्तृत आयाम जानने के लिए अधोनिर्दिष्ट सूची दी जा रही है :-

अन्योक्ति (अप्रस्तुत०)



इन भेद-प्रभेदों का सोदाहरण व्याख्यान तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत किया जायगा । किन्तु इतना अवश्य कहना है कि राजानक तिलक द्वारा उद्भावित तथा

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- उद्भटकृत काव्यालंकारसारसंग्रह ५।१४ का राजानक तिलककृत व्याख्यान तथा मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश, दशमोल्कास, अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार ।

मम्मट द्वारा पल्लवित अन्योक्ति का यही स्वरूप आज तक मान्य है । इन्हीं भेदों में उसका समस्त वाङ्मय , उसकी समस्त इन्द्रिय-रुद्धियां, परम्पराएं, नवीनतायें तथा अन्य विशेषतायें भी समाविष्ट हैं । अतएव अन्योक्ति की सैद्धान्तिक परम्परा को स्थायी एवं टिकाऊ रूप देने में जहां पूर्व-मम्मट-युग के आचार्यों को श्रेय है, वहीं उसकी वाङ्मयीन परम्परा को भी मर्यादित एवं विकसित करने का सारा श्रेय तिलक एवं मम्मट को ही है ।

संस्कृत-साहित्य का परल्लवग्रहि (वैदिक साहित्य, पुराणादि) तथा गहन दोनों (काव्य नाटक आदि) ही रीतियों से अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनमें प्राप्त होने वाला अन्योक्ति-वाङ्मय प्रायः सारूप्यनिबन्धना की ही कोटि में आता है । अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रथम चार भेद मुख्यतः उसकी तकनीक (*Technique*) या उसकी शारीरिक बनावट से ही सम्बद्ध है । इसके विपरीत सारूप्यनिबन्धना की कोटि चूंकि लोकाभिव्यक्ति के अत्यन्त समीप तथा अनुकूल है, अतः अन्योक्ति के स्वतन्त्र-वाङ्मय में उसी का सद्भाव है ।

डा० संसारचन्द्र जी ने अपने शोध प्रबन्ध (हिन्दी काव्य में अन्योक्ति) के छठे अध्याय में अन्योक्ति के विषय में लिखा है -- अलंकार सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक मामह (५५०ई०) माने जाते हैं । इनके अनुसार अप्रस्तुत-प्रशंसा के सामान्य विशेष, कार्य कारण एवं सारूप्यनिबन्धना ये तीन भेद हैं जिनमें से अन्योक्ति अन्तिम भेद में समाहित होती है । इस उद्गार के साथ ही साथ उन्होंने काव्यालंकार की ३१२६ संख्यक कारिका भी उद्धृत की है । किन्तु उनका यह मत उद्भावना मात्र है क्योंकि आचार्य आनन्दवर्धन के पूर्व तक अन्योक्ति का केवल एक ही स्वरूप आचार्यों को मान्य रहा । उस स्वरूप अथवा संज्ञा के विषय में मले ही प्रान्तियां हुईं और इसी कारणवश मले ही अन्योक्ति-स्वरूप-विषयक दो विचारधारायें चल पड़ीं, किन्तु किसी भी रूप में उसकी बर्गीकरण सामने नहीं आया ।

शोधकर्ता द्वारा उद्धृत कारिका भी मामहालंकार में उस रूप में नहीं मिलती साथ ही साथ कुन्दोभंग होने के कारण वह गलत भी प्रतीत होती है । यदि आचार्य

१- पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पी०स्व०डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध । राजकमल प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, १९६० ई०, पृ० २७५ ।

२- दो विचारधाराओं का तात्पर्य -- १- मामह द्वारा उपदिष्ट अप्रस्तुत-प्रशंसा की स्वतंत्र धारा, २- दण्डी द्वारा उपदिष्ट, समासोक्ति धारा से है जिसके अनुसार अन्योक्ति का विलयन समासोक्ति में हो जाता है ।

उद्भट के विषय में ऐसा मन्तव्य होता तो उनके व्याख्याता राजानक तिलक के संबंध वश कुछ हद तक इस तथ्य को स्वीकार भी किया जा सकता था किन्तु मामह के विषय में ऐसा मत देना , कौतूहल के साथ ही साथ आश्चर्य का भी विषय बनता है । इस विषय में आगे चलकर कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला जायगा । यहाँ प्रसंगोपात्त इस तथ्य को स्पष्ट करने में , केवल यह स्वारस्य है कि ध्वनिकार के युग तक 'अन्योक्ति' निर्विकार रूप में ही रही तथा अलंकार-शास्त्र में केवल अलंकार रूप में आई । तब तक के आचार्यों ने अन्योक्ति को केवल अलंकार की ही दृष्टि से देखा । साहित्य की दृष्टि से नहीं । इसके विपरीत अभिनव, तिलक एवं मम्मटादि ने इसके दोनों ही पहलुओं का सर्वप्रथम विश्लेषण किया अलंकार तथा साहित्य रूप में !!

अन्योक्ति के इस व्यावहारिक अथवा वाङ्मयीन विश्लेषण के पश्चात् हमें यह भी देखना है कि इसकी व्याप्ति कहाँ से कहाँ तक है । इस धारणा के उदित होते ही ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर आज तक का बहुविध साहित्य दृष्टि-पथ में आ जाता है । वेद का वाक् सूक्त, मण्डूक सूक्त तथा इन्द्रवृत्त वृत्तान्त, उपनिषदों का शरीर-रूपक, पुराणों का भ्रमरगीत, रामायण -महामारत के विविध दृष्टान्त, दशविधरूपक, महाकाव्य सण्डकाव्य, कथा आख्यायिका, चम्पू तथा संग्रह ग्रन्थ, सब के सब अन्योक्ति का सौभाग्य सूचक पदक (Badge) लगाए, हमारे समक्ष आते हैं ।

पूर्वानुच्छेदों में युक्तिपूर्वक स्पष्ट किए गए अन्योक्ति के पारिभाषिक दृष्टिकोण से जब हम अपने प्राचीनतम साहित्य पर ध्यान देते हैं तो यह तथ्य शंका-विविक्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अन्योक्ति के तत्त्व अथवा अंशतः वेदों में भी निबद्ध किए गए हैं । आधुनिक शोधों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि आर्य जाति किसी बाहरी प्रदेश से ही भारत में आई और सर्वप्रथम सप्तसैन्धव प्रदेश

१- द्रष्टव्य, ऋग्वेद १०।१२५(वाक्सूक्त) ७।१०३(मण्डूक सूक्त) तथा १।३२, २।१२ आदि (इन्द्रसूक्त)।

२- द्रष्टव्य, कठोपनिषद्, अध्याय स्क, वल्ली ३, श्लोक ३-४(गीताप्रेस, गोरखपुर संस्करण)।

३- श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध अध्याय ४७ (गीता प्रेस, गोरखपुर तृतीय संस्करण) ।

४- सुभाषित-रत्नकोश, सुदुक्ति-कर्णामृत, शार्ङ्गधर-पद्धति, सूक्ति-मुक्तावली तथा सुभाषितावली आदि ।

में ही बसी । मोहनजोदड़ो तथा हरप्पा की खुदाईमें प्राप्त ध्वंसावशेषों तथा खनन कार्याध्यक्षा श्रीयुत राखलदास बनर्जी आदि विद्वानों की घोषणाओं के अनुसार यह तथ्य भी प्रामेण मान्य है कि आर्यों के पूर्व हमारे देश में द्रविड या दास संज्ञक कोई जाति रहती थी । इस विषय में अपार साहित्य तथा प्रमाण रहने पर भी, किसी भी देशी अथवा विदेशी विद्वान् का उद्धरण न देते हुए केवल यह कहना ही अपेक्षित है कि ऐसी स्थिति में जब आर्यों ने 'आर्यावर्त' बसा कर अपना जीवन सर्वप्रथम प्रारम्भ किया, तब उनके समक्ष अनगिनत दिव्य नवीनतायें रही होंगी । भारतवर्ष की नदियाँ, प्राची का सूर्य, अनुरागिणी उषा, विविध प्रकार के पशु, दासों की समस्या, यहां के प्राकृतिक उपादान आदि आदि । उन्होंने जब प्रमातकाल में तप्त ताम्रपर्ण की प्रज्ज्वलित आभा से लसे सूर्य को उगते देखा होगा तो स्वभावतः क्षण भर के लिए उनकी आँखें प्रेम के कारण फँस गयी होंगी, शीश झुक गया होगा और मुख से कुछ अस्फुट, अव्यक्त ध्वनि, निकल पड़ी होगी । यही अव्यक्त किन्तु श्रद्धाभावयुक्त ध्वनि ही परिस्फुट एवं परिपक्व होने के बाद ऋग्वेद की ऋचा बनी ।

प्राकृतिक उपादानों से आत्मीयता होने के कारण ही आर्य ऋषियों ने अपनी दिव्य गीतियों में, उनका भी मानवीकरण करने का प्रयत्न किया । 'सोम' जिसका पान उनके लिए अमृत के समान था, वह पत्थर जिससे वे सोमाभिषव करते थे, वह कुश, वह यूप और मृगह्वाल, जिसका वे यज्ञ में उपयोग करते थे, सब को उन्होंने सजीव प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया । प्रकृति के जिन २ उपादानों के प्रति उनकी श्रद्धा हुई, उसी-उसी को सर्वश्रेष्ठ गुणों से सुक्त करके उन्होंने अपना हितैषी माना ।

आर्यों की इस पद्धति के बहुमुखी परिणाम हुए । अनेक देवों को मान्यता देने के कारण बहुदेववाद (*Polytheism or Pantheism.*), किसी एक को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण वरिष्ठदेववाद (*Henotheism or Kathenotheism.*) तथा उन सब को किसी एक ही महा शक्ति से संग्रथित मानने के कारण बहुदेवनिष्ठ स्केश्वरवाद

(Pantheistic Monotheism.) जैसे वैदिक मतों का उदय हुआ^१। इसी प्रकार प्रतिपाद्य रूप में प्राकृतिक पदार्थों के साथ ही इनका निबन्धन करते समय अनेक विध प्रतिपादन शैलियां भी उदित हुईं -- कहीं वृत्तान्त का अभिव्यक्ति प्रतिपादन कहीं रूपकात्मक प्रतिपादन (Allegorical Composition.) और कहीं केवल संकेतों अथवा प्रतीकों का प्रतिपादन (Symbolical composition.) ।

यही प्रतिपादन शैलियां, वैदिक साहित्य में अन्योक्ति तत्त्व की सर्जना करती हैं। यद्यपि रूपकों, संकेतों अथवा प्रतीकों का हम अन्योक्ति के साथ न तो तादात्म्य ही मान सकते हैं और न अन्योक्ति में उनका अंतर्भाव ही कर सकते हैं, जैसा कि डा० संसारचन्द्र जी ने माना और किया है, तथापि वैदिक-युग में अन्योक्ति की पूर्वपीठिका अथवा (पूर्वरंग, प्रस्तावना, पूर्वरूप) 'पूर्वाभास' के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है। इन सब का अन्योक्ति के साथ साम्य क्या है और भेद क्या है, इन दोनों ही प्रश्नों की व्याख्या अगले अनुच्छेदों में की जायगी। किन्तु प्रस्तुत स्थल पर इतना कह देना उचित ही है कि स्थूल रूप से वैदिक रूपकों या प्रतीकों में अन्योक्ति तत्त्व मिलता है। 'स्थूल-रूप' कहने से स्कमात्र अभिप्राय यह है कि सूक्ष्मरीति से विचार करने पर तो अन्योक्ति के तीन प्रमुख तत्त्व हमारे समक्ष आते हैं :-

- (१) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेषणों में असमानता ।
- (२) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के इतिवृत्त में साम्य ।
- (३) वाच्य अप्रस्तुत द्वारा व्यंग्य प्रस्तुत का व्यंजनया बोध ।

१- The undeniable communism among the Vedic gods has lead MaxMuller, it seems, to propound his theory of Henotheism or Kathenotheism, "the belief in individual gods alternately regarded as highest." But strictly speaking, this very communism contains an objection to, as well as a reason for, Henotheism. The theory has an element of truth in its favour, but is not acceptable in its full bearing. There is indeed a certain undercurrent, noticeable in Vedic polytheism, which considers all the ~~the~~ various figures of the pantheon as manifestations of the one Supreme principle. This tendency is most clearly expressed in the conception of Rta (ऋत) from which some duties are said to originate, in which many participate and according to which nearly all work. This undercurrent is the first phase of the evaluation of Vedic beliefs into the Pantheistic Monotheism, fairly well outlined in the tenth Mandala and boldly expressed in the latest parts of the Sṛuti (ऋति) — Revd. Father Zimmermann (Vedic mythology)

(Peterson's Second Selection of Hymns from the Rgveda, Bombay) .

अब इन लक्षणों के आधार पर ही हमें अन्योक्ति का अस्तित्व देखना चाहिए । ऐसी बात भी नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में इन तीनों लक्षणों से युक्त कोई उक्ति नहीं मिलती । आवश्यकता तो इस बात की है कि हम उसका विधिवत् अनुशीलन करके एक स्पष्ट निर्णय दें । जहाँ तक रूपकों, संकेतों एवं प्रतीकों का प्रश्न है, हम इनमें 'तकनीक' मात्र अपनाने के कारण अन्योक्ति तत्त्व का अस्तित्व कह सकते हैं किन्तु वे अंश पूर्णतः अन्योक्ति ही हैं, ऐसा निर्णय देना या तो हमारे आत्मगौरव का परिष्कारक होगा अथवा अपरिपक्व ज्ञान का ।

ऋग्वेद संहिता, समस्त विश्व की प्राचीनतम ज्ञान-सम्पत्ति है । अतः सर्वप्रथम वहीं से अद्यतन शोध की भी प्रारम्भ होनी चाहिए । यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं, तथापि ऋषियों द्वारा कण्ठस्थ करने तथा कराने की रीति से ही, उनका परिरक्षण एवं परिवर्धन होने के कारण उसका आंशिक दायित्व उनके ऊपर आ ही जाता है । रसैकतानमानसता की स्थिति में, आर्य ऋषियों ने समाधिस्थ होकर तत्त्व विषयों से ऐसा गम्भीर-तादात्म्य किया कि उनके समस्त गुण, उनकी समस्त विभूतियाँ, ऋषियों के मानस-पटल पर स्वयमेव प्रकाशित एवं अंकित हो गईं । प्रकृतिस्थ होने पर ऋषियों ने स्वयं अपने को, उस विशिष्ट देवता विषयक गुणों एवं वैभवों से भरा पूरा पाया । उन्होंने गुण तथा वैभव रूपी ज्ञान की इस पवित्र धाती को कहीं लिखा नहीं, क्योंकि वह तो एक 'दिव्य ज्योति' के रूप में, उनके मस्तिष्क में स्थिर हो चुकी थी । अतः केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी वे उस ज्ञान को बांटते भर रहे । 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः न तु कर्तारः' का यही तात्पर्य है ।

अमूर्त प्रत्ययों (*unpicturable ideas.*) तथा प्राकृतिक उपादानों से सान्निध्य हाने के कारण, ऋग्वेद में प्रतीकात्मक पद्धति आई और अही पद्धति बहुत कुछ उसी रूप में पुराण-युग तक निरन्तर बनी रही । ऋग्वेद में तो ऐसे स्थल असंख्य हैं जहाँ, रूपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक रीति से भावाभिव्यक्ति की गई है । 'इन्द्र तथा वृत्रे सम्बन्धी आस्थान जो अपने प्रतीकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, ऋग्वेद में कई बार आता है । प्रथम मण्डल के बत्तीसवें सूक्त की दूसरी ऋक् के अनुसार

इन्द्र ने पर्वत में आश्रय लेने वाले सर्प को मारा तथा, सरित् धाराओं को उनके चंगुल से छुड़ाकर समुद्र की ओर प्रेरित कर दिया^१। इसी मण्डल तथा सूक्त की ग्यारहवीं ऋक् के अनुसार इन्द्र द्वारा वृत्र वध तथा जल को स्वतंत्र करने का प्रसंग पुनः आया है। किन्तु यहां वृत्र की उपाधि 'अहि' के स्थान पर 'दास' रूप में आई है। वृत्र रुद्र द्वारा निरुद्ध जलराशि की उपमा पणियों द्वारा निरुद्ध गायों से दी गई है।

श्रीमद्भागवत के कठे स्कन्ध में भी (अध्याय सात से तेरह तक) वृत्तासुर की कथा आई है। एक बार इन्द्र पर कुपित होकर देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग-लोक से बाहर चले गए। इन्द्र ने दैत्यों के मय से, ब्रह्मा के आदेशानुसार त्वष्टा देवता के, परमज्ञानी पुत्र विश्वरूप को अपना नया पुरोहित बनाया। किन्तु विश्वरूप आंशिक रूप से दैत्यों का पक्ष लेता था, इस कारण इन्द्र ने क्रुद्ध होकर उसका शिरच्छेद कर दिया। पुत्र-वध से संतप्त त्वष्टा के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने अपने यज्ञ-प्रभाव से एक विकराल वेष वाला, महाबली तथा इन्द्रशत्रु दानव पैदा किया, वही वृत्तासुर था। वृत्र के अपार बल से मयमित होकर देवगण, विष्णु की शरण में गए और अन्त में उन्हीं के मन्तव्यानुसार महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाए गए वज्र द्वारा इन्द्र ने भयानक संग्राम में उसका वध किया।

किन्तु ऋग्वेद में इसके विविध-रूपक प्रस्तुत किए गए हैं। इन्द्र द्वारा, वृत्र-वध, रूप दृष्टान्त का स्पष्टीकरण, आचार्य सायण ने मेघपरक अर्थ लेकर किया है। उक्त वैदिक सूक्त में वे कई स्थानों पर अपना मत दुहराकर पुष्ट करते हैं --

तेन वज्रेण मेघे भिन्ने सति स्यन्दमानाः प्रस्रवणयुक्ताः आपः समुद्रमजः सम्यगवजग्मुः प्राप्ताः। तत्र दृष्टान्तः। वाश्रा वत्सान् प्रति हम्भारवोपेता धेनव इव। यथा धेनवः सहसा वत्सगृहे गच्छन्ति, तद्वत् (१।३२।२) + + +

अपां यदिबलं प्रवहणद्वारमपिहितं वृत्रेण निरुद्धमासीत् तदिबलं प्रवहणद्वारं वृत्रं जघन्वान्, हतवानिन्द्रोऽपववार, अपवृतमकरोत् (१।३२।११)

१-अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वयं ततदा ।

वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अजः समुद्रमव जग्मुरापः॥

२-दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।

अपां बिलमपिहितं यदासीद् वृत्रं जघन्वा अप तद्ववार ॥

३-हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रोर्विवर्धस्व मा चिरं जहि विद्विषम् ॥११

अथान्वाहार्यपवनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इवलोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२

थेनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८

--(श्रीमद्भाग० ६।७-१३)

इस प्रकार सायणाचार्य के मतानुसार इन्द्र तथा वृत्र का यह इतिवृत्त एक वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्य का प्रतीक है । इस वृत्तान्त की रूपकात्मक मान्यता सायण की अपनी उद्भावना नहीं, प्रत्युत जैसा कि उन्होंने इन सूक्त की दशम ऋक् में उद्धृत किया है -- अत्र यास्कः ।..... इन्द्रशत्रुरिन्द्रोऽस्य श्मयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः । तत्को वृत्रो, मेघ इति नैरुक्तास्त्वाष्ट्रोऽसुरः इत्यैतिहासिकाः (निरुक्त २।१६) इति ।

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि यास्काचार्य (ई०पू०७००) के युग तक वैदिक अर्थावगम की दो पद्धतियाँ प्रचलित हो चुकी थीं -- निरुक्त-पद्धति तथा इतिहास अथवा पुराण-पद्धति । किन्तु यदि हम आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो स्नातन, पाश्चात्य तथा आर्यसमाजी परम्पराएं हमारे समक्ष आती हैं और तब 'इन्द्रवृत्त' का यह वृत्तान्त एक और 'प्राकृतिक रूप' प्रस्तुत करेगा -- सूर्य द्वारा हिमालय की विशाल हिमराशि का पिघलाया जाना ।

इस दृष्टि से ऋग्वेद में सरमापणि-संवाद सूक्त (१०।१०८) विश्वामित्र नदी-संवाद-सूक्त (३।३३) , सर्पराज्ञी सूक्त (१०।१८६) मण्डूक सूक्त (७।१०३) वाक् या देवीसूक्त (१०।१२५) आदि सब के सब प्रतीकात्मकता के ही दायरे में आते हैं । वाक्सूक्त में अम्भृण ऋषि की कन्या, परब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करके, उद्गार व्यक्त करती है, उसका यह कथन --

'अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्' आदि स्वयं उसका नहीं, प्रत्युत् ब्रह्म की ही शक्ति का प्रस्तुतीकरण है । चाहे हम वाक् सूक्त को उस प्रस्तुत-ब्रह्मशक्ति व्याख्यान का प्रतीक मानें या संकेत मानें, दोनों ही सम्भव हैं । इसी प्रकार का एक विस्तृत, साथ ही साथ उलफा हुआ, गूढ़ रूपक, सूर्या-सावित्री (ऋ०१०।८५) अपने ही विवाह-वर्णन के रूप में प्रस्तुत करती है

यद्यपि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् के रूप में ही 'वेद' को गृहीत किया जाता है, किन्तु जब विस्तृत अर्थ है में हम वैदिक वाङ्मय का ग्रहण करते हैं तो

१- That hail falls when the monsoon rain is being introduced by thunderstorm, is not so common as to warrant its insertion in the Uritra fight 2-13. But it is a common occurrence in the places where the myth originated and in adjacent regions, at the time, when frost is thawing and the rivers set free. Thus the Rgveda text itself supports the view that Uritra is a demon of frost succumbing yearly to Indra, the god of light and warmth. — Red. Father Zimmermann, (Ibid.)

संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् तथा समस्त वेदांग-(शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, जोतिष-हृन्द) भी उसमें अवबुद्ध होते हैं। आरण्यक तथा उपनिषद्, प्रायेण वैदिक ब्राह्मणों के ही अंशभूत हैं। प्रातिशाख्य(शिक्षाग्रन्थ), कल्पसूत्र (कल्पग्रन्थ), निघण्टु(निरुक्तग्रन्थ) अष्टाध्यायी प्रमृति ग्रन्थ(व्याकरण) तथा ज्योतिष-हृन्द संबंधी ग्रन्थ साथ ही इनका समस्त साहित्य भी वेदांगों में ही आता है। इसके अतिरिक्त इतिहासवेद(ऋग्वेद), घनुर्वेद(यजुर्वेद), गान्धर्ववेद(सामवेद) तथा आयुर्वेद(अथर्ववेद) ये चारों उपवेद भी वैदिक साहित्य के ही अंग हैं। अतः इन वेदांगों में भी अन्योक्ति का अस्तित्व देख लेना उचित ही होगा।

मुण्डकोपनिषद् (तृतीय मुण्डक, प्रथम खण्ड) में वृद्धा स्वं पद्मिद्वय के माध्यम से निरूपित, आत्मा-परमात्मा का विवेक, इन वैदिक (ऋग्वेद) दृष्टान्तों से कहीं अधिक स्पष्ट तथा 'अन्योक्ति' के भी अधिक समीप है। यह दृष्टान्त इतना प्रभावशाली तथा यथार्थवेदी है कि परवर्ती वाङ्मय में भी अविकल रूप में वह प्रतिपादित होता रहा^१।

द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृद्धं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिवाकशीति ॥

यहां (उपनिषद् में) वास्तव में प्रसंग है, आत्मा-परमात्मा के पार्थक्य प्रदर्शन का। अतः यही इतिवृत्त प्रस्तुत है। किन्तु वृद्धा तथा पद्मियों का वृत्तान्त अप्रस्तुत या अप्रासंगिक है, साथ ही साथ वाच्य भी है। इन दोनों तत्त्वों के अतिरिक्त शेष बचा अन्योक्ति का तीसरा मुख्यतम तत्त्व -- अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का व्यंजनयावबोध। इतिवृत्त साम्य के कारण यहां वह भी सम्भव है, अतः यहां रूपकात्मक अन्योक्ति भी मानी जा सकती है।

प्रस्तुत पद्य में दोनों 'सुपर्णा' का अर्थ आत्मा तथा परमात्मा से 'सयुजा' का अर्थ 'साथ रहने वाले', 'सखाया' का तात्पर्य समानास्थान वाले (आत्मा-परमात्मा का ही अंश होता है) से है। तथा वे एक ही वृद्धा अर्थात् शरीर में

१- द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत ११।११।६ तथा गीता १५।२, ३, ४।

सुपर्णावेतो सदृशो सखाया यदृच्छ्येता कृत्नीडौ च वृद्धे ।

एकस्तयोः स्वादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नेऽपि बलेन म्रियान् ॥

-- श्रीमद्भा०

रहने वाले हैं । 'पिप्पल' का अर्थ है -- कर्मनिष्पन्न तथा सुख-दुःख लक्षणों से युक्त फल । 'अनश्नन्नन्यः' का संकेत नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाले ईश्वर के लिए है । इस प्रकार एक पक्षी संसारी-जीव का प्रतीक है तो दूसरा संसार-मुक्त ईश्वर का प्रतीक । माध्यकार श्रीशंकराचार्य जी के भी अनुसार इस पद्य में मुख्य(प्रस्तुत) वस्तु है -- 'तत्त्वनिर्धारण' किन्तु वह साक्षात् रूप से न कहा जाकर एक दूसरे ही प्रकार से (रूपक के माध्यम से) व्यक्त किया गया है ।

वेदों तथा उपनिषदों में प्रतिपादित यह प्रतीकवाद धीरे-धीरे वैशद्य भाव को प्राप्त होता गया । पौराणिक साहित्य में, इसका स्वरूप, पहले की अपेक्षा और भी प्रांजल एवं परिनिष्ठित हो गया । यद्यपि, उदाहरण के लिए पुराणों की विशाल संख्या हमारे समक्ष है, किन्तु एक ही उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट किया जाता है । समस्त पुराण-साहित्य का रत्नभूत, श्रीमद्भागवत जिसे वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल कहा जाता है, समस्त मानवीय व्यवहारों का मंडार है । भगवान् कृष्ण की मथुरा लीलाओं से ओत-प्रोत, इसका दशम स्कन्ध 'भ्रमर-गीत' का प्रसंग (अध्याय ४७) प्रस्तुत करता है । प्रणय में डूबी गोपियों को हौड़कर, कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कर्मक्षेत्र में उतरने के लिए । किन्तु बचपन की सखियां, राधादिक गोपिकाएं तथा यशोदा का मातृ-हृदय उन्हें रह-रह कर उन्मत्त बना देता है । वे उद्वेग से सन्देश भेजते हैं- ब्रजवासियों को समझाने के लिए । उद्वेग भी गोपियों को श्रीकृष्ण का 'परब्रह्मरूप' समझाना चाहते हैं किन्तु गोपियों की उफनती हुई प्रणय सरिता में योग के शिलाखण्ड रुक नहीं पाते । गोपियां 'मौरे' के बहाने कृष्ण की निष्ठुरता के लिए अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं हृदयावर्जक उपालम्भ प्रस्तुत करती हैं । श्रीमद्भागवत का यही अंश 'भ्रमर-गीत' कहा जाता है । एक चित्र देखिए--

किमिह बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनानधिपतिमगृहाणामग्रतोःपुराणम् ।

विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसंगः दापितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥१४

१- प्राधान्येन तत्त्वनिर्धारणं च प्रकारान्तरेण क्रियते । अत्यन्तदुःखाहत्वात्कृतमपि तत्र सूत्रभूतो मन्त्रः परमार्थवस्त्ववधारणार्थमुपन्यस्यते (तृतीय मुण्डकारम्)

२- निगमकल्पतरौर्गलितं फलं शुक्मुखात्मृतद्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहौ रसिका मुवि भावुकाः ॥

अर्थात् हे प्रमर, कहां तो हम वन में ब्रिवात करने वाले, अकिंचन व्यक्ति और कहां श्रीकृष्ण, यदुओं के अधिपति । फिर उनका 'पुराण' अर्थात् चरित्र हम लोगों के समक्ष क्यों गा रहे हो ? अरे यदि गुणगान करना ही था तो मधुपुर की ललनाओं के समक्ष, उनका प्रसंग सुनाते, जिनके उरोजों का रोग विनष्ट हो चुका है (अर्थात् जो नित्य मनमोहन के साथ रमण कर रही हैं) प्रसन्न चित्त वाली वे अवश्य ही तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करतीं ॥ यहां स्पष्टतः अन्योक्ति के तत्त्व विद्यमान हैं । भगवान् कृष्ण तथा प्रमर के विशेषणों में साम्याभाव, इतिवृत्त में साम्य तथा अप्रस्तुतवाच्य द्वारा प्रस्तुत की व व्यंजना, अन्योक्ति की ये तीनों ही वृत्तियां इस पद्य में द्रष्टव्य हैं । अतः इसका प्रस्तुत परक अर्थ इस प्रकार होगा --

हे श्याम (उद्धव के मुंह से) कहां तो तुम यदुओं के सर्वस्व । और कहां हम लोग वनवासिनी, दरिद्र अबलारं । तो फिर क्यों, हमारे समक्ष, अपनी बातें (उद्धव द्वारा प्रेषित सन्देश) सुना रहे हो ? यदि सुनाना हो है तो मधुरा की युवतियों को सुनाओ, जिनके साथ निरन्तर रमण करके श्रीमान् ने उनके कुचों का रोग शान्त कर दिया है । प्रसन्न चित्त वाली वे तुम्हारा अभीष्ट पूरा करेंगी ॥

प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक पद व्यंजनापूर्ण हैं । अधिपति तथा 'अगृह' शब्द का सुस्पष्ट विरोध तथा 'षडडि०' (प्रमर का प्रेम स्थिर नहीं होता है, यह बात लोक प्रसिद्ध ही है) शब्द का उपादान, सब के सब मानो गोपियों की घनीभूत अन्तर्व्यथा को प्रकट करने में बद्ध परिकर हैं । अस्तु, यह उदाहरण सर्वात्मना, अन्योक्ति पद्धति का ही अनुकरण करता है । इस उद्धरण के साथ ही अब अन्योक्ति की प्राचीनता दिखाने का प्रसंग समाप्त होता है । क्योंकि पल्लवग्राहि रीति से, ऋग्वेद, मुण्डकोपनिषद् तथा श्रीमद्भागवत के उदाहरण प्रतिपाद्य तथा प्रतिपादन शैली दोनों ही दृष्टि से युगान्तर सूचक हैं । वेद में अन्योक्ति का जो रूप हमने 'प्रतीक या रूपक' में देखा, उसी को उपनिषद् में अस्फुट या किञ्चित्स्फुट-अन्योक्ति के रूप में तथा पुराण में स्पष्टतः अन्योक्ति के रूप में प्राप्त किया । प्रतिपादन शैली के इस नव्य परिवर्तन से अन्योक्ति तत्त्व का विकास स्वयमेव उद्भासित हो उठता है ।

१- द्रष्टव्य, इसी अध्याय का श्लोक ६

अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम् ।

पुष्पिः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्स्वव षटपदे? ॥६

इस प्रकार प्राचीन साहित्य में 'अन्योक्ति' का स्वरूप क्रमशः अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम रूप में प्राप्त होता है। पहले ऋ का अस्तित्व वैदिक गूढ़ोक्तियों में तथा दूसरे, तीसरे तथा अन्तिम का श्रीमद्भागवत एवं रामायण प्रमृति ग्रन्थों में प्राप्त होता है। किन्तु जैसा कि आचार्य रुद्रट के प्रामाण्य सहित अन्योक्ति का स्वरूप व्यवस्थित किया जा चुका है, उससे 'अन्योक्ति' एक निजी वैशिष्ट्य वाली वस्तु सिद्ध होती है। उसकी अपनी मर्यादायें तथा पारिभाषिक विशेषतायें हैं जो कि रूपक प्रमृति समान तत्त्वों में कभी प्राप्त नहीं हो सकतीं। अतएव रूपक, संकेत, प्रतीक तथा पहेंली तक को भी इसी में अन्तर्भूत करते हुए डा० संसारचन्द्र जी ने अन्योक्ति का जो स्वरूप निश्चित किया है, उससे अनेक भ्रान्तियां पैदा हो जाती हैं, इसी कारण अब एक नवीन प्रसंग का श्रीगणेश किया जा रहा है। इस विषय में एक सुस्पष्ट एवं तर्कयुक्त धारणा यह है कि कोई भी वस्तु, अपनी मर्यादा में रहकर ही श्री-लाम कर पाती है। 'अन्योक्ति' यद्यपि जनसमुदाय के बीच इतनी प्रचलित तथा सम्मानित है कि पग-पग पर हमें उसके रहने या न रहने का विचार करना पड़ता है। किन्तु ऐसी दशा में शोधकर्ता का कर्तव्य है कि वह उस वस्तु विशेष का नीरक्षीर विवेक प्रस्तुत करे, ऐसे अवसरों पर क्षमाशीलता, सूक्ष्म अध्यवसाय तथा गहन चिन्तन की अपेक्षा रहती है। हुक्मे उतराने से केवल अपना खोखलापन व्यक्त होता है, कोई आदर भी नहीं प्राप्त होता। काव्यालंकार (रुद्रटकृत ७।७) की टीका में टीकाकार आचार्य नमिसाधु ने रसास्वादन के लिए बिह्वल महाकवियों का एक, व्यंग्यचित्र इस प्रकार खींचा है --

गणयन्ति नापशब्दं न वृत्तमंगं ज्ञयं न वार्थस्य ।

रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः कुक्कवयश्च ॥

अतः इस दार्ष्टान्तिक सत्य की जवनिका में बैठकर यदि कोई विद्वान् यश की कामना करे तो उसके लिए एक कठोर-परीक्षा का विधान है और वह परीक्षा है 'विस्तृत अध्ययन के साथ ही साथ संयत लेखन'। हिन्दी के प्रख्यात आचार्य डा० रामचन्द्र शुक्ल ने शायद इसी कारण कुछ लिखने के पूर्व उसे छः बार सोचने की सलाह दी थी।

डा० संसारचन्द्र जी का शोध-कार्य यद्यपि है तो हिन्दी भाषा से सम्बद्ध। किन्तु उसकी दौ तिहाई सामग्री संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य से भी सम्बद्ध है।

प्रतिपाद्य सम्बन्धी यह विवशता उन्होंने स्वयं पुस्तक के 'दो शब्द' (पृ०६) में स्वीकार की है। हिन्दी भाषा में, अन्योक्ति-विषयक जो भी योगदान शोधकर्ता का है, वह हमारा आलोच्य विषय नहीं किन्तु संस्कृत एवं अंग्रेज़ी-साहित्य से सम्बद्ध उनका अन्योक्ति विषयक मत अवश्य ही परीक्षणयोग्य है। इस दृष्टि से ही प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में उनके मतों का यथोचित निरूपण किया जायगा ताकि मतवैषम्य न रह जाय, अथवा यदि रहे भी तो एक सुदृढ़ आधार-शिला पर !! प्रतीकादि तत्त्वों के सूक्ष्म ज्ञान के लिए अंग्रेज़ी एवं संस्कृत साहित्य के अन्तराल में पहुँचना आवश्यक है, क्योंकि प्रतीक-योजना, दोनों ही साहित्यों में अत्यन्त प्राचीन प्रक्रिया है।

किन्तु यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि वैदिक-वाङ्मय में उपनिबद्ध संकेत अथवा प्रतीक पद्धति विश्व के किसी भी प्राचीनतम वाङ्मय की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। अन्तर केवल यह है कि संस्कृत-साहित्य में, चाहे वेद, पुराण एवं अन्यान्य शास्त्रों में वर्णित प्रतीक पद्धति हो और चाहे प्रबोध-चन्द्रोदयादि नाटकों में वर्णित, किन्तु उसका सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सैकड़ों अध्ययन नहीं किया गया। कथा, आख्यायिका एवं पहलैलियों तक का विवेचन हमें रामहादि प्रणीत लक्षण ग्रन्थों में प्राप्त होता है, क्योंकि वे सब के सब काव्य के अंग माने गये हैं। किन्तु प्रतीक-संकेत का गुण, अलंकार एवं रस के समकक्ष कोई विवरण किसी स्वतन्त्र लक्षण-ग्रन्थ में नहीं मिलता। इसका स्फुट कारण यह है कि भारतीय अलंकार-शास्त्र में स्थित जितने भी विवेचन हैं वे सब-के-सब काव्य की ही दृष्टि से सम्पन्न हुए हैं। अलंकार, गुण, रक्ति रीति, रस, औचित्य, अमिथा प्रमृति शब्द-शक्तियाँ लक्षण, दोष इत्यादि समस्त काव्य तत्त्व किसी-न-किसी रूप में शब्द एवं अर्थ (काव्य) से सम्बद्ध होने के ही कारण, लक्षण ग्रन्थों में, निबद्ध किये गये हैं। प्रतीक और संकेत योजना वस्तुतः संस्कृत काव्य-शास्त्र में व्याख्यात, कुछ अलंकारों में ही अन्तर्भूत हो जाती है और उसका अधिकांश तो अन्योक्ति में ही प्राप्त हो जाता है। सम्भवतः इसी कारण रामहादि आचार्यों ने इन तत्त्वों का पृथक् विवेचन नहीं किया। इसी प्रकार अन्य व्याख्येय तत्त्व भी किन्हीं-न-किन्हीं काव्य अथवा नाट्य तत्त्व में ही अन्तर्भूत होने योग्य हैं। यथावसर, इसे प्रदर्शित किया जायेगा। अंग्रेज़ी साहित्य में इसके विपरीत इन तत्त्वों का अध्ययन पृथक् रूप से एक विशिष्ट काव्य पद्धति के स्तर पर किया गया है। डा० संसारचन्द्र जी ने भी *Irony* तथा *satire* आदि

तत्त्वों का विवेचन अंग्रेजी साहित्य की ही दृष्टि से किया है। डा० संसारचन्द्र जी ने प्रतीक, संकेत तथा रूपक सब को अन्योक्ति का ही स्वरूप माना है। इस विषय में समस्त शोधग्रन्थ में बिना पुनरावृत्ति की अपेक्षा किए, उन्होंने अनेकशः अपना मन्तव्य उपस्थित किया है। किन्तु उस विस्तृत विवेचन में कहीं भी उनका सिद्धान्त पक्ष स्पष्ट नहीं हो पाता। हमारा अभिप्राय यह है कि तुलनात्मक रूप से विद्वान् शोषक ने कहीं भी अन्योक्ति तथा रूपक (Allegory) का पृथक् स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया है। हां, द्वितीय अध्याय के (अन्योक्ति स्वरूप और महत्त्व) पृ० ६८ पर उन्होंने 'प्रतीक' तथा 'संकेत' शब्दों की व्याख्या, कोश एवं भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अवश्य की है। उनकी इन समस्त विवेचनाओं का स्फुट लक्ष्य है -- 'संकेत, प्रतीक, रूपक' तथा प्रतीकात्मक समस्त रचनाओं का भी 'अन्योक्ति' से अभिन्न स्वीकार करना। पृ० १४८ (द्वितीय अध्याय) पर उन्होंने लिखा है --

इसलिए हमारे विचार से प्रस्तुत-अप्रस्तुत का विवाद न उठाकर, अन्य अर्थ की प्रतीति में अन्योक्ति पद्धति को स्वीकार कर लेना चाहिए। सांकेतिक कथाओं के अतिरिक्त आजकल प्रतीकात्मक भाषा में लिखी जाने वाली भावात्मक गीतिकायें भी अन्योक्ति-पद्धति में अन्तर्भूत होती हैं, क्योंकि वे प्रबन्धगत हैं। पद्धति से उनका तात्पर्य 'अन्योक्ति' का मुक्तकब्ध न होकर व्यापक बन जाता है (द्र०पृ० १४७, अध्यायारम्भ, अन्योक्ति पद्धति का स्वरूप शीर्षक)

पृष्ठ १५६ (चतुर्थ अध्याय) पर 'महाभारत तथा उसके संकेत' शीर्षक में उनका एक वक्तव्य इस प्रकार है -- 'स्वयं भगवद्गीता जो महाभारत का ही एक भाग है, उपनिषद् कही जाती है। उपनिषद् 'रहस्य' को कहा जाता है और गीता का रहस्य यह है कि वह प्रस्तुत कौरव पाण्डवों के ऐतिहासिक वृत्तान्त की पृष्ठभित्ति पर मानव-जीवन की आध्यात्मिक समस्या और उसके हल की ओर भी संकेत कर देती है। इसलिए महाभारत एक बृहद् अन्योक्ति है।'

पृष्ठ ६५-६६ पर (तृतीय अध्याय) वेदों में 'अन्योक्ति' शीर्षक) श्वेताश्वतर उपनिषद् ४।५ (अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां आदि) तथा ऋग्वेद ४।५८।३

१- द्रष्टव्य, पृ० १२, १४, ४०, ४७, ५६, ६१, ६८-७६, ८०-८२, ६२-६६, १४७-१७०

(समस्त चतुर्थ अध्याय) पृ० १८२ - २७४। (प्रथम संस्करण १९६० ई०)

(चत्वारि शृंगास्त्रयो अन्य पादा आदि) पद्यों की प्रतीकात्मकता स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने विवेचनोपसंहार में लिखा है -- इसी तरह संसार की भी चक्र नदी आदि के रूप में कितनी ही अन्योक्तियाँ उपनिषदों में मरी पड़ी हैं (पृ०६७)

इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार प्रतीक पद्धति तथा अन्योक्ति पद्धति में कोई अन्तर नहीं। इस तथ्य की स्थापना के लिए लेखक का एक मन्तव्य और अवधेय है। प्रथम अध्याय में पृ० १४ पर 'अन्योक्ति पद्धति' शीर्षक की व्याख्या में उनका कथन है -- इस तरह वहाँ तो अन्योक्ति कवि की एक प्रकार की शैली ही बन जाती है और वह अपने प्रस्तुतों को छिपा हुआ ही रखकर प्रतीकों और संकेतों द्वारा उनको अभिव्यक्त करता है। जैसा कि हम रहस्यवाद-कायावाद में पाते हैं। पद्धति से अभिप्राय अन्योक्ति का मुक्तक रूप में प्रयोग न होकर व्यापक रूप में प्रयोग होने से है। अंग्रेजी में इसे एल्लिगरी (Allegory) कहते हैं। आगे चलकर उन्होंने इसी प्रसंग में यह भी तथ्य स्वीकार किया है -- पैरेबल (Parable), फेबुल (Fable) या मोटिफ (Motif.) भी एल्लिगरी के ही छोटे रूप हैं। अन्तु --

डा० संसारचन्द्र जी ने अपनी इस मान्यता के बल पर समस्त वैदिक साहित्य में प्राप्त, प्रतीकात्मक तथा संकेतात्मक रूपकों को अन्योक्ति रूप माना है। इतना ही नहीं, वरन् मानवीकरण^१ात्मक समासोक्ति^२, अभिज्ञानशाकुन्तलम् की नान्दी तथा मुकरियां पहलियां^३ भी उनके मतानुसार पूर्णतः अन्योक्ति हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उनकी इन उद्भावनाओं को मान्यता दी जा सकती है? इस विषय में उनके ग्रन्थों के अध्ययन के ही आधार पर हम दो निर्णय प्रस्तुत कर सकते हैं-- एक तो यह कि --

- १-द्रष्टव्य, शोधप्रबन्ध का तृतीयाध्याय, पृ०६८ (सुन्दरकाण्ड में हम लंका का भी मानवीकरण पाते हैं--द्वितीय सर्ग, श्लो०१८, २० तथा ५०। इस तरह हमको आदि महाकाव्य रामायण में समासोक्ति रूप में अन्योक्ति के दर्शन हो जाते हैं) + + +
- २- द्रष्टव्य वही, पृ० १०० (इसकी शकुन्तला की: या सृष्टि: स्रष्टुराद्या यह प्रारम्भिक मंगल-गीतिका ही अन्योक्ति है) इस विषय में उन्होंने प्रभाकर माचवे^४ व्यक्ति और वाङ्मय पृ०२० का साक्ष्य भी दिया है।
- ३-अध्याय ३, पृ०१०६ पहले पहलियां एक प्रकार की अन्योक्तियां ही हुआ करती हैं। + + + मुकरी में पहली अथवा अन्योक्ति का अर्थविकास ही रहता है इसलिए इसे अर्थ-अन्योक्ति कहेंगे।

प्रतीकात्मक रूपकों को अन्योक्ति-पद्धति में समाविष्ट करना लेखक का कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण विवेचन है, जिसे हम प्रामाणिक युक्तियों से सिद्ध करके, दोनों पद्धतियों की सरणि स्पष्ट कर सकते हैं ।

दूसरा यह कि --

पहेलियों, मुकरियों तथा नान्दी पाठों को भी वेदोंके अन्योक्ति मान लेना लेखक का ग्राहस मात्र है, क्योंकि उनका क्षेत्र अन्योक्ति से सर्वथा दूर एवं पूर्णतः विविकृत है ।

वस्तुतः शोधकर्ता की सन्दिग्ध मान्यतायें ही उसके विवेचन को शंकास्पद बना देती हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि डा० संसारचन्द्र ने शोध ग्रन्थ के अनेक अंश भावुकता में ही लिखे हैं और इसी कारण उन अंशों में अनपेक्षित अतिशयोक्तियों एवं अवांछित प्रशस्तियों के भाव दिखाई पड़ते हैं । ग्रन्थ में कहीं-कहीं पर अपने ही द्वारा प्रत्याख्यात विचारों को दूसरे स्थान पर समर्थित किया गया है । अतः इसके पूर्व कि उनके शोध प्रबन्ध में विद्यमान उपर्युक्त दोनों समस्याओं पर कुछ विचार किया जाय, एक उदाहरण में लेखक के विरुद्ध मतों का उपन्यास देख लेना ठीक है जो कि अन्योक्ति से ही सम्बद्ध है । क्योंकि इस प्रसंग में एक विशिष्ट दृष्टिकोण का एक स्पष्ट संकेत भी प्राप्त हो जायगा । तृतीय अध्याय के पृ०६१ पर डा० संसारचन्द्र जी ने लिखा है -- 'कुछ समीक्षक अन्योक्ति का भाव-व्यंजना अथवा रसानुभूति में योग न मान कर उसको वस्तुध्वनि और सिद्धान्त प्रतिपादन तक सीमित रखते हैं, किन्तु उनके इस विचार को हम स्कदेशी कहेंगे ।'

यद्यपि थोड़ी ही विवेक-बुद्धि से सोचने पर इस वक्तव्य का खोललापन स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वक्तव्य के दो मुख्य तत्त्व, परस्पर इतने विरुद्ध हैं कि आश्चर्य होता है, इनके प्रतिपादन पर । मला बताइये जो वस्तु (अन्योक्ति) एक सुदृढ़ सिद्धान्त पर आधारित है तथा वस्तुध्वनि देने में सर्वथा समर्थ है, उसका भावव्यंजना अथवा रसानुभूति में योग कैसे न होगा ! जब कि ध्वनिकार ने स्वयं 'प्रतीकज्ञानं पुनर्न्यदेव' आदि द्वारा वाच्यातिशायी प्रतीयमानार्थ की स्थापना करने

के बाद ही उस व्यंग्यार्थ का त्रैविध्य स्पष्ट किया है -- 'स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्यात्त्रिप्तं वस्तुमात्रमलंकारसादयश्चेत्यनेकप्रमेदप्रमिन्नो दर्शयिष्यते । त्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् ।' (ध्वन्यालंकारिका ४ की वृत्ति)

और इसी प्रसंग में लोचनकार आचार्य अभिनव ने मट्टनायक के उस सिद्धान्त का प्रबल खण्डन भी किया है, जिसके अनुसार वे ध्वनि को काव्यात्मा नहीं मानते थे । उनका मत था 'काव्येऽशत्वं न रूपता' अर्थात् ध्वनि काव्यात्मा नहीं हो सकती, हां अंशमात्र हो सकती है । किन्तु बूझिए वे 'अभिधा तथा भावना' इन दोनों व्यापारों में भिन्न रसचर्चणात्मक भोजकत्व व्यापार मानते थे, अतः ऐसी दशा में रस-ध्वनि का निषेध उनका स्वमत-विरुद्ध प्रतिपादन हुआ । अभिनव ने तुष्यदुर्जनन्यायेन , मट्टनायक का आक्रोश 'वस्तु तथा अलंकार ध्वनि' पर मान लिया, किन्तु ज्यों ही उन्होंने 'भोजकत्व व्यापार' द्वारा मट्ट नायक का खण्डन किया , उसी समय तत्काल इन दोनों ध्वनियों की रसात्मकता भी सिद्ध कर दी -- 'यद्वाच्ये मट्टनायकेन..... वस्त्वलंकारध्वन्यो रसध्वनिपर्यन्तत्वमेवेति वयमेव वक्ष्यामस्तत्र तत्रेत्यास्तां तावत् ।' (लोचन)

इस प्रकार 'रसध्वनिपर्यन्तत्वमेव' में 'स्वकार' के प्रयोग द्वारा, आचार्य ने 'वस्तुध्वनि की रसतत्परता' पर मुहर लगा दी । और जब वस्तुध्वनि का मुख्य लक्ष्य रसानुभव ही कराना है तो, भावव्यंजना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि रस की तुलना में भाव, सर्वदा अनुयायी तथा गौण ही रहते हैं । अब बताइये कि कौन ऐसा समीक्षक होगा जो अन्योक्ति को वस्तुध्वनि तथा सिद्धान्त प्रतिपादन तक परिसीमित करता हुआ भी भावव्यंजना तथा रसानुभूति में योग ही न मानेगा ?

दूसरा तर्क, इस वाक्य की व्यंजना से सम्बद्ध है, अर्थात् अन्योक्ति का क्षेत्र रसानुभूति तक विस्तृत होना चाहिए । किन्तु डा० संसारचन्द्र जी ने यद्यपि वस्तुध्वनि सम्बन्धी कोई भी विवरण न प्रस्तुत न करके, उक्तमत वाले विद्वान् का केवल यह कहकर खण्डन किया है कि --

'प्रतीकों द्वारा किसी वस्तु के व्यंग्य बना देने मात्र से काव्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । व्यंग्य को सदा सौन्दर्यपूर्ण और अनुभूति प्रधान होना चाहिए ।

१- मुख्ये रसेऽपि तेऽहिंसात्वं प्राप्तुवन्ति कदाचन ।

ते भावशान्त्यादयः । अंगित्वं राजानुगत विवाहप्रवृत्तमृत्यवत् (काव्य प्र० ४।३६)

तभी वह ध्वनि-कोटि में आया, जो काव्य का प्रमुख तत्त्व कहलाती है । इसलिए अन्योक्ति की अप्रस्तुतयोजना ऐसी होनी चाहिए, जिसे रसदीप्ति हो और वह पाठकों को आनन्दविभोर कर दे । (तृतीयाध्याय, पृ० ६२)

तथापि डा० संसारचन्द्र का अन्योक्ति-विषयक प्रस्तुत मत वस्तुतः अभिनन्दनीय है । किन्तु आश्चर्य तो इस बात का है, जिन प्रतीकों के विरुद्ध उन्होंने अपना यह अन्योक्ति सापेक्ष मत प्रस्तुत किया, उसी को पुनः अन्योक्ति से अभिन्न कैसे स्वीकार किया ? इसी प्रकार जिन पहेलियों को (अ०३ पृष्ठ १०६) उन्होंने यह कह कर सम्मान दिया है --

‘पहेलियां एक प्रकार की अन्योक्तियां ही हुआ करती हैं आदि’ उसी के प्रति पृष्ठ ६२ पर लेखक के ये शब्द हैं -- ‘हां, कुछ अन्योक्तियां ऐसी भी हुआ करती हैं, जिनमें प्रयोक्ता का अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु को छिपाकर दुर्लभ प्रतीकों द्वारा ही अभिव्यक्त करना होता है । उनमें कोई हृदय की अनुभूति अथवा रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता, केवल बुद्धि का चमत्कार रहता है । ऐसी अन्योक्तियों को हम पहेली वर्ग के भीतर रखेंगे ।

यह वाक्य अपने में ही असंगत सा प्रतीत होता है । क्योंकि इसमें जिन शब्दों में पहेलियों का अपकर्ष अंकित किया गया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि अन्योक्ति पहेलियों की अपेक्षा कोई इतर-उत्कृष्ट तत्त्व है और यदि हम अन्योक्ति की ‘रसध्वनि-पर्यन्तता’ पर विचार केन्द्रित करके लेखक का पूर्वोद्घरण देखें, तो लगता है कि वास्तव में अन्योक्ति का, पहेली जैसे चित्रकाव्य से कोई साम्य नहीं है । अतः --शोधकर्ता विद्वान् मौलिक रूप से पृथग्भूत, इन तत्त्वों के बीच कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं खींच सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्त एवं वस्तुध्वनि में ही सीमित अन्योक्ति को, सर्वगोचर, सर्व-ग्राह्य एवं सायाम बनाने के ही निमित्त लेखक ने प्रतीकों एवं पहेलियों को भी अन्योक्ति के धरे में खींच लिया । किन्तु, अवधेय तत्त्व तो यह है कि वस्तुध्वनि उत्तमोत्तम काव्य का स्वरूप है जब कि पहेली आदि चित्रकाव्य अथवा अघम काव्य के अंग हैं । अतः वस्तुध्वनि युक्त अन्योक्ति के साथ, चित्र काव्यांगों का संयोग, उसके अपकर्ष का ही कारण बनेगा (क्योंकि ‘राखे मेलि कपूर में हींग न होत सुगन्ध ॥’) न कि उत्कर्ष का ।

समस्या यह है कि आखिर ये प्रतीक अथवा संकेत हैं क्या ? इनका स्पष्ट से क्या सम्बन्ध है, फेबुल, पैरेबुल तथा मोटिफ कैसे रूपके के अंग विशेष हैं । संक्षरका अन्योक्ति से क्या साम्य है? इन प्रश्नों का हल पाने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी-साहित्य में उतरना होगा ।

अंग्रेजी साहित्य का जन्म उदय लगभग ६५० ई० से प्रारम्भ होता है । जैसे हिन्दी भाषा का अवतरण , प्राचीन नाथपन्थी योगियों की अपभ्रंश से निकल कर हुआ उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य के मूल में भी *Anglo-Saxon literature* था । चौदहवीं शती तक चासर (Chaucer 1350-1400 A.D.) तथा सत्रहवीं शती तक स्पेन्सर (Spenser - 1552- 1599 A.D.) एवं मिल्टन (Milton 1608-74 A.D.) ने इस साहित्य को पल्लवित किया । मन् १६६० से १७७२ तक का समय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में वाइडमय की दृष्टि से *Literature of the Restoration*. कहा जाता है । इसी युग में ड्राइडेन (Dryden - 1631-1702 A.D.) जैसे प्रतिभाशाली कवि पैदा हुए ।

इस स्थल पर शेक्सपियर ,शेली ,कीट्स ,बाइरन तथा वर्ड्सवर्थ आदि अनेक स्वनामधन्य महाकवियों को जानबूझ कर सन्दर्भ-बन्धन में नहीं बांधा गया है , क्योंकि अनेक विशिष्ट नामों को उपर्युक्त अनुच्छेद में उद्धृत किया गया है , वे उस वाइडमय की किसी न किसी विशेष परम्परा में प्रसिद्ध हो चुके हैं । और वह परम्परा भी उसी अनुपात में 'अन्योक्ति' के साथ प्रसिद्ध हो चुकी है । चूंकि परम्परा ही धीरे-धीरे रूढ़ि का भी रूप धारण कर लेती है, अतः अब उभी कोटि की कतिपय रूढ़ियों की व्याख्याप्रस्तुत की जा रही है ।

प्रतीक तथा संकेत दोनों प्रायः पर्याय रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं । अंग्रेजी में इसके लिए *Symbol*. शब्द आता है, जो कि ग्रीक भाषा के *Symbolon* शब्द से निष्पन्न हुआ है । 'Syn' (सिन्) का अर्थ है परस्पर या एक साथ (Together) तथा 'ballein' (बैलिन्) का तात्पर्य है, प्रक्षेप (to throw) इस प्रकार पूरे शब्द का तात्पर्य है ' जो कहीं फेंका जाय, अथवा किसी का प्रतिनिधित्व करे, सूचक बने । संकेतों द्वारा किसी वस्तु की सूचना देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

'प्रतीक एवं संकेत' शब्दों के भी अर्थ प्रायः इसी प्रकार के हैं । संकेत का तात्पर्य संस्कृत में 'ज्ञापन' अथवा सूचना से है । काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास की द्वितीय

१- द्रष्टव्य - A History of English literature by M. Cazamian.

२- From 'Symbolleim' (Chambers's Dictionary.)

३- द्रष्टव्य - Chambers's Twentieth Century Dictionary p. 980.

(Sign by which one knows a thing - an arbitrary rather conventional mark etc.

कारिका) में आचार्य मम्मट ने संकेतित अर्थ का उल्लेख किया है --

‘साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः’

यहाँ संकेतित से तात्पर्य है ‘अव्यवधानेन गृहीतार्थे’ (*Conventional meaning*) चूँकि संकेत किसी भी वस्तु के स्थानापन्न होने पर उनका यथार्थतः प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसी नियमित भाव के कारण इसका लक्षणात्मक प्रयोग, प्रेमियों के मिलनस्थान के लिए भी प्रचलित हो गया। इस कारिका के पूर्ववर्ती उदाहरण-श्लोक की वृत्ति में आचार्य मम्मट ने इसी अर्थ में संकेत का प्रयोग किया है -- अतः संकेत-स्थानमेतदिति कयाचित्कंचित्प्रयुज्यते। इसी भाँति ‘प्रतीक’ भी चिह्न या प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अंग्रेजी भाषा का जन्म *Anglo-Saxon literature* (650-1066 A.D.)

से हुआ, यह पहले ही कहा जा चुका है। प्रस्तुत-साहित्य, वैदिक साहित्य की ही भाँति अभिधा प्रधान तथा धर्मचिन्तनपरक रहा। एक उदाहरण से तत्कालीन काव्यधारा स्पष्ट हो जायगी --

What is the body? the spirit's lodging.

What is hair? the clothing of the head.

What is the beard? the distinction between the sexes, the mark of age.

What are the eyes? the guides of the body, the vessels of light, the index to thought.⁹

इस साहित्य के बाद ही चासर का युग आता है, जिसने काव्य के विविध अंगों के प्रणयन के साथ ही साथ अंग्रेजी साहित्य में ‘रूपक काव्यों’ का (*Allegorical poems.*) भी संवर्धन किया। रूपक का अर्थ आचार्य घनन्जय ने दशरूपक में ‘नाटकादि’ से किया है। किन्तु इसकी अन्वर्थनामता आरोपक्रिया में है। घनन्जय के ही शब्दों में --

‘अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते।

रूपकं तत्समारोपात् दशैव रसाश्रयम् ॥’ दश०

अर्थात् राम-लक्ष्मण-सीता आदि के स्थान पर नटों को उनके गुणों से युक्त करने के कारण अथवा नटों पर रामादि के व्यापारारोप के ही कारण इसे रूपक कहते हैं। यदि हम, रूपक के इस लक्षण को गहराई से सोचें तो प्रतीत होगा कि प्रायः प्रत्येक

9. *A History of English literature by M. Cazamian. p. 13.*

रूपक, चाहे वह वैदिक-संस्कृत साहित्य का हो चाहे अंग्रेजी साहित्य का, इसी अर्थ में 'रूपक' है। एक बात ध्यान में रहे कि 'संस्कृत नाटक' रूपक का ही एक भेद मात्र है, किन्तु अपने व्यक्तिगत वैशिष्ट्यों के कारण वह 'रूपक' से अर्थात् भिन्न है।

इसी 'रूपक' शब्द का अंग्रेजी पर्याय शब्द *Allegory* है। जो कि ग्रीक शब्द 'allegoria' से निष्पन्न हुआ है। 'allos' का अर्थ है 'अन्य' (other) तथा 'agoreuein' का अर्थ है कहना ('to speak.') इस प्रकार 'Allegory' का सामान्यार्थ हुआ अन्य (रूप से) कथन। यदि हम संस्कृत रूपक (आरोप) एवं अंग्रेजी 'Allegory' की तुलना करें तो स्पष्टतः दोनों में ऐक्य ज्ञात होगा। अन्य रीति से कथनोपकथन तभी सम्भव है जब प्रकृत वस्तु पर अप्रकृत का आरोप किया जाय। जब यही विधान, अपने संक्षिप्त रूप में अथवा शब्द-वाक्य गत होता है तो हम साधारणतः 'प्रतीक' या संकेत (Symbol) कहते हैं और विस्तार रूप में अथवा पूर्णतः प्रबन्धगत होने पर इसी का कथापरक रूप 'रूपक' (Allegory) की सर्जना करता है।

'रूपक' का लक्षण (चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार) 'A description of one thing under the image of another' भी उपर्युक्त तथ्य को पुष्ट कर देता है^१। डा० संसारचन्द्र द्वारा उद्धृत स्तद्विषयक लक्षण भी देख लेना उचित होगा "An allegory is a prolonged metaphor in which typically a series of actions are symbolic of other actions, while the characters often are types or personifications." (Webster's New International Dictionary p. 68)

प्रतीक संकेत (Symbol) तथा रूपक (Allegory) के व्यक्तिगत लक्षण तथा व्याख्यान से स्पष्ट है कि रूपक एक प्रकार से सामान्य (Genus) है तथा प्रतीकादि उसी के उपसामान्य या विशेष (Species.) हैं। एक अंगी है तो दूसरे दोनों उसके अंग हैं। पूर्वानुच्छेद में ही यह बता चुके हैं कि चासर ने प्रधान रूप से रूपकों की तथा रूपकात्मक काव्यों की रचना की। आगे चलकर उसी का अनुसरण टामस आक्लेव (१३७० से १४५४ तक) जान स्कैल्टन (१४६० से १५२६ तक) डेविडलिण्डसे (१४६० से १५५५ तक) स्पेन्सर लिली-सिडनी (१५५१ से १५६६, १५५४-१६०६ तथा १५५४ से १५८६ तक) मिल्टन (१६०८-१६७४) तथा बनियन प्रभृति प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों ने किया।

१- Chambers's Twentieth Century Dictionary p. 22.

रूपक काव्य में कवि को अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप देने में बड़ा आनन्द आता है। वैसे तो कवि किसी भी भाव को लेकर काव्य-रचना कर सकता है^१। किन्तु सफलता उसकी तभी है जब उसकी उक्ति में कुछ वैचित्र्य हो। वह वैचित्र्य भी रसगर्भ अथवा ध्वनिगर्भ होना चाहिए, अन्यथा वह केवल बुद्धि का चमत्कार मात्र बनकर रह जायेगा। प्रतीकों के माध्यम से लिखी गई कविताएं मानव-मन पर निश्चित ही अमिथयाप्रतिपादित कविताओं से अधिक आकर्षण डालती हैं, क्योंकि प्रकृत पर किया जाने वाला अप्रस्तुत का आरोप अपने में ही प्रबल शक्ति-युक्त होता है। रात-दिन, हम जिन उपादानों से प्रायः पूर्ण परिचित हुए रहते हैं, उनका मूल्य घट सा जाता है, यह एक बहुसमर्भित सामाजिक-सिद्धान्त है। किन्तु वे उपादान जो हमारे चिन्तन-क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, वे स्कास्क आने पर मस्तिष्क में विद्युत् की भांति प्रभावतरंगों से कार्य करते हैं। और जब, प्रसंग हो किसी और का तब पर भी वे अपरिचित भाव स्कास्क आ जायें, तब तो फिर पाठक के औत्सुक्य, कौतूहल एवं काव्यानन्द की कोई सीमा ही नहीं। रूपकों की प्रशंसा इन्हीं तत्त्वों के कारण सब दिन हुई है।

'An Introduction to the Study of Literature' नामक पुस्तक के पृष्ठ १२६ पर लेखक डब्ल्यू० एच० हडसन के ये शब्द रूपकों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं -- "A poet will often choose such indirect method of inculcating his ideas because in this way he can obtain the immense advantage of translating abstract ideas into concrete form."

'The Faerie Queene' के विश्वप्रसिद्ध लेखक एडमण्ड स्पेन्सर का एक रूपक प्रणेता (Allegorist) के रूप में मूल्यांकन करते हुए श्री कैजामियाँ साहब लिखते हैं -- "He lacks first, the simple restrained line of a good allegorist. He had not the central idea, the ardent passion or the unity of design, which are essential conditions of a powerful and effective allegory"² इसी प्रकार एक स्थान पर विद्वान् लेखक ने पुनः रूपक विषयक एक महत्वपूर्ण धारणा व्यक्त की है -- "Over and over again, the allegory gives ~~gives~~ place to realism." (यद्यपि यह तथ्य एक व्यक्तिगत कविता से सम्बद्ध है तथापि ग्राह्य है)

कैजामियाँ साहब के उक्त उद्धरणों से अंग्रेजी भाषा में निम्न प्रतीकात्मक

१- As Principal Sharp put it - "There is no truth cognisable by man which may not shape itself into poetry." (The Study of Literature by W.H. Hudson, London 1939.)

२- भावान्वेत्तनानपि चेतनवच्चेत्तनानचेतनवत् व्यवहारयति यथेच्छं सुकविः काव्ये स्वतंत्रतया। कस्यपि

२- A History of Eng. Literature p. 280.

काव्य-धारा के प्रमुख तत्व स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। अतः यह स्वीकार करने में किसी को कोई भी आपत्ति न होनी चाहिए कि केन्द्र-स्थितभावना अथवा प्रमुखतत्त्व (*central idea*) भावप्रवणता (*ardent passion*) संघटनकथ अथवा विन्यास की स्वरूपता (*unity of design*) तथा यथार्थवाद (*realism*) यही चार वस्तुतत्त्व रूपकाभिव्यक्ति के प्राण हैं।

चासर की तीन रचनायें (*The Boke of Duchesse* , *Parlement of Foules* तथा *House of Fame*) अंग्रेजी साहित्य की प्राथमिक रूपकात्मक कृतियां हैं। इनमें से प्रथम कृति, एक व्यक्ति (*John of Gaunt*) की पत्नी (*Blanche of Lancaster*) के मरणोपरान्त उसकी प्रशस्ति के रूप में, चासर द्वारा सन् १३६६ ई० में प्रणीत की गई। इस काव्य में कवि स्वयं को एक प्रणयी के रूप में चित्रित करता है, मानो वह उन्मत्त भाव से लेटकर कीक्स (*Ceyx*) तथा एलियन (*Aleyone*) की मर्मस्पर्शी कथा 'मेटामॉर्फोसिस' (*Metamorphoses*) पढ़ रहा हो। अन्त में सोने पर वह स्वप्नमग्न दशा में अपने को सम्राट् आक्टेवियन के समझ पाता है। किन्तु ज्यों ही कवि उसका अनुसरण करना चाहता है कि एक काष्ठखण्ड में उसे किसी रूपवान् नवयुवक के दर्शन होते हैं। युवक, विलाप करता हुआ अपनी सोई हुई चरम रूपवती पत्नी का गुणगान तथा संयोग के दिनों में प्राप्त हार्दिक प्रणयानन्द कवि के समक्ष प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत रूपक जैसा कि कैज़ामियां ने स्वीकार किया है, अंग्रेजी काव्य-साहित्य का प्रथम रूपक है। प्राचीनतम होने के कारण बनियान के 'Pilgrim's Progress' अथवा स्पेन्सर की 'Faerie Queene' की भांति इस रचना के प्रतीक उतने उदात्त तथा परिनिष्ठत नहीं हैं तथापि उनकी प्रतीकात्मकता में कोई भी कमी नहीं है। पत्नी की मृत्यु से दुःखी 'John of Gaunt' को ढाढस बंधाने के ही ध्येय से यह रूपक चासर ने प्रस्तुत किया था। इस कविता में करुणारस की एक अविरल अमन्द धारा बह रही है। अपरिचित नवयुवक से भेंट साथ ही उसके द्वारा अपनी विलुप्त पत्नी के

१- It is the first poem in this language to contain fully artistic passages. The lines which are the farewell of the phantom Ceyx and relate the death of Aleyone are the perfection of simple pathos. p. 137.

असंख्य गुणों की गणना तथा उनके प्रति अपनी समस्त प्रणय सम्पदा लुटा देने का वृत्तान्त ये सब तत्त्व प्रतीक रूप में, 'John of Gaunt' के प्रति कवि-संवेदना की ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी प्रकार चासर के अन्य रूपक भी एक न एक विशिष्ट भाव को लेकर लिखे गए हैं।

'House of Fame' में सपनों की नत्यता पर एक वार्ता प्रारम्भ होती है, निद्रा का ह आच्छादन होता है कि इन्हीं बीच स्वप्न स्वयं आ जाता है। कवि अपने को शुक्र (Venus) के मन्दिर में पाता है जिसकी प्राचीरों पर 'Aeneas' की समस्त कथा उत्कीर्ण है। एक सुनहरा गृद्ध कवि को उठाकर 'ख्याति' के घर (House of Fame) पहुँचा देता है जो कि पार्थिव ध्वनियों से सर्वथा असृष्ट अगम्य तथा स्वर्ग में स्थित है। कवि वहाँ उन समस्त कवियों से मिलता है जिन्हें उसने देखा या पढ़ा था। देवी रूप में 'ख्याति' का दर्शन करके 'कवि अफवाह के घर' (House of Rumour) जाता है, खबरों की निर्माण-प्रक्रिया देखने के लिए। वहाँ उसे चारों ओर से फूँठे तथा मच्चें, सन्देश अफवाह के घर की ओर आते देखते हैं, घबड़ाहट में कवि के कान शोर-गुल के कारण बहरे हो जाते हैं। कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है।

इस कविता की प्रतीकात्मकता कैजामियां के ही शब्दों में -- "In this imperfect and characteristic poem Chaucer, with his intelligent bantering spirit, strolls through the 'highest heaven of invention'. He refuses once for all, to give himself wholly to the sublime or to believe profoundly in purely spiritual conceptions." p. 139.

'The Flower and the leaf' भी झाइलेन के अनुसार चासर की ही प्रतीक रचना है जिसमें पत्तियाँ कार्यदक्षता, गम्भीरता तथा सार्थक जीवन की प्रतीक हैं तथा फूल अनियमित विलास या अवकाश के परिचायक तत्त्व हैं (पृ० १५६)

'The Barge of Court (1509 A.D.) John Skelton द्वारा प्रणीत एक साधिलेप अथवा विद्वपात्मक रूपक (Satirical allegory.) है, जो कि अलेक्जण्डर बार्सेले (Alexander Barclay, 1474 - 1552) की रचना 'Ship of fools.' पर आधारित है। कवि एक जहाज पर बैठकर वाञ्छित प्रदेश (The land of favour) जा रहा है कि बीच में ही मा'ग्य के मित्र गण (Fortune's friends.) व्याजस्तुति (Flattery) शंका (Suspect or suspicion) घृष्टता (Disdain) तथा क्ल (Dissimulation)

उसको परेशान करने लगते हैं। कवि हैरान होकर प्युड्र ने क्रोध कर उनसे पिण्ड छुड़ाना चाहता है कि उनकी नींद खुल जाती है। इस रूपक में आगे बढ़ते रहने वाले महत्वाकांक्षियों पुरुष की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का कवि ने कितना सूक्ष्म मूल्यांकन किया है, यह सुस्पष्ट है।

विलियम डम्बर प्रणीत (१४६०-१५२०) रूपक 'The Thissil and the Rois' में जेम्स चतुर्थ तथा मार्गरेट द्यूडर (हेनरी सप्तम की लड़की) की शादी का रूपक-मय वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है जो कि सन् १५०३ ई० में हुई थी। कैजाभियों के शब्दों में इस कविता में Dunbar ने स्काटलैण्ड तथा इंग्लैण्ड तथा इंग्लैण्ड की एकता का रूपकात्मक चित्र प्रस्तुत किया था। इनके प्रकार के अन्य रूपकों में सैकविल (Sackville) कृत 'Induction' जो कि 'Roman-de-la-Rose' (चासर की पूर्ववर्ती प्रतीकात्मक कथा) के अनुकरण पर लिखी गई है तथा स्पेन्सर कृत 'The Faerie Queene' है जो कि अपने युग की सर्वश्रेष्ठ युगान्तरकारी (Masterpiece-work) रचना मानी जाती है।

अंग्रेजी-साहित्य में प्रणीत इन रूपकों के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण से यह तथ्य निश्चिन्त हो जाता है कि इस कोटि की रचनाओं में आरोप का बड़ा महत्व है। वह 'आरोप' जो अन्योक्ति के प्रमुख तीन तत्त्वों में से एक है और जिसके आधार पर ही हम प्रतीकात्मक रचनाओं को अन्योक्ति का प्रारम्भिक रूप स्वीकार कर सकते हैं। पिछले किसी अनुच्छेद में ही यह बताया जा चुका है कि (डा० संसारचन्द्र के अनुसार) पैरबल, फेबुल तथा मोटिफ भी रूपक के ही अन्दर आते हैं। अतः अपेक्षित है कि हम उनका भी स्वरूपपरिचरिण संक्षेप में कर लें।

'Parable' को हम दृष्टान्त की संज्ञा देते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी के पृष्ठ ६५८ पर 'Parable' का अर्थ इस प्रकार दिया है -- 'a comparison, a fable or story of something, which might have happened, told to illustrate some doctrine or to make some duty clear.'

अर्थात् किसी सिद्धान्त का निरूपण करने वाली कथा, या उपदेश-परक-कथा। यह शब्द, ग्रीक Parabolē या Parabollein से निकला है जिसका सण्डार्थ इस प्रकार है--

Para = to compare (तुलना) तथा ballein = to throw. । अर्थात् तुलनापरक-कथा, दृष्टान्त। एक अन्य शब्दकोश में इसका अर्थ 'allegory' या

'Enigma' से किया गया है।

'Fable' को कल्पित कथा' उपाख्यान या प्रबन्धकल्पना' कहा जाता है अमर-कोष में अस्स 'आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबन्धकल्पना कथा' (प्रथम-खण्ड श्लो०५, ६) के रूप में कथा एवं आख्यायिका को जो परिभाषा दी गयी है, उनमें भी 'प्रबन्ध-कल्पना' को कथा कहा गया है। अतएव अंग्रेजी फेबुल का भी प्रतिपाद्य, संस्कृत साहित्य की कथा के ही समान होता है, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। कथा या इन प्रबन्ध कल्पना में मानवीकरण की पद्धति का बड़ा महत्त्व है, क्योंकि इसमें बैखरी-विहीन मोले-भाले जीवों को भी कथाकार मानव की ही भांति चेतनायुक्त तथा सांसारिक कर्मों में आसक्त प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी साहित्य में इनका रूप चैम्बर्स के प्रमाण से स्पष्ट हो जायेगा --

A narrative, in which things irrational and sometimes inanimate are for the purpose of moral instruction.. Feigned to act and speak with human interests and passions. .. Any tale in literary form not necessarily probable in its incidents, intended to instruct or amuse..... a fiction or myth. A ridiculous story as in 'old wives' fables.

— Chambers: p. 330.

उपर्युक्त उद्धरण से दो तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं। एक तो यह कि 'Fable' या कल्पित-कथा की मुख्य विशेषताएं हैं -- नैतिक शिक्षा के लिए अचेतन उपादानों का भी उपयोग (मानवीकरण) कथा की काल्पनिकता, मानवीय लक्षण एवं पक्ष के प्रति दृष्टि तथा व्यंग्यपरता। दूसरा तत्त्व, यह है कि फेबुल को इस पारिभाषिक मर्यादा में न केवल संस्कृत-कथाएं, ^{वरन्, उसके अन्यान्य रूप, जैसे जनुकथाएं} (पंचतन्त्र तथा हितोपदेश-बृहत्कथा) तथा नीति-कथायें (कथा-सरित्सागर आदि) भी अन्तर्निविष्ट हो जायेंगी। और सब बात तो यह है कि संस्कृत कथा एक विशिष्ट लक्षण में ही निबद्ध होने के कारण फेबुल की कोटि में नहीं आ सकती।

'Motif' चैम्बर्स के साक्ष्यानुसार प्राचीन मोटिव (Motive) अर्थात् 'ध्येय' का ही प्रतिरूप है। 'मोटिफ' का अर्थ है प्रधान चेष्टा या विचार।

१- कथा का पारिभाषिक स्वरूप द्रष्टव्य-- काव्यालंकार (भामहकृत) १।२५-२६

काव्यादर्श (दण्डीकृत) १।२३-३०

अतः इस दृष्टि से तो 'ध्येयपरककथा' को ही 'Motif' का रूपान्तर मानना उचित है। पृष्ठ ५६० पर चैम्बर्स ने Motif का अर्थ देने हुए लिखा है --

'An old form of 'motive';
a theme or ground for intellectual action or a leading subject in a dramatic work. etc.

एक अन्य कोशकार ने इसका अर्थ 'Predominating idea' से किया है। अतः

'Motif' का तात्पर्य कथा के केन्द्र-अथवा (Central thought or gist) अथवा मुख्य तत्त्व को कहते हैं।

दृष्टान्त (Parable) आख्यान (Fable) तथा प्रयोजन-परककथा (Motif) तीनों ही, जैसा कि अभी निरूपित कर चुके हैं, रूपक के ही अंग हैं। हां, यह बात अवश्य है कि दोनों की अपनी-अपनी पृथक् मर्यादायें हैं। रूपक का या प्रतीकात्मक काव्य (allegorical-poem) का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जिसमें कि दृष्टान्तों, आख्यानों एवं तत्त्वकथाओं का अस्तित्व होना अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रसंगात्कृत है। किन्तु सारार्थ यह है कि इन तीनों का प्रतिपाद्य की दृष्टि से रूपक काव्य से बहुत साम्य है। मले ही वे रूपक कृति में कवि द्वारा निबद्ध की जायं या न की जायं। भारतीय संस्कृत-वाङ्मय में ये काव्यतत्त्व इतनी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कि उन पर स्वतन्त्ररूप से एक शोध-कार्य सम्पन्न किया जा सकता है।

अब इसी प्रसंग में दो और पाश्चात्य साहित्य-तत्त्वों का निरूपण संक्षेप में ही कर देना आवश्यक है, क्योंकि रूपकात्मक रचना में उनका भी आंशिक सहयोग रहता ही है। वे तत्त्व हैं -- ६ Irony (व्याजोक्ति) तथा Satire (अधिज्ञेय या विद्वेष) एक का सम्बन्ध काव्य के प्रतिपाद्य से है तो दूसरे का सम्बन्ध उसकी शैली से।

चैम्बर्स के अनुसार Irony का अर्थ है -- 'A mode of speech, which enables the speaker to convey his meaning with greater force by means of a contrast, between the thought which he evidently designs to express and that which his words properly signify. Satire. विशेषण रूप में इसका अर्थ अधिक स्पष्ट है -- 'Meaning the opposite of what is expressed.' अर्थात् विरुद्धार्थ युक्त कथन ही Irony है। डबल्यूसूहडसन ने 'Ethical Use of Contrast' के सम्बन्ध में अपना मत देते हुए विरोधांग या विरोध-प्रकार (Kind of Contrast) के रूप में 'Irony' को स्वीकार किया है। उनके अनुसार यह वैपरीत्य (Irony) दो प्रकार का होता है--

(१) वचन-सम्बन्धी तत्त्व (Verbal Irony) तथा

(२) घटना-सम्बन्धी (Irony of Situation.)

कभी-कभी मनुष्य अकारण ही, कोई बात कह बैठता है और देवयोग से वही बात या घटना निकट भविष्य में घटित भी हो जाती है, तो हम उसे मन या घटना का वैपरीत्य अथवा 'नियति का व्यंग्य' कहते हैं। साहित्य क्षेत्र में वही तत्त्व 'Irony' कहा जाता है। शेक्सपियर की नाट्यकृतियों में पद-पद पर यह देखने को मिलता है -- मैकबेथ नाटक में राजा डंकन की मृत्यु-बेला में मैकबेथ को पत्नी, **अपनी** हत्यारे-पति की सफलता पर उसे समझाती है --

"These deeds must not be thought.

After these ways; so, it will make us mad."

and - "Go get some water,

And wash this filthy witness from your hand."

and - "A little water clears us of this deed:

How easy is it, then!"

और वही लेडी मैकबेथ हत्यारे पति की भयंकर क्रूरता से विजृम्भित होकर स्वयं पागल हो जाती है तथा अपनी ही कही गयी बातें अब उसी की विरोधिनी बन गई-ह जाती है। पूर्वोद्धरण की तुलना में अब उसकी यह चीत्कार देखें --

"Out damned spot! out, I say!.....

what, will these hands never be clean? — No more, O' that, my lord, no more O' that. You will mar all with this staining..... Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, oh, oh!"

हहसन ने इसे 'Prophetic-Irony' की संज्ञा दी है (The Study of literature p. 302.)

संस्कृत नाट्य-साहित्य में भी 'पताका स्थानक' के रूप में यह नाटकीय-व्यंग्य प्रायः प्राप्त होता है। शायद ही कोई ऐसा नाटक हो, जिसमें एकाग्र 'पताका स्थानक' न हो। यद्यपि घनञ्जय द्वारा उपदिष्ट पताका स्थानक विशिष्ट रूप का होने के कारण अन्योक्ति तथा समासोक्ति तक ही सीमित रह जाता है^१ किन्तु भरत प्रोक्त चार भेदों वाला पताका स्थानक पाश्चात्य नाटकों की द्विविध Irony को अपने में अन्तर्भूत कर लेता है^२। एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा।

१- प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सूचकं पताकास्थानकं तुल्यसंविधान विशेषणम् ॥
दशरूपक १।१४॥

२- द्रष्टव्य, साहित्य दर्पण, षष्ठ परिच्छेद, पृ० ३०५-८ तक। कलकत्ता संस्करण सन् १९५० ई० (सिद्धान्तवागीश कृत टीका)

महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक के तृतीय अंक में, संगीत सुनकर चारुदत्त तथा मैत्रेय (विद्व०) के लौटने पर, चेट, वसन्तसेना द्वारा न्यास रूप में रखा गया, सुवर्णभाण्ड उने देते हुए कहता है -- आर्य मैत्रेय। स्तत्सुवर्णभाण्डकं मम दिवा, तव रात्रौ च तद् गृहाण ।

मैत्रेय -- अद्याप्यंतत्तिष्ठति ? किमत्रोज्जयिन्यां चौरोऽपि नास्ति, यस्तं दास्याः पुत्रं निद्रार्चोरं नापहरति आदि ।

और ठीक उगी रात, शर्विलक चारुदत्त के घर में सेव लगाकर उसे चुरा ले जाता है । इसी प्रकार के अन्य उदा० प्रतिज्ञार्योक्त्तरायण (श्लोक २।८ से सम्बद्ध) अभिषेकनाटक (श्लो० ५।१० से सम्बद्ध) उत्तररामचरित (श्लो० १।३८ से सम्बद्ध) मुद्राराजस (प्रथम अंक च तथा चतुर्थी अंक से सम्बद्ध दो पताका०) तथा वेणीसंहार (श्लो० २।२३ से सम्बद्ध) आदि नाटकों में द्रष्टव्य है । अवश्य है कि ये पताका-स्थानक धनंजय प्रोक्त पताका-स्थानकों में पूर्णतः भिन्न हैं ।

शेष वचा 'Satire' अथवा 'अधिदोष' । इसके पूर्व ही जान स्कैल्टन की साधिक्षेप रूपककृति (Satirical allegory) के विषय में विचार हो चुका है । अंग्रेजी साहित्य में द्राइडेन तथा पोप आदि महान् विद्वपवादी कवि (Satirist - poets) हो चुके हैं । डा० संसारचन्द्र जी ने अन्योक्ति की व्यापकता में विद्वप या Satire का बड़ा सहयोग स्वीकार किया है^१ । अतः Satire का स्वरूप भी जान लेना आवश्यक है । इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच 'Satira' अथवा लैटिन 'Satira' से हुई है । इसका अर्थ चैम्बर्स के अनुसार --

"A literary composition originally in verse, essentially a criticism of a man and his work, whom it holds up, either to ridicule or scorn—its chief instruments. Irony, sarcasm, inventive wit, and humour, an inventive poem, severity of remark, denunciation, ridicule." (P. 844.)

ऊपर दिये गये इन विवरणों से तथा Satire विषयक इन समस्त पर्यायों से एक ही व्यंजना ध्वनि होती है, वह यह कि Satire का मुख्य अर्थ है किसी पर विद्वप कसना, 'सिल्ली उड़ाना' आदिप या अधिदोष । सत्रहवीं शती में, इंग्लैण्ड में, विद्वपात्मक

साहित्य अपनी चरम पराकाष्ठा पर था । जेम्स बटलर की प्रख्यात कृति Hudibras (1663) की आलोचना में श्री कैजामियाँ ने जो मानग्री प्रस्तुत की है, वह कृति विशेष के साथ ही साथ समस्त 'satire' की विशेषताओं को स्पष्ट कर देती है --

The substance of the poem is composed of an interrupted series of epigrammatic sayings, as short as they are pointed, biting, sarcastic, flung off as if from some rebounding spring. The poem becomes a general criticism of society, of thought and of man. (P. 27-28.)

अतः स्पष्ट है कि satire का मुख्य उद्देश्य समाज अथवा व्यक्ति में मिथ्या तौर तरीकों, दोषों एवं कुरीतियों की क्वींटाकसी करना हो है ।

बटलर के पश्चात् इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध कविद्वयवादियों में जान ओल्डहेम (१६५३-८३ तक) तथा झाइडेन (१६६०-१७०२ तक) आदि आते हैं । ओल्डहेम ने 'A Satyre against virtue , A Satyre upon a woman' आदि अनेक अधिदोषात्मक कृतियाँ प्रणीत की । झाइडेन की प्रख्यात रचनाओं में 'Absalom and Achitophel' (A. D. 1680-82) तथा 'The Medal on MacFlecknoe (A. D. 1682) आदि कृतियाँ आती हैं ।

अब यदि अधिदोष साहित्य की इन मान्यताओं के साथ हम संस्कृत माण साहित्य पर दृष्टि डालें तो प्रतीत होगा कि भारतवर्ष का ~~सं~~विषयक साहित्य किसी भी अर्थ में कम नहीं है । चतुर्माणी (उमयाभि सरिका प्रभृति चार माण) जिसका समय मौर्य तथा गुप्त युग (ई०पू० तृतीय शती से लेकर ई०पू० चतुर्थ शती तक) है, का अध्ययन इस प्रामाण्य के लिए यथेष्ट है । जहाँ तक शोध-विषय का प्रश्न है, उसके विषय में तो सर्वथा निश्चिन्त भाव से यह घोषणा की जा सकती है कि अन्योक्ति में तो पद-पद पर अधिदोषों का निबन्धन प्राप्त होता है । इस विषय में केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । कोई व्यक्ति विशेष है तो सर्वथा गुण विहीन न रूप है न विद्या है , न कण्ठ है, न कोई अन्य ही कला कि वह जनसमुदाय के बीच आदर प्राप्त कर सके । उसी के पड़ोस में मान लीजिए, कोई अत्यन्त सज्जन, मिलनसार, रूप विद्याकण्ठ तथा अन्यान्य गुणों से समुपेत नवयुवक रहता है । यह सम्भव है कि पहला व्यक्ति दूसरे की नकल करने की कोशिश करे और यदि वह दैव-योग से घनी बाप का

लड़का है तब तो सब कुछ होने के वजाय भी ठाट-बाट में तिल भर भी कमी न लाएगा। ऐसे ही एक प्रस्तुत व्यक्ति पर अन्योक्ति के माध्यम से कवि अत्यन्त उपहासमयी शैली में झींटाकसी प्रस्तुत करता है जो कि पूर्णतः अंग्रेजी 'Satire' का रूप है --

हंसः प्रयाति शनैर्यदि यातु तस्य नैमर्गिकी गतिरियं न हि तत्र चित्रम् ।

गत्या तथा जिगमिषुर्बक एषमुदश्चेतो दुनोति सकलस्य जनस्य नूनम् ॥

इस प्रकार प्रतीकों तथा संकेतों (Symbols) से युक्त 'रूपक' (Allegory) उसके अंग विशेष, दृष्टान्त (Parable) आख्यान (Fable) ध्येयपरक-कथा (Motif) एवं रूपक के सहयोगी तत्त्वों-- व्याजोक्ति (Irony) तथा अधिज्ञाप (Satire) का संक्षिप्त विवेचन पूर्ण हुआ। अब हमें यह देखना है कि संस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक रचनाओं का क्या स्थान है, तथा अन्योक्ति से इसका किस प्रकार का सम्बन्ध है।

रूपकात्मक साहित्य (Allegorical literature) की परिधि में जैसा कि पिछले अनुच्छेद में व्यक्तिगत मन्तव्य प्रस्तुत किया गया है, समस्त दृष्टान्त साहित्य (Parabolic literature) आख्यान साहित्य (Fabulous literature) तथा ध्येयपरक कथा साहित्य (Motif-literature) आ जाता है। पहेलियां, मुकरियां तथा चित्रबन्ध भी, संघटनावेशिष्ट के कारण रूपकात्मक साहित्य में ही आते। जहां तक व्याजोक्ति (Irony and Satire) एवं अधिज्ञाप या विद्वप का प्रश्न है, उन्हें भी हम रूपकात्मक साहित्य में ही अन्तर्भूत कर सकते हैं, किन्तु दृष्टान्त आदि की भांति रूपक के अंग-साहित्य के रूप में नहीं, प्रत्युत् शैलीवेशिष्ट (as the excellence of style.) के रूप में। यद्यपि व्याजोक्ति तो अंशतः प्रतिपाद्य बन भी जाती है ('Irony of Situation' के रूप में) किन्तु विद्वप तो शुद्ध रूप से प्रतिपादन की एक शैली विशेष है। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य की तुलनात्मक प्रतिपाद्यसमृद्धि के आधार पर ही एक अधोनिर्दिष्ट विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे संस्कृत साहित्य में पूर्वोक्त पाश्चान्त्य साहित्य तत्त्वों की स्थिति ज्ञात हो सके --

रूपकात्मक साहित्य (Allegorical literature)

१-प्रतीक वर्ग (Symbolic)	२-आख्यानवर्ग (Fabular)	३-प्रहेलिका वर्ग (Enigmatis)
इस वर्ग में समस्त वैदिक प्रतीक, पुराणों तथा अन्य सम-साहित्यों के प्रतीक तथा समस्त संस्कृत प्रतीकात्मक नाटक आये। 'हंस' 'मैदेश' आदि प्रतीक-काव्य भी इसी वर्ग में हैं।	आख्यान-वर्ग में वृहत्कथा-मूलक समस्त जंतु कथायें (पंचतंत्रादि) नीति कथायें तथा उपदेश परक अन्य काव्यांग आयेंगे (पालि प्राकृत की जातकादि रचनायें भी इसी वर्ग में हैं)	इस वर्ग में समस्त प्रहेलिका तथा तन्मूलक अन्य रचनायें (मात्राच्युतविन्दुच्युतादि) महाभारत के कूटादि सन्दर्भ तथा चित्रबन्धादि रचनायें आयेंगी।

इनमेंसे प्रथम दो वर्गों का पाश्चात्य मतानुसार सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक व्याख्यान पहले प्रस्तुत हो चुका है। केवल, प्रहेलिका वर्ग के साहित्य पर अन्योक्ति की दृष्टि से कुछ और कहना है। किन्तु यह सब कहने के पूर्व ही हमें उस पूर्वोक्त मौलिक तथा अटल धारणा को एक बार पुनः दुहरा देना चाहिए कि -- समस्त त्रिवर्गीय प्रतीकात्मक साहित्य केवल अन्योक्ति की पूर्वपीठिका या पूर्वाभास मात्र है, किन्तु दोनों में तादात्म्य नहीं है। प्रसंगानुसार आगे इस तथ्य की सप्रमाण पुष्टि की जायेगी।

पहेली तत्त्व का प्रारम्भ भी अन्य काव्य तत्त्वों की भांति वेद से ही प्रारम्भ हो जाता है। स्तुरेय तथा कौषीतकी ब्राह्मण में अथर्ववेद (२०।१३३) के कुछ मंत्रों को पहेली (प्रवह्लिका) कहा गया है। इसी प्रकार बृहदेवता (१।३५) में मंत्रों के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख किया गया है जिसे 'प्रहेलिका' कहते हैं। डा० राघवन् ने स्पष्टतः उन्हें पहेली रूप (Riddle) स्वीकार किया है। जब प्रतीक या संकेत की रुढ़ि इतनी दुरधिगम तथा क्लिष्ट हो जाय कि हमें चिन्तनशक्ति के साथ ही साथ अपनी नैतिक शक्ति (Moral Power) भी खर्च कर देनी पड़े, तो वही प्रायः पहेली का रूप धारण कर लेती है। अंग्रेजी में इसे 'Riddle' अथवा 'Enigma' कहते हैं, जिसका तात्पर्य है -- "A statement with a hidden meaning to be guessed, anything very obscure, a riddle."

चेम्बर्स ने इस विषय में एक लाक्षणिक तथ्य दिया है -- 'अन्धकार मय कथन' (To speak darkly.) वस्तुतः पहेली में होता यही है कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप करके हम कोई वक्तव्य सामने रखते हैं । किन्तु तुल्यसंविधानता तथा अस्मानविशेषणत्व अन्योक्ति के ये दोनों ही तत्त्व पहेली में या तो पूर्णतः नहीं होते या अपरिस्फुट तथा व्याख्यागम्य (दुर्बोध) होते हैं । और जहां तक व्यंजनयावबोध का प्रश्न है, उसका तो पहेली में लेशमात्र भी नहीं रहता । इस परिस्थिति में भी डा० संसारचन्द्र उन्हें अर्धान्योक्ति या पहेली रूप ही मानते हैं । अमरकोश में प्रहेलिका तथा प्रवहिलका शब्द परस्पर पर्याय माने गये हैं । मानु जी नामक आचार्य ने इनकी उत्पत्ति 'वहल आच्छादने घातु से मानी है, 'प्रवहते आच्छादयति इति प्रवहिलका । उन्हीं के अनुसार प्रवहिलका तथा प्रहेलिका किसी प्रश्न के 'दुर्विज्ञेयार्थ' रूप हैं -- 'द्वे दुर्विज्ञेयार्थस्य प्रश्नस्य । ' नैषधीयचरित' (१६।१०२) के टीकाकार नारायण मट्ट ने प्रसंगतः 'प्रवहिलका' की व्याख्या इस प्रकार की है -- 'सैव दुर्विज्ञेयत्वात् प्रवहिलका गुप्ताभिप्रायः प्रबन्ध-विशेषः । ' मोज एवं हेमचन्द्र प्रभृति आचार्यों ने इसे अव्यकाव्य का अंगविशेष माना है । इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि पहेली विषयक सिद्धान्त, अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य में समरूप ही है ।

पहेलियों के प्राचीनतम उदाहरण वेद में ही प्राप्त होते हैं, यह तथ्य ऊपर स्वीकार कर चुके हैं । पहेलियों का वही धारा-प्रवाह श्रीमद्भागवत प्रभृति के संसार-रूपक तथा महाभारत के कूट-श्लोकों से होता हुआ, आलंकारिक युग में चित्रबन्धादि के रूप में परिणत हो गया । किन्तु यह तथ्य सर्वथा सत्य है कि पहेलियों को कभी भी सत्काव्य का स्थान एवं आदर नहीं ही मिला । पहेलियों का मूल्यांकन करने वाले प्राचीनतम आचार्य मामह हैं (ईसू की पांचवीं-छठीं शती) जिन्होंने यमक अलंकार के प्रसंग में (काव्या० अ० २ श्लो० १६, २०) इसकी मान्यता पर अपना विचार प्रस्तुत किया । आचार्य मामह तो प्रहेलिका को शास्त्र के समान, व्याख्यागम्य (दुर्बोध) नाना घातुओं के अर्थों से गूढ़ तथा व्यर्थ ही यमक का नाम रखने वाली, अतः निकृष्ट कोटि की रचना मानते थे । क्योंकि पहेली को केवल माथा-पच्ची करने वाला बुद्धिमान जन ही समझ सकता है मन्दबुद्धि व्यक्ति नहीं । ऐसी रचना वस्तुतः काव्य नहीं होती ।

१- नानाघातवर्थांम्भीरा यमकव्यपदेशिनी प्रहेलिका साह्युदिता रामश्मार्च्युतोत्तरे । १६

काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत् उत्सवः सुधियामेव हंत दुर्भेदसो -
हताः ॥ २० (द्वितीय०)

आचार्य दण्डी यद्यपि मामह के समस्त सिद्धान्तों के निम्नूह नमालोचक थे, अतः इसी दृष्टि से उन्होंने प्रहेलिका को भी मामह की तरह स्कन्द से नहीं ठुकराया, तथापि वे उनकी उपयोगिता को काव्यानन्द की दृष्टि से सिद्ध न कर सके। काव्यादर्श (३।६७) में उन्होंने कहा --

‘क्रीडा-गोष्ठी-विमोदेषु तज्जैराकीर्णमंत्रणे ।

परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिका : ॥

अतः स्पष्ट है कि पहेलियों द्वारा केवल गोष्ठी आदि मनोविमोद मात्र सम्भव है, किन्तु काव्यानन्द या रसानुभूति की कोई संभावना नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम ध्वनिकाव्य की कौटि में आने वाली अन्योक्ति को कैसे प्रहेलिका से अभिन्न मान सकते हैं ?

यह तो हुई सिद्धान्त की बात। अब हमें इस तथ्य पर भी थोड़ा सोचना है कि क्या मामहादि द्वारा तिरस्कृत होने पर भी, प्रहेलिका का प्रणयन हुआ या नहीं। वैदिक तथा पौराणिक क्लिष्ट रूपकों तथा महाभारत-कृतों के अतिरिक्त मामह के प्रामाण्य से सिद्ध होता है कि उनके पूर्ववर्ती किसी, रामशर्मा नामक कवि ने एक बृहद् प्रहेलिका ग्रन्थ ‘अच्युतोत्तर’ लिखा था (द्रष्टव्य पूर्वोद्धरण श्लोक) मामह के बाद प्रहेलिका का स्थान चित्रकाव्य के एक विशिष्ट अंग ‘चित्रबन्ध’ को मिला। आचार्य रुद्रट के अनुसार चित्रबन्ध वह रचना है जिसमें श्लोक पदम-मुसल मुरजादि चित्रों के अनुसरण पर लिखे जाते हैं, वे विचित्र तथा अंकयुक्त होते हैं। रुद्रट ने चक्र, खड्ग, मुसल, घनुष, शक्ति, शूल, हत, अनुलोम-प्रतिलोम, अर्धप्रम तथा सर्वतोमद्रादि चित्रबन्धों की परिभाषा एवं व्याख्या भी प्रस्तुत की है। संस्कृत-साहित्य में सम्प्रति उपलब्ध प्राचीनतम पहेली ग्रन्थ, ‘विदग्धमुखमण्डन’ है जिसमें पहेली की सामान्य परिभाषा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ उसके दो भेदों ‘शाब्दी एवं आर्थी’ का सम्यक् विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। विदग्धमुखमण्डन के बाद अत्मोद्गा-निवासी विश्वेश्वर पण्डित ने ‘कवीन्द्रकर्णामरण’ नामक प्रहेलिका-विषयक एक अद्भुत ग्रन्थ की रचना उन्नीसवीं शती के पूर्वार्ध में की है। विद्वान् कवि ने इस ग्रन्थ में कुल ५८ प्रकार की पहेलियों तथा उसके भेद-प्रभेदों की सव्याख्यवर्षा प्रस्तुत की है। उदाहृत श्लोक

१- मंग्यन्तरकृततत्त्वमवर्णनिमित्तानि वस्तुरूपाणि ।

सांकाणि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तन्निब तच्चित्रम् ॥ रुद्रटकार ५।१

और भी आश्चर्य एवं आनन्ददायक हैं । प्रत्येक दृष्टि से यदि दण्डी के शब्दों में पहली का कुछ भी सदुपयोग है तो यह ग्रन्थ पठनीय है^१ । चित्ररत्नाकर नामक एक और पहली ग्रन्थ इसी कोटि की रचना है जिसे चक्रवाक ऋषि ने लिखा है । सम्भवतः यह ग्रन्थ नवीन है^२ । इसके अतिरिक्त प्रहेलिका विषयक अन्य कोई रचना नहीं प्राप्त है, यद्यपि सम्भावना है । अस्तु ।

पूर्व योजना के अनुसार रूपकात्मक साहित्य के तीनों वर्गों का सैद्धान्तिक तथा अंशतः साहित्यिक परिचय भी दिया जा चुका । साहित्यिक विवेचन अप्रासंगिक होने के कारण वर्णन के लिए अभाष्य भी नहीं । किन्तु अब, अन्योक्तियों से उनका तात्त्विक पार्थक्य दिखाने एवं सिद्ध करने के लिए स्थालीपुलाकन्त्रायेन एक बार पुनः समस्त साहित्य पर हमें दृष्टि डालनी है । इन क्रम में पूर्व प्रदर्शित विभाजनक्रमानुसार ही सर्वप्रथम प्रतीकों तथा संकेतों को (वेद से लेकर प्रतीकात्मक नाटक तक) फिर आस्थानों को (जन्तुकथा-नीतिकथा) तथा अन्त में प्रहेलिकाओं को उद्धृत करके, अन्य-अन्योक्ति तत्त्वों के साथ उनकी तुलना प्रस्तुत की जायेगी । किन्तु किसी वस्तु को तौलने के लिए सबसे अधिक महत्त्व की चीज़ है, उसका बटखरा । अतः बुद्धि रूपी तुला पर प्रतीकादि त्रिविध-साहित्य को तौलने के लिए हम 'अन्योक्ति' का ही बटवारा बना रहे हैं, क्योंकि उसी की तुलना में मान्यता देने का प्रश्न है ।

एक अन्य प्रश्न यह है कि अन्योक्ति का क्या मापदण्ड स्थिर किया जाय जो कि किसी भी दृष्टि से संकीर्ण न हो सर्वजन-ग्राह्य हो तथा अन्य काव्यविधाओं की तुलना में उसके स्वाभाविक वैशिष्ट्य (*Temperamental Quality*)

का परिचायक हो ? मन में ऐसी भावना के, उठते ही आर्चीबाल मैकलिश (*Archibald Mac Leish*) का एक काव्योद्गार याद आ जाता है --

~ A poem should not mean,

But be... अर्थात् वह किसी कोटि की कविता नहीं, जिसका कुछ अर्थ निकालना पड़े । वरन् कविता वह है जो स्वयं अपने में कुछ हो ।^३ इस वाक्य

१- काव्यमाला, अष्टमगुच्छक की दूसरी रचना । निर्णयसागर प्रेस, सन १९११ ई०

२- द्रष्टव्य- जर्नल आफ दि केरल युनिवर्सिटी ओरियण्टल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी
वाल्थूम-१३, माग ३, त्रिवेन्द्रम, १९४४ ई० ।

३- A pocket-book of quotations, edited by Henry Davidoff. Bombay.

में अपार व्यंजना भरी है , जिसे सहृदय पाठक ही जान सकता है । वक्रा का आक्षेप उन कविताओं पर है जो 'अर्थ-सापेक्षा' होती हैं ताकि हम कोशादि की सहायता में उसका अर्थ निकालें । कविता तो वास्तव में उसे कहेंगे जो स्वयं किसी मर्मस्पर्शी भाव को लेकर उसी में ढल गई हो ताकि उसके देखते ही भाव स्वयं साकार हो उठे ।

अन्योक्ति को बिना किसी अत्युक्ति के हम दूसरी कोटि में रख सकते हैं । क्योंकि प्रत्येक अन्योक्ति की प्राणभूत सम्पत्ति है व्यंजना । यही व्यंजना उसका स्वरूप निखार कर स्फटिक की भांति निर्मल बना देती है । अन्योक्ति में यद्यपि अप्रस्तुत वाच्य होता है और वाच्य होने के कारण शब्दार्थ का निबन्धन भी उभरता है । किन्तु ऐसी दशा में भी अन्योक्ति में महत्त्व केवल भाव-विशेष का ही होता है जो व्यंजना शक्ति द्वारा निष्पन्न होता है । वह अर्थ न किसी शब्द की अपेक्षा करता है और न किसी अन्य अर्थ की । वह स्वयं अपने में कुछ होता है, जिसके पढ़ते ही सहृदय पाठक अमर्षातिरेक के कारण, नेत्रनिमीलन के ही साथ एक अद्भुत रणरणक से भर उठता है । उसे प्रतीकों की भांति अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के प्रमाण ज्ञानार्थ ग्रन्थ-मन्थन नहीं करना पड़ता उसे आख्यानों की भांति अपरिचित उपमानोपमेय की प्रचुर शब्दवीथी में चक्कर नहीं काटना पड़ता और न पहेलियों की तरह भ्रुकुंचन एवं वैक्लव्य के साथ बार-बार व्याकरण-कौश ही देखना पड़ता है ।

अतः निश्चित है कि यदि हम आर्कीबाल्ड के मत का समर्थन करें तो 'Butte' की व्याख्या 'व्यंजनासद्भाव के ही रूप में कर सकते हैं । वह व्यंजना जो अभिधा एवं लक्षण सरीखी शब्दाश्रित काव्यशक्तियों से सर्वथा विलक्षण शब्दवाच्यता के दायरे से बिलकुल बहिर्गत, बस्त्वलंकार तथा रसध्वनि से संवलित वैदर्भवाणी के दिव्यपाक से परिपक्व , स्वभावोक्ति (A natural description.) एवं वक्रोक्ति (A clever presentation.) के सौन्दर्य से अन्वित नवरुस रुचिरा हृत्वादेकमयी तथा अनन्य

१- यस्तु स्वप्ने ऽपि न स्वशब्दवाच्यो न लौकिकव्यवहारपतितः किन्तु शब्दसमर्प्यमाण-
हृदयसंवादसुन्दरविमानुभावसमुचितप्राग्निविष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारस्वसंविदानन्द-
चर्वणाव्यापाररसनीयरूपो रसः स काव्यव्यापारैकगोचरो रसध्वनिरिति, सध्वनिरै-
वेति, सख मुखतयात्मैति (ध्वन्यालोकन, का०४ की व्याख्या)

२- द्रष्टव्य- काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामनकृत , सूत्र ११२।२१ के अनुवर्ती दो पद्य ।

३- ,, मामहकृत काव्यालंकार १।३० तथा १।३६ ।

परतन्त्रा होती है ।

वस्तुतः व्यंजना संस्कृत काव्यशास्त्र में एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे समस्त काव्यशक्तियाँ अथवा काव्यत्त्व हीन स्वं अप्रतिम हो जाते हैं । यह एक ऐसी महाशक्ति है जिसके दरबार में महान् ही आ सकते हैं । यदि कोई दीन भी जाना चाहेगा तो सर्वप्रथम उसका महान् बनने का संस्कार अवश्य होगा । इन्हीं कारण जहाँ ही व्यंजना रहेगी, वहीं ध्वनि होगी, वहीं वैदर्भी रीति होगी, वहीं प्रमाद-माधुर्य (ओजस भी) गुण होंगे, वहीं वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति जैसे रमणीय काव्यतत्त्व रहेंगे और वहीं रहेगी कवि की शक्ति या प्रतिभा । आचार्य मम्मट ने 'नियतिकृतनियमरहितों' आदि द्वारा जिस 'भारती' का 'जयघोष' काव्यलोक में गुंजाया वह वाणी प्रतीक तथा पहली जैसे साधारण काव्यतत्त्वों से नहीं समन्वित थी, वरन् वह इसी व्यंजनाव्यापार वाली थी और आज भी है ।

'अन्योक्ति' का प्राणतत्त्व स्थापित करने के लिए यहाँ सर्वप्रथम व्यंजना का ही उल्लेख किया है, क्योंकि 'वृद्धाकुमारीवरन्यायेन' व्यंजना के आदान मात्र से उन समस्त श्लाघ्य काव्य-तत्त्वों का भी अन्योक्ति के प्रति सद्भाव सुस्पष्ट हो जाता है जिनका कि पूर्वानुच्छेद में अभी व्याख्यान किया है । यद्यपि व्यंजना की स्वरूप-संबंधी तथा प्रभाव-सम्बन्धी स्पष्टता के लिए यथेष्ट व्याख्या अपेक्षित है, किन्तु हम केवल उसका सूत्रपात भर करके, इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं । चूंकि व्यंजना ही अन्योक्ति-जीवित है, अतः उसका तथा उसके अनुग्राहक तत्त्वों का व्याख्यान यथाप्रसंग अन्य अध्यायों में होगा ।

अन्योक्ति के अन्य दोनों तत्त्वों का विवेचन इस अध्यायारम्भ में ही किया जा चुका है और आचार्य रुद्रट की परिभाषा से उनका स्पष्टीकरण भी हो चुका है । अतः जिस प्रकार कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों से निर्मित एक विशिष्ट शरीर में आत्मा का निवास है, ठीक उसी प्रकार अप्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत व्यंग्य से निर्मित अन्योक्ति नामक शरीर में व्यंजना रूपी आत्मा का निवास है । जैसे ज्ञानेन्द्रियों का स्थान कर्मेन्द्रियों के स्थान कर्मेन्द्रियों से उत्कृष्ट होता है, हाथ-पैर आदि की तरह स्थूल

या व्यक्त न होने के कारण ठीक उही प्रकार प्रस्तुत व्यंग्य का भी स्थान, अप्रस्तुत वाच्य से उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उही का बोध प्रासंगिक तथा कविसंरम्भगोचर होता है । अतएव अन्योक्ति के दो तत्त्व शरीर स्थानीय और आत्मस्थानीय हुआ --

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| (१) अप्रस्तुत(वाच्य) | ॥ | शरीरस्थानीय तत्त्व । |
| (२) प्रस्तुत (व्यंग्य) | ॥ | |
| (३) व्यंजना व्यापार | | आत्मस्थानीय तत्त्व । |

अब इन्हीं तत्त्वों से युक्त अन्योक्ति के साथ पूर्वोक्त रूपकात्मक साहित्य के तीनों वर्गों की तुलना की जायगी । प्रतीकात्मक साहित्य का उदाहरण विवेचन पहले कर चुके हैं । इन्द्र-वृत्र सम्बन्धी प्रतीक (मेघ अथवा सूर्य) आत्मापरमात्मा-विवेक (द्वासुपर्णा सयुजा० मुण्डको० ३।१।२) तथा भ्रमरगीत (श्रीमद्भागवत १०।४७।१४) संबंधी तीन उदाहरण अन्योक्ति के विकास की दृष्टि से उद्धृत किए गए हैं । पहले में शुद्ध प्रतीक, दूसरे में अपरिस्फुट अन्योक्ति, तथा तीसरे में पूर्णतः अन्योक्ति है ।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतीक के समस्त उदाहरण अन्योक्ति-युक्त होंगे ही । वरन् सत्य तो यह है कि जिन पदों में हम स्फुट अन्योक्ति पाते हैं वे उदाहरण प्रतीक के हैं ही नहीं । उदाहरणार्थ वृषभ के लिए प्रतिपादित एक प्रतीकात्मक पद्य देखिए --

चत्वारि शृंगास्त्रयो अस्य पादा द्वेशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोसीति महोदेवो मत्यान् आविवेश ॥

-- ऋग्वेद ४।५८।३

यहां प्रस्तुत यज्ञ के लिए अप्रस्तुत वृषभ का रूपक प्रस्तुत किया है ऐसा सायणाचार्य का मत है । किन्तु बार-बार संख्याओं के आने से यह प्रतीक सर्वथा क्लिष्ट, दुर्बोध तथा व्याख्यागम्य होकर गया है । जब तक सायणाचार्य की यज्ञपरक व्याख्या अथवा महाभाष्यकार पतंजलि की वाणीपरक व्याख्या हमें नहीं प्राप्त होती, तब तक एक शब्द का भी अर्थ लगाना असम्भव हो जाता है । इस पद्य में चार, दो, सात तथा तीन का अर्थ, चार ऋत्विक् (होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा) तीन अंग (प्रातः माध्यन्दिन तथा सायं सवन) तथा सात कृन्ध (गायत्री आदि) इत्यादि समझाना

घोर अभिधा का कार्य है । व्यंजना का तो यहाँ नाम ही नहीं । डा० संसारचन्द्र जी डा० गोविन्दशरण त्रिगुणायत (कवीर और जायसी का रहस्यवाद, भूमिका पृ० १५) का प्रमाण देते हुए इस पद्य के विषय में कहते हैं -- कुछ विद्वान् इस अन्योक्ति को अध्यात्मपक्ष की ही ओर लगाते हैं । अध्यात्मज्ञान वृषभ, किन्तु उनका यह मत, सर्वथा निराधार और असंगत है, क्योंकि (तृतीयाध्याय० पृ० ६६) अन्योक्ति इतनी सस्ती वस्तु नहीं, जितनी कि बिना उसका कोई स्वरूप निश्चित किये, हम समझ बैठते हैं । वस्तुतः उपर्युक्त उदाहरण पूर्णतः दुर्बोध प्रतीक या पहेली कोट्टे, अन्योक्ति कान्हीं !

महाभारत में अन्योक्ति तत्त्व का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हुए डा० संसारचन्द्र जी ने गीता से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें अश्वत्थवृक्ष के प्रतीकों द्वारा संसार की व्याख्या की गई है । किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से श्रीमद्भागवत (११।१२।२१-२३) में वर्णित संसार-तरु भी देख लेना उचित ही होगा । भगवान् कृष्ण, उद्धव को सदुपदेश देते हुए कहते हैं --

य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥२१

द्वे अस्य बीजे शतमूलत्रिनालः पंचस्कन्धः पंचरसप्रसूतिः ।

दशैकशाखो द्विसुपर्णो द्वित्रिवत्कलो द्विफलोऽर्कप्रविष्टः ॥२२

अदन्ति चैकं फलमस्य गृह्णा ग्रामेचरा स्फुरण्यवासाः ।

हंसा य स्कं बहुरूपमिज्यैर्मर्यामयं वेद स वेद वेदम् ॥ २३

प्रस्तुत श्लोकत्रयी में पुराण == अनादि । कर्मात्मक == प्रवृत्तिस्वभाव वाला । पुष्प-फल का अर्थ टीकाकार आचार्य श्रीधर के अनुसार भोग एवं अपवर्ग है । दो बीजे = पुण्य-पाप । शतमूल == अपरिमित मूल । त्रिनाल == सत्त्वरजस्तमस् गुण । पंचस्कन्ध == पंचमहाभूत । पंचरस == शब्दादि विषय । दशैकशाख == ग्यारह इन्द्रियां (पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन) । द्विसुपर्ण == आत्मा (जीव) तथा परमात्मा । त्रिवत्कल == वात पित्त-श्लेष्म । द्विफल == सुख दुःख । अर्कप्रविष्ट == सूर्य मण्डल तक व्याप्त । गृह्णों के एक फल खाने का तात्पर्य है कामियों द्वारा दुःख प्राप्ति । ग्रामेचर अर्थात् गृहस्थ जन एक फल

१- ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरख्यं कृन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१

अश्वत्थोर्ध्वं प्रसृतास्तस्यशाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाक्ताः ।

अश्वत्थमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमैतं सुविच्छेदमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन कृत्वा ॥ ३

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यास्मिन्नाज्ञाननिवर्तन्ति भूयः ।

तमेतच्चार्थं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४ -- गीता अ० १५.

(सुख रूप) प्राप्त करते हैं। किन्तु अरण्यवासी हंसगण, अर्थात् विवेकी संन्यासी तो उस एक परब्रह्म को जानते हैं (जो नायानन्द तथा बहुह्य है) ऐसे विवेकी ही वास्तव में तत्त्वार्थ को जानते हैं।

श्रीमद्भागवत तथा गीता के इन संसार तरु गन्वन्धी दृष्टान्तों में प्रस्तुत संसार का स्वरूप जानने के लिए अप्रस्तुत वृक्ष का रूपक, उपस्थित किया गया है। किन्तु अन्योक्ति का केवल एक तत्त्व, इनमें प्राप्त हो रहा है -- प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप। (यद्यपि अन्योक्ति में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप न होकर इस्का उल्टा ही होता है तथापि यहाँ आरोप क्रिया की समयनिष्ठता के ही कारण साम्य स्थापित किया गया है)। जहाँ तक प्रस्तुत के व्यंग्य होने का प्रश्न है, वह किसी में भी नहीं है, क्योंकि दोनों में क्रमशः 'हंनो य एकं बहुरूपमिज्यैर्मायामयं वेद स वेद वेदम्' तथा 'तमेवचाथं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी' कहकर व्यंजनभाव-बोद्धव्य परब्रह्म को वाच्य बना दिया है। और जब प्रस्तुत भी वाच्य हो गया तो व्यंजना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल प्रतीकों का खिलवाड़ है। श्रीमद्भागवत का रूपक तो स्पष्टतः प्रहेलिका-कोटि में आ जायगा। इस प्रकार समस्त प्रसंग की दृष्टि से तो ये पद्य, अन्योक्ति क्षेत्र से बहुत दूर है किन्तु प्रस्तुत वाच्यांश को हटा देने पर वे रूपक माने जा सकते हैं। यद्यपि डा० संसारचन्द्र ने भी यहाँ इस तथ्य को स्वीकार किया है -- 'किन्तु अप्रस्तुत की तरह प्रस्तुत को भी वाच्य बना देने से वह अन्योक्ति का विषय न रहकर शुद्ध-रूपक बन जाता है' (तृतीयाध्याय, पृ० ६६) तथापि वे इन पद्यों को अन्योक्ति कहते हैं।

पुराणों के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का उदय होता है जिसमें हम नाटकों में प्रतीक परम्परा प्राप्त करते हैं। इस परम्परा का प्राचीनतम नाटक अश्वघोष कृत, (ई० पहली शती) 'शारिपुत्र प्रकरण' माना जाता है जिसमें बुद्धि, कीर्ति, धृति आदि अमूर्त वृत्तियाँ, सजीव प्रतिमा के रूप में रंगमंच पर कथोपकथन प्रस्तुत करती हैं। किन्तु इस विषय में हम संस्कृत विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि महाकवि भास का भी एक नाटक -- बालचरितम् इसी कोटि का है। अतः संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम प्रतीकनिबन्धन 'शारिपुत्र०' में न होकर बाल-चरित में ही है।

‘बालचरित’ भास कृत पांच अंकों का नाटक है जिसमें कृष्ण द्वारा पूतना बध से लेकर कंसबध तक के बीच की गई विविध, मनोहारिणी लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण जन्म के बाद वसुदेव बालक को अपने मित्र नन्द के यहां रख आते हैं तथा बदले में यशोदा की सद्योजात पुत्री लेकर लौट आते हैं। कंस, शिशु जन्म का समाचार पाकर बच्ची को मारने के लिए उक्त होता है। अब यहीं से रूपक प्रारम्भ होता है। कंस के अत्याचारों से ऊब कर मधुक ऋषि ने कंस को श्रीहीन तथा विनष्ट हो जाने का शाप दिया था। वही शाप अब ब्रह्मवाहु नामक आकार-विशेष के रूप में चाण्डाल युवतियों के साथ लक्ष्मी को बाहर जाने के लिए भगवान् विष्णु का आदेश लेकर आ पहुंचता है। चाण्डालिकाये साकार होकर कंस से बार-बार कहती हैं --

‘आगच्छ मर्तः । आगच्छ, अस्माकं कन्यकानां त्वया सह विवाहो भवतु ।’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि कंस मृत्यु को प्राप्त हो। क्योंकि मरने के बाद ही वह प्रेत होगा और तभी उसका विवाह किसी प्रेतकन्या के साथ हो सकेगा। लाचार होकर लक्ष्मी कंस को छोड़कर चली जाती है और कंस अकेले अलक्ष्मी-खलती-शाप तथा कात्यायनी (मृत-बालिका) से घिर जाता है। कात्या० कंस की मृत्यु-सूचना उसे सुनाती है, कंस विकल हो जाता है।

पंचमांक में पुनः थोड़ी प्रतीकात्मकता दृष्टिकोचर होती है, जब कंस के निमन्त्रण पर, आर हुर कृष्ण के मखशाला में प्रवेश करने के पूर्व ही उनके समस्त आयुध (गरुड-चक्र-शाई०ग-शंख-नन्दक-कौमोदकी आदि) मानवीयकृत रूप में उपस्थित होकर अपने-अपने शौर्य की प्रशंसा करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीनतम प्रतीकविन्यास बालचरित में ही है। कृष्ण के मय से मीत, कंस अपने ही मनोभावों एवं शंकाओं को साकार रूप में देखता है। बालचरित तथा शारिपुत्र प्रकरण के बाद इस कोटि का प्रसिद्धतम प्रतीक नाटक ‘प्रबोधचन्द्रोदय’ कृष्णमिश्र द्वारा (ग्यारहवीं शती) प्रणीत किया गया, जिसके पीछे प्रतीकात्मक संस्कृत नाटकों की एक परम्परा ही चल पड़ी। यशपाल कृत ‘मोहपराजय’ (१३ वीं शती) वेदान्तदेशिक कृत संकल्पसूर्योदय (१४ वीं शती) परमानन्द सेनकृत ‘चैतन्यचन्द्रोदय’ (कवि कर्णपूर कृत चैतन्य चन्द्रोदय?) रत्नखेट श्रीनिवास दीक्षित कृत ‘भावनापुरुषोत्तम’, गोकुलनाथ कृत ‘अमृतोदय’ (सब १६ वीं शती) सामराजदीक्षित कृत ‘श्री दामचरित’ वादिचन्द्र (१६४८ ई०) प्रणीतज्ञानसूर्योदय (प्रबोध० के विरोध में) (१७ वीं शती) देवकवि कृत -- ‘विद्यापरिणय’ तथा ‘जीवानन्दनम्’, भूदेवशुक्लकृत

धर्मविजय (१८ वीं शती) आदि रचनार्थे इती परम्परा में आती हैं ।

किन्तु प्रतीक नाटकों की अपनी एक पृथक् मता है, उन्हें हम अन्योक्ति से मिला नहीं सकते । पाश्चात्य कवि बनियन के 'पिल्लिग्नस प्रोग्रेस' की भांति इन रचनाओं के पात्र भी प्रायः अमूर्त भावों के मानवीकृत रूप (Personified figures.) हैं किन्तु केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं के प्रतीक होने के अतिरिक्त उनमें अन्योक्ति का कोई तत्त्व नहीं प्राप्त होता । दूसरी बात यह कि इन नाटकों में सब के सब पात्र अप्रस्तुत हीं ऐसी बात नहीं रहती । नायकादि कुछ पात्र इसमें प्रस्तुत पाथ हीं नाथ वाच्य भी रहते हैं । अतः प्रस्तुत के वाच्य होने पर समस्त अप्रस्तुत योजना एक रूपके मात्र, अभिव्यक्ति का एक प्रकारान्तर-मात्र बन जाती है ।

डा० संसारचन्द्र जी के शोध प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय 'संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति पद्धति' (पृ० १४५-१७०) है । किन्तु शोधकर्ता ने समस्त अध्याय के कुछ सत्रह शीर्षकों में केवल यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संस्कृत-साहित्य में कहाँ कहाँ प्रतीक योजना है ? क्योंकि उनके अनुसार जहाँ-जहाँ प्रतीक एवं संकेत (रूपक) होंगे, वहाँ-वहाँ अन्योक्ति होगी । परन्तु इस तथ्य को हम किसी रूप में भी नहीं स्वीकार कर सकते कि प्रतीक को अन्योक्ति का लक्षण माना जाय ! जब कि हम यह सिद्ध कर चुके हैं, अन्योक्ति का क्षेत्र प्रतीकों से सर्वथा भिन्न एवं गौरवाह है, अन्योक्ति व्यंजना की सहायता से ध्वनि का रूप धारण करती है और प्रतीक-संकेत क्लिष्टता तथा दुर्बोधता के कारण 'पहेलिका' का रूप धारण करते हैं । ध्वनि, उत्तम काव्य है तथा चित्रकाव्य (पहेली) अधम ! तो फिर उत्तम एवं अधम में संगति कैसी ?

एक प्रश्न है, वह यह कि यदि समस्त संस्कृत-साहित्य में अन्योक्ति-पद्धति होने का तात्पर्य उनमें प्रतीकों का होना ही है, तो वे अन्योक्तियाँ कहाँ जायँगी जो महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीति-स्तोत्र, नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, छि, -----

१- अन्योक्ति-पद्धति का स्वरूप, अन्योक्ति-पद्धति वेदमूलक, वेदों में अन्योक्ति-पद्धति, वेदों में रूपक काव्य के तत्त्व, इन्द्र वृत्र, उपास्थान में विज्ञानरहस्य, इन्द्रवृत्रसंघर्ष में दार्शनिक-रहस्य, बाल्मीकि० में इतिहास और काव्य-तत्त्व, वानर और असुर-प्रतीकात्मक सीता के पीछे संकेत, महाभारत और उसके संकेत, पुराणों में अन्योक्ति-प०, सृष्टि की प्रतीकात्मक उत्पत्ति, त्रिपुरासुरवध का दार्शनिक-रहस्य, श्रीमद्भागवत की सृष्टि एवं रास लीला प्रतीकात्मक, कालिदासादि कलाकारों की प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकात्मक संस्कृत नाटक, गद्यात्मक जन्तुकथा साहित्य-संकेतात्मक ।

गद्यकाव्य, चम्पू तथा मुक्तक सुभाषितों में हमारे उदारचेता कवियों द्वारा निबद्ध की गई हैं। अन्योक्ति लिखने वाले वे हजारों कविगण, कहाँ जाँसे, जिनका आज हम नाम तक नहीं जानते, जिन्होंने समाज-व्यक्ति प्रणय-प्रवृत्ति तथा राजनीति के स्वरूप को लेकर अपार-अन्योक्ति-वाङ्मय सर्जित किया। यदि कोई सद्दय पाठक संस्कृत काव्य-साहित्य के इस स्वर्गिक सुख का अनुभव करना चाहे तो वह सुभाषित-रत्नकोश, सद्भक्तिर्णामृत, शार्ङ्गधरपद्धति, झुक्तिमुक्तावली, सुभाषितावली तथा प्रसन्न साहित्य-रत्नाकर जैसे ग्रन्थों को उठाकर देख ले। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी 'प्रज्ञादृष्टि' खुल जायगी। इस विषय का सविस्तर विवेचन आगे पाँचवें तथा सप्तमों के अध्यायों में होगा।

अब आइए आस्थान साहित्य पर। हमें जन्तु कथायें तथा लोक कथायें (नीति कथायें) मुख्य रूप से आती हैं। जन्तुओं को मानवव्यवहृतियों में भाग लेने का दृष्टान्त हम वैदिक साहित्य से ही पाते हैं। ऋग्वेद में सरमा नामक कुतिया इन्द्र की दूती बनकर पणि नामक राजाओं के पास जाती है, जिन्होंने इन्द्र की गायों का हरण कर लिया था। (द्रष्टव्य- सरमापणि संवाद सूक्त ऋग्वेद १०।१०८)। इसी प्रकार सार्पराज्ञी सूक्त (ऋग्वेद १०।१८६) में सांपिनों का, मण्डूक सूक्त (ऋग्वेद ७।१०३) में मेढकों आदि का वर्णन मानवीय स्तर पर हम पाते हैं। समस्त वैदिक साहित्य में बलिपशु (अश्वमेधादि में) तथा अन्य जीवों के वृत्तान्त प्रायः प्राप्त होते हैं। रामायण तथा महाभारत में, साथ ही साथ समस्त पौराणिक साहित्य में ये आस्थान उपनिबद्ध किये गये हैं। महाभारत का 'गृह्यजम्बुक संवाद' (महा०पर्व १२, अ० १४६) कपोतवधिक वृत्तान्त (महा०शान्ति०अ०१४३-४६) सरितासमुद्र संवाद (महा०शान्ति०अध्याय ११३) श्रीमद्भागवत का मवाटवी रूपक (स्कन्ध ५, अध्याय १३-१४), गजेन्द्रोपास्थान (श्रीमद्भाग० ८।२, ३) तथा रामायण का जटायु-सम्पाति-वानर संबंधी आस्थान, प्राचीन जन्तुकथा के प्रारम्भिक स्वरूप हैं। अध्यावधि प्राप्त समस्त जन्तु या नीति कथाओं का मूल या गौण स्रोत, गुणादयकृत बृहत्कथा है जो ईशा की प्रथम शती में लिखी गयी। गुणादय, राजा सातवहन हाल के राजकवि थे। बुधस्वामीकृत बृहत्कथा श्लोक संग्रह (पाँचवी शती)

१-अन्योक्ति साहित्य का व्यावहारिक विवेचन (६) लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उसके मान्य कवि (५)

सोमदेवकृत कथानरित्सागर (ग्यारहवीं शती) जेमन्त्र कृत, बृहत्कथामंजरो (ग्यारहवीं शती ई०) विष्णुशर्मा प्रणीत पञ्चतन्त्र (१ वीं शती) तथा नारायण कवि प्रणीत 'हितोपदेश' (चौदहवीं शती) इत्यादि आख्यान ग्रन्थ , उगी परम्परा में लिखे गये हैं ।

इन कथाओं में यद्यपि जो जीवजन्तु आर हैं, वे कथा की दृष्टि में हैं तो सर्वथा प्रस्तुत । किन्तु वक्ता एवं श्रोता की दृष्टि में (जिनके लिए वे कथाएँ कही गई हैं) हम, इन समस्त जन्तुकथाओं तथा उनके पात्रों को प्रतीक या अप्रस्तुत ही मान सकते हैं । अन्योक्ति से इन कथाओं का बस आरोपमात्र का ही साम्य है और कोई नहीं । इन तथ्यों का सकारण व्याख्यान हम प्रतीकों के सन्दर्भ में कर चुके हैं ।

पहेली के सिद्धान्त एवं विकास की व्याख्या हो चुकी है । वैदिक साहित्य से बृषभ संबंधी उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा चुका है । जब रूपक , पूर्णतः दुर्बीय एवं व्याख्यागम्य हो जाता है तो वही पहेली का रूप धारण कर लेता है । पहेली में आवश्यक नहीं कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो ही । अतएव वह शुद्ध अभिधा में भी हो सकती है । उस दशा में काव्य में प्रचलित, क्लिष्ट-अवाचक-तथा अप्रतीतादि दोष अभिधा के परम सहायक बन जाते हैं और पाठक लाख कोशिश स करने पर भी शीघ्र अर्थावबोध नहीं कर पाता । महामारत का एक कूट-श्लोक देखिए ! विराट् नगर में गायों का हरण होने के प्रसंग में रथ पर समाह्वु अंगना (बृहन्नडा) भेषधारी पार्थ को युद्धस्थल में आते देखकर भीष्म, कर्ण से कहते हैं --

नदीज ! लकेश्वनारिकेतुः नगाह्वयो नाम नगारिस्तुः ।

एषोऽङ्गनाभेषधरः किरीटी जित्वा वयं नेष्यति चाङ्गनावः ॥

इसी प्रकार शिखण्डी की आड़ में छोड़े गये बाणों से जर्जर होकर पितामह भीष्म की एक क्लिष्टोक्ति देखिये --

अर्जुनस्य द्रुमेबाणा नेमेबाणाः शिखण्डिनः ।

कृन्तन्ति मम मात्राणि माघमां सेगवा इव ॥--भीष्मपर्व ११६।६५-६६

१- नदीज-- कर्ण । लकेश० का अर्थ है - रावण के वन के अरि (हनुमान्) हैं, ध्वजा जिसकी अर्थात् कपिध्वज पार्थ । नगारि- पर्वतों के शत्रु इन्द्र, उनके पुत्र (पार्थ) । अंगनाभेषधर--बृहन्नडा रूप । स्पष्टतः यहाँ क्लिष्ट-कल्पना एवं अप्रतीतादि काव्य दोष हैं ।

यहाँ द्वितीय पंक्ति में कट है-- अर्थात् जैसे केकड़ी के बच्चे मां का पेट फाड़ कर बाहर निकलते हैं यों ही मुक्त अर्जुन के बाण जर्जर वार दे रहे हैं , ये दिग्गुण्टी के बाण कतई नहीं हैं (माघमां सेगवा इव)

दूसरे पद्य का अर्थ-रूप इस प्रकार है -- जैसे माघ ने महीने में गाये , कष्ट पाती हैं उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से मैं क्षिन्न हो रहा हूँ (माघमां सेगवा इव) शुद्ध पहेली के उदाहरण विदग्धमुखण्डन अथवा कवीन्द्रकर्णामरण में ही प्राप्त होते हैं । यद्यपि चतुर्भाषी में प्रयुक्त अनेक वाक्यों तथा शब्दों को भी पहेली रूप ही स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि उनमें भी गूढार्थता अपनी चरम पराकाष्ठा पर है। यहाँ कवीन्द्रकर्णामरण की कुछ पहेलियां दिग्मात्र निर्देश के लिए दी जा रही हैं --

(१) वर्धमानाक्षरजाति --

किं वा पदं विकल्पार्थं बालासंबोधनं वद ।

मथ्नादिभरब्धिं विवुधैः कौ नैत्रं मन्दरं कृतः ॥ (वासुकि)

यहाँ एक एक अक्षर बढ़ने के कारण वा, वासु तथा वासुकि पद क्रमशः तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं ।

(२) दूसरा उदाहरण --

विद्ययास्ति सह कोऽत्र विरोधी का मुनेरपि मनो मदयन्ति ।

दिङ्मुक्तः स्म मृशमीर्ष्यति कस्मै काव्यमाहुरमृतप्रतिमं किम् ॥

यहाँ भी उपर्युक्त रीति से (विद्याविरोधी) 'राः' अर्थात् घन, (मुनियों का मन हरण करने वाली) 'रामा' (संसार जिसे पाने को कामना करता है ऐसे) 'रामाय' तथा (अमृत प्रतिम काव्य) 'रामायण' ये चारों शब्द उक्त चारों प्रश्नों के उत्तर हैं ।

(३) पहेली का उदाहरण--

गुणं कृते विप्रति येऽत्र वृद्धिं मागस्य हारेण भजन्ति नाशम् ।

गतिं लमन्ते विपरीतरूपां के द्विर्वधात्सत्कृतिमाश्नन्ति ॥

योधान्तरस्योऽपि च मुक्तमीरुः परादिमन्त्योऽपि सुहृत्स्मेतः ।

कुम्भस्य जेताऽपि वानरेन्द्रो भवेत्कठोरोऽपि मनोहरः कः ॥

१- 'पयोधर' के मध्य में 'योध' शब्द है फिर भी वह 'मुक्तमीरु' है (क्योंकि नारी अबला होती है) आगे पीछे शब्दों से घिरा (प तथा र शब्द) होकर भी मित्रों से मुक्त रहता है (कुम्भदर्शनार्थ प्रायः सभी लालायित रहते हैं) कुम्भजेता (हस्तिकुम्भस्पर्धी) होकर भी वह हनुमान् नहीं है । और कठोर (मांसल) होकर भी वह मनोहारी होता है । (प्रत्येक शब्द द्व्यर्थवाची है)

इन पद्यों के अर्थ सुस्पष्ट हैं । पहले पद्य का उत्तर है -- 'अंकाः' तथा दूसरे का 'पयोधरः' ।

किन्तु जैसा कि पहले ही इस विषय में 'स्क' 'विशिष्टमन्तव्य' स्थिर किया जा चुका है कि पहेलियां किसी रूप में अन्योक्ति के 'समान' भी नहीं हैं । तादात्म्य का तो प्रश्न ही नहीं । इनमें कवि का स्कन्नात्र लक्ष्य उक्तिवैचित्र्य मात्र प्रतिपादित करना है जिसमें कि रसानुभूति का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता । यद्यपि पहेली बूझने के बाद थोड़ा और कभी कभी तो विशेषानन्द भी प्राप्त होता है किन्तु वह आनन्द कृत्रिम होता है । घण्टों माथा-पच्ची करने का मिहनताना (पारिश्रमिक) मर होता है । उन्में रस प्रसूत काव्यानन्द का लेशमात्र भी नहीं रहता । पहेली में प्रायः प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों वाच्य ही होते हैं जैसा कि अन्तिम उदाहरण से स्पष्ट है । अतः व्यंजनयावबोध तो पहेली से बहुत दूर की वस्तु है । पहेली में केवल श्लेष तथा उनकी व्याख्या मर का महत्व है ।

रूपकात्मक साहित्य के तीनों वर्गों का तुलनात्मक विवेचन समाप्त हो चुका और अब हम इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि प्रतीक-आख्यान तथा पहेली, इन तीनों ही काव्यांगों के ही अपने-अपने पृथक् क्षेत्र हैं । अन्योक्ति से इनका साम्य केवल आरोपण क्रिया के ही कारण है, किन्तु जहां तक अन्योक्ति के स्वरूपाधायक अन्य तत्त्वों का प्रश्न है, वे या तो प्रतीकादि में हैं नहीं और यदि हैं भी तो अनुचित रूप से निबद्ध किये गए हैं ।

अध्यायोपसंहरण के पूर्व ही अन्योक्ति के अन्य पर्यायों पर भी थोड़ा विचार सक्षेप में ही कर लेना आवश्यक है । 'सक्षेप' में कहने से विशेषः अमिप्रायः यह है कि संस्कृत-काव्यशास्त्र के जिन-जिन आचार्यों ने उन-उन पर्यायों की उद्भावना की है, उनके अंशमपि-वृत्त-प्रसंग-में-ही प्रसंग में तो इनका सर्वांगीण विवेचन होगा ही । अन्योक्ति नाम ही ग्रहण करने के लिए उपस्थापित वृत्त प्रसंग में ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्योक्ति नाम नवम् शती में आचार्य रुद्रट द्वारा ही सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया । किन्तु साद्योपलब्धियों से ऐसा ज्ञात होता है कि आचार्य रुद्रट के पूर्व तथा बाद में भी अन्योक्ति के अनेक पर्याय प्रचलित रहे । रुद्रट के पूर्ववर्ती प्रचलित पर्यायों में मुख्यतः तीन नाम आते हैं -- अन्यापदेश, अप्रस्तुत-प्रशंसा तथा समासोक्ति । इसी प्रकार बाद में प्रचलित नामों में भी मुख्यतः तीन हैं -- अन्यापदेश, उभयोक्ति तथा प्रस्ताव ।

'अन्यापदेश' शब्द का प्राथमिक उल्लेख आचार्य भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र के षोडशाध्याय में आया है । भरत ने चार अलंकारों के साथ ही साथ काव्य-रचना के लिए अनुकरणीय तत्त्वों के रूप में ३६ लक्षणों को भी उल्लेख किया है । उनमें से

'मनोरथ' नाम का लक्षण पूर्णतः परवर्ती अप्रस्तुत-प्रशंसा के ही रूप का है । अतः मनोरथ लक्षण को ही अन्योक्ति का प्रधान उल्लेख माना जा सकता है । चूंकि भरत ने लक्षणों एवं अलंकारों का पृथक् व्याख्यान किया है अतः इन पृथक्करण के पीछे उनकी कुछ न कुछ विवेक बुद्धि अवश्य रही होगी । इन्हीं तथ्य को ध्यान में रखकर हम 'मनोरथ' को अप्रस्तुत प्रशंसा का पर्याय नहीं मान सकते । किन्तु 'मनोरथ' लक्षण की परिभाषा में आचार्य ने 'अन्यापदेश कथनो' का जो उल्लेख किया है, वह अन्योक्ति पर्याय की दृष्टि से अवधेय तथा ग्राह्य है^१ ।

अन्यापदेश का शाब्दिक अर्थ है -- 'अन्योक्ति' । 'अन्यापदेश कथनो' के प्रामाण्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य भरत के पूर्व भी समाज में भावाभि-व्यक्ति की कोई विशिष्ट प्रणाली अवश्य प्रचलित थी, जिसमें लोग अपनी बात (प्रस्तुत) को सीधे न कहकर किसी अन्य (अप्रस्तुत वाच्य) के बहाने प्रकट करते थे । यही अन्यापदेश आधुनिक अन्योक्ति का प्राचीनतम रूप है । संस्कृत साहित्य का प्रथम संग्रह ग्रन्थ सुभाषित-रत्नकोष (१२वीं शती) है, जिसमें अन्यापदेश-व्रज्या का ही उल्लेख है । इसी प्रकार सदुक्तिकर्णामृत में -- 'अपदेशप्रवाह' (१३वीं शती) सूक्ति-मुक्तावली में अन्यापदेश पद्धति (१३ वीं शती) तथा सुभाषितावली में भी 'अन्यापदेश पद्धति (१५वीं) के नाम से अन्योक्तियों का संकलन किया गया है । अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि अन्यापदेश का अर्थ संग्रहकारों ने अन्योक्ति से ही लगाया था । इस विषय में अन्य ज्ञातव्य बातें अगले अध्याय में स्पष्ट की जायगी ।

'अप्रस्तुत प्रशंसा' नाम सर्वप्रथम आचार्य भामह द्वारा (५वीं, छठीं शती) ग्रहण किया गया । यह वह समय था, जब सर्वप्रथम भारतीय अलंकार-शास्त्र के इतिहास में अन्योक्ति अलंकार रूप में हमारे समक्ष आई । भामह के बाद दण्डी (७वीं शती) ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अप्रस्तुतस्तोत्र के रूप में इसी नाम को ग्रहण किया, किन्तु उनकी अप्रस्तुतप्रशंसा, भामहिय

१- हृदयस्थस्य भावस्य सुश्लिष्टार्थं प्रदर्शनम् ।

अन्यापदेश कथनैर्मनोरथइति स्मृतः ॥ नाट्य० अ० १६

२- अमराः शृंगारचट्ट अपदेशोच्चावच्रे अपि क्रमशः ।

इति पंचमिः प्रवाहै सदुक्ति कर्णामृतं क्रियते ॥ प्रस्तावना का पांचवां पद्य ।

से सिद्धान्तः सर्वथा पृथक् है। क्यो कि

दण्डी

अप्रस्तुत-प्रशंसा (या अप्रस्तुत-प्रशंसा) मानह श्रीरामप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार को समासोक्ति का ही वैकल्पिक भेद मानते थे । मौज ने परस्वती-कण्टामरग में (४।२) में इसे अप्रस्तुतस्तुति कहा है किन्तु उनकास्तद्विषयक मस दण्डी के ही अनुकूल है । दण्डी के बाद उद्दमत तथा वामन (८ वीं शती) ने, वक्रोक्ति-जीवित-कार कुन्तक ने (१०म शती) और बाद में अधिकांश मम्मटोत्तर कालीन आचार्यों ने भी अन्योक्ति के इसी पर्याय का मान्यता दी । किन्तु मामह-सम्मित अप्रस्तुत० को ही !! न कि दण्डी सम्मित अप्रस्तुत० को । (आचार्य रुद्रट ने नवीं शती में सर्वप्रथम अन्योक्ति नाम की स्थापना की । इस विषय में अपेक्षित व्याख्यान स्म अध्यायारम्भ में प्रस्तुत किया जा चुका है)

समासोक्ति पर्याय का अन्योक्ति के लिए प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य दण्डी ने ही सातवीं शती में किया था । दण्डी के पूर्व प्रस्तुत वाच्य द्वारा अप्रस्तुत का व्यंग्य का व्यंजनयाबोध होने के कारण तथा संज्ञाप में उक्ति होने के कारण समासोक्ति अलंकार माना गया था । इसी प्रकार अप्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत व्यंग्य का व्यंजनयावबोध होने के कारण अप्रस्तुत-प्रशंसा मानी जाती थी । किन्तु दण्डी ने इस पार्थक्य को स्वीकार नहीं किया । शायद इसलिए कि इन दोनों ही अलंकारों में तकनीक एक ही रहती है । यदि प्रस्तुत से अप्रस्तुत का व्यंजनया बोध होने में समासोक्तित्व या संज्ञापकथनत्व है तो अप्रस्तुत० में क्यों नहीं । जब कि उसमें भी अप्रस्तुत से प्रस्तुत का व्यंजनया बोध ही होता है । अतः एक में समासोक्ति मानना और दूसरे में न मानना -- यह पार्थक्य संभवतः दण्डी को कृत्रिम-सा प्रतीत हुआ । इसी कारण उन्होंने अप्रस्तुत-प्रशंसा को भी समासोक्ति में मिला दिया । अब समासोक्ति के दो विकल्प हो गए -- चाहे प्रस्तुत से अप्रस्तुत का व्यंजनयाबोध हो ^{चाहे उसका प्रतीप, किन्तु} दोनों ही दशाओं में समासोक्ति ही होगी । दण्डी ने अप्रस्तुत-प्रशंसा को एक नवीन रूप दिया-अप्रस्तुत की प्रशंसा से जहां प्रस्तुत की निन्दा का व्यंजनया बोध होता है वहां अप्रस्तुत० होगी । यद्यपि असंख्य अन्योक्तियां ऐसी भी हैं, जिनमें कि दण्डी का यह लक्षण घटित होता है, अतः वे भी एक विशिष्ट रूप की अप्रस्तुत-प्रशंसा हैं । आगे चलकर मौजै ने भी ^{इसी} समासोक्ति-पर्याय को ग्रहण किया ।

१- अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकृतान्तैश्च या स्तुतिः । २।३४०। सुखं जीवन्ति हरिणाः आदि।

--२।३४१

सैयमप्रस्तुतैवात्प्रगृह्यतिः प्रशस्यते राजानुवर्तनकलेशनिर्विण्णन मनस्विना । २।३४२

अन्योक्ति तथा उभयोक्ति पर्याय मौज ने स्वीकार किया है^१। मौज ने समासोक्ति पर्याय दण्डी के अनुकरण पर स्वीकार किया था। इसी का उन्होंने स्वतंत्र विवेचन करते हुए उन्होंने अन्योक्ति अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति को भी समासोक्ति का ही अभिधान विशेष माना। इसका विस्तृत व्याख्यान आगे प्रसंगानुसार किया जायेगा।

प्रस्ताव का अर्थ होता है विषय। आष्टे साहब के मतानुसार—

The occasion of a discourse, subject, topic. (Student's Sans. Eng. Dictionary, Bombay) 1922.

अर्थात् जो प्रस्तुत किया जाय वही 'प्रस्ताव' है। किन्तु यह शब्द लक्षणया अन्योक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता हुआ रहा है। संवत् १६१४ में लिखित प्रस्तावरत्नाकर (हरिदाम द्वारा) में अन्योक्ति का भी प्रस्ताव रूप में निबन्धन किया गया। पण्डितराज जगन्नाथ ने भी (सत्रहवीं शती) अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मामिनी-विलास' में अन्योक्तियों के वर्णनार्थ 'प्रास्ताविक-विलास' का ही उल्लेख किया है। यदि वे शृंगार, करुण तथा शान्त विषयों (Topics) को भी प्रास्ताविक में ही रखते हों तो 'प्रस्ताव' शब्द से केवल अन्योक्ति के बोध में कष्टकल्पना होती। किन्तु पण्डितराज ने केवल अन्योक्तियों के ही लिए प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया। इससे सिद्ध होता है कि प्रस्ताव शब्द से उनका तात्पर्य साधारण विषय (Usual topic) मात्र से नहीं था (नहीं तो उस दशमेशृंगारादि विषय भी उसी शीर्षक में आते) वरन् स्पष्टतः अन्योक्ति से था।

इन युक्तियों के आधार पर हमें 'प्रस्ताव' को भी अन्योक्ति का ही पर्याय स्वीकार करने में कोई दुविधा न होनी चाहिए। डा० संसारचन्द्र जी ने 'सूफी साहित्य के मर्मज्ञ' डा० चन्द्रबली पाण्डेय का प्रामाण्य देते हुए 'परोक्ति-सन्ध्योक्ति तथा गर्भोक्ति' को भी अन्योक्ति के पर्यायरूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु ये पर्याय सर्वथा अप्रामाणिक तथा मनगढ़न्त हैं साथ ही साथ उक्त हिन्दी-विद्वानों द्वारा किसी ग्रन्थ विशेष की दृष्टि से ही उद्भावित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें स्वीकार करना असम्भव है।

१- द्रष्टव्य -- सरस्वती कण्ठाभरण ४।४७-४९।

२- हस्तलिखित प्रति राव मुकुन्द सिंह द्वारा (बूंदी) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग को सन् १९५६ में भेंट। प्रति की संख्या ६५४।

प्रस्तुत शती (२० वीं) में ही विद्वान् श्री महालिंगशास्त्री जी ने 'व्याजोक्ति-रत्नावली' नामक अपने अन्योक्ति-ग्रन्थ में स्वरचित १२५ अन्योक्तियों का संकलन किया है। ग्रन्थ के शीर्षक से यह सिद्ध हो जाता है कि यदि 'व्याजोक्ति' को 'अन्योक्ति' का ही पर्याय स्वीकार करता है। किन्तु 'व्याजोक्ति' को 'अन्योक्ति' का पर्याय मानना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 'संस्कृत काव्यशास्त्र' में 'व्याजोक्ति' अन्य अलंकारों की ही भांति, एक महत्त्वपूर्ण एवं स्वतन्त्र नवा वाली अलंकृति रही है। अन्योक्ति अथवा 'अप्रस्तुतप्रशंसा' से उसका मौलिक भेद है। अतः उसे अन्योक्ति का पर्याय मानना असम्भव है।

पम्भवतः कवि ने 'व्याजोक्ति' का व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखकर ही उसे 'अन्योक्ति' का पर्याय मान लिया है। क्योंकि 'व्याज' का अर्थ होता है 'बहाना या अपदेश' इसलिए 'व्याजोक्ति' का तात्पर्य हुआ, 'बहाने से कुछ कहना'। और 'अन्यापदेश' या 'अन्योक्ति' में भी 'अपदेश' से ही कथन होता है। यद्यपि ये विचार कुछ भावसाम्य अवश्य रखते हैं, फिर भी पूर्वाचार्यों द्वारा प्रचलित, अन्योक्ति के पूर्वोक्त अनेक पर्यायों के रहते हुए 'व्याजोक्ति' जैसी नवीन एवं भ्रामक संज्ञा को उसका पर्याय मानना ठीक नहीं है। अतः 'व्याजोक्ति' एवं 'अन्योक्ति' को पृथक् ही समझना चाहिए। एक तथ्य यह भी अवधेय है कि अन्योक्ति के जन्म से लेकर अद्यावधि, लगभग दो सहस्र वर्षों में किसी भी आचार्य अथवा कवि ने 'व्याजोक्ति' का प्रयोग 'अन्योक्ति' के लिए नहीं किया है। अतः किना किसी ठोस आधार के, नवीनता को स्वीकार कर लेना ठीक नहीं। कवि ने स्वयं भी ग्रन्थ की भूमिका में, इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला है, हाँ 'अन्यापदेश' शीर्षक का उल्लेख करते हुए उसने अन्योक्ति का सिद्धान्त अवश्य स्पष्ट किया है।

द्वितीय अध्याय

-०-

आचार्य भरत का लक्षण-सिद्धान्त

तथा

अन्योक्ति का उद्भव

द्वितीय अध्याय

-0-

आचार्य भरत का लक्षण-सिद्धान्त

तथा

अन्योक्ति का उद्भव

काव्यतत्त्वों की रूपरेखा हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होने लगती है । विशेष करके छन्दोविधान तथा उपमा-रूपक प्रभृति अलंकार, जिनका विवेचन निरुक्तकार आचार्य यास्क ने (ई०पू०७०० ई०) द्रष्टव्यः किया है, इसके स्थायी प्रमाण हैं^१ । इसी प्रकार महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा बादरायण के ब्रह्मसूत्रों में निबद्ध अलंकार-व्याख्यान भी इस मत की पुष्टि करते हैं कि काव्य-तत्त्व अपने बीज रूप में वैदिक ऋचाओं के साथ ही निक्षिप्त हो चुके थे^२ । इन्हीं तत्त्वों का अंकुरण अथवा विकास ईसा पूर्व द्वितीय शती में हुआ ।

भरत मुनि प्रणित 'नाट्य-शास्त्र', जिसे छत्तीस अध्यायों वाला होने के कारण 'षट्त्रिंशक भरतसूत्र' भी कहा जाता है, इसी युग की एक महान् कृति है । यद्यपि बहिरंग दृष्टि से तो यह ग्रन्थ केवल 'नाट्य' से ही सम्बद्ध प्रतीत होता है, किन्तु जैसा

१-अथात् उपमा।यदेतत् तत्सदृशमिति गार्ग्यः ।तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन वा प्रख्यात्तेन वा कनीयास वा अप्रख्यात वा उपमिमीते, अथापि कनीयसा ज्यायासम्-- निरुक्त ३।१३ ।

२-सविस्तर द्रष्टव्य-- निरुक्त ३।१८ तथा ब्रह्मसूत्र १।४।१ एवं ३।२।१८ ।

३-द्रष्टव्य-- 'षट्त्रिंशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्वन्' (अमि०भा० पद्य-२)

कि डा० एस०पी० मट्टाचार्य जी ने सिद्ध किया है, इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाट्येतर काव्य-भेदों तथा अंगों से भी है। यही कारण है कि आचार्य भरत का 'काव्य' शब्द प्रयोग सर्वत्र उभयार्थ का द्योतक है, अर्थात् नाटक तथा महाकाव्यादि वर्ग दोनों।

प्रस्तुत अध्याय इसी नाट्यशास्त्र पर आधारित है। पिछले अध्याय में अन्योक्ति के पर्याय विशेष (अन्यापदेश) का व्याख्यान करते समय यह तथ्य सुस्पष्ट किया जा चुका है कि 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' के रूप में अन्योक्ति का उद्भव आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में ही हुआ, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में नहीं। क्योंकि प्रत्यक्षात् तो भरत ने केवल चार अलंकारों की स्थापना की-- उपमा, रूपक, दीपक और यमक। किन्तु यह तथ्य सिद्धान्ततः सत्य है कि भरत ने परवर्ती युग में प्रख्यात यमस्त अलंकारों की सत्ता स्वीकार की थी। जैसे कोई विदग्ध गणितज्ञ अपने अबोध विद्यार्थी को एक ही उदाहरण में 'ऐकिक नियम' समझाकर, यमस्त प्रश्नमाला हल करने का दायित्व उसी पर छोड़ दे, ठीक उसी प्रकार आचार्य भरत ने केवल 'अलंकार-चतुष्टय' का उदाहरण देकर प्रपञ्च का भार अपने अनुवर्तियों पर छोड़ दिया। इस चतुर्मुखालंकार को शतमुख बनाने के लिए उन्होंने लक्षण रूपी ऐकिक नियम की रचना की। इस स्थल पर इसी लक्षण के विषय में एक अभिनव दृष्टिकोण से कुछ सामग्री देने की चेष्टा की जा रही है। क्योंकि मान्यता है कि अन्योक्ति का उद्भव लक्षणों के ही अन्तराल से हुआ। कुछ लक्षण तो आंशिक रूप से इसके उद्भव में सहयोगी बने और कुछ सहयोगी न बनकर प्रत्यक्षात् इस (अन्योक्ति) रूप में आ गए। वस्तुतः वे सर्वात्मना, अन्योक्ति के ही घटक अंगों से युक्त थे।

लक्षण उसी प्रकार काव्य के तत्त्व विशेष हैं, जैसे छन्द, वृत्त, रस, भाव, दोष, गुण तथा अलंकार आदि। ये काव्यतत्त्व यद्यपि परवर्ती आलंकारिकों के नियामक बुद्धि-वैभव में पड़कर, सण्डित, संकुचित, मर्यादित तथा निश्चितप्राय हो गए, किन्तु आचार्य भरत के युग में उनका व्यापित्क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था। यही कारण है कि उन्होंने नाट्यशास्त्र के व्याख्यानसन्दर्भ में भी पूर्वप्रोक्त इन काव्यांगों का सापेक्ष

१- द्रष्टव्य-- 'पूना ओरियण्टलिस्ट' भाग १६ में मट्टाचार्य जी का लक्षण विषयक निबन्ध (सन् १९५१ई०)।

वर्गों में प्रस्तुत किया । इसका स्वभाव प्रमाण यही है परवर्ती युग में इन काव्यतत्त्वों की मंजुल-समष्टि स्थायी न रह सकी , खण्डित हो गई । इनमें से कुछ तत्व तो महाकाव्य और नाटक (श्रव्य एवं दृश्य काव्य) दोनों में व्याप्त रहे, किन्तु कुछ, उभयनिष्ठ होते हुए भी एक ही क्षेत्र में रूढ़ हो गए । काव्यतत्त्वों के इस वर्गीकरण का मूल कारण आचार्यों की 'भेदबुद्धि' अथवा 'काव्य-विभाजन' ही था । उभयनिष्ठ काव्यतत्त्वों में हम कन्द, वृत्त तथा रस, भावादि को तथा स्कनिष्ठ काव्यतत्त्वों में गुण-दोष तथा अलंकार को ले सकते हैं ।

शेष बचे लक्षण , जिनका स्वरूप ही सुस्थिर न हो सका । लक्षणों के विषय में, अस्थिरता का मूल कारण यह था कि १- आचार्य भरत ने अन्यकाव्यतत्त्वों की तरह लक्षणों की कोई परिभाषा नहीं दी और न उनका स्वरूप स्थिर किया ।

२- चूंकि आचार्य भरत का दृष्टिकोण काव्य के दायरे में, दृश्य एवं श्रव्य के भेद से परे रहा और चूंकि लक्षणों में स्थान-स्थान पर प्रबन्धगत तथा अभिनयगत वैशिष्ट्य भी निबद्ध किये गये हैं, अतः परवर्ती विद्वानों को यह स्पष्ट ज्ञान न हो सका कि लक्षण वास्तुतः महाकाव्य के आधारतत्त्व हैं अथवा नाटक के ? यह उभयकोटिक मतवैषम्य, मामह के ही युग से अपरिस्फुट रूप में कन्दलित हुआ तथा च साहित्यदर्पणकार के बाद तक किंवा अद्यावधि, स्फुट रूप में उसी प्रकार विद्यमान है ।

ऐसी दशा में आज के प्रत्येक संस्कृत काव्यरसपिपासु तथा अनुसन्धित्सु के लिए 'आचार्य भरत का लक्षण सिद्धान्त' एक चुनौती है । भरत के पूर्व लक्षणों की क्या स्थिति थी, लक्षणों के विषय में स्वयं लक्षणकार की क्या मान्यता थी, क्या दृष्टिकोण था ? संस्कृतकाव्यशास्त्र में लक्षणों का क्या स्थान है और क्या दायित्व है ? ये सब-के-सब प्रश्न, अत्यन्त जटिल , दुर्बोध किन्तु अमसाध्य तथा रोचक हैं । इसी कारण, देश के परतन्त्र रहने पर भी शोध-प्रेमी अंग्रेज़ मनीषियों द्वारा प्रेरणा एवं बल पाकर भारतीय विद्वानों ने इस ओर प्रयास प्रारम्भ किया और अज्ञानगर्त में डूबी, जाने कितनी ही कृतियों का उद्धार किया । मास जैसी समस्यायें, वैदिक साहित्यानुशीलन तथा कालनिर्धारण सरीखे महान् कार्य, इसी शोधोन्मुखी प्रवृत्ति के पवित्र परिपाक हैं । लक्षणों के विषय में भी किसी-न-किसी अंग या पक्ष को लेकर

अनेक संस्कृत विद्वानों ने श्लाघ्य जानकारियां प्रस्तुत कीं । डा० के० कृष्णमूर्ति^१, प्रो० शिवप्रसाद मट्टाचार्य^२, डा० सुशीलकुमार डे^३, डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी^४, डा० वी० राघवन^५, डा० गणेशचन्द्र देशपाण्डे तथा अन्य आधुनिक विद्वानों के नाम उसी कोटि में हैं जिनके अनवरत प्रयत्नों के ही कारण 'लक्षणों' का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा बोधगम्य हो सका ।

किन्तु उपर्युक्त विवरण का न तो यही तात्पर्य है कि 'लक्षणों' के सिद्धान्त पर अब कुछ कहना शेष नहीं रहा और न ऐसी कोई सम्भावना ही है कि इन विद्वानों के स्तद्धिषयक मत स्वात्मना ग्राह्य तथा विशुद्ध हैं । क्योंकि इन समस्त बालोचकों ने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही लक्षणों का व्याख्यान किया है, किसी को लक्षणों का इतिहास बताना इष्ट रहा तो किसी को 'दशपदा' का विवेचन । कोई लक्षणालंकार पर केन्द्रित रहा तो कोई उसके काव्यशास्त्रीय गौरव पर । इसी कारण उक्त सुधीजनों के व्याख्यान स्कांगी से प्रतीत होते हैं । दूसरी बात यह कि उल्लिखित विद्वानों में से प्रत्येक ने प्रायः निरपेक्ष रूप से भरत एवं अभिनव के शब्दों को विशद करने का यत्न किया है, अतः वे पारस्परिक मतालोचन से या तो स्वीकृतिवश अथवा किसी विवशता के कारण दूर रहे हैं । मट्टाचार्य जी ने डा० राघवन् के दशपदा व्याख्यान तथा क्रम का, जो कुछ खण्डन प्रस्तुत भी किया है, वह किसी शोधपरक जिज्ञासा को उद्भावित करने में समर्थ नहीं । इस दृष्टि से डा० देशपाण्डे के मत अवश्य ही कुछ अधिक मौलिक तथा स्वीकार्य हैं ।

अतः इस स्थल पर लक्षणों पर केवल उसी मात्रा तक विचार किया जायगा, जिससे अलंकारों के विकास के प्रति उनका दायित्वपूर्णतः स्पष्ट हो जाय । इस नियमित दृष्टिकोण के कारण लक्षणों का ऐतिहासिक पक्ष, हम इस प्रसंग से दूर रखते हैं ।

१- 'Bharata's Theory of Rasa' an article in the 'Poma Orientalist', Vol. XII, 1947.

२- 'The Doctrine of Rāksamas and a peep into its chequered History.' " " Vol. XVI, 1951.

३- 'The Problem of Poetic Expression' an essay in his book 'Some Problems of Sans. Poetics. Calcutta, 1959.

४- 'Concepts of Riti and Guna in Sans. Poetics in their Historical Development. (thesis) Dacca, 1937

५- 'The History of Rāksama' an essay in his book 'Some Concepts of the Alamkāraśāstra' Adyar, 1942.

६- 'Bhāratīya Sāhitya Śāstra (first three Chapters.) - Bombay 1960.

काव्यतत्त्वों के विषय में प्रास्ताविक अनुच्छेद में कुछ ज्ञातव्य बातें बताई गई हैं । आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र अधिकांशतः नाटकीय तत्त्वों (रंग-नण्डप, नृत्य तथा अभिनयादि) से ही सम्बद्ध है, तथापि बीच-बीच में यथास्थान काव्यतत्त्वों या मौलिक विवेचन भी इसमें प्राप्त होता है । छठे एवं सातवें अध्याय में क्रमशः रस तथा भाव का निरूपण, तेरहवें में आवन्ती-दाक्षिणात्या, पांचाली आदि प्रवृत्तियों का वर्णन, चौदहवें तथा पन्द्रहवें अध्याय में हृन्द-वृत्त-व्याख्यान और सोलहवें अध्याय में काव्य के लक्षण, अलंकार, गुण तथा दोष का मनोरम व्याख्यान, आचार्य भरत ने प्रस्तुत किया है । इस प्रकार छठे से लेकर सोलहवेंके बीच स्थित यह 'षडाध्यायी' काव्यतत्त्वों के विवेचन की आधार-शिला है । यहीं के रस-भाव निरूपण, भरवती युग में ध्वनिदार-लोचनकार तथा काव्य प्रकाशकार द्वारा परिनिश्चित एवं परिमार्जित होकर रसध्वनि तथा भावध्वनि की मान्यता प्राप्त करके, काव्य की आत्मा बन सके । यहीं की प्रवृत्तियाँ, आचार्य वामन की रीतियाँ बनकर 'रीतिरात्माकाव्यस्य' का मन्द्रघोष गुंजा सकीं । इसी प्रकार भरत प्रोक्त अलंकार-गुण तथा दोष ही कुवलयानन्दकार (अप्पय दीक्षित, १७वीं शती ई०) के युग तक शतादिक एवं अपरिमेय बन गए ।

लक्षणों के विषय में, आचार्य भरत ने कोई निर्णयात्मक तथ्य नहीं दिया है । पन्द्रहवें अध्याय के चरम श्लोक में उनका केवल यही कहना है कि 'इस प्रकार नाना हृन्दों से उत्पन्न वृत्तों द्वारा, कृतीस लक्षणों से समन्वित काव्यबन्ध, प्रणीत करना चाहिए' (प०२२७) सोलहवें अध्याय के प्रारम्भ में ही पुनः तीन उपजातियों में इन लक्षणों को गिना कर आचार्य ने कहा है -- 'भूषण स्वरूप से कृतीस लक्षण, जो विशिष्ट भावार्थों (अभिप्रायों) के ज्ञापक या द्योतक हैं, काव्यों में सम्यक् रीत्या प्रयोजित होने योग्य हैं । किसके द्वारा और किस तरह ? 'तज्ज्ञैः' 'तज्ज्ञैः' अर्थात् जहाँ जैसा रस हो, उसी रूप में ।

-
- १- वस्त्वलंकारावपि शब्दाभिधेयत्वमध्यासात् तावत् । रसभावतदामासतत्प्रशमाः
पुनर्नकदाचिदभिधीयन्ते, अथ चास्वाध्मात्प्राणतया मान्ति । तत्र ध्वननव्यापाराहृते
नास्ति कल्पनान्तरम् (लोचन, रसध्वनि प्रसंग)
 - २- द्रष्टव्य-- अप्पय दीक्षित प्रणीत कुवलयानन्द; कुल ११५ अलंकार ।
 - ३- 'वृत्तैरेव' तु विविधैर्नानाहृन्दस्समुद्भवैः काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणान्विताः
--ना० पृष्ठ२६२ (अध्याय १५)
 - ४- षट्त्रिंशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि ।
काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञैः सम्यक्प्रयोज्यानि यथारसं तु ॥
--नादय० १६।४, पृष्ठ २६५ ।

आचार्य भरत के इन संकेतों में लक्षण के विषय में स्थूल रूप में कुछ तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं -- (१) लक्षण काव्य में भावार्थ (अथवा अभिप्राय) के सूचक हैं ।

(२) लक्षणों का सम्बन्ध किसी भी रूप में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में) रसों से अवश्य होता है । तथा

(३) लक्षण-भूषण-गन्तव्य अर्थात् काव्यबन्ध के शोभाजनक तत्त्व हैं ।

इन युक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य भरत ने लक्षणों को गुण, अलंकार आदि से सर्वथा विलक्षण समझा था । क्योंकि यदि लक्षणों तथा अन्य काव्यतत्त्वों के पारस्परिक अतिक्रमण (*overlapping*) का कोई भी भय होता तो लक्षणकार स्वयं उसे स्पष्ट करते । लक्षणों की सुदृढ़ स्थिति जानने के लिए हम, 'अभिनव-भारती' को ही प्रमाण मान सकते हैं । आचार्य अभिनव गुप्त ने समस्त षोडशाध्याय में, लक्षणों को विविध रीतियों से समझाने का यत्न किया है, और उन समस्त प्रयत्नों का मार यही है कि लक्षण काव्य का शरीर है । काव्य में लक्षणों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अभिनव-प्रासाद का दृष्टान्त लेते हैं, जिनकी तुलना इस प्रकार है^१ :--

१- प्रासाद

२- काव्यबन्ध

- क- भूमि (जो प्रासाद का आधारस्थल है) -- शब्दच्छन्दोविधि (जो काव्य का आधारस्थल है)
 ख- क्षेत्रपरिग्रह (प्रासाद की रूपरेखा-नक्शा) -- वृत्तसमाश्रयादि (काव्य की रूपरेखा-नक्शा)
 ग- भित्ति (जो वास्तव में प्रासाद का सर्वस्व--लक्षण (जो वास्तव में काव्य का सर्वस्व है) है शरीर होने के कारण ।) काव्य शरीर होने के कारण ।
 घ- चित्रकर्म (प्रासाद के शोभाधायकतत्त्व-गौण) -- गुणालंकार (काव्य के शोभाधायक, गौणतत्त्व)
 ङ०-गवाक्षवातायनादि (प्रासाद को उपयोगी -- दशरूपविभाग (काव्य को उपयोगी बनाने-बनाने वाले तत्त्व) वाले तत्त्व ।)

लक्षण को काव्यशरीर मान कर (जो कि वस्तुतः वही है) आचार्य अभिनव ने समस्त आशंकार्य निरस्त कर दी हैं । किन्तु लक्षण काव्य शरीर कैसे है ? यह विषय

१-सविस्तर द्रष्टव्य--'अभिनवभारती' (१५।२२७)पृष्ठ २६२ ।

गम्भीर विवेचन का है, जिस पर पूर्व शोधकर्ताओं ने प्रायः कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला है। इसी कारण एक नवीन दृष्टि से इस वाक्य की व्याख्या अदेक्षित है।

'लक्षण' को शब्द एवं अर्थ का संयुक्त रूप मानना चाहिए। मिट्टी पर ही मकान बनता है और मिट्टी की ही दीवाल भी होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दार्थ रूपी आधार स्थल पर ही शब्दार्थ-मय, लक्षण नामक शरीर वाला काव्यसौध भी बनता है। आचार्य भामह के युग तक लक्षणों की प्रामाण्य ही चली थी, उनका स्वरूपलक्षण विनष्ट हो गया और केवल तटस्थ-लक्षण ही परिलक्षित रहा, अन्यथा भामह को 'शब्दार्थो काव्यम् न क्व कर के 'लक्षणमेव काव्यम्' कहना चाहिए था। काव्य की यह परिभाषा उतनी ही तर्कसंगत एवं सुस्थिर होती जितनी कि भामहोपदिष्ट परिभाषा है, क्योंकि लक्षण का तात्पर्य 'शब्दार्थसमष्टि' से है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि शब्दार्थ काव्य अवश्य है किन्तु खण्डावबोध होने के कारण काव्य लक्षण में उसका विशेष औचित्य नहीं है। अतएव, जिस प्रकार रक्त-मज्जा-मांस एवं अस्थिसूह, सब शरीर के आधारतत्त्व होते हुए भी पृथक् पृथक् रूप में मनुष्य नहीं है, वरन् उन चारों का समष्टिरूप शरीर ही चेतनात्मा से अनुप्राणित होकर 'मनुष्य' कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण-सहोदर, रस रूपी आत्मा से समन्वित (शब्द-अर्थ सरीसृप घटक तत्त्वों की समष्टि से निर्मित) तथा लक्षण रूपी शरीर वाला प्राणी ही काव्य है^१।

अभिनव लक्षणों की व्याख्या और अधिक मनोयोग देकर करते हैं।

'लक्षण काव्य शरीर है' क्यों, क्योंकि शब्दार्थ ही काव्य-रचना होती है और 'लक्षण' भी शब्दों एवं अर्थों की 'समष्टि-मात्र' है। तब फिर हम 'लक्षणों' को काव्य से पृथक् कैसे मान सकते हैं? अतः निश्चित है कि लक्षण एवं काव्य का भेद, किसी सूक्ष्म तत्त्व के ही कारण है और वही सूक्ष्मतत्त्व है, अभिनवगुप्त का 'त्रिविध-अभिधा व्यापार' ॥ काव्य की आत्मा (अर्थ) तो रस है, यह आचार्य भरत स्वयं

१- काव्य के 'मानवीकरण' (Personification) का यह प्रयास महाकवि

राजशेखर के सिद्धान्त पर आधारित है। द्रष्टव्य--

यदेतद्वाङ्मयं विश्वमथ मूर्त्या विवर्तते ।

सौऽस्मि काव्यमुमानम्ब पादौ वन्देय तावकौ ॥आदि

(काव्य मीमांसा)

स्वीकार करते हैं, तथा अभिनव आदि ने भी (रर) ध्वनि के रूप में इय तथ्य को स्वीकार किया। किन्तु जैन काव्यात्मा रर की अनुमति में 'साधारणीकरण' आदि व्यापार उपयोगी हैं, ठीक उगी प्रकार 'काव्यशरीर' (लक्षण) की रचना में भी कोई न कोई व्यापार अवश्य होगा? यदि हम काव्य शब्द की व्युत्पत्ति पर अवधान दें तो यह तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जायगा। अभिनव के प्रम प्रामाण्यानुसार ही वर्णनीय, शब्दनीय अथवा 'कविकर्म' होने के ही कारण किसी रचना को 'काव्य' कहते हैं। वर्णनीय क्या है? अभिधेय (अर्थात् अर्थ) क्योंकि अर्थ का ही व्याख्यान सम्भव होता है न कि शब्द का। 'शब्दनीय' अर्थात् उच्चारण करने योग्य क्या है? अभिधान (अर्थात् शब्द या संज्ञाविशेष) अर्थात् जिस शब्द द्वारा बुला सकें। 'कवि कर्म' क्या है? अभिधा (अर्थात् व्यापार विशेष) क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यष्टि से न होकर समष्टि से है।

उदाहरणार्थ जब हम किसी व्यक्ति को 'राम' (उसका अभिधान) कह कर बुलाते हैं तो वह शब्दनीय होने के कारण अभिधान व्यापारयुक्त होता है। जब हम 'राम' में बहुत थक गया हूँ, के रूप में (अन्वित रूप से) एक अर्थ-विशेष की अभिव्यक्ति करते हैं तो वर्णनीय होने के कारण वहाँ 'अभिधेय रूप व्यापार' होता है। इसी प्रकार जब हम महाकवि कालिदास कृत 'कुमार संभव' (सर्ग ६, श्लोक ८४) में स्थित --

स्वं वादिनिदेवर्षीं पार्श्वं पितुरधोमुखीं

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वतीं

के रूप में कोई कविता पढ़ते हैं तो वहाँ कविकर्म होने के कारण ही अभिधा-व्यापार होता है (यहाँ अभिधा को हम एक प्राथमिक तथा मौलिक शब्दशक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लक्षणतः स्वं व्यंजना का आधार अभिधाही है)

उपर्युक्त उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि शब्द-अर्थ तथा कविकर्म (जो कि शब्दार्थ से पृथक् नहीं) में अभिधान-अभिधेय तथा अभिधा रूप व्यापार ही उपयोगी

१- इह काव्यार्था रसा इत्युक्तं प्राक् । उक्तं च वर्णनीयं शब्दनीयं कवेः कर्मेति च व्युत्पत्तित्रयं काव्यमिति । अनेनाभिधेयमभिधानमभिधा च स्वीकृत्यावस्थीयते, अपि च शब्दव्यापारोऽभिधातुव्यापारः प्रतिपाद्यव्यापारश्चेति त्रिगतः (अभिनव मा०

बनते हैं, अर्थप्रतीति कराने के लिए। किन्तु यदि हम तात्त्विक दृष्टि से विचार करें तो यह तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि -- शब्द तथा अर्थ 'कविकर्म' में ही अन्तर्भूत हैं, क्योंकि 'कविता' शब्दों एवं अर्थों से ही प्रणत होती है। महत्त्व केवल (त्रिविध कवि कर्म का) त्रिविध अभिधा-व्यापार का ही है। आचार्य अभिनव स्पष्टतः अपना निर्णय प्रस्तुत करते हैं-- यस्तु त्रिविधोऽप्यभिधाव्यापारः स लक्षणानां विषयः (अभि०भा० पृष्ठ २६७)। आचार्य अभिनव की व्याख्यानुसार 'भावार्थगतानि' का अर्थ 'रसानुभूति' से है^१। इस प्रकार किसी भी काव्यांश में यही त्रिविध अभिधाव्यापार के उसमें प्रतिपादित भावार्थ अर्थात् अभिप्राय का ज्ञान कराता है। किन्तु 'भावार्थगतानि' का 'रसानुभूतिकारक' अर्थ लेने पर लक्षणों के प्रयोग में 'यथारम्भ' पद का निर्देश अधिक सा प्रतीत होता है। वस्तुतः भाव का अर्थ-- विभावानुभाव तथा संचारी भावों से है। उनका अर्थ (प्रयोजन) है 'रस-निष्पत्ति'। और 'लक्षण' हैं उस रसनिष्पत्ति को कराने वाले। किन्तु इस स्थल पर यह समझ लेना चाहिए कि जिस 'त्रिविध-अभिधा-व्यापार' का अभी तक व्याख्यान किया गया है, उन्हीं के अंग है--विभावादिक। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'अर्थगमन' (रसानुभूति) से अधिक महत्त्व 'भावसंघटन' (विभावादि संघटन) का ही है। लोक-भाषा में यही 'भावसंघटन' अभिधया प्रतिपादित भावार्थ (Substance) या 'अभिप्राय' (meaning) भी होता है, क्योंकि रस प्रतीति, अर्थांगति के बाद ही होती है। अतः 'भावार्थ' या 'अभिप्राय' के दो अर्थ हुए --(काव्यपदा में) रसानुभूति तथा (लोकपदा में) काव्य का अर्थ। अतः यह वह एक सुदृढ़ मान्यता है कि आचार्य भरत के 'लक्षणविषयक प्रथम तत्त्व' काव्येषु भावार्थगतानि की यही व्यंजना है। 'भावार्थ' अथवा 'अभिप्राय' से सम्बन्धित डा० मट्टाचार्य तथा डा० देशपाण्डे आदि के मतों का मूल्यांकन भी यथाप्रसंग आगे किया जायगा।

लक्षणों के विषय में भरत की दूसरी मान्यता यह है कि उनका सम्बन्ध यथा कथञ्चित् रसों से अवश्य है। रसनिष्पत्ति के विषय में आचार्य भरत का ही सिद्धान्त आज तक माना जा रहा है। वह यह कि 'विभाव, अनुभाव तथा संचारी

१- द्रष्टव्य-- अभि०, पृ० २६८ स्थायिभावरसीकरणात्मकं आदि।

भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। षड्वर्णी अलंकार युग में, लोल्लट, श्लुक, भट्टनायक तथा अभिनव गुप्त जैसे भारत के व्याख्याकारों ने रसानुभूति के विषय में अपने विशिष्ट सिद्धांतों का स्थापन किया। इस अर्थ पर किन्हीं अन्य तत्त्वों की व्याख्या न करके केवल यह दर्शित किया जा रहा है कि लक्षण किस प्रकार रसों से सम्बद्ध है। इस विषय में हम 'अभिनव' द्वारा व्याख्यात त्रिविध अभिधा-व्यापार सम्बन्ध ही चुके हैं। 'शब्द तथा अभिधातृ (अर्थात् अभिधेय एवं अभिधान) व्यापार का क्षेत्र स्पष्टतः प्रतिपाद्य (अभिधा) व्यापार से कम है। जब कवि कोई काव्य लिखने बैठता है तो उसके सम्बन्ध अनन्त शब्द तथा उतने ही अर्थ उपस्थित होते हैं रहते हैं। 'नवसर्गतेमाथे नवशब्दो न विद्यते' आदि सुभाषितों का यही तात्पर्य है। कवि किन्हीं शब्दों अथवा अर्थों को अपने काव्य में निबद्ध करता है, वही शब्दार्थ, विन्यास करने की विदग्धरीति के कारण सहृदय जगत् को मोहित कर लेते हैं।^१ जैसे माल मर सूखे एवं साधारण प्रकृतिस्थ रहने वाले वही चिर-परिचित वृद्ध वासन्ती-सुषमा के कारण कायाकल्प उपस्थित कर देते हैं, ठीक वही दशा रसपरिग्रह के कारण शब्दार्थ की भी होती है^२ ऐसा आचार्य आनन्दवर्धन का मत है।

यह रसानुभूति होती है कैसे है, विभावानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से। और ये विभावादि क्या हैं? त्रिविध-अभिधाव्यापार ही तो। अतः हम निश्चय रूप से यह निर्णय दे सकते हैं कि रसानुभूति के मूल कारण 'त्रिविधाभिधाव्यापार' युक्त लक्षण ही है। जैसे लोक में किसी वृद्ध द्वारा लौटा लाने का आदेश पाकर सम्बुद्ध बालक (आवापोद्वाप क्रिया के पश्चात्) छोटा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कवि जब कुछ लिखने बैठता है तो वह यह विचार अथवा निश्चय मन में पहले ही कर लेता है कि -- मैं अपने इन शब्दों से (असुनाशयेन) पाठकों-दर्शकों अथवा श्रोताओं में असुक प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करने के लिए (इत्यम्भूतबुद्धिजननाय) असुक-असुक आशयों से युक्त, इस काव्य (विशेष) का प्रणयन कर रहा हूँ। उदाहरणार्थ रघुवंश की रचना के

१-यानेव शब्दान्वयमालपामः यानेव चार्थान्वयमुल्लिखामः।

तैरेव विन्यास विदग्धरीत्या सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥

--नीलकण्ठ दीक्षित कृत शिवलीलाणव महाकाव्य, १।१३।

२- द्रष्टव्य-- ध्वन्यालोक ४।४

३- तथा हि इदमनेन शब्देनानयेति कर्तव्यतयाऽसुनाशयेन इत्यम्भूतबुद्धिजननाय बुवे इति कविः प्रवर्त्ते स तथाभूतं रसवत्काव्यं विद्यते। तत्र चित्तवृत्त्यात्मकं रसं लक्षणस्तद्र-सोचितविभावाद्बुद्धिजननायसम्पादकस्त्रिविधोऽभिधाव्यापारो लक्षणशब्देनोच्यते इत्येषां सामान्य-लक्षणम् (अभि० पृ० २६७।

पूर्व कालिदास ने अवश्य यह कल्पना की होगी कि -- 'सौहार्जन्मशुद्धानाम्' इत्यादि द्वारा हमें रघुवंशियों का उदात्त चरित तथा स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयाताम् आदि द्वारा गोसेवा का परिष्कृत आदर्श, देशवासियों के मज्जा रखना है। इसी प्रकार मृच्छकटिक, उत्तररामचरित, मुद्राराक्षस, मट्टिकाव्य, तथा भाण रचनाओं में, कवियों की धारणा क्रमशः इस प्रकार की रही हांगी -- सामाजिक मयार्थ्य का उपन्यसन, दाम्पत्य प्रेम का पवित्र आदर्श दिखाना, राजनैतिक दांव-पेंच का उपस्थापन, व्याकरण परिचय तथा समाज की निम्नवर्गीय कुरीतियों का पर्दाफाश वाया मनोविनोद ॥

तात्पर्य यह कि प्रयोजन निश्चित करने के पश्चात् ही कवि तदनुकूल विभावानुभाव का संयोजन करता है। इतना तो स्पष्ट ही है कि कवि का रस्य लक्ष्य किसी न किसी रस अथवा भाव से अवश्य ही सम्बद्ध होगा। अतस्व, वह चित्तवृत्त्यात्मक रस को लक्षित करके, उन-उन रसों की अनुभूति कराने में सर्वथा सक्षम एवं सफल विभावानुभाव तथा संचारी-भावों को ही स्कत्रित करता है। शृंगार रस के प्रसंग में जो विभावानुभाव तथा संचारीभाव होंगे, रौद्र में वही न होंगे। महाकवि भवभूति के ही दो नाटकों को लीजिए। महावीरचरित तथा उत्तररामचरित दोनों में नायक राम ही हैं। किन्तु वीरचरित में सीताराम का विश्वामित्र के यज्ञानुष्ठान में अनायास मिलन, प्रणयानुक्रम, धनुर्भंग, परशुराम-प्रसंग, रामभद्र की शालीनता आदि कथांश इस प्रकार के आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों, अनुभावों एवं संचारी भावों की सर्जना करते हैं, जिसे कि यथास्थान वीर एवं शृंगाररस, उद्दीप्त हो उठते हैं। किन्तु प्रियाविरह से संतप्त वही श्रीराम, उत्तरचरित में हृदयद्रावी करुणरस के कारण बनते हैं, क्योंकि वहां पर बारह वर्ष पूर्व दण्डकारण्य की घटनायें, पालित गजशावक का अभिमत्र, शिखण्डी का नर्तन, गोदावरी-परिसर-स्थित, गिरिशृंखलायें, कुहर झोत एवं वैतसकुंज, सरीसे कारुण्याभिव्यंजक विभावादि, उद्दीपन रूप में उपस्थित होते हैं।

अतः सिद्ध है कि काव्य का प्राणभूत रस, प्रत्येक दृष्टि से काव्य में प्रयुक्त विभावादि पर ही निर्भर है। और ये विभावादि मी, शब्द-अर्थ तथा कविकर्म होने के कारण त्रिविध-अभिधाव्यापार से किसी मी रूप में भिन्न नहीं है। विभावादि का वैचित्र्य ही, रस वैचित्र्य का मूल कारण है। काव्य(नाटक) का शृंगार-करुण-वीर-रौद्र-हास्य-वीभत्स-अद्भुत् अथवा शान्त-रस प्रधान होना, उन-उन रसों के घटक अंगों (विभावादिकों) पर और वे घटक अंग मी त्रिविध-अभिधा-व्यापार पर ही आधारित हैं।

यही त्रिविध-अभिवा-व्यापार, 'लक्षण' अर्थात् 'काव्यशरीर' है। इस प्रकार लक्षणों का रसों के साथ प्रकारान्तर से अनुग्राह्यानुग्राहक सम्बन्ध है^१।

विभावादि में, शब्दों की शब्दों से तथा अर्थों की अर्थों से विचित्र संघटना होती है, किन्तु लक्ष्य इन सब एक ही है -- रसानुभूति करना। आचार्य भरत की इस मान्यता को अभिनवगुप्त ने स्पष्टतः स्वीकार किया है -- 'शब्दानां शब्दैरर्थानामर्थैः शब्दानामर्थैस्तथापरैः संघटनां विचित्रां कारयमाणाऽऽभिवाव्यापारवती ह्युक्तिर्निर्वाण-प्रधानधुराधिरोही लक्षणारव्य स्व ।' (अभि० पृ० २६७)

अब नाट्य आचार्य भरत द्वारा उपदिष्ट लक्षणों के तृतीय पक्ष का युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण अपेक्षित है, वह पक्ष है, लक्षणों का 'भूषणसामितत्व'। अर्थात् काव्य का शोभाकारक तत्त्व होना। 'भूषणों के साथ लक्षणों का पर्यायस्थापन तथा 'भूषण का शोभाजनकत्व' ये दोनों ही प्रश्न बड़े महत्त्व के हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण लक्षणों के विषय में परवर्ती युग में दो उद्भावनायें प्रचलित हो गईं। एक तो यह कि -- 'लक्षण' शब्द की अपेक्षा अधिक सरल-स्पष्ट तथा अन्वर्थनामा होने के कारण अधिकांश आचार्यों ने, लक्षणों के स्थान पर 'भूषण' शब्द का ही प्रयोग किया। और दूसरा यह कि काव्य के शोभाकारकत्व होने के कारण ही अलंकार-सम्प्रदाय के प्रचण्ड युग में, लक्षणों की स्वतन्त्र सत्ता मिट-सी गई और वे सब दिन के लिए अलंकारों में अन्तर्भूत हो गए ॥

इस दशा में यह विचारणीय प्रश्न है कि लक्षणों का गुणों एवं अलंकारों से क्या सम्बन्ध है? काव्यबन्धास्तुकर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणान्विताः^२ कहने से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि आचार्य भरत, काव्यबन्ध के क्षेत्र में लक्षणों को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। इसी कारण उन्होंने 'लक्षणान्वितकाव्यरचना' करने की प्रेरणा दी। यदि उन्हें अभीष्ट होता तो वे गुणों एवं अलंकारों के विषय में भी ऐसी ही घोषणा करते^२। वस्तुतः भरत की दृष्टि में अलंकार तथा गुण, लक्षणों के

१- यथा रसो ये भावा विभावानुभावव्यभिचारिणः, तेषां योऽर्थः (तं) स्थायिभावरसीकर-
णात्मक प्रयोजनान्तर गतानि प्राप्तानि, यदभिवाव्यापारोपसक्रान्ता उद्यानादयोऽर्था-
स्तद्रसविशेष विभावादिभाव प्रतिपद्यन्ते, तानि लक्षणानि इति सामान्यलक्षणम् ।
(अभि०, पृ० २६८)

२- यथा च पीवरत्व स्तनयोर्लक्षणं मध्यस्य तु कुलक्षणं, एवं किंचिदभिधीयमानं केनचिद्वृषण-
रसीचितेन विभावादिह्येण तमेव पदार्थं लक्षयल्लक्षणम् अन्यत्र तु तत्कुलक्षणम् ।
तेन सर्वेऽलंकाराः गुणान्स्तत्समुदायाद् विलक्षणा भवन्ति (अभि०, पृ० २६७) ।

अगमात्र धे, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । इसका स्पष्टीकरण भी अनुवर्ती अनुच्छेद में होगा ।

गुण तथा अलंकार हैं क्या ? आचार्य अभिनव ने इसका अत्यन्त युक्तियुक्त समाधान प्रस्तुत किया है^१ । क्योंकि उनके मन्तव्यानुसार गुणालंकार उगी सम्पष्टिरूप त्रिविध-अभिधा-व्यापार (अर्थात् काव्यशरीर--लक्षण) की इकई है, व्यष्टि रूप हैं । कोई भी शब्द जब रसाभिव्यक्ति में सदाभ अर्थ का प्रतिपादन करे, श्रोताओं के कर्ण-कुहरो में (स्वयं) संक्रान्त भर हो जाने पर बिना किसी व्यवधान के रस विशेष की अनुभूति करा दे, तो गुणशब्दवाच्य होता है । इसी प्रकार, वही शब्द, वर्ण (स्क अक्षर) या पद (अक्षरसमूह) रूप में आवर्तित होने पर शब्दालंकार बन जाता है । इस प्रकार शब्दगुण तथा शब्दालंकार की सारी प्रक्रिया शब्द पर ही आश्रित है । शब्द की ही भाँति, जब कोई अर्थ (वर्णनीय) रसाभिव्यक्ति का हेतु बने तो अर्थगुण तथा वस्त्वन्तर का परिचायक (उदा० 'मुखमिदम्' सीधे न कहकर 'मुखचन्द्रोऽयम्' कहना । यहाँ मुख के स्थान पर स्क अन्यवस्तु 'मुखचन्द्र' का ह्य परिचय प्राप्त करते हैं) होने पर 'अर्थालंकार' कहा जाता है ।

किन्तु इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि शब्द, गुण, शब्दालंकार, तथा अर्थगुण-अर्थालंकार ये चारों ही तत्त्व केवल, शब्द एवं अर्थ के ही (शब्दनीय एवं वर्णनीय वैशिष्ट्य से युक्त) व्यापार पर समाश्रित हैं और इनका नैरन्तर्य होने पर सम्भव है कि ये विशाल संख्या में भी आएं । किन्तु इनका आधार प्रत्येक दशा में अभिधा-व्यापार ही होगा । क्योंकि काव्य में अर्थावगति (जो अभिधा व्यापार से ही सम्भव है) प्राथमिक वस्तु है तथा उस अर्थ का गुणालंकार युक्त होना गौण ।। अतएव जैसे (प्रसाद के दृष्टान्त में) चित्रों के आलम्बित किए जाने का स्कमात्र स्थान उमकी भित्तियां (शरीर) हैं, अथवा (शरीर के दृष्टान्त में) आभूषणों के पहनने का स्कमात्र स्थान, युवती के विभिन्न शारीरिक अंग हैं, ठीक उसी प्रकार गुणों तथा अलंकारों का आधार स्थल, त्रिविध-अभिधा-व्यापारयुक्त ,

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- अभिनव भारती , पृ० २६७ [गुणालंकारव्याख्यान]

लक्षण मात्र हैं, जो कि काव्यशरीर कहे गए हैं । इस प्रकार लक्षणों तथा गुणालंकारों में 'आधाराधेय' अथवा 'अनुग्राह्यानुग्राहक' सम्बन्धमान्य है^१ । अतः परवर्ती युग में, अलंकार को ही 'काव्यात्मतत्त्व' स्वीकार करने वाले आचार्यों ने लक्षणों तथा अलंकारों के इसी पारस्परिक साम्य एवं सम्बन्ध के कारण उनका अन्तर्भाव **अलङ्कारों** में कर दिया । आचार्य दण्डी ने स्पष्टतः कहा :-

तच्च मन्ध्यंगवृत्त्यंगलक्षणाधागमान्तरे

व्यावर्णितमिदं चैष्टममलंकारतयैव नः ॥ काव्यादर्श २।३६५

इसी प्रसंग में हम यह भी देख लें कि लक्षण 'भूषण' कैसे हैं । पिछले अनुच्छेदों में प्रायः यह तथ्य स्पष्ट किया जा चुका है कि अभिनव ने रसवैचित्र्य का कारण, विभावादि-वैचित्र्य (अर्थात् त्रिविध-अभिधाव्यापार या लक्षणवैचित्र्य) ही स्वीकार किया है । तथा, यह भी स्पष्ट है कि गुण एवं अलंकार शब्दार्थ व्यापार होने के ही कारण लक्षणों से पृथक् नहीं है । अतः अलंकारों द्वारा प्रसूत समस्त काव्य सुषमा का मूल कारण 'लक्षण' ही है^२ । लक्षण 'काव्यशरीर' है, यदि शरीर में ही लावण्य अथवा कमनीयता न रही तो लाख गहने भी उसे, स्मणीय नहीं बना सकते । इसके विपरीत, अभिधा व्यापार के बल से, शब्दार्थ की विचित्र-संघटना कराने के कारण लक्षण स्वयं एक अव्यक्त सौन्दर्य से व्याप्त रहता है । उसे, बाहरी अलंकारों की आवश्यकता नहीं रहती । हां, यदि लक्षणों के रहते भी गुण एवं अलंकार किसी काव्य में आयें तो उनका मणिकांचन संयोग होगा और लक्षणों का साहाय्य पाकर वे और भी उद्दीप्त हो उठेंगे । अलंकारों तथा गुणों की इसी उभयनिष्ठ गुणवत्ता के कारण आचार्य अभिनव ने पूर्वोक्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत यह मत उपन्यस्त किया-- (तत्र कल्पनायां विप्रतिपत्त्यः) केचिदाहुः -- इह गुणास्तावदात्मनि चिन्मये शृंगारादौ वर्तते । शृंगारे चावश्यं च लक्ष्यते इति पृथक्सिद्धत्वादलंकारः । शरीरनिष्ठमेव यत्पदं पृथक्सिद्धं तल्लक्षणम् । येन शरीरस्य सौन्दर्यं जायते । तच्च सिद्धरूपं साध्यरूपं वा । यथा श्यामेति, मदमन्थरगामिनीति वा । स्तदेव लक्षणं च तच्चालंक्रियते । अलंकारैर्युक्तं काव्यं लक्षणाविना न शोभते... (अभि०, पृ० २६५)

१- तथा स्वार्थोऽपि च क्वचिदर्थमात्रं क्वचिदलंकारोऽर्थतः, क्वापि चित्रतः, क्वचिदलंकारादि-प्रक्रियाविहीनोऽपि स्वयं सुन्दरस्वभावोऽर्थः, कुत्रचिच्छन्द इति त्रिविधव्यापारगामी, तद्द्वारेणाभिधानामिधेय तद्गुणालंकाराधनुग्रहः..... लक्षणास्य स्व(अभि०, पृ० २६७)

२- अतस्त्वपूर्वं काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणांश्विनाः इति लक्षणास्यैव हि प्रधानं तत्प्रसंगेन गुणालंकारा इति तात्पर्यम् (अभि०, पृ० २६८)

अतस्वे भूषणसंमिते की पूर्ण व्यंजना लक्षणों के स्वयं शोभाकारक तत्त्व होने में है । लक्षण तथा अलंकार दोनों ही काव्य के शोभाकारक तत्त्व हैं, भूषण हैं । अन्तर केवल दोनों में यही भर है कि लक्षण कृत शोभा, काव्य का अपृथङ्निद्र धर्म है जब कि गुणालंकार कृत शोभा, यमका पृथक् सिद्धे धर्म है । एक काव्यसुषमा का अन्तरंग पद्म है तो दूसरा बहिरंग पद्म । एक शोभा उत्पन्न करता है, किन्तु दूसरा (लक्षण) स्वयमेव शोभा रूप (Beauty as such.) है । लक्षणों के इन्हीं वैशिष्ट्य को ध्यानमें रख कर परवर्ती युग में उन्हें 'नाट्यालंकार' की परिधि में भी अन्तर्निविष्ट किया गया ।

निष्कर्ष यह है कि लक्षण काव्य का शरीर है । उसी के कारण काव्य 'काव्य' है । डा० के० कृष्णमूर्ति का स्तद्धिषयक व्याख्यान सर्वथा युक्तियुक्त है --

lakshanas are the broad outlines of grace, the presence of which makes one, immediately recognize, what poetry is?

(His article in the Poona Orientalist, Vol. XII)

जैसे शरीर, बिना किसी बाह्याभूषण अथवा चाकचिक्य के अपने आप ईश्वरप्रदत्त कमनीयता से भरी, आकर्षक एवं मांसल होती है, उसी प्रकार काव्यबन्ध भी गुण एवं अलंकार से हीन होने पर भी स्वतः सौन्दर्यवान् होता है और जिस तत्त्व के संयोग से काव्य में यह स्वाभाविक सौन्दर्य उत्पन्न होता है, उसी का नाम लक्षण है, जो कि त्रिविध अमिधा-व्यापार कृत, विचित्र-संघटना (शब्दार्थ की) का परिणाम है । शब्द-अर्थ, सब उसी स्वाभाविक सौन्दर्य के अंगविशेष हैं, अमिधा व्यापार उसी का पर्याय है, गुणालंकार उसी की विशिष्ट कोटियां (special categories) हैं । जैसे कोई शरीर मोटी, कोई पतली, कोई ऊँची, कोई नीची, कोई गौरी, कोई काली, कोई सांवली और कोई अन्यान्यगुणयुक्त होती है, किन्तु वस्त्राभूषण के अभाव में भी जैसे वह स्वयं 'अपनेपन' के कारण एक

१- The first is concerned with the intrinsic theme of a poem and the poet's manner of giving expression to it. The second (अलंकार) has in view the arrangement of words and syllables, their harmony and sound values, and the adequacy of the ideas in relation to a particular emotion that is intended to be evoked. — Dr. R. Krishnamoorthy's article in the Poona Orientalist. Vol. XII

२- विश्वनाथकृत 'साहित्य दर्पण' । षष्ठ परिच्छेद (नाट्यालंकार विवेचन)

विशिष्ट सौन्दर्य युक्त होती है, ठीक उसी प्रकार, पूषण प्रमृति कृपेस लक्षणों के सहयोग से निर्मित, उतने ही प्रकार का (अथवा अपेक्ष्य प्रकार का) काव्यबन्ध, गुणालंकार में सर्वथा अस्पृष्ट होकर भी स्के सहजसौन्दर्य अथवा अपेक्ष्य से युक्त होता है। वही 'अपनापन' (Poetry as such) लक्षण है।

ऊपर लक्षण के दो वैशिष्ट्यों का निराकरण किया गया है -- एक तो उनका (अभिधा) व्यापार प्राधान्य तथा दूसरा--स्वाभाविक सौन्दर्य से युक्त होना। किन्तु यदि हम इन दोनों वैशिष्ट्यों के मूल पर जायं तो प्रतीत होगा कि इन दोनों में भी त्वात्त्विक एकता ही है। आचार्य अभिनव ने इस बात पर अनेकशः तर्क प्रस्तुत किये हैं। 'व्यापारप्राधान्य' को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने आचार्य मामह तथा मट्टनायक का मत भी उद्धृत किया है। मामह का मत था कि अर्थविभावन कराने वाली जितनी भी काव्यविधायें हैं, वे सब 'वक्रोक्ति' ही हैं। यहां 'उक्ति' का अर्थ व्यापार ही से ही है, अतः 'वक्र-उक्ति' का तात्पर्य वही है जो 'त्रिविध अभिधा व्यापार के विभावादि वैचित्र्य' का है।

इसी प्रकार मट्टनायक ने भी शब्दप्राधान्य होने पर शास्त्र, अर्थप्राधान्य होने पर आस्थान तथा शब्दार्थ -- दोनों के साहचर्य में, व्यापार प्रधान-तत्त्वविशेषों को 'काव्य' कहा है। इस प्रकार मामहोपदिष्ट वक्रोक्ति की मांति, मट्टनायक की यह 'व्यापारप्रधान काव्यगीः' भी लक्षणों से व्यतिरिक्त नहीं है।

किन्तु आचार्य मामह की 'वक्रोक्ति' का 'लक्षण' के साथ तादृश्य, केवल उसके 'व्यापार-प्रधान' होने से ही नहीं है। प्रत्युत् स्थिति तो यह है कि लक्षणों की ही मांति, वक्रोक्ति का भी एक और पक्ष है--'स्वाभाविक सौन्दर्य'। यह अवधेय तथ्य है कि मामह की वक्रोक्ति, परवर्ती युग में प्रचलित एक विशिष्ट (शब्द या अर्थ का) अलंकार न होकर अत्यन्त प्रभावशालिनी एवं विशाल आयाम वाली है।

१- द्रष्टव्य-स्तद्विषयक, अभिनवगुप्त का प्रमाण--षट्त्रिंशदिति च नान्यदिति वारणपरं कविहृदयवर्तिनामपराणामपरिसंख्ययत्वात्। किन्तु बाहुल्येन तावदियता लक्ष्यव्याप्तं, इयति च कविनाऽऽवघातव्यमिति संख्यानिरूपणम् (अमि०, पृ० २६८)।

२- मामहेनापि--सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते (२-८५) इत्यादि। तेन च परमार्थं व्यापार स्व लक्षणम् (अमि०, पृ० २६८)।

३- मट्टनायकेनापि त स्व(?) शिदित्वाभिधाव्यापारप्रधानं काव्यमित्युक्तम्

शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथङ्ग्विदुः अर्थं च तत्त्वेन युक्ते तु वदन्त्यास्थानमेतयोः।

द्वयोरुपलक्ष्ये व्यापारप्राधान्ये काव्यगीभवत्।।

४- आचार्य दण्डी ने भी 'वक्रोक्ति' को इसी रूप में स्वीकार किया है--

श्लेषः सर्वासु पुष्पाति प्रायी वक्रोक्तिषु श्रियम्।

मिन्नं द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्ति श्वेति बाहुल्यम्।।

--काव्यादश २।२६३

मामह ने स्पष्टतः उसे काव्य का 'जगन्मन्य सौन्दर्य' अथवा 'भर्गामणिति' (A skillful utterance or a clever presentation.) रूप में स्वीकार किया है। इस दशा में वह समस्त काव्यालंकारप्रकारों की जननी है।

काव्य-विभाजन के प्रसंग में, मामह के समस्त एक समस्या थी। वह यह कि 'अनिबद्ध या मुक्तके काव्य' (sporadic poetry.) का, सर्गबन्धों के अनुपात में क्या स्थान है? इस प्रश्न का उत्तरआचार्य प्रथम परिच्छेद की तीसरी कारिका में प्रस्तुत करते हैं :-

अनिबद्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्पुनः ।

युक्तं वक्रम्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते ॥

मामह के इस प्रामाण्यानुसार सिद्ध है कि वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति ही काव्य को 'काव्यरूप' देती हैं। वक्रोक्ति का तात्पर्य, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है 'उक्तिवैचित्र्य' अथवा 'वचनमंगी' से है। तथा 'स्वभावोक्ति' का तात्पर्य भी 'किसी वस्तु के सहज वर्णन' (A natural description.) से है। इसी प्रकार प्रथम परिच्छेद की चौथीसवीं कारिका में:--

अपुष्टार्थमवक्रोक्तिं प्रसन्नमृजुकोमलम् ।

मिन्नं गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम् ॥

तथा छत्तीसवीं कारिका में:--

न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम् ।

वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृतिः ॥

आदि का उपन्यस्त करके मामह स्पष्टतः 'वक्रोक्ति' को 'वाचामलंकृति' के रूप में स्वीकार करते हैं। पंचम अध्याय में उनका 'तदेभिरगैर्मुष्यन्ते मूषणोपवनम्रजः वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते' आदि कथन भी इसी सैद्धान्तिक सत्य का साक्षी है। इन समस्त उद्धरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 'वक्रोक्ति' का अन्य अलंकारों से ठीक वही सम्बन्ध है, जो लक्षणों का है। क्योंकि लक्षण, 'त्रिविध अभिधा व्यापार' मय होने के कारण शब्दार्थ की पारस्परिक विचित्रसंघटना (शब्दालंकार एवं अर्थालंकार) उत्पन्न करते हैं, अतः वास्तव में वे ही काव्यालंकारों के उत्पादक हैं। और यही कार्य (अभिनव के मतानुसार) व्यापार प्रधान 'वक्रोक्ति'

भी करती हैं। वस्तुतः 'वक्रोक्ति' पद अत्यन्त साक्षुस्त्वं नामिग्राह्य सा प्रतीत होता है। क्योंकि 'वक्र' पद का संकेत शब्दार्थ की विचित्र संघटना (मंगी मणिति) से तथा 'उक्ति' पद का संकेत 'व्यापार-प्राधान्य' से ही है। अतः अभिनव गुप्त का पूर्वव्याख्यान सर्वथा तर्कसंगत एवं उचित है। इस विषय में डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी द्वारा स्थापित 'कुन्तक की वक्रोक्ति तथा लक्षण का तादृश्य' भी यथामन्दम आगे निरूपित किया जायगा।

लक्षण एवं वक्रोक्ति सम्बन्धी इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं। इसी कारण आचार्य अभिनव कहते हैं -- 'बन्धो, गुम्फः, मणितिः, वक्रोक्तिः कवि-व्यापारः इति हि पर्यायात् लक्षणं तु अलंकारशून्यमपि न निरर्थकम्' -- (अमि०, पृ० ३२२) उनकी इस मान्यता के पश्चात् यदि हम आचार्य मामह की यह कारिका देखें --

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविमिः कार्यो कोऽलंकारोऽनयाविना? २।८५

(यहाँ अवधेय बात यह कि प्रस्तुत कारिका मामह ने ग्यारहवें अलंकार, अतिशयोक्ति के प्रसंग में कहा है, अतः इसका परामर्श क्षेत्र निश्चित-सा है) तो लक्षणों के साथ वक्रोक्ति का सम्बन्ध स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में डा० जी० टी० व देशपाण्डे द्वारा प्रस्तुत 'लक्षण वक्रोक्ति तुलना' का उल्लेख आवश्यक है जो कि इस प्रकार है :- नाट्य के लक्षणों का कार्य है 'अर्थों का विभावना' कार्य मामह ने अनयार्थो विभाव्यते' इस प्रकार स्पष्टरूप में बताया है। 'लक्षणों से अलंकारों में वैचित्र्य सिद्ध होता है यह मट्टात का कहना है। 'कोऽलंकारोऽनयाविना' यह मामह का कथन है। 'काव्यबन्ध लक्षण युक्त रहना चाहिए' यह भरत मुनि का कथन है और मामह कहते हैं -- यत्नोऽस्यां कविमिः कार्यः'। सारांश लक्षणों का स्वरूप, प्रयोजन एवं परिणाम, इन सब का संक्षेप मामह ने अपने वक्रोक्ति के विषय में लिखे हुए प्रसिद्ध कारिका में किया हुआ है -- सैषा सर्वैव वक्रोक्ति आदि' (भारतीय साहित्यशास्त्र, पृ० ५१)।

इस प्रकार आचार्य भरत के लक्षण विषयक मत, लक्षणों की उपयोगिता तथा संख्या पर भी अपेक्षित प्रकाश डाला जा चुका। किन्तु एक समस्या यह उठ सकती है कि भरत के पूर्व इन लक्षणों की क्या परिस्थिति थी? इस विषय में शोधकर्ता की

स्पष्ट धारणा है कि अभिनव गुप्त द्वारा व्याख्यात, लक्षणों की दशपत्नी ही उनकी पूर्वविस्था है। यद्यपि डा० देशपाण्डे जी ने बहुत प्रयत्न पूर्वकनिरुक्त स्वं मीमांसा ग्रन्थों के आधार पर लक्षणों की प्राचीनतम स्थिति सिद्ध करने स्वं दिखाने की चेष्टा की है किन्तु उसमें यथेष्ट मौलिकता नहीं है। क्योंकि वह व्याख्यान, अभिनव प्रोक्त 'दशपत्नी' का ही एक पक्षविशेष है, अतः उसी को ही विशेषरूप से लक्षणों की पूर्व स्थिति स्वीकार करना कल्पना गौरवमात्र है। यदि हम, 'मीमांसा' तथा निरुक्त शास्त्र की (भरत की अपेक्षा) प्राचीनता के ही आधार पर डा० देशपाण्डे जी के व्याख्यान को उचित मानना चाहें तो इस विषय में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही अधिक संगत है कि 'दशपत्नी' के छठे तथा सातवें विकल्पों को ही मिलाकर ही क्यों न लक्षणों का प्राचीनतम स्वरूप माना जाय, क्योंकि 'प्रबन्ध का धर्म' अथवा 'कवि का अभिप्राय विशेष' होने के कारण उनकी व्याप्ति, ऋग्वेद के मन्त्रों तक होगी। वस्तुतः सत्य यह है कि आचार्य अभिनव ने लक्षणों के विषय में प्रचलित दश मतों का संग्रहमात्र किया है। इस संग्रह कार्य में उनकी यह दृष्टि कमी नहीं रही कि इनमें से कौन सा मत भरत से पहले का है और कौन बाद का? सम्भव है वे सब के सब भरत के बाद के हों। सम्भव है कि लक्षणों के महिमामय सिद्धान्त की सृष्टि सर्वप्रथम आचार्य भरत ने ही की हो, किन्तु हां, इतना तो सुदृढ़ सत्य है कि 'दशपत्नी' आचार्य अभिनव की पूर्ववर्तिनी है और इनके व्याख्याता भी भरत तथा अभिनव के मध्यवर्ती आचार्यगण हैं।

दशपत्नी लक्षणों के विषय में प्रचलित दश सिद्धान्तों का संकलन है जिसे सर्वप्रथम आचार्य अभिनव ने प्रस्तुत एवं व्याख्यात किया। किन्तु नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणों में उनके प्रतिपादन का क्रम पूर्णतः उलट-पलट गया है। इसी कारण डा० राघवन्

- ध------
- १- इस उद्गार से हमारा आक्रोश, विद्वान् लेखक के प्रति बिलकुल नहीं है, क्योंकि अभिप्रायों का स्वरूप निश्चित करने के लिए विद्वान् आलोचक ने जो शोध की है, वह अवश्य ही श्लाघ्य एवं स्तुत्य है। हम उससे पूर्णतः सहमत हैं। यहाँ यह प्रश्न यह है कि दशपत्नी में से एक विशेष पक्ष (मीमांसा सबधी) को ही क्यों, पूर्वतत्त्व स्वीकार किया जाय, जबकि काव्य-परम्परा यास्क के प्रमाणानुसार वेदों में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। देशपाण्डे जी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं (द्रोणयुगवाणी-मराठी-जनवरी १९५१ ई०)
- २- नाट्यशास्त्र के प्राचीन प्रकाशित संस्करण इस प्रकार हैं:-
- क- काव्यमाला- निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।
- ख- चौखम्बा संस्करण- विद्याविलास प्रेस, काशी।
- ग- बड़ौदा संस्करण- गायकवाड़ औरियण्टल सिरीज नं० ६८, बड़ौदा, सन् १९३४ ई०। श्रीरामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित।

जिन्होंने

मद्रास पुस्तकालय में उपलब्ध एक पाण्डुलिपि-विशेष के आधार पर लक्षणों का अव्ययन किया था, उनका अनुक्रम, अंशतः भिन्न स्वीकार करते हैं। प्रो० मट्टाचार्य ने पूर्णरूप से 'बड़ोदा संस्करण' में स्थित, अभिनभारती के क्रमानुसार लक्षणों का क्रम स्वीकार किया है, और यही क्रम उचित एवं अभीष्ट भी है। अतः तुलनात्मकत्प से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि :-

- (क) (बड़ोदा संस्करणानुसार) प्रथम, द्वितीय तथा दशम पत्र डा० स्वराघवन् ने इसी रूप में स्वीकार किया है।
- (ख) इसी प्रकार (ब०सं०स्थित) चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम एवं नवम पत्र क्रमशः डा० राघवन् के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम पत्र हैं।
- (ग) (ब०सं०स्थित) तृतीय एवं पंचम पत्र का डा० राघवन् की 'दशपत्नी' में कोई उल्लेख नहीं (केवल पंचम पत्र की एक पंक्ति डा० राघवन् के चतुर्थ पत्र में है।)
- (घ) डा० राघवन् के अष्टम एवं नवम पत्र बड़ोदा संस्करणस्थित नवम पत्र के ही अंग हैं, उनसे पृथक् कर लिये गये हैं।

अब इसी विवेक-बुद्धि के साथ प्रस्तुत दशपत्नी पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

प्रथम पत्र के अनुसार 'लक्षण काव्यशरीर के आन्तरिक पृथक् सिद्ध घर्म' हैं। यद्यपि काव्यशरीर का प्रसाधन गुण एवं अलंकार भी करते हैं किन्तु लक्षणों से उनका पार्थक्य इस कारण है कि वे काव्यशरीर के बहिरंग का ही प्रसाधन करते हैं, अतः वे सर्वथा पृथक् सिद्ध हैं। शरीर से हम वस्त्राभूषण उतार कर फेंक सकते हैं (क्योंकि वह केवल शोभार्थ धारण किया गया है, वस्तुतः वह शरीर से पृथग्भूत हैं) किन्तु होठों की लालिमा, चितवनों की स्निग्धता अथवा शरीर के लावण्य को हम किसी प्रकार दूर नहीं कर सकते। आखिर क्यों? इसलिये कि वे शरीर के 'अन्तरंगपत्र' हैं, हाड़-मांस तथा चमड़े से पृथक् होते हुए भी उसी में अन्तर्भूत हो चुके हैं। बाह्यभूषण, इसी 'अन्तरंगपत्र' को भूषित करते हैं और सत्य तो यह है कि उपर्युक्त 'आन्तरिक-तत्त्व' ही भूषणों को 'भूषण' बनाते हैं, अन्यथा कोढ़ी अथवा मुँह पर 'भूषण' पहिना कर हम देखें कि ऐसा करने से कितना सौन्दर्य बढ़ता है? ठीक यही दशा लक्षणों की भी है। इसी कारण आचार्य अभिनव ने कहा था -- 'लक्षणानि हि अलंकारानपि चित्रयन्ति' (अभि०, पृ० ३०३)।

डा० राघवन् कृत व्याख्यान में भी यह पत्र 'प्रथम' रूप में ही लिया गया है।

किन्तु अपने व्याख्यान के पश्चात् अन्त में उद्धृत किये गए 'अभिनवभारती' के अंश में डा० राघवन स्क नवीन वाक्य देते हैं-- 'तत्र प्रथम-पदा वर्णनीय प्रधानभूताधिकारपुरुष-गतगुण-विभाग स्व काव्ये पर्यवर्णयते' । इस वाक्य के पहले की 'अभिनव भारती' वही है जो बड़ौदा संस्करण में प्राप्त है । डा० राघवन ने उसे अपनी पाण्डुलिपि (मद्रास पुस्तकालय) के पृ० ३७६ से उद्धृत किया है । उपर्युक्त वाक्य पृष्ठ ३८० का है । इसी प्रकार द्वितीय पत्र (जो दोनों संस्करणों में समान है) पृष्ठ ३८० से उद्धृत किया गया है। अतः सम्भव है कि यह वाक्य मद्रास पाण्डुलिपि में प्रथम पत्र का ही अंश हो । इस वाक्य का संकेत मनुष्यों के अंगों में प्राप्त सामुद्रिक लक्षणों से है, जैसा कि द्वितीय पत्र में स्पष्ट किया गया है -- 'काव्यगतस्थातिप्राशस्त्योपयोगितया महापुरुष-गतस्थातिपाशध्वजद्वारेरवादिवल्लक्षणशब्दवाच्यता' (पृ० २६६) ।

किन्तु डा० राघवन द्वारा उद्धृत यह वाक्य वस्तुतः तृतीय पत्र का है जिसमें दो विकल्प हैं । डा० राघवन ने शायद 'प्रथमे पदे' देखकर ही इसे पहले मत में जोड़ लिया किन्तु यह तथ्य अवधेय है कि दूसरा विकल्प भी इसके बाद ही 'द्वितीय पदे' के रूप में दिया गया है (द्रष्टव्य- अमि०, पृ० २६६) । अतः डा० राघवन जो तृतीय पत्र को अपनी व्याख्या में नहीं लेते, इसवाक्य का गलत अर्थ भी लगाते हैं, जैसा कि टिप्पणी में दिया गया है । इस वाक्य का उचित अर्थ हम तृतीय पत्र के व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे ।

प्रो० मट्टाचार्य ने प्रथम पत्र का सम्बन्ध 'काव्य के प्रतिपाद्यसंघटन' एवं कवि वाङ्मनिर्मिति' से (*Compositional process*) मानते हुए लिखा है -- 'Gunas refer to the चिन्मय (meaning रस) substratum, lakshanas have reference to the bodily make-up of word structure as - in,

'पाक-मुद्रा and शैल्या' in another ideology. (Poona Orientalist p. 16) । ऐसा लगता है कि 'पाक-मुद्रा' तथा 'शैल्या' की प्रेरणा लेखक ने डा० सुशीलकुमार डे के द्वारा प्रणीत निबन्ध से ली है । डा० डे ने 'केवल' शब्दार्थसाहित्य' को प्रस्थातार्थ में

१- lakshana is the body itself and as such is further adorned with Alamkaras. Just as we take the metaphor of necklace or anklet, when we talk of Alamkar, so also we have to take the metaphor of the body, such as the 'सामुद्रिक लक्षण' when we speak of Kavyalakshana — Dr Raghavan, explaining the first view of दत्तपदी.

२- अन्नामलाई (सन् १९३५) तथा बम्बई (१९४३ ई०) विश्वविद्यालय में दिए गए मा० षण्णों का विषय, जो निबन्ध रूप में 'Dacca University - Studies', (Vol. I) तथा 'New Indian Antiquary Vol. IX' में छपे थे। द्रष्टव्य, डे कृत पुस्तक 'Some Problems of Sans. Poetics.' का प्रथम निबन्ध ('The Problem of Poetic Expression.') कलकत्ता १९५६ ई०।

‘साहित्य’ नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि काव्यगत साहित्य में कुछ वैशिष्ट्य अवश्य रहता है --” *Poetry is not merely linguistic expression, but beautiful expression.*

In other words, it came to be recognized that the साहित्य of शब्द and अर्थ in poetry must have a विशेष or speciality. Hence Vāmana speaks of विशिष्टा-पदरचना and Kuntaka declares more cleverly that विशिष्टमेव साहित्यमभिप्रेतम्। while Samudrabandha, summarizing the different views of schools of Poetics is emphatic that इह विशिष्टं शब्दार्थो काव्यम्। The question of deciding, what this विशेष is, and how it is realised, thus becomes the main problem of Poetics.”

अपने इस व्याख्यान के बाद, डा० हे ने चार प्रमुख ‘विशेष तत्त्वों’ की उद्भावना की है --

१- महाकवि बाणभट्ट की ‘शैश्या’ (जिसे अग्निपुराण में, उसी अर्थ में ‘मुद्रा’ कहा गया है)।

२- आचार्य वामन का ‘पाक’ (*literally ripeness or maturity.*)।

३- आचार्य भरत का ‘लक्षण’, तथा

४- आचार्य मामहादि द्वारा स्थापित ‘अलंकार’ ।

अस्तु प्रसंगोपात्त हाने के कारण इन तत्त्वों की अपेक्षित व्याख्या करनी आवश्यक है। यहां, इतना संकेत कर देना भी प्रसंगानुकूल ही होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से ‘शैश्या’ पाक एवं मुद्रा का स्थान गुण एवं अलंकार के ही बराबर है। वे सब के सब काव्य के बहिरंग पदा ही हैं, जब कि लक्षण काव्य के अन्तरंग साथ ही साथ पृथक् सिद्ध धर्म है। उदाहरणार्थ, आचार्य वामन का ‘शब्दपाक’ लीजिए। काव्यांगों की चर्चा करते समय ‘प्रकीर्णांगों’ के रूप में वामन ने सात तत्त्व गिनाए हैं -- लक्ष्यज्ञत्व, अभियोग, वृद्धसेवा, अवेक्षण, प्रतिमान, अवधान, देश और काल। इनमें से ‘अवेक्षण’ का अर्थ है--कविता में पदों का रखना और हटाना (पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्--काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १।३।१५) जब कविता ऐसी स्थिति में आ जाय कि शब्दों का हटाना सम्भव न हो तब उसे

'शब्दपाक' कहते हैं^१। वाचन का यह मत स्पष्टतः उस 'सौशब्द्य' सिद्धान्त की भांति है, जिसका उल्लेख आचार्य मामह ने अपने ग्रन्थ में किया है^२। 'शब्दपाक' की यह स्थिति निश्चित रूप से 'रसानुभूति' से बहिर्भूत है, अतस्त्व लक्षण जिसका मूल लक्ष्य 'विभावादि वैचित्र्य' सम्पादित करने के साथ ही साथ चितवृत्त्यात्मक रस को भी लक्षित करना है, 'पाक' से विशिष्ट तत्त्व है। 'पाक' त्रिविध अमिवा व्यापार रूप लक्षण का, इस दृष्टि से, एक अंग मात्र होगा, क्योंकि लक्षण आचार्य अभिनव के शब्दों में-- 'शब्दानां शब्दैः अर्थानामर्थैः शब्दानामर्थैस्तथापरैः संघटनां विचित्रां कारयमाणाऽऽभिधाव्यापारवती ह्युक्तिर्निर्वाणप्रधानधुराधिरोही लक्षणस्य स्व' (अभि०, पृ० २६७) रूप का है।

'शब्द पाक' का उपर्युक्त रूप डा० डे ने भी अपनी व्याख्या में स्वीकार किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने पाकविषयक आचार्य नंगल का भी मत, राजशेखर कृत 'काव्यमीमांसा' से उद्धृत किया है, जिनके अनुसार पाक 'सौशब्द्य' (Verbal excellence. शब्द-व्युत्पत्ति) मात्र है। इसके पश्चात् - 'It is clear that this view makes पाक almost identical in its connotation with शैल्या' (Page 5) तथा उसके भी पूर्वी विशेष-तत्त्व की स्थापना के प्रसंग में -- "one of the earliest was through the idea of शैल्या to which लक्षण refers and for which the Agni Purāna appears to employ the term मुद्रा with a similar connotation." (page 4.)

इत्यादि कहने से यह तथ्य, पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि डे के अनुसार, शैल्या तथा मुद्रा का सम्बन्ध भी प्रायेण 'शब्दव्युत्पत्ति' मात्र से है, रस से नहीं। रसो दशा में उनका लक्षण के साथ कोई साम्य नहीं। और यदि थोड़ी देर के लिए हम ऐक्य

१- यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहस्रिण्यताम् ।

तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रवक्षते ॥

--काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १।३।१५ की संग्रहकारिका ।

२- रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे सुपां तिडणं च व्युत्पत्तिं वाचां वाङ्मत्यलंकृतिम् ॥

तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ।

--काव्यालंकार १।१४-१५ ।

अथवा नाम्य स्थापित करना भी चाहे तो लक्षण-पाक के बीच 'अंगी तथा' अंगे का ही सम्बन्ध हो चकेगा ।

'किन्तु पाक का रूप और भी रूप है , जिसे आचार्य वामन ने तृतीयाधिकरण में अर्थशुणों की समाप्ति के बाद अपनी संग्रहकारिकाओं में 'काव्यपाक' के रूप में व्याख्यात किया है । 'काव्य पाक' का अर्थ है, 'स्पष्टतः गुणों का सांनिध्य' (गुणस्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचक्षते) और चूंकि वामन के गुणों का बहुत कुछ सम्बन्ध 'रसपरिपाक' से भी है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से हम 'काव्यपाक' को रसानुभूतिपरक मान सकते हैं । यद्यपि डा० डे ने इस नवीन तथ्य की ओर अपनी 'पाकसिद्धान्त-व्याख्या' में कोई संकेत तक नहीं किया है, किन्तु यह स्पष्ट धारणा है कि आचार्य वामन का 'शब्दपाक' तो नहीं किन्तु 'काव्यपाक' अवश्य ही 'लक्षणों' के समकक्ष है । 'शब्दपाक' का प्रबल खण्डन करती हुई अवन्तिसुन्दरी ने 'पाक' का जो आदर्शरूप स्थापित किया है, वस्तुतः वही 'लक्षणों' की ओर संकेत करता है और वामनाचार्य का 'काव्यपाक' भी बहुत कुछ उसी रूप का है । 'इयमशक्तिर्न पुनः पाकः इत्यवन्तिसुन्दरी । यदेकस्मिन्वस्तुनि महाकवीनामनेको ऽपि पाठः परिपाकवान् भवति । तस्माद्रसोक्ति-शब्दार्थसूक्तिनिबन्धनः पाकः ।' --(काव्यमीमांसा, पृ०२०) मुद्रा एवं शैय्या को मोज ने भी 'शब्दालंकार' रूप माना है किन्तु उनकी 'शय्या' का स्वरूप (शय्येत्याहुः पदार्थानां घटनायां परस्परम्), भी शुद्ध शब्द संघटना' मात्र है । विद्यानाथकृत 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' में यह तथ्य अधिक स्पष्ट किया गया है--'या पदानां परान्योऽन्यमेत्रीशय्येति कथ्यते । किन्तु पाक, मुद्रा एवं शैय्या के समकक्ष होते हुए भी रसानुभावी है यही वैशिष्ट्य उसे अन्य तत्त्वों से उत्कृष्ट बनाता है । एकावली-कार आचार्य विद्याधर ने इसी कारण 'पाक' का जो रूप स्थिर किया, उसमें आचार्य वामन तथा अवन्तिसुन्दरी दोनों के ही मतों का मंजुल सम्बन्ध है-- 'अनवरतमम्यस्यतामेव कवीनां वाक्यानि पाकमासादयन्ति । पाकस्तुरसोचितशब्दार्थनिबन्धनम् । श्रवणसुधानिस्यन्दिनी पदव्युत्पत्तिः पाक इत्यन्ये । पदानांपरिवृत्तिवैमुख्यं पाक इत्यन्ये (एकावली, पृ०२२, श्री पी०के० त्रिवेदी संपादित बम्बई संस्करण सन् १९०३ ई०) ।

पाक सम्बन्धी तथ्यों का इतना विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने में अपना स्वारस्य केवल यह है कि लक्षणों की रसामिमुखता स्पष्ट हो जाय । यद्यपि दशपदी के कुछ पद, उस को शब्दशः अपने भीतर स्थान नहीं देते, तथापि सूक्ष्म दृष्ट्या चिन्तन

करने पर, यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि उनसे से कोई भी रस की मर्यादा से बाहर नहीं। इसके विपरीत अधिकांश पदा प्रत्येक दृष्टि से रसपरिपाक में सम्बद्ध अथवा उनके माधनभूत प्रतीत होते हैं। आचार्य अभिनव ने जब-जब लक्षणों की व्याख्या की है, तब तब 'रसोत्कर्ष' से उनका सम्बन्ध स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त लक्षणों के आदि प्रवर्तक भरतमुनि ने स्वयं 'यथारस' कहकर उनकी रसवत्ता सिद्ध की है। परवर्ती आचार्यों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है।

किन्तु इतने प्राचीन नाट्यों के होते हुए भी प्रो० मट्टाचार्य का यह मत है कि -- "They are in no way caused by or connected with the normal application of the function of व्यञ्जना वृत्ति par excellence in the नव्य-अलंकारशास्त्र and are a part of विचित्रसंघटना associated with the main function of अभिधा-संघटनां विचित्रां कारयमाणाऽभिवाव्यापारवती ह्युक्ति (सुक्तिः) निर्वहण (The reading in the printed text 'निर्वाण' is unmining.)

प्रधानधुराधिरोही (व्यापारी) लक्षणारथ्य स्व' (पूना ओरियण्टलिस्ट, पृ० १७) इसी प्रसंग में आगे पुनः उन्होंने कहा है --

"The cleverly designed efforts of the later schools to connect लक्षण with रस in their new role are wishful thinking and often betray confused thinking as well as in the statement"-(तथा होदमनेन etc. अभि०, पृ० २६७)

प्रो० मट्टाचार्य का उपर्युक्त मत, उनकी अदूरदर्शिता का परिणाम, प्रतीत होता है, क्योंकि भरत प्रोक्त ३६ लक्षणों में से, अनेक ऐसे हैं, जिनका प्रत्यक्ष या गौण सम्बन्ध व्यञ्जना वृत्ति से है, और व्यञ्जना के रहते, किसी भी काव्यांश को रस (भरत) अथवा ध्वनि (आनन्दवर्धन) से दूर, हम मान ही नहीं सकते हैं। व्यञ्जना सम्बन्धी उदाहरण के लिए मनोरथ, प्रोत्साहना, तुल्यतर्क तथा अन्यान्य लक्षणों को हम ले सकते हैं जो उनकी रसवत्ता सिद्ध करने में भी पूर्णतः सक्षम हैं। दूसरी बात यह कि

१- अलंकार विवेचन के अन्त में भरत ने पुनः लिखा है -- 'सभिरर्थक्रियापेक्षैः काव्यं कुर्यात्तु लक्षणैः' (ना० १६।८७) 'अर्थक्रियापेक्ष' का अर्थ अभिनव -- 'क्रियायां रसवर्णनायां युक्तं येषां' करके इस पद को 'लक्षणैः' का ही विशेषण स्वीकार किया है। भरत का यह प्रमाण लक्षणों की रसवत्ता स्पष्टतः सिद्ध करता है।

‘लक्षण’ ‘विचित्रसंघटना के अंग’ (Parts of विचित्रसंघटना) कभी नहीं हैं, वरन् ऐसी संघटना के जनयिता हैं। अंग तो गुण एवं अलंकार हैं जिसकी विस्तृत व्याख्या पीछे की जा चुकी है। यदि यथाकथंचित, हम प्रो० मट्टाचार्य का मत स्वीकार भी कर लें तो यह समस्या चिन्त्य ही बनी रहेगी कि क्यों वस्तु एवं अलंकार रस निष्पादक नहीं होते? जब कि ध्वनि के त्रिविध्य से (रसध्वनि-अलंकारध्वनि तथा वस्तुध्वनि) हम पूर्णतः अवगत हैं। तीसरी बात यह कि ‘रसों के साथ लक्षणों का प्रतिकूल सम्बन्ध मानकर ही प्रो० मट्टाचार्य ने अभिनव भारत के उद्घोष में ‘निर्वाण’ पाठ को निरर्थक मान कर जो ‘निर्वहण’ पाठ स्वीकार किया है वह भी उनकी उद्भावना मात्र ही है क्योंकि ‘निर्वाण प्रधानधुराधिरोही’ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध, प्रस्थान का व्यामन्द से है, जिस परवर्ती युग में ‘ब्राह्मणानन्दसहोदर’ की उपाधि दी गई। ‘निर्वाण प्रधान’ का अर्थ है -- रसानुभूति प्रधान। स्पष्ट है कि अपने विशिष्ट दृष्टिकोण की पुष्टि मात्र के लिए मट्टाचार्य जी ने ‘निर्वाण’ पाठ को निरर्थक सिद्ध किया है। चौथी बात एक प्रबल प्रमाण के रूप में है, जहाँ कि आचार्य भारत स्वयं लक्षणों को रस से सम्बद्ध स्वीकार करते हैं। सोलहवें अध्याय के ८७ वें श्लोक (पृ० ३३१) में आचार्य का कथन है --

‘रभिरर्थक्रियापेक्षः काव्यं कुर्यात्तु लक्षणैः अतः परं प्रवक्ष्यामि काव्यदोषान् गुणांस्तथा’
यहाँ अभिनव के अनुसार ‘क्रियापेक्ष’ का तात्पर्य रसवर्षणा से ही है (रभिलक्षणैरिति अर्थः क्रियायां रसवर्षणायां युक्तं योगं येषां विभावादित्त्वं ह्येकेतत् प्रसादादीत्युक्तमवस्तात्)

सम्भव है कि अपने इसी दृष्टिकोण को अधिक पुष्ट बनाने के ही लिए विद्वान् आलोचक ने दशपदी के प्रथम मत को ‘मुद्रा शैल्या एवं पाके’ स्वरूप स्वीकार किया जिन्में से कि किसी का भी सम्बन्ध, शौशब्दय मात्र होने के कारण ‘रस’ से नहीं है। किन्तु ये उद्भावनायें सारहीन हैं जैसा कि प्रायः पिछले अनुच्छेदों में स्पष्ट हो चुका है। वस्तुतः ‘लक्षण’ सहजरामणीयकता से परिपूर्ण ‘काव्यशरीर’ है जिसका पारमार्थिक यत्न रसानुभूति की ही ओर होता है। डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी ने अभिनवोद्धृत ‘उपाध्याय’ पद पर प्रकाश डालते हुए अपने शोधप्रबन्ध की चौदहवीं पाद टिप्पणी में मट्टाचार्य को ही प्रसंगोपात्त सिद्ध किया है। इस स्थल पर उद्धृत आचार्य तात का एक सिद्धान्त पूर्णतः इस तथ्य को पुष्ट बनाता है कि ‘लक्षण’

रसानुभूति में परम महायक है -- 'In the present case अभिनव does not mention him by name, but later on he has told us in one place (ch. XIX) that in the opinion of Bhatta Janta, Lakshmanas along with other poetic factors Alamkān, Guna etc. help the suggestion of Rasa. He says--
तथा चांक्तं भट्टतोतेन--

लक्षणालङ्कृतिगुणा दोषाः शब्दप्रवृत्तयः ।

वृत्तिसन्ध्यंगसंरम्भः सन्नारो यः कवेः किल ॥

अन्योऽन्यस्यानुकूल्येन सम्भूयैव समुत्थितः ।

फटित्यैव रसा यत्र व्यज्यन्ते ह्लादिभिर्गुणैः ॥

अस्तु यह प्रसंग अब समाप्त हुआ, जिसका सम्बन्ध वस्तुतः अभिनव के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रतीत होता है ।

लक्षण सम्बन्धी द्वितीय पक्ष, मुख्यतः नाटकों से सम्बद्ध है। अभिनव गुप्त के प्रामाण्यानुसार इतिवृत्त अथवा कथावस्तु के स्रष्टा ही सध्यंगक, वृत्त्यंग एवं लक्षण, इन तीनों संज्ञाओं से अभिहित होते हैं । इन्हें 'सन्ध्यंग' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इतिवृत्त के प्रारम्भ से लेकर समाप्ति (निर्वहण पर्यन्त) तक उनके पृथग्भूत अंशों को ये परस्पर संयुक्त करते हैं । इसी प्रकार रस विशेष की अनुभूति कराने में उपयोगी सिद्ध होने के कारण, उन्हें वृत्त्यंग, तथा काव्यगत-स्थिति एवं प्राशस्त्य(उत्कर्ष) का विधायक होने के कारण लक्षण भी कहा जाता है । लक्षणों के विषय में यहां एक विशेष तथ्य कहा गया है, जिसकी व्याख्या भी डा० राघवन की उद्भावना के रूप में पहले ही की जा चुकी है । इस स्थल पर अभिनव मारती में एक कारिका भी उपन्यस्त की गयी है, जिसमें लक्षणों को ही 'बीजार्थक्रम' (बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी एवं कार्य रूप पंचावस्थायै) का निर्वाहक तथा फलसिद्धि के ही कारण प्रत्येक

१- अन्ये मन्यन्ते-इतिवृत्तस्रष्टा(ल) कान्यैव सन्ध्यंगकानि लक्षणानि द्रुति च व्यपदिश्यते ।
निमित्तमेदात् पूर्वपरसंबन्धेन बीजोपज्ञिप्तेऽर्थे निर्वहणपर्यन्ते परस्पर सन्ध्यायकत्वेन
सन्ध्यंगतया व्यपदेशः । रसविशेषोपयोगितया वृत्त्यंगवाचोयुक्तिः । काव्यगतस्थाति
प्राशस्त्योपयोगितया महापुरुषगतयाशध्वजपादरेखादिवल्लक्षणशब्दवाच्यता ।
तदुक्तं तत्रैव- लक्षणान्यैव बीजार्थक्रमनिर्वाहकानि च । इति
प्रतिसन्धितवंगानि फलसिद्धयुपपत्तिः इति (अभि०भा०, पृ० २६५-६६)

सन्धि में स्थित उनकी सन्ध्यंगता का स्पष्ट निर्देश किया गया है । इन कारिका की दोनों पंक्तियां भिन्न-भिन्न कारिकाओं की हैं, केवल मतपुष्टि के ही लिए उनका युगपदाधान किया गया है । अतः डा० राघवन का उसे एक स्वतंत्र कारिका के रूप में प्रतिपादित करना तथा पूर्व-अर्धाली में 'चे' के स्थान पर 'चेत्' का निर्देश या तो उनकी अपनी स्वतंत्र सूफ-बुफ है, अथवा पाण्डुलिपि का ही परिभ्रष्ट-पाठ है । किन्तु इनमें से कोई भी विकल्प स्वीकार करने पर न तो 'चेत्' पद की व्यंजना ही स्पष्ट होती है और न तो शालोचक का दृष्टिकोण ही !!

सन्ध्यंगों तथा ^{दूर्यज्ञे का} विधान नाटक में ही होता है । यहां एक विशेष तथ्य का निर्देश कर देना आवश्यक है कि 'सन्ध्यन्तरे' सन्ध्यंगों से उर्वथा भिन्न हैं^१ । इसी प्रकार त्मास्यांग तथा बीध्यांग भी, उनसे पृथक् तत्त्व हैं^२ । परवर्ती नाट्याचार्यों ने इसी कारण पांच अर्थप्रकृतियों (बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, कार्य) पांच अवस्थाओं (आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम) पांच संधियों (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण), चौंसठ सन्ध्यंगों (उपज्ञाप-परिकरादि), चार वृत्तियों (भारती, मात्वती, केशिकी, आरभटी), सोलह वृत्त्यों (फि नर्मस्फिज आदि) इक्कीस सन्ध्यन्तरों (साम, मेद, प्रदानादि) दश लास्यांगों, तैंतीस नाट्यालंकृतियों (आशी, आक्रन्द इत्यादि) तथा तेरह बीध्यांगों का कुत्तीस लक्षणों की अपेक्षा स्वतन्त्र विवरण प्रस्तुत किया है । लक्षणों को छोड़कर शेष दश उल्लिखित तत्त्वों में से अनेक ऐसे हैं जिनका व्याप्ति क्षेत्र, लक्षणों का अतिक्रमण करता है । इतना ही नहीं, वरन् लक्षणों को भी साथ लेकर इनमें से कुछ तत्त्व, अलंकारों के क्षेत्र में समाविष्ट हो जाते हैं । इन विषयों का वेश्य प्रदर्शन यथा प्रसंग आगे करेंगे । एक तथ्य अवधेय है कि उपर्युक्त विवरण अत्यन्त सज्ञाप में प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रायः प्रत्येक परवर्ती आचार्य को मान्य है । विस्तारप्रिय, आचार्य मौज ने (शृंगारप्रकाश, १२) इन नाट्यतत्त्वों की संख्या (चार वर्गों में विभाजन करके) सोलह स्वीकार की है जिनमें से प्रत्येक वर्ग ६४ अंगों से युक्त है ।

१- द्रष्टव्य-- सन्ध्यन्तराणामगेषु नान्तर्भावो मतो मम ।

सामाद्युपायदक्षेण सन्ध्यादिगुणशोभिना ।। रसार्णवसुधाकर ३।६५ (शिङ्गभूपालकृत)

२- सविस्तर द्रष्टव्य-- दशरूपक (४।८४) भावप्रकाशन, अष्टमाधिकार तथा साहित्यदर्पण (६।१७०-७१) ।

जहां उपर्युक्त चारों तत्त्वों को परस्पर भिन्न एवं पूर्णतः स्वतन्त्र तत्त्व बताया गया है ।

इस प्रकार भोज ने नाटक के लिए कुल २५६ तत्त्वों की अपेक्षा स्वीकार की है --

उदाहृता नाटकनाटिकादौ द्वयं चतुष्पष्टिचतुष्पृथ्वी या ।

रत्नाविरोधन निबन्धनीया कथानु काव्येषु च सा महश्मिः ॥

वस्तुतः भोज द्वारा नाट्यतत्त्वों में पताकास्थानक तथा प्रवृत्तिहेतु आदि की भी परिगणना उनकी विस्तारप्रियता मात्र है । द्वितीय पत्र का सम्बन्ध, जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है तथा प्रो० मट्टाचार्य ने भी स्वीकार किया है, इतिवृत्त अथवा कथावस्तु मात्र से है । बहिरंग दृष्टि से विचार करने पर ऐसा स्पष्ट प्रतिमान होता है कि इस पत्र का सारा जोर 'शरीर' के (काव्यशरीर) विभाजन पर ही है । सम्भव है कि इस मत के प्रतिष्ठापक स्वयं आचार्य भरत रहें हों ॥

तृतीय पत्र के अनुसार 'लक्षण' या तो 'धीरोदात्तादि गुणों' के आधान (आहरण) स्वरूप हैं अथवा 'वस्तुवर्णनाभंगि रूप' । स्पष्ट है कि प्रस्तुत पत्र में दो विकल्प हैं, अतः आगे, 'प्रथम एवं द्वितीय पत्र' के रूप में इन दोनों की पुष्टि की गई है -- काव्ये धीरोदात्तादिगुणाधानं वस्तुवर्णनाभंगिर्वा इति केचित् । तदत्र प्रथमे पत्रे वर्णनीयप्रधानभूताधिकारपुरुषगतगुणादिविभाग एव काव्ये पर्यवसीयते । द्वितीय पत्रे तु वर्णनीयः एकलस्येति । वृत्तिलक्षणोऽर्थः काव्यभेदात्रेधा विभज्यते' (अभि०, पृ० २६६) ।

इस व्याख्यान का संकेत भी नाटक की ही ओर है । द्वितीय पत्र से इसका यही वैशिष्ट्य है कि जहाँ उसका सम्बन्ध नाटक के स्वरूप तत्त्व(सन्ध्यंग) से है, वहाँ तृतीय पत्र का सम्बन्ध उसके तटस्थतत्त्वों(प्रतिपाद्य एवं नायक) से है । किन्तु ये 'तटस्थ तत्त्व' (इतिवृत्त तथा नायक) भी एक प्रकार से सन्ध्यंगों सहित 'सामान्य इतिवृत्त' के ही अंग हैं । नाटक के नायक की, धीर-ललित प्रशान्त एवं उद्धत प्रभृति अनेक कोटियां दशरूपकादि लक्षणग्रन्थों में बताई गई हैं (द्रष्टव्य दशरूपक, प्रकाश-२.) इन चतुर्विध नायकों में से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुण भी निरदिष्ट किये गये हैं । वस्तुतः 'धीरोदात्तादि गुणाधान' का संकेत नाटकीय नायक की इन्हीं चतुर्विध कोटियों की ही ओर है । नायक ही 'वर्णनीय' अर्थात् नाट्येतिवृत्त का प्रधानसत अधिकार-पुरुष है । उसी नायक का धीरोदात्तादि-चतुर्धाविभाजन, लक्षणों का स्वरूप है । अतएव इस वाक्य की डा० राघवन कृत सामुद्रिक लक्षणपेक्षिणी व्याख्या तात्त्विक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि 'धीरोदात्तादिगुणाधान' में

स्पष्टतः यह संकेत किया गया है कि जिन गुणों की इय मत में चर्चा की जा रही है, वे धीरांदात्तादि ही हैं, पुरुषगत सामुद्रिक लक्षणानि नहीं ।

दूसरा विकल्प सुस्पष्ट है, क्योंकि 'वस्तुवर्णनाभंगि' का पूर्वानुच्छेदों में बाहुल्येन विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है । जैसे प्रथमपदा का मूल सम्बन्ध, इतिवृत्त के नायक मात्र से है, ठीक यों ही प्रस्तुत पदा का इतिवृत्त मात्र से । 'वर्णनाभंगि' का विवेचन तो, लक्षणों के स्वल्प विवेचन में भी किया जा चुका है । आचार्य मामह की 'वक्रोक्ति' तथा लक्षणों का संघटनावैचित्र्य ही इस 'वस्तुवर्णनाभंगि' के मूल तात्पर्य हैं और इसी कारण प्रो० भट्टाचार्य ने तृतीय मत का समकक्ष तत्त्व मानते हुए आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति को प्रस्तुत किया है । वक्रोक्ति तथा लक्षण की सैद्धान्तिक तुलना एवं ऐक्य प्रतिष्ठापना, पिछले अनुच्छेदों में की जा चुकी है । प्रश्न यह है कि आचार्य मामह की वक्रोक्ति (जिसका लक्षणत्व पीछे कई दृष्टियों से निश्चित किया है) तथा आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति (वर्णनाभंगि रूप) बुक्ति-पूर्वक-इस-तथ्य-की-सिद्धि-की-है कि-अन्वय-कुन्तक-की-वक्रोक्ति क्या परस्पर भिन्न हैं? डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी ने भी अपनी शोध में (पृ० १८-२० तक) युक्ति पूर्वक इस तथ्य की सिद्धि की है कि आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति का मूलाधार मामह की ही वक्रोक्ति है, क्योंकि दोनों के मूल में एक ही सिद्धान्त बीज है । आचार्य कुन्तक ने उसे एक महत्त्वपूर्ण प्रभावशालिता से युक्त करके काव्यशास्त्र में एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप दिया है । इस विषय में लाहिरी साहब ने डा० ए० शंकरन के साक्ष्य भी पुष्ट्यर्थ उपस्थित किये हैं । अस्तु, यह कोई आलोच्य विषय नहीं, किन्तु इस स्थल पर हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि वैदग्ध्यभंगी के साम्यानुसार दोनों आचार्यों के सिद्धान्तों (वक्रोक्ति सम्बन्धी) में आन्तरेक्य अवश्य है । और इस दृष्टि से दोनों ही लक्षणों के समकक्ष हैं ।

दशपदा का चतुर्थ मत 'कवि' को ही 'काव्यसर्वस्व' रूप में स्वीकार करता है । काव्य-रचना में तल्लीन कवि की मनोवैज्ञानिक स्थिति प्रदर्शित करना ही इस मत का लक्ष्य प्रतीत होता है । वस्तुतः कवि जब काव्य रचने बैठता है तो उसके

1- The kind broached in the sentence (काव्ये... वस्तुवर्णनाभंगि-वैतिकेचित्)..... is found echoed in the 'वक्रोक्ति' ideology in its particular line of वस्तु in Kuntaka's Vakrokti Jivita. (Chapt. N. 18-19)

क्रियाशील नस्तिष्क में विविध भावतरंगें उठने लगती हैं । उस दशा में उसका कल्पना सम्पत्ति परिस्पन्दों के रूप में स्कैकशः प्रकट तथा प्रयुक्त होती है । इस क्रम में 'प्रथम परिस्पन्द' का स्वरूप 'सर्वोत्तम' होना है, क्योंकि इसमें कवि की 'प्रतिभा' ही आत्मरूप में अवस्थित रह रही है । इसी प्रतिभा के बल से वह रसामिव्यंजन कराने में सत्ताम, माधुर्यादि गुणों का काव्य में उपनिबन्धन करता है । सामान्य कवि जो केवल व्युत्पत्ति निष्णात किन्तु प्रतिभाविहीन है, वे ऐसा नहीं ही कर सकते । 'द्वितीय परिस्पन्द' का रूप 'वर्णना व्यापार' में युक्त होता है । इसमें कवि की प्रतिभा गौण रहती है, इसी कारण वह लक्षणमात्र के लिए यह विचार करता है कि -- 'असुक शब्द द्वारा मैं इस वस्तु का वर्णन कर रहा हूँ ! अलंकार इसी वर्णना व्यापार के फलस्वरूप सम्पाद्य होते हैं ।

किन्तु इन दोनों व्यापारों - (प्रतिभा एवं वर्णना) के अतिरिक्त एक परिस्पन्द और होता है जो समष्टिरूप में 'काव्यशरीर' का विधान करता है । इसमें कवि केवल, रसामिव्यंजक गुणों को ही संयोजित करने में व्यग्र नहीं रहता और न ही अलंकारयोजना में । वरन् उसका समस्त अवधान, सम्पूर्ण कविकर्म पर रहता है कि 'मैं शब्दों को इन शब्दों से तथा अर्थों को इन अर्थों से संयुक्त करता हूँ । और ऐसा करने में, गुण अलंकार (शब्दालंकार तथा अर्थालंकार) सब एक ही साथ उसे कविकर्म (काव्य) में आकृष्ट हो उठते हैं । इस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन 'त्रिविध-विवेचन-त्रिविध-अभिधा-व्यापार' (जो लक्षण का ही पर्याय है) के प्रसंग में किया जा चुका है । जहां तक 'रस' का प्रश्न है, वह भी गुणादिसाहचर्य के कारण उस कवि व्यापार से दूर नहीं रहता । यही तृतीय परिस्पन्द लक्षण है ।

यह लक्षण शब्दार्थ का उपसंस्कार करने वाला (क्योंकि शब्दार्थ गुण तथा शब्दार्थालंकार चारों उभे व्यापार से उद्भूत होते हैं) तथा क्रिया रूप (व्यापार रूप) होता है । श्लेषादि दश गुणों से सम्भाव्य अभिव्यंजन व्यापार

१- शब्दानमीमिः शब्दैरर्थानमीमिरथैः संघटयामीत्येवमात्मकस्तु यस्तृतीयः कवेः परिस्पन्दः

तदधीनात्मकामादिशब्दार्थात्मककाव्यशरीरसंश्रितानि वक्ष्यमाण श्लेषादिगुणदशकसम-
मिव्यंजनव्यापाराणि शब्दार्थोपसंस्कारकल्पानि क्रियारूपाणि लक्षणानीति ।

(अमि०, पृ० २६६) ।

मी इसी लक्षण का धर्म है, क्योंकि गुणों का सम्बन्ध शब्दार्थ से है और वही शब्दार्थ ही काव्य शरीर लक्षणों का आश्रय है। इतना ही नहीं, वरन् शब्दार्थ में स्थित तथा रसपरिपाक की ओर उन्मुख, एक स्निग्ध स्पर्श भी इन्हीं लक्षणों में विद्यमान रहता है।

वस्तुतः गुण अलंकार तथा लक्षणों के उपर्युक्त परिसन्वात्मक भेद कवि-व्यापार के ही भेद पर आश्रित हैं, अतः इह त्रिविध-विभाजन का समान दायित्व कवि पर हो है। प्रस्तुत पदा में कवि की ही स्वमात्र महनीय स्थिति स्थिति देकर प्रो० मट्टाचार्य ने कहा है --

"The fourth has a special reference to the preparation of the poet and his judicious use of select materials in the form of padas -
(शब्दानमोभिः शब्दैः.....इष्टालंकारदृष्टान्त-
चिह्नमिति च -- अमि०, पृ० २६६) In this interpretation गुण and अलंकार are but two interrelated aspects of the same attribute, which is termed lakshana."
(Bona Orientalist p-17)

जहाँ तक इस पदा के सम्भावित लेखक का प्रश्न है, प्रो० मट्टाचार्य ने आचार्य मट्टतात को स्वीकार किया है किन्तु क्यों और किस आधार पर? इसके विषय में मट्टाचार्य जी पूर्णतः मौन हैं। डा० राघवन ने प्रस्तुत पदा के अन्तिम वाक्य 'अत्र पदा कविव्यापारभेदाद्गुणालंकारलक्षणविभागः' में व्यापार-भेद शब्द देखकर अपना वह निर्णय दिया है --

"The third view takes its stand on व्यापारभेद. From what the अनुष्टुप् shloka and the association of व्यापार with मट्टनायक we may conjecture that some of these views are expounded in मट्टनायक's हृदयदर्पण. We also know of the Mīmāṃsā predilections of मट्टनायक. So it is likely that the tenth view also is contained in his work."
(Some concepts of the Alamkāraśāstra, p-12)

किन्तु ये दोनों ही मत 'भ्रामक' हैं। पहला तो केवल इसलिए कि वह आधारहीन-सा प्रतीत होता है और दूसरा इसलिए कि वह केवल 'शब्दसाम्य' के आधार पर मट्टनायक के नाम मढ़ दिया गया है। वस्तुतः व्यापार का अर्थ प्रस्तुत प्रसंग में

१- काव्ये ऽप्यस्ति तथा कश्चित्स्निग्धः स्पर्शो ऽर्थशब्दयोः यःश्लेषादिगुणव्यक्तिदत्तः
स्याल्लक्षणस्थितः ॥इति (अमि०, पृ० २६६)

केवल कविकर्म से है, अतः वह पीमांसा शास्त्र में स्थित 'व्यापारवाद' से पूर्णतः पृथक् है । प्रो० मट्टाचार्य जी का मत, जैसा कि ऊपर ब्याज जा चुका है कि आधारहीन सा प्रतीत होता है । किन्तु गहराई से विचार करने पर विद्वान् आलोचक की धारणाको स्वीकार किया जा सकता है । चतुर्थ पक्ष के व्याख्यान से इतना तो निश्चित हो जा चुका है कि इसके अनुसार काव्य-रचना के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पद 'कवि' का हो है । पूर्व व्याख्यात तीनों परिस्पन्दों का दायित्व एवं श्रेय भी सम्मत्त कवि को ही है । वस्तुतः कवि ही काव्य मंत्रार का प्रजापति है । इसी मन का समर्थन प्रो० मट्टाचार्य जी ने भी किया है, जिससे सम्बद्ध उनका मत भी किञ्चित्पूर्व उपन्यस्त किया जा चुका है ।

अभिनव भारती में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ व्याख्याकार ने अपने नाट्य-गुरु मट्टाचार्य का कवि-विषयक मत उपस्थित किया है और वह मत भी निस्सन्देह इसी वैचारिक सत्य की स्थापना करता है कि वाग्वैदग्ध्य से परिप्लुत जां कुछ भी काव्यरस-माधुरी, जगत् में है, उमका समस्त श्रेय सम्मत्त कवि तथा उसको व्यक्तिगत काव्यशक्ति (प्रतिभा) को ही है । आचार्य तौत ने ही सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ में (काव्य कौतुक) यह घोषणा की कि काव्य और कुछ नहीं, प्रत्युत कवि का कर्म मात्र है (तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्) उन्होंने पूर्वोक्तों द्वारा अंगीकृत मत (शब्दार्थो काव्यम्) को प्रकारान्तर से केवल इसी कारण स्वीकार किया ताकि कवि का 'माहात्म्य' स्पष्ट हो सके । कवि की व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं शक्ति के रूप में आचार्य तौत ने ही सर्वप्रथम 'प्रतिभा' की एक स्थायी परिभाषा निश्चित की । वह 'प्रतिभा' जो त्रैकालिकीप्रज्ञा के नवनवोन्मेषों से युक्त होती है । आचार्य तौत के कवि सम्बन्धी इन्हीं उद्गारों का अनुमोदन परवर्ती युग में चण्डीदास(काव्य प्र०दीपिका, पृ०७) जेमेन्द्र (का० ३५, औचित्य विचार०) हेमचन्द्र (पृ० १४ एवं ४३२ काव्यानु०) तथा राजानक रुचक आदि (पृ०१३,१।२३ व्यक्ति विवेक व्याख्या) विद्वानों ने भी किया है ।

अतः निश्चित है कि प्रो० मट्टाचार्य की मान्यता के पीछे यही व्याख्यान आधाररूप में स्थित है । मले ही उन्होंने इस तथ्य को विशद नहीं किया है किन्तु हमें इस बात से पूर्णतः सहमत होना चाहिए कि 'कवि' एवं 'कवि व्यापार' से ही सम्बद्ध होने के कारण प्रस्तुत मत के व्यवस्थापक आचार्य मट्टाचार्य ही हैं ।

अब पांचवें पक्ष पर आइये, जो कि स्वरूप की दृष्टि से चतुर्थ मत से प्रायः साम्य रखते हुए भी वैशिष्ट्य युक्त है । विवेचन के पूर्व ही यह स्पष्ट कर देना उचित है कि

प्रो० भट्टाचार्य की स्तम्भिक मान्यतायें, ग्यार्थस्पर्शा, विलङ्घन नहीं हैं। डा० राघवन ने तो इस मत को अपनी स्वीकृत दशपञ्चमे में लिया ही नहीं है। केवल अन्त का एक वाक्य, उन्होंने अपने चतुर्थ पत्र के रूप में स्वीकार किया है किन्तु उसकी व्याख्या भी उन्होंने अपने ढंग से की है। भट्टाचार्य जी ने इस मत का सम्बन्ध काव्य के संघटनातत्त्व (Compositioanal process.) अथवा 'कविवाङ्म-निर्मिति' से स्थापित किया है। इस विषय में उनकी धारणा है --

'The first, fifth and ninth relate to कविवाङ्मनिर्मिति in different forms of acceptance though it has yet to be candidly confessed that in the two last of these, the hakshama aspect is almost overshadowed. All of these relate however to the व्यापार as distinct from the रुक्षण or the incident mark.... etc. (Poona Orientalist p.20.)

किन्तु यदि हम पांचवें पत्र का प्रतिपादन करने वाली 'अभिनव-भारती' का अध्ययन करें तो स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि कम से कम पांचवें पत्र को लक्षणों से दूर समझना अल्पबोध का परिचायक है। ज्ञात तत्त्व को वितण्डा का रूप देना तथा अज्ञात को उपेक्षित कर देना, ये दोनों दोष प्राचीनकाल से ही आलोचकों में चले आ रहे हैं। आधुनिक आलोचकों को भी हम उस परिधि से बाहर नहीं सिद्ध कर सकते।

पांचवें पत्र के अनुसार अभिनेय काव्यबन्ध लक्षणों के कारण ही लोकोत्तर-हृद्यवर्णन' वाला बन पाता है। उदाहरण के लिए 'मेघदूत' को ही लीजिए। इस प्रबन्ध की समशीलता का मूल हेतु गुणों एवं अलंकारों का प्राधान्य होने के कारण विभूषण नामक लक्षण हो है। इसी प्रकार अन्य लक्षणों का भी योग (काव्यबन्धों से) समझना चाहिए। काव्यबन्धों से यहां स्पष्टतः दशविध रूपकों का अर्थ है, क्योंकि 'अभिनेयानां काव्यबन्धानां वक्ष्यमाण स्वरूपं च रूपकं, -स्विसंस्मभिद्ध्यत्' में वक्ष्यमाण

१- तथाहि किञ्चित्प्रबन्धजातं गुणालंकारनिकरप्रधानं यथा मेघदूताख्यं तद्विवभूषणम्, स्वमन्यदपि इति (पृ०६) ।

२- अपरे संगिरन्ते--अभिनेयानां काव्यबन्धानां वक्ष्यमाण स्वरूपं च रूपकं समभिद्ध्यत् । कवेः स्वसामर्थ्याधानाय तावद्म्यासौ निर्माणविधेयो लक्षणम् मस्तकासम्पूर्णश्चादौ (?) कप्रेण तु तथाभूतोऽभिनेयार्थः काव्यबन्धो (लक्षणोन्नीतः) तेन च लोकोत्तरहृद्यवर्णने योगात् । तथा हि किञ्चित्प्रबन्धजातं गुणालंकारनिकरप्रधानं यथा मेघदूताख्यं, तद्विवभूषणम् । स्वमन्यदपि । इति । (अभि०, पृ०२६६)

का स्पष्ट संकेत नाट्यशास्त्र के १० वें अध्याय (ब०पं०) में है, जिसे 'दशविध नाटकों' का विशेष लक्षण, व्याख्यात करते हुए अभिनव ने स्वयं कहा है -- 'तत्र महानामान्य-रूपं काव्यलक्षणं ऽध्याये कृतमित्यवान्तरसामान्यलक्षणम् उद्देशानन्तरं वक्तव्यमिति दर्शयति' । अभिनव के इन दोनों प्रमाणों -- अर्थात् पांचवें पत्र में रूपों के वक्ष्यमाण स्वरूप को संकेतित करना तथा अठारहवें अध्याय (दशरूपलक्षण) में काव्यलक्षण अध्याय में रूपों के सामान्य लक्षण का निर्देश--से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन दोनों अभिव्यक्तियों में कुछ आन्तरिक सम्बन्ध अवश्य है । और यदि हम इस अन्तर्संकेत को स्वीकार कर लें तो पांचवें पत्र का सिद्धान्त स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

ऐसी दशा में रूपों के निर्माण करने में अपने सामर्थ्याधान (कौशल प्रदर्शन) के लिए कवि जो 'अभ्यास' करता है वही लक्षण है । 'अभ्यास' का अर्थ नाटकीय विचार से 'शब्दार्थ एवं गुणालंकार' की संघटना ही है, जिसके फलस्वरूप वह अभिनेयार्थ (नाट्यकृति) लोकोत्तर वृध्वर्णना से संवर्धित होता है । इस प्रकार घुमा-फिरा कर इन सब का सारार्थ 'त्रिविध अभिधाव्यापार' पर ही केन्द्रित होता हुआ प्रतीत होता है । प्रो० मट्टाचार्य जी इस व्यापार तत्त्व को तो स्वीकार करते हैं किन्तु वह व्यापार लक्षणों से व्यतिरिक्त कैसे है ? यह रहस्य समझ में नहीं आता । क्योंकि 'कविवांनिर्मिति' तथा (त्रिविध अभिधा) व्यापार' दोनों ही तत्त्व लक्षणों के पर्याय हैं, जैसा कि पहले सिद्ध कर चुके हैं ।

इस पत्र की एक नवीनता यह है कि इसका सम्बन्ध स्पष्टतः अभिनेय काव्यबन्धों (रूपों) से ही है । किन्तु 'अभिनेय' पद स्पष्ट रूप से यहां नाटकों की ओर केवल संकेत ही करता है, परन्तु उन्हीं के लिए रूढ़ नहीं है । क्योंकि आगे 'मेघदूत' को उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि किसी भी रूप में नाटक नहीं कहा जा सकता । अतः 'अभिनेय' का तात्पर्य यहां 'अभिनय गुणविशिष्ट' श्रव्य अथवा दृश्य काव्य से लेना चाहिए ॥ पांचवें पत्र का सम्भाव्य लेखक कौन है ? इस विषय में प्रो० मट्टाचार्य एवं डा० राधवन दोनों मौन हैं । किन्तु यदि हम अभिनव मारती के 'वक्ष्यमाण स्वरूप' पद पर ध्यान दें तो कुछ आभास मिलता है कि यह मन्तव्य स्वयं आचार्य मरत का रहा होगा । यद्यपि 'दशपत्नी' का मौलिक स्वरूप अभिनव के युग तक विनष्ट हो चुका था, अतएव अभिनव ने तत्तु आचार्यों की मूलभित्ति के अभाव में दशपत्नी को पुनः अपने शब्दों में व्यक्त किया । किन्तु इतना होने पर भी

अभिनव की आत्मिक्य बुद्धि निरपेक्षता निष्पक्षता तथा स्व ईमानदारी पर हम अविश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक पदा का उपस्थापन उन पदों के संस्थापनाचार्यों की मान्यता एवं भावना के ठीक अनुकूल ही करने का प्रयत्न किया है और प्रायः सफल भी रहे हैं।

इस प्रकार निश्चित है कि उठारहवें अध्याय में स्थित दशपदा व्याख्यान की ओर 'वक्ष्यमाण स्वरूप' से संकेत करने वाले तथा 'गुणालंकारनिकरप्रधान' विभूषण आदि को 'प्रबन्ध जात' (धर्म) मानने वाले आचार्य भरत ही इस मत के व्यवस्थापक हैं। अगले मत में यह तथ्य और स्पष्ट करने की चेष्टा की जायगी, क्योंकि वह भी आचार्यभरत का ही मत प्रतीत होता है।

दशपदा का कृष्ण विकल्प लक्षणों को 'प्रबन्धधर्मा' के रूप में प्रस्तुत करता है -- 'प्रबन्धधर्मा लक्षणानि इति केचित्तु ब्रुवते' (अभि०, पृ० २६६) इसी प्रकार सातवां पदा भी उन्हें 'कवियों का अभिप्राय विशेष मानता है -- कवेरभिप्राय-विशेषो लक्षणम् इति इतरे पुनर्मन्यन्ते' (अभि०, पृ० २६६) कालक्रम की दृष्टि से ये दोनों पदा लक्षणों की प्राचीनतम स्थिति के द्योतक हैं। भरत से बहुत पहले जब सर्वप्रथम कवियों तथा उनके प्रबन्धों का साहित्य क्षेत्र में उदय हुआ होगा, तभी इन लक्षणों का सिद्धान्त भी 'प्रबन्धधर्म' अपना कवि के अभिप्राय विशेष रूप में प्रकट हुआ होगा।

पांचवें पदा की व्याख्या में हम यह देख चुके हैं कि गुण एवं अलंकार समूह से युक्त 'विभूषण' लक्षण को प्रबन्ध (मेघदूत) स्थित माना गया है। डॉ० राघवन प्रबन्धधर्मा लक्षणानि को उसी मत से संयुक्त करके अपना 'चतुर्थ मत' इस प्रकार स्थिर करते हैं -- तथा हि किञ्चित्प्रबन्धजातं गुणालंकारनिकरप्रधानं यथा मेघदूताख्यं, तद्विभूषणम् एवमन्यदपीति प्रबन्धधर्मा लक्षणानि। इस वाक्य में 'अन्यदपि प्रबन्धधर्मा लक्षणानि' की स्पष्ट व्यंजना यही है कि जैसे 'विभूषण' को मेघदूत का (धर्म) बताया गया, उसी प्रकार अन्य प्रबन्ध धर्म (अन्य ३५ लक्षण) भी लक्षण हैं। उक्त उदाहरण में मेघदूत भी प्रबन्ध ही है अतः यदि हम कृष्ण लक्षणों तथा उनमें उत्पन्न किए गए वैशिष्ट्यों (Characteristics of different kinds of poems — Dr. V. Raghavan) को ही 'प्रबन्ध धर्म' तथा लक्षण स्वीकार करें तो कोई अनौचित्य नहीं। वैशिष्ट्यों का स्पष्ट तात्पर्य गुणालंकारप्राधान्य (विभूषण) शिल्पाकारों से विचित्र अर्थ का वर्णन (अक्षरसंघात) असिद्धार्थ की सिद्धि (शोभा) हृदयस्थमावों की अन्यापदेशों द्वारा

अभिव्यक्ति (मनोरथ) आदि से है जिन्हें कि स्थान-स्थान पर अभिनवभारतीकार ने स्वयं लक्षणों में अभिन्न सिद्ध किया है। इस दृष्टि से आचार्य भरत के प्रत्येक लक्षण काव्य सम्बन्धी किसी न किसी वैशिष्ट्य में अवश्य संयुक्त है, जैसा कि ऊपर 'स्थाली-मुल्लक्षणम् पुलान्यायेन' सुस्पष्ट बिया जा चुका है।

उपर्युक्त विवरण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 'त्रिविध अभिधा व्यापार' भी इस क्षेत्र में रहेगा। क्योंकि वह स्वयं प्रबन्धरूप है, गुण अलंकार तथा अन्य विचित्र संघटनायें सब उगी से प्रसूत होती हैं। जहां तक इस पत्र के व्यवस्थापक आचार्य का प्रश्न है, हम आचार्य भरत को ही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वव्याख्यानुसार प्रबन्धरूप, ३६ लक्षण स्वं उनमें व्यवस्थित विशिष्ट तत्त्व ही 'लक्षण' हैं और आचार्य भरत ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की स्थापना की थी -- 'काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणात्विताः' (अभि०, पृ० २६२) तथा -- 'षट्त्रिंशल्लक्षणान्येवं काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्' (षोडशाध्यायानुबन्ध, अभि०, पृ० ३५०)। चूंकि आचार्य भरत ही ज्ञात आचार्यों में प्राचीनतम हैं, जिन्हें प्रथम लक्षणोपदेष्टा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है तथापि इस तथ्य की सम्भावना तो है ही कि उनके पूर्व भी किसी आचार्य ने 'लक्षणसिद्धान्त' का प्रतिपादन किया हो, जैसा कि डा० देशपाण्डे जी ने निरुक्त स्वं पूर्वमीमांसा में 'लक्षणम्--ह्रि-कहम्-मयम्-है स्थित उपमा स्वं उपमान का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि इन्हें मीमांसा में 'लक्षण' ही कहा गया है। (द्रष्टव्य० भारतीयगहित्यशास्त्र, प्रथमाध्याय, पृ० ४७)

सातवें पत्र में कवि के 'अभिप्रायविशेष' का अर्थ क्या है? इस पर थोड़ा व्याख्या अपेक्षित है। डा० राघवन इस मत के निराकरण में अपने को असमर्थ घोषित करते हैं^१, और प्रो० मट्टाचार्य जो उसे काव्य में कवि द्वारा प्रतिपादित कथन या भाव विशेष मानते हुए आचार्य मामह स्वं दण्डी को उनके ज्ञाता रूप में प्रस्तुत करते हैं। किन्तु इस विषय में कुछ आपत्तियां इस प्रकार हैं -- (क) जहां तक 'अभिप्राय' को काव्य में प्रतिपादित कवि का स्वारस्यविशेष (The poets inner motif underlying his composition - Prof. Bhatta.) मानने का प्रश्न है,

१- We are unable to have much light as regards the fifth view on which we have only a brief remark. It says- केचित्तु वृते- कवेरभिप्रायविशेषो लक्षणम् इति।

वह तो ठीक हो है, किन्तु उनके दृष्टान्त अथवा नाम्य रूप में, मामह तथा दण्डी के अभिप्रायों की उद्धरण देना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों में विशेष अन्तर है।

कथा एवं आख्यायिका के निराकरण प्रसंग में आचार्य मामह ने आख्यायिका का वैशिष्ट्य बताते हुए कहा है -- 'कवेरभिप्रायकृतैः कथनैः कैश्चिदंकिता' (काव्या० १।२७) इस विवरण में अभिप्राय से अंकित होने का स्क्मात्र तात्पर्य है रचना में कवि द्वारा अपना कुछ व्यक्तिगत संकेत देना। इसी को परवर्ती आलोचकों एवं आचार्यों ने 'मुद्रा' (अलंकार) अंक अथवा 'कविसाहस्रांक' नाम भी दिया है। उदा० भारवि द्वारा 'किरातार्जुनीय' के प्रत्येक सर्गान्तपद्य में 'लक्ष्मी' तथा माघकवि द्वारा 'शिशुपालवध' के प्रत्येक सर्गान्तपद्य में 'श्री' शब्द का प्रयोग 'नीलकण्ठविजय' में इसी प्रकार सर्वत्र नीलकण्ठमखिनिहितकारुण्य' तथा नलचम्पू में 'हरचरणसरोजद्वन्द्वमौलि' शब्द का प्रयोग। यही कवि का अभिप्रायकृत कथन है, आख्यायिका में इसका सद्भाव मामहाचार्य के अनुसार अत्यन्त आवश्यक है। आचार्य हेमचन्द्र (काव्यानुशासन, पृ० ४५७) प्रबन्धगत अलंकारों का व्याख्यान करते हुए इन तत्त्वों की गणना 'शब्दवैचित्र्य' में करते हैं। उनके अनुसार ये अभिप्राय पांच प्रकार के हैं -- स्वामिप्रायांकता, स्वनामांकता, दृष्टनामांकता, मंगलांकता तथा आशंसांकता। इनमें से अन्तिम का सम्बन्ध प्रायः नाटक से ही होता है। क्योंकि वही 'भरतवाक्य' कहा जाता है।

किन्तु आचार्य दण्डी ने मामह के इस संकीर्ण मत का विरोध करते हुए कहा कि 'कविभावकृत ये चिह्न' कथा में भी प्रयुक्त किये जाने पर सदोष न होंगे, अर्थात् कथा में भी उनका प्रयोग आवश्यक है ('कविभावकृतं चिह्नमन्यत्रापि न दुष्यति' -- काव्यादर्श १।३०)। इस प्रकार मामह का 'कवि-अभिप्राय कृत कथन' तथा दण्डी का 'कविभावकृत चिह्न' दोनों एक ही तत्त्व हैं, जिन्हें कि 'अंक, साहस्रांक तथा मुद्रा' भी कहा गया है। 'मुद्रा' का अर्थ है, कवि द्वारा प्रारम्भ में (अथवा कहीं भी) 'स्त्री' शब्दावली का प्रयोग जिससे समस्त प्रतिपाद्य संकेतित हो उठे। उदा० शाकुन्तल की नान्दी (या सृष्टिः ब्रह्मराधा आदि) में 'ये द्वे काले' द्वारा शकुन्तला की दोनों साक्षियों तथा 'याम्..... सर्वबीजप्रकृति' द्वारा शकुन्तला आदि की ओर संकेत।

अतः अभिप्राय सम्बन्धी इस व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि जिन अभिप्रायों को लक्षण की मान्यता आचार्य अभिनव ने दी है, वे इतने संकीर्ण एवं 'विशिष्ट'

नहीं हैं जितने कि आचार्य भामह स्वं दण्डी के हैं और जिनका क्षेत्र 'केवल कथा एवं आख्यायिका' मात्र हैं। वस्तुतः लक्षणों द्वारा इंगित अभिप्राय कुछ 'व्यापी तत्त्व' हैं जिनका स्पष्टीकरण आगे होगा।

(क) दूसरी आपत्ति यह है कि पूर्वोद्धृत भामह के मत को प्रो० मट्टाचार्य गलत रूप में उद्धृत करते हैं -- 'कवेरभिप्रायकृतः लक्षणः कैश्चिदंकिता (काव्या० १।२७) जब कि पाठ वस्तुतः 'कथैः कैश्चिदंकिता' का है। अतः निश्चित है कि 'लक्षण' शब्द का आदान विद्वान् आलोचक ने या तां पाठभेदवश (और यदि ऐसा पाठभेद है तो गलत, अनुचित एवं असंगत है, क्योंकि यह स्पष्ट तथ्य है कि भामह ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी शब्दशः लक्षणों को इंगित नहीं किया है। दण्डी ने सर्वप्रथम काव्या० २।३६५ में लक्षणों लिख किया) या फिर लक्षणों से प्रत्यक्ष संगति बैठाने की दृष्टि से स्वार्थवश किया हो।

वस्तुतः लक्षणों के क्षेत्र में इंगित किये गए अभिप्राय वे हैं, जिनकी चर्चा यास्काचार्य कृत निरुक्त (७।१३) तथा जैमिनीयपूर्वमीमांसा (अध्याय २ पाद १) पर लिखित, शाबरमाष्य में उद्धृत, पूर्वचार्यों की लक्षणकारिकाओं में आई है। निरुक्त में इन्हें 'अभिप्राय' (एवमुच्चावचैः अभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति) तथा शाबरमाष्य में, स्पष्टतः लक्षण (स्तत्स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्-तन्त्र-वार्तिक, ब्राह्मणलक्षणधिकरण) कहा गया है। ये लक्षण अथवा अभिप्राय, प्रायः भरत प्रोक्त ३६ लक्षणों के समान हैं संज्ञा भी दोनों में एक सी ही है^१। ऐसी दशा में सम्भव है कि प्रसिद्ध मीमांसक आचार्य मट्टनायक ने लक्षण सम्बन्धी इस सिद्धान्त की स्थापना की हो। इन 'अभिप्रायों' का अर्थ वैदिक मंत्रों के स्वरूप से है।

आठवां पक्ष स्पष्टतः 'औचित्य सम्प्रदाय' से सम्बद्ध प्रतीत होता है-- 'केचित्तथास्थानविशेषं, यद्गुणालंकारायोजनं तद्वलक्षणमिति' (अभि०, पृ० २६६) जहाँ तक गुणालंकार योजना का प्रश्न है, वह अन्य पक्षों में भी अंशतः प्राप्त होती है किन्तु इस पक्ष की सारी नवीनता 'यथास्थानविशेष' से ही है। साहित्य-शास्त्र में

१- सविस्तर द्रष्टव्य--पृष्ठ ४४ से ४८ तक। डा० देशपाण्डेकृत 'भारतीय साहित्यशास्त्र'।

यह सिद्धान्त सर्वमान्य एवं प्रख्यात बन चुका है कि जब तक गुणालंकारों का संयोजन उचित रूप से न होगा, तब तक 'रसनिष्पत्ति' असम्भव ही है। शृंगार रस के प्रसंग में यदि हम श्लेष और यमकादि का निबन्धन करें अथवा ओजोगुणनिष्ठ पदावली का प्रयोग करें तो वह वह रसानुभूति में सहायक न बन कर प्रतिरोध पैदा कर सकती है। इसी कारण ध्वन्यालोककार ने समसामयिक कवियों को सूचित कर दिया था कि --

ध्वन्यात्मभूतं शृंगारे यमकादि निबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विज्ञेयतः ॥

-- ध्वन्या० २।१५ ।

किन्तु यदि उसी शृंगार रस में रूपकादि अलंकारों का यथोचित निबन्धन किया जाय तो औचित्य के कारण वह रसपरिपाक में सहायक होगा, ऐसा ध्वनिकार ने ही आगे स्वीकार किया है --

ध्वन्यात्मभूतं शृंगारे समीक्ष्य विनिवेशितः रूपकादिरलंकारवर्ग
एति यथार्थताम् ॥

--ध्वन्या० २।१७

'यहां' 'समीक्ष्य' का तात्पर्य औचित्य से ही है। आचार्य आनन्दवर्धन ने समस्त ग्रन्थ में मुरिज्ञः इस औचित्य तत्त्व की स्थापना की है। वस्तुतः इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पूर्वार्चार्यों से ही मिली थी। जां कि स्वयं 'औचित्य' को बहुत महत्त्व देते थे। अतः आचार्य आनन्दवर्धन की स्पष्ट धारणा थी कि -- अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का और कोई भी अन्य कारण नहीं। इसी प्रकार मामह का भी सर्वाधिक आग्रह निर्दोष काव्य-रचना के प्रति ही था, जिसके अन्तराल में 'औचित्य' मत का ही प्रभाव छिपा हुआ था है। आचार्य दण्डी ने भी 'औचित्य' पर जोर दिया है। दोषों का उपसंहार करते हुए काव्यादर्श (३।१७६) में उन्होंने कहा --

विरोधः सकलो ऽप्येषः कदाचित्कविकौशलात् ।

उत्क्रम्यदोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥

१- द्रष्टव्य--ध्वन्यालोक, तृतीयोद्योत की छठीं, नवीं, तेरहवीं, उन्नीसवीं, बत्तीसवीं, तैंतीसवीं कारिकायें ।

२- 'अनौचित्याद्भूते नान्यत् रसभंगस्य कारणम्' --ध्वन्यालोक उ०३ ।

३- नाकवित्त्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा कुकवित्त्वं पुनस्साक्षात् मृतिमाहुर्मनीषिणः । १।१२

(काव्या०)

यहां 'कविकौशल' की व्यंजना, कवि द्वारा औचित्यनिबन्धन' में ही है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए।

इस प्रकार औचित्य निबन्धन की यह परम्परा मामूह में ही प्रारम्भ हुई तथा दण्डी, वामन, आनन्दवर्धन आदि आचार्यों द्वारा परिपुष्ट होती हुई, आचार्य ज्ञानेश्वर द्वारा अन्त में 'काव्यात्म' पदों प्राप्त कर सकी। औचित्य विचार चर्चा में लेखक ने इस मत का सुदृढ़ संस्थापन करते हुए नाना प्रकार के औचित्यों का निराकरण किया है। किन्तु चूंकि अभिनव गुप्त के पूर्ववर्ती, औचित्यमत के प्रतिष्ठापक आचार्य, आनन्दवर्धन ही हैं, अतः उन्हें ही हम इस मत की व्यवस्था का श्रेय दे सकते हैं। एक तथ्य जैसा कि प्रो० मट्टाचार्य स्व० डा० राघवन ने भी स्वीकार किया है, अवश्य है, वह यह कि औचित्य मत का निबन्धन सर्वत्र 'रसपरिभाषा' की ही दृष्टि में किया गया है। ज्ञानेश्वर ने 'रससिद्ध काव्य' कह कर तथा भामह्याचार्य ने बहुत पहले 'निर्दोषता' का निर्देश करके इस तथ्य को स्पष्ट किया। आचार्य आनन्दवर्धन भी 'रसध्वनि' की ही दृष्टि से 'औचित्य' मत को अपेक्षित महत्त्व देते हैं --

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनं रसादिविषयेण तत्कर्म मुख्यं महाकवैः ॥

-- ध्वन्या० ३।३२ ।

नवें पन्ना में लक्षणों का वह स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, जिसे स्वयं अभिनव ने लक्षण व्याख्यान में आद्यन्त स्वीकार किया है। इसी कारण, आचार्य अभिनव को ही इस पन्ना का प्रवर्तक आचार्य स्वीकार करना चाहिए। अभिनव द्वारा प्रोक्त 'त्रिविध अभिधा व्यापार के व्याख्यान में इस तथ्य को स्पष्ट किया जा चुका है कि लक्षण, 'स्वाभाविक सौन्दर्य युक्त काव्यशरीर' हैं। काव्यों में जो निर्गम सुन्दर-अभिनय-विशेष होता है, उस नैसर्गिक सौन्दर्य का कारणभूत घर्म ही लक्षण हैं। अलंकार रहें या न रहें किन्तु उनके न रहने पर भी जो घर्म काव्य में एक सहज स्मरणीयता उत्पन्न करे वही लक्षण है। किन्तु 'लक्षणों' से संवलित होने पर कोई भी अभिव्यक्ति, एक विशिष्ट काव्यशरीर का रूप धारण कर लेती है : यह तथ्य भी हमें समझ लेना चाहिए। अर्थात् लक्षणों के साहचर्यवश, काव्य में

१- अलंकारास्त्वलंकारा गुणा स्व गुणाः सदा औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य - जीवितम् ॥ (औचित्य०श्लो० १५)

२- परे त्वमाषन्त- अलंकारादिनिर्पेक्षेणैव निर्गमसुन्दरो योभिनयविशेषः काव्येषु - दृश्यते, अमरुकश्लोकेष्वपि, तत्सौन्दर्यहेतुर्यो घर्मः स एव चार्थः काव्यशरीरविशेषरूपो लक्षणाम् (अभि०, पृ० २६७ ।

कुछ न कुछ विशेषता अवश्य आ जाना है, जैसा कि हठें पदा की व्याख्या में ही इसे सोदाहरण स्पष्ट किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वरन् ये लक्षण 'भेदके' तत्त्व भी कहे जाते हैं, क्योंकि मरन प्रोक्त केवल तीन अलंकारों -- उपमा, दीपक एवं रूपक -- को अनन्त रूप देना, इन लक्षणों का ही कार्य है। यह तथ्य भी आचार्य अभिनव ने स्वयं 'अनुवृत्ति' लक्षण के व्याख्यान में शब्दशः स्वीकार किया है --

तत्तेनोपमानशरीरव्योमयेयशरीरव्यवा वैचित्र्यं लक्षणानामैव व्यापारः,

इत्येवमुपमारूपकदीपकानां त्रयाणामलंकारत्वेन वक्ष्यमाणानां प्रत्येकं षट्त्रिंशलक्षण-
रूपसंज्ञानामपि वै (चै) कट्टिव्याख्यानरविभागः ५३१५-५३२० स्वयं केन गजयितुं शक्यम् । इदानीं शत-सहस्राणि
योगात् वैचित्र्याणि महदयैरुत्प्रेक्ष्यन्ताम् -- (अभि०, पृ० ३१७)

अपने इस मत की पुष्टि करने के लिए अभिनव ने, परिदेवन लक्षण के प्रसंग में अपने उपाध्याय (भट्टतात) का मत भी प्रस्तुत किया है (पृ० ३२१) जिसे कि यथाप्रसंग आगे निरूपित किया जायगा।

इस प्रकार जब लक्षणों को 'वैचित्र्यवर्धन' का कारण स्वीकार कर लिया गया तो ^{यद्यत्तद्व्य} स्वयमेव प्रतिष्ठित स्वं सिद्ध ही हो जाता है कि 'शब्द स्वं अर्थ' को पारस्परिक संघटना से उत्पन्न (चतुर्विध गुणालंकार रूप) चित्रता ही लक्षण है^२। इन विवरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नवां पदा पूर्णतः 'त्रिविध अभिधा-व्यापार' के अंगों से ही सम्बद्ध है और यही 'व्यापार' कल्पना लक्षणों के सिद्धान्त क्षेत्र में अभिनव गुप्त की अपनी मौलिक देन है। डा० राघवन ने इस पदा, का तीन भागों में सिद्धान्त-क्षेत्र में अभिनव-मुक्त कील्पित करके, उनकी व्याख्या, 'दशपञ्जी' के तीन स्वतन्त्र पदाओं के रूप में किया है, सम्भव है ऐसी कल्पना मद्रास पाण्डुलिपि के ही कारण की गई हो। इस पदा के अर्थवस्थापकत्व के बारे में पूर्ववर्ती समस्त आलोचक मौन रहे हैं, किन्तु जैसा कि ऊपर युक्तियों सहित इसका समाधान प्रस्तुत किया है, आचार्य अभिनव ही इस मत के प्रतिष्ठापक प्रतीत होते हैं।

दशमपदा का सिद्धान्त, तुलनात्मक दृष्टिकोण से सर्वाधिक सरल एवं बोधगम्य है। इसका मूल कारण इस पदा का मर्यादित स्वं स्थूल होना है। अभिनव

१- उपमादीपकरूपकाणामानन्त्याद् भेदमाहुः (नवम पदा का ही अंश, द्रष्टव्य अभि०, पृ० २६७३)

२- (तु) शब्देन अर्थेन चित्रत्वं लक्षणमिति (,, ,, ,,)

भारती के प्रामाण्यानुसार -- 'इतरेषां तु मतं यथा तन्त्रप्रसंगवाधातिदेशादि मीमांसा-
प्रतिहं वाक्यविशेषव्यवच्छेदलक्षणं तथा काव्यविशेषव्यवच्छेदकं भूषणालिलक्षणजानम्
इति त्वयं पदानौ द्वितीयजान्म भिद्यते ।'

अर्थात् जैसे मीमांसा शास्त्र में , तन्त्र-प्रसंग-वाधा एवं अतिदेश इत्यादि
'वाक्यविशेष' हैं, ठीक उन्ही प्रकार काव्य में भी भूषण-अज्ञारसंधात आदि तत्त्व
विशेष हैं । इस निर्देश में स्पष्ट हो जाता है कि इतिवृत्त (अथवा काव्यप्रकार) का
विभाजन ही इस मत का लक्ष्य है । इन्ही कारण अभिनव गुप्त स्वयं कहते हैं कि --
दशम पदा द्वितीय से भिन्न नहीं है , क्योंकि द्वितीय पदा में भी लक्षणों को
'इतिवृत्तखण्डक' को ही (साम्यगक) लक्षण कहा गया है ।

मीमांसा के विषय में कुछ ज्ञानव्य तथ्य 'अभिप्राय' (सप्तमपदा) शब्द
की व्याख्या में उपस्थित किये गए हैं । ये उच्चावच अभिप्राय, वस्तुतः वेदमन्त्रों के
स्वरूप हैं, जिनमें आर्शाः, स्तुति, संख्या, प्रलपित एवं परिदेवनादि भावों का निबन्धन
किया गया है । नाट्यशास्त्र के भी लक्षण बहुत कुछ, इसी प्रकार के भावों का
उपस्थापन करते हैं । प्रसंग- वाधादि भी इसी प्रकार मीमांसा शास्त्र के अंगभूत तत्त्व हैं,
जिससे 'लक्षणों' का साम्य है । अतः निश्चित है कि इस मत का व्यवस्थापक
आचार्य परम साहित्यरसिक किन्तु साथ ही साथ विदग्ध-मीमांसक रहा होगा । डा०
राघवन मट्टनायक को इस रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके विषय में कोई आपत्ति
सम्भव नहीं प्रतीत होती ।

इस प्रकार दशपदा के विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि अभिनव के पूर्व
ही लक्षणों के स्वरूप-निर्धारण में अनेक आपत्तियां उत्पन्न हो चुकी थीं, जिनमें से
दश का साकेतिक विवरण, आचार्य ने प्रस्तुत किया है । सम्भव है, कि और भी
स्काध पदा रहे हों, जिन्हें अभिनव न जान सके हों । किन्तु 'पूर्वपरम्परा' के अनुसार
यह स्पष्ट है कि 'कवियों के अभिप्रायों अथवा 'प्रबन्धमों' के रूप में 'लक्षण' भरत
से भी पूर्व अत्यन्त प्राचीन युग में प्रादुर्भूत हुए । मीमांसा एवं निरुक्त में उन्हें
स्थायित्व मिला और , ईसापूर्व द्वितीय शती में वे एक प्रख्यात 'काव्यतत्त्व' के
रूप में आचार्य भरत द्वारा प्रतिष्ठित हुए । उनका रक्त सुदृढ़ किन्तु अपरिस्फुट
सिद्धान्त भरत ने स्थापित करके उनके ३६ प्रकारों का निर्देश किया । आचार्य भरत के
पश्चात् (द्वितीय पंचम एवं षष्ठ पदा) दण्डी, आनन्दवर्धन (आठवां औचित्यपदा)

कुन्तक (तीनरा : वन्दुवर्णनाभंगि पदा) मट्टनाटक (सप्तम स्वं दशमः अभिप्राय तथा तत्र बाधादि संबन्धी पदा) मट्टतांत (चतुर्थः कविव्यापार पदा) तथा अन्त में अभिनव गुप्त (प्रथम स्वं नवमः त्रिविध-अभिधाव्यापार-पदा) ने स्वयं , लक्षण संबन्धी मान्यताओं की परम्परा को उज्जीवित किया । चूंकि लक्षणों के सिद्धान्त मामह स्वं दण्डी के ही युग में , अपने मौलिक रूप में स्थिर न रह सके , अतस्व परवर्ती युग में इनका प्रचलन प्रकारान्तर में ही होता रहा । दशपदी के व्याख्यान में प्रायः इस तथ्य को स्थान स्थान पर स्पष्ट किया गया है ।

आचार्य अभिनव के पश्चात् लक्षणों पर स्त्रोत्ररूप में अथवा गौणरूप में (प्रसंगत) विचार-विमर्श करने वाले अनेक आचार्य, कवि स्वं टीकाकार हुए जिनका संक्षिप्त विवरण यहां डा० राघवन कृत शोचनिकन्ध के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है^१ । अभिनव के समकालिक विद्वानों में, राजा मोज (शृंगार प्रकाश में ६४ लक्षणों की व्याख्या) तथा उनके ही राजकवि धनंजय (दशरूपक ४।८३-८४ में भूषणों का अलंकारों में अन्तर्भाव - सूचन) आते हैं । इसके पश्चात् शारदातनय (भावप्रकाशन अष्टमाधिकार में भूषण नाम से ५४ लक्षणों की व्याख्या) जयदेवपीयूषवर्ष, (चन्द्रालोकः तृतीयमयूरव में, स्वतंत्र रूप में दश लक्षणों का विवेचन) शिंगभूपाल, (रसार्णवसुधाकर, तृतीयविलास भूषण नाम से ३६ लक्षणों की व्याख्या) विश्वनाथ, (साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद में, ३६ लक्षणों का विवेचन) राघवभट्ट (शाकुन्तल टीका में कुल चौदह लक्षणों का व्याख्यान) जगद्धर (मालती० टीका में ६ लक्षणों का विवेचन) रुचिपति, (अनर्घराघव टीका में दो लक्षणों का नाट्यालंकार के नाम से विवेचन) राजानक अलक (रत्नाकरकृत हरविजय टीका, २१।५७ में काव्यव्यवस्थास्थापक के रूप में ३६ लक्षणों का उद्देशमात्र) बहुरूप मिश्र (दशरूप टीका में नाट्यालंकार स्वं लक्षण विवेचन) कुम्भकर्ण, (स्वकृत संगीतराज में लक्षणविवेचन) सर्वेश्वर, (साहित्यसार, तृतीय प्रकाश में ३६ लक्षण विवेचन) अच्युतराय (साहित्यसार सप्तम परिच्छेद के अन्त में १८ लक्षणों की व्याख्या) आदि विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में लक्षण-सिद्धान्त का संवर्धन किया ।

१- सविस्तर द्रष्टव्य -- डा० राघवन कृत ग्रन्थ 'Some Concepts of Alamkāraśāstra, p-25-34.

२- प्रो० मट्टाचार्य जी ने अपने शोध निबन्ध में आचार्य मातृगुप्त, महाकविश्रीहर्ष, सागरनंदिन कवि कर्णपुर तथा चन्द्रालोक की 'शरदागम' नाम्नी टीका के प्रणेतार श्री प्रद्योतनभट्ट को भी लक्षण-सिद्धान्त के व्याख्याता रूप में स्वीकार किया है ।

लक्षणपरम्परा तथा मंचाविषयक वेत्त्य प्रदर्शित करने के पश्चात् दो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण शेष बचते हैं-- एक तो लक्षणों का अभिनय(नाटक) तथा काव्य में सम्बन्ध, और दूसरा लक्षणों का अलंकारत्व । वस्तुतः इन समस्याओं पर व्याख्यान प्रस्तुत करने में शोधकर्ता का स्क्मात्र स्वारस्य अस्तन्वती-दर्शन-न्यायेन अपने प्रधान विषय (अर्थात् अन्योक्ति का उद्भव) का मूल्यांकन करने में है । अस्तु--

नाट्यशास्त्र का सूत्र अध्ययन करने में हम इन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आचार्य भरत की यह युगान्तरकारी कृति, बहुविध सूचनाओं का एक विशाल विश्वकोष (an encyclopaedia of Knowledge) है । परवर्ती युग में प्रचलित 'काव्य-काव्यांग' कोई भी ऐसा तत्त्व नहीं, जो अपने मूल रूप में नाट्यशास्त्र में न स्थित हो । वस्तुतः मत्स्य तो यह है कि आचार्य भरत के समस्त दृश्य एवं श्रव्य रूप काव्यविभाजन जैसी कोई समस्या ही नहीं थी । इसी कारण उन्होंने जितने तत्त्वों का उपदेश दिया, उन सब का व्याप्ति क्षेत्र, नाटक भी है, काव्यबन्ध भी है । इस स्थल पर हम लक्षणालंकार, दोष तथा गुण के ही विषय में उनकी साद्विषयक धारणा का स्पष्टीकरण कर लें । अवधेय है कि ये चारों तत्त्व सोलहवें अध्याय में ही वर्णित हैं ।

लक्षणों के लिए, पन्द्रहवें अध्याय में ही आचार्य ने कहा था -- 'काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणान्विताः (अमि०, पृ० २६२) सोलहवें अध्याय के चतुर्थ पद्य में पुनः उन्होंने 'काव्येषु सम्यक्प्रयोज्यानि' द्वारा यही तथ्य स्पष्ट किया है । किन्तु आगे चलकर आख्यान (१६।२१ पृ० ३१०) प्राप्ति (१६।३२, पृ० ३१६) तथा उपपत्ति (१६।३५ पृ० ३१८) को उन्होंने स्पष्टतः 'नाटकाश्रय' के रूप में परिभाषाबद्ध किया है । इनमें से यद्यपि स्काध का सम्बन्ध वास्तव में अभिनय से है (उदा० प्राप्ति) किन्तु अन्य तो केवल उपचारतः 'नाटकाश्रय' कहे गये हैं जो वस्तुतः भरत के काव्यमा-दयैक्य संबंधी दृष्टिकोण के ही सूचक हैं ।

- १- आख्यानमिति तज्ज्ञेयं लक्षणं नाटकाश्रयम् ॥
प्राप्तिं तामभिजानीया ल्लक्षणं नाटकाश्रयम् ॥
सा ज्ञेया ह्युपपत्तिस्तु लक्षणं नाटकाश्रयम् ॥

अलंकारों को भी आचार्य भरत 'काव्य' से ही सर्वप्रथम प्रयुक्त करते हैं। चालीसवें पद्य में -- उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा काव्यस्यैतं ह्यलंकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः^१ । ना० पृ० ३२१ किन्तु विशिष्ट अलंकारों के वर्णन में उपमा का सम्बन्ध कभी काव्य से और कभी नाटक में जोड़ते हैं। दीपक को एक ही साथ 'काव्यनाटके' में प्रयुक्त मानते हैं। दशविध यमक को 'नाटकाश्रय' तथा मालायमक के विज्ञातृ रूप में 'काव्यकोविदो' को उपस्थित करके आचार्य ने उन्हें काव्याश्रय बताया है^४ ।

दोष निरूपण में लक्षण अलंकार की ही भांति, सर्वप्रथम काव्याधिकार ही आचार्य ने दर्शित किया है -- 'गुढार्थमर्थान्तरमर्थहीनं ... शब्दच्युतं वै दशकाव्य-दोषाः (ना० १६।२८, पृ० ३३१) किन्तु उपसंहार करते हुए कहा है -- 'सो दोषास्तु विज्ञेयाः सूरिभिर्नाटकाश्रयाः' (ना० १६।६५, पृ० ३३३) इसी प्रकार 'भिन्नार्थ' दोष की व्याख्या में उन्होंने 'भिन्नार्थं तदपि प्राहुः काव्यं काव्य-विचक्षणताः' (पृ० ३३२) कहा है।

शेष बचे गुण, जिन्हें आचार्य भरत पूर्वव्याख्यात तत्त्वों की भांति 'काव्यम' के ही रूप में प्रस्तुत करते हैं-- 'श्लेष प्रसाद... कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते' (ना० १६।६६, पृ० ३३४) किन्तु इनके नाट्यानुवर्तित्व का निदर्शन नहीं प्राप्त होता।

किन्तु उपर्युक्त समस्त व्याख्यानों से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग, षोडशाध्याय का 'उपसंहार' है, जहाँ भरत ने स्पष्टतः काव्य एवं नाटक को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है। कारिका ११४ (पृ० ३४४) में वे नाटयज्ञो द्वारा वीररोद्राश्मुताश्रय काव्य प्रणीत किये जाने की प्रेरणा देते हैं^५। इसी प्रकार ११६ वीं कारिका में नाटकाश्रय काव्य किये जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने उपस्थित किया है। कवि को चाहिए कि वह नाट्याश्रय कृतियों में प्रमदाभिधेय, उदारमधुर शब्दों का प्रयोग करे, ताकि उसके 'काव्यबन्ध' पृथ्वी में शोभा प्राप्त करे, जैसे राजहंस से विकसित पद्माकर प्राप्त करते हैं^७।

१- पाठभेद -- 'अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः ॥'

२- 'यत्किञ्चित्काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपनीयते उपमा नाम सा ज्ञेया' ... (पृ० ३२१) तथा

+ 'स्कस्य बहुभिः सा स्यादुपमा नाटकाश्रया' (पृ० ३२२)

३- 'स्तदशविधं ज्ञेयं यमकं नाटकाश्रयम्' (ना० १६।६२ पृ० ३२७) तथा 'तन्मालायमकं नाम विज्ञेयं काव्यकोविदैः' (ना० १६।७८ पृ० ३३०)।

४- लघ्वदा प्रणयकृतमुपमारूपकाश्रयम् काव्यं कार्यं तुनाटयज्ञोर्वीररोद्राश्मुताश्रयम् ॥ ना० १६।११४

५- रूपदीपकसंयुक्तमार्यावृत्तसमाश्रयं शृंगारे तु रसे कार्यं काव्यं स्यान्नाटकाश्रयम् ॥ ना० १६।११६ (पृ० ३४४)।

७- शब्दानुदारमधुरान्प्रमदामियेयान् नाट्याश्रयासु कृतिषु प्रयतेत कर्तुम्।

तमाश्रिता सुवि विमान्ति हि काव्यबन्धाः पद्माकरा विकसिता इव राजहंसः ॥ ना० १६।

+३- प्रसृतं मधुरं चापि गुणे सर्वैरलंकृतं काव्ये यन्नाटके विप्रास्तदीपकमिति स्मृतम् ॥ ना० १६। ५४ (पृ० ३२४)

इस प्रकार लक्षणों, अलंकारों, गुणों तथा दोषों को मान्य रूप से काव्य एवं नाटक से संयुक्त करना इस बात का साक्ष्य है कि आचार्य भरत ने काव्य एवं नाटक में कोई भेद नहीं किया था। नाट्यज्ञों द्वारा काव्यबन्धों का प्रणयन (ना०१६।१२४) अथवा नाट्याश्रय काव्यबन्धे (ना०१६।१२१) इन दोनों अनिव्यक्तियों ने बड़ा और कोई नहीं प्रमाण हो सकता जो यह न सिद्ध कर दे कि आचार्य भरत के लिए काव्य एवं नाटक परस्पर पर्याय थे।

किन्तु आचार्य भरत की यही मान्यता और यही दृष्टिकोण परवर्ती युग में एक प्रचण्ड वितण्डा के रूप में उठ खड़ी हुई। आचार्य भामह, दण्डी, उद्भट, वामन, रुद्रट आदि ममस्त आलंकारिक आचार्यों ने गुण, दोष, अलंकार अथवा संघटना (कृति) के प्रति बड़ी आस्था थी, इसी कारण नाटक से अतिरिक्त काव्य के व्याख्यान में उन्होंने उपर्युक्त तत्त्वों को बिना किसी 'ननु नच' के काव्य, वर्ण, रूप में स्वीकार कर लिया। किन्तु लक्षणों जिनका सुदृढ़ प्राकार स्वयं भरतमुनि नहीं निर्मित कर सके थे और जिसकी 'स्वतन्त्र सत्ता' में भरत के शिष्यों ने ही, अङ्गा लगा दिया था, एक विचित्र 'उभयतोपाश' (Between the two horns of a dilemma.) में पड़ गए। लक्षण तथा अलंकार की सत्ता को जो बीज स्वयं लक्षणकार ने बोया था^२ और भामह ने 'वक्रोक्ति' के रूप में जिसको मान्यता देकर उसी पर अपने अलंकार सम्प्रदाय की नींव डाली, वही आचार्य दण्डी की यह घोषणा बनकर प्रकट हुई कि लक्षणादि तत्त्व हमें अलंकार रूप में ही दृष्ट हैं^३। इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में 'लक्षणों' की मान्यता अलंकार रूप में होने लगी। आगे इन लक्षणों के अलंकारत्व पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जायगा।

किन्तु जिन आचार्यों ने भामहोत्तर युग में केवल नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन किया, उन्होंने लक्षणों का 'स्वतंत्र विवेचन' प्रस्तुत किया। केवल दशरूपकार

१- कुछ विद्वानों का मत है कि ३६ लक्षणों के अतिरिक्त जो लक्षण अनुबन्ध में मिलते हैं और जो आचार्य भरत की मान्यता के विपरीत भी हैं, उनके शिष्यों द्वारा संपादित किये गये हैं।

२- द्रष्टव्य-- नाट्यशास्त्र १६।५२ (पृ०३२४)

३- ,, -- काव्यादर्श २।३६५ (लक्षणादि तत्त्वों का अलंकार में अन्तर्भाव)

आचार्य घनन्जय ही इस परम्परा के अपवाद हैं^१। अलंकार अथवा अन्याय सन्प्रदायों को भी मानने वाले जिन आचार्यों ने अपने ग्रन्थ में नाट्य विवेचन का ध्यान दिया, उन्होंने यदि स्वान्तः सुझाय नहीं तो भरतौपदिष्ट होने के ही कारण, श्रद्धावश लक्षणों को एक पृथक् रत्ता के रूप में व्याख्यात किया।

इस प्रकार 'काव्य तथा नाटक' (द्रव्य स्वं दृश्य) के बीच कोई भेद न करने के ही कारण, भरत प्रोक्त काव्यतत्त्वों में से लक्षणों की स्थिति, परिस्थितिवश (अलंकारों से अभिन्न होने के कारण) समग्रता हो गई। 'देहलीदीपकन्यायन' लक्षण काव्य (अलंकार रूप में) तथा नाटक (भूषण रूप में) दोनों ही वर्गों के तत्त्व बने। काव्य में तो, उनकी स्थिति आगे चलकर अस्तित्वात् ही हो गईं केवल चन्द्रालोक द्वार आचार्य जयदेव ने उनका स्वतन्त्र विवेचन किया और विश्वनाथ ने प्रसंगवश। किन्तु नाट्य में लक्षणों की स्थिति प्रायः स्वतन्त्र रूप से ही रही, यद्यपि उनकी संख्या तथा अन्य तत्त्वों से उनका मिश्रण आदि समस्याएँ कम नहीं हुईं।

लक्षण सम्बन्धी इन दोनों धाराओं का स्रोत हमें अभिनव प्रोक्त दशपत्नी में ही प्राप्त हो जाता है। दशपत्नी के कुछ अंश, सर्वात्मना नाट्य में कुछ सर्वात्मना काव्य में और कुछ स्पष्टतः दोनों से ही सम्बद्ध हैं। इस तथ्य का निर्देश भी तत्तत्प्रसंगों में हो चुका है। प्रा० मटाचार्य जी का यह कथन—

"The three aspects of the Ranga,
the शब्दनीय, the वर्णनीय, and the कवि कर्म, or the
three परिस्पन्दs, noted in the fourth view, effect as much the

द्रव्यकाव्य as the दृश्यकाव्य— p. 25"

सर्वथा उचित स्वं प्रसंगानुकूल है।

१- द्रष्टव्य--दशरूपक ४।८३-८४ (लक्षण आदि तत्त्वों का अलंकार में अन्तर्भाव)

२- एषां च लक्षणनाट्यालंकाराणां सामान्यतः स्वरूपत्वे ऽपि भेदेन व्यपदेशो गडडलिका-

प्रवाहेण । एषा च केषांचिद् गुणालंकारभावसन्ध्यंगविशेषान्तर्भावेऽपि नाटके

प्रयत्नतः कर्तव्यत्वात्तद्विशेषोक्तिः । एतानि च- पंचसन्धि... कविः कुर्यात्तु नाटकम्

इति मुनिनोक्तत्वाद् नाटके ऽवश्यं कर्तव्यान्धेव (नाट्यालंकार विवेचन) साहित्यदर्पण, परि० ६।

३- द्रष्टव्य --

इत्यादि लक्षणं मूरि काव्यस्याहर्षहर्षयः ।

स्वर्गप्राजिष्णुमालत्वप्रमृतीव महीसुजः ॥ चन्द्रालोक ३।११

वस्तुतः काव्य तथा नाटक के विषय में आचार्य भरत का वास्तविक मत, उनके बाद ग्रहण ही नहीं किया गया^१। (अतस्व डा० पी०सी० लाहिरी का यह मत,

अभिनन्दनीय है। — "It possibly shows that either the later theoretical distinction between the दृश्य and श्रव्य varieties of Kavya was not much favoured by भरत, or even if it were, he expected his readers to understand the term Kavya, as used by him to mean नाटक from the context i.e. the subject of his treatment." (His thesis, p. 12.)

किन्तु लक्षण सम्बन्धी ये दोनों वर्ग (काव्य वर्ग, नाट्य वर्ग)

कालान्तर बाद समकक्ष नहीं रह सके। भामह, दण्डी, अलंकार सम्प्रदाय के व्यवस्थापक ही थे और साथ ही साथ वे लक्षणों को अलंकारों में अन्तर्भूत भी कर चुके थे।

अभिनव के गुरु, भट्टतौत भी, लक्षणों को ही अलंकार वैचित्र्य का कारण मानते थे^२।

अभिनव स्वयं इस मत के पौषक थे कि लक्षण काव्य के शोभा कारक तत्त्व हैं। इस प्रकार संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में लक्षण सिद्धान्त के विरुद्ध एक ऐसी आंधी चली कि वे सब दिन के लिए ध्वस्त हो गए। यहां तक कि नाट्यशास्त्र के आचार्य घनन्जय ने भी लक्षणों को अलंकारों में अन्तर्निविष्ट मान लिया। किन्तु यह सब जान लें के पश्चात् एक प्रश्न उठता है कि 'ऐसा हुआ क्यों?' लक्षण अलंकार कैसे बन गए? उसका आधार क्या था?

इन प्रश्नों का हल पाने के लिए हमें पुनः 'नाट्यशास्त्र' में उतरना चाहिए। लक्षण सम्बन्धी पूर्वव्याख्यानों में यह स्पष्ट हो चुका है कि अलंकारों का सारा वैचित्र्य लक्षणों के ही कारण होता है। लक्षणों में से अनेक ऐसे हैं जो तकनीकी ढंग से (Technically.) परवर्ती युग में प्रचलित अलंकारों से या तो साम्य रखते हैं या फिर सर्वथा उनके अनुकूल हैं, उदा० मनोरथआक्रन्दना अथवा तुल्यतर्कादि लक्षण अप्रस्तुतप्रशंसा से साम्य रखते हैं जब कि आशीः आदि पूर्णतः

१- डा० लाहिरी का मत....

२- द्रष्टव्य-- अभि०, पृ० ३२१।

एक रूप ही हैं। इसी प्रकार 'अक्षर-संधात' में श्लेष की तो 'प्रिय' में व्याजस्तुति की गन्ध मिलती है। और अब बात तो यह है कि शायद ही ऐसा कोई लक्षण हो जिसमें उपमा तथा रूपक न हों।

आचार्य भरत स्वयं लक्षण को अलंकार का 'भेदक तत्त्व मानते थे, इसका एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी ओर डा० देशपाण्डे जी ने भी इंगित किया है। आचार्य भरत ने उपमालंकार के पांच उपभेद (प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, मृदुशी एवं किञ्चित्सदृशी) स्वीकार किया है, जिसके अन्त में वे कहते हैं --

उपमाया बुधैरेते ज्ञेया भेदाः समागतः ।

ये शेषा लक्षणैर्नोक्तास्ते ग्राह्या लोकाव्ययतः ॥

बड़ौदा संस्करण में यद्यपि 'लक्षणैर्नोक्ताः' पाठ रूपा है, किन्तु है यह गलत। क्योंकि 'अभिनव भारती' की संगति 'लक्षणैर्नोक्ताः' पाठ से ही बैठती है जो कि बड़ौदा संस्करण में भी पादटिप्पणी (४) के रूप में दिया गया है। इस कारिका में आचार्य भरत स्पष्टतः कहते हैं कि 'उपमा के ये (पांच) भेद विद्वानों को संप्रोक्तः जान लेना चाहिए, शेष जो भेद (दण्डी आदि द्वारा गृहीत ३३ भेद) लक्षणों द्वारा कहे गये हैं, उन्हें स्वयं लोक, एवं काव्य से गृहीत करना चाहिए।' अभिनव भारती का साक्ष्य भी इसी मत का प्रतिपादन करता है --

'लोके काव्ये च तद्भेदाः दृश्यन्ते । ते लक्षणद्वारेणोक्ता इति ग्राह्याः स्वयं स्वीकर्तुं शक्याः । अस्मिन्ने नोक्ताः ते लोकात्काव्याच्च ग्राह्या इत्यन्त्रे शेषा इत्यत्र पुनरुक्तम् (अभि०, पृ० ३२४)।

भरत के इस प्रमाण के बाद हम आचार्य भरत की वह विशिष्ट मान्यता भी देख लें जिसके अनुसार समस्त अलंकारवैचित्र्य का मूल कारण लक्षण ही है। उपमालंकार की प्रस्तावना में भरतौपदिष्ट अलंकारत्रयी की संख्या पर विचार करते हुए

१- आचार्य अभिनव ने पृ० ३०५ पर इस तथ्य का निर्देश किया है --

'नूपमेयमलंकारः, किमतः, उक्तं ह्यलंकाराणां वैचित्र्यं लक्षणकृतमेव । स्त स्व शिक्षितैरपि दण्डिप्रमृतिमिर्यं निरूपिता उपमामेदाः तत्र यो भेदकोऽश्नुः आचिख्यासासंश्रयनिर्णयादिरर्थः स तादृक् पृथगलंकारतया गणितः ॥'

अभिनव गुप्त ने उनका मत उद्धृत किया है --

‘उपाध्यायमतं तु-- लक्षणवलादलंकाराणां वैचित्र्यमागच्छति । तथा हि गुणानुवादानाम्ना लक्षणेन योगात्प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्नातिशयोक्तिः मनोरथास्थेना-प्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्याध्यवसायेनापहृतिः, सिद्ध्या तुल्ययोगितेति, स्वमन्यदुत्प्रेक्ष्यम् । लक्षणानां च परस्परवैचित्र्यादप्यनन्तो विचित्रभावः यथा, प्रतिषेधमनोरथयोः समेलना-दाक्षेपः च इति । उपमाप्रपञ्चश्च सर्वोऽलंकार इति विद्वभिः प्रतिपन्नमेव ।’

--- अभि० पृष्ठ ३२१ ।

मदृतांत के इस मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकारों के विकास में लक्षणों का कितना योगदान रहा है । अध्यायारम्भ में लक्षण संबंधी आचार्य भरत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते समय ही विस्तार पूर्वक यह बताया जा चुका है कि लक्षण को भूषण (अलंकार) क्यों कहते हैं । ऐसी दशा में जब कि लक्षण तथा अलंकार दोनों काव्य के शोभाकारक तत्त्व हों, यह पूर्ण सम्भावना थी कि लक्षणों का सिद्धान्त पीछे रह जाता । क्यों^{कि} अलंकारों की स्थापना तथा उनका सिद्धान्त दोनों ही लक्षणों की अपेक्षा, अधिक बोधगम्य, सुदृढ़ एवं काव्योपयोगी प्रतीत होते हैं । दूसरी बात यह है कि भरत से लेकर अभिनव के बीच का युग संस्कृत साहित्य-शास्त्र में अत्यन्त क्रान्तिकारी तथा महत्त्वपूर्ण रहा है । क्योंकि रस अलंकार रीति-ध्वनि तथा वक्रोक्ति जैसे काव्य सिद्धान्तों का उद्भव इसी युग में हुआ और इसी कारण इस सान्ध्य युग में उत्पन्न आचार्यों (लगभग १२) के हृदय में या तो रसालंकार के प्रति निष्ठा थी अथवा स्वचालित सम्प्रदाय-विशेष के प्रति मोह । ऐसी दशा में आचार्य भरत द्वारा स्थापित लक्षणों का अविचारित-रमणीय-सिद्धान्त यदि परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्धित नहीं हो सका तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं ।

दशपदा के व्याख्यान में द्वितीय पदा की नाट्यवर्तिता स्पष्ट की गई है । उसी प्रसंग में व्याख्येय लक्षणों के अतिरिक्त प्रतिपाद्य रूप में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाटकीय तत्वों की युगपत् चर्चा की गई है । वे तत्त्व इस प्रकार हैं -- अर्थ प्रकृति, अवस्था, सन्धि, सन्ध्यंग, सन्ध्यन्तर, वृत्ति-कृत्यंग, लास्यांग, बीद्यंग, तथा नाट्यालंकृतियाँ । इन दश नाट्यतत्त्वों में से प्रथम तीन तथा छठे तत्त्व को छोड़कर शेष ६ तत्त्वों के विषय आंशिक रूप से भरत प्रोक्त ३६ लक्षणों से रेक्य ह रखते हैं । द्वितीय पदा के अनुसार

तो 'सन्ध्यंग एवं वृत्त्यंग' ही लक्षण थे । नाट्य ग्रन्थों के आधार पर सन्ध्यंगों की संख्या चौंसठ, सन्ध्यन्तरों की संख्या इक्कीस, वृत्त्यंगों की सोलह, लास्यांगों की (संगीतांग ?) दश बीथ्यंगों की तेरह तथा नाट्यालंकारों की तैंतीस है । यहां यह प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है कि इन मन्त्रिसंख्यक नाट्यांगों के क्या नाम हैं, और इनमें से कितने, किन-किन लक्षणों के समान हैं । किन्तु निष्कर्ष रूप में इतना अवश्य है कि भरत द्वारा काव्य-नाटक की ऐक्यस्थापना के ही कारण जो लक्षण उभयनिष्ठ (काव्य-नाटक) रहे, उनके तत्त्व, सन्ध्यंग-वृत्त्यंग, सन्ध्यन्तर, लास्यांग, बीथ्यंग तथा नाट्यालंकार इन क्लृप्तियों में भी संक्षिप्त हो गए । अतः परवर्ती युग में जब लक्षणों का अन्तर्भाव अलंकारों में किया गया तब सजातीय एवं स्वपक्षीय होने के कारण इन नाट्यांगों को भी उन्हीं के साथ घसीट लिया गया । आचार्य दण्डी ने सर्वप्रथम इस कार्य का श्रीगणेश किया । द्वितीय परिच्छेद (अलंकारवर्ग) के उपसंहार में आचार्य ने स्पष्टतः सन्ध्यंग, वृत्त्यंग तथा लक्षणादि को अलंकार में अन्तर्भूत करने की घोषणा की । वस्तुतः दण्डी की अलंकार धारणा अत्यन्त व्यापक थी, जिसमें गुणालंकार सब आ गये। --

यच्चसन्ध्यंगवृत्त्यंगलक्षणाद्याश्चातरे ।

व्यावर्णितमिदं केषमलंकारतयैव नः ॥ काव्या० २।३६४ ।

'लक्षणादि' पद में 'आदि' शब्द की व्याख्या करते हुए सिंहल टीकाकार आचार्य श्री ज्ञान ने दण्डी का मन्तव्य इस प्रकार उपन्यस्त किया है --

'तदेतदादिर्यस्यान्यस्यापि तादृशस्य लास्यांगबीथ्यंगादेस्तत्तथा (व्या)वर्णित-मधिकारे विस्तरेण अनेकधा चर्चितम्' काव्यशोभाकरत्वेन तल्लक्षणयोगात् अलंकारणाद्वा, अलंकार इत्येव । न सन्ध्यंगादित्वेन काव्यार्थत्वेन वा पृथगलंकारात् । काव्यशोभाकरं हि तथा तादृशं कथमलंकारतामतिक्रामेत ?' इसी प्रकार प्रभा टीका (श्री रंगाचार्य) में --

'तदिदं सर्वं नः अलंकारतयैवेष्टम् । तत्र केषांचित् स्वभावाख्यानादौ अन्तर्भावः केषांचिद् भाविके इति यथायमविषयानुरोधेन ज्ञातव्यम्' ॥

टीकाकारों के उक्त साक्ष्य से यह सिद्ध है कि दण्डी का अभिप्राय न केवल

सन्ध्यंग वृत्त्यंग तथा लक्षण मात्र को ही अलंकारों में अन्तर्भूत करने का था, प्रत्युत उस कोटि के समस्त नाटकीय अथवा काव्यगत तत्त्वों का । दण्डी के युग में भी अलंकारों की संख्या नियत नहीं हो सकी थी, वे सब के सब विकल्पों के रूप में थे । किन्तु जैसा कि आचार्य ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उनकी संख्यावृद्धि का बीज, पूर्वाचार्यों ने ही बो दिया था । अपनी इस अभिव्यक्ति द्वारा दण्डी ने निश्चित रूप से आचार्य भरत की ही ओर इंगित किया था --

काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचक्षते ते चाद्यापि विकल्प्यते कस्तान्कात्स्त्रेण वदयति ॥
किन्तु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्यैः प्रदर्शितं तदेव परिसंस्कर्तुमयमस्मत्परिश्रमः ॥

-- काव्या० २।१-२)

दण्डी के पश्चात् दूसरे अन्तर्भावक आचार्य घनन्जय हुए । दण्डी ने सन्ध्यंग वृत्त्यंग, लक्षण तथा लास्यांग, बीद्यंग (श्रीज्ञान) का अन्तर्भाव अलंकारों में किया था । आचार्य घनन्जय ने लक्षणों के साथ ही साथ एक नवीन तत्त्व, सन्ध्यंतर का भी विलयन अलंकारों में किया --

षट्त्रिंशद्भूषणादीनि सामादीन्येकविंशतिः लक्ष्यसन्ध्यन्तरंगानि सालंकारेषु तेषु च ॥

४।८४(दश०)

उपरि गिनाये गए नाट्यतत्त्वों में से केवल नाट्यालंकार बचता है । आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों के साथ पहले तादृश्य सिद्ध करके बाद में उसका भी अन्तर्भाव मुख्यतः अलंकारों में ही कर दिया --

एषां च लक्षणनाट्यालंकाराणां सामान्यतः एक रूपत्वेऽपि मेदेन व्यपदेशो गृह्यलिकाप्रवाहेण । एषु च केषांचिद् गुणालंकारभावसन्ध्यंगविशेषान्तर्भावोऽपि नाटके प्रयत्नतः कर्तव्यत्वात्तद्विशेषोक्तिः ।

-- साहित्य दर्पण, परि० ६ नाट्यालंकार प्रसंग

उपर्युक्त प्रमाणों से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि लक्षण सहित नाटक के सन्ध्यंगादि ६ तत्त्व सब के सब अलंकारों में विलीन हो गए । अन्तिम सत्ता, काव्यशास्त्र

१- डा० डे का मत देखिए - 'Even as a नाटकधर्म connected with सन्ध्यङ्ग, it had little individuality and the attitude of Dasharupaka, in not considering it separately but including it in अलंकार and भाव is significant.'

- Some Problems of Sans. Poetics. p. 6.

में अलंकारों की रह गई । अब हम यह विचार करें कि अलंकारों के साथ लक्षणों की क्या स्थिति रही ? और कौन २ कौन से लक्षण, किन-किन अलंकारों के सम्यक् रूप में प्रस्थात हुए ?

लक्षणों एवं गुणालंकारों में वस्तुतः इतना अधिक साम्य है कि दोनों में 'तादृश्य' सा प्रतीत होता है । अलंकारों का विवेचन करने के पश्चात् उपसंहार करते हुए आचार्य भरत का यह कथन - 'समिर्थैः क्रियापदैः काव्यं कुर्वातुलक्षणैः' भी लक्षण भर के लिए हमें चिन्तनविविधा में डाल देता है कि क्या आचार्य अलंकारों को लक्षण तो नहीं मानते ? इसी प्रकार भूषण लक्षण के विषय में 'अलंकारैर्गुणैश्चैव बहुभिर्यदलंकृतं भूषणैरिव विन्यस्तैस्तद्भूषणमिति स्मृतम्' (१६।१५) इत्यादि कथन भी डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी को यह निर्णय देने के लिए बाध्य कर देता है --

It seems that Bharata's definition and classification of लक्षण, अलंकार and गुण are somewhat dogmatic..... Apparently an early writer like Bharata does not mean to employ any theoretic distinction between lakshana, Gunas and Alamkaras, but accepts and repeats traditional nomenclature and takes them all as beautifying factors of poetry generally just as in Bhamaha and partly in Dandin, the distinction between Gunas and Alamkaras is not very sharply indicated."

किन्तु डा० लाहिरी के उपर्युक्त मत, अंशतः सत्य होते हुए भी संगतिपूर्ण नहीं है । क्योंकि आचार्य भरत का 'लक्षण-गुणालंकार' भेद न तो उनका 'स्वमताभिमान' (Dogmatism . कट्टरता) ही है और न ही, 'पास्परिक संज्ञाओं' की स्वीकृति तथा पुनरुक्ति है । यदि आचार्य का इस काव्यांग्रणी 'के प्रति कोई विवेकपूर्ण-दृष्टिकोण न होता तो उनके पृथक् विवेचन की आवश्यकता ही क्या थी ? दूसरी बात यह कि एक ही कार्य करने से मन्त्र वस्तुओं में ऐक्य-कल्पना हम कैसे कर सकते हैं ? अपनी शरीर का ही दृष्टान्त हम लें, हाथ-पैर, नाक, आँख, गाल, पेट, पीठ, शिर आदि कितने ही अंग हैं और फिर चुमोने पर इनमें से प्रत्येक 'पीडानुभूतिसंवेदन' रूप कार्य करता है । तो क्या इतने मात्र से ही वे सब एक हो सकेंगे ? कभी नहीं । ठीक इसी प्रकार 'लक्षण' भी आचार्य अभिनव के अनुसार 'काव्यशरीर' हैं । शब्द-अर्थ उनके अंग हैं जैसे हाथ-पैर आदि शरीर के अंग हैं । शब्दार्थ ही परिस्थिति-विशेष में गुण

में गुणालंकार बन जाते हैं । किन्तु कार्य सब का एक ही है -- 'संघटनावैचित्र्य' अथवा काव्य का अलंकरण । गुणालंकार कृत शोभा का श्रेय अथवा दायित्व 'लक्षण' को ही है क्योंकि वह अंगी है । सामान्य (Genus) है । हाथ-पैर द्वारा भी तो पीडा संवेदन कराए जाने पर हम प्रायः उनका नाम न लेकर उन्हें 'शरीरस्थित' ही स्वीकार करते हैं -- 'हमारी शरीर में पिन चुम गईं !!' एक तीसरी बात और उल्लेखनीय है, वह यह है कि भामह-दण्डी का साध्य, भरत के प्रसंग में देना उचित नहीं । क्योंकि अलंकारादि के पदा में दोनों के दृष्टिकोण में प्रभूत अन्तर है । एक रससम्प्रदाय का व्यवस्थापक है तो दूसरा अलंकार सम्प्रदाय का । एक गुणालंकार स्वं लक्षण को , रसानुभूति में सहायक (रभिरर्थक्रियापेक्षैः) मानता है किन्तु दूसरा अलंकार को ही रस रूप मान कर (रसादि अलंकार) लक्षणादि सब को उसी में आन्तर्निविष्ट कर देता है । फिर दण्डी के आधार पर भरत का मूल्यांकन कहां तक उचित कहा जा सकता है ?

इस विषय में तो वस्तुतः यही स्पष्ट धारणा बननी उचित है कि आचार्य अभिनव के अतिरिक्त किसी ने आज तक भरत को समझने की चेष्टा ही नहीं की और इसी कारण समझा भी नहीं । जो तथ्य पूर्वोद्धृत आलोचक ने निर्दिष्ट किया है उसे अभिनव भी समझ चुके थे कि दण्डी के अनुसार 'समस्त काव्य शोभावह घर्म (चाहे गुण अलंकार या लक्षण कुछ भी हो) अलंकार है, किन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने लक्षण गुण स्वं अलंकार' का भेद स्पष्ट किया । वह भी कोई अपनी ओर से नहीं प्रत्युत आचार्य भरत ने स्वयं ऐसा निर्देश किया था । उपमालंकार के प्रसंग में 'नादयशास्त्र' (१६।४१) की यह कारिका देखिये --

यत्किञ्चित्काव्यबन्धेषु सादृश्यमोपमीयते ।

उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृति समाश्रया ॥

यहाँ उपमा, 'अलंकार' का 'काव्यबन्ध' लक्षण का तथा 'गुण शब्द' गुणों का प्रत्यक्षा वाचक है ।

'काव्य-बन्ध' का अर्थ 'काव्य शरीर' है । इसी को 'त्रिविध अमिषा व्यापार' तथा 'लक्षण' भी कहा गया है । अतएव जैसे शरीर को भूषित करने के लिए

अलंकारादि हैं उसी प्रकार काव्य-शरीर को अलंकृत करने के लिए गुण एवं अलंकार । इसी कारण अभिनव गुप्त ने स्पष्टतः कहा --

“काव्ये तावल्लक्षणं शरीरं तस्योपमादयस्त्रयोऽर्थाग्रे, यथा हि पृथग्भूतेन हारेण रमणी विभूष्यते तथोपमानेन शशिनात्सादृश्येन वा कविञ्छुद्धिचंचलतया परिवर्तमानत्वात् पृथक्सिद्धेनैव प्रकृतवर्णनीयवनितावदनादि सुन्दरीक्रियत इति तदेवालंकारः ।” (अभि० , पृ० ३२१)

इसी प्रसंग में आगे व्याख्याकार ने अलंकार-त्रैविध्य बताते हुए अन्य वैचित्र्यों (अर्थात् उपमा, रूपक, दीपक के अतिरिक्त अन्य अलंकारों) को भी उपलक्षित किया है । वैचित्र्यसिद्धि के लिए अपने गुरु अम्स भट्टतात का मत उद्धृत करते हुए अभिनव ने यह भी स्वीकार किया है कि उपमा ही समस्त अलंकार प्रपंच का मूल है । इसी तथ्य का निर्देश अभिनव के पूर्ववर्ती आचार्य वामन ने भी किया था ।

उपर्युक्त कारिका में लक्षण तथा अलंकार के बाद ‘गुणाकृतिसमाश्रया’ पद आता है । अभिनव के अनुसार इस पद के द्विविध अर्थ हैं, एक तो विस्तीर्णभाव में दूसरा संकीर्ण भाव में । पहला अर्थ वस्तुतः समस्त काव्य के लिए है, जैसे महापुरुषों में गुणों का होना अनिवार्य है (क्योंकि वे आत्मा के घर्म हैं) ठीक उसी प्रकार काव्य में माधुर्यादि गुणों का । उनके बिना काव्य का रूप ही सम्भव नहीं । उनकी ‘अहेयता’ बताने के लिए ही, उन्हें (प्रसादादि को) गुण कहा जाता है । इसके विपरीत अलंकार का काव्य में होना अनिवार्य नहीं (क्योंकि वे शरीर के ही घर्म हैं) इस स्थल पर अभिनव का साक्ष्य देखिये --

“गुणशून्यं तु न काव्यं किंचिदपि इयति च महापुरुषो दृष्टान्तः । अहेयत्वाप्रदर्शनाथैवं हि प्रसादादीनां गुणवाचोयुक्त्या व्यवहार तद्विना काव्यरूपत्वामावात् । सुन्दरास्पदं तु शरीरमुपलक्षणम् उपमाद्यन्तरेण तु भवत्येव काव्यमिति प्रकटीकर्तुम् उपमादीनामलंकारत्वेन व्यवहारः, न तु लोक इव स्फुटात्र पृथक् सिद्धिरस्ति । तथा हि दण्डिना काव्यशोभावहा घर्मा अलंकारा सर्वे उक्ता इति केचित् ।” (अभि०, पृ० ३२२ ।

- १-उपमाप्रपंचश्च सर्वोऽलंकार इति विद्वद्भिः प्रतिपन्नमेव । (अभि०, पृ० ३२२ ।
 २-वामनकृत काव्यालंकारसूत्र में ५ अधिकरण है । चतुर्थ में अलंकार-निरूपण जिसमें कुल ३ अध्याय हैं, प्रथम में शब्दालंकार, द्वितीय में अर्थालंकार (केवल उपमा) तथा तृतीय में अर्थालंकार (उपमाप्रपंच) ।
 अ- (द्वितीय अध्यायारम्भ में) सम्प्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्तावः । तन्मूलं चोपमेति सैव विचार्यते ।
 ब- (उपमाप्रपंच प्रसंग में) उपमानोपमेयलोपस्तु उपमाप्रपंच द्रष्टव्यः ।
 स- (तृतीय अध्यायारम्भ में) सम्प्रत्युपमाप्रपंचा विचार्यते । कः पुनरसावित्याह-प्रतिवस्तुप्रमृति-रूपप्रपंचः (४।३।१)
 द- (अध्यायोपसहरण में) समिर्निर्देशैः स्वैर्यैः परकीयैश्च पुष्कलैः । शब्दवैचित्र्यगर्भयमुपमेव प्रपंचिता ॥

आचार्य अभिनव कृत , गुणों का संकीर्ण भाव में , तात्पर्ये इवादि शब्दों से है जो उपमा में आश्रय पाते हैं -- 'गुणः सम्बन्धः आक्रियते द्योत्यते अनेनेति गुणाकृतिः इवादि शब्दः आश्रीयमाणो यस्यामिति (गुणाकृतिसमाश्रया) -- अभि०, पृ० ३२२ । इसके अतिरिक्त आगे अभिनव मारती (गुणानुवाद लक्षण की टीका, पृ० ३०५) में आचार्य अभिनव ने लक्षण-गुण तथा अलंकार का सविवेक व्याख्यान, एक रमणीय दृष्टान्त देकर किया है जो कि उपर्युक्त व्याख्या की पुष्टि के लिए यथेष्ट है -- 'यथा हि राजता विभज्य विचार्यमाणा इत्यमवतिष्ठते - सुकुटाघलंकारः शौर्यादिगुणो, व्यूढोरम्कत्वादिलक्षण-समुदायो, राजा अलंकार्यश्च, गुणवांश्च, लक्षणियश्च तथा काव्यमपि । तेन गुणालंकार-व्यतिरिक्ताः सर्वे लक्षणम् (?) इति मन्तव्यम् ।'

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् यह शंका निर्मूल हो जाती है कि भरत प्रोक्त गुण-अलंकार एवं लक्षण भेद कट्टरता के कारण हैं अथवा 'पारम्परिकसंज्ञा' का निर्वाह मात्र है । वस्तुतः आचार्य अभिनव द्वारा व्याख्यात, यह गुणालंकार विवेक ठीक वही है जिसे आचार्य मम्मट आदि ने स्वीकार किया और ध्वनिसम्प्रदाय के नेतृत्व में भी जिसे, अप्रतिहत मान्यता मिली^१ । अतः निश्चित है कि लक्षणों का विलयन इस कारण नहीं हुआ कि उनका कोई 'सिद्धान्त या व्यक्तित्व' नहीं था बल्कि इसलिए कि बिना उनके विलय हुए 'अलंकार सम्प्रदाय' की स्थापना ही नहीं हो सकती थी । आचार्य भरत ने वस्तुतः लक्षणों को काव्य में 'सर्वोच्च पद पर अभिषिक्त किया था । वे काव्य शरीर भी थे, गुणालंकारों की समष्टि भी थे और रसनिष्पत्ति के साधन भी थे । किन्तु जैसे स्वयं उत्पन्न किए गए पुत्र-पौत्रों में सद्गुणों के संक्रान्त हो जाने पर उन्हीं के जन्मदाता पिता का अधिकार एवं माहात्म्य समाप्त हो जाता है , कालक्रमानुसार वही गति 'लक्षणों' की भी हुई ।

लक्षणों के विलीन होने पर अलंकारों की सृष्टि हुई । आचार्य भट्टोत्त ने अथस्तुत प्रशंसा , प्रशंसोपमा, अतिशयोक्ति, अपह्नुति तुल्योक्ति तथा आदौप का जन्म क्रमशः मनोरथ, गुणानुवाद, अतिशय, मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि तथा प्रतिषेध-मनोरथमिश्रण से स्वीकार किया है । इसी प्रकार चन्द्रालोक के टीकाकार श्री गंगामट

१- ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादिव इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः । उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥

(विश्वेश्वरोपनामक) ने आचार्य जयदेव द्वारा प्रतिपादित दश लक्षणों (चन्द्रालोक, तृतीय मयूरव) में से द्वा का अन्तर्भाव अलंकारों में दिखाया है। उनके साक्ष्यानुसार समासोक्ति, अपह्नुति, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक तथा परिणाम अलंकारों का उद्भव क्रमशः अक्षरसंहति, हेतु, प्रतिषेध, सिद्धि, युक्ति तथा कार्य नामक लक्षणों से हुआ है। इस प्रकार दोनों साक्ष्यों के अनुसार कुल दश अलंकारों का प्रामाणिक पूर्ववृत्त हमें प्राप्त होता है। अपह्नुति तथा तुल्ययोगिता, उभयनिष्ठ हैं किन्तु अन्तर यह है कि भट्टतात ने जहाँ अपह्नुति की सृष्टि मिथ्याध्यवसाय से मानी है, (राकागमकार) गागामट्ट ने वहाँ हेतु से। इसी प्रकार भट्टतात ने प्रतिषेध (+ मनोरथ) से आक्षेप का किन्तु गागामट्ट ने हेत्वपह्नुति की सर्जना स्वीकार की है। स्वयं आचार्य अभिनव ने भी इसी दृष्टि से लक्षणों का व्याख्यान करते हुए, औचित्यानाचित्य का निराकरण किया। ऐसा करते समय उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने गुरु भट्टतात का भी विरोध किया है और उनकी मान्यता के विपरीत अतिशय लक्षण को अतिशयोक्ति अलंकार से पूर्णतः भिन्न माना है। इसी प्रकार सारूप्य, दृष्टान्त, आशीः तथा प्रिय वैन चार लक्षणों को उन्होंने उपमा, उपमारूपक, आशीः तथा व्याजोक्ति अलंकार नहीं स्वीकार किया। किन्तु प्रोत्साहन-मनोरथ तथा अनुवृत्ति को अप्रस्तुतप्रशंसा का तथा युक्ति को प्रतीयमान रूपक का मूल अभिनव ने भी स्वीकार किया है। गागामट्ट ने 'युक्ति' से व्यतिरेक की उत्पत्ति मानी है। निष्कर्ष यह है कि इन ग्यारह अलंकारों की मांति ही परवर्ती युग में प्रचलित समस्त अलंकारों का विकास इन्हीं लक्षणों से हुआ। आज यदि हम आचार्य मम्मट द्वारा प्रोक्त समस्त अलंकारों को सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो निश्चय ही उनके अन्तराल में कोई न कोई लक्षण, अथवा लक्षणश्रृंखला दिखाई पड़ेगा। डा० देशपाण्डे जी ने 'भारतीय साहित्य शास्त्र' के तृतीय अध्यायारम्भ में इसी आधार पर कुछ अभिनव लक्षणों का अलंकार रूप प्रस्तुत किया है।

अन्योक्ति का उद्भव भी, 'अप्रस्तुत प्रशंसा' के रूप में इन्हीं लक्षणों से ही हुआ। इस विषय में आचार्य भट्टतात एवं अभिनवगुप्त का साक्ष्य भी पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रथम अध्याय के अन्त में इस तथ्य का निर्देश भी हुआ है कि अन्योक्ति का उद्भव, भरत प्रोक्त 'मनोरथ' नामक लक्षण से ही हुआ। किन्तु पिछले अनुच्छेद में व्याख्यात 'अभिनवभारती' के अनुसार प्रोत्साहन तथा अनुवृत्ति में भी अन्योक्तिमूलकता प्राप्त होती है। यदि हम थोड़ी और सूक्ष्मगति से लक्षणों का अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि अनेक ऐसे लक्षण हैं जिनमें 'अन्योक्ति' के तत्त्व

प्राप्त होते हैं ।

अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा जिज्ञासा मान्यता प्राप्त स्वरूप प्रथमाध्याय में विस्तारपूर्वक निराकृत किया जा चुका है, कुछ वैशिष्ट्यों से युक्त है । वे वैशिष्ट्य मुख्यतः तीन हैं (क) वाच्य अप्रस्तुत द्वारा व्यंग्य प्रस्तुत का व्यंजना द्वारा बोध (ख) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के इतिवृत्त में साम्य तथा (ग) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेषणों में असमानता । इनमें से प्रथम तत्त्व ही मुख्यतः इस अलंकार का प्रमुख तत्त्व है जिसे विस्तृत अर्थ में अन्योक्ति की संज्ञा दी गई है । भरत अथवा उनके पूर्ववर्ती युग में इसी तत्त्व को अन्यापदेश नाम दिया गया है ।

अन्योक्ति के इस पारिभाषिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जब हम आचार्य भरत प्रोक्त ३६ लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से पांच लक्षण ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें अन्योक्ति के तत्त्व पूर्णतः तथा अंशतः प्राप्त होते हैं । प्राभाषिकता की दृष्टि से इन पांचों लक्षणों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं -- प्रधान मूल तथा गौण मूल । प्रधान मूल में मनोरथ लक्षण आता है जिससे आचार्य अभिनव तथा उनके गुरु भट्टतीत ने स्पष्टतः अप्रस्तुत-प्रशंसा (अन्योक्ति) का रूप माना है, केवल संज्ञा-मात्र का भेद है । गौण मूल में हम प्रोत्साहना अनुवृत्ति, आक्रन्दना तथा तुल्य-तर्क को रख सकते हैं । प्रियांक्ति, अनुनय, सहेतु तथा विचार नामक लक्षणों का सम्बन्ध भी यथाकथंचित अन्योक्ति से हो सकता है किन्तु प्रत्यक्षातः नहीं । अब इन्हीं लक्षणों का संक्षिप्त विवरण अन्योक्ति की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विवेचन प्रस्तुत करने के पूर्व एक आवश्यक सूचना दे देनी उचित होगी वह यह कि भरत प्रोक्त लक्षणाध्याय (१६वां) का एक अन्य पाठ भी प्राप्त होता, जिसे अनुबन्ध रूप में हम जानते हैं । यह पाठभेद आचार्य अभिनव के ही युग में प्रचलित था । अतः अपने लक्षण व्याख्यान में उन्होंने यथास्थान उनका भेद भी प्रदर्शित किया है । एक पाठ में लक्षणों की गणना उपजातिच्छन्द में की गयी है, दूसरी में अनुष्टुपच्छन्दों में । अभिनव भारतीय उपजातिक्रम का अनुकरण करती है । दोनों पाठों में कुछ लक्षण नामभेद से और कुछ संज्ञासाम्य रहने पर भी परिभाषा-भेद से युक्त हैं । अभिनव ने अपनी टीका में अनुष्टुपक्रम के अनेक लक्षणों का अन्तर्मात्र उपजाति क्रम में दिखाया है और जहाँ ऐसी

१- तथा च मतान्तरेण भरतमुनिरेवान्यथाऽप्युद्देशलक्षणेन नामान्तरैरपि व्यवहारं करोति, तत एव पुस्तकेषु भेदो दृश्यते तं च दर्शयिष्यामः । पठिष्वोद्देशक्रमस्त्वस्मदुपाध्याय-परम्परामतः । -- अमि०, पृ० २६८ ।

सम्भावना नहीं है, वहाँ केवल पाठभेद ही निर्दिष्ट कर दिया है । 'अन्योक्ति सम्बद्ध प्रस्तुत व्याख्यान इन दोनों ही क्रमों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । यह ज्ञातव्य तथ्य है ।

'मनोरथ' लक्षण वहाँ होता है जहाँ 'हृदयस्थ भावों' का (प्रस्तुत का) सुश्लिष्ट अर्थ प्रदर्शन, अन्यापदेश कथनों द्वारा (अप्रस्तुत प्रशंसा) किया जाय -- भारत के मतानुसार -- हृदयस्थय भावस्य सुश्लिष्टार्थप्रदर्शनम् अन्यापदेशकथनमनोरथ इति स्मृतः ।। ना० १६।२०' अर्थ प्रदर्शन' (अथवा प्रकाशकम् प्रदर्शकम्, पाठभेद) पद यहाँ पूर्णरूप से व्यंजनयावबोध का सूचक है, अन्यथा 'वाचक' आदि अभिधा सम्बद्ध पद का प्रयोग भी किया जा सकता था । इस प्रकार प्रस्तुत लक्षण में अन्योक्ति के तीनों ही तत्त्व अविकल रूप से प्राप्त होते हैं । अभिनव गुप्त ने इसका उदाहरण दिया है --

पिग्गन्ध दुरारोहिं पुत्रजा (मन) पाटलिं स्मारुह ।

आरुढणिपडिआ के इमी एण कजा इहग्गामो ।।

'अत्रपादपमोरोहन्नेव वृद्धविदग्धया कश्चिद्दुराशयपुंश्चलीसंगमोत्सुकः स्वामिप्रायद्योतनेन प्रबोध्यते, तत्प्रस्तुतमेवाऽन्यदपदिश्य । अतस्वाप्रस्तुतप्रशंसा, सापि चात्रैवान्तर्भूता । नन्व-लंकारे ह्यलंकार्यत्वंह्यसत् इति केयं मुक्तिः, लक्षणं तु भवति लक्षणत्वादेव । अभि०, पृ० ३१० अभिनव के इस व्याख्यान से मनोरथ तथा अन्योक्ति का सर्वात्मना साहूप्य स्पष्ट हो जाता है । 'अनुबन्ध पाठ' में भी मनोरथ का यही लक्षण प्राप्त होता है । केवल प्रथम अर्धाली का उत्तर मार्ग गूढार्थस्य विभावकम् रूप में प्राप्त होता है, जो कि 'व्यंजनयावबोधत्व' का सफल सूचक है । टीकाकार ने एक प्रसिद्ध अन्योक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है --

मनोरथो यथाविकटनितम्माप्रहसने विकटनितम्बाह-

अन्यासुतावदुपमर्दसहासु भृंग लोलं विनोदय मनः सुमनोल्तासु ।

मुग्धान (म) नामरजसं कलिकामकाले बालां कदर्ययसि किं नवमालिकायाः ।।

यहाँ नायिका अपने ही मनोभावों को (जो प्रस्तुत है) प्रमर एवं नवमालिका-कली (जो सर्वथा अप्रस्तुत है) के व्यपदेश से व्यंजनया व्यक्त कर रही है । क्योंकि दोनों के विशेषण सर्वथा भिन्न हैं, केवल इतिवृत्त में साम्य है, अतः यह अन्योक्ति का ही उदाहरण है ।

नाट्यशास्त्र का यही 'अन्यापदेश' बाद में अन्योक्ति मानी गई है

१-(निर्गन्ध) निर्गन्धदुरारोहां पुत्रक मा पाटलीं स्मारोह आरुढनिपतिताः के अनया न कृता इह ग्रामे ।।

२- we can see the value of मद्भोते's suggestion in such cases. The लक्षण called मनोरथ has in its definition the word अन्यापदेश and is actually the अन्यापदेश of later literature i.e. अन्योक्ति. — Dr. U. Raghavram (Some Concepts of Alamkāraśāstra P. 112.)

परवर्ती युग के ग्रन्थकारों ने भी 'मनोरथ' की जो परिभाषा ह दी है, उसमें अन्योक्ति के तीनों तत्त्व विद्यमान हैं । शारदातनय (भावप्रकाशन, अष्टमाधिकार) ने इसे 'मनोरथो ऽन्यापदेशैः स्वामिप्रायस्य सूचनम्' तथा शिंगभुवाल (रनार्णवसुधाकर तृतीय विलास) ने 'मनोरथस्तु व्याजेन विवक्षितनिवेदनम्' कहकर उदाहरण रूप में 'शाकुन्तले' (तृतीयांक) का एक प्रख्यात वाक्य प्रस्तुत किया है -- (आचार्य के ही शब्दों में) यथा शाकुन्तले-शकुन्तला (पदान्तरं गत्वा, परिवृत्य) (प्रकाश) भी लदाघरज ! मंदावहार ! आमन्तेमि तुमं पुणेता दंस्तणस्स । अत्र लतामण्डपव्याजेन दुष्ष (ष्य)न्ता-मन्त्रणं मनोरथः । विश्वनाथ ने 'स्वामिप्राय की मंग्यन्तर-उक्ति' को ही मनोरथ माना है । तथापि उनका उदाहरण- रतिकेलिकलः किंचिदेष मन्थरमन्थरः पश्यसुभ्रु समालम्मात्कादम्बञ्चुम्बति प्रियाम्' भी अप्रस्तुत निबन्धना द्वारा प्रस्तुत का ही बोध करा रहा है । सर्वेश्वर (साहित्यसार तृतीय प्रकाश) का मत शब्दान्तर युक्त होकर भी आचार्य भरत में व्यतिरिक्त नहीं है --

मनोरथो यथाभूतं स्वामिप्रायस्य शंसनम् ।

साध्यतां ऽर्थस्य संबन्धो युक्तिर्वस्तुमिरिष्यते ॥

भाव सुस्पष्ट है । अब गौण मूलों का प्रसंग आता है --

गौण मूलों में सर्वप्रथम प्रोत्साहना लक्षण देखिए । आचार्य भरत के अनुसार -- उत्साहजनैः स्पष्टैरर्धैरौपम्यसंश्रयैः प्रसिद्धैरुपगूढं च ज्ञेयं प्रोत्साहनं बुधैः । ना० १६।१० , पृ० ३०३ । आचार्य अभिनव ने उदाहरण रूप में अपने काव्यगुरु मटेन्दुराज का यह श्लोक प्रस्तुत किया है --

हरवृषभतवैव तस्य माता जयति जगत्यस्मानसूतिरेका ।

निवसति परमेश्वरोऽपि यस्मिन्सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥

इसके अनन्तर ही आचार्य ने अपना मत देते हुए लिखा है --

अप्रस्तुत प्रशंसाप्यत्र । तद्वैचित्र्यं प्रोत्साहनत्वलक्षणकृतमेव । केवलं त्वियं यथालक्ष्मीरिति स च मवान् सुरारिरित्यादि । अमि०, पृ० ३०३ ।

उपर्युक्त उदाहरण अनेक संस्कृत ^{संग्रह} ग्रन्थों (Anthologies) में अन्योक्ति रूप में उद्धृत किया गया है । अन्योक्ति से प्रोत्साहन का सबसे बड़ा साम्य यही है कि

१- द्रष्टव्य-साहित्यदर्पण, परि० ६ (नाट्यालंकार प्रसंग)

इसमें भी औपम्यादियुक्त स्पष्ट एवं प्रसिद्ध अर्थों (अप्रस्तुत वाच्य) द्वारा उपगूढ़ (अर्थात् व्यंजनयावबोध्य प्रस्तुत) का ज्ञान होता है ।

शारदातनय प्रोक्त लक्षण -- ' त्वरानिवेदनं यत्तु तत्प्रोत्साहनमुच्यते ' विश्वनाथ प्रोक्त लक्षण -- ' प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम् ' तथा भर्षेश्वर प्रोक्त लक्षण अनाहत्य बहूनर्थान् हेतुरिष्टार्थसाधनम् प्रीत्युत्साहकरैरर्थैरुक्तिः प्रोत्साहनं भवेत् ॥ प्रायः सब आचार्य भरत द्वारा निर्विष्ट 'उत्साहजनैः' का निर्वाह मात्र करते हैं किन्तु उनमें अन्योक्ति का वह तत्त्व नहीं है जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है अर्थात् 'अप्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना । इसका कारण यह है कि परवर्ती आचार्य, लक्षणों के औचित्य पर उतने ध्यानस्थ न हो सके जितना कि उनके शाब्दिक अर्थ पर । यही कारण है कि 'प्रोत्साहन' की व्याख्या उत्साह बढ़ाने के अर्थमें की गई । एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आचार्य विश्वनाथ ने प्रोत्साहन को लक्षणों के बजाय नाट्यालंकारों के वर्गमें रखा है जो कि उन्हीं के प्रमाणानुसार लक्षणों से भिन्न नहीं है ।

यद्यपि आचार्य अभिनव ने 'प्रोत्साहन' की व्याख्या करने के बाद 'इदमन्यत्र प्रियवचनमिति पठितम्' कह कर अनुबन्ध में स्थित 'प्रियवचन' लक्षण की प्रोत्साहन-समकक्षाता का निर्देश किया है किन्तु 'प्रियवचन' का अध्ययन करके हम उसमें अन्योक्ति संबंधी कोई भी ऐसा तत्त्व नहीं पाते, जिससे कि उसे भी इस कोटि में रख सकें ।

'अनुवृत्ति' का लक्षण नाट्यशास्त्र (१६।३४, पृ०३१७) के अनुसार -- प्रश्रेणार्थसंयुक्तं यत्परस्यानुवर्तनं सैहादाश्लिष्ययोगाद्वा सानुवृत्तिस्तु संज्ञिता ॥ यहाँ अन्य पदों का तो नहीं, किन्तु 'यत् अर्थसंयुक्तं परस्यानुवर्तनम्' पदसमूह का स्पष्ट संकेत अप्रस्तुत प्रशंसा की ओर है और इसी कारण अभिनव ने उदाहरण रूप में मटेन्दुराज का श्लोक उपन्यस्त करते हुए उसमें अप्रस्तुतप्रशंसान्त्व की कल्पना की है -- अप्रस्तुतप्रशंसात्वेऽपि हि यदप्रस्तुतस्य शरीरवैचित्र्यं तल्लक्षणकृतमेव, लक्षणं हि शरीरमित्युक्तम् । अभि० पृ०३१७।

१- सञ्ज्ञा द्रष्टव्य साहित्यदर्पण परि०६ (नाट्यालंकार प्रसंग)

२- राज्ञा यत्सुरुध्यसे यदि भवेद्वाच्यं पुरोमादृशां तत्संक्रन्दनगोप किंचन पनाक् पृच्छत्यकीरोजतः

अग्रेरोहणचारिणानं सरभसं संवृयमाणश्चिरं कं प्रत्यायमितुं प्रयासरसिको मत्नेन रत्नायसे ?

--अभि०, पृ० ३१७ ।

मटेन्दुराज का यह पद्य भी अनेक सुभाषित ग्रन्थों में अन्योक्तिरूप में उद्धृत किया गया है ।

शारदातनय(अम्यर्थनानुवृत्तिर्या सा ऽनुवृत्तिरुदाहृता), विश्वनाथ(प्रश्रयादनुवर्तनम् अनुवृत्तिः अथ यथा शाकुन्तले -- राजा (शकुन्तलां प्रति) अपि तपो वर्धते ?

अनूया-दाणिं अदिधिविमेसमलाहेण इत्यादि) तथा सर्वेश्वर (दुर्जनोक्तिषु तीव्रासु ज्ञमा स्यादविकारता- प्रश्रयेणान्यथार्थोक्तिरनुवृत्तिरिति स्मृता) आदि द्वारा प्रदत्त अनुवृत्ति की परिभाषायें, प्रोत्साहना की ही भांति उभक्त अन्योक्ति तत्त्व को नहीं स्पष्ट करती । हां सर्वेश्वर कृत लक्षण में अन्यथार्थोक्ति अवश्य ही अप्रस्तुत प्रशंसा के कुछ समीप है ।

आचार्य अभिनव ने प्रोत्साहन की ही भांति अनुवृत्ति को भी 'अनुनय' से मिला हुआ माना है । किन्तु 'प्रियांक्ति' की ही भांति 'अनुनय' भी अनुवृत्ति से साम्य भर ही रखता है । वस्तुतः उभमें अन्योक्ति तत्त्वों का कोई संकेत नहीं है ।

प्रोत्साहन तथा अनुवृत्ति के बाद अन्योक्ति मूलक दो लक्षण और शेष बचते हैं--आक्रन्दना तथा तुल्यतर्क। इनमें से पहला अभिनव द्वारा उपजातिक्रम में सोदाहरण व्याख्यात किया गया है और दूसरा आक्रन्द में ही अन्तर्भूत किया गया है । वस्तुतः है वह अनुबन्धाध्याय या अनुष्टुप क्रम का । आक्रन्द के विषय में हमें प्रोत्साहनादि की भांति अभिनव का कोई मत नहीं प्राप्त है कि यह अप्रस्तुत प्रशंसा रूप हो सकता है किन्तु इनके अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा कि वस्तुतः इनका अन्योक्ति से प्रभूत साम्य है । आक्रन्दना में ठीक अन्योक्ति की ही भांति कोई तथ्य आत्मभाव को उपन्यस्त करके (जो प्रस्तुत होता है) परसादृश्ययुक्तियों से (अप्रस्तुत वाच्य द्वारा) 'तीव्र' अर्थात् व्यंजना द्वारा व्यक्त किया जाता है । आचार्य भरत स्वं अभिनव के प्रमाणानुसार --

आत्मभावमुपन्यस्य परसादृश्ययुक्तिभिः तीव्रार्थभाषणं चत्स्यात् आक्रन्दः स तु कीर्तितः ॥
ना० १६।१६ (अमि०) तीव्रः साक्षादवाच्यो यो ऽर्थस्तस्य परं प्रति सादृश्ययोजन-
प्रकारैरात्मभिप्रायं प्रमुखे दत्त्वा तत्समन्ततः भाषणं स्फुटकथं तन्निजभावाविष्करणप्रधान-
त्वादाक्रन्दो नामलक्षणम् । अमि० पृ० ३०६ ।

अभिनव की व्याख्या तथा बाद में दिये गए उदाहरण समी यह तथ्य सर्वथा

१- किं पान्थ त्वरसे विलोक्य निशां या ह्युन्मुखी पाण्डुरा चन्द्रं बुम्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्रे -
सरागां स्थितिम् ।

यद्वा नागरमोगदुर्ललितकैर्न्यस्तापि न ज्ञायते ग्रामे ग्राम्यजनोपमोगसुमंगं निव्याजिरम्यं सुखम् ॥

स्पष्ट हो जाता है कि आक्रन्द में अन्योक्ति के तीनों ही तत्व प्राप्त होते हैं अतः उसकी अन्योक्ति मूलकता में कोई विचिकित्सा सम्भव नहीं। शारदातनय (आक्रन्दोऽभीष्टविषयशोकालाप उदाहृतः) विश्वनाथ (आक्रन्दः प्रलपितं शुचा ॥ यथा वेण्याम् कंचुकी हा देवि कुन्ति । राजमवनपताके । इत्यादि) के आक्रन्दविषयक मध्य नत चर्चया आचार्य भरत के प्रतिकूल तथा शब्दार्थ पर आधारित हैं। हाँ, आचार्य सर्वेश्वर ने भरत का ही अनुवर्तन किया है --

तीव्रः साक्षादवाच्योऽर्थो यत्राभिप्रायगोचरः ।

आख्यायतेऽन्यथा ऽन्यस्य स स्वाऽक्रन्द उच्यते ॥

स्पष्ट है कि सर्वेश्वरकृत परिभाषा में भरत एवं अभिनव के मतों का (तीव्र+ साक्षादवाच्य) मंजुल समन्वय है। अनुबन्ध ० (१६।२१) में 'तुल्यतर्क' का लक्षण इस प्रकार है--

रूपैकरूपमाभिर्वा तुल्यार्थाभिः प्रयोजितः ।

अप्रत्यक्षार्थसंस्पर्शस्तुल्यतर्कः प्रकीर्तितः ॥

यहाँ अप्रत्यक्षार्थ का अर्थ 'प्रस्तुत' से है, जिसका 'संस्पर्श' अर्थात् व्यंजनया बोध होता है, (अभिधया प्रतिपादन नहीं) कैसे? 'रूपैक... तुल्यार्थाभिः' अर्थात् समानेतिवृत्त वाले अप्रस्तुत द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'आक्रन्दना' एवं तुल्यतर्क में प्रत्यंग साम्य है। शिगमुपाल द्वारा भरतप्रोक्त परिभाषा ही बिना किसी परिवर्तन के अपनाई गई है। किन्तु विश्वनाथ ने शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसकी परिभाषा निर्मित की है, जैसा कि उन्होंने प्रायः समस्त लक्षणों के विषय में किया है --

तुल्यतर्को यदर्थेन तर्कः प्रकृतिगामिनो यथा तत्रैव (वेणिसंहारे) 'प्रायेणैव हि दृश्यन्ते कामं स्वप्ना? शुभाशुभाः शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतीव माम्'। यहाँ स्पष्टतः 'तर्क' का अर्थ 'चिन्ता' अथवा 'वितर्क' मात्र से लिया गया है।

इन व्याख्यात लक्षणों के अतिरिक्त सहेतु (ना० १६।१४) तथा विचार (षोडशानुबन्ध १२५) आदि और भी इतर लक्षण हैं ऐसे हैं जिनमें कि अन्योक्ति तत्त्वों का उपन्यास हुआ है किन्तु वे इतने महत्वपूर्ण नहीं कि स्वतंत्र व्याख्यान किया जाय।

हाँ-----

१- तुल्यतर्क का प्रस्तुत उदाहरण शुद्ध अन्योक्ति से है--

नवाकंभापल्लवितामत्तोदरे सुगन्धिरेणुत्करकेसरोज्ज्वले ।

रसामृतज्ञो भ्रमरः सरोरुहे किमकंपुष्पं प्रणय करिष्यति ?

--अभि० पृ० ३५५ ।

२- बहूनां मासमाणानां त्वेकस्यार्थविनिर्णयं सिद्धोपमानवचनं हतुरित्यभिप्रेक्षितः ॥

ना० १६।१४

३- पूर्वज्ञयसमानार्थैरप्रत्यक्षार्थसाधनैः अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥

--ना० १६।२५ (अनुबन्ध)

हां, अन्योक्ति तत्त्वों की ओर उनका संकेत अवश्य है ।

सारांश यह कि, आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में वस्तुतः नाट्य एवं काव्य (दृश्य एवं श्रव्य) दोनों का बिना किसी भेदबुद्धि के प्रतिपादन किया । काव्यांगों के रूप में - गुण, दोष, अलंकार एवं लक्षण तथा नाट्यांगों के रूप में वृत्तित्ववृत्त्यंग, सन्ध्यंग इत्यादि । इनमें से 'लक्षण' एक ऐसा काव्य तत्त्व था जिसे आचार्य ने सर्वांगीय स्थान दिया । लक्षणों का संख्या भरत के युग में ३६ थी, जो कि तब से लेकर १६ वीं शती तक घटती बढ़ती रही । लक्षण सामान्यरूप (Genus) तथा गुणालंकारादि उनके विशेष (species) रूप थे । किन्तु लक्षणों का अलंकारों एवं गुणों के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध एवं तात्त्विक साम्य था कि अलंकार-सम्प्रदाय के उदय के साथ ही साथ उनका विलयन भी इन्हीं अलंकारों में प्रारम्भ हो गया । इस कार्य का श्रीगणेश, आचार्य मामह ने, लक्षणों की समकक्षा, वक्रोक्ति की स्थापना करके तथा आचार्य दण्डी ने लक्षण वृत्त्यांगदि सब को अलंकार मात्र मान कर, किया । दण्डी के बाद भोज शारदातनय, जयदेव, शिंगू भूपाल, विश्वनाथ तथा सर्वेश्वरादि आचार्यों ने जितना ही प्रयत्न लक्षणों के स्वतन्त्रविवेचनार्थ किया विरोधी दल ने उतना ही प्रयत्न उनके विलयनार्थ किया । फल यह हुआ कि समस्त लक्षण, साथ ही साथ उनसे यथाकथांचित सम्बद्ध, सन्ध्यंगादि नाट्यतत्त्व भी अलंकारों की गर्त में डूब गए । उनकी केवल स्मृति भी रह गई ।

आचार्य अभिनव के युग तक भी लक्षणों की मैदान्तिक सरणि स्थिर नहीं हो सकी थी । उनके स्वरूप के विषय में नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियां, शंकायें एवं रूढ़ियां पैदा हो चुकी थीं । अभिनव ने उन्हें 'दशपदा' के रूप में सर्वप्रथम उपन्यस्त करके भरत के तद्विषयक दृष्टिकोण का ही मूल्यांकन प्रस्तुत किया । इसी को 'दशपदा' सिद्धान्त कहते हैं ।

✓ इन्हीं लक्षणों से अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा का उद्भव हुआ । इस विषय में आचार्यभट्टतांत तथा अभिनव के प्रमाण भी प्राप्त हैं । यद्यपि अन्योक्ति का उद्भव मुख्यतः 'मनोरथ' लक्षण से ही हुआ, किन्तु 'मनोरथ' के अतिरिक्त अनेक ऐसे अन्य लक्षण हैं, जिनमें अन्योक्ति के तत्त्व प्राप्त होते हैं । इस दृष्टि से उन समस्त लक्षणों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -- प्रधान तथा गौण । प्रधान में मनोरथ लक्षण, तथा गौण वर्ग में, अनुवृत्ति आक्रन्दना तथा तुल्यतर्क आयेगे । इन्हीं लक्षणों द्वारा निर्मित एक उर्वर क्षेत्र विशेष से अन्योक्ति का उद्भव हुआ और उसी को सर्वप्रथम आचार्य मामह ने एक स्वतन्त्र अर्थात् अलंकार की मान्यता दी ।

तृतीय अध्याय

-0-

अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विकास

(पूर्व-मम्मट-युग)

तृतीय अध्याय

-0-

अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विकास

(पूर्व-मम्मट-युग)

आचार्य भरत से लेकर भामह तक का मध्यवर्ती युग संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त अन्धकार मय है । ऐसी दशा में, काव्यशास्त्र की किसी समस्या अथवा उसके किसी भी अंग का यथावत् परिशीलन, असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । आधुनिक विद्वानों की शोध मीमांसा भी, इस दृष्टि से, मूलग्रन्थ के प्रतिपाद्य से बाहर नहीं जा पाती, हम तत्त्वग्रन्थों में संकलित-सामग्री की ही सूचना, उनमें भी पाते हैं । काव्यशास्त्र में प्रचलित, रस-, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य, इन छः सम्प्रदायों में से परवर्ती चार अपेक्षाकृत अधिक मर्यादित एवं सिद्धान्ततः स्पष्ट हैं, क्योंकि उनका पूर्वरूप, उनका उद्भव, सिद्धान्त एवं व्यवहारपद्धति, उनकी सीमायें एवं उनके विधायक आचार्य भी प्रायः, स्थिर हो चुके हैं । शेष, दो सम्प्रदायों में से, रस भी मानव की सहज चेतसु अनुभूतियों के, इतना समीप है कि उसकी सत्ता कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु अलंकार-सम्प्रदाय के कुछ अपने पृथक् वैशिष्ट्य रहे हैं, जिनके कारण उसका रूप ही दुर्बल एवं दुर्बोध बन गया । इस दृष्टि से विचार करने पर, आलंकारिक मान्यताओं की अनेक कौटियां, जो अनेक युगों में, अनेक आचार्यों द्वारा परिष्कृत एवं परिवर्धित होती रहीं, और जो आलंकारिक दुर्बोधता का कारण भी हैं, हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाती हैं ।

ई० शती के पूर्व ही आचार्य भरत ने, गुणों, दोषों, अलंकारों एवं लक्षणों की स्थापना तथा व्याख्या, नाट्यशास्त्र के षोडशाध्याय में प्रस्तुत किया था । किन्तु जैसा कि, पिछले अध्याय में प्रमाण उपस्थित किया जा चुका है, आचार्य भरत ने अलंकारों को अन्य तीनों तत्त्वों से विविक्त मानते हुए भी, उनमें आन्तरिक्य स्थापित कर दिया था । गुणों तथा अलंकारों में, उन्होंने कोई भेद नहीं स्पष्ट किया, साथ ही साथ अलंकारों के 'वैचित्र्य' का कारण भी लक्षणों को माना । वैचित्र्य का अर्थ शोभा तथा संख्याभेद दोनों ही लिया जा सकता है^१ । इन दोनों मान्यताओं के कारण, अलंकार, नाट्यशास्त्र एवं भरत के युग में मले ही, सीमित रहे, किन्तु परवर्ती युग में गुणों एवं लक्षणों को अपनी कंचुली में ही समेटकर विशाल हो गए ।

आचार्य भामह एवं दण्डी, भरत की भांति नाट्यशास्त्र के व्याख्याता नहीं थे, प्रत्युत उनका सारा मनोबल अलंकार को ही, 'काव्यसर्वस्व' अथवा 'काव्यात्मा' रूप सिद्ध करने में लगा था । ऐसी बात भी नहीं कि, वे रस से अथवा उसके अंगभूत विभावानुभावादि से परिचित नहीं थे । वे 'रस' तथा 'उमके अनुभव या परिपाक से पूर्णतः अवगत थे । किन्तु उन्हें यह मान ही नहीं हो सका था कि 'रस अथवा ध्वनि' काव्यात्मरूप हो सकती है । वे अलंकार को ही 'काव्यचारुता' का हेतु मानते थे, और इसी कारण रस को भी अलंकार रूप मानने तथा रसवत् अलंकार स्थापित करने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई । भरत की ही भांति, भामह एवं दण्डी ने भी गुणों अलंकारों में कोई विशिष्ट भेद नहीं प्रदर्शित किया । भाविक अलंकार को दोनों ने 'गुण' रूप में मान्यता दी, जिससे गुणालंकार साम्य स्पष्ट हो जाता है (भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम् : काव्या० ३।५३ तथा काव्यादर्श २।३६१ः) वस्तुतः आचार्य दण्डी काव्यशोभाकर समस्त धर्मों को, चाहे वे अलंकार, गुण, लक्षण, मन्ध्यंग अथवा वृत्त्यंग कुछ भी हों, अलंकार ही स्वीकार करते थे । इसी कारण काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों की -- 'काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रवक्षते' (२।१) रूप में परिभाषा देकर, आचार्य ने प्रथम परिच्छेद में वर्णित कुछ अलंकारों की ओर संकेत किया था -- 'काश्चिन् मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः' (२।३), यहां आचार्य का संकेत स्पष्टतः, वैदर्भ-गौड मार्गों के विवेचन में प्रतिपादित,

१- द्रष्टव्य-- डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी कृत व्याख्यान, उनका शोधग्रन्थ अध्याय २, पृ०

८ से २० तक । ढाका विश्वविद्यालय, सन् १९३७ ई० ।

श्लेष-माधुर्यादि गुणों की ओर था । अपनी इसी आलंकारिक धारणा के आधार पर, दण्डी ने , भरत से भी आगे बढ़ने हुए, केवल गुणों एवं लक्षणों को ही नहीं, प्रत्युत सन्ध्यगादि समस्त तत्त्वों को , अलंकारों में ही अन्तर्भूत कर दिया -- यच्च सन्ध्यगा-लक्षणाद्यागमान्तरे व्यावर्णितमिदं चेष्टमलंकारतयैवः ।। इन अलंकारों में से अनेक ऐसे थे, जो 'व्यंजना अथवा ध्वनि' के सन्निकट थे, किन्तु जैसा कि आचार्य रुम्यक तथा जगन्नाथ ने भी स्वीकार किया है, आचार्य दण्डी आदि, उस प्रतीयमानार्थ (व्यंजना अथवा ध्वनि को वाच्योपस्कारक होने के कारण, अलंकार पदा में ही निविष्ट करते थे ।

मामह तथा दण्डी के पश्चात् (यातवीं शती तक) आचार्य वामन ने (आठवीं शती) एक बार पुनः अलंकारों की नए सिरे से व्याख्यानव्याख्या करने का प्रयत्न किया । उन्होंने काव्योपादेयता का मूलकारण अलंकार को ही स्वीकार किया -- काव्यं ग्राह्यमलंकारात् (काव्या० १।१।१) किन्तु आचार्य वामन ने, यहां जिस अलंकार की चर्चा की है, वह स्पष्टतः उपमादि अलंकारों में मिन है, क्योंकि उपमा अनुप्रास एवं यमकादि अलंकार, केवल स्कदेशीय हैं, अतः उन्हें काव्योपादेयता का कारण स्वीकार करना कल्पना-गौरव मात्र है । इसी कारण आचार्य ने, अलंकारों को एक विशिष्ट-परिभाषा में निबद्ध किया-- 'सौन्दर्यमलंकारः' (काव्या० १।१।२) यहां, वामनाभिप्रेत 'सौन्दर्य' का अर्थ है 'काव्य का स्वभावगत सौन्दर्य' न कि किसी अलंकार-विशेष द्वारा उत्पन्न किया गया काव्यचारुत्व । वामन प्रोक्त, यह काव्यसौन्दर्य 'व्याप्ति एवं प्रभावशालिता' के माने में बहुत कुछ, आचार्य मामह की 'वक्रोक्ति' की भांति है, जिसे उन्होंने समस्त काव्य - का तथा समस्त अलंकारमजना का मूल स्वीकार किया था । इसी प्रकार वामनप्रोक्त काव्यसौन्दर्य ~~सौन्दर्य~~, दण्डी द्वारा अभिमत अलंकारस्वरूप के भी सवथा अनुकूल है । यही स्वाभाविक

१- द्रष्टव्य--इह तावद्भामहोदमटप्रमृतयश्चिरन्तनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारक-तयाऽलंकारपदा निक्षिप्तं मन्यन्ते ।... उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम् । तदेवमलंकारा स्व काव्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम् (अलंकारसर्वस्व, पृ० ३)
+++ ध्वनिकारात्प्राचीनेभामहोदमटप्रमृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यग्यादिशब्दाः न प्रयुक्ता इत्वेतावतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याद्युनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव । यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशसा अलंकारनिरूपणन क्रियन्तोऽपि गुणीभूतव्यग्यमेदा स्तरपि निरूपिताः । अपरश्च सर्वोऽपि व्यग्यप्रपंचः पर्यायोक्तकुत्रापि निक्षिप्तः । न ह्यनुभवसिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपह्नोतुं शक्यते । ध्वन्यादिशब्दैः परं व्यवहारो न कृतः । न ह्येतावताऽनगीकारो भवति (रसगगाधर, पृ० ४१५) काव्यमाला संस्करण १८८८ ।

२-संषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ? -- काव्या० २।८५ ।

काव्य सौन्दर्य जब नियमित एवं संकुचित रूप से शब्दार्थ मात्र में अवस्थित हो जाता है तो इसे शब्दार्थालंकार की संज्ञा प्राप्त हो जाती है -- अलंकृतिरलंकारः । करणव्युत्पत्त्यापुनरलंकारशब्दांऽयमुपमाविषु वर्तते । आगे, वामन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये शब्द एवं अर्थ के अलंकार, दोषपरित्याग अथवा गुणाधान से प्राप्त हो सकते हैं । वस्तुतः आचार्य के अनुसार 'काव्य' शब्द का समावेश, मुख्यरूप से, गुणालंकार संस्कृत, शब्द एवं अर्थ में है और लक्षणया हम शब्दार्थ मात्र में ही 'काव्यत्व' मान कर उसे 'शब्दार्थोकाव्यम्' कह देते हैं ।

वामनाचार्य के इन विचारों से, यह रहस्य सुस्पष्ट हो जाता है कि भरत के लक्षण, भामह की वक्रोक्ति तथा दण्डी के अलंकार की ही भांति, उनका अपीष्ट अलंकार भी 'काव्य का सहजसौन्दर्य' होने के कारण, अत्यन्त विशाल एवं विस्तृत है । उपमादि अलंकार, उसकी विशिष्ट कोटियां मात्र हैं । 'गुण' भी उस सामान्यसौन्दर्य के आधायक मात्र हैं, अतः उसके अंग विशेष हैं । इस दशा में हम यह, उद्भावना कर सकते हैं कि वामन ने 'काव्य के सामान्य सौन्दर्य को' अलंकार का स्वरूप मानकर, दण्डी के मत को, अपेक्षाकृत और परिनिष्ठित एवं स्थायी बनाया । क्योंकि, आचार्य दण्डी ने 'काव्यशोभा-करत्वं' के ही उभयनिष्ठ होने से गुणालंकार में ऐक्य स्थापित किया था, किन्तु वामन ने दोनों में इस कारण ऐक्य स्वीकार किया, क्योंकि गुण (शब्द एवं अर्थगुण) एवं अलंकार (उपमादि, शब्द एवं अर्थ अलंकार) दोनों ही, अपने से भी बड़े एक सामान्य (Genus) में अन्तर्भूत हैं और वह 'सामान्य' वामन की अपनी स्वतन्त्र-विद्वत्ता का प्रसवभूत 'काव्य-सौन्दर्य' है ।

आलंकारिक मान्यता की चतुर्थ कोटि, संस्थापित करने का श्रेय राजा भोज को है, जिन्होंने पूर्ववर्ती इन तीनों ही आचार्यों का अतिक्रमण करते हुए, 'रसनिष्पत्ति' तक को अलंकार ही स्वीकार किया । भोज, काव्यशास्त्रीय विवेचन में, प्रायेण आचार्य दण्डी के अनुयायी रहे हैं । रस की अलंकाररूपता का भाव भी उन्हें 'काव्यादर्श' में व्याख्यात रसवदादि अलंकार से ही मिला, यह निश्चित है । किन्तु, जो समस्याएँ आचार्य (भामह एवं) दण्डी के ग्रन्थ में बीजरूप में थीं • सरस्वतीकण्ठाभरण एवं शृंगारप्रकाश में वे ही, वृत्त रूप में आयीं । वस्तुतः भोज ने दण्डी की 'अलंकार धारणा' को बृहत्तरूप देकर, पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया ।

भोज ने समस्त अलंकार वर्ग को त्रिधा विभाजित किया--वक्रोक्ति स्वभावोक्ति तथा रसोक्ति । अलंकारप्राधान्य होने पर वक्रोक्ति, गुण-प्राधान्य होने पर स्वभावोक्ति,

तथा रस प्राधान्य होने पर रसोक्ति होता है^१। किन्तु ये तीनों ही उक्तियाँ, अलंकारवर्ग में ही अन्तर्भूत हैं, यह अवश्य तथ्य है। प्रश्न यह है कि, ऐसा क्यों है ?

इस प्रश्न का हल पाने के लिए हमें भोज की स्क 'व्यक्तिगत धारणा' को समझ लेना आवश्यक है। भोजने 'नानालंकारसंसृष्टि' को अलंकारों के दायरे में, संभवतः सर्वोत्कृष्ट स्थान देते हैं और उनका यह सिद्धान्त, तर्कसंगत भी है, क्योंकि कोई भी अलंकार व्यावहारिक रूप में, अकेले मिलता नहीं। उसके साथ कोई-न-कोई अन्य अलंकार अवश्य मिला रहता है। संसृष्टि का यह सिद्धान्त, भोजन ने दण्डी (काव्यादर्श २।३५७: नानालंकारसंसृष्टिः संसृष्टिस्तु निगद्यते) से ही लिया और उर्षी का पल्लवन सरस्वती० के पंचम परिच्छेद में किया। भोज के अनुसार 'संसृष्टि' 'नानालंकारसंकर मात्र है (द्रष्टव्य सरस्वती० ४।८७-८६) वह व्यक्त-अव्यक्त तथा व्यक्ताव्यक्त तीन प्रकार की होती है।

पांचवें परिच्छेद में, इसी संसृष्टि की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा है -- 'नानालंकारसंसृष्टेप्रकाराश्च रसोक्तयः इत्युक्तम्। तत्र अलंकारसंसृष्टेः इत्येव वक्तव्ये नानालंकारग्रहणं गुणरसानामुपसंग्रहार्थम्। तेषामपि हि काव्यशोभाकरत्वेन अलंकारत्वात् यदाह -- काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचक्षते।..... तत्र काव्यशोभाकरान् इत्यनेन श्लेषोपमादिवत् गुणरसभावतदामासप्रसादीनपि उपग्रहणाति। मार्गविभागकृद्गुणानामलंक्रियोपदेशेन श्लेषादीनां गुणत्वमिव अलंकारत्वमपि ज्ञाययति-- श्लेषः प्रसादः समता, आदि (सर०पृ० ३५५, बारौह संस्करण, कलकत्ता १८८४ ई०)।

उपर्युक्त व्याख्यान से, स्पष्ट हो जाता है कि गुणों एवं रसभावादिकों को भी भोज ने अलंकार ही माना, क्योंकि रसभावादि भी नानालंकारसंसृष्टि से पृथक् नहीं है। दूसरी बात यह है कि आचार्य दण्डी ने पहले ही रसवत् एवं प्रेयस् आदि को अलंकारों में निविष्ट कर दिया था। अतः भोज ने यह जानते हुए भी कि -- 'रसों को अलंकार कहना उचित नहीं है, इसी संसृष्टि एवं पूर्व प्रामाण्य के बल पर उन्हें अलंकार कौटि में अन्तर्भूत किया -- ननु सर्वेषामप्युपादेयानां काव्यशोभाकरत्वाद् अलंकारत्वे व्यवच्छेद्याभावात् संकरः संसृष्टिरित्येव वाक्यं (च्यं) भवति। विभावानुभावसंवारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति विभावादि संकरस्यापि संसृष्टित्वं प्राप्नोति। तदलंकारग्रहणेन निवर्तयते। नहि विभावादयोऽलंकाराः अपितु भावरसतदामासानामलंकाराणामभिनिष्पत्तिहेतवः अर्थविशेषाः (शृंगारप्रकाश, पृ० ३७०)।

१-वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम् सर्वासु ग्राहिणीं तासु रसोक्तिं प्रतिजानते॥ --सरस्वती०, पृ० ५।८।

२-अयुक्तन्त्विदमुक्त रसानामलंकारता इति। तेषां गुणानामिव अलंकारव्यपदेशाभावात्। नायुक्तम् उक्तैकैकानां अनापूर्वास्वरसवत्प्रेयसानलंकारव्यपदेशात्। (सरस्वती०, पृ० ३५५)

गुण, रस, भावादि की अलंकारता स्वीकार करने में भोज का समस्त प्रयत्न, कुछ तो दण्डी के सिद्धान्त पर आधारित है और अधिकांश तो उनका अपनी विस्तारप्रिय बुद्धि का ही उन्मेष मात्र है। यदि हम मामह स्वं दण्डी के युग की तुलना, भोज के युग से करें तो भोज का यह मत न्याय्य स्वं अनुकरणीय नहीं सिद्ध होता है। मामह स्वं दण्डी का युग, अलंकारों के विक्राय स्वं वैभव का युग था। तब आचार्यों को 'ध्वनि' का माहात्म्य नहीं ज्ञात हो सकता था। और चूंकि, किसी वस्तु का अभाव, अपेक्षा से ही प्रतीत होता है, अनपेक्षा से नहीं (अनपेक्षा की सीमित चारदीवारी में प्रत्येक वस्तु सुडौल स्वं सर्वांगपूर्ण ही होती है) इसी कारण अलंकार के युग में अलंकार ही सर्वस्व रहे। इसी प्रकार रीति, ध्वनि स्वं वक्रांकि प्रभृति काव्यसम्प्रदायों के युग में उन्हीं की प्रभुता स्वं व्याप्ति रही। अन्य काव्य-तत्त्व, मले ही उनसे उत्कृष्ट रहे हों, किन्तु युग-विशेष की परिधि में उनके सहायक या गौण ही बने रहे। ठीक यही दशा दण्डी के युग में अलंकारों की थी। अतः दण्डी द्वारा लक्षण, गुण, सन्ध्यंग, वृत्त्यंग, तथा अन्यान्य काव्यतत्त्वों का, अलंकारों में अन्भाव, समयसापेक्षा स्वं उचित ही कहा जायगा।

किन्तु भोज ? ऐसा तर्क भी तो नहीं दिया जा सकता कि भोज, काव्य के अन्य सिद्धान्तों से अवगत नहीं थे। भोज का समय, सुस्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ईसा की ग्यारहवीं शती है। उनके पूर्व वानन का रीति सिद्धान्त विद्यमान था। संस्कृत साहित्यशास्त्र को एक नवीन सरणि सुफाने वाले, आचार्य आनन्दवर्धन का ध्वनिसिद्धान्त भी, भोज के बहुत पहले ही, विकसित स्वं शक्त हो चुका था। ऐसी दशा में भी, भोज का यह कार्य यदि उनका 'अन्यानुकरण' नहीं तो और क्या है ? क्योंकि कोई भी सहृदय व्यक्ति 'रस(ध्वनि) स्वं अलंकार' को एक नहीं स्वीकार कर सकता। एक स्वानुभवसंवेद्य, ब्राह्मणानन्दसहोदर, काव्यात्मरूप तथा अवाच्य है और दूसरा शब्दार्थवाच्य मात्र। एक व्यंजनाव्यापारगम्य, दूसरा अभिधया वाच्य? फिर दोनों में ऐक्य की संभावना, कैसे की जा सकती है ?

भोज का यह सिद्धान्त ध्वनिकार के सर्वथा विपरीत भी है। क्योंकि, आनन्दवर्धनाचार्य ने 'ध्वनि' को ही काव्यात्मा मान कर उसके, वस्तुध्वनि अलंकारध्वनि तथा रसध्वनि-- तीन भेद किये। इनमें भी प्राधान्य 'रसध्वनि' का ही है। जो कि काव्य का प्राणभूत तत्त्व है। वस्तु स्वं अलंकार भी रसध्वनिपर्यवश्यायी होने के ही कारण, उसमें अन्तर्भूत हैं, पृथक् रूप से उनका वह मूल्य कभी नहीं है, जो कि ध्वनि का

अंग बनने पर है। प्रथम अध्याय में, इसका विस्तृत विवेचन भी प्रस्तुत हो चुका है कि किस प्रकार आचार्य अभिनव ने भट्टनायक के ध्वनिविरोधी मत का खण्डन करके, वस्त्वलंकार-ध्वनि मानने के लिए उन्हें बाध्य किया^१। इसके विपरीत भोज ने अलंकार में रसों का अन्तर्भाव करना चाहा है। शृंगार प्रकाश, पृ० ३७२ पर उनका एक उद्धरण इस प्रकार है --
नन्वं सति विभावानुभावसंवारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरित्यादिना न भवितव्यमेवालंकारेण ।
नैवम् । त्रिविवः स्वत्वलंकारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति । तत्र
उपमालंकारप्राधान्ये (वक्रोक्तिः । सोऽपि गुणप्राधान्ये) स्वभावोक्तिः । विभावानुभाव-
संवारिसंयोगात्तुरसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ।^२

वस्तुतः भोज संस्कृतकाव्यशास्त्र में एक समन्वयवादी आचार्य के ही रूप में प्रख्यात हैं। वे मौलिक सिद्धान्तयिता न होकर संकलयितानात्र हैं। इसी कारण, उनके अपने व्यक्तिगत विचार एवं दृष्टिकोण भी, उनके व्यर्थ विस्तारों के जाल में पड़कर परिस्फुट नहीं हो सके। सरस्वतीकण्ठाभरण में, किसी भी समस्या के व्याख्यान में पदे पदे उदाहरण प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक वस्तु का षोढा विभाजन, आदि तथ्य उनकी ज़मी प्रवृत्ति के प्रमाण हैं।^३ अपने पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के, उन्होंने काव्य-शास्त्रीय परम्पराओं की प्रतिपद अवहेलना भी की है। नवीन दोषों को उद्भावना, बाह्य तथा आभ्यन्तर के ही साथ वैशेषिक गुणों की स्थापना, जाति, गति, रीति, वृत्ति एवं ह्याया आदि को शब्दालंकार मानना, उपमादि अर्थालंकारों को शब्दार्थ दोनों का अलंकार स्वीकार करना आदि अनेक ऐसे तत्त्व हैं, जो हमें आश्चर्य एवं कौतूहल में डाल देते हैं। कहां तो आचार्य वामन की रीति, जो काव्यशास्त्र में एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का श्रीगणेश करती है और दूसरी ओर भोज द्वारा उसकी एक शब्दालंकार रूप में मान्यता। ऐसी दशा में हम यह कह सकते हैं कि अपनी दृष्टि से भोज ने मले ही संस्कृत-साहित्य को अपनी नवीन प्रतिभा का परिपाक सौंपा किन्तु अन्य आचार्यों की विरासतों की दृष्टि से उन्होंने प्राचीन परम्पराएं तोड़ीं, नव्यता प्रस्तुत करने का साहसमात्र किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भरत से लेकर भोज तक के बीच, लगभग १२०० वर्षों में अलंकार की मान्यताएं चार बार परिवर्तित हुईं। इसी परिवर्तन के

१- द्रष्टव्य-- ध्वन्यालोकलोचन, ११४ का व्याख्यान।

साथ ही साथ, जाने कितने अलंकार उद्भूत और जाने कितने तिरोहित भी हो गए । जाने कितने, दूसरे अलंकारों के पेट में समा गए और जाने कितने, अपने अंगियों से पृथक् होकर बाहर भी आ गए । इस दृष्टि से जब हम अन्योक्ति के 'वृत्त' पर विचार करते हैं तो विश्वास ही जाता है वह अन्य अलंकारों की भांति शतायु अथवा सहस्रायु न होकर अनादि एवं अनन्त रूपा है । आचार्य भरत के लक्षण 'मनोरथ' से लेकर आज तक के आलंकारिक ग्रन्थों में विद्यमान, उसकी सत्ता दो हजार वर्षों के नैरन्तर्य में सामयिक कायाकल्पों के बावजूद भी, अक्षुण्ण रही है । शेष क्या उसका आदि और अन्त, जो कि दोनों ही हमारी चिन्तन-शक्ति द्वारा गृहीत नहीं हो पाते, अतः कल्पनातीत हैं । पिछले अध्याय में नाट्य-आचार्य भरत के ही साक्ष्य पर उनकी प्राचीनतम सत्ता वैदिक ऋचाओं में ही स्वीकार की गई है ।

ऐसी दशा में यह सोचना हो एक समस्या बन जाती है कि अन्योक्ति का सैद्धान्तिक-विवेचन हम कहाँ से प्रारम्भ करें ? अध्यायारम्भ में ही इस तथ्य का निराकरण किया जा चुका है कि भरत और मामह के बीच का युग, अत्यन्त अन्धकार पूर्ण रहा है । कुछ ज्ञात नहीं कि इस मध्यान्तर में, कितने नक्षत्र है काव्यशास्त्र के आकाश में उदित एवं अस्त हुए । आचार्य मामह ने काव्यालंकार १।१३ (रूपकादिलंकार-स्तम्भान्यैर्बहुधोदितः) १।१४ (रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे) १।२४ (उक्तं तदभिनेयार्थमुक्तोऽन्यैस्तस्यविस्तरः) १।३१ (वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे) आदि कारिकाओं में 'प्रयुक्त 'अन्य तथा पर' शब्द से ही अनेक आचार्यों की ओर संकेत किया है, जो कि निश्चितरूप में मामह के पूर्ववर्ती तथा भिन्न मत वाले थे । उदात्त अलंकार के लक्षणविषयक वैमत्य में यह तथ्य और स्पष्ट हो गया है । इन आलंकारिक आचार्यों के अतिरिक्त , मामह ने अपने पूर्ववर्ती अनेक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का भी परिचय प्रस्तुत किया है, जिनमें मुख्यतः शारवावर्धन कृत राजमित्र (२।४५ महाकाव्य?) राम शर्मन कृतअच्युतौत्तर (२।१६-५८ प्रहैलिका ग्रन्थ) अश्मकवंश(रघुवंश की भांति काव्य-विशेष , १।३३) रत्नाह्वरण काव्य(३।८) तथा न्यासकार(६।३६) आदि हैं ।

काव्यालंकार द्वितीय परिच्छेद की चतुर्थ कारिका में अनुप्रास,यमक रूपक दीपक तथा उपमा , इन पांच अलंकारों को गिनाते हुए आचार्य मामह ने कहा है -- इति वाचामलंकारः पंचैवान्यैरुदाहृताः । इस कथन से भी उपर्युक्त उद्भावना और सुदृढ़ हो जाती है कि मामह के पूर्व कोई-न-कोई प्रस्थित आचार्य अवश्य रहा होगा । और वह आचार्य नाट्यशास्त्रकार भरत का पूर्ववर्ती तथा भिन्न भी रहा होगा । क्योंकि भरत के

विषय में तो साधिकार यह कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल चार अलंकार स्वीकार किये थे -- यमक, रूपक, दीपक तथा उपमा^१ । मामह स्वयं ३८ अलंकार मानते हैं, अतः पांच अलंकारों को मान्यता देने वाला आचार्य निश्चितरूप से भरत एवं मामह का मध्यवर्ती ही रहा होगा ।

मामह ने काव्यालंकार में न्यान स्थान पर, एक ऐसे ही आचार्य का उल्लेख किया है, जिनका नाम है -- मेघाविन् । कारिका २।४० (त स्तउपमादोषाः सप्त मेघाविनोदिताः) तथा २।८८ में (संख्यानमिति मेघाविनोत्प्रेक्षाभिहिताक्वचित्) में मेघाविन् विषयक षष्ट प्रमाण भी प्राप्त होते हैं । ऐसी दशा में मामह द्वारा प्रकटित समस्त मतवैषम्यों के कारणभूत मेघाविन् ही थे ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं दिखायी पड़ती । पांच अलंकारों की मान्यता, उदात्तविषयक दूसरी परिभाषा भाविक तथा आशीः को अलंकारत्व देना, उत्प्रेक्षा को 'संख्यान' कहना आदि पूर्वोक्त तथ्य यही सिद्ध करते हैं कि उनके प्रवर्तक कोई आचार्य मामह के पूर्व थे, और पूर्ण संभव है कि वह आचार्य मेघाविन् ही हों ।

रुद्रटीय काव्यालंकार(१।२) की टीका में आचार्य नमिसाधु ने , एक स्थल पर कहा है -- ' ननु दण्डिमेघाविरुद्रमामहादिकृतानि सन्त्येवालंकारशास्त्राणि ' । इस वाक्य से सिद्ध होता है कि मेघाविन् की ही अपर संज्ञा 'मेघाविरुद्र' भी थी । क्योंकि केवल 'रुद्र' नाम का कोई भी प्रख्यात-आचार्य, संस्कृत काव्यशास्त्र में ४ मामह के पूर्व नहीं हुआ है , यह निश्चय है । अतः महामहोपाध्याय डा० काणे जी का यह सर्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि जैसे धर्मकीर्ति एवं मर्तुहरि को 'कीर्ति' तथा 'हरि' की ही प्रसिद्धि मिली, ठीक वैस ही मेघाविरुद्र को भी मेघाविन् की । रुद्रटीय काव्यालंकार (१।२४) में ही उपमादोषों के व्याख्याप्रसंग में आचार्य नमिसाधु ने स्वयं मेघाविरुद्र के स्थान पर केवल 'मेघावी' के मत का उल्लेख किया है -- अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इतिग्रहणान्मेघाविप्रभृतिभिरुक्तं यथा -- लिंगवचनभेदो हीनताधिक्यसंभवो विर्ययोऽसादृश्यमिति सप्तोपमादोषाः ।' नमिसाधु द्वारा वर्णित सातों उपमादोष वही हैं जो मामह द्वारा काव्यालंकार (२।३६) में गिनाए गए हैं, केवल कारिका मर का

१- द्रष्टव्यः नाट्यशास्त्र १६।४०(पृ० ३२१)

२- History of Sans. Poetics pp. 61-62.

भेद है। अतः इस प्रमाण से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि नमिसाधु के मतानुसार मेधाविन तथा मेधाविरुद्ध दोनों एक ही थे, और टीकाकार ने इन तंत्राओं का प्रयोग पर्याय रूप में ही किया है।

किन्तु डा० काणे ने मेधाविन् का समय दण्डी के बाद तथा तथा भामह के पूर्व स्वीकार किया है जो किस्वीकार्य-मान्यता के सर्वथा विपरीत है। यहाँ, अवसर नहीं है कि हम प्रमाण दण्डी-मेधाविन् तथा भामह के पूर्वपर्यन्त का निर्णय करें, किन्तु काव्यालंकार स्व काव्यादर्श में ही प्राप्त, अन्तःसाध्यों के आधार पर तथा आधुनिक अन्य आलोचकों के प्राभाष्य से हमें यह दृढ़ धारणा बन चुकी है कि आचार्य भामह दण्डी के पूर्ववर्ती तथा मेधाविन् के परवर्ती हैं^१। आचार्य भरत का समय (कालिदास के पूर्व) ई०पू० द्वितीय शती तथा मेधाविन् के अम्युदय का युग भी संभवतः तब से लेकर चतुर्थ शती ईसवी तक का मध्यवर्ती कोई समय होगा। चूंकि आधुनिक विद्वानों के विरुद्ध प्रमाण, केवल उन-उन आचार्यों की पुस्तकों पर ही आधारित है, अतः ऐसा कोई सुदृढ़ कारण नहीं है कि उनकी मान्यताओं को हम मान ही लें। उनकी श्रद्धा ने यदि उन्हें दण्डी को भामह का पूर्ववर्ती मानने की प्रेरणा दी है, तो हमारी श्रद्धा इसका वैपरीत्य भी स्वीकार करने के लिए हमें प्रेरित कर सकती है।

डा० काणे जी ने मेधावी को दण्डी का परवर्ती सिद्ध करने के लिए, काव्यालंकार-स्थ २।८८ कारिका का रूप, 'संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिहिता क्वचित्' के स्थान पर संख्यानमिति मेधावी नोत्प्रेक्षाभिहिता क्वचित् स्वीकार किया है। ताताचार्य द्वारा प्रकाशित ग्रन्थसंस्करण में भी यही पाठ स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त पंक्ति का बाद वाला रूप मान लेने पर, इसकी संगति दण्डी के मत से बैठ जाती है, क्योंकि दण्डी के अनुसार 'यथासंख्य अलंकार को ही 'संख्यान' तथा 'क्रम' भी कहते हैं (यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि--काव्यादर्श २।२७३) किन्तु सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पाठभेद स्वीकार करने के पीछे, व्यक्तिगत स्वारस्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आचार्य भामह ने काव्यालंकार २।८८ में कहा है -- 'यथासंख्य और उत्प्रेक्षा ये दो अलंकार और स्वीकार्य हैं (क्योंकि इसके पूर्व वे ११ अलंकारों की

१- द्रष्टव्य--श्री कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी कृत प्रतापरुद्रीय प्रस्तावना, पृष्ठ २५-३८।

बाम्बे १९०६ ई० तथा डा० सुशीलकुमार डे आदि।

व्याख्या कर चुके थे) किन्तु 'संख्यान' को ही मेधावी ने कहीं-कहीं (अपने ग्रन्थ में) उत्प्रेक्षा भी कह दिया है। इस कथन से सिद्ध हो जाता है कि कम से कम आचार्य भामह 'यथासंख्ये' तथा 'संख्यान' को पर्यायरूप समझते थे। और यह निश्चित है कि भामह के परवर्ती दण्डी ने 'यथासंख्ये'निति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि केवल इरीलियर कहा, क्योंकि उन्हें पूर्वाचार्य भामह का प्रमाण प्राप्त था। जहाँ तक मेधावी का प्रश्न है, सम्भव है उन्होंने कहीं 'यथासंख्ये' को उत्प्रेक्षा कह दिया हो, क्योंकि पिछले अध्याय में हम यह प्रमाण पा चुके हैं कि एक ही लक्षण से कई अलंकारों का उद्भव हुआ है, अतः सगोत्रीय दो या तीन अलंकारों को कोई आचार्य कहीं एक ही मान ले तो इन्हें आश्चर्य क्या है? किन्तु आचार्य भामह इस तथ्य को सूचित कर देना आवश्यक समझते थे क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण समस्या थी। परन्तु इसके विपरीत श्री ताताचार्य अथवा डा० काणे की इस उद्भावना का कोई औचित्य नहीं ज्ञात होता कि मेधावी ने उत्प्रेक्षा कहीं नहीं कहा है? क्या प्रमाण की मेधावी ने उत्प्रेक्षा नहीं स्वीकार किया था? यदि हम थोड़ी देर के लिए उन्हें दण्डी का ही परवर्ती मान लें तो पूर्वाचार्य द्वारा प्रोक्त किसी अलंकार को परवर्ती आचार्य द्वारा पूर्णतः उपेक्षित किया जाना कहाँ तक सम्भव है? क्योंकि दण्डी ने स्पष्टतः उत्प्रेक्षा-अलंकार का व्याख्यान 'काव्यादर्श' में (२।२१६-२३२ तक) अत्यन्त विस्तारपूर्वक किया है।

वस्तुतः यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो भरत-मेधाविन्-भामह तथा दण्डी का कालानुक्रम अन्तस्साद्यों के ही आधार पर स्पष्ट हो जाता है। आचार्य भरत ने चार अलंकार, मेधाविन् ने पाँच (अथवा अधिक) भामह ने इन अलंकारों का उल्लेख करते हुए ३८ अलंकार (२+३६) तथा अन्त में दण्डी ने भी इन्हीं अलंकारों को गिना कर (इति वाचामलंकाराः दर्शिताः पूर्वसूरिभिः -- काव्या० २।७) पुनर्व्याख्यान प्रस्तुत किया। इन चारों आलंकारिक आचार्यों के पश्चात् तथा आचार्य मम्मट के पूर्व अथवा उनके युग तक जितने आचार्य हुए हैं, उन सब का जीवनकाल, प्रायः अन्तरंग एवं बहिरंग प्रमाणों से सिद्ध सिद्ध हो चुका है। इन आचार्यों में जिनकी संख्या लगभग बीस है, अनेक तो ऐसे हैं जिनकी रचनायें आज प्राप्त नहीं हैं, उदाहरणार्थ भट्टतौत कृत काव्यकौतुक, भट्टनायककृत हृदयदर्पण तथा आचार्य मंगलकृत ग्रन्थ। अनेक ऐसे हैं जो 'अलंकारव्याख्यान' को अपने ग्रन्थ में स्थान नहीं देते अथवा प्रसंगतः उनकी व्याख्या करते हैं, उदाहरणार्थ आचार्य आनन्दवर्धन, राजशेखर, मुकुलभट्ट, अभिनवगुप्त, घनभञ्जय, महिमभट्ट एवं जैमिन्द्र आदि। अग्निपुराण तथा विष्णु-धर्मोत्तर पुराण सदृश पुराण ग्रन्थ एवं महि सरीसे महाकवि

ने भी प्रसंगतः अलंकारों का व्याख्यान प्रस्तुत किया है ।

ऐसी दशा में यह बता देना आवश्यक है कि अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन प्रत्याचार्य अथवा प्रतिग्रन्थ न होकर एक सीमित क्षेत्र से ही सम्बद्ध है । यहाँ तो शोधकर्ता का केवल लक्ष्य यह है कि उनके प्राचीनतम रूप को मूल मानकर परवर्ती युगों में हुआ, उसका विकासक्रम, उसकी रुढ़ियाँ, उसके मोड़, उनके सैद्धान्तिक परिवर्तन सब स्पष्ट हो जायँ । अतः इसी दृष्टि से प्रस्तुत अध्याय में केवल उन्हीं आचार्यों के उद्धरण प्रस्तुत किये जायेंगे जो वास्तुतः अन्योक्ति सम्बन्धी उपर्युक्त तत्त्वों के व्यवस्थापक अथवा व्याख्याता हैं । ऐसे आचार्यों में -- मामह, दण्डी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन, कुन्तक, मौज एवं अभिनव गुप्त आते हैं ।

प्रस्तुत व्याख्यान में एक दूसरे दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है । इतना तो स्पष्ट ही है कि साहित्यशास्त्र के अधिकांश सम्प्रदाय मम्मटाचार्य के पूर्व ही उद्भूत हो चुके थे । मम्मट के पश्चात् उनका पल्लवन मात्र हुआ, अथवा यही कहा जाय कि केवल ध्वनिसम्प्रदाय ही, अपने पूर्वस्थ स्मस्त सिद्धान्तों पर अधिकृत हो कर बढ़ा । ऐसी स्थिति में यह तथ्य द्रष्टव्य होगा कि विभिन्न काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों को कृत्र-ह्याया में 'अन्योक्ति' का क्या रूप रहा । अस्तु --

मामह के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उनके पूर्व आचार्य मेघाविन् प्रसिद्ध हो चुके थे । उपमा संबंधी उनके उद्धरणों से यह भी निश्चित है कि उनका ग्रन्थ अलंकार शास्त्र पर ही रहा होगा । किन्तु, प्रमाणों के अभाव में हम इस विषय में कोई स्थायी, धारणा नहीं बना सकते कि सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रतिपाद्य क्रम, क्या रहा होगा । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उपमा प्रभृति अलंकारों के व्याख्यान से सम्बद्ध होने के कारण वह ग्रन्थ 'अन्योक्ति' का भी आदि व्याख्याता रहा होगा और सम्भवतः मामह की ही भांति मेघाविन् के ग्रन्थ में भी, उसकी संज्ञा 'अप्रस्तुत प्रशंसा' ही रही होगी । अतः 'अन्योक्ति' को सर्वप्रथम आलंकारिक मान्यता मेघाविन् से ही मिली ऐसी उद्भावना करने में कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

आचार्य मामह इस दृष्टि से भरतमुनि के परवर्ती आचार्यों में प्राचीनतम हैं, जिनका अलंकार ग्रन्थ आज उपलब्ध है । ग्रन्थ का नाम 'काव्यालंकार' है, जिसमें कुल ६: परिच्छेद तथा

१- आचार्य मम्मट से लेकर अथावधि, अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत किया जायगा ।

कारिकाओं (लक्षण एवं उदाहरण) की संख्या ४०० है। ग्रन्थ के तृतीय परिच्छेद (का० २६) में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' के रूप में अन्योक्ति का व्याख्यान उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है गया है। भामह के मन्तव्यानुसार 'अप्रस्तुत प्रशंसा' तात्त्विक रूप से समासोक्ति की ही प्रतियोगिनी है। काव्य में प्रायः किसी न किसी तथ्य अथवा भाव का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। वह वर्णनीय विषय, प्रतिपादन की दृष्टि से दो प्रकार का होगा (अभिधया) वाच्य अथवा (व्यंजनया) गम्य। जो विषय काव्यवर्णन में वाच्य होगा, एक प्रकार से वह उस प्रसंगविशेष का अधिकारी होगा। इसी कारण उसे 'अधिकार प्राप्त' भी कहा गया है। इसके विपरीत जो वर्णनीय विषय का अभिधया प्रतिपादन नहीं होता है उसे 'अधिकारादपेत' कहते हैं। यह शब्द अलुक् समास द्वारा अनुषान्धा तथा परस्मैपद आदि शब्दों की भांति निष्पन्न हुआ है। इसी 'अधिकारादपेत' को 'अप्रस्तुत' भी कहते हैं। परवर्ती युग में, विभिन्न आचार्यों ने 'अधिकारप्राप्त' विषय के लिए, प्रस्तुत, वाच्य, प्रक्रान्त, उपमेय-पदा, प्रकृत, प्रासंगिक अथवा प्राकरणिक आदि संज्ञाये प्रयुक्त की हैं। इसी प्रकार 'अधिकारादपेत' के लिए, अप्रस्तुत, अवाच्य (व्यंग्य) अप्रक्रान्त, उपमेय-पदा, अप्रकृत, अप्रासंगिक, अप्राकरणिक अथवा 'अन्य' आदि शब्दों के प्रयोग किये गए हैं। आगे यथाक्रम यह साध्य प्रस्तुत होगा कि किन-किन आचार्यों ने किन-किन शब्दों का प्रयोग किया है। और उनके अपने अपने पृथक् दृष्टिकोण क्या रहे हैं ?

समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा का शरीर-निर्माण इन्हीं दोनों तत्त्वों से हुआ है। आचार्य भामह के अनुसार ये दोनों अर्थ के ही अलंकार हैं। केवल भोजन ने ही इन्हे उममालंकार की कोटि में रखा है। अन्यथा, अलंकार शास्त्र के अधिकांश आचार्यों ने परवर्ती युग में भामह के ही पदा का अवलम्बन किया है। अर्थालंकार होने के ही कारण समासोक्ति अथवा अप्रस्तुतोंमें 'शब्दपरिवृत्तसहस्रव' का कोई स्थान नहीं है।

काव्य में वर्णनीय विषय का जो उभयथा विभाजन आचार्यों ने किया है, उसकी सार्थकता भी है, क्योंकि अनेक अलंकार ऐसे हैं, जो शुद्ध अभिधा को ही स्थान देते हैं, जैसे यमक, श्लेष, उदात्त आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जो 'अभिधा व्यंजना' दोनों को ही स्थान देते हैं। 'अभिधा' द्वारा उनका वाच्यार्थ प्रकट होता है और व्यंजना शक्ति द्वारा उसके अनेकानेक व्यंग्यार्थ ध्वनित होते हैं। यह पार्थक्य एक स्थूल

दृष्टि से किया जा रहा है, अन्यथा व्यंजना का समस्त व्यापार, अभिधा पर ही आश्रित रहता है और इसी प्रकार 'लक्षणानां' भी अभिधा के ही अंशक हो जाने पर एक सम्बन्ध विशेष में प्रस्फुटित होता है । अभिधा तथा व्यंजना दोनों ही शक्तियों का संवरण करने वाले मुख्य अलंकार, आचार्य जानन्दवर्धन के अनुसार, समासोक्ति, आक्षेप, (अनुक्तनिमित्ता) विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, संकर एवं अप्रस्तुत-प्रशंसा आदि हैं ।

मामह के अनुसार जब काव्य में अधिकारादपेत अर्थात् अन्य वस्तु की प्रशंसा या वर्णना हो तब अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है, उदाहरणार्थ --

'प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिपातं बहु बिना पुरुषकारेण फलं पश्यत शास्त्रिनाम्' ॥ काव्या० ३।३० प्रस्तुत उदाहरण में वृत्तों के उस फल की वर्णना प्रस्तुत की गई है, जिसने अपनी रस्माधुरी से प्रेमी बटोहियों को परितुष्ट किया था और जो यथोचित ऋतु के आते ही, बिना किसी परिश्रम के अत्यन्त परिपक्व हो उठा ।

किन्तु यदि कोई परम सहृदय व्यक्ति, सूक्ष्म दृष्टि से, इस पद्य का भावाकलन करने बैठे तो स्पष्टतः प्रतीत होगा कि इसे प्रशंसा या वर्णना के पीछे कवि का एक संकेत या अभिप्राय भी निगूढ़ रूप में वर्तमान है । वस्तुतः कवि एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का वर्णन पाठकों के समक्ष उपन्यस्त करना चाहता है, जिसने सब दिन, मनसा-वाचा-कर्मणा, निरीह जनों का उपकार किया है और अब, बिना किसी आयास के ही विपुल-वैभव से सम्पृक्त हो उठा है । परोपकारी का यही वृत्त वस्तुतः 'कविसरम्भोचर' है और इसी को उपनिबद्ध करने के लिए उसने इस शैली-विशेष का आश्रय लिया है । यदि वह अभिधया अपना मनोऽभिप्राय व्यक्त करना चाहता तो वृत्त के उपर्युक्त वृत्तान्त को और भी रूप में उपस्थित कर सकता था । किन्तु उसने ऐसा न कहकर, व्यंजना शैली का आश्रय लिया है । व्यंजना शैली का आश्रय लेने से, उसके दो मन्तव्य एक ही साथ सिद्ध हो जाते हैं, एक तो अप्रस्तुत पदार्थ का वर्णन, जो उसका अभीष्ट तो नहीं है किन्तु 'वर्णयत्या' काव्यस्वरूप बन जाता है और दूसरा प्रस्तुत

१- अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः ।

अप्रस्तुतप्रशंसेति सा चैवं कथ्यते यथा

॥ काव्या० ३।२६

की व्यंजना जो यथार्थतः उसका अभीष्ट वर्ण्य विषय है । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि प्रस्तुतार्थनिबन्धन ही कविवि का लक्ष्य है तो वह उसे अभिव्यथा क्यों नहीं व्यक्त करता ताकि सामान्य कोटि के जन भी अर्थ प्रतीति कर सकें ?

इसका उत्तर यह है कि अभीष्ट विषय को व्यंजनया व्यक्त करने में उसकी प्रभावशालिता द्विगुणित हो उठती है, साथ ही साथ वर्णनीयविषय का स्वहृदयसंवादन करने वाले सहृदयों का मनोरंजन भी होता है । प्राचीनकाल से ही भावाभिव्यक्ति को यह परिपाटी रसिकों की कण्ठहार की हुई है । श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत अंश में गोपियों द्वारा उद्धव के प्रति कही गई टेढ़ी मैठी किन्तु गागर में सागर भर देने वाली उक्तियाँ इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । दुर्लभ अथवा अल्पज्ञ व्यक्ति मले ही व्यंजना का प्रेमी न हो (क्योंकि वह उसे समझ ही नहीं सकेगा) मले ही वह प्रत्यक्ष-कथन को महत्त्व दे किन्तु सहृदय-वर्ग तो तब तक नहीं सन्तुष्ट हो सकता , जब तक कि उसे विचित्रे वाग्भंगिमा सुनने को मिले । वस्तुतः ऐसे सहृदय व्यक्ति देवी प्रकृति के होते हैं अतः उनकी व्यवहार भाषा भी उन्हीं के अनुकूल, वक्रोक्तिमयी एवं इन्द्रियाह्लादकारिणी होती है, और यह शक्ति, 'अन्यापदेश' के अतिरिक्त अन्य किसी भी काव्यतत्त्व में स्वभावतः सम्भव नहीं है । 'भंगीभणिति' ही अन्योक्ति का प्राण है, अतः इसका लोकोत्तर महत्त्व भी है , क्योंकि किसी भी वस्तु के प्रकाशन में कवि का प्रमुख यत्न, उस काव्य में विनिष्ट 'भंगीभणिति' से ही होता है । यदि कविता में कोई 'वैचित्र्य' या कोई 'वाग्भंगिमा' न रही तो वह 'शुष्कः वृत्तः तिष्ठत्यग्रं' की भांति एक नीरस वर्णन मात्र होगा । किन्तु साहित्य केवल शब्द एवं अर्थ का 'सहज-साहचर्य' मात्र नहीं है, वरन् 'वैचित्र्य युक्त साहचर्य' है । इस वैचित्र्य का विधायक 'कवि' ही होता है, यह तथ्य भी प्रथम अध्याय में स्पष्ट हो चुका है । वक्रोक्तिजीवितकार, कुन्तक का एक उद्धरण इसी तथ्य का निर्देशन करता है -- 'तदिदमत्र तात्पर्यम् । यन्न वर्ण्यमानस्वरूपाः पदार्थाः कविभिरभूताः सन्तः क्रियन्ते । केवलं सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चैषां तथाविधः कोऽप्यतिशयः पुनराधीयते, येन कामपि सहृदयहृदयहारिणी रमणीयतामधिरोप्यन्ते' -- वक्रोक्ति ०३।२ की वृत्ति ।

१- द्रष्टव्य-- वक्रोक्तिजीवितम् १।७ (वक्रकवि व्यापार शालिनि)

किन्तु, 'अप्रस्तुत प्रशंसा' के परवर्ती रचनाविधान अथवा सिद्धान्त को देखने पर स्पष्टतः प्रतीत होता है कि आचार्य भामह का लक्षण, 'अपूर्ण' ही रहा है। क्योंकि उसमें अप्रस्तुत० के समस्त तत्त्वों का उल्लेख नहीं है। पिछले किन्हीं दोनों अध्यायों में अप्रस्तुत० की 'वैशिष्ट्यत्रयी' का व्याख्यान किया जा चुका है, जिसके अनुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है --

- १- वाच्य अप्रस्तुत द्वारा (अवाच्य) प्रस्तुत का व्यञ्जनावबोध।
- २- अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के इतिवृत्त में पूर्णतः साम्य, किन्तु--
- ३- दोनों के विशेषणों में, साम्याभाव, असंगति।

उपर्युक्त तीनों वैशिष्ट्यों में से अन्तिम दो, अपेक्षाकृत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि, अलंकार रूप में अन्योक्ति का समस्त सिद्धान्त इन्हीं दोनों तथ्यों पर आधारित है। यदि प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के इतिवृत्तों में साम्य तथा विशेषणों में भेद न हो तो अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यञ्जना कभी हो ही नहीं सकती। किन्तु आचार्य रुद्रट के पूर्ववर्ती, किसी भी आचार्य ने इन तथ्यों का निबन्धन, अप्रस्तुतप्रशंसा के लक्षण में नहीं किया है। वामन एवं दण्डी : जो प्रस्तुत अलंकार को सिद्धान्तित करने में, भामह तथा उद्दमट से आंशिक अथवा पूर्ण वैमत्य रखते हैं : को छोड़कर, अन्य दोनों आचार्यों (भामह तथा उद्दमट) में से, भामह ने तो, अप्रस्तुत० के प्रथम वैशिष्ट्य का ही सांगोपांग उपनिबन्धन, लक्षण में नहीं किया है और इसी कारण तत्परोक्त अप्रस्तुत० का लक्षण 'अपूर्ण' है। प्रथम वैशिष्ट्य में, अप्रस्तुतप्रशंसा के दो घटक तथ्यों का निर्देश है -- अप्रस्तुत की प्रशंसा (अर्थात् अभिधया वाच्य होना) तथा प्रस्तुत की व्यञ्जना। किन्तु भामह ने समस्त लक्षण में केवल इसी तथ्य का निर्देश किया है कि 'अधिकारादपेत, अन्य वस्तु की स्तुति ही अप्रस्तुत प्रशंसा' है। इसमें 'अधिकारादपेत' तथा 'अन्य' दोनों स्कार्थक एवं पर्याय रूप हैं। चतुर्थ चरण में व्यक्त की गई शब्दावली 'सा चैवं कथ्यते यथा' लक्षण से सर्वथा व्यतिरिक्त, अतस्व, आने वाले उदाहरण का परामर्श करती है। इस प्रकार, भामह कृत परिभाषा अत्यन्त शिथिल एवं लक्ष्य अलंकार का लक्षण न होकर उसका 'उपलक्षण' मात्र प्रतीत होती है।

भामहानुयायी आचार्य उद्दमट (ई० आठवीं शती) ने भामह की परिभाषा को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सर्वप्रथम इस तथ्य का निर्देश किया कि

(भामहनिर्दिष्ट) अधिकारादपेत अन्य वस्तु की स्तुति अप्रस्तुत प्रशंसा है, जो कि प्रस्तुतार्थ का निबन्धन करने वाली होती है^१। अर्थात् प्रकृतार्थप्रतिपत्तिपरक होती है। वह प्रतिपत्ति व्यंजनया होती है तथा इतिवृत्तसाम्य एवं विशेषण वैभिन्न्य के कारण होती है, ये दोनों ही तथ्य भामह एवं उद्भट दोनों की परिभाषाओं में, शब्दशः नहीं व्यक्त किए गए हैं, किन्तु उन्हें भावनया आहृत किया जा सकता है। उदा उदाहरण उद्भट ने अपने काव्य 'कुमारसम्भव'^२ से दिया है, जिसका भाव इस प्रकार है -- 'दुर्ग-देश और वन की शोभा, फल पुष्प तथा समृद्धि से युक्त होकर भी उपभोक्ता के बिना अपने में ही (देह में ही) बुझती को प्राप्त हो जाती है'^३।

वस्तुतः इस श्लोक में कवि का अभिप्राय 'पार्वती के यौवन से है जो बिना उपभोक्ता (शंकर) के व्यर्थ हो रहा है'। अतएव पार्वतीनरक अर्थ ही इस श्लोक में प्रस्तुत है, वही कवि का लक्ष्यभूत है। किन्तु यह प्रस्तुत अर्थ, श्लोक में वाच्यरूप में न आकर, व्यंजनया भासित हो रहा है। 'दुर्ग-देश तथा वनश्री' आदि समस्त उपादान, अप्रस्तुत या अप्रासंगिक हैं, जिनकी प्रस्तुत श्लोक में अभिधयाभिव्यक्ति की गई है, और वे 'वाच्य' हैं। कवि ने यद्यपि दुर्गदेशादि का वर्णन, काव्य में व्यक्त तो अवश्य किया किन्तु उसका वास्तविक ध्येय कुछ और ही था। वह ध्येय था उपभोक्ता के अभाव में व्यर्थ होते हुए गौरी के यौवन की ओर, पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना। इसी प्रस्तुतार्थ का निबन्धन कवि ने दृष्टान्तरूप में वर्णित दुर्गदेशादि की प्रशंसा या वर्णना द्वारा किया है। पार्वती तथा दुर्गदेशादि के वृत्तान्त में इतिवृत्त तो दोनों में समान हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक उपभोक्ता के अभाव में व्यर्थ हो रहे हैं, किन्तु उनके विशेषणों में स्पष्टतः असमानता है। उदा० दुर्गदेश तथा वनश्री, फल-पुष्पधि युक्त होती हैं, किन्तु पार्वती स्पष्टतः इस प्रकार की नहीं हैं।

इस प्रकार आचार्य उद्भट ने पूर्वव्याख्यात वैशिष्ट्यत्रयी में से प्रथम का

१- अधिकारादपेतस्यवस्तुनोऽन्यस्य या स्तुति? अप्रस्तुतप्रशंसयं प्रस्तुतार्थनिबन्धिनी ॥

काव्यालंकारसारसंग्रह ५।१४ ।

२- कुमार सम्भव की कर्तृता के विषय में प्रतीहारेन्दुरातज तथा राजानक तिलक के प्रमाण द्रष्टव्य । काव्यालंकार सार संग्रह १।३१ की टीका ।

३- यान्ति स्वदेहेषु जरामसम्प्राप्तौपभोक्तृकाः फलपुष्पधिमाजोऽपि दुर्गदेशवनश्रियः ॥

--काव्या० ५।१५ ।

स्थायी एवं सुस्पष्ट निबन्धन, अपने लक्षण में किया। उद्भट प्रदत्त उदाहरण में, ऊपर इसकी चरितार्थता भी प्रस्तुत की गई है। अब इसी सन्दर्भ में कुछ अवान्तर तथ्यों का भी स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है।

प्रथम अध्याय में डा० संसारचन्द्र जी की एक भ्रान्ति का उल्लेख किया गया है। लेखक ने अप्रस्तुत प्रशंसा सम्बन्धी मामहीय कारिका को इस रूप में उद्धृत किया है --

अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः अप्रस्तुतप्रशंसा सा स्यात्
त्रिविधा परिकीर्तिता (शोध ग्रन्थ पृ० २७५) किन्तु जैसा कि उगी प्रसंग में निर्दिष्ट किया जा चुका है कि लेखक की यह धारणा गलत है। क्योंकि अन्योक्ति के त्रिविधत्व का उल्लेख सर्वप्रथम ध्वनिकार ने ही किया है -- 'अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्य-विशेषभावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्वा, अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुते-नाभिसम्बन्धः तदा अभिधीयमानप्रतीयमानयोः मन्मेव प्राधान्यम्' (ध्वन्यालोक, प्रथमोद्घोत)।

उक्त वाक्यांश की व्याख्या में टीकाकार आचार्य अभिनव ने सर्वप्रथम अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण उद्धृत किया है और वाद में उदाहरणों द्वारा उसके समस्त भेदों का स्वरूप स्पष्ट किया है। लक्षण इस प्रकार है -- 'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः अप्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता'। यह कारिका अपने इसी रूप में कहाँ की है, यह तो निश्चित नहीं, किन्तु मामह अथवा उद्भट के लक्षणों से इसका प्रायः ताद्रूप्य सा प्रतीत होता है। केवल चतुर्थ चरण (सा त्रिविधा परिकीर्तिता) मामह (सा चैवं कथ्यते यथा) अथवा उद्भट (प्रस्तुतार्थं निबन्धिनी) से पूर्णतः भिन्न है किन्तु आनन्दवर्धन के अन्योक्ति विभाग विषयक मत के सर्वथा अनुकूल है।

ऐसा प्रतीत होता है कि डा० संसारचन्द्र जी ने काव्यालंकार की मूलप्रति न देखकर ध्वन्यालोक से ही इस लक्षण को उद्धृत किया और चूंकि अभिनव ने अलंकारों के अधिकांश लक्षण मामह अथवा उद्भट से ही किये हैं, इसी प्रमाण के आधार पर उन्होंने इसी भी मामहकृत मान लिया है। किन्तु यह मत तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि आचार्य अभिनव ने इन लक्षणों को मामह एवं उद्भट से ग्रहण करते हुए भी स्रष्टास्थान उनमें संशोधन एवं परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का एकमात्र कारण उनका, ध्वनिकार के मत का प्रतिपदानुवर्तित्व है। चूंकि ध्वनिकार ने अप्रस्तुत० के तीन भेदों का व्याख्यान किया था, अतएव अभिनव ने मामह के ही लक्षण को लेकर, उसमें

‘सा त्रिविधा परिकीर्तिता’ रूप संशोधन कर दिया ।

दूसरी बात यह कि अभिनव कृत ‘लोचन’ पर ‘कौमुदी’ टीका लिखने वाले विज्ञान उचुंगोदय ने भी, यह निर्देश नहीं किया है कि यह परिभाषा भामहीय ग्रन्थ से उद्धृत है, जब कि अन्य अलंकारों के प्रसंग में वे इसका स्पष्ट निर्देश करते हैं^१ । उनके प्रमाण से भी यही सिद्ध है कि अभिनव ने आनन्दवर्धन का ही शब्दशः अनुवर्तन किया है -- ‘अयं च प्रकारत्रयनियमः यदा सामान्यविशेषभावात् इत्यादिवृत्तग्रन्थे क्रमेण तदनुवा (दा) त्त्सिध्यन्निह सुग्रहत्वाय ग्रन्थकृतांपवर्णितः :

(-KSRI edition, p.221, Madras 1944)

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि अप्रस्तुत० के उक्त लक्षण में ‘त्रैविध्य-निर्देश’ आचार्य अभिनव का अपना कार्य है । इस प्रकार विभाजन का सारा श्रेय ध्वनिकार तथा लौचनकार को ही है, भामह अथवा उद्भट को नहीं । ध्वनिकार के पूर्ववर्तियों में दण्डी तथा वामन हैं, किन्तु स्क ने अप्रस्तुत० का स्वरूप ही भिन्न माना है और दूसरे ने सूत्रों में परिभाषा दी है, अतः ‘सात्रिविधा परिकीर्तिता’ का श्रेय, ध्वनिकार तथा अभिनव के अतिरिक्त और किसी को नहीं है । आचार्य रुद्रट भी त्रैविध्य का निर्देशन नहीं करते, साथ ही साथ अप्रस्तुत० की व्याख्या अन्योक्ति रूप में करते हैं ।

ईसा की सातवीं शती में, अन्योक्ति की सैद्धान्तिक परम्परा में एक नवीन मोड़ आया, जब कि आचार्य दण्डी ने भामहादि सम्मत अप्रस्तुतप्रशंसा को ‘समासोक्ति’ का ही एक अंग मान लिया । आचार्य भामह एवं उद्भट के अनुसार जब ‘प्रस्तुत’ की वर्णना से अप्रस्तुत वृत्त का व्यंजना द्वारा बोध हो तो वहाँ समासोक्ति होती है^२ । जैसे अप्रस्तुत० में अप्रस्तुत मात्र के निवन्धन से प्रस्तुत की अवगति होती है, ठीक उसी प्रकार समासोक्ति में प्रस्तुत की वर्णना या प्रशंसा से अप्रस्तुत की । किन्तु दोनों के इस तात्त्विक अन्तर से यह भी स्पष्ट है कि अप्रस्तुत प्रशंसा का ‘प्रस्तुत’ पदा व जहाँ

१- द्रष्टव्य--‘संकरालंकार’ में --‘अत्राप्युद्भटाभिमतत्वं दर्शयितुं तदीयं वचनमाह ।

‘पर्यायोक्त’ में --‘पर्यायोक्तस्योद्भटोद्भावितं लक्षणमाह । समासोक्ति में --

‘यत्रोक्ते’ इत्यादि भामहीयमिदं समासोक्तेर्लक्षणम्’ (कुप्पुस्वामी संस्करण) ।

२- यत्रोक्ते गम्यते ऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणः सा समासोक्तिरुद्दिष्टा सति प्तार्थतया यथा ॥काव्या० २।७६ प्रकृतार्थे वाक्येन तत्समानविशेषणेः अप्रस्तुतार्थं कथं समासोक्तिरुदाहृता ॥का०सा०संग्रह २।२१ ।

‘कविसरन्मगोचर’ होता है, वहाँ समासोक्ति का नहीं। क्योंकि समासोक्ति में तो वह प्रस्तुत का निवन्धन स्वयं जानबूझकर, अभिधा के ही माध्यम से करता है।

भामह के उदाहरण से, समासोक्ति का सिद्धान्त स्पष्ट हो जायेगा।

आचार्य ने—स्कन्धवानृजुरव्यालः स्थिरोऽनेक महाफलः जातस्तूरयं चोच्चैः पातितश्च नमन्वता (काव्या०२।८०)श्लोक को उदाहरण रूप में दिया है, जिसमें एक ऐसे प्रमंजनमंजित वृक्षा का वृक्ष उपस्थित किया गया है जो विशाल तनेवाला, सीधा, नर्पा-विदोषों से मुक्त, स्थिर तथा अनेक फलों से युक्त था। इस उदाहरण में स्पष्टतः विशेषण उभयार्थवाची हैं, ‘स्कन्धे’ का अर्थ—तना एवं शरीर, ‘रुजु’ का अर्थ सिधाई तथा उदारप्रवृत्तित्व, ‘अव्याल’ का अर्थ नर्पादिविहीन एवं दुष्टादिकों से मुक्ति आदि। किन्तु विशेष्य (तूरयम्) में कोई उभयार्थकता नहीं है। केवल विशेषण साम्य के ही कारण, एक ऐसे उदार एवं उन्नतमना व्यक्ति का व्यंजनया आभास हो रहा है जो कि वृक्षा की ही भांति सुन्दर देह वाला, कुव्जन्वहीन, दुष्टों से दूर, वात का पक्का तथा अभ्युदयशील, पैदा हुआ था, किन्तु विपत्तिरूपी वायु ने उसे धराशायी कर दिया।

इस प्रकार, समासोक्ति का अप्रस्तुत प्रशंसा से, अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

यदि हम आचार्य भामह एवं उद्भट की मान्यता स्वीकार करें तो प्रतीत होगा कि १- अप्रस्तुत० में अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य का बोध होता है, किन्तु समासोक्ति में प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत व्यंग्य का। २- अप्रस्तुत० में व्यंजनयाबोध का मुख्य कारण इतिवृत्तसाम्य तथा विशेषण वैभिन्य है, किन्तु समासोक्ति में, उसका मुख्य कारण विशेष्य की समता तथा विशेषणों की श्लिष्टता है। इन दोनों तथ्यों के अनिरीक्त समासोक्ति के अपने कुछ और वैशिष्ट्य हैं-- यदि समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेषणों में साम्य है तो श्लेषालंकार की भी संभावना हो सकती है। किन्तु ऐसा होता नहीं, क्योंकि विशेष्य, समासोक्ति में श्लिष्ट नहीं होता, वह केवल प्रस्तुतार्थ का ही वाचक होता है, इसी कारण समासोक्ति में श्लेषकल्पना का कोई स्थान नहीं। राजानक तिलक के शब्द, प्रमाणार्थ द्रष्टव्य हैं -- नन्वेवं श्लेषता प्राप्तेत्याह-तत्समानविशेषणैः। विशेष्य पदं तु प्रस्तुतार्थाभिधायैव : उद्भटालंकार टीका २।२११ इसी प्रकार समासोक्ति, उपमाध्वनि तथा रूपक से भी पृथग्भूत है। उपमाध्वनि में भी विशेषण उभयार्थवाची होता है किन्तु समासोक्ति में वह एक ही रहता है, केवल

विशेषण द्वयर्थक होते हैं। रूपक में, 'उदाहरणार्थं मुखचन्द्रः' में: अप्रस्तुत अथवा उपमान का प्रस्तुत अथवा उपमेय पर पूर्णतः आरोप होता है किन्तु समासोक्ति में केवल अप्रस्तुत के व्यवहार का ही प्रस्तुत पर आरोप होता है। रूक में आरोप, रूपदृष्ट्या, और दूसरे में व्यवहारदृष्ट्या होता है।

'मुखचन्द्रः' में, 'मुख' में 'चन्द्र' का ही पूर्णतः आरोप है (न कि चन्द्रमा के किसी व्यवहारविशेष का) किन्तु 'रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः' (जो कि समासोक्ति का उदाहरण है) में चन्द्र में 'जारत्वादि व्यवहार' का आरोप है। और जैसा कि कुवलयानन्दकार का मत है, समासोक्ति में यही 'अप्रस्तुत व्यवहारसमारोप' चारुत्व का हेतु भी है। उस प्रकार प्राचीनाचार्यों के अनुसार समासोक्ति का स्वल्प, तथा अप्रस्तुत० श्लेष, उपमाध्वनि तथा रूपक से इसका पार्थक्य भी दुस्पष्ट किया जा चुका। अब आचार्य दण्डी का मत निरूपणीय है।

आचार्य दण्डी संस्कृत काव्यशास्त्रियों में अत्यन्त मौलिक, प्रतिभाशील तथा क्रान्तिकारी हैं। पूर्ववर्ती आचार्य भामह द्वारा स्थापित सन्दिग्ध मान्यताओं, रूढ़ियों तथा कट्टरताओं का सतर्क खण्डन करके दण्डी ने अलंकार शास्त्र का स्थायित्व प्रदान किया। काव्यभेद में सर्वत्र मिश्र साहित्य का सद्भाव तथा कथाव्यायिका का सर्वात्मना ऐक्य, वेदमार्ग की प्रामाणिकमीमांसा तथा गुणों का उभयपक्षीय (गौड़-वेदम) विस्तृत विवेचन अलंकारों में -- हेतु सूक्ष्म एवं लेश की स्थापना उपमारूपक, उपमेयोपमा, ससन्देह, अनन्वय तथा उत्प्रेक्षावयव का अन्यालंकारों में अंतर्भाव, आवृत्ति अलंकार की स्थापना, समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा की नूतन सर्जना, यमकोपमा प्रपंच, तथा चित्र एवं प्रहेलिका काव्य का (भामह के विरुद्ध) समर्थन सविस्तर व्याख्यान, आदि जाने कितनी नवीनताओं को दण्डी ने अपने काव्यादर्श में प्रतिबिम्बित किया। यही उनकी क्रान्तिकारिता है।

इसा प्रतीत होता है कि आचार्य दण्डी का ध्यान, सर्वप्रथम समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा की भ्रामक संज्ञाओं पर ही केन्द्रित हुआ होगा। क्योंकि 'समासोक्ति' का

१- द्रष्टव्य कुवलयानन्द, समासोक्ति, प्रकरण, पृ० १०५ कुम्भकोणम् १८६२ ई० (श्री हालास्य नाथ शास्त्री)।

२- अत्र (समासोक्ति) प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणविशेषणबलात्सारूप्यबलाद्वा अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य भृत्यायं तत्प्रस्तुते विशेष्ये तत्समारोपार्थम्। सर्वथैव प्रस्तुतानन्वयिनः कवि-संभगोचरत्वायोगात्। ततश्च समासोक्ति अप्रस्तुतव्यवहारसमारोपश्चारुताहेतुः न तु रूपक इव प्रस्तुते अप्रस्तुतरूपसमारोपोऽस्ति (विद्याभूषण पण्डित रंगाचार्य कृत काव्यादर्श की प्रभा टीका)।

शाब्दिक अर्थ है -- संक्षिप्त रीति से वस्तु का कथन । पूजन गति से समझने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 'संक्षेपकथनत्व' जैसे 'समासोक्ति' में है ठीक वैसे ही अप्रस्तुत प्रशंसा में भी । एक में, प्रस्तुतवाच्य से, विशेषण साम्य के कारण, अप्रस्तुत की व्यंजना होती है और दूसरे में, अप्रस्तुत वाच्य से, इतिवृत्त साम्य के कारण, प्रस्तुत की व्यंजना । इस प्रकार दोनों में तकनीक एक ही है, तात्त्विक अन्तर भले हो । तब फिर प्रश्न उठता है कि क्यों हम एक को 'समासोक्ति' कहें और दूसरे को न कहें । क्योंकि समासोक्ति दोनों ही अलंकारों में तकनीक (विधान) का ही प्रतीक है ।

'अप्रस्तुत प्रशंसा' शब्द भी कन भ्रामक नहीं है । क्योंकि प्रशंसा पद प्रायः निन्दाविरोधी अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है । किन्तु अलंकार रूप में इसका अर्थ मानहादि ने 'वर्णना' से लिया है, जिसके लिए 'प्रशंसा' शब्द अप्रयुक्तत्व' दोष से दूषित सा प्रतीत होता है । 'अप्रस्तुत की 'प्रशंसा' करने से, प्रस्तुत का निन्दाभाव भी अनायास ही स्फुट हो उठता है । यदि हम इन शंकाओं को, स्मृति पदवी में न भी उतारें तो, एक विकट असंगति रह ही जाती है, जिसका सम्बन्ध समासोक्ति से है । पूर्वानुच्छेद में इन दोनों अलंकारों के तकनीकीसाम्य को स्पष्ट किया जा चुका है । एक में प्रस्तुत वाच्य से अप्रस्तुत व्यंग्य होता है और दूसरे में अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य । ऐसी दशा में जब कि 'प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत' दोनों ही क्रमशः दोनों अलंकारों में वाच्य होते हैं और जब कि 'प्रशंसा' का अर्थ, आचार्यों ने स्पष्टतः 'वर्णना' से ही लिया है तब फिर 'अप्रस्तुत प्रशंसा' की ही भांति, हम समासोक्ति को भी, क्यों नहीं 'प्रस्तुतप्रशंसा' नहीं कहते ?

निष्कर्ष यह है कि, दण्डी के पूर्व युग तक समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा में तीन तन्त्रों की उभयनिष्ठता रही -- १-तकनीक या प्रतिपादनविधा के रूप में समासोक्ति (संक्षेपकथनत्व) का आश्रय दोनों में लिया गया और २- दोनों में प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत के वाच्य होने के कारण, उनकी (प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत) प्रशंसा या वर्णना की गई । ३- समासोक्तित्व' का सम्बन्ध दोनों अलंकारों की तकनीक से तथा 'प्रशंसा' का सम्बन्ध उनके नाम से रहा ।

किन्तु उपर्युक्त समताओं के रहते हुए भी इन दोनों अलंकारों के साथ न्याय नहीं किया गया, क्योंकि १-समासोक्तित्व के उभय-निष्ठ रहने पर भी एक को समासोक्ति कहा गया है और दूसरे को 'समासोक्ति' नहीं कहा गया (अप्रस्तुत प्रशंसा कहा गया) ठीक इसी प्रकार २-'प्रशंसा' के उभयनिष्ठ होते हुए भी, एक को अप्रस्तुत

प्रशंसा कहा गया और दूसरे को उड़ी साम्य पर 'प्रस्तुतप्रशंसा' नहीं कहा गया (समासोक्ति कहा गया) ।

सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर, आचार्य दण्डी ने इन अलंकारों के संविधान में एक मौलिक परिवर्तन उपस्थित किया । उन्होंने इस विषय में दो महत्वपूर्ण कार्य किये -- १- सैद्योप कथनत्व के उभयनिष्ठ होने के कारण दण्डी ने अप्रस्तुतप्रशंसा का समासोक्ति में अन्तर्भूत कर दिया । २- उन्होंने 'प्रशंसा' शब्द की अपेक्षा वश, 'अप्रस्तुत प्रशंसा' की एक नवीन रूपरेखा प्रस्तुत की ।

एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि अप्रस्तुत० के विलयन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है, दण्डी ने अपने ग्रन्थ में उसे सर्वथा लुप्त कर दिया । वस्तु तात्पर्य यह है कि उन्होंने 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' के उस स्वरूप का समासोक्ति में अन्तर्निवेश किया, जो आचार्य मामह को इष्ट था । वैसे उन्होंने अप्रस्तुत प्रशंसा की छस-स्वरूप-कम स्वतन्त्र सत्ता भी स्वीकार की, किन्तु उस रूप में नहीं, जिन रूप में कि आचार्य मामह ने उसे स्वीकार किया था । काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में समासोक्ति का लक्षण आचार्य दण्डी इस प्रकार करते हैं -- वस्तु किञ्चिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः ।

उक्तिः सैद्योपरूपत्वात् सा समासोक्तिरिष्यते ॥ का० २०५

इस परिभाषा द्वारा दण्डी का मन्तव्य सर्वथा स्पष्ट हो जाता है । जहाँ मामह ने समासोक्ति की परिभाषा में 'यत्रोक्ते गम्यते ऽन्योऽर्थः' कहा था और उद्भट ने 'प्रकृतार्थेन वाक्येन तत्समान विशेषणैः अप्रस्तुतार्थकथनम्' द्वारा उसका स्पष्टतर उल्लेख किया था, दण्डी वही वस्तु किञ्चिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः उक्तिः' कह कर स्वमतोपस्थापन करते हैं । मामहीय लक्षण में 'उक्ते' तथा 'अन्यः' का तात्पर्य स्पष्टतः प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत मात्र में है । इसी प्रकार उद्भट्टीय लक्षण में भी 'प्रकृत' तथा अप्रस्तुत का सुस्पष्ट निर्देश हुआ है । किन्तु आचार्य दण्डी ने प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का निर्देश न करके 'किञ्चित्' एवं 'तत्तुल्य' पदों द्वारा अपना अभिप्राय व्यक्त किया । क्योंकि किञ्चिदभिप्रेत्य में दोनों ही विकल्प सम्भव हैं -- प्रस्तुतमभिप्रेत्य तथा अप्रस्तुतमभिप्रेत्य । ठीक इसी प्रकार 'तत्तुल्यस्योक्तिः' में भी दोनों ही विकल्प सम्भव हैं -- प्रस्तुतस्योक्तिः तथा अप्रस्तुतस्योक्तिः ।

परिभाषा में दिया गया 'अन्यवस्तुनः' पद भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पद, इस रहस्य का सूचक है कि दण्डीसम्मत समासोक्ति के दो पदा हैं,

जिन्हें हम प्राचीनाचार्यों की दृष्टि से 'समासोक्ति' तथा अप्रस्तुत प्रशंसा कहेंगे । इन प्रकार 'अन्यवस्तुनः' का ही भेदक तत्त्व (*Fundamentum Divisivis*) मान कर दण्डी द्वारा निर्दिष्ट समासोक्ति के दो पक्ष होंगे-- एक तो 'अप्रस्तुत' (वस्तु) अभिप्रेत्य (मनसिकृत्य) तत्तुल्यस्य (अन्यवस्तुनः) प्रस्तुतस्य (संज्ञापरत्वात्) उक्तिः (समासोक्ति-रिष्यते) और दूसरा-- प्रस्तुत(वस्तु) अभिप्रेत्य(मनसिकृत्य) तत्तुल्यस्य (अन्यवस्तुनः) अप्रस्तुतस्य (संज्ञापरत्वात्) उक्तिः (समासोक्तिरिष्यते) ।

इनमें प्रथम रूप तो आचार्य भामह की 'समासोक्ति' है और दूसरा रूप, (भामह की ही) अप्रस्तुतप्रशंसा है । किन्तु आचार्य दण्डी की दृष्टि से, दोनों ही समासोक्ति हैं । उदाहरण श्लोक द्वारा आचार्य ने अपने मत को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है --

पिबन्मधुयथाकामं भ्रमरः फुल्लपंकजे अप्यन्नद्वसोरम्यं पश्य चुम्बति कुश्मलम् ॥२०६
इति प्रौढांगनाबद्धरतिलीलस्य रागिणः कस्यांचिदपि वालायामिच्छावृत्तिर्विभाव्यते ॥२०७

दण्डी ने समासोक्ति के कुल तीन भेद माने हैं --तुल्याकारणविशेषण, भिन्नाभिन्न विशेषण तथा अपूर्व समासोक्ति । परवर्ती युग में भी विश्वनाथादि आचार्यों ने कार्य-विशेषण तथा लिंग साम्य के आधार पर समासोक्ति की रचना स्वीकार की थी । यद्यपि आचार्य दण्डी इन सैद्धान्तिक रुढ़ियों से बिल्कुल अभिन्न नहीं हैं (क्योंकि उनके पूर्वोक्त आचार्य भी इस विषय में मौन ही रहे) तथापि उनके समस्त उदाहरण इन परिधियों में आ सकते हैं । इस दृष्टि से जो उदाहरण अभी व्याख्यात किया गया है वह कार्यसाम्य की ओर ही संकेत करता है । तुल्याकारणविशेषण तथा भिन्नाभिन्न० -- ये दोनों भेद विशेषण साम्य के अन्तर्गत आस्ये । दण्डी की अपूर्व समासोक्ति उनकी अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा की देन है किन्तु उसका लिंग साम्य से कोई सम्बन्ध नहीं । वस्तुतः आचार्य ने लिंगसाम्य का कोई उदाहरण दिया ही नहीं है ।

तुल्याकारण तथा भिन्नाभिन्न विशेषण वाले भेदों की यह एक शर्त यह है कि दोनों में विशेष्य पद भिन्न होगा । विशेष्य का तात्पर्य आचार्य श्रीज्ञान के अनुसार यहाँ उस वस्तु से है जो 'ईदृशमिदं नान्यथा' के रूप में गुणादिकों द्वारा किसी वाक्य में व्यवस्थापित किया जाता है । अतः विशेष्य के विजातीय होने पर जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत (अथवा अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत) के विशेषण तुल्याकारण हों तो वहाँ प्रथम भेद, घटित होगा । उदाहरणार्थ--

रुद्रमूलः फलमरैः पुष्पान्ननिश्मर्थिनः ।

मान्द्रच्छायो मन्वावृत्तः सोऽयमान्नादितो मया ॥२०६

प्रस्तुत उदाहरण में 'विशेष्ये' रूप वृत्त, विवक्षित पुरुष (अप अन्य विशेष्य) से सर्वथा भिन्न है । किन्तु रुद्रमूलः मान्द्रच्छायः' आदि उदाहरण दोनों ही पदों में तुल्याकार हैं ।

इसी प्रकार, विशेष्य के विजातीय होने पर जब विशेषण दोनों पदों में किंचिदभिन्न तथा किंचिद्भिन्न हों तो वहाँ द्वितीय भेद घटित होगा । इसमें विशेषण तुल्याकार नहीं होते । उदाहरणार्थ--

'अल्पविटपाभोगः फलपुष्पसमृद्धिमान् सच्छायः स्थैर्यवान् देवादेश लब्धो मया द्रुमः

--२१०॥

यहाँ प्रथम भेद की ही भांति विशेष्य भेद है किन्तु विशेषण, कुछ तां परस्पर (दोनों ही पदों में) अभिन्न (तुल्याकार) हैं, जैसे 'सच्छायः' 'स्थैर्यवान्' आदि । और कुछ परस्पर भिन्न हैं -- जैसे - 'अल्पविटपाभोगः' तथा 'फलपुष्पसमृद्धिमान्' । क्योंकि ये दोनों विशेषण, केवल वृत्त के ही पदा में घटित होते हैं । आचार्य दण्डी स्वयं दोनों भेदों के इस अन्तर को स्वीकार करते हैं --

'उभयत्र पुमान्कश्चित् वृत्तत्वेनोपवर्णितः सर्वे साधारणाः धर्मा पूर्वज्ञान्यत्र तु द्वयम् ॥२११

समासोक्ति का तृतीय भेद भी विशेष्यमात्रभिन्न होता है, किन्तु पूर्व भेदों से इसका अन्तर केवल यही है कि इसमें उभयपक्षीय विशेषण न तो तुल्याकार ही होते हैं और न भिन्नाभिन्न । बल्कि वे अपूर्व होते हैं, अपूर्व का अर्थ है पूर्वधर्म का निवर्तन । उदाहरणार्थ --

'निवृत्तव्यालसंसर्गः निसर्गमधुराशयः अयमम्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशुष्यति ॥

२१२ । इस स्थल पर यह अवश्य है, विशेष्य 'अम्भोनिधिः' विवक्षित पुरुष से सर्वथा भिन्न है । विशेषण प्रायः दोनों पदों में, चरितार्थ होते हैं अतः तुल्याकार हैं, किन्तु 'समुद्र' के पदा में वे अपूर्व हैं । 'व्याल संसर्ग' का निवर्तन तथा 'निसर्गमधुराशयत्वे' ये दोनों ही धर्म समुद्र के पदा में 'पूर्वभूत' नहीं हैं, अतः अपूर्व हैं । इसी अपूर्व साम्य के कारण इसे अपूर्व समासोक्ति कहते हैं ।

१- इत्यपूर्वसमासोक्तिः पूर्वधर्मनिवर्तनार्त्तं -- काव्या० २।२१३

समासोक्ति के इन दोनों ही भेदों में 'विशेष्यमात्रमिन्न' का उल्लेख करने में आचार्य दण्डी का कुछ व्यक्तिगत स्वारस्य है रहा है, जिसका स्पष्टीकरण भी समासोक्ति का वैशिष्ट्य प्रस्तुत करते समय किया जा चुका है। राजानकतिलक का मत -- विशेष्यपदं तु प्रस्तुतार्थमिवाय्येव भी उर्पित रहस्य की ओर इंगित करता है किन्तु उद्भट्टीय समासोक्ति के, अपेक्षाकृत संकीर्ण होने के कारण, तिलक का मत भी, उतना ही संकीर्ण एवं सीमित है। अतः दण्डी के मतनिर्माण में उनका अनुवदन तब तक सार्थक नहीं है, जब तक कि हम उनकी व्याप्ति वैकल्पिक रूप से, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों में न समझ लें। उस रूप में यदि विशेष्य भी मिन्न न होकर तुल्याकार हो जाय (और तुल्याकार तभी होगा, जब श्लिष्ट हो) तो फिर यद्यपि दोनों ही अर्थ प्रस्तुत (*Pertinent*) हो जायेंगे और तब 'श्लेषालंकार' होगा। इसी प्रकार यदि श्लिष्टविशेष्य में से एक कम्बु वाच्य हो और दूसरा गम्य, तो सीधे उपमाध्वनि होगी। इन्हीं अतिव्याप्तियों में बचाने के लिए आचार्य दण्डी ने समासोक्ति भेदों में 'विशेष्यमिन्नता' की स्थापना की है।

अप्रस्तुतप्रशंसा के लिए, दण्डी ने अध्यायारम्भ में अलंकारों का उद्देश करते समय अप्रस्तुतस्तोत्र (विरोधाप्रस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिदर्शन २।६ ब) तथा परिभाषा में अप्रक्रान्तस्तुति शब्द का प्रयोग किया है, 'प्रशंसा' शब्द का प्रयोग तो लक्ष्य रूप में हुआ ही है। इस प्रकार 'स्तोत्र -स्तुति तथा प्रशंसा' का सजातीय एवं समानार्थीय प्रयोग, इस तथ्य की सुदृढ़ व्यंजना करता है, आचार्य दण्डी इन शब्दों के प्रयोग में अत्यन्त संकीर्ण थे। उनका यह शब्द प्रयोग साकूत एवं सामिप्राय था। पूर्वानुच्छेद में इस अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रति उनके दृष्टिकोण स्पष्ट हो चुके हैं। अतः निश्चित है कि दण्डी ने 'प्रशंसा-स्तोत्र एवं स्तुति' का अर्थ वर्णना रूप में न होकर लोक-विश्रुत अर्थ में ही लिया। इस भावना के अनुसार जब हम उनकी अप्रस्तुतप्रशंसा की परिभाषा (अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रक्रान्तेषु या स्तुतिः ॥काव्या० २।३४०ब) देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि दण्डी का सारा परिश्रम इस अलंकार की अन्वर्थता व्यक्त करने में ही लगा है।

यद्यपि, लक्षण में, आचार्य ने कहीं भी इस बात का संकेत नहीं किया है कि प्रस्तुत की निन्दा, व्यंग्य होने पर ही अप्रस्तुत प्रशंसा होगी। किन्तु उदाहरण

के बाद दिये गए श्लोक में उनका यह भाव, स्पष्ट हो जाता है --

‘सैयमप्रस्तुतैवात्र मृगवृत्तिः प्रशस्यते ।

राजानुवर्तनक्लेशनिर्विण्णान मनोविन्ता ॥ ३४२

इस श्लोक का निराकरण करने के पूर्व ही हम दण्डी द्वारा उपन्यस्त उदाहरण को ही देख लें --

‘सुखं जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः अन्नेरयत्नसुखैस्तृणवमक्षिरादिभिः । ३४३

इस श्लोक में मृगवृत्ति की प्रशंसा अथवा (श्रीज्ञान के शब्दों में) संराधन किया गया है । किन्तु ‘मृगवृत्ति’ इस पद्य में सर्वथा ‘अप्रकान्त’ या ‘अप्रस्तुत’ है । वस्तुतः प्रस्तुत यहाँ पर वह व्यक्ति विशेष है, जो राजानुवर्तनक्लेश से निर्विण्ण हो चुका है, किन्तु है वह मनोवी । अतएव अपने भावों को वह मृगवृत्ति की प्रशंसा के व्याज से व्यक्त कर रहा है । निरीह मृग जो न किसी की चाकरी में हैं और न भोजन के कष्ट में ! बिना किसी आयास के ही सुख जल-तृण एवं कुशांबुर ही जिनको भक्ष्य हैं, ऐसे वे सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं । किन्तु वक्ता का अभिप्राय ‘मृगवृत्ति की श्लाघा’ में ही नहीं समाप्त होता, वरन् इस प्रशंसा के पीछे उसकी आत्ममर्त्सना, मृगों के प्रति ईर्ष्या अथवा अपनी राजकीय चाकरी के प्रति अमनोष एवं निन्दा का भाव प्रतिध्वनित हो रहा है । वस्तुतः उसकी आम्यन्तर आकांक्षा आचार्य श्रीज्ञान के ही शब्दों में इस प्रकार है --

‘अपि नाम तादृशी वृद्धिरम्भाकमपिन्यात् ? प्रतिपदापातः खलु प्रजायते । तादृशीं कल्याणीं वृद्धिं कल्पयतो हरिणेषु लक्ष्यत इति’ (दरभंगा संस्करण, पृ० १८५) ।

समासोक्ति एवं अप्रस्तुत प्रशंसा के दण्डीसम्मत, इन व्याख्यानों से, उनका स्वरूप निर्विशक एवं स्पष्ट हो जाता है । समासोक्ति की ही भांति अप्रस्तुतप्रशंसा के भी लक्षण में आचार्य ने कोई ‘उभयपदानिष्ठ’ अथवा ‘उभयकोटिक’ सन्दिग्ध पदावली नहीं प्रयुक्त की है; किन्तु समासोक्ति में किंचित् एवं अन्य का प्रयोग उन्होंने इसी दृष्टि से किया है, जो कि प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों पदों में वैकल्पिक रूप से चरितार्थ होता है । : दण्डी स्पष्टतः अप्रस्तुत प्रशंसा के लक्षण में अप्रकान्तैषु या स्तुतिः’ तथा एक अन्य श्लोक में ‘सैयमप्रस्तुतैवात्र’ पदावली का प्रयोग करते हैं, जिनसे यह भाव व्याकीर्ण हो उठता है कि इस अलंकार के सम्बन्ध में उनकी सैद्धान्तिक आस्था एवं धारणा वास्तव में भिन्न तथा पूर्णतः निश्चित थी । दण्डी द्वारा निर्दिष्ट इन अलंकारों का पार्थक्य तर्क की कसौटी पर खरा ही उतरता है, क्योंकि

इस पार्थक्य को न स्वीकार करने पर वही आपत्तियां उठेंगी जिनका स्पष्टीकरण पूर्वानुच्छेद में किया जा चुका है^१ ।

आचार्य दण्डी का दृष्टिकोण समझ लेने के पश्चात् अप्रस्तुत प्रशंसा का समासोक्ति के षष्ठ्य(अथवा समासोक्ति का षष्ठ्य अप्रस्तुत० के षष्ठ्य) कोई मन्वन्व स्थापित ही नहीं किया जा सकता । यदि इन दोनों में कोई तुलनात्मक साम्य सम्भव है तो केवल इतना ही कि -- १- समासोक्ति में प्रस्तुत या अप्रस्तुतवाच्य स्तुत्य, इतर-प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत की वस्तु की व्यंजनया प्रतीति होती है और २- अप्रस्तुत प्रशंसा में(केवल) अप्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा अथवा श्लाघा (न कि वर्णना) से प्रस्तुतार्थ की निन्दा का भाव होता है । 'प्रस्तुतार्थनिन्दा' को दण्डी के समस्त टीकाकारों ने प्रायः स्वीकार किया है जिससे उनकी पृथक् रूपता स्पष्ट हो जाती है^२ ।

उपर्युक्त दो समताओं के अतिरिक्त एक नाम्य और है, जिसका निर्देश टीकाकार श्रीरंगाचार्य जी ने पूर्वपक्ष के रूप में किया है । वह साम्य यह है कि ३- समासोक्ति में वाच्य तथा व्यंग्य के बीच उपमानोपमेय भाव होता है किन्तु अप्रस्तुत० में व्यंग्यार्थ की निन्दा अभिप्रेत होती है । परन्तु दोनों अलंकारों के बीच यह तुलनात्मक साम्य ठीक नहीं बैठता । क्योंकि आचार्य भामह के प्रामाण्य से यह सिद्ध है कि उपमा 'वैधर्म्य' के ही कारण होती है । उन्होंने उपमा दोषों में स्पष्टतः 'विपर्यय' रूप में इस तथ्य को स्वीकार किया । और थोड़ी देर के लिए यदि हम इसे न भी मानें तो कम से कम यह भामह के इस मन्तव्य को तोड़कर ही नहीं सकते कि --

सर्व सर्वेण नारूप्यं नास्ति भावस्य कस्यचित् यथोपपत्ति कृतिभिरुपमासु प्रयुज्यते ॥

-- काव्या० २।४३

उपमाविषयक इस शैथिल्य को दण्डी ने भी स्वीकार किया है --

न लिंगवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा ।

उपमादूषणायालं यत्रोद्भंगो न घीमताम् ॥

१- अर्थात् सङ्गोपकथनत्व तथा 'प्रशंसा' के उभयगत होने पर भी एक को 'समासोक्ति' तथा दूसरी को अप्रस्तुत प्रशंसा कहना ।

२- अयमाचार्यदण्डी तु अप्रस्तुताद्वाच्यात् प्रस्तुतस्य प्रतीतौ समासोक्तिः अप्रस्तुतप्रशंसया प्रस्तुतस्य निन्दा अप्रस्तुत प्रशंसा इति विषयविभागेनालंकारद्वयं स्वीकरोति ।

आचार्यमते अप्रस्तुत प्रशंसति सज्ञाया अन्वर्थता भवति : रंगाचार्यकृता प्रभा टीका ?

+ + + अन्ये त्विह प्रशस्यमेवाभिधीयते । तत्र तु निन्धमपीति विशेषं व्याचक्षाते ।

तथैकान्तिको भेदोऽनयोर्निर्दिशितः स्यादिति : श्रीज्ञान कृत रत्नश्री टीका ?

इस प्रकार निश्चित है कि अप्रस्तुत की प्रशंसा तथा प्रस्तुत की निन्दा के बीच वैधर्म्य रहते हुए भी उपमानोपमेय भाव होगा, अतः ऐसी स्थिति में वह समासोक्ति के ही समान होगा । वस्तुतः जिन तीन तथ्यों का अभी निर्देश किया गया है और जिन्हें 'तुलनात्मक साम्य' की संज्ञा दी गई है, वे साम्य के बजाय, उनके पारस्परिक भेदों का ही उद्घाटन करते हैं ।

यदि हम विवेकबुद्धि से देखें तो 'समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा' दण्डी के मन्तव्यादुगार सर्वथा परस्पर पृथक् दीखेंगी । क्योंकि एक में (समासोक्ति में) अभिप्रेतार्थ के ही समान अर्थान्तर की प्रतीति होती है, किन्तु दूसरे में असङ्गमान अर्थान्तर की । इन दृष्टि से दोनों में महान भेद है । यदि यह त्रुटि उठाया जाय कि 'विसदृश से अर्थान्तर की प्रतीति कैसे सम्भव है ?' तो इसका समाधान यह है कि -- ठीक वैसे ही जैसे कि 'सदृश' से । क्योंकि वाक्यपदीयकार आचार्य भर्तृहरि के अनुसार अर्थप्रकरणादि साधन, व्यंजना के स्रोत हैं । अतः इन तत्त्वों के साहाय्य से जैसे सदृशार्थ में अन्यार्थ की प्रतीति होती है, ठीक यों ही असदृशार्थ से भी अन्यार्थ (निन्दापरक) की प्रतीति सम्भव है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रसंग में विषयोपसंहार करते हुए आचार्य ने एक विशिष्ट तथ्य का निर्देश किया है -- 'सैयमप्रस्तुतैवात्र मृगवृत्तिः प्रशस्यते' । इस कारिकार्थ में दण्डी का स्वारस्य लक्षित होता है । इसी तथ्य की कल्पनावश उपर्युक्त वाक्य की एक नवीन व्याख्या की जा सकती है । वस्तुतः इस वाक्य की व व्यंजना दो प्रकार की है, एक तो वाक्य-व्यंजना, दूसरी शब्दव्यंजना । 'वाक्य व्यंजना' स्पष्ट रूप में पूरे वाक्य से सम्बद्ध है, जिसका भावार्थ यह है कि -- 'सा इयं मृगवृत्तिः प्रशस्यते स्व' । इसी प्रकार शब्दव्यंजना स्पष्ट रूप में एक शब्दविशेष (अप्रस्तुता) से ही सम्बद्ध है, जिसका भावार्थ यह है कि -- 'सा इयं अप्रस्तुतास्व' मृगवृत्तिः प्रशस्यते ।

वस्तुतः इन दोनों व्यंजनाओं का सारा अर्थ 'स्व' को ही है । प्रथम विकल्प का तात्पर्य यह होगा कि अप्रस्तुत की प्रशंसा ही की जाती है न कि निन्दा अथवा (समासोक्तिवत्) वर्णना मात्र । अतस्व आचार्य का एक विशिष्ट मत यहाँ

१- संयोगोविप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंग शब्दस्थान्यस्य सन्निधिः ।

सामर्थ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥

भास्ति होता है, जिसे हम 'अप्रस्तुतप्रशंसा' नाम की अन्वर्थता के अंगीकरणमें उम्का प्यारस्य' कह सकते हैं। दूसरे विकल्प का भाव यह है कि अप्रस्तुत० में केवल अप्रस्तुत वस्तु की ही प्रशंसा होती है, न कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों की। उदाहरणार्थ--

यातेमय्यद्विरान्निदाघमिहिरज्वालाशतैः शुष्कतां
गन्ता कं प्रति पान्थरन्ततिरसां सन्तापमालाकुला ।
इत्थं यस्य निरन्तराधिपटलेर्नित्यं वपुः क्षीयते,
घन्यं जीवनमस्य मार्गसरसो धिग्वारिपीनां जतुः ॥

प्रस्तुत पद्य में, अप्रस्तुत मार्ग सर तथा प्रस्तुत दाता इन दोनों की ही प्रशंसा की गई है, अतः दण्डी के मतानुसार यह प्रतीतिमात्र है। अतः 'समासोक्ति' का ही उदाहरण है। यदि यही 'प्रशंसा' केवल अप्रस्तुत की होती (प्रस्तुतनिन्दा की व्यंजना के साथ) तो अप्रस्तुतप्रशंसा की पूर्ण सम्भावना होती। इष्का तात्पर्य यह हुआ कि भामहादि सम्मत अप्रस्तुत प्रशंसा के समस्त ऐसे उदाहरण जिनमें प्रस्तुत की निन्दा व्यंग्य होती हो, दण्डी सम्मत अप्रस्तुत० के उदाहरण होंगे, अन्यथा विपरीत दशा में वे 'समासोक्ति' के ही उदाहरण होंगे।

ग्यारहवीं शती में राजा भोज ने एक बार पुनः दण्डी के इत्य मत का समर्थन एवं परिवर्धन किया। दण्डी के पश्चात् उत्पन्न आचार्यों में से उद्दमट तथा रुद्रट ने प्रायः भामह का ही अनुकरण किया। बम्म वामन, आनन्दवर्धन तथा कुन्तक ने स्वतन्त्र काव्यमिद्धान्तों का प्रारम्भ किया। प्रतीहारन्दुराज तथा राजानक तिलक ने उद्दमट का तथा अभिनव ने आनन्दवर्धन का ही मत विस्तार किया। राजानक तिलक को मम्मट का ही समसामयिक होने के कारण ही आगामी अध्याय में विवेचित किया जायेगा। इस प्रकार पूर्वमम्मट युग के आचार्यों में चरम ग्यान, भोज का ही है, जिन्होंने सरस्वती कण्ठाभरण तथा शृंगारप्रकाश में अलंकारों का विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया।

भोज की जिस विस्तारप्रियता का सालीचनोल्लेख कुछ पूर्वानुच्छेदों में किया जा चुका है, वही प्रवृत्ति उनके समासोक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा सम्बन्धी व्याख्यानो में भी दीख पड़ती है। इस स्थल पर सर्वप्रथम भोजकृत अप्रस्तुत० व्याख्यान को ही निरूपित करलें। चूंकि भोज, काव्यशास्त्रीयविवेचन में प्रायः दण्डी तथा वामन के ही अनुकर्ता रहे हैं इसी कारण उनके मत, दण्डी तथा वामन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, स्थूल एवं निखार-युक्त हैं। दण्डी ने अप्रस्तुतवस्तु की स्तुति को ही अप्रस्तुत० कहा है। इस तथ्य का भी उल्लेख किया जा चुका है कि केवल लक्षण देखने से यह ज्ञान नहीं होता कि दण्डी

को, अप्रस्तुतप्रशंसा के साथ ही गद्य 'प्रस्तुत की निन्दा' भी अभीष्ट थी। आचार्य भोज ने दण्डी सम्मत लक्षण की इच्छाशक्तता को सुधारा और व्यष्टत-पदावली में 'अस्तोतव्य' की स्तुति को ही अप्रस्तुत प्रशंसा बताया।

'अस्तोतव्य' पद का ग्रहण ही इस व्यंजना के लिए यथेष्ट है कि 'आत्मनिन्दा' अथवा स्तुत्य के प्रति ईर्ष्या का भाव अवश्य उद्भाषित हो उठेगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्तुति करने योग्य है ही नहीं, उनकी स्तुति करने से तो 'आत्मलाघव' का भाव अनायास ही उत्पन्न होगा। भोज ने अन्य अलंकारों की ही भांति, अप्रस्तुत० का भी षोढा विभाजन किया जो कि 'प्रपंचमात्र' कहा जा सकता है। उनके अनुसार अप्रस्तुतप्रशंसा का उदय, धर्म, अर्थ तथा काम में से किसी एक की बाधा से होता है और चूंकि यह बाधभाव वाच्य अथवा प्रतीयमान दो प्रकार का हो सकता है अतः समस्त अलंकार के छः भेद हुए -- १- धर्मबाधा-वाच्य, २- धर्मबाधाप्रत्येतव्य, ३- अर्थबाधावाच्य, ४- अर्थबाधाप्रत्येतव्य, ५- कामबाधावाच्य तथा ६- कामबाधाप्रत्येतव्य। इन भेदों का उदाहरण व्याख्यान आचार्य ने ग्रन्थ में किया है।

भोज ने वक्ता की दृष्टि से भी अप्रस्तुतप्रशंसा के उद्भव में कुछ कारण स्वीकार किया है -- 'स्वामिप्रायप्रसिद्धया वा जायमानेह दृश्यते।' अर्थात् स्वामिप्राय स्वं प्रसिद्धि। किन्तु इतना होने पर भी भोज का मत अत्यन्त शिथिल-सा प्रतीत होता है क्योंकि प्राचीन रूढ़ियों को न अपनाने की उनकी प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती रही है। इस कार्य में उन्होंने कहीं-कहीं अनौचित्य का भी संवरण किया है। उदाहरण के लिए अप्रस्तुतप्रशंसा सम्बन्धी उनका सिद्धान्त ही पारिभाषिक दृष्टिकोण से, दण्डी की अपेक्षा अधिक परिस्फुट होने पर भी, अंगत रहा है, क्योंकि किसी भी प्राचीन अथवा नवीन काव्य-शास्त्री ने धर्मार्थ काम की बाधा का उल्लेख इन प्रसंग में नहीं किया। थोड़ी देर के लिए हम इन तथ्यों को स्वीकार भी कर लें तो 'मोक्षबाधा' का निबन्धन न होना खटकता ही रहेगा। भोज द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय के एक अंगमात्र की उपेक्षा, उनकी संकीर्ण

१-अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः कुतोऽपि हेतोर्वाच्या च प्रत्येतव्या च सोच्यते।

सा च धर्मार्थकामनां प्रायोऽन्यतमबाधया स्वामिप्राय प्रसिद्धया च जायमानेह दृश्यते।।५३

--(सरस्वती० परि० ४, बा० संस्करण)

दृष्टि का प्रतीक है ।

भोज का 'अस्तोतव्य' उदाहरण

का प्रतीक नहीं है , यह उनके मत की सबसे बड़ी कमी है । इस प्रसंग में भोजने जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ तो वास्तव में अप्रस्तुत अथवा दण्डी के शब्दों में अप्रक्रान्त विषयक हैं । किन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जो किसी भी रूप में अप्रस्तुत नहीं हैं । एक उदाहरण लीजिए--

कालाञ्जरदुःशिक्षित बालक रे! ला मम कण्ठे ।

इयोश्च नरकनिवासः सममेव यदि भवति तद्भवतु ॥

प्रस्तुत पद्य में कोई अविनाशिला, पुश्चली, किमी धर्मशास्त्रपारंगत युवक को आलिंगनादि के लिए प्रेरित करती हुई यह इच्छा व्यक्त करती स्वकी है कि इन कुकृत्य के फलस्वरूप यदि, नरकवास भी मिले तो, कोई हानि नहीं । किन्तु एक साथ मिले । एक साथ मिलने की व्यंजना यह है कि 'भौतिक दृष्टि से उन दशा में नरक में भी हम लोगों को स्वर्ग सरीखा आनन्द प्राप्त होगा ।' भोज के अनुसार यह उदाहरण यहाँ प्रत्येतव्य धर्मबाधा का प्रभाव है, क्योंकि उस पद्य में परस्य दारान् मनसापि नेच्छेत् -- इस धर्मशास्त्रीय नियम का उल्लंघन किया गया है । दूसरी बात यह है कि ऐसा कुकृत्य करने वाले अस्तोतव्य युवक की व्यंजनया स्तुति भी की गई है (इस रूप में कि नरक में भी हम स्वर्गानुभूति करेंगे) ।

किन्तु विचार कीजिए कि , क्या पुश्चली द्वारा सम्बुद्ध युवक यहाँ अप्रक्रान्त है ? वस्तुतः यहाँ वक्ता तथा संबाध्य व्यक्ति दोनों ही प्रस्तुत हैं, अतः यहाँ तो दण्डी के अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा हो ही नहीं सकती । ऐसे स्थलों पर (जहाँ दोनों प्रस्तुत हों) तो प्रस्तुताङ्कुर अलंकार होना चाहिए जिसकी सर्जना कुवलयानन्दकार आचार्य अप्पय्य दीक्षित ने परवर्ती युग में की । इस विषय में, अगले अध्याय में व्याख्यान प्रस्तुत किया जायेगा । इसी प्रकार वाच्य अर्थबाधा के उदाहरण में भोजने पंगु,अन्ध,मूक तथा बधिर की जो पारस्परिक वार्ता प्रस्तुत की है, उसमें भी सब प्रस्तुत ही हैं । ऐसी दशा में भोज की 'अस्तोतव्यस्तुति' दण्डी की अप्रस्तुतप्रशंसा से विपरीत प्रतीत होती है । अतः सिद्ध है कि आत्मकौशल तथा विस्तृत व्याख्यान के अभिपानी आचार्य भोज ने अपने इसी प्रयास में आचार्य दण्डी के प्रतिपदानुकरण की मरपूर अवहेलना की है । और निश्चित ही 'अस्तोतव्य' द्वारा निन्दाप्रतीति का निबन्धन करते हुए भी भोज अप्रस्तुत-प्रशंसा के ह सही दृष्टिकोण से बहुत दूर हैं ।

अप्रस्तुतप्रशंसा की ही भांति भोज का 'समासोक्ति' सिद्धान्त भी अत्यन्त भ्रामिक अंगत तथा उनकी स्वतन्त्र सूक्ष्म-बुद्धि का प्रतीक मात्र है। यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसा को 'समासोक्ति' नाम से ही स्वीकार करने के कारण आचार्य भोजस को दण्डी के अनुकर्ता रूप में स्वीकार किया गया है किन्तु उनकी 'समासोक्ति' को समझने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति यही निर्णय दे सकता है कि 'भोज का तद्विषयक मत पूर्ववर्तियों के मत की 'खिचड़ी' मात्र है। 'समासोक्ति' मंज्ञा ग्रहण होने के कारण भले ही भोज का यह अलंकार समासोक्ति कहा जाय किन्तु इसके अन्तर्गत आचार्य ने जो सिद्धान्त व्याख्यात किया है, वह न तो आचार्य भामह की ही सिद्धान्तिक परम्परा के अनुकूल है और न दण्डी की ही परम्परा के अनुकूल। इस प्रकार भोज न तो भामह पदा के ही है और न दण्डी पदा के ही। वस्तुतः जैसे उनका समस्त अलंकार व्याख्यान अभिनव (बनाम अंगत) तथा विचित्र है, ठीक वैसे ही वे भी विचित्र हैं।

ऐसी स्थिति में भोज के अधिकांश व्याख्यान वैनोदिक चर्चा के विषय बन जाते हैं। अप्रस्तुत० के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि अस्तोतव्य को स्तुति से निन्दाभाव व्यंग्य होने के कारण भोज का तद्विषयक मत दण्डी के अनुकूल्य अवश्य प्राप्त करता है किन्तु अस्तोतव्य को अप्रस्तुतमात्र में ही सीमित न करने के कारण भोज दण्डी से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन भामहादि आचार्यों की सरणि से भी दूर हैं, क्योंकि अन्य वैषम्यों के रहते हुए भी, भामह तथा दण्डी का इस विषय में एकमत्य है कि अप्रस्तुत० अलंकार में 'केवल अप्रस्तुत' की ही प्रशंसा होती है। जब कि यह सिद्ध हो चुका है कि भोज का 'अस्तोतव्य' विषय कहीं कहीं केवल प्रस्तुतों की ही वर्णना में पर्यवसित होता है, जो कि पूर्वनिर्दिष्ट पथों का अतिक्रमण मात्र है।

इसी प्रकार यदि कोई तुलनात्मक दृष्टि से भोज की समासोक्ति का व्याख्यान करना चाहे तो उसका रूप इस प्रकार होगा -- १- भोज की समासोक्ति, अन्योक्ति, अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति सहित सिद्धान्त रूप में, भामह एवं उद्भटादि की अप्रस्तुतप्रशंसा के समान हैं, क्योंकि दोनों की परिभाषा एक ही है अर्थात् अप्रस्तुत (उपमान) से प्रस्तुत (उपमेय) की व्यंजना।

१- अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः अप्रस्तुतप्रशंसयं प्रस्तुतार्थनिबन्धिनी १४।१४
--उद्भट

यत्रोपमानादेवैतदुपमेयं प्रतीयते अतिप्रसिद्धेस्तामाहुः समासोक्तिं मनीषिणः १४।१६ (भोज)

२- भोज की समासोक्ति (तत्प्रोक्त) समाधि एवं मीलित, अलंकारों सहित दण्डी की 'समासोक्ति' के समान है। क्योंकि दण्डी की 'समासोक्ति' के दो पदों में से एक ही पद (अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना) भोज की 'समासोक्ति' में प्राप्त होता है। इसका दूसरा पद (प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना) भोज के समाधि एवं मीलित अलंकार में प्राप्त होता है।

उपर्युक्त द्विसूत्री निर्णय से स्पष्ट है कि भोज ने इन अलंकारों के विषय में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों की पूर्णतः उपेक्षा की है, अन्यथा भामह, दण्डी, वामन, आनन्दवर्धन तथा कुन्तक जैसे महामहिम आचार्यों के शिष्यों के रहते हुए भी वे, इस प्रकार का अयोग्य एवं दोषावह व्याख्यान न करते। वास्तुतः पूर्वमम्मट युग के आचार्यों में, समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा सम्बन्धी, जितनी सैद्धान्तिक उद्भावनायें प्रकाश में

समासोक्ति-
 अप्रस्तुतप्रशंसा (भामह) आई हैं, उनके तीन मुख्य स्तर हम निर्धारित कर सकते हैं। उन स्तरों के (दण्डी) व्यवस्थापक आचार्य भामह, दण्डी तथा भोज हैं, जिनमें कि आचार्य दण्डी को हम 'केन्द्रविन्दु' अथवा 'सान्ध्यायतन' मान सकते हैं। आचार्य भामह द्वारा उद्भावित तथा उद्भट द्वारा समर्थित, यह सिद्धान्त दण्डी के व्याख्यान वैभव में पड़कर पिण्डरूप बना, किन्तु भोज की व्याख्या में पुनः उभय रूप हो गया। इस प्रकार भामह की समासोक्ति दण्डी की समासोक्ति तथा भोज की समाध्युक्ति है और भामह की 'अप्रस्तुतप्रशंसा' दण्डी की 'समासोक्ति' तथा भोज की भी 'समासोक्ति' है।

यह विषय तुलनात्मक ढंग से विवेचित करने के लिए इतने विस्तार की अपेक्षा रखता है कि प्रस्तुत स्थल पर उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता। अलंकारों के व्यक्तित्व समय-समय पर इतने कौतुकपूर्ण ढंग से बदलते रहे हैं कि उनमें तिल भर भी साम्य कल्पित नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 'मीलित' अलंकार को ही देखिए। आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम इसका व्याख्यान 'वास्तव' अलंकार के रूप में किया --

१- समाधिमन्यवर्माणामन्यत्रारोपणं विदुः ॥ सर० ४।४४ अ(भोज)

तन्मीलितमिति यस्मिन् स्मानविहनेन हर्षलोपादि ।

अपरेण तिरस्त्रियते नित्यं नानन्दुकेनापि ॥ काव्या० ७।१०६

रुद्रट के मतानुसार यह अलंकार हर्षलोपादि भावों का निगूहन मात्र है, जो कि विशेषतः आंगिक अभिनय से संबद्ध है । किन्तु भोज ने इसी 'मीलित' को स्पष्टतः समासोक्ति से अपृथक् स्वीकार किया है -- (समासोक्ति का तात्पर्य भोज के 'समाधि' अलंकार से है, क्योंकि उनकी समासोक्ति का वास्तविक रूप भामहोय अप्रस्तुत प्रशंसा का है) -- समाधि-मेव मन्यन्ते मीलितं तदपि द्विधा वर्माणामेव चाध्यासे धर्मिणां वान्यवस्तुनि ॥ सरस्वती० ४।४५ । इन पृथक् परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि रुद्रट के 'मीलित' से भोज के 'मीलित' की कोई तुलना भी सम्भव नहीं, साम्य स्थापन तो दूर की बात है । समासोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा की भी ऐसी ही स्थिति संस्कृत काव्य शास्त्र में है । जैसा कि पूर्वानुच्छेद में रेखांकन द्वारा उसका विद्वान्क्रम प्रदर्शित किया है ।

इस प्रकार विषमताओं का स्पष्टीकरण करने के पश्चात् अब भोज को समासोक्ति का व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विषय में एक मूल तत्त्व जान लेना आवश्यक है कि भोज केवल मञ्जिप्त रूप से कहे जाने के कारण ही, इस अलंकार को समासोक्ति कहते हैं और यह भी निश्चित है कि बस इसी साम्य पर उन्होंने अन्योक्ति अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति को भी समासोक्ति ही स्वीकार किया है^१ । किन्तु यदि हम प्रश्न-बुद्धि से यह विचार करें कि 'भोज समाधि तथा मीलित को भी शैली साम्य के कारण 'समासोक्ति' ही क्यों नहीं मानते ?' तो इसका कोई भी सुदृढ़ उत्तर न तो आचार्य के ही पास है और न हम स्वयं उनके ग्रन्थ में कोई आधार पा सकते हैं । निष्कर्ष यह कि भोज के व्याख्यान, मनमाने ढंग के हैं, जिनकी सर्जना उन्होंने सम्भवतः केवल स्वान्तः सुखाय ही की है ।

संज्ञापेणोच्यते यस्मात् समासोक्तिरियं ततः सैवान्योक्तिरुभयोक्तिश्च कथ्यते ॥ सर० ४।४६

भोज की इस मान्यता के आधार पर इस प्रसंग में समासोक्ति, अन्योक्ति तथा उभयोक्ति का विमर्श प्रस्तुत किया जा रहा है । आचार्य के अनुसार जहाँ उपमान से ही उपमेय की प्रतीति है अथवा व्यंजना होती है, उसे समासोक्ति कहते हैं । किन्तु इस व्यंजना का कोई आधार होना आवश्यक है, इसीलिए भोज का मत है कि 'अति प्रसिद्धि'

के कारण वह व्यंजना होता है --

‘घत्रोऽमानादेवैतदुपमेयं प्रतीयते अतिप्रसिद्धे ज्ञानाद्बुद्धः समासोक्तिं मनीषिणः’ ॥सए०४॥४६
 वास्तुतः उपमानोपमेय का प्रत्यान होना आवश्यक भी है, अन्यथा ‘व्यंजना’ दुष्कर होता
 है । अतिप्रसिद्धः’ पद की संगति यद्यपि पृथक् रूप से भी सम्भव है । और उक्त दशा में
 वाक्यार्थ इस प्रकार होगा -- अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण इसे ‘समासोक्ति’ कहते
 हैं । किन्तु ऐसा स्वीकार कर लेने पर एक तो उपमानोपमेय व्यंजना निरावार-नी
 प्रतीत होगी और दूसरे, आगे की कारिका में निकट भावों उक्तोपेणोच्यते प्रस्मात्समासोक्ति-
 रियं ततः’ पुनरुक्तमात्र प्रतीत होगा । अतः प्रथम विकल्प ही ग्राह्य है ?

उपमान तथा उपमेय अलंकार शास्त्र में अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के रूप में भी
 प्रसिद्ध हैं । और सब बात तो यह है कि इस शब्दावली का उदय, भोज से बहुत पूर्व
 आठवीं शती में ही आचार्य वामन के ही ग्रन्थ में हो गया था, क्योंकि वही प्रथम
 एवं प्राचीनतम व्यक्ति हैं जो कि समस्त अलंकारों का मूल, उपमा को ही मानते हैं ।
 उपमान तथा उपमेय, प्रत्येक दशा में उपमा ही के अंग हैं । अतः ऐसी स्थिति में जब कि
 समस्त अलंकारों का मूल केवल उपमा ही हो और उपमान तथा उपमेय ही उपमा के प्रमुख
 अंग हों, यह निश्चित है कि समस्त अलंकारों के पारस्परिक भेद, उपमान तथा उपमेय
 के ही कारण होंगे । और इसी आधार पर उन परिवर्तनों की अभिव्यक्ति भी
 उपमानोपमेयमुखेन ही होगी । प्रमाण के लिए यदि हम वामनकृत काव्यालंकार सूत्रवृत्ति
 का अलंकाराधिकरण देखें तो स्पष्टतः ज्ञात होगा कि उसमें प्रत्येक अलंकार की परिभाषा
 आचार्य ने ही उपमान तथा उपमेय के ही माध्यम से व्यक्त किया है । अग्ने-अग्ने-इस-विषय
 अतः निश्चित है कि भोज ने उपमानोपमेय शब्दावली को वामन से ही ग्रहण किया ।
 यदि हम आचार्य वामन का अलंकाराधिकरण देखें तो यह भी प्रतीति होगी कि भोज का
 समासोक्ति लक्षण भी, उन्हीं के लक्षण पर आधारित है । किन्तु अप्रस्तुत० के विषय

१- समासोक्ति के ही पांचवे उदाहरण में भोजने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है--
 अत्राम्बुरुह सत्पुरुषयोः परस्परमुपमानोपमेयभावस्य अतिशयप्रसिद्धेः उपमानेनैव श्लेषवस्तु-
 ल्यविशेषणपदाभिधीयमानसादृश्यमुपमानमेव(?) अवगम्यते ।

में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वानर की समासोक्ति एवं अप्रस्तुत० प्रायः एक रूप हैं । केवल अन्तर यह है कि एक में उपमेय वर्णना अनुक्त होता है (समा०) जब कि दूसरी में किञ्चिदुक्त (अप्र०) इसके विपरीत भोज की अप्रस्तुतप्रशंसा, अस्तित्व स्तुति रूप है । आगे अभी इस विषय पर अपेक्षित प्रकाश डाला जायगा ।

'मुख चन्द्रोद्भयम्' में 'मुख' शब्द उपमेय तथा 'चन्द्र' उपमान है । उपमेय का तात्पर्य उस वस्तु विशेष में है, जिसकी या जिसके निमित्त कोई उपमा प्रस्तुत की जाय और 'उपमान' वह वस्तु विशेष है, जिसके द्वारा 'उपमा' प्रस्तुत की जाय । 'मुखचन्द्र' में मुख के निमित्त उपमा प्रस्तुत की गयी है, चन्द्र से । अतः दोनों में उपमानोपमेय भाव है । उपमेय सदैव प्रस्तुत या प्रासंगिक होना है, जब कि उपमान सदैव अप्रस्तुत अथवा अप्रासंगिक । प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का भेद, वक्ता की दृष्टि से ही प्रायः किया जाता है । चूंकि लक्ष्य व्यक्ति-विशेष का मुख, वक्ता के समान अथवा समीप है, अतः वह प्रस्तुत है । इसी प्रकार चन्द्रमा, वक्ता से दूरवर्ती होने के कारण अप्रस्तुत है । अब भोज द्वारा निबद्ध 'उपमान तथा उपमेय' पद का आशय स्पष्ट हो गया । इसी उपमान पद (अर्थात् अप्रस्तुत) पद) की वर्णना द्वारा जब उपमेय पद (अर्थात् प्रस्तुत पद) की प्रतीति हो तब समासोक्ति होती है । 'प्रतीति' ह्रस्व पद का स्पष्ट अर्थ व्यंजनया बोध होने से है । भोज के इन शब्दों से स्पष्ट है कि उनकी समासोक्ति का प्रथम एवं चरम रूप यही है कि -- उपमान (अप्रस्तुत) द्वारा उपमेय (प्रस्तुत) की प्रतीति (व्यंजना) और ठीक यही रूप आचार्य भामह एवं उद्भट की अप्रस्तुतप्रशंसा का भी है, जो राजानक तिलक के शब्दों में इस प्रकार का है --

'अप्राकरणिकस्य प्राकरणिकार्थपरस्य यदर्थस्य कथमनावप्रस्तुतप्रशंसा' (उद्भट व्याख्या ५।१४)

यदि भोज को हम आचार्य दण्डी का अनुकर्ता स्वीकार ही करते हैं और जैसा कि पहले स्वीकार भी किया है तो दण्डी की समासोक्ति का रूप देखते हुए अब यह कहना पड़गा कि भोज ने दण्डी का 'खण्डानुकरण' ही किया है, क्योंकि दण्डी की समासोक्ति भामह प्रोक्त समासोक्ति तथा अप्रस्तुत० का योग होने के कारण उभयपक्षवती है, जिसमें से कि भोज ने केवल एक पद (अप्रस्तुत० पद) का ही निबन्धन अपनी समासोक्ति में किया है । अस्तु--

समासोक्ति के व्याख्यान में भोज ने जिन तथ्यों का समावेश किया है, उनके अनुसार, उसके अनेक भेद हो सकते हैं, किन्तु यहाँ प्रयोजन केवल सैद्धान्तिक रूढ़ियों के निदर्शन

मात्र, से है न कि भेद-प्रमेद वर्णन ! इस दृष्टि से भोज द्वारा निर्दिष्ट समासोक्ति विषयक तथ्य इस प्रकार हैं --

(१) अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण, जहां उपमान से ही उपमेय की प्रतीति हो मनीषियों ने उसे 'समासोक्ति' कहा है ।

(२) समासोक्ति प्रतीयमान (व्यंग्य) अथवा वाच्य सादृश्य में उत्पन्न होता है (सादृश्य उपमानोपमेय के ही बीच होगा । क्योंकि 'समासोक्ति' के उत्पादक तत्त्व भी वही दोनों हैं ।)

(३) श्लाघा (प्रशंसा) गर्हा (निन्दा) उभयभाव तथा उभयाभाव ये चार समासोक्ति की उपाधियां हैं ।

(४) तुल्याकारण- विशेषण तथा तुल्यातुल्यविशेषण ये दो उसके भेद(?) हैं किन्तु इन दोनों में ही विशेष्य भिन्न होंगे ।

(५) चूंकि इसमें कथन संक्षिप्त रूप में होता है अतः इसे समासोक्ति कहते हैं (समानेन उक्तिः समासोक्तिः 'समाने' का शाब्दिक अर्थ भी 'संज्ञापे' से ही होता है।)

(६) समासोक्ति ही, अन्योक्ति^{अनयोक्ति} तथा उभयोक्ति कही जाती है ।

उपर्युक्त तथ्यों में से चौथे और पांचवें का आदान भोज ने सम्भवतः आचार्य दण्डी से ही किया है, क्योंकि दण्डी ने अपने समासोक्ति-व्याख्यान में इन भेदों की चर्चा की है । भोज ने दण्डीकृत तृतीय भेद 'अपूर्वसमासोक्ति' को अपने व्याख्यान में स्थान नहीं दिया है, सम्भवतः इसीलिए कि अन्य दो भेदों की भांति वह प्रामाणिक एवं मौलिक नहीं है । दूसरी बात यह कि तृतीय भेद में प्रथम एवं द्वितीय के ही तत्त्व प्रकारान्तरेण सम्मिलित हैं । पांचवां तथ्य अर्थात् 'संज्ञापेणोच्यते यस्मात्समासोक्ति-रियं ततः' दण्डी तथा उनसे भी पूर्व मामह द्वारा स्थापित एवं व्याख्यात किया जा चुका है । किन्तु इन दोनों तथ्यों के अतिरिक्त समासोक्ति सम्बन्धी अन्य सभी तत्त्व भोज के अपने हैं ।

प्रथम तथ्य के विषय में वक्तव्य प्रस्तुत किया जा चुका है, और द्वितीय तथ्य भी जिसके अनुसार समासोक्ति 'वाच्य अथवा प्रतीयमान' सादृश्य में होती है, प्रायः वही है जिसे भोज ने अपने 'अप्रस्तुत प्रशंसा' व्याख्यान में स्पष्ट किया है । वस्तुतः यह प्रश्न विचारणीय है कि यह सादृश्य वाच्य अथवा प्रतीयमान क्यों कब और कैसे होता है? प्रथमाध्याय में रुद्रट के प्रामाण्य पर सामान्यतः अन्योक्ति का

जो रूप , अर्थात् स्वीकार किया गया है और जिसके तीन वैशिष्ट्यों का व्याख्यान भी ध्यान-ध्यान पर किया गया है, उसके अनुसार अन्योक्ति में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत (उपमेयोपमान) के विशेषण सर्वथा परस्पर भिन्न होते हैं । जब कि समासोक्ति में ठीक इसका प्रतीप होता है । अन्योक्ति में उपमान में उपमेय की प्रतीति केवल 'इतिवृत्त साम्यवश' होती है । इसी प्रकार समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति केवल विशेषण साम्यवश होती है । यही दोनों का आम्यन्तर भेद है ।

दण्डी के समासोक्ति व्याख्यान में, 'इतिवृत्त साम्य तथा विशेषण साम्य' दोनों एक साथ वर्णित किए गए हैं, क्योंकि दण्डी की समासोक्ति , भामहसम्मत अप्रस्तुत० तथा समासोक्ति, दोनों का स्वीकृत रूप है । दण्डी द्वारा निर्दिष्ट समासोक्ति के तीन भेदों में से प्रथम दो (तुल्याकार तथा भिन्नाभिन्नविशेषण) निश्चित ही 'विशेषणसाम्य' के प्रमाण हैं जिन्हें कि प्रदत्त उदाहरणों में स्पष्टतः देखा सकते हैं । अतः इन भेदों में समासोक्ति तत्त्व की ही प्रबलता है । किन्तु तृतीय भेद (अपूर्व समासोक्ति) पूर्णरूप से इतिवृत्त साम्य पर ही आधारित है, जिसका अंकित स्वयं दण्डी ने इस श्लोक द्वारा किया है -- 'इत्यपूर्व समासोक्तिः पूर्वधर्मनिवर्तनात् समुद्रेण समानस्य पुंसो व्यावृत्तिसूचने ॥' समुद्र के समान ही पुरुष की विपत्ति सूचना का आशय उन दोनों के 'इतिवृत्तसाम्य' से ही है , क्योंकि उदाहरणश्लोक में उसी का निबन्धन किया गया है --

निवृत्तव्यालसंसर्गो निमग्निधुराशयः ।

अयमम्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशोष्यते ॥

इस पद्य में वस्तुतः वक्ता का अभिप्राय एक औदार्यशील व्यक्ति की दशा का वर्णन करना है जो कि काल गति के कुचक्रवश, दारिद्र्य युक्त होता जा रहा है । यही वृत्त 'प्रस्तुत' है जो कि अप्रस्तुत समुद्र वर्णन के माध्यम से व्यक्त किया गया है । समुद्र एवं व्यक्ति के विशेषणों में कोई साम्य नहीं किन्तु दोनों का वृत्त पूर्णतः समानरूप है । और यही 'अन्योक्ति' का प्रधान लक्षण भी है । अतः निश्चित रूप से दण्डी की अपूर्व समासोक्ति में अन्योक्तिपदा का प्राबल्य है । टीकाकार श्रीज्ञान ने इस वृत्तसाम्य को स्वयं स्वीकार किया है -- 'तेन समुद्रेण समानस्य पुंसः सम्योरपि शेषणलक्षणस्य विनाशस्य वृत्तरूपात्तापेक्षया स्तदुक्तम्' (काव्या० २।२११ की व्याख्या, दरभंगा संस्करण।)

उपर्युक्त तथ्यों के संकलन एवं आकलन का मुख्य ध्येय केवल यह बताना है कि साम्य अथवा सादृश्य 'वाच्य' तभी होगा या हो सकता है, जब 'विशेषण' साम्य ही

अर्थात् जब उपमान एवं उपमेय के बीच तुल्यविशेषणों का निबन्धन हो । क्योंकि जब तक ऐसा न होगा, तब तक श्लेष के बल से, उपमानोपमेय--दोनों ही कक्षों में घटित होने वाले अर्थ परिस्फुट न होंगे । और जब तक ऐसे अर्थ न घटित होंगे, तब तक उपमानोपमेय के बीच का सादृश्य वाच्य न होगा । अतः स्व 'सादृश्य' वाच्य होने के लिए 'अभिधा' का होना अनिवार्य है जो श्लेष के ही सहारे आसक्तो है । इसके विपरीत सादृश्य प्रतीयमान' तर्मा होगा जब उपर्युक्त तद्व न हों । क्योंकि 'छिन्ने मूले नैव पत्रं न शाखा' । तुल्यविशेषण न होंगे तो 'श्लेष' न होगा और श्लेष न होता ~~तब~~ तो 'अभिधा' न होगी । और जब अभिधा न रहेगी तो उपमानोपमेय सादृश्य वाच्य भी न होगा । अन्योक्ति में ऐसा ही होता है ।

किन्तु इतने स्पष्टीकरण के बाद भी यह समस्या हल नहीं होती कि भोज के 'समासोक्ति' व्याख्यान की संगति हम किस प्रकार लगाएं । यदि भोज ने निरपेक्ष रूप से 'उपमानादेवैतदुपमेयं प्रतीयते' न कह कर, दण्डी की भांति 'वस्तुकिंचिदभिप्रेत्ये' आदि कहा होता तो कोई बाधा ही नहीं थी, ^{क्यों कि किञ्चित् पद से अन्योक्ति एवं समासोक्ति, दोनों पक्षों} और का आहरण हो जाता, जैसा कि दण्डी के व्याख्यान में हुआ है । किन्तु भोज ने स्वयं 'उपमानादेव' में 'स्वकार' के प्रयोग से विकल्पों की सम्भावना को निरुद्ध कर दिया । इतना ही नहीं, वरन् समासोक्ति व्याख्यान के अन्त में वह स्वयं कहते हैं -- 'कः पुनः समासोक्तेः समाध्युक्तेर्वा विशेषः उच्यते ? यत्र प्रकरणि केऽप्राकरणि को धर्मोऽध्यासे सा समाध्युक्तिर्यथा असहन्ति च्व..... इति । यत्र पुनरप्राकरणि के प्राकरणि को धर्मः सा समासोक्तिर्यथा बिबन्ध मधु यथाकामं प्रमरः फुल्लपंक्जे इति । (सरस्वती० वारोह संस्क० पृ० २२५) ।

इसका निर्गलितार्थ यही है, भोज अपनी समासोक्ति को समाधि एवं अप्रस्तुत० से पूर्णतः पृथक् मानते थे । इतना जान बूझ कर भी जो आचार्य लक्षण उपस्थित करें, अस्तुतप्रशंसा का (भामह की दृष्टि से) और नाम एवं भेद प्रस्तुत कर समासोक्ति का (दण्डी की दृष्टि से) उसे हम 'परानपेक्षी' छोड़कर और कह ही क्या सकते हैं । रोचक बात तो यह है कि सादृश्य के वाच्य तथा प्रतीयमान होने का जो सम्बन्ध अभी पिछले अनुच्छेद में समासोक्ति तथा अन्योक्ति से क्रमशः जोड़ा गया है, आचार्य भोज को भी वह पूर्णतः ज्ञात था, किन्तु प्रकारान्तर से । समासोक्ति तथा समाधि का भेद बताते हुए आचार्य ने कहा है -- 'ननु धर्मिणोऽध्यासे समान-मिति चेन्न । 'सत्त्वं तत्त्वं कथय भवता को हतस्तत्र पूर्वामित्यादिषु, अनाकाशे कोऽयं

गलितहरिणः शीतकिरणः । इत्यादिषु च प्रव्यक्तं स्वाध्यासविशेषो दृश्यते ।
 स्कत्र मनसान्यत्र तु वक्षति सौम्यं ज्माद्युक्तः समागतेश्च भेदो भवति (सर० बाराह
 संस्करण , पृ० २२५) ।

इस उद्धरण में 'वक्त्रा स्व मनसा' शब्द , सम्भवतः वाच्यता स्वं प्रतीयमानता के ही उपलक्षण हैं, अतः स्पष्ट है कि 'स्माधि तथा समासौक्ति' (जो भामह की समासौक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा हैं । अथवा दण्डो की समासौक्ति) से उनका सम्बन्ध जोड़कर आचार्य भोज कुछ ठोक ही करते, ^{किन्तु} व्यवहार रूप में वे उंग ठीक नहीं उतार सके । भामह स्वं दण्डो की मान्यताओं में नैदान्तिक भेद नहीं के समान है, केवल उनके दृष्टिकोण में अन्तर है । शायद, भामह भी दण्डो की भांति इस तथ्य का से अवगत रहे होंगे कि समासौक्ति तथा अप्रस्तुत० में 'संज्ञापक्यत्व' समानरूप में स्थित है । किन्तु इतना होने पर भी उन्होंने या तो पूर्वाचार्यों की परम्परा वश अथवा औचित्यनिर्वाह वश , दोनों का पृथक् व्याख्यान किया । किन्तु दण्डो की दृष्टि सुधारवादी आचार्य होने के कारण, थोड़ी भिन्न थी । इसलिए उन्होंने दोनों में एक तन्त्र का ही प्राधान्य देकर (जरासन्ध की भांति) स्वरूप कर दिया । परन्तु दण्डो द्वारा की गई दोनों अलंकारों की यह संधि नीरङ्गीरवत् न होकर 'तिल तण्डुलवत्' ही रही, क्योंकि दण्डो की समासौक्ति में जा कर भी भामह की समासौक्ति तथा अप्रस्तुत० अपना व्यक्तित्व नहीं खोया , वरन् दोनों दो स्वतन्त्र विकल्पों के रूप में पड़ी रही । दण्डो के बाद ही उद्भट तथा वामनादि आचार्यों ने पुनः दोनों को उस पिघड़ से व्यक्तिरिक्त करके दो छोरों पर स्थापित कर दिया ।

किन्तु भोज दण्डो की कौटि के नहीं हैं । वे उस मोले भाले बटोही की भांति हैं जो यह अच्छी तरह जानता है कि उसे 'अमुक स्थान पर जाना है, सम्भवतः घर वालों ने उसे लक्ष्य स्थान का विस्तृत स्वरूप भी बता दिया है । किन्तु उसे मार्ग का ज्ञान ही नहीं, जिसके फलस्वरूप वह गहन गिरि-कान्तार में मटकने के साथ ही साथ कई बार पहाड़ी नदी में डूब भी जाता है किन्तु मरता नहीं । सत्य बात यह है कि रूढियों को तोड़ना आसान कार्य नहीं है, इसमें बड़ा साहस चाहिए । दूसरी बात यह कि

१- क्योंकि उपर्युक्त दोनों उदाहरण अभिधीयमानतुल्यविशेषणा' हैं अतः 'मनसा' की संगति बैठती नहीं ।

पलायनवादी व्यक्ति 'बुद्धिमंजक' नहीं बन सकता, जब कि आचार्य भोज में ये लक्षण अंशतः हैं ।

इस प्रकार भोज ने समासोक्ति (अप्रस्तुत०) के जितने उदाहरण प्रस्तुत किये वे सब प्रायः प्रतीयमान सादृश्य वाले हैं । हः उदाहरणों में से केवल पांचवाँ 'अभिधीयमानतुल्यविशेषण' ने युक्त है, क्योंकि इसमें कमल तथा पुरुष का वृत्तान्त श्लेषयुक्त, समान विशेषणों से व्यक्त किया गया है । किन्तु ऐसा लगता है कि यह उदाहरण गलत है, क्योंकि इसमें उपमान से उपमेय का प्रतिनिधि नहीं हो रहा है, प्रत्युत उपमेय से उपमान को । और जैसा कि यह अर्थात् स्पष्ट का चुके हैं कि अभिधीयमानसादृश्य, मामहीय समासोक्ति का विषय है न कि अप्रस्तुत प्रशंसा का । अतस्व भोज को यह उदाहरण, अपनी 'समाधि' (= समासोक्ति) में ही रक्षना चाहिए था । वस्तुतः भोज द्वारा अपनी तथाकथित समासोक्ति में 'वाच्यसादृश्य का निबन्धन' ही उनको अविवेक बुद्धि का सूचक है । पांचवें उदाहरण के अतिरिक्त, श्लाघा-गर्हा उभयवर्ती-अनुभववर्ती तथा अन्तिम पद्य, सब के सब अन्योक्तियों के ही शुद्ध उदाहरण हैं जो कि भोज के पश्चात् संग्रहग्रन्थों में बहुशः संकलित किये गये हैं ।

अब, इसी प्रसंग में भोज सम्मत 'अन्योक्ति' पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । यद्यपि सरस्वती० २।३६ में भी ह्यायालंकार के प्रसंग में आचार्य ने इस शब्द का उल्लेख किया है -- 'अन्योक्तीनामनुकृतिश्छाया सात्रीह षड्विधा' । किन्तु अन्योक्ति का तात्पर्य यहाँ केवल 'परोक्ति' मात्र (दूसरे की अभिव्यक्ति) से है । समासोक्ति के प्रसंग में वर्णित अन्योक्ति इसके विपरीत, परोक्ति मात्र न होकर, रुद्रटीय अन्योक्ति के समकक्ष है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो भोज, उसे समासोक्ति से अपृथक् स्वीकार ही न करते । किन्तु सूक्ष्म गति से परिशीलन करने पर भी यह स्थिर नहीं हो पाता कि वस्तुतः भोज की अन्योक्ति का क्या रूप है? आचार्य ने केवल उदाहरणों द्वारा अन्योक्ति का भेद-प्रदर्शन मले ही कर दिया है किन्तु सिद्धान्त के नाम पर भोज ने कोई विशेष बात नहीं कही है । हाँ, उनके वक्तव्यों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि अन्योक्ति में भी सदैपकथनत्व रूप तत्त्व होता है, और बस इसी साम्य पर भोज दोनों को अभिन्न भी स्वीकार करते हैं ।

१- द्रष्टव्य-- सैयं स्वजातिविषयान्योक्तिः सैयं परोक्तिरूपत्वात् समासोक्तिरेव

भोज के अनुसार 'अन्योक्ति' शब्द का तात्पर्य अध्यासविषयक तद्भावापत्ति में है^१। 'अध्यास' का अर्थ अलंकार शास्त्र में प्रायः 'विलयन' से लिया गया है। समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा में क्रमशः प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के वाच्य होने पर अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत पदों अध्यवसित ही होते हैं। जैसे 'एष ब्रह्मदत्तः' कहते ही ब्रह्मदत्त का स्वरूप (तद्भाव) आंखों के समक्ष आ जाता है भले ही दूर अथवा आड़ में रहने पर, उसको देह सामने न हो (अध्यवसित हो) ठीक उसी प्रकार 'अन्योक्ति' का आशय उस अन्य प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदों से है जो अध्यवसित होकर भी स्मृता जा जाय। यद्यपि भोजकृत 'समासोक्ति' लक्षण के अनुसार हमें केवल उपमेय अर्थात् प्रस्तुत मात्र की 'तद्भावापत्ति' जाननी चाहिए क्योंकि यदि अन्योक्ति तथा समासोक्ति, भोज के अनुसार एक हैं तो अन्योक्ति में भा 'उपमानादेवोपमेयप्रतीति' का निबन्धन होना चाहिए। किन्तु जैसा कि पूर्व व्याख्यान में यह देख चुके हैं कि भोज का 'समासोक्ति' लक्षण स्कान्तिक नहीं है। क्योंकि लक्षण में तो भोज उसे 'अप्रस्तुतप्रशंसापदा' में ही सीमित करते हैं, किन्तु उदाहरण दोनों ही पदों का देते हैं, अतः उनकी समस्त धारणाएं मदोष हो गई हैं। अन्योक्ति व्याख्यान में भी आचार्य की यही कमी परिलक्षित होती है।

भोज के अनुसार, अध्यासविषयक तद्भावापत्ति दो प्रकार की होती है -- शुद्ध एवं चित्र। किन्तु इन दोनों में जो अन्तर आचार्य ने बताया है वह भी किसी तर्कनिष्ठ एवं सुदृढ़ आधार पर नहीं स्थित है। भोज के ही शब्दों में -- 'एकस्यैव चाध्यासात् इयं शुद्धा इत्युच्यते' 'अनेकाध्यासवैचित्र्याच्चित्रेत्युच्यते' (पृ०२२३) एक ही वस्तु के अध्यास का तात्पर्य यह है कि जब किसी वर्णन में केवल एक ही वस्तु के विषय में उपमानोपमेय भाव हो। ऐसा प्रायः मामहीय समासोक्ति में होता है, क्योंकि उसमें विशेष्य केवल एक ही रहेगा, शेष भाग तुल्यविशेषणों से युक्त होगा। यही शैली अप्रस्तुत प्रशंसा में भी अपनाई जाती है। भोज का उदाहरण 'अभिधीयमानतुल्यविशेषणा' का होने के कारण समासोक्ति से ही सम्बद्ध है --

सुधाबद्धग्रामैरुपवनचक्रोरैरनुसृतां किरंज्योत्स्नामच्छां नवलबलिपाकप्रणयिनीम् ।

उप प्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तर्कय मनाक् अनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥

१- अन्योक्तिशब्देन इहाध्यासविषया तद्भावापत्तिरुच्यते यथेष ब्रह्मदत्तः इति (

--(सरस्वती०पृ०२२३, बा०संस्क०)

इस उदाहरण में केवल चन्द्रमा तथा नायिकामुख के उपमानोपमेयभाव की चर्चा की गई है । पद्य का अन्त भाग तुल्यविशेषणों से युक्त है और नायिका के मुख पर केवल एक चन्द्रमा का आरोप किया गया है । इसके विपरीत --

कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम् ।

सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम् ॥

इस उदाहरण में कमल, कुवलय तथा कनकलतिका का अध्यास, नायिका के मुख, नेत्रद्वय तथा शरीर पर किया गया है । अतः पूर्वोदाहरण जहाँ कि केवल एक ही वस्तु का अध्यास है, ये यह उदाहरण भिन्न है । ये दोनों उदाहरण भोज के अनुसार क्रमशः शुद्धा स्व चित्रा 'अध्यासविषयक तद्भावापत्ति' के हैं ।

किन्तु एक बात यह समझ में नहीं आती कि भोज ने शुद्धा को 'अन्योक्ति' तथा चित्रा को 'अनन्योक्ति' क्यों कहा है ? यदि भोज के अभिप्राय को ही स्वीकार करके कोई उस विषय में कुछ वक्तव्य उपस्थित करना चाहें तो उसका एकमात्र रूप यही होगा कि 'एकविषय के अध्यास को 'अन्योक्ति' तथा बहुतों के अध्यास को अनन्योक्ति' कहते हैं । किन्तु यह भेद, निराधार परम्पराविरुद्ध स्व अपुष्ट है और सब बात तो यह है कि भोज की 'अनन्योक्ति कल्पना' ही व्यर्थ है, क्योंकि विषय की दृष्टि से वह अन्योक्ति से पृथक् नहीं हो पाती । भोज ने इन्हीं दोनों अलंकारों के योग को 'उभयोक्ति' माना है जो कि अन्योक्ति आदि की ही भाँति कल्पनागौरव मात्र प्रतीत होती है ।

वस्तुतः संचित कथन मात्र से समासोक्ति भाव स्वीकार करने के कारण भोज का स्तद्धिषयक सिद्धान्त अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया है । इस विषय में स्वयं भोज के विचार आकलन करने योग्य हैं । अन्योक्ति, अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति की व्याख्या करने के बादही आचार्य ने एक समस्या उपस्थित की है -- उपलक्षणंचैतत् । तेनान्यापि योपमानोपमेयविषये सदापोक्तिः सापि समासोक्तिरेव भवति यथा--

इन्दुलिप्त इवांजेन जडिता दृष्टिर्मृगीणामिव

प्रम्लानारुणिमेव विद्धमलता श्यामेव हेमप्रमा ।

पारुष्यं कलया च कौकिलवधुकण्ठेष्विव प्रस्तुतं

सीतायाः पुरतश्च हन्त शिसिनां बर्हाः सगर्हा इव ॥

--सरस्वती०पृ० २२४ ।

भोज के अनुसार यह उदाहरण 'उत्प्रेक्षाोक्ति' का है । क्योंकि यहाँ चन्द्रमा का

कज्जलाक्त होना, मृगवधुओं की आंखों का पथराना, मूंगे की लाली का म्लान होना, स्वर्णप्रभा की कालिमा, कोकिलालाप का पारुष्य तथा मयूरपिच्छों की अवमानना, आदि उक्तियाँ उत्प्रेक्षामुखेन व्यक्त की गई हैं। किन्तु यह भी ज्ञातव्य तथ्य है कि इन उक्तियों का कथन सीताशब्दवाच्य, मुखादि अंगों के आश्रय से ही हुआ है। अतएव, मुखादि वे उपमेय यद्यपि पथ में अनुक्त हैं, तथापि इन्दु, मृग, विद्धम, हेम, कोकिल, एवं म्लिखी के सहारे उनकी स्फुट प्रतीति हो रही है। भोज के अनुसार बूँकि यह भी 'समासोक्ति' ही है अतः 'समासोक्ति' से बाहर नहीं।

भोज के इन परिपन्थीविचारों से सहमत होना अत्यन्त कठिन है। जो व्यक्ति, आचार्य मामह से लेकर भोज के आचर्यपूर्ववर्ती अभिनवगुप्त, तक की काव्यशास्त्रीय परम्परा समझ चुका हो, वह इन असंगतियों एवं थोथी उद्भावनाओं को हृदय में स्थान ही नहीं दे सकता। 'समासोक्ति' के ही प्रसंग में यदि हम आचार्य की उपर्युक्त धारणा स्वीकार कर लें तो बहुतेरे अलंकार उसी कोटि में आ जायेंगे। ऐसी दशा में एक ही पथ बनेगा कि हम भोज की समासोक्ति को एक विलक्षण काव्यतत्त्व स्वीकार करें जो कि कभी सम्भव नहीं। क्योंकि स्वयं भोज ने 'समासोक्ति' का व्याख्यान उभयालंकारों के एक प्रकारविशेष के रूप में किया है। अतः निश्चित है कि उनका प्रयत्न पूर्वपरम्परा का निर्वाह करने के साथ ही साथ कुछ नव्यता स्थापित करने की ओर भी रहा किन्तु इसी नव्यता के चक्कर में भोज, अपना सीमाओं को भूल गए और तभी पद पद पर खलन भी हुआ।

यद्यपि अलंकार सम्प्रदाय के एक महान् आचार्य रुद्रट का मतानुशीलन एक विशेष अभिप्रायवश आगे करेंगे। किन्तु थोड़े में यह प्रकाश डाल देना आवश्यक है कि अलंकार के अंग रूप में अन्योक्ति का क्या स्थान रहा। इस विषय पर अध्यायारम्भ में भी प्रभूत तथ्य कहा जा चुका है कि इस सम्प्रदाय के पोषक आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया था। दण्डी ने स्पष्टतः अलंकार को 'काव्यशोभाकर' धर्म स्वीकार किया जब कि परवर्ती आचार्यों ने उन्हें काव्यशोभा का आघायक अथवा वर्धक मात्र स्वीकार किया है। इस प्रकार शोभा के विषय में अलंकारों का कर्तृत्व स्वीकार करने में दण्डी की अन्तरेहा मूलतः उनकी आत्मा रूप मान्यता पर ही केन्द्रित रही। काव्यादर्श १।१६ में भी आचार्य ने भिन्न वृत्तान्तों से उपेत, लोकरंजक काव्य के कल्पान्तरस्थायी होने की घोषणा की है किन्तु कब? यदि वह सुन्दर अलंकारों से मरा-पुरा हो। 'काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति' इससे स्पष्ट हो जाता है कि

काव्य का लोकानुरंजकत्व अथवा कल्पान्तराद्यच्चिद्व दण्डी के अनुसार उसके 'सदलंकृति' होने पर ही सम्भव था । अतः अलंकार काव्य के अपरिहार्य घर्म स्वीकार करने योग्य है । दण्डी ने गुणों, लक्षणों अथवा स्वविध अन्य तत्त्वों में कोई भेद नहीं माना, क्योंकि सब के कार्य एकविध ही थे -- काव्य का अलंकरण । भोज प्रभृति आचार्यों ने कैसे राम तक को अलंकार ही माना यह भी स्पष्ट हो चुका है ।

अलंकारों का काव्य से सम्बन्ध यह स्वरूप समझने के पश्चात् हम यह निर्णय कर सकते हैं कि यमक-अनुप्रास प्रभृति सम्स्त विशिष्ट अलंकार काव्य को शोभित करने के ही लिए कवियों द्वारा प्रयुक्त होते रहे हैं । किन्तु समस्या तो यह है कि एक ही कार्य करने के कारण, सम्स्त अलंकारों को एक ही होना चाहिए फिर क्यों उनमें नाम भेद है ? क्यों कुछ अलंकार **अथर्वों** कोई अलंकार, काव्यालंकरण में अधिक सफल है, दूसरा नहीं ? **और क्यों कुछ अलंकार व्यञ्जनायुक्त, तथा उत्तमोत्तम कोटि के हैं और अन्य शुद्ध शब्दजल मात्र । (अनुप्रास यमकादि)** इसका उत्तर यह है कि यद्यपि काव्यालंकरण रूप कार्य करने के कारण अलंकारों की स्वरूपता ग्राह्य अवश्य है, किन्तु चूंकि वे स्वयं काव्य में प्रयुक्त न होकर प्रयोक्ता कवि द्वारा उचित स्थान पर, उचित रीति से, औचित्य-पोषणार्थ ही विन्यस्त किये जाते हैं इसी कारण उनमें अनेक प्रकार का भेद उत्पन्न हो जाता है । अतस्त्वं अलंकारों के अधिक अथवा न्यून रामणीयक होने का, व्यञ्जना अथवा अभिधामात्र से युक्त होने का, सारा श्रेय, प्रयोक्ता कवि को ही है । आचार्य श्री ज्ञान के ये शब्द इसी युक्ति का समर्थन करते हैं -- 'सदलंकृति, सत्यः शोभनाः सुप्रयुक्तत्वात् । न त्वलंकृतयः स्वरूपेण शोभना नाम' (काव्यादर्श ०पृ० १३, दरभंगा ०) समासोक्ति एवं अप्रस्तुतप्रशंसा के वैभव की कथा भी यही है । इन दोनों अलंकारों को अन्योक्ति की अपेक्षा जो इतना अधिक सम्मान एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व मिला, वह इसी कारण कि ये कवि का मानसपटल, प्रेक्षकों के दिलित करने में सफल हो सके । और अप्रस्तुतप्रशंसा तो इतनी लोकप्रख्यात बनी कि अलंकारों से व्यतिरिक्त उसका एक स्वतन्त्र साहित्य ही बन गया ।

यद्यपि पर्यायोक्त, व्याजस्तुति आदि अनेक अन्यालंकार कार्य की दृष्टि से अन्योक्ति से कुछ साम्य अवश्य रखते हैं किन्तु कवियों ने उन्हें अन्योक्ति के बराबर आश्रय नहीं दिया । क्योंकि वे लोकाभिव्यञ्जन के उतने समीप नहीं थे । वे काव्य का तथाकथित अलंकरण मात्र ही कर सके किन्तु अन्योक्ति काव्य को अलंकृत करने के साथ

ही साथ नीरक्षरिवत् त्वयं काव्यरूप हो गई । उसका यही वैशिष्ट्य उसके व्यक्तित्व को द्विविध बना देता है, एक तो काव्यालंकार रूप, दूसरा काव्यरूप ।

आचार्य वामन के विषय में यह निर्दिष्ट किया जा चुका है कि उन्होंने ममस्त अर्थालंकारों की स्वतन्त्र सत्ता न स्वीकार करके, उन्हें उपमालंकार का ही प्रपंच (विस्तार) स्वीकार किया है । अपने लक्षणग्रन्थ के आलंकारिक नानक चतुर्थ अधिकरण में आचार्य ने अनेक बार अपने इस मन्तव्य को दुहराया है^१ । उपमा को ही मौलिक अलंकृति मानने के कारण आचार्य ने पूरे एक अध्याय में (काव्या० ४।२) उपा की विवेचन अनेक दृष्टियों में किया है । वामन के अनुसार उपमान के ज्ञाय, उपमेय की गुणलेशयुक्त समता ही उपमा है । उत्कृष्ट गुण वाला होने के कारण जो सादृश्य के लिए आमन्त्रित किया जाता है, उपमित होता है उसे 'उपमान' कहते हैं । इसी प्रकार न्यून गुण वाला होने के कारण, जिसकी उपमा दी जाती है, उसे 'उपमेय' कहते हैं^२ । इसके अतिरिक्त वामन ने उपमा के त्रिविध भेदों, तीन प्रयोग स्थानों (स्तुति-निन्दा एवं तश्वारख्यान) तथा छः दोषों का विधिवत् व्याख्यान भी किया है ।

इस प्रकार आचार्य वामन उपमा को ही ममस्त अर्थालंकारों की योनि मानते हैं । उनका यही मत परवर्ती युग में आचार्य अप्पय दीक्षित ने गविस्तर पल्लवित किया^३ । उपमामूलक होने के ही कारण वामन द्वारा व्याख्यात अर्थालंकारों के पारिभाषिक दृष्टिकोण में प्रभूत अन्तर आ गया है, क्योंकि वे सब के सब स्वतन्त्रविचार अथवा पूर्वार्चार्यों द्वारा संचालित पारम्परिक सिद्धान्तों की प्रसूति न होकर एक विशेष बन्धन में बंधे हैं, अर्थात् उपमा-सापेक्ष हैं । उपमान तथा उपमेय ही उपमा की काया हैं । इनके

१- द्रष्टव्य-- सम्प्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्तावः तन्मूलं चोपमा इति सैव विचार्यते (काव्या० ४।२)

+ + उपमानोपमेयलोपस्तु उपमाप्रपंचे द्रष्टव्यः (का० ४।२) + + + सम्प्रत्युपमाप्रपंचो विचार्यते । कः पुनरसावित्याह-प्रतिवस्तु प्रभृतिरुपमाप्रपंचः (का० ४।३।१) + + + रभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः ।

शब्दवैचित्र्यमभेयमुपमेव प्रपंचिता ॥ (का० ४।३)

२- उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा (४।२।१) उपमीयते सादृश्यमानीयते येनोत्कृष्ट-गुणोनान्यत् तदुपमानम् । यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमेयम् । उपमानोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यं यदसावुपमेति ।

३- द्रष्टव्य-- चित्रमीमांसा में उपमा-प्रपंच, पृ० ६, ७। श्रीरामशास्त्री मानवल्ली सम्पादित संस्करण, काशी, सन् १८६१ ई० ।

अस्तित्व में ही उपमालंकार होता है, और किसी एक के न रहने पर अनेकविध अलंकारों की सृष्टि होती है, जैसे -- प्रतिवस्तूपमा, भ्रान्तिमान, सन्देह आदि । इस प्रकार वामन द्वारा प्रोक्त कोई भी अलंकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, निरपेक्ष नहीं है । वस्तु प्रत्येक अलंकार अपने पूर्ववर्ती अलंकार के ही प्रसंग में, तथा उसी की आधारशिला पर विन्यास प्रतीत होता है । वस्तुतः अलंकार पुष्पों को उपमा के डोरे में संग्रहित करके वामन ने एक नवीन ऐतान्त्रिक सरणि अवश्य स्थापित की, किन्तु व्यष्टिदृष्ट्या उनका 'अलंकारविषय' , दृष्टि की भांति सशक्त न हो सका । अन्योऽन्याश्रित होने के कारण उम्में शिथिलता की गंध आती है ।

अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय में भी यही तथ्य सत्य है । 'किंचिदुक्तौ अप्रस्तुत-प्रशंसा' भर कह देने से तथाकथित अलंकार का कोई स्थूल रूप भी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होता । इसका एकमात्र कारण यही है कि 'किंचिदुक्तौ' पद का संकेत उसके पूर्ववर्ती अलंकारों के लक्षणों में स्थित तथ्यों की ओर है । जब तक उनका स्पष्टीकरण या प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक अप्रस्तुत० एक गूढसा ही बनी रहेगी । अतएव यह विचारणीय विषय है कि 'किंचित्' पद द्वारा संकेतित तथ्य कौन हैं, जिनके बिना व वामनप्रसक्त , अप्रस्तुत प्रशंसा की परिभाषा अपूर्ण भी प्रतीत होती है ?

'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' के चौथे अधिकरण में वामन ने अलंकारों का विवरण प्रस्तुत किया है । अधिकरण के तीन अध्यायों में प्रथम का विषय शब्दालंकार (अनुप्रास तथा यमक) तथा द्वितीय का विषय एकमात्र अर्थालंकार उपमा है । शेष, लगभग तीस अर्थालंकारों की चर्चा, उपमाप्रपंच के रूप में वामन ने तृतीय अध्याय में किया है । प्रतिवस्तूपमा-समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा ये तीन अलंकार ऐसे हैं जो सर्वप्रथम इसी क्रम में व्याख्यात किये गए हैं । वामन ने यह क्रम अध्याय के पहले ही सूत्र में स्पष्ट कर दिया था -- 'प्रतिवस्तुप्रमृतिरुपमाप्रपंचः' (४।३।१) ।

वामन की व्याख्या के अनुसार प्रतिवस्तु, समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसक इन तीनों में ही समान वस्तु का न्यास होता है किन्तु विभिन्न दशाओं में । प्रतिवस्तूपमा में उपमेय (अथवा प्रस्तुत) के उक्त या वाच्य होने पर समासोक्ति में अनुक्त या अवाच्य होने पर तथा अप्रस्तुत० में किंचिदुक्त अर्थात् अंशतः वाच्य होने पर । समानवस्तु का अमिप्राय यहाँ अप्रस्तुत पक्ष या उपमानपक्ष से है जो कि तीनों में सर्वदा वाच्य ही रहता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि वामन के मत से उपमानोपमेय दोनों के वाच्य रहने पर प्रतिवस्तु, अप्रस्तुतवाच्य तथा प्रस्तुतअवाच्य (व्यंग्य) रहने पर समासोक्ति तथा अप्रस्तुतवाच्य एवं प्रस्तुत किंचिदवाच्य (अंशतः व्यंग्य) रहने पर

अप्रस्तुत० होती है । इन्हीं तानों अलंकारों (त्रिक) के सम्यक् को 'वामनीय-त्रिकसाम्य-पद्धति' की संज्ञा दी जा सकती है । वामन के अनुसार प्रतिवस्तु का स्वप्न इस प्रकार है -- उपमेयस्योक्तौ समानवस्तुन्यासः प्रतिवस्तु (४।३।२) 'प्रति' का अर्थ है 'प्रतिबन्धी' ।

अतः प्रतिवस्तु का अर्थ है -- एक वस्तु के वाक्यार्थरूप रहने पर उसी के समकक्ष दूसरी वस्तु का न्यास । पहला वाक्यार्थ-उपमान रूप (अप्रस्तुत या अप्रासंगिक) और दूसरा वाक्यार्थ-उपमान रूप (अप्रस्तुत या अप्रासंगिक) किन्तु होते हैं दोनों वाक्यार्थरूप ही न कि पदार्थरूप । वाक्यार्थोपमा से इसका यही भेद है कि वहाँ तो उपमानोपमेय दोनों ही सम्मिलित होकर केवल एक वाक्यार्थ बनते हैं किन्तु प्रतिवस्तु० में दोनों दो स्वतन्त्र वाक्यार्थ बनते हैं, उदाहरणार्थ--

देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्येषा ।

न खलु परिभोगयोग्यं देवनरजाकिं रत्नम् ॥

यहाँ प्रथम पंक्ति का वाक्यार्थ उपमेय (नाथ ही प्रस्तुत भी) तथा दूसरा उपमान (साथ ही अप्रस्तुत भी) पदा है । न खलु परिभोगयोग्यं आदि उपमानवस्तु है, जिसका कथन उपमेयकथन के बाद ही किया गया है ।

प्रतिवस्तु से समासोक्ति का भेद प्रदर्शित करने के लिए वामन समासोक्ति का लक्षण प्रस्तुत करते हैं -- 'उक्तौ समासोक्तिः' (४।३।३) 'उक्तौ' के प्रसंग में 'उपमेय' का अध्याहार स्वयं हो जाता है, क्योंकि प्रतिवस्तु में हम इसका प्रमाण पा चुके हैं । अतः इसका अर्थ यह हुआ कि जब उपमेय (अथवा प्रस्तुत पदा) सर्वथा अनुक्त रहे तब समानवस्तु (वाले अप्रस्तुत या उपमान पदा) का न्यास, समासोक्ति है । पूर्ववर्ती आचार्यों की ही पद्धति का अनुसरण करते हुए वामन ने भी 'संज्ञापवचना' को समासोक्ति नाम पङ्के का मूल कारण स्वीकार किया है -- संज्ञापवचनात् समासोक्तिरित्याख्या । उदाहरण से वामन की धारणा स्पष्ट हो जायेगी --

'श्लाघ्या ध्वस्ताध्वग्लाने करीरस्य मरौ स्थितिः विद्भेरो कल्पवृक्षाणामव्युत्पन्ना-
र्थिनां श्रियः ॥' यहाँ मरुस्थल में करील स्थिति की प्रशंसा और कल्पवृक्षाओं की सुमेरु पर्वत पर स्थिति की निन्दा करने से उनके उपमेयभूत, परोपकारप्रवण निर्धन की प्रशंसा तथा परोपकारविमुख धनिकों की निन्दा बिना कहे भी, संज्ञाप में प्रस्तुत की गई है, इसीलिए यहाँ 'समासोक्ति' अलंकार है ।

जैसे, प्रतिवस्तु से पार्थक्य मात्र प्रदर्शित करने के ध्येय से वामन ने समासोक्ति का लक्षण किया था, ठीक उसी प्रकार -- (समासोक्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया भेदं दर्शयितुमाह)

किंचिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा (४।३।४) अर्थात् जब किसी पद्य में उपमेयपदा या प्रस्तुत का आंशिक कथन हो, लिंगमात्र से कथन हो, और तब स्मानवस्तु (उपमानपदा) का न्यास हो, तब वहां अप्रस्तुत० अलंकार होता है। वामन ने शाब्दिक अर्थ लेते हुए -- 'अप्रस्तुतार्थ की प्रशंसा' स्वरूप होने के कारण इसे अप्रस्तुतप्रशंसा माना है। उदाहरणार्थ --

लावण्यसिन्धुरपरैव हि काचनेयं यत्रौत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥

यहां स्मानार्थ आगत किसी रमणी के प्रति विदग्धजन की उक्ति प्रकट होती है। लावण्यसिन्धु के वर्णन द्वारा कवि स्मानत उपमानों (वाक्यार्थरूप) को (चन्द्रोत्पल-द्विरदकुम्भकदलिकाण्डमृणालदण्डादि) स्कन्धित करता है। किन्तु यहां इन शब्दों का अर्थ केवल चन्द्रोत्पल प्रभृति शब्दों (पदार्थों) तक ही नहीं सीमित है, वरन् 'काचनेय' के अनुसार एक युवती के अंगों को भी संकेतित करता है^१।

यहां अवधेय तथ्य यह है कि वाक्यार्थ रूप ये उपमेयत्व न तो प्रतिवस्तूप-मावत् स्पष्टतः शब्दों में अभिव्यक्त किए गए हैं और न तो स्मानोक्तिवत् स्पष्टतः अनुक्त ही हैं। अर्थात् अप्रस्तुतप्रशंसा में वे संकेत रूप में व्यक्त किए गए हैं किंचिदुक्त हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपमेय की सर्वथा अनुक्ति में स्मानवस्तु की वर्णना 'समासोक्ति' किंचिदुक्ति में 'अप्रस्तुत० तथा पूर्णतः उक्ति में 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार होते हैं। किन्तु इस उपमेय रूप वाक्यार्थ के स्मान (अन्य-- अप्रस्तुत) वस्तु का न्यास, दोनों में सामान्यरूप से ही होता है, यही दोनों का पारस्परिक साम्य है।

आचार्य वामन की 'त्रिकसाम्यपद्धति' समझ लेने के पश्चात् कई समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। यद्यपि वामन ने एक उपमेय की ही 'उक्ति-अनुक्ति या किंचिदुक्ति वश प्रतिवस्तु प्रभृति अलंकारों की भिन्नता प्रदर्शित की है, किन्तु यदि हम वामन के पूर्वाचार्यों की दृष्टि से चिन्तन करें तो प्रतीत होगा कि आचार्य ने मामह स्वं

१- किन्तु रुद्रतालंकार २।८ की टीका में आचार्य नमिसाधु ने (वामन के इस अभिप्राय के विरुद्ध) इस पद्य को अवाचक दोषयुक्त माना है-- 'अत्र शशिशब्देन सुसुम् उत्पलशब्देन नेत्रे, द्विरदकुम्भस्य स्तनौ कदलिकाण्डशब्देनो मृणालदण्डशब्देन बाहू क्वेर्विवक्षितौ । न च शब्दास्तथावाचका? न च सुसादिषु शशिप्रभृतीनि पदानि यौगिकानि रूढानि वेत्यवाचकान्येव । उपमेयपदाप्रयोगाच्च रूपकभ्रान्तिरपि नास्ति ।'

दण्डी दोनों की ही पैदान्तिक विधियों का तिरस्कार करके, स्क तीसरी विधि की शरण ली है। हम जानते हैं कि प्राचीन परम्परा के अनुसार अप्रस्तुतवाच्य में प्रस्तुत की वह व्यंजना को 'अप्रस्तुतप्रशंसा' तथा प्रस्तुत वाच्य में अप्रस्तुत की व्यंजना को समाप्ति कहते हैं। इसी सिद्धान्त को आचार्य मामह, दण्डी तथा उद्भट ने स्वीकार किया। दण्डी की विशेषता केवल यह है कि उन्होंने 'संज्ञप्रवचनत्व' के उभयनिष्ठ होने के कारण इन दोनों अलंकारों को एक ही स्वीकार किया, किन्तु सिद्धान्त रूप में अलग अलग अप्रस्तुत० तथा समाप्ति के प्रति उनकी आस्था मामह की ही भांति रही। इस विषय पर प्रभूत प्रकाश पूर्वानुच्छेदों में डाला जा चुका है। परन्तु इन पूर्व प्रमाणों के रहते हुए भी वामन ने समाप्ति एवं अप्रस्तुत प्रशंसा की व्याख्या एक नूतन दृष्टिकोण से की जा कि आमजन-सी प्रतीत होती है। दोनों के बीच प्रदर्शित भेद भी किंगी सुस्थिर नियामक तथ्य पर आधारित नहीं है। वामने के ये दोनों अलंकार उनकी दृष्टि से भले पृथक् हों किन्तु पूर्व परम्परा की दृष्टि से दोनों सम्मिलित रूप से माननीय अप्रस्तुत प्रशंसा में विन्न नहीं है। प्रश्न यह है कि वामन ने ऐसा किया क्यों? व्यक्तिगत दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए अथवा किसी समकक्ष एवं विरुद्ध मत वाले आचार्य द्वारा स्थापित अप्रस्तुत प्रशंसा के सिद्धान्त में अपनी अनास्था व्यक्त करने के लिए। लगता ऐसा ही है कि वामन की इस नवीन स्थापना का मूल कारण उनकी महत्त्वाकांक्षा तथा उनका स्वमताभिमान ही था, क्योंकि पहले ही वह मामहादि द्वारा संचालित अलंकार सम्प्रदाय के स्थान पर रीति सम्प्रदाय को अनुमोदित कर चुके थे। ऐसी दशा में प्रतिपद नवीनता प्रदर्शित करने का मोह संवरण करना उनके लिए दुष्कर हो गया होगा। रीति का काव्यात्मत्व, गुण विवेचन तथा अलंकारों की उपमामूलकता आदि तथ्य उनकी इसी भावना के पोषक प्रमाण हैं। दूसरी बात यह कि अलंकार सम्प्रदाय के प्रचण्डनीषी उद्भटाचार्य स्वयं उनके समयुगीन तथा साथ रहने वाले थे। अतः यह सम्भव है कि उद्भटस्थापित मान्यता से अपनी व्यतिरिक्तता दिखाने के ही लोभवश आचार्य ने अप्रस्तुतप्रशंसादि के विषय में यह नवीन दृष्टिकोण अपनाया और अपने इसी गाम्भीर्यहीन विवेचन के कारण आचार्य नरेन्द्र-प्रमसूरि(१३ वीं शती ई०) का कटाक्ष भी परवर्ती युग में उन्हें मिला -- 'केचित् पुनः लावण्यसिन्धु... दण्डाः इत्यादावप्यप्रस्तुतप्रशंसा मन्यन्ते । तदसत् । यत्रोत्पलानी-त्यादौ भेदऽभेद-रूपयाऽतिशयोक्त्याऽलंकारात्मना लावण्यसिन्धुरपरैवहीत्यत्रामेदे भेद-रूपया अतिशयोक्तेर्व्यतिरेकस्य वा विषयत्वात् ।' अलंकारमहोदधि अष्टमतरंग, पृ० २२ (श्रीलालचन्द्रमगवान्गांधी सम्पादित, बड़ौदा संस्करण सन् १९४२ ई०)।

उद्भट तथा वामन दोनों काश्मीर नरेश महाराज जयार्जुन(ई०११६-८१३तक) के आश्रम में रहे, ऐसा राजतरंगिणीकार का तादृश प्रामाण्य होता है । वामन उनके प्रधानामात्य तथा उद्भट सभापति थे, एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय(हीति) का व्यवस्थापक और दूसरा अलंकार सम्प्रदाय का प्रबल समर्थक । ऐसी दशा में पूर्ण सम्भावना है, दोनों विद्वानों में वैदिकान्तिक मतभेद रहा हो और सम्भवतः ईसा स्यर्धावश, समकालिक होने हुए भी दोनों आचार्यों में से एक ने भी अपने ग्रन्थ में दूसरे का उल्लेख नहीं किया । जो भी हों, किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि आचार्य वामन ने स्मार्तोक्ति तथा अप्रस्तुत० का जो स्वरूप सिद्धान्तित किया, वह प्राचीन आचार्यों की मान्यता का विरोधी समासोक्ति में प्रस्तुत अर्थात् उपमेय पक्ष सर्वथा वाच्य होता है और अप्रस्तुत या उपमान पक्ष सर्वथा व्यङ्ग्य है । किन्तु वामन की समासोक्ति में ठीक इसका उल्टा है जो कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार अप्रस्तुत० का स्वरूप है ।

वस्तुतः वामन द्वारा व्याख्यात स्मार्तोक्ति एवं अप्रस्तुत० दोनों में ही, समान वस्तुरूप अप्रस्तुत वाच्य होता है और उपमेय अथवा प्रस्तुत पक्ष वा अवाच्य अथवा किञ्चिद्वाच्य । उपमेय चाहे पक्ष वा अवाच्य हो अथवा किञ्चिद्वाच्य हो, दोनों ही दशाओं में वह व्यङ्ग्य तो होगा ही । अतः ये दोनों ही रूप, अप्रस्तुतप्रशंसा के ही होने चाहिए । इन दोनों में भी वामन का स्मार्तोक्ति सिद्धान्त पूर्णतः अप्रस्तुत० का ही स्वरूप है -- सिद्धान्त ने भी और आचार्य द्वारा प्रदत्त उदाहरण से भी । वामन का यही सिद्धान्त, आचार्य भोज ने बाद में अविकल रूप से ग्रहण किया जिसका विस्तृत व्याख्यान पीछे उपस्थित किया जा चुका है । किन्तु जैसा कि भोज की 'मधुकरवृत्ति' भी स्पष्ट की जा चुकी है, उन्हें जिस आचार्य का जो मत अभीष्ट रहा चाहे वह अयुक्त ही क्यों न रहा हो, किन्तु निश्चक भाव से बिना कोई भूमिका प्रस्तुत किए, उन्होंने उसे बलात् आत्मसात् करने की कौशिल्य की है और उनका यही प्रयत्न अभीष्ट मत को त्यागने में भी द्रष्टव्य है । वामन का ही दृष्टान्त लीजिए-- भोज ने उनकी स्मार्तोक्ति को तो ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया किन्तु वामन की अप्रस्तुत० को उन्होंने द्वय में पड़ी मक्खी की तरह उपेक्षित किया । वामन प्रदत्त, अप्रस्तुत० के उदाहरण को भोज ने

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- डा०पी०वी०काणेकृत हिस्ट्री आफ् संस्कृत पोयटिक्स पृ०१३८, प्रथम संस्करण, १९५१ ई० ।

उभयोक्ति मानकर उसके रूप को ही कवलित कर दिया । इन्हीं प्रकार दण्डों की अप्रस्तुत० को मोज ने अविकल भाव से ग्रहण किया किन्तु उनकी समासोक्ति का निर्वाह वे युक्तिः न कर सके । आचार्यों को इन दुर्व्यवस्थाओं को एक सर्वमान्य जंविदा रेखा पर ला सकने में असमर्थ होने पर बड़ी सीफ भी उत्पन्न होती है । आश्चर्य इस बात पर होता है कि, प्रत्येक आचार्य ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य के सिद्धान्त का, बिना कोई कारण बताए, उल्लंघन क्यों किया अथवा जिन लोगों ने किसी पूर्वाचार्य का समर्थन ही किया, उन्होंने विरोधियों की उद्भावनाओं का खण्डन ही क्यों नहीं किया ? वस्तुतः ऐसी परम्परा बनाने वाले आचार्य केवल अभिनवगुप्त ही हुए, जिन्होंने व्यनिकार का समर्थन करने के साथ ही साथ विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया । यही कार्य उन्होंने नाट्यशास्त्र में भरत एवं भरतविरोधियों आचार्यों के सन्दर्भ में किया । किन्तु साहित्यशास्त्र का अलंकारक्षेत्र, विशेषकर के पूर्व मम्मटयुगीन अलंकार क्षेत्र ऐसी प्रतिभा से हीन हो रहा । मोज की दृष्टि भी पूर्वाचार्यों के मतालोचन की ओर थी, किन्तु स्वार्थसिद्धि के विषमजाल में पड़कर, वह पूर्वमतखण्डन रूप न होकर 'स्वमतमण्डन' रूप बन गई ।

तो पूर्वाचार्यों की सरणि छोड़कर वामन ने अप्रस्तुत० के व्याख्यान में जो नूतन दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात् प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत आदि का माध्यम ह छोड़कर, उपमानोपमेय माध्यम स्वीकार किया, क्या वह अंगत है ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है, क्योंकि हम नवीन दृष्टि को अपना कर भी वामन ने अप्रस्तुतप्रशंसा विषयक पूर्वमान्य तत्त्वों में से किसी का भी प्रत्याख्यान नहीं किया । क्योंकि भामहादि की ही भांति वामन के मतानुसार भी अप्रस्तुत० में अप्रस्तुत अथवा उपमानपदा (मानवस्तुरूप) का न्यास (प्रशंसा) तथा प्रस्तुत अथवा उपमेयपदा की 'किंचिदुक्ति' (व्यंजनयाव-बोध) होती है । यही उपमेयपदा का प्रतिपादन अथवा ज्ञान 'कविसरम्भगोचर' भी होता है ।

हां एक बात अवश्य मत्त्य है कि वामन द्वारा निरूपित समासोक्ति भी अप्रस्तुतप्रशंसा से पृथक् नहीं, क्योंकि उसमें भी उपमेय पदा सर्वथा अनुक्त (व्यंग्य) तथा उपमान (मानवस्तु रूप) न्यस्त अथवा वाच्य होता है । सर्वथा अनुक्त होने से ही वामन की समासोक्ति अधिक स्पष्टता के साथ 'अप्रस्तुत प्रशंसा' प्रतीत होती है । अतः सिद्ध है कि उक्त दोनों अलंकार सर्वात्मना एक ही हैं, अन्तर केवल उपमेयपदा (प्रस्तुत) के 'अनुक्त अथवा किंचिदुक्त' होने का है, जो कि कोई विशेष मूल्य नहीं रखता । वामन

ने 'अप्रस्तुत प्रशंसा' रूप तत्र को स्वीकार तो किया, किन्तु उन्होंने आचार्य उद्भट की भांति यह नहीं कहा कि वह प्रशंसा प्रस्तुतार्थप्रतिपक्षपरक (प्रस्तुतार्थनिबन्धिनी) हो। आचार्यने स्पष्टतः एक नवीन तथ्य प्रस्तुत किया -- 'समानवस्तुन्यास' जिसका नाकैतिक अभिप्राय, अप्रस्तुत की ही ओर था। ^{अप्रस्तुत} प्रशंसा को एक वृहत् स्वल्प ^{आचार्य} दिनेश्वरि मम्मट का 'तदन्यस्यवस्तुल्ये' वाचन के 'समानवस्तुन्यास' का ही प्रतीक है।

मामहादि सम्मत समासोक्ति रूप, वस्तुतः वाचन अने आक्षेप अलंकार में उपस्थित करते हैं -- 'उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः' (काव्या०४।३।) उपमानस्याक्षेपतः प्रतिप्रतिरपि इत्यर्थः। यथा- 'रेन्द्रं घटुपाण्डुपयोधरेण चकारे अत्र शरद् वैश्वं, इन्दुनामिव नामकस्यैव इत्युपमानानि गम्यन्ते। आक्षेपं कां तात्पर्यं भी प्रायः व्यञ्जनमावबोध से ही है क्योंकि खेः प्रतिष्ठा आक्षेप (अध्याहार) उदा वस्तु का होता है जो प्रत्यक्ष (प्रतिपादित) न हो। समासोक्ति में मानह के अनुसार प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत की व्यंजना होती है। यही बात वामन की 'इत्युपमानानि गम्यन्ते' द्वारा व्यक्त करते हैं। इस पद्य में शरत् आदि उपादान प्रस्तुत वर्णना के अंगभूत हैं, जब कि उनसे नायक-नायिका रूप वृत्त (जो कि उपमान स्वल्प== अप्रस्तुत है) व्यंग्य हो रहा है। सम्भवतः यही विचार आचार्य अभिनवगुप्त का भी था जब कि उन्होंने आक्षेपालंकार की व्याख्या में उपमानाक्षेप के रूप में इसी पद्य को उद्धृत करके अन्त में स्पष्टतः कहा -- (यदि वीपमानस्याक्षेपः सामथूर्यादाकर्षणम्। यथा- रेन्द्रं वतुः पाण्डु पयोधरेण... चकार) इत्यत्रैष्याकलुषितनायकान्तरमुपमानमाक्षेपमपि वाच्यार्थमवालंकारोतीत्येषा तु समासोक्तिरेव। -- ध्वन्यालोकलोचन प्रथमोधोत।

इतना ही नहीं, वरन् आनन्दवर्धन द्वारा प्रस्तुत आक्षेपोदाहरण 'अनुरागवती सन्ध्या' आदि की व्याख्या में उन्होंने पुनः स्पष्टतः कहा -- 'तत्रोदाहरण-त्वेन समासोक्ति श्लोकः पठितः।..... वामनाभिप्रायेणायमाक्षेपः मामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुमाशयं हृदयैस्ते गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोः मुक्त्येदमेकमेवोदाहरणं व्यतरद्ग्रन्थकृत्। एषापि समासोक्तिर्वास्तु आक्षेपो वा, किमनेनास्माकम्? सर्वथालंकारेषु व्यंग्यं वाच्ये गुणीभवतीति नः साध्यमित्यत्राशयोऽत्र मून्थेऽस्मद्गुरु-मिर्निर्कृपितः।

'रेन्द्रं घतुः' श्लोक के प्रसंग में कौमुदीकार आचार्य उज्ज्वलदास ने भी लिखा है--

स्वं वाननमतेनाङ्गेपालङ्कारत्वमभिधाय भामहमतेन 'समासोक्ति' त्वं स्थापयति । इन प्रमाणों से यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसर वानन का आङ्गेपालङ्कार, भामह की 'समासोक्ति' से क्लिबुल पृथक् नहीं था और यदि हम उनके उपर्युक्त प्रमाण पर विश्वास करें तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि स्वयं आचार्य आनन्द वर्धन भी यही मत मानते थे और इसी अभिप्रायवश उन्होंने 'अनुरागवतां नन्त्या' सरीखा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो कि वाननीय आङ्गेप अथवा भामहोय 'समासोक्ति' दोनों का ही दृष्टान्त बन सकता था ।

अतः निश्चित है कि जैसे भोज के प्रसंग हम देख चुके हैं कि उनका 'समासोक्ति' व्याख्यान भ्रामक बन गया, क्योंकि 'समासोक्ति' नाम देकर भी उन्होंने उसमें अप्रस्तुत प्रशंसा को सिद्धान्तित किया और वास्तविक 'समासोक्ति' सिद्धान्त, भोज के समाधि एवं मीलितालङ्कार में तिरोहित रहा, ठीक उसी प्रकार, वानन ने भी 'समासोक्ति' नाम रखकर भी उसमें अप्रस्तुतप्रशंसा को सिद्धान्तित किया और वास्तविक 'समासोक्ति' सिद्धान्त वानन के आङ्गेपालङ्कार में तिरोहित रहा । इन दोनों अलङ्कारों के सिद्धान्तिक विवेक से सिद्ध होता है कि 'समासोक्ति' के जीवन में अप्रस्तुत० की अपेक्षा अधिक विपत्तियां आयी हैं । अप्रस्तुत० का रूप मूल ही समय-समय पर परिवर्तित, संशोधित एवं परिवर्धित हुआ किन्तु उनकी संज्ञा सब दिन अज्ञात रही, किन्तु 'समासोक्ति' के वास्तविक रूप को तो ऐसे शीर्षकों के भीतर रखा गया कि कोई उन्हें पहचान ही न सका और जहां लोगों ने 'समासोक्ति' नाम देखकर उसे पहचानने की चेष्टा की वहां उसे 'अप्रस्तुतप्रशंसा' से अभिन्न पाया ।

प्रथमाध्याय में विस्तारपूर्वक आचार्य रुद्रट के अन्योक्ति सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, अतः इस स्थल पर उसकी पुनरावृत्ति न करके हम, यह देखेंगे कि अप्रस्तुत प्रशंसा के इस अभिनव नामकरण में आचार्य का स्वारस्य क्या था ? इस नाम की सार्थकता क्या है? वस्तुतः आचार्य रुद्रट की काव्यशास्त्रीय प्रतिभा का एकमात्र परिचायक प्रमाण उनका 'अर्थालङ्कार विभाजन' ही है । जिन पूर्वोक्तों ने अपने अलङ्कारव्याख्यान में कोई न कोई विशेष तत्त्व स्थापित किया था, उन्हीं को संकलित करके आचार्य रुद्रट ने अक्षमशती में एक नवीन सरणि का परिचय दिया । अतएव रुद्रट के मत का परिशीलन करने से पूर्व ही उनके पूर्ववर्षों पर एक दृष्टि डाल लेनी ठीक होगी --

(क) मामह ने 'अतिशयोक्ति' को ही समस्त अलंकारों का प्राणतत्त्व स्वीकार किया था-- 'इत्येवमादिरुदिता गुणातिशयोक्तः सर्वैवानिशयोक्तिस्तु तर्कयेतां यथागमम् ॥ काव्या० २।=४ ।

(ख) मामह के बाद, आचार्य दण्डो ने , अतिशयोक्ति की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए अपना एक अतन्त्र मत दिया । वह मत था -- 'श्लेष को समस्त अलंकारों का पोषक तत्त्व मानना-- अलंकारान्तराणामप्येकगृहः परायणं वागीशमहितासुक्तिमिदामतिशयाह्वयान् ॥ २।२२०

श्लेषः सर्वासुपुष्पाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियं भिन्ना ङिधा स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥ २।३६३ (काव्यादर्श)

(ग) आचार्यवामन ने इन दोनों तत्त्वों को स्वीकार किया या नहीं ? यह तो हम युक्तिपूर्वक नहीं कह सकते, किन्तु उनकी यह घोषणा कि -- 'समस्त अर्थालंकार उपमा मात्र के प्रपंच (विस्तार) हैं, एक अभिनव उद्भावना स्व मौलिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार्य है । काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ४।३ का उपसंहरण करते हुए वामन का कथन है --

'रभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः शब्दैर्वचित्र्यगर्भैर्युग्मैव प्रपंचिता ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत अलंकारशास्त्र की तीन स्वर्णशतियों में (ई० कृष्णां मातवीं तथा आठवीं) अवतरित, इन तीन मौलिक आचार्यों ने अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति श्लेष तथा उपमा को स्थापित करके एक झ्रान्ति पैदा की । किन्तु यदि हम मामह तथा दण्डी के मतों का सूक्ष्मानुशीलन करें तो प्रतीत होगा कि 'स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति' भी इसी कौटि के व्यापक तत्त्व हैं । दण्डी ने तो स्पष्टतः वाङ्मय को इन्हीं दोनों तत्त्वों में अन्तर्भूत किया (काव्या० २।३६३) जब कि आचार्य मामह ने 'स्वभावोक्ति' को सहज वर्णन (*Natural description*) तथा वक्रोक्ति को 'मंगीमणिति अथवा 'वाग्वैदग्धी' (*A Skillful utterance, or a clever presentation*) रूप में स्वीकार किया । मामह की वक्रोक्ति का मूल्यांकन भी द्वितीय अध्याय में आचार्य भरत प्रोक्त 'लक्षण' के समकक्ष काव्यत्त्व तत्त्व के रूप में किया जा चुका है जो कि अत्यन्त व्यापी काव्यतत्त्व है तथा किसी भी काव्यालंकार के अणु अणु में व्याप्त है । 'स्वभावोक्ति का तात्पर्य है किसी भी वस्तु का यथावस्थित,

उपस्थापन' वस्तु का अपना स्वल्प' अर्थात् जैसा कोई वस्तु हो, स्वभाव हो या पदार्थप्रकृति हां, ठीक उनी काय प्रदर्शन, बिना उा वस्तु के विषय में कोई अतिशयोक्ति किये बिना कोई श्लेष-संयुक्त किया अथवा बिना किति औपन्यस्थापन के ।

ऐसी दशा में जैसे अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति (मामह) श्लेष (दण्डी) अथवा उपमा (वामन) का उत्कर्ष या अधिकार माना जा सकता है, उनी प्रकार 'स्वभावोक्ति' तथा वक्रोक्ति' का भी । क्योंकि वे भी अत्यन्त व्यापी काव्यतत्व हैं, अतिशयोक्ति आदि की भांति । 'स्वभावोक्ति' की ही अगर संज्ञा 'वास्तव' भी है, क्योंकि 'वास्तव' का भी अर्थ 'वस्तु के रूप' से है जो कि स्वभाव' में अभिन्न ही है । उन्हीं दोनों सम्भाव्य तत्वों को अलंकारों को मूल कल्पित करके, संस्कृत अलंकारशास्त्र में पुनः एक क्रान्ति की लहर उठी, कुछ ही समय का अन्तर देकर । यह क्रान्ति थी - पूर्वाचार्यों की स्तब्धिषयक मान्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की । मामह की अतिशयोक्ति दण्डी का श्लेष तथा वामन की उपमा, सब अद्युना अस्तप्राय से थे, किन्तु अस्तगामी रवि की भांति उनका शास्त्रव्यापी प्रभाव, उनकी उदृढ़ आधारशिला अब भी समस्त प्रतिक्रियाओं को सहने के लिए उत्पर थी । नए क्रान्तिकारी आचार्यों के समक्ष अब दो ही विधा थी --

(१) या तो वे पूर्वाचार्यों के मतों को यथाकथंचित स्वीकार करके, अपनी मान्यता भी लोक के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत करते । यह पथ 'समझौते' (Compromise) का था ।

(२) अथवा बिना किसी यश एवं अपयश की परवाह किये, वे अपनी मान्यता को दृढ़ता पूर्वक विद्वन्मण्डल के समक्ष रखते । जैसी उनकी प्रतिभा या पहुँच होती, अपने विषय में वैसी ही उस सिद्धान्त की स्थापना भी सम्भव थी । किन्तु यह पथ समझौते का न होकर प्रतिक्रिया (Reaction) का था ।

क्रान्ति की ये लहरें **नवम** तथा **स्कादश** शती में उठीं । पहली का नेतृत्व आचार्य रुद्रट ने किया । समझौते का पथ अपनाते हुए उन्होंने मामहादि द्वारा उपदिष्ट अतिशयोक्ति - श्लेष तथा उपमा को अलंकारों का मूल स्वीकार किया साथ ही साथ अपना यह स्वतन्त्र मत भी, विद्वल्लोक के समक्ष रखा कि 'स्वभावोक्ति' अथवा 'वास्तव' को भी अलंकारों का मूल माना जाय । इसी प्रकार दूसरी क्रान्ति का नेतृत्व राजानक कुन्तक ने किया । प्रतिक्रिया का पथ अपनाते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती

आचार्यों द्वारा स्थापित उपर्युक्त मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया और इन सब के विरोध में अपना यह गुदुदु मत स्थापित किया कि एकमात्र 'वक्रोक्ति' (वाक्य वक्रता) ही भास अलंकारों का मूल है --

वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा यत्रालंकारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति ॥

-- वक्रो० १।२०

वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रबल भङ्गावात ने एक बार आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा आरोपित प्रचण्ड ध्वनि रूपी बटवृज्ज को भी आमूलचूह प्रकम्पित कर दिया ।

इस प्रकार आचार्य रुद्रट ने अर्थालंकारों का चतुर्धा विभाजन प्रस्तुत किया --

वास्तवमूलक, अतिशयमूलक, श्लेषमूलक तथा औपम्यमूलक । चूंकि राजानक कुन्तक, रुद्रट के परवर्ती थे अतः वक्रोक्तिमूलकता का प्रश्न उनके लिये उठता ही नहीं । किन्तु इस विभाजन के बाद भी रुद्रट का या शास्त्रीय पथ प्रशस्त नहीं था, क्योंकि कठिनाई इस बात का थी कि पूर्वाचार्यों

द्वारा व्याख्यात लगभग चालीस अलंकारों में से कौन-कौन अलंकार किस-किस कोटि में रखे जायं ? यह निर्णय कैसे हो कि किस अलंकार में, इन चारों में से कौन तत्त्व प्रबल है ? इस विषय में पूर्ववर्तियों का कोई संकेत भी नहीं प्राप्त था कि क्योंकि उन्होंने तो अपने सीमित अलंकारव्याख्यान के बीच एक सामान्यसिद्धान्त (*General or generalised theory*) का सूत्रपात किया था । ऐसी विषम परिस्थिति में आचार्य रुद्रट ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का उपयोग किया । फलतः,

(क) सम्स्त अर्थालंकार (रुद्रट के अनुसार कुल ६६) तेईस वास्तव, इक्कीस औपम्य बारह अतिशय तथा दशम श्लेष अलंकारों में विभक्त हो गए । अनेक अलंकार उभयनिष्ठ, त्रितयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ रहे ।

(ख) अनेक नवीन अलंकारों का उद्भव हुआ जो कि पहले सिद्धान्त अथवा संज्ञा रूप में नहीं थे ।

(ग) तत्त्व प्राधान्य की दृष्टि से अलंकारों का चतुर्धा विभाजन करने से एक वर्ग के अलंकारों की तुलना अन्य वर्ग से सर्वथा असम्भव हो गई । अतः प्रत्येक अलंकार को रुद्रट ने एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दिया ।

अप्रस्तुतप्रशंसा, रुद्रट के औपम्य वर्ग का ही एक विशिष्ट अलंकार है, जिसे आचार्य ने सर्वप्रथम 'अन्योक्ति' नाम दिया । अन्योक्ति में उक्तोपमान द्वारा

१- यद्यपि आचार्य मामह ने कुन्तक के बहुत पूर्व ही वक्रोक्ति की व्यापकता स्वीकार की थी । किन्तु उन्होंने अपरिस्फुट रूप में ही उसे स्वीकार किया ।

अनुकोपमेय की व्यंजना मात्र होती है, उपमानोपमेय कहकर ऊर्द्वट ने वामन की शब्दावली का ही अनुकरण किया है, यह स्पष्ट है। यद्यपि आचार्य ने सर्वप्रथम अन्योक्ति को अलंकार रूप में प्रतिष्ठित किया, किन्तु जहाँ तक इसके नामकरण का प्रश्न है, प्राचीन आचार्यों का ऋण मानना आवश्यक है। डा० संसारचन्द्र जी काव्य और अन्योक्ति शीर्षक में लिखते हैं -- 'कुन्तक ने अपनी वक्रोक्ति में 'वक्रा' का अर्थ 'व्यतिरेकिणी' अर्थात् 'अन्य' किया है। ध्वनिवादियों की ध्वनि भी 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव' अर्थात् अन्य ही होती है। रसवादियों का रस भी सभी लौकिक पदार्थों से अन्य ही माना गया है। इस तरह वक्रोक्ति पर मतभेद रहने पर भी काव्य के क्या कलापक्षीय क्या भावपक्षीय, सभी निर्मापक ऋतुओं में 'अन्यता' सर्वसम्मत ही है। किन्तु इतने व्यापक महत्त्व वाली अन्योक्ति की ओर प्राचीन साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया, यह एक आश्चर्य की बात है। पूर्वोक्त सभी काव्य सम्प्रदायों का अध्ययन करके यदि हम यह कहें कि -- 'सैषा सर्वगतान्योक्तिः किं काव्यमनया विना' तो मला इसमें क्या दोष हो सकता है? -- शोधग्रन्थ पृ० १२।

किन्तु लेखक का उपर्युक्त दृष्टिकोण उनका बचपना सा प्रतीत होता है। क्योंकि संस्कृत का अक्षात्र में तो 'अन्य' शब्द पद-पद पर आया है तो क्या हम उन सब स्थानों पर 'अन्योक्ति' को ही धुसेड़ने का प्रयत्न करें? आचार्य कुन्तक अथवा आनन्दवर्धन ने जिस स्थान पर 'अन्य' शब्द का निबन्धन किया है, वह हमारी 'अन्योक्ति' से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। किन्तु डा० संसारचन्द्र जी के लिए जैसे उन महामहिम आचार्यों ने 'अन्य' कहकर बड़ी भूल की? दूसरी बात यह कि लेखक ने कुन्तक के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' की जो छीछालेदर (पृ० १०) करने की कौशिश की है, वह उल्टे उन्हीं की अज्ञता का प्रतीक बन जाती है, चाहे वह डा० नगेंद्र का साक्ष्य दें चाहे किसी और का। किन्तु अनजानी राह चलना और गलती करना यह तो बड़े से बड़े विद्वान् के लिए सम्भव है।

संसारचन्द्र जी का यह वाक्य एकमात्र उनके आत्मगौरव के और कोई अर्थ नहीं रखता -- 'इतने व्यापक महत्त्व वाली अन्योक्ति की ओर प्राचीन साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया।' यह एक आश्चर्य की बात है। सम्भव है कि लेखक के लिए आश्चर्य की बात हो, किन्तु दूसरों के लिए इसमें आश्चर्य करने लायक कोई तत्त्व नहीं है क्योंकि आचार्य भरत से लेकर पण्डितराज तक अन्योक्ति अलंकार का विवेचन निरन्तर

होना रहा है। आचार्य मम्मट ने तो 'अन्योक्ति' को इतना व्यापक एवं बृहत् बनाया कि उसे अविद्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर भी यदि बीसवीं शती का एक शोधक विद्वान् अगन्तुष्ट रह जाय तो इन्में, प्राचीन साहित्यकारों का हम कोई दोष नहीं देखते क्योंकि 'यत्ने कृते यदि न चिद्व्यति कोऽत्र दोषः ?' और फिर डा० जंगलरचन्द्र जी के मस्तिष्क में जिस प्रकार की 'व्यापक महत्त्वशाली' अन्योक्ति नाच रही है, उसका रूप अभी प्रथम अध्याय में प्रस्तुत ही किया जा चुका है। उन्में नान्दी पाठ, मुकरियां, पहेलियां, प्रतीक, संकेत, रूपक (Allegory) दृष्टान्त (Parable) आख्यान (Fable) तथा तत्त्वकथादि (Motif) सब सम्मिलित हैं तो फिर ऐसी 'अपूर्व अन्योक्ति' तथा उसकी ओर ध्यान देने वाले साहित्यकार मिल ही कैसे सकते हैं ?

वास्तव में 'अन्योक्ति' नामकरण कई सौ वर्षों के धारणाकारिक तत्त्वमन्थन का परिणाम है। इनके पीछे आचार्य भरत से लेकर वामन तक की अन्योक्ति व्याख्याओं का इतिहास, स्थित है, जिसके प्रामाण्य पर ही आचार्य रुद्रट ने 'अप्रस्तुतप्रशंसा' की यह नवीन संज्ञा रखी। भरत प्राचीनतम आचार्य हैं जिन्होंने 'मनोरथ' लक्षण के रूप में अप्रस्तुत का व्याख्यान किया। 'मनोरथ' का प्रसुत लक्षण 'अन्यापदेशः कथनम्' पर केन्द्रित है। और अन्यापदेश का शाब्दिक अर्थ है -- अन्य (दूसरा या अप्रस्तुत) का अपदेश (बहाना, उक्ति या प्रशंसा) वस्तुतः 'अन्यापदेशे' शब्द भावाभिव्यक्ति की शैली को ही द्योतित करता है, साथ ही साथ मामहीय अप्रस्तुतप्रशंसा से पूर्णतः अभिन्न है।

भरत के पश्चात् आचार्य मामह ने अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण प्रस्तुत किया-- 'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः' आदि जिसमें कि उन्होंने भरत के 'अन्यापदेश कथन' की ही भांति 'अन्यस्य स्तुतिः' (अन्योक्ति) रूपतत्त्व को पुनः स्वीकार किया।

दण्डी चूंकि अप्रस्तुत प्रशंसा को, समासोक्ति का ही अंग स्वीकार करते हैं, इसलिए उनका मत पूर्वाचार्यों से पृथक् अवश्य है। किन्तु तब भी उन्होंने 'समासोक्ति' के दोनों पदों (चाहे अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना) में अन्योक्ति तत्त्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया -- 'वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः उक्तिः सदैव परूपत्वात्सा समासोक्तिरिष्यते ॥' यहां 'अन्य (वस्तुनः) उक्तिः' का स्पष्ट तात्पर्य 'अन्योक्ति' से ही है।

आचार्य उद्भट मान्ह के ही मत का अनुकरण करते हुए 'अन्यन्य या स्तुतिः' के रूप में इस 'अन्योक्ति' तथ्य को स्वीकार करते हैं। शेष वच, आचार्य वामन, जिन्होंने 'अन्योक्ति' शब्द विशेष का तो अपने अलंकार व्याख्यान में कहीं जिक्र नहीं किया किन्तु 'अप्रस्तुत की प्रशंसा' को उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया जो कि 'अन्योक्ति' की ही अपर संज्ञा है। वामन तूँकि 'मूल अर्थालंकार को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार करते थे इसी कारण उनका लक्षण भी आचार्य ने उपमानोपमेय के ही माध्यम में व्यक्त किया है। 'त्रिकाम्यपद्धति' के रूप में इस विषय का व्याख्यान कुछ पूर्व ही हो चुका है। अप्रस्तुत० के लिए वामन का मत इस प्रकार है -- उपमेयान्य किंचिल्लिंग-मात्रेणोक्तौ समानवस्तुन्यासेऽप्रस्तुतप्रशंसा । यदि हम रुद्रटीच लक्षण में टीकाकार नमिसाधुकृत 'अपि' शब्द की व्याख्या देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि -- 'किंचिदुक्त' होने का तथ्य आचार्य रुद्रट को भी मान्य था। टीकाकार के शब्दों में -- 'अपि शब्दात्किंचित्समानविशेषणत्वेऽपि क्वापि भवतीति सूच्यते'। इस दृष्टि से रुद्रट वामन के ही मतानुयायी हैं।

इस प्रकार भरत ने लेकर वामन तक की 'अन्योक्ति' विषयक मान्यताओं का विधिवत् परिशीलन करने के पश्चात् ही आचार्य रुद्रट, अप्रस्तुत० के अभिनव नामकरण तथा लक्षण में प्रवृत्त हुए होंगे। किसी भी वस्तु को लक्षण बढ़ करने के लिए दो बातें अपेक्षित हैं -- एक तो उसका सामान्य धर्म (*Genus*) और दूसरा -- उसका अन्यव्यवच्छेदक गुण (*Quality of Differentiam*) वस्तुतः यही अन्यत्व गुण ही परिभाषा का प्राण होता है, क्योंकि उसी के कारण कोई पदार्थ अपने अन्य सजातीयों से पृथक् हो पाता है। उदाहरणार्थ गाय की परिभाषा में 'पशुत्व' उसका सामान्य धर्म तथा 'सास्नादिमत्त्व' अन्यत्व गुण है, अतः गाय का लक्षण होगा -- 'सास्नादिमान् पशु'। इसी सास्ना या गलकम्बल के कारण गाय अपने सजातीयों (भैंस, बकरी, घोड़ी आदि) से पृथक् होती है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसी कारण परिभाषा के विषय में कहा था कि --

'Genus et differentiam is equal to definitiam.'

इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतिमान होता है कि अलंकारों के प्रपंच का कारण भी यही 'अन्यत्वगुण' है। प्रत्येक अलंकार में कोई न कोई 'अन्यव्यवच्छेदक गुण' अवश्य है, जैसे रूपक में 'पदों का अंश' तो उत्प्रेक्षा में 'संभावना'। सन्देह

में 'उपमानोपमेय की उभयकोटिक्रियति' तो आक्षेप में 'उपमानाज्ञाप' । इसी अपने विशिष्ट गुण के कारण एक अलंकार ने फनातीय अन्य अलंकारों में पर्वथा पृथग्भूत स्वल्प धारण करता है । अब हमें यह देखना है कि 'अप्रस्तुतप्रशंसा' का 'अन्यत्वगुण' क्या है, जिसके कारण वह अन्य समस्त अलंकारों से वैलजाप्य प्राप्त करती है ?

इस दृष्टि से विचार करने पर आचार्य भरत ने लेकर वाचन तक का अप्रस्तुत० का इतिहास, हमारी आंखों के समक्ष आ जाता है किन्तु अपने तत्त्वों अर्थात् हृद्यस्थ भाव का सुश्लिष्टार्थ प्रदर्शन (भरत) अधिकाराद्वैत अन्य वास्तु की स्तुति (मामह एवं उद्भट) संज्ञापयेण उक्ति (दण्डी) उपमेय की विंचिडुक्ति (वामन) आदि के मान रहने पर भी, केवल एक ही तत्त्व प्रज्वलित नक्षत्र की भांति, अप्रस्तुत प्रशंसा-समागोक्ति अथवा भरत के मनोरथ लक्षण में दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम अन्य किरा भी अलंकार में किसी रूप में भी नहीं पाते हैं । यही तत्त्व 'अप्रस्तुतप्रशंसा' का अन्यव्यवच्छेदक गुण है, जिसे भरत ने 'अन्यापदेशैः कथनम् मामह ने 'अन्यस्य या स्तुतिः' दण्डी ने अन्य वास्तुनः उक्तिः उद्भट ने अन्यन्य या स्तुतिः तथा वामन ने उगी को प्रकारान्तर से अप्रस्तुत (अन्य) प्रशंसन (उक्ति) कहा ।

आचार्य रुद्रट ने अप्रस्तुतप्रशंसा के इस 'प्राणभूततत्त्व' को समझा और समझा ही नहीं वरन् उसका मूल्य भी पहचाना । अतस्व उन्होंने इस अलंकार के इतर तत्त्वों को मान्यता न देकर उसके ही प्राण-तत्त्व (अन्यत्वगुण) को ही स्वतन्त्र एवं सशक्त पद पर अभिषिक्त किया । दण्डी ने बहुत समय पूर्व ही अप्रस्तुत प्रशंसा का रूप विकृत कर दिया था , समागोक्ति में उसे विलीन करके । ऐसी दशा में रुद्रट को अप्रस्तुत० को एक सर्वमान्य स्थायी स्वरूप देना था , एक सुदृढ़ एवं तर्कसंगत संज्ञा देनी थी । जो अप्रस्तुतप्रशंसा की भांति भ्रामक अथवा स्कांगी न होती । इसी कार्य को आचार्य रुद्रट ने ^{नवी-}दशवीं शती में पूरा किया ।

रुद्रट के पूर्ववर्ती कवि भल्लट अपना अन्यापदेशशतक लिख चुके थे, जिससे प्रतीत होता है कि अन्यापदेशों के माध्यम से मावाभिव्यक्ति की परिपाटी तब तक लोक में विश्रुत एवं प्रचलित हो चुकी थी । भरत ने मनोरथ की परिभाषा में इसी रहस्य की ओर इंगित किया था । अतः आचार्य रुद्रट के लिए ये घटनायें प्रमाणस्वरूप रही होंगी इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । पूर्ववर्तियों की इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर तथा अप्रस्तुत० के अन्यत्वगुण का सम्यक्कलन करके ही आचार्य रुद्रट ने उसका एक **वृत्तान्त**

नामकरण किया -- जो तब से लेकर अब तक 'अन्योक्ति' कही जा रही है । इस प्रकार भरत के अन्यापदेश मामह एवं उद्भट की 'अन्योक्ति' तथा दण्डी की 'अन्योक्ति' की ही कल्पना जो बीजरूप में शक्तियों से पूर्व से ही मनोरथ अत्रस्तुत० तथा समासोक्ति के गंभीर अन्तराल में संकुचित एवं दबी पड़ी रही, अब साधारण एवं साकार होकर संस्कृत काव्यालंकारों के बीच एक स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त हुई । यही 'अन्योक्ति' अभिधान का काव्यशास्त्रीय इतिवृत्त है ।

आचार्य रुद्रटकृत यह प्रयास बहुत सफल भी रहा क्योंकि 'अन्योक्ति' संज्ञा इतनी सार्थक तथा सिद्धिप्राप्त है कि उच्चारण मात्र से उसका स्वल्प हमारी चिन्तनशक्ति में भाषित हो उठता है । अत्रस्तुत० तथा समासोक्ति की भांति 'अन्योक्ति' सापेक्ष संज्ञा नहीं है, बल्कि उसका अपना निर्जा निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्व है । रुद्रट के पश्चात् अन्योक्ति एक प्रख्यात अलंकार के रूप में सुस्थिर हो गई । परवर्ती आचार्यों में यद्यपि आनन्दवर्धन, राजशेखर, मुकुल, तांत, मट्टनायक, कुन्तक, अभिनव, महिमट्ट, घनन्जय, भोज एवं ज्ञानेन्द्र आते हैं जो कि पूर्व मम्मट युग के हैं । किन्तु अलंकारों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल आनन्दवर्धन, कुन्तक, अभिनव एवं भोज का ही है । इनमें से भोज ने अन्योक्ति संज्ञा को अपनाया साथ ही साथ अन्योक्ति तथा उभयोक्ति आदि द्वारा उसका समर्थन किया । आचार्य घनन्जय, भोज के पितृव्य महाराज मुंज^{के} राजकवि थे, जिन्होंने 'दशरूपक' नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा । इन ग्रन्थ के प्रथम प्रकाश में 'पताकास्थानक' का लक्षण देते हुए आचार्य ने कहा है --

प्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनो ऽन्योक्ति सूचकम् ।

पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम् ॥

इसमें आचार्य ने पताकास्थानक के दो प्रोतों को निर्दिष्ट किया है, एक तो तुल्यसंविधान अर्थात् अन्योक्तिमूलक और दूसरा 'तुल्यविशेषण' अर्थात् समासोक्तिमूलक । आगे आचार्य ने अन्योक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि घनन्जय आचार्य रुद्रट की अन्योक्ति से, सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही रूपों में पूर्ण परिचित थे ।

१- यतौ ऽस्मिपद्मनयने समयो ममेष सुप्ता^{ममैव} भवती प्रतिबोनीया ।

प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्यो ऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥

-- दशरूपक १।१४ की वृत्ति ।

व्योंकि धनञ्जय का 'तुल्यसंविधान' अक्षरशः रुद्रट के ममानेतिवृत्सुपमेयम् को लज्जित करता है । इसी प्रकार 'तुल्यविशेषण' का नाम्य रुद्रट के 'सकलममानविशेषणमेकम्' में हम पाते हैं । आचार्य अमृतानन्दयोगिन (१३वीं शती) हेमचन्द्र (१२ वीं शती) तथा वाग्भट द्वितीय (१५ वीं शती) आदि मम्मटोत्तर युग के अनेक आचार्यों ने रुद्रट के इस अभिनव नामकरण का ही अभिनन्दन किया और इन प्रकार अन्योक्ति कुछ परवर्ती वरिष्ठ आचार्यों द्वारा अप्रस्तुत० के ही रूप में गृहीत की जाने पर भी प्रसिद्धि की उतुंग शिखराली पर चढ़ी हुई ही गई और मम्मटोत्तर युग में तो वह इतनी प्रख्यात हो गई कि अप्रस्तुत० को लोग भूल गए । अधिकांश हिन्दी कवियों एवं आचार्यों ने भी इसी नाम (अन्योक्ति) को आश्रय दिया ।

आचार्य आनन्दवर्धन ने सर्वप्रथम 'अप्रस्तुतप्रशंसा' को विभाजित करने का सफल प्रयत्न किया और उनके व्याख्याकार आचार्य अभिनव ने उस विभाजन को सोदाहरण व्याख्यात करके उसे वैज्ञानिक स्तर पर सुस्थिर किया । पूर्वमम्मटयुगीन आचार्यों में इन दोनों के अतिरिक्त एक मीमांसक विद्वान् जो- बचता है जिसने वक्रोक्ति सिद्धान्त की कृत्रहाया में अप्रस्तुत० को व्याख्यान्वित किया -- आचार्य कुन्तक । व्वन्यालोक, प्रथमोद्योत को तेरहवीं कारिका में ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत करने के बाद आचार्य आनन्दवर्धन के ममदा पूर्वपक्षियों की एक 'युक्ति' आई कि 'कामनाप्रकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालंकारादि-प्रकारेष्वन्तर्भावः' किन्तु ध्वनिकार ने इस धारणा को असमीचीन बताते हुए प्रबल शब्दों में अपना मतोपन्यास किया -- 'वाच्यवाचकमात्राश्रयिणिप्रस्थाने व्यंग्यव्यंजकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः वाच्यवाचकवारुत्वहेतवो हि तस्यांगभूताः न तु अंगिरूपा स्वैति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । परिकरश्लोकश्चात्र-व्यंग्रव्यंजकाम्बन्धनिबन्धनतया-ध्वनेः वाच्यवाचकवारुत्वहेत्वन्तःपातिता क्तः ॥' ध्वन्या० १।१३ की वृत्ति ।

ध्वनिकार की दृढ़ धारणा थी कि व्यंग्य प्राधान्य होने पर ही ध्वनि होती है और चूंकि समासोक्ति प्रभृति किसी भी अलंकार में व्यंग्यार्थ प्रधान न होकर वाच्यार्थोपस्कारक मात्र रह जाता है, अतएव वे सब के सब ध्वनि के उदाहरण नहीं बन सकते । अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए आचार्यने ध्वनि के संभाव्य द्वात्रों अर्थात् समासोक्ति आशेष (अनुक्तनिमित्ता) विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, संकर एवं अप्रस्तुतप्रशंसा में से एक एक को क्रमशः सोदाहरण उद्धृत करके यह सिद्ध किया कि इनमें से कोई भी ध्वनि^{की} महनीय स्थिति का माजन नहीं है । यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि हम आनन्दवर्धन के उपर्युक्त निर्णय को निश्शब्दतया स्वीकार ही कर लें तथापि इतना निश्चित है कि आचार्य का यह प्रसंग काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से रोचक एवं मूल्यवान है ।

अलंकारिक विवेचनाओं में ध्वनिकार प्रायः नामक एवं उद्भट के ही मतानुयायी रहे हैं, इसी कारण, रुद्रट की अन्योक्ति जो संस्कृत काव्यशास्त्र में एक नूतन प्रक्रिया का साकार रूप बन कर आई थी, के रहते हुए भी, उन्होंने अप्रस्तुत प्रशंसा नाम को ही अपने व्याख्यान में ध्यान दिया । अग्नो सुज्जमतनुवविमर्शिणी तथा गवेषणात्मक प्रवृत्ति के बलवती रहने पर भी आनन्दवर्धन ने 'अन्योक्ति' नाम के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई और न कोई प्रतिक्रियात्मक मन्तव्य ही उपस्थित किया, अतः सिद्ध होता है कि या तो आचार्य, भामहरीय परम्पराओं का अतिशय अनुरागी था, जिसके कारण उन्हें रुद्रट के 'नूतन-अभियान' का समादर नहीं किया अथवा आचार्य रुद्रट ही उनके युग तक प्रख्यात न हो सके थे, जिनके कि उनकी नवोन्नता तिरोहित रही ।

आनन्दवर्धन ने अप्रस्तुत प्रशंसा के तीन भेदों का निर्देश किया है -- सामान्य विशेष भाव, निमित्तनिमित्त भाव तथा सारूप्यमात्र भाव । चूंकि इस अलंकार में अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत प्रतीयमान का व्यंजनयावबोध होता है अतः निश्चित है कि उन दोनों के बीच या तो सामान्य विशेष भाव होगा या कार्यकारणभाव, या फिर सारूप्य (तुलाता) का भाव । किन्तु ध्वनिकार की मान्यता इन विषय में यह है कि अभिधीयमान अप्रस्तुत का जब प्रतीयमान प्रस्तुत से, सम्बन्ध होता है तो उन दोनों में 'समप्राधान्य' की ही स्थिति रहती है, अर्थात् वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ एक दूसरे के अतिशायी न होकर परस्पर समान स्थिति के वाले हो जाते हैं । फलतः व्यंग्यार्थ, प्रधान नहीं बन पाता, और इसी कारण 'अप्रस्तुत प्रशंसा' ध्वनि की कोटि में नहीं आ पाता । अतः निश्चित है कि जब तक वाच्यमात्रानुयायी व्यंग्य अप्रस्तुत० प्रमृति अलंकारों में अप्रधान रहता है तब तक वहां गुणभूतध्वनिमात्र होगी, ध्वनि नहीं ।

आचार्य अभिनव ने ध्वनिकार के उपर्युक्त त्रिधाविभाजन को और विस्तृत रूप दिया । प्रथम दो भेदों में चार पृथक्-उपभेदों की कल्पना तो स्वतः सम्भव थी ही, क्योंकि सामान्य विशेष तथा कार्य कारण, क्रमशः अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत बन जायेंगे ।

१- व्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यामात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः

स्फुटाः ॥ ध्वन्या० प्रथमो० ।

किन्तु आचार्य अभिनव ने प्राच्य कौटि को भी उन्मत्त चिह्नार किया है -- एक तो वह, जहाँ अप्रस्तुतवाच्य ने ही चमत्कार उत्पन्न हो तथा व्यंग्यार्थ वहाँ वाच्य के प्रति उन्मत्तमानता ही । अभिनव के अनुसार पहले चार भेद तथा यह चम भेद, ये पाँचों ही प्रतीकमानता अथवा व्यंजना से दूर हैं, इनमें व्यंग्य वाच्योपकारक अथवा गुणोद्भूत होता है, अथवा वाच्य के साथ उसका सम्प्रदान्य होता है, अतः 'ध्वनि' से वे सब के सब दूर हैं ।

किन्तु कृठं भेद में अभिनव प्रत्यज्ञातः 'वस्तुध्वनि' चिह्नार करते हैं, क्योंकि इसमें आक्षिप्यमाण प्रस्तुतार्थ ही चमत्कारकारि होता है, उदाहरणार्थ --

'भावव्रात हठाज्जन्य हृदयान्याक्रम्य गन्तव्यमंगामिर्विविधानिरात्महृदयं प्रच्छाय मन्त्राड ने ।

स त्वामाह जडं ततः हृदयमन्यत्वदुःशिक्षितो मन्येऽमुष्य जगत्पता स्तुतिपदं त्वत्सान्य-
मम्भावनात् ॥'

प्रस्तुत उदाहरण में एक ऐसे विदग्ध व्यक्ति का वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि जिसे लोक मुखतावशं जड कहता है किन्तु इतना होने पर भी उसका लोकोत्तर चरित (प्रस्तुत) व्यंग्यप्रतया प्राधान्येन प्रकाशित हो रहा है । उसका हृदय कोई जान नहीं पाता कि वह कैसा है ? तो इसका यह अर्थ नहीं कि वस्तुतः वह एक निकृष्ट कौटि का व्यक्ति है वरन् इसके यह तात्पर्य ध्वनित होता है कि वह महागम्भीर, अतिविदग्ध, सुष्ठुगर्वहीन, अतिशय-क्रीडाचतुर अथवा आचार्य उद्गुणोदय के शब्दों में -- 'अलोकसाधारणगुणशाली' है । इन्हीं गुणों के कारण लोक द्वारा उनके प्रति प्रयुक्त 'जडत्वोक्ति', पार्यन्तिकरूप में स्तुति रूप धारण कर लेती है ।

किन्तु एक तथ्य हमें यहीं समझ लेना चाहिए कि अप्रस्तुत प्रशंसा का यह उदाहरण जब ध्वनि का उदाहरण बनेगा तब अलंकार रूप में उसकी सत्ता पूर्णतः निरस्त हो जायगी । सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा था कि 'यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्धः तदाप्यप्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावेवान्तःपातः । इतरथा त्वलंकारान्तरत्वमेव ध्वन्यालोक प्रथमो० (अप्रस्तुत०प्रसंग) । आचार्य अभिनव ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि व्यंग्य-प्राधान्य होने पर, किसी भी रूप में अलंकारता सम्भव नहीं है । य

१- यद्विदग्धजनः । दिनात्यन्तासंभाव्यमानतदर्थविशेषणन अप्रस्तुतेन वर्णितेन प्रस्तुतमाक्षिप्य-
माणं चमत्कारकारि तदा वस्तुध्वनिरसौ -- लोचन अप्रस्तुत० प्रसंग ।

यदि हम ध्वनिव्यवस्थाएँ की दृष्टि से बस् देते तो उनका उपर्युक्त मत ठीक ही ज्ञात होता है, किन्तु प्रश्न तो यह है कि हम अप्रस्तुत प्रशंसा में स्थित उस ध्वनि का मुख्य क्या ध्वनि की ही दृष्टि में समझ सकते हैं अलंकार की दृष्टि से नहीं ? वस्तुतः ध्वनि का मूल्यांकन हमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की ही दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि जब तक सारूप्य निबन्धन तथा अप्रस्तुत वाच्य के प्रस्तुत व्यंग्य का व्यञ्जनावबोध स्पष्ट नहीं होती है तब तक तथाकथित व्यंग्यप्राधान्य का ही कोई उक्तता है ? अतः ध्वनि का उदाहरण करना, अप्रस्तुत के लिए एक महान गौरव तथा श्रेय की बात है । किन्तु अपना व्यक्तित्व छोड़कर केवल ध्वनि में ही विलीन हो जाना, यह स्वीकार करना, अटपटा-सा प्रतीत होता है । ध्वनि होने के अप्रस्तुत का व्यक्तित्व नहीं नष्ट होता, जैसा कि ध्वनिकार का अभिमत है, ठीक उसी प्रकार जैसे राजद पाने से किसी व्यक्ति का नाम, वंश, एवं वैशिष्ट्य, विनष्ट नहीं होता । आचार्य श्रीज्ञान ने समासोक्ति के लिए इसी दृष्टि से उद्गार व्यक्त किया है -- 'तस्मादिपुं गुणभूता अर्थान्तरं स्फुटयति न तु स्वार्थतन्त्रा । इयमेव चान्यैः ध्वनिरिति व्यवहियते । यदाहुः यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थोव्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति नूरिमिः कथितः ।'

(काव्यादर्श २।२०३ की व्याख्या, द० न०)

इस प्रकार आनन्दवर्धन एवं अभिनव द्वारा उपदिष्ट अप्रस्तुत प्रशंसा का यह षोढा विभाजन ही प्राचीनतम वर्गीकरण कहा जा सकता है । इसके पूर्व जैसा कि अन्य आचार्यों का स्कन्दकेशः परिशीलन करते समय देख चुके हैं, अप्रस्तुतप्रशंसा अपने स्कन्ध लक्षण में ही प्रायेण सीमित रही । दण्डी तथा मौज के वर्गीकरण भी कुछ हद तक यथार्थवेदी अवश्य हैं किन्तु उनमें वैज्ञानिकता तथा ठोस आधार का सर्वथा अभाव है । इस दृष्टि से ध्वनिकार का यह विवेचन अत्यन्त सुदृढ़ एवं टकसाली है । अभिनवकृत सारूप्यभेद का उभयथा व्याख्यान भी न केवल सैद्धान्तिक, अपितु व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उत्तमवर्गीकरण का परिचायक है ।

आचार्य कुन्तक के अप्रस्तुत प्रशंसा सम्बन्धी विचारों को समझने की पहली शर्त है कि हम उनका वक्रोक्ति सिद्धान्त हृदयंगम कर लें । क्योंकि कुन्तक के प्रामाण्यानुसार समस्त अलंकार समुदाय वाक्यवक्रता के ही परिणाम हैं । वाक्यवक्रता आचार्य द्वारा निर्दिष्ट कः वक्रताओं में से अन्यतम है । ग्रन्थ के तृतीयोन्मेष में शब्द एवं अर्थ की वक्रता का निर्देश करने के पश्चात् कुन्तक ने समष्टि रूप में शब्दार्थ (वाक्य) वक्रता का व्याख्यान

किया है । वाक्य वक्रता वा वाक्य प्रायः इस आभाणक से अनिम्न है "style is the man himself"। कुन्तक के अनुनार उलुनार-विचित्र तथा मध्यम मार्गों में विद्यमान शब्द, कर्ष, गुण एवं अलंकार सम्पत्ति (सौन्दर्य) से सर्वथा गृह्यभूत, एक विशिष्ट कथन परिपाटी या शैली ही जिसका प्राण है वहीं 'वाक्यवक्रता' है । जैसे किसी स्मणीय निधि पर अंकित चित्र के रंगों की सुन्दरता से भिन्न, चित्रकार का मनोहारी चित्र नैपुण्य कहा नहीं जा सकता, किन्तु एक रहस्यपूर्ण ढंग से दर्शक का दृष्टि-पथ आक्रान्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार 'वाक्यवक्रता' में कवि का सूत्रा व्यक्तित्व एक अनिर्वचनीय रूप में विद्यमान रहता है । उनका हम अनुभव कर भर कर सकते हैं, अभिव्यक्ति नहीं । कुन्तक के शब्दों में ही उस वक्रता का स्वरूप इस प्रकार है -- "तदिदमत्र तात्पर्यम् । यथा चित्रस्य किमपि फलकाधुपकरणकापव्यतिरेकि सकलप्रकृतपदार्थजावितायमानं चित्रकारकौशलं पृथक्त्वेन मुख्यतयोद्भासते, तथैव वाक्यस्य मार्गादिप्रकृतपदार्थगंधवतिरेकि कवि कौशललक्षणं किमपि सहृदयसंबन्धं सकलप्रस्तुतपदार्थस्फुरितभूतं वक्रत्वमुज्जृम्भते ॥"

--(वक्रोक्ति० तृतीयोन्मेष का०४ की वृत्ति)

वास्तुतः वाक्यवक्रता का मूलकारण या स्वरूप 'कविकौशल' मात्र है । कुन्तक की दृष्टि में 'कविकौशल' का बड़ा महत्त्व है, य इसी कारण पद वाक्य अथवा इनके एक देश में भी जो कुछ वक्रता या सौन्दर्य है, उन सब का कारण आचार्य 'कविकौशल' को ही मानता है । वक्रता से कुन्तक का तात्पर्य 'काव्य की रामणीयकता' सहजसौन्दर्य अथवा मंगीभरणिता से है जो कि कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का पवित्र परिपाक होता है^१ । काव्य का जीवितस्वरूप यह कवि कौशल रस, अलंकार अथवा स्वभाव (वर्ण्य विषय) किसी से भी सम्बद्ध हो सकता है, ऐसी कुन्तक की अपनी मान्यता है, किन्तु इन तानों में भी अलंकार को बिना कविकौशल के सम्भव नहीं है ही नहीं, क्योंकि स्वभाव (वर्ण्य विषय) तथा रस, दोनों ही बहुत कुछ 'अपनेपने' के ही कारण वैद्वि त्रयविधायक होते हैं । कुन्तक ने 'स्वभावोक्ति' को अलंकार न मानकर अलंकार्य ही

१- द्रष्टव्य, वक्रो० ३१३-४ ।

२- यस्मादाकल्पमैवेषां तावन्मात्रस्वरूपनियतनिष्ठतया व्यवस्थितानां स्वभावलंकरणवक्रता प्रकाराणां नवनवोल्लेखविलक्षणं चेतनकम्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेव समुज्जृम्भते । (वक्रो० ३१४ की वृत्ति)

स्वीकार किया है। इस विषय में उनका स्पष्ट धारणा है कि 'तथा चैतस्मिन् विषये
 अर्वाकारमलंकार्यं विलासवतीवपुनरपि ज्ञानसमयविरह-व्रतपरिग्रह-सुरतावसानादौ नात्यन्तम-
 लंकारणमहतां प्रतिपद्यते। स्वाभाविकसौकुमार्यैव रत्नहृदयाह्लादकारित्वात्' --वक्रो०
 ३।१ की वृत्ति। इस प्रकार निश्चित है कि स्वाभाविक सौकुमार्य में 'वयं' रत्नहृदया-
 ह्लादन की शक्ति होती है। इसी प्रकार विभावादि संयोग से निष्पन्न रम की भी
 रत्नहृदयाह्लादन शक्ति लोकविश्रुत है। किन्तु जहां तक अलंकारों का प्रश्न है, उनकी तो
 समस्त संघटना 'कविकौशल' पर ही निर्भर है। जब तक विदग्ध कवि की प्रतिभा में
 उल्लिखित भावों का उपनिबन्धन इन अलंकारों में नहीं होता तब तक वे रमोत्पन्नत्व के
 भाजन नहीं होते और न पाठक का हृदय ही आवर्जित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए
 यह पद्यांश देखें -- 'दुर्वाकाण्डमिव श्यामा तन्वी श्यामा लता यथा' इसमें 'कविकौशल' के
 सर्वथा न रहने के कारण केवल सादृश्य मात्र का उपनिबन्धन कोई चमत्कार विशेष नहीं
 उत्पन्न कर पा रहा है। किन्तु इसके विपरीत ऐसे भी पद्य हैं जो कवि की नूतन कल्पना
 के कारण मनोहारी लोकोत्तरविन्यसनविच्छिन्ति के कारण विशिष्ट शोभातिशयवाले, तथा
 तद्विदाह्लादकारी हैं, उदा० महाकवि कालिदास का उर्वशी मौन्दर्यवर्णनपरक 'अस्याः
 सर्गविधौ' आदि श्लोक।

इस प्रकार कुन्तक के अनुसार 'कविकौशल' के ही योग से अलंकारों का चमत्कार
 प्रतीत होता है और कविकौशलार्थीन होने के कारण ही अलंकारवक्रता के पृथक् सम्भव होने
 पर भी आचार्य ने उनका अन्तर्भाव 'वाक्यवक्रता' में किया है जो कि पदादिवक्रता से सर्वथा
 विलक्षण साथ ही साथ खसंख्य भेदों वाली हो सकती है। कुन्तक के अनुसार समस्त अलंकार
 वर्ग इसी अद्भुत 'वाक्यवक्रता' में अन्तर्भूत है।

आचार्य कुन्तक ने अप्रस्तुतप्रशंसा में 'प्रशंसा' पद को अर्थप्रकाशादिवत् (विपरीत
 लक्षणों से) प्रयुक्त किया है। इसका आशय यह है कि जैसे दर्शन में विज्ञानयुक्त आत्मा

१- यद्यपि रसस्वभावालंकाराणां सर्वेषां कविकौशलमेव जावितं तथाप्यलंकारस्य विशेषतस्त-
 नद-न दनुग्रहं विना वर्णनाविषयवस्तुनो भूषणाभिधायित्वेनाभिमतस्य स्वरूपमात्रेण
 परिस्फुरतो यथार्थत्वेन निबध्यमानस्य तद्विदाह्लादविधानानुपस्तेर्मानाम्नापि न
 वैचित्र्यमुत्प्रेक्षांमहे प्रचुरप्रवाहपतितेतरपदार्थसामान्येन प्रतिभासनात्। (वक्रो० ३।४ की वृत्ति)

२- वाक्यस्य वक्रमावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा ।
 यत्रालंकारवर्गाऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्मविष्यति ॥ (वक्रो० ३।४ की वृत्ति)

३- प्रशंसाशब्दोत्र अर्थप्रकाशादिवत् विपरीतलक्षणया वतते ।

हो प्रकाशयुक्त है और घटादि उदात्त अक्षर होने के कारण अप्रकाशयुक्त हैं किन्तु ज्ञान के समय आत्मा से सम्बद्ध होने के कारण 'अर्थप्रकाशित' होता है ऐसा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत अलंकार में भी अप्रस्तुत का जो निन्दा हो होता है प्रशंसा केवल प्रस्तुतार्थ को ही होता है जो वास्तुतः 'कविसंरम्भगोचर' है किन्तु विपरीतलक्षणमया हम 'अप्रस्तुत प्रशंसा' शब्द का व्यवहार करते हैं। कुन्तक का यह मत आचार्य दण्डी के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का ही अर्थन करता है।

कुन्तक के अनुसार जहाँ 'साम्य' अथवा अन्य किसी सम्बन्ध के आश्रय से अत्यभूतवाक्यार्थ अप्रस्तुत होकर भी प्रस्तुत अथवा वर्ण्यमान के सौन्दर्य को उत्पन्न करना हुआ वर्णनीयता को प्राप्त होता है उसे 'अप्रस्तुतप्रशंसा' अलंकार कहते हैं²। यदि पूर्वाचार्यों की दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्टतः प्रतीत होगा कि उक्त अलंकार का मुख्य लक्षण कुन्तक ने भामह एवं उद्भट से तथा सम्बन्ध की कल्पना आचार्य आनन्दवर्धन से ली है। किन्तु इतना होने पर भी कुन्तक का व्याख्यान स्वतः नवीन सा प्रतीत होता है।

कुन्तक की नवीनता का वरिष्ठ उदाहरण उनका 'प्रस्तुतविभाजन' है। प्रस्तुत अथवा प्रासंगिक जिसे वामनादि आचार्यों ने 'उमयपत्र' भी कहा है, अप्रस्तुत⁰ में सदा व्यंग्य होता है, साथ ही गाय कवि का 'लक्षण लक्ष्यभूत' होता है। आचार्य ने इसे उमयरूप बताया है एक तो वह जो वाक्य में अंतर्भूत पदों भर से ही ध्वनित होता है और दूसरा जो समस्तवाक्य में व्यापक कार्यरूप हो तथा नाना प्रकार के अपने स्वाभाविक सौन्दर्य से विभूषित हो। इसी उमयरूप प्रस्तुतप्रकाश को प्रतीयमान रूप में कल्पित करके कविगण अप्रस्तुत पदार्थान्तर को वर्णनीय बनाते हैं, क्यों? ताकि प्रस्तुत की विच्छिन्नि सम्पत्ति बढ़ सके। यह कार्य या तो साम्य अथवा सम्बन्धान्तर के आश्रय से पूर्ण होता है। 'साम्य' का तात्पर्य कुन्तक के मन्तव्यानुसार रूपकात्फलंकार में प्राप्त होने वाले तदुपकारी सम्पत्त्व से है। इसी प्रकार 'सम्बन्धान्तर' में आचार्य ने 'निमित्तमावादि' की गणना की है। 'आदि' शब्द ग्रहण करने की स्पष्ट ध्वनि यही है कि कुन्तक को 'ध्वनिकारोपदिष्ट' कार्यकारण तथा सामान्यविशेष सम्बन्धी विचार ज्ञात एवं स्वीकार थे। इतना ही नहीं, वरन् आचार्य

१-अप्रस्तुतोऽपि विच्छिन्निं प्रस्तुतस्यावतारयन् यत्र तत्साम्यमाश्रित्य सम्बन्धान्तरमेववा ॥२३

वाक्यार्थोऽसत्यभूतो वा प्राप्यते वर्णनीयतामप्रस्तुतप्रशंसति कथितासावलंकृतिः ॥२४

(वक्रोक्ति⁰ तृतीयोन्मेष)

द्वारा दिये गये अप्रस्तुत० के तीसरे उदाहरण 'इन्दुलिप्त इवांजनन' आदि में प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत के बीच स्पष्टतः विपरीतलक्षणा का निवन्धन किया गया है। इसे सिद्ध होता है कि 'सम्बन्धान्तर' द्वारा आचार्य कुन्तक ने ध्वनिभार आदि का अंश और भी अन्य सम्बन्धों को मान्यता दी थी। इस दृष्टि से अप्रस्तुत० के सैमान्तिक विकास में उन्होंने एक नवीन कड़ी संयुक्त किया यह निर्विवाद विषय है।

वास्तुतः साम्य स्व सम्बन्धान्तर का जो स्वरूप कुन्तक ने कल्पित किया है उसी अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याप्तिकेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जाता है क्योंकि 'गान्योपादान' से एक मूलक अलंकारों की अनेक कोटियां इसमें अन्तर्भूत हो जाती हैं (अगले अध्याय में इस विषय अव्यवसित रूप का विद्वान्त विस्तार निरूपित करेंगे) इसी प्रकार सम्बन्धान्तर की कल्पना में विपरीतलक्षणा, लक्षणा के अन्य प्रकार तथा कार्यकारणआदि भाव, सब अप्रस्तुत० के ही अंग बन जाते हैं। इसी कारण आचार्य ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है -- 'तदेवमप्रस्तुतप्रशंसाव्यवहारः कवीनामतिविततप्रपंचः परिदृश्यते। तस्मात् सदुपयोगी स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयः।' वक्रोक्ति० ३।२३ की वृत्ति।

परिभाषा में 'असत्यभूत' पद भी आचार्य ने आभिप्राय रखा है। पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने इस पद को अप्रस्तुत० के लक्षणा में स्थान नहीं दिया है। 'असत्यभूत' का आशय अप्रस्तुतपदा से है। कुन्तक ने 'कविसंरम्भगोचरत्व' की ही दृष्टि से अप्रस्तुतार्थ को असत्यभूत कहा है। क्योंकि अप्रस्तुत० में कवि की सारी शक्ति केवल प्रस्तुतार्थ के व्यंजन-याभिव्यक्त करने में रहती है। और सच बात तो यह है कि प्रस्तुतप्रकाशन ही कवि का स्फुमात्र विवक्षित कार्य होता है, अतः वही 'सत्य' भूत होता है। इसके विपरीत, अप्रस्तुतपदा, जिसका ग्रहण कवि, केवल प्रस्तुत(विवाक्षितार्थ) की शोभा बढ़ाने के लिए करता है, स्पष्टतः असत्यभूत है। अतः असत्य का आशय यहाँ अप्रस्तुतार्थ के अनाचित्यादि से न होकर, केवल गौण या अपेक्षाकृत सदुपयोगी न होने से है।

चतुर्थ अध्याय
-0-

वन्धोक्ति का सैद्धान्तिक विकास

(मम्मटोत्तर-युग)

चतुर्थ अध्याय

-0-

अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विकास

(मम्मटोत्तर-युग)

ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन तथा उनके प्रबल समर्थक, श्री अभिनव गुप्त पाद ने सर्वप्रथम अन्योक्ति का विभाजन प्रस्तुत किया। इस तथ्य का निर्देश तृतीय अध्याय में किया जा चुका है। आचार्य कुन्तक ने भी, शब्दशः तो नहीं; किन्तु भावनाया ध्वनिकार के ही मत का समर्थन किया, क्योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा के विधायक अंगों के बीच में, साम्यादि-सम्बन्ध की कल्पना का स्पष्ट संकेत उसी ओर है। अभिनव प्रणीत लौचन में इस विभाजन का स्पष्टतर, उल्लेख भी प्राप्त होता है, जहाँ पर कि आचार्य ने 'सारूप्य-निबन्धना' अप्रस्तुतप्रशंसा की भी उभयथा प्रवृत्ति, प्रस्तुत की है। किन्तु इन समस्त, प्रकृततिथियों की पूर्णिमा, ग्यारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में प्रणीत, आचार्य मम्मट की यशःकृति 'काव्यप्रकाश' में ही प्रकाशित हुई, जब कि अन्योक्ति ने अपना बृहत्तम स्वरूप धारण किया।

इंशा की (तीसरी शती से लेकर तेरहवीं तक, काश्मीर-प्रदेश, विद्याविच-
क्षण, काव्यालंकार-विवेचक, रीत्यात्मवादी, रसध्वनिप्राधान्यवादी, सहृदय
पण्डितोत्तम आचार्यों तथा उस विद्या के अध्यक्ष-अध्यापन में निरन्तर व्यापृत, बहुकृत
मनीषियों से मरा रहा। मामह, उद्दमट, बामन, आनन्दवर्धन, शंकु, लोल्लट,
मट्टनायक, अभिनव, कुन्तक तथा महिममट्ट जैसे, महामहिम आचार्यों ने, असंख्य
आत्मोपज्ञ अर्थों को अध्येयपरम्परा में ला रखा, और तमी वे अर्थ रस-अलंकार-गुण-
रीति तथा ध्वनि शरीरे सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रयुक्त स्व विवेचित होने लगे। काव्य-
मोक्षी प्रवर्तक, इन्हीं आचार्यों के ग्रन्थों में निविष्ट, अर्थों का पुनसंग्रह मम्मटाचार्य

ने ग्यारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में, परिष्कृत एवं सुगमशैली में, अपने ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' में 'ब्रह्म सूत्रन्यायन' किया। मम्मट की इसी, मधुकर वृत्ति के परिणाम स्वरूप, काव्यप्रकाश तब से लेकर आज तक, एक सुव्यवस्थित ग्रन्थ के रूप में आकर प्रतिष्ठित रहा।

किन्तु अलंकार-शास्त्र का ऐतिह्य, इस रहस्य का साक्षी है, कि मम्मट के किञ्चित्पूर्व अथवा ज्येष्ठ समसामयिक, एक और प्रख्यात आचार्य थे, जिनकी काव्य-शास्त्रीय विद्वत्ता ही, सम्भवतः मम्मट के लिए प्रेरक शक्ति बनी और जिसके कारण ही वे 'वाग्देवतावतार' बन सके -- वह आचार्य थे -- राजानक तिलक, जिन्हें हम अलंकारसर्वस्वकार राजानकरुय्यक के पिता तथा उद्भटालंकार के टीकाकार रूप में जानते हैं। उद्भटतीय ग्रन्थ की दो प्रामाणिक टीकारं प्रचलित हैं -- एक तो प्रतिहारेन्दुराज कृत लघुवृत्ति तथा दूसरी राजानकतिलक कृत 'उद्भटविवेक'। इनमें से प्रथम टीका का प्रकाशन श्री बनहट्टी महोदय ने पूना नगर से सन् १९२५ में किया तथा दूसरी का प्रकाशन श्री रामस्वामी शास्त्री ने, बड़ोदा से सन् १९३१ में किया। राजानक तिलक प्रणीत टीका, जो बनहट्टी महोदय के उपर्युक्त प्रकाशन के समय ही, केरलीय पण्डित श्री नारायण नम्बूदरीपाद के घर प्राप्त हो चुकी थी, के विषय में उक्त लेखक का स्पष्ट मत है कि वह राजानक प्रणीत तथाकथित टीका नहीं है। डा० सुशीलकुमार डे के विचार भी कुछ ऐसे ही भावों के द्योतक हैं। किन्तु विद्वान् सम्पादक श्री रामस्वामी शास्त्री के प्रबल प्रमाणों से, विरोधी विचार निरस्त हो जाते हैं। क्योंकि, रुय्यक के टीकाकार आचार्य जयरथ ने, किमर्शिनी टीका में दो

१- From this we can decide that the author of this उद्भटालंकार-विवृति-came after Mammata, although how long after, we have at present no means to decide. The writer mentions by name उद्भट,भामह,रुद्रट and वामन but not मम्मट. We are not inclined to think that he must have lived shortly after Mammata. The उद्भटालंकार विवृति is evidently a distinct work from उद्भटविवेक or विचार of RajanakaTilaka mentioned by Jayaratha. (Introduction.)

२- That this anonymous commentary is evidenced not only by its content but also by its citations of राजशेखर's Viddhashalabhanjika as well as by its obvious appropriation of Mammata's standard work. Its value as an exegetical work cannot be placed too high. History of Sans. Books 277.

किन्तु डा० डे के द्वारा तिलककृत टीका को नवीन सिद्ध करने के लिए राजशेखर का प्रमाण देना, कोई समातिपूर्ण तर्क नहीं, क्योंकि उद्भट के प्राचीनतम टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज भी प्रायः राजशेखर के परवर्ती ही हैं। इसके अतिरिक्त जो तर्क लेखक ने आचार्य मम्मट के पक्ष में व्यक्त किया है, वही तिलक के बारे में भी कहा जा सकता है।

बार 'उद्भटविवेक' तथा तीन बार उसके कर्ता 'तिलक' का स्मरण किया है। स्मरण करते समय आचार्य ने तिलक का आशय भी शब्दों में व्यक्त किया है। ये आशय, क्रमशः आक्षेपार्थक्य तथा अन्य दो स्वतन्त्र प्रसंगों से सम्बद्ध हैं, जो कि अविकल रूप में जैसे-कैसे, प्रस्तुत टीका में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त टीकाकार की विद्वत्ता ही अकेले, उन्हें राजानक तिलक से अभिन्न सिद्ध करने में समर्थ है। पुनरुक्तवदाभास, उपमा दोष वियुक्तोपमा लक्षणपरिष्करण, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, प्रेय, पर्यायोक्त तथा सन्देहसंकर अलंकारों के प्रसंग, जहाँ राजानक तिलक, प्रतीहारैन्दु की व्याख्या से बहुत दूर, विद्वत्ता की दृष्टि से बहुत सूक्ष्म तथा क्लिष्ट हो जाते हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि वह कोई साधारण टीकाकार नहीं। पुनरुक्तवदाभास, लाटानुप्रास, रूपक, दीपक, उपमा, प्रेयस्वत्, संकर तथा काव्यलिंग के प्रसंग में तिलक द्वारा लघुवृत्तिकार श्री प्रतीहारैन्दु राजा का मौन किन्तु मरपूर खण्डन भी उनके तिलकत्व का ही साक्ष्य है।

राजानक रुय्यक ने अपने ग्रन्थ 'सहृदय लीला' में राजानक तिलक को अपना 'पिता' कहा है -- समाप्त्यं सहृदयचमत्कारिणी सहृदयलीला । कृतिः श्रीमद्विपश्चिद्वरराजानकतिलकात्मजश्रीमदालंकारिकसमाजाग्रगण्य श्रीराजानकरुय्यकस्य राजानकरुचकापरनाम्नोऽलंकारसर्वस्वकृतः (काव्यमाला, पंचम गुच्छक) इसके अतिरिक्त, जयरथ द्वारा निर्दिष्ट तथा मम्मट कृत काव्य प्रकाश की आत्मकृत टीका 'संकेत' के द्वितीय श्लोक में स्वयं रुय्यक द्वारा स्वीकृत, उनका 'तिलकादधीतसाहित्य-विद्वत्त्वं' भी इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि राजानक तिलक तथा मम्मट दोनों ही रुय्यक के पूर्ववर्ती हैं। श्रीकण्ठचरित महाकाव्य के प्रणेता तथा काश्मीर नरेश जयसिंह (सन् ११२८- ४६) के 'सान्धि-विग्रहिक' श्री मंसक कवि, रुय्यक को अपना गुरु स्वीकार करते हैं --

तं श्री रुय्यकमालोक्य स प्रियं गुरुमग्रहीत् ।

सौहार्दप्रश्नरसप्रोतस्सम्भेदमेज्जनम् ॥

-- श्रीकण्ठ० २५।३०

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि, महाराज जयसिंह के शासनकाल की दृष्टि से, रुय्यक का समय भी बारहवीं शती का प्रथम चतुर्थांश, तथा उनके पिता श्री तिलक का भी समय लगभग २५ वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १०७५ से ११२५ के बीच का

होना चाहिए । इधर, आचार्य मम्मट भी, काव्यप्रकाश (१०।२६) में, उदात्तालंकार के उदाहरण श्लोक में महाराज भोज का स्मरण करने के कारण, उनके परवर्ती, अर्थात् सन् १०५४ ई० (भोज के शासन की चरम सीमा) के बाद के ही सिद्ध होते हैं । ऐसी दशा में तिलक एवं मम्मट की समसामयिकता, को किसी प्रकार भी अमान्य नहीं किया जा सकता । प्रश्न यह है कि इनमें से पूर्ववर्ती है कौन ? श्री ब्रह्मटी महोदय तथा डा० डे की धारणा ऊपर दी जा चुकी है । किन्तु अन्तरंग साद्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समकालीन होते हुए भी तिलक, मम्मट से कुछ समय पूर्व के ही रहे होंगे । श्री रामस्वामी जी ने, उद्दमटालंकार की प्रस्तावना में इस विषय पर यथेष्ट सामग्री स्कत्रित की है । इस विषय में, उनके समस्त तर्कों से व्यतिरिक्त, एक नवीन साध्य का निर्देश कर देना उचित ही होगा, वह यह कि अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का विभाजन दोनों ही आचार्यों ने किया है । और जहाँ तक, सामान्य-विशेष, कार्यकारण, तथा सारूप्य, इन तीन सम्बन्धों का प्रसंग है, दोनों आचार्य समान हैं किन्तु सारूप्य के प्रसंग में राजानक तिलक ने केवल एक भेद को ही प्रस्तुत किया है, जब कि मम्मट उसके द्वः भेद देते हैं । इससे यह भले न सिद्ध हो कि विकास-क्रमानुसार, मम्मट तिलक के परवर्ती हैं, किन्तु यह अवश्य सिद्ध होता है कि यदि तिलक मम्मट के परवर्ती होते या काव्यप्रकाश, अपनी टीका के पूर्व ही पढ़ सके होते तो अवश्य ही इन भेदों के पक्ष या विपक्ष में कुछ कहते, जैसा कि मम्मट के बाद ही, राजानक रूय्यक ने उनका यथेष्ट अनुकरण किया है ।

सारांश यह है कि दोनों ही आचार्यों का विस्फूर्जनकाल ग्यारहवीं शती का उत्तरार्द्ध ही है । किन्तु तिलक तथा उनका उद्दमट विवेक दोनों ही, मम्मट एवं उनके काव्यप्रकाश में किंचित् ज्येष्ठ हैं । यह भी सम्भव है कि मम्मट ने तिलक की टीका अथवा उनके अन्य ग्रन्थों का विमर्श किया हो, जो कि स्वयं तिलक द्वारा संकेतित, किन्तु अप्राप्त है^१ । दोनों आचार्यों की परस्पर वार्ताभिन्नता के ही कारण उनकी कृतियों में अधिकांश समान अभिप्राय, एकमत्य अथवा अनुवदन प्रतीत होता है ।

१- विशेषोक्ति के प्रसंग में, जयरथ द्वारा निर्दिष्ट, तिलक का एक व्याख्यान, उद्दमट विवेक में नहीं मिलता, अतः निश्चित है कि वह व्याख्यान तिलक प्रणीत किसी अन्य ग्रन्थ में था ।

अतः निश्चित है कि तिलक ने सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया और बाद में मम्मट ने उन्हीं के द्वारा कहे गये, अविरुद्ध अर्थों को संगृहीत करके अपने ग्रन्थ को अनुप्राणित किया और समान तथ्यों में, एक ही रूप के वाक्यों तथा उदाहरणों की योजना की। क्योंकि इस प्रकार का वाक्यानुवाद-प्रदाय, हेमचन्द्र माणिक्य-चन्द्र तथा रुय्यकादि के ग्रन्थ में भी प्राप्त होता है। किन्तु केवल इस अनुवाद के ही आधार पर हम बिना गम्भीर विचार किये, किसी आचार्य के विषय में, काल सम्बन्धी कोई विशिष्ट-निर्णय नहीं दे सकते। जहां तक, परस्पर नाम लेने का प्रश्न है, उसके विषय में भी हम कोई नियामक धारणा नहीं बना सकते। संस्कृत-साहित्य इस माने में अत्यन्त शिथिल है। इन्में जहां बाणभट्ट, बिल्हण तथा जगन्नाथ जैसे कवि एवं आचार्य अपना विस्तृत परिचय, ग्रन्थों में देने वाले हैं, वहीं कालिदास, दण्डी तथा उद्दमटादि जैसे चुप्पी साधने वाले भी हैं और बहुमत भी मौनव्रतियों का ही है। अतः जैसे महाराज जयापीड के ही शासन में समाजित, उद्दमट एवं वामन एक दूसरे का नाम, अपने ग्रन्थों में नहीं ले सके, ठीक उसी प्रकार तिलक एवं मम्मट भी। अस्तु--

पिछले अध्याय में, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अन्योक्ति का सर्वप्रथम वर्गीकरण ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने ही किया। उनके पूर्व, अप्रस्तुत प्रशंसा अथवा अन्योक्ति के रूप में उसका केवल एक ही भेद आचार्यों द्वारा व्याख्यात होता रहा। यही तथ्य आचार्य उद्दमट के भी विषय में सत्य है। किन्तु टीकाकार तिलक ने उद्दमट प्रदत्त परिभाषा की व्याख्या में, ध्वनिकार कृत वर्गीकरण का पुनर्व्याख्यान प्रस्तुत किया। सम्भवतः इसकी प्रेरणा उन्हें, 'ध्वन्यालोक तथा लोचन' में स्थित आनन्द तथा अभिनव के व्याख्यानों से ही मिली। अन्यथा, पूर्वटीकाकार प्रतीहारेन्दु राज ने केवल उद्दमटीय कारिका का खण्डान्वय करने के अतिरिक्त, कोई नवीन तथ्य व्यक्त नहीं किया है। सामान्य दृष्टि से देखने पर भी प्रतीहारेन्दुराज में, तिलक जैसी आलोचनात्मक दृष्टि का सर्वथा अभाव है।

यह अवधेय तथ्य है कि ध्वनिकार ने, अप्रस्तुतप्रशंसा का केवल वर्गीकरणमात्र प्रस्तुत किया है न कि सोदाहरण व्याख्यान। यह कार्य तो उनके व्याख्याता अभिनव ने ही किया। अभिनव का समय, उन्हीं के प्रमाणों के अनुसार लगभग ६५० से १०२०ई० तक स्वीकार किया जाता है। अतः यह भी सम्भव है कि वे महाराज मोज के समकालिक रहे हों। इस दशा में स्पष्ट है कि राजानक तिलक का साहित्यिक जीवन

अभिनव के अत्यन्त समीप का है । यह सामीप्य यद्यपि अभिनव की चरम तिथि (सन् १०२०) तथा तिलक की प्रारम्भ तिथि (सन् १०७५) के आधार पर, ५० वर्षों के और क़ौर पर है । किन्तु जब कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त है, तब इसे कम से कम पन्द्रह बीस वर्ष की भी दूरी पर स्थिति किया जा सकता है, क्योंकि सम्भव है कि तिलक और पहले उत्पन्न हुए हों अथवा आचार्य अभिनव ही अधिक समय तक जीवित रहे हों । वस्तुतः अभिनव-मोज-घनिकघनंजय-महिममट-ज्ञानेन्द्र तथा तिलक, इन समस्त आचार्यों का समय परस्पर मिला हुआ है, भले ही उन्होंने एक-दूसरे को स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया ।

इसका अर्थ यह है कि तिलक, आचार्य अभिनव से उतने प्रभावित नहीं हो सके थे, जितना कि काव्य प्रकाशकार । क्योंकि तिलक के युग तक अभिनव की विद्वत्ता कुछ संकुचित-सी रही और इसी कारण अप्रस्तुत प्रशंसा के व्याख्यान में, अभिनव का जो प्रभाव मम्मट पर है, वह तिलक पर नहीं । अभिनव द्वारा उदाहरण, अप्रस्तुतप्रशंसा के श्लोकों में से तिलक ने एक भी उदाहरण अपने व्याख्यान में सम्मिलित नहीं किया है, जब कि मम्मट ने तीन उदाहरण राजानक तिलक से तथा स्क आचार्य अभिनव गुप्त से उद्धृत किया है । सारूप्य-निबन्धना का चूंकि तिलक ने स्क ही स्वरूप स्वीकार किया है, जब कि मम्मट ने उसके कई उद्यमेद माने हैं, अतः आदान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । तिलक ने आचार्य उद्मट द्वारा दिये गये मूल श्लोक में ही सारूप्य निबन्धन का निर्देश किया है । इस आदान-प्रदान से भी तिलक एवं मम्मट के पौर्वापर्य पर प्रकाश पड़ता है । वस्तुतः अभिनव एवं तिलक के पूर्ववर्ती होने के कारण आचार्य मम्मट को उदाहरण श्लोक चुनने की पूरी स्वतन्त्रता थी और इसी कारण मम्मट^{को} जिस आचार्य का जो अंश पसन्द आया, उसे बिना किसी 'ननु नच' के स्वीकार कर लिया, अन्यथा अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का सदुपयोग किया । सारूप्य निबन्धना के लिए राजानक तिलक भी पूर्वाचार्यों की मांति, उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं -- 'एषा च सरूपे प्रस्तुते सरूपस्याभिधाने' किन्तु आचार्य मम्मट ने परिभाषा में 'तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्य' तथा उदाहरण में 'तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने' कह कर 'सादृश्य' को उसके तीन स्रोतों में से अन्यतम स्वीकार कर दिया है । मम्मट के अनुसार तुल्य प्रस्तुत रहने पर तुल्याभिधान तीन प्रकार से सम्भव है -- श्लेष द्वारा,

समासोक्ति द्वारा तथा सादृश्य द्वारा । 'सरूप एवं सदृश' शब्द प्रायः एक ही भाव के द्योतक हैं --व्युत्पत्ति की दृष्टि से और भी प्रवृत्ति की भी दृष्टि से। इसी कारण अभिनव ने सारूप्य का जो विभाजन, वाच्यानुगामी व्यंग्य तथा ध्वनि के रूप में किया है, और मम्मट ने 'तुल्यनिबन्धन' का जो विभाजन प्रतीयमानार्थानध्यारोप आदि तीन रूपों में किया है, उनमें तात्त्विक साम्य है । किन्तु श्लेष एवं समासोक्तिगत सारूप्य जो कि मम्मट के विभाजन में ही प्राप्त होता है तथा जो कि उनकी तुल्य-निबन्धना अप्रस्तुत० का ही एक अंगमात्र है । अभिनव तथा तिलक के व्याख्यान में बिलकुल अनुपस्थित हैं । ऐसी स्थिति में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आचार्य मम्मट की तुल्य निबन्धना अप्रस्तुत०, व्याप्ति की दृष्टि से अभिनवादि की सारूप्य-निबन्धना से बड़ी है । किन्तु चूंकि प्रसिद्धि, 'सारूप्य' शब्द की ही है, अतः मम्मटोत्तर युगीन आचार्यों की उपलब्धियों के आधार पर, आगे भी इसी शब्द का प्रयोग किया जायेगा ।

आचार्य मम्मट ने अन्योक्ति का बृहत्तम स्वरूप व्यवस्थित किया । 'बृहत्तम' संज्ञा देने का मूल अभिप्राय अन्योक्ति के उन समस्त भेदोपभेदों की समवायस्थिति से है, जो पृथक् रूप से उसके सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही पक्षों के व्यवस्थापक थे । किन्तु आचार्य मम्मट ने अपने तद्विषयक विवेचन को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के ही ध्येय से उन समस्त भेदों को एकसूत्र में ग्रथित कर दिया । पिछले अध्याय में भी इस रहस्य का उद्घाटन किया जा चुका है कि लौकिक दृष्टि से अन्योक्ति, के प्रथम चार भेद, जो कि कार्यकारण एवं सामान्यविशेष सम्बन्धों से युक्त हैं, प्रायः शास्त्र अथवा उन काव्यों के प्रतिपादों से सम्बद्ध हैं जिनकी रचना कवि, पूर्वाग्रह अथवा किसी विशिष्ट अभिप्रायवश करता है । उसे जानबूझ कर ऐसी शब्दार्थ-संघटना करनी पड़ती है ताकि उसमें कार्यादि प्रस्तुत बन सकें । किन्तु सारूप्य-निबन्धन, लोक-जीवन का प्रतीक होने के कारण ही या तो निष्प्रयास अथवा अत्यल्प प्रयास मात्र से सिद्ध हो जाता है । मानव जीवन की विविध अनुभूतियों का स्फुट निबन्धन करने में कवि को न तो कोई पूर्व योजना ब्रानी पड़ती है और न तो विशिष्ट अभिप्राय दिखाने के लिए तदनुकूल भावार्थ संघटना । वस्तुतः सारूप्य निबन्धना अन्योक्ति ही अत्यन्त प्राचीन काल से मुक्तकों के रूप में व्यक्त होती रही है न कि कार्यादि निबन्धना ।

क्योंकि कार्यादि निबन्धना अन्योक्ति केवल प्रबन्धों में ही प्रयुक्त हुई है, उपमा, दीपक, यमक आदि की भांति । इससे यह भी स्पष्ट है कि ऐसा करने में कवि गण प्रायः अन्योक्ति का अलंकार पदा ही संजोते रहे हैं न कि उसका व्यवहार अथवा काव्य पदा । इसके विपरीत जब-जब कवियों ने 'अन्योक्ति' को उसके आलंकारिक पदा से दूर कर स्वयं काव्य रूप में व्यक्त किया है, तब तब उस अन्योक्ति काव्य में अन्य अलंकार भी स्वतन्त्र गति से प्रयुक्त होते रहे हैं । सारांश यह है कि आचार्य मम्मट के युग में 'अन्योक्ति' पूर्णतः अपने दुहरे स्वरूप में काव्य तथा लोक के बीच प्रकट हुई । अन्योक्ति का प्रथम व्यक्तित्व अलंकार रूप था और चूंकि अलंकार काव्य के शोभाघायक तत्त्व हैं, अतः अन्योक्ति भी, कवियों द्वारा रघुवंशादि महाकाव्यों में प्रयुक्त होकर उनकी शोभातिशायिनी बनी । किन्तु इस परिस्थिति में, उसके 'कार्यकारण एवं सामान्यविशेष निबन्धन ही प्रायः प्रयुक्त हुए । अन्योक्ति का दूसरा व्यक्तित्व स्वयं 'काव्य' रूप था और चूंकि काव्य अलंकार्य होता है अतः अन्योक्ति भी कवियों द्वारा मुक्तक काव्यों में प्रयुक्त हुई और इतरेतर अलंकार उसके शोभायक तत्त्व बने । इस परिस्थिति में सारूप्य निबन्धन ही अन्योक्ति काव्य का शरीर बना । एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा --

‘विधिरेव विशेषगर्हणीयः कर्तृ त्वं रट कस्तवापराधः’

सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥

प्रस्तुत पद्य में कोई व्यक्ति ब्रह्मा की निन्दा के बहाने, साथ ही साथ तन्निर्मित काक निन्दा द्वारा, उस प्रस्तुत विद्वान् प्रभु की निन्दा कर रहा है जिसने कि बिना किसी विवेक के एक मूर्ख व्यक्ति को विद्वान् के समकक्ष अभिषिक्त कर दिया है । कुवल्यानन्दकार आचार्य अप्पय्य दीक्षित के मन्तव्यानुसार यहाँ 'व्याजनिन्दा' अलंकार है । किन्तु प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत में सारूप्यनिबन्धन की परिपाटी देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उदाहरण अन्योक्ति का है । स्वयं आचार्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं --

‘एवं च व्याजनिन्दाभूलकव्याजनिन्दा रूपेयमप्रस्तुतप्रशंसा इति क्तकारातिशयः ।

एवमेव व्याजस्तुतिभूलकव्याजस्तुतिरूपाप्यप्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते -- कुवल्यानन्द, व्याज० प्रकरण । कुवल्यानन्दकार द्वारा व्याख्यात, तुल्ययोगिता, असम्मव, सम, पर्याय, विकस्वर, ललित, प्रहर्षण, विषादन, उल्लास, अवज्ञा, लेश तथा आंशिक रूप से गूढोक्ति प्रमृति

समस्त अर्थालंकार वस्तुतः प्रतिपाद्य की दृष्टि से, काव्य रूप अन्योक्ति की ही शोभा बढ़ाते हैं । इसी प्रकार आचार्य भट्टदेवशंकर (सन् १७६५) तथा नवीन आचार्य श्रीकृष्ण ब्रह्मन्त्र परकालसंयमीन्द्र ने, स्वतन्त्ररूप से अपने ग्रन्थे अलंकारमंजूषा तथा अलंकार-मणिहार में अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्लेष, समासोक्ति, अवज्ञा आदि अलंकारों को अन्योक्ति का उत्थापक स्वीकार किया है । अध्यायान्त में, इन्हीं अलंकारों से अन्योक्ति का सम्बन्ध, स्पष्ट करते समय, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

अन्योक्ति में वाच्य अप्रस्तुत से गम्य प्रस्तुत का व्यंजनयावबोध होता है । वस्तुतः प्रस्तुतावबोध की यह प्रक्रिया प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के बीच में स्थित कुछ विशिष्ट सम्बन्धों के ही कारण सम्पन्न होती है । इन सम्बन्धों की तीन कोटियाँ हैं -- कार्यकारण सम्बन्ध, सामान्यविशेष सम्बन्ध तथा सारूप्य सम्बन्ध । इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर आचार्य अभिनव ने मामहीय अप्रस्तुत प्रशंसा के लक्षण में स्थित 'सा चैवं कथ्यते यथा' के स्थान पर 'सा त्रिधा परिकीर्तिता' पाठ स्वीकार किया था । चूंकि प्रथम दोनों सम्बन्ध दो-दो विषयों से संयुक्त हैं, अतः उनका स्कैकशः निबन्धन करने पर अन्योक्ति के कुल पांच भेद बनते हैं -- कार्यनिबन्धना, कारण-निबन्धना, सामान्यनिबन्धना, विशेषनिबन्धना तथा सारूप्यनिबन्धना । इन्हीं पांच प्रकारों को मम्मट के तीनों पूर्वाचार्यों ने (आनन्दवर्धन, अभिनव तथा तिलक) भी स्वीकार किया था, और रूम्यकादि परवर्ती आचार्यों ने भी, इन्हीं तीन सम्बन्धों तथा पांच भेदों को मान्यता दी ।

कारणनिबन्धना अन्योक्ति का उदाहरण, आचार्य मम्मट ने अमरुशतक (पद्य१०) से प्रस्तुत किया है । प्रिय, विदेश जाने के लिए उद्यत होता है । किन्तु प्रियतमा की अविरल अश्रुधारा, और उसके द्वारा सूचित उसका मावी मरणोत्साह, उसका कार्यक्रम मंग कर देते हैं । कोई परिचित मित्रनायक से पूछ बैठता है, कि अरे, तुम तो परदेश जा रहे थे ? लौट क्यों आए ? यहां मित्र द्वारा किया गया प्रश्न ही कार्यरूप है, तथा जिस परिस्थिति के वशीभूत होकर नायक विदेश नहीं जा सका, वही परिस्थिति कारण है । कवि, इसी कारण का निबन्धन, पद्य में शब्दशः करता है --

याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिन्तात्वया मत्कृते नो कार्या नितरां कृशासि
कथयेत्येवं सवाष्ये मपि ।

लज्जमन्थरत्तास्केण निपतत्पीताश्रुणा चञ्जुषा दृष्ट्वा मां हस्तिन माविमरणोत्साह-
स्तया सूचितः ॥

प्रस्तुत पद्य में मित्र द्वारा, प्रस्थान निवर्तन का कारण पूछने पर, नायक कारण रूप में, पत्नी का वृत्तान्त उपस्थित करता है । किन्तु अवधेय तत्र यह है कि कवि की दृष्टि से नायक द्वारा वर्णित यह समस्त पद्य अप्रस्तुत है जो कि कविसंरम्भगोचर है नहीं है । वस्तुतः कवि का लक्ष्य, इस पद्य से यह व्यंजना कराने में है कि 'किसी सहृदय मित्र ने नायक से लौट आने का कारण पूछा । अतः 'गमननिवृत्तिहेतु' का पूछना ही इस पद्य में प्रस्तुत साथ ही साथ गम्य है तथा गमननिवृत्तिहेतु अप्रस्तुत, साथ ही साथ प्रशंसित अथवा वर्णित है । इसी प्रकार कारण निबन्धना, जो कि अभिधयावाच्य है, अप्रस्तुत होने के ही कारण, अभिधा मात्र में पर्यवसित न होकर उपर्युक्त कार्यरूप व्यंग्य में पर्यवसित होती है, क्योंकि वही प्रस्तुत है । किन्तु यह व्यंग्य, ध्वनिकार के अनुसार वाच्योपस्कारक ही होने के कारण 'ध्वनि' रूप नहीं बन पाता । अतः 'गुणीभूत व्यंग्य' ही बन पाता है। अतः

अन्योक्ति की इस कौटि में चूंकि कारण रूप अप्रस्तुत का वचन अर्थात् अभिधया प्रतिपादन होता है, अतः इसी कारण इसे कारणनिबन्धना कहा जाता है । यद्यपि उक्त श्लोक के प्रस्तुतांश में प्रयुक्त 'किम्' शब्द सामान्य दृष्टि से कारण पूछने का ही चिह्न है, किन्तु जैसा कि प्रदीपकार महामहोपाध्याय श्री गोविन्द ठक्कर ने निर्देश किया है, यहां वह कारण के प्रस्तुत होने का प्रमाण नहीं बन सकता । इसका अर्थ यह हुआ कि आचार्य द्वारा कहा गया 'किमिति निवृत्तोऽसि' वाक्य प्रस्तुत कार्य का ही सूचक है । अतः उसमें प्रयुक्त 'किम्' शब्द को कारण का सूचक मानकर पूछे जाने के कारण ही, हमें कारण को 'प्रस्तुत' नहीं मानना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर होने के कारण 'याताः किन्न मिलन्ति' आदि को भी प्रस्तुत की प्रशंसा नहीं समझनी चाहिए । क्योंकि 'प्रस्तुत' तो यहां कार्य रूप है जो कि उक्त वाक्य के माध्यम से आचार्य द्वारा व्यक्त किया गया है और 'किम्' शब्द भी केवल प्रश्नसूचक है, कारण सूचक नहीं । प्रदीपकार का मत 'किं शब्दः प्रश्नार्थ इति न कारणप्रस्तावः' इसी तथ्य की पुष्टि करता है । कार्यकारण को ही स्पष्ट करते हुए अन्य टीकाकार नरहरि सरस्वतीतीर्थ का निर्णय इस विषय में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है -- 'प्रश्न द्वारा कार्यप्रस्तावे प्रस्थानस्य निर्णयित्वात्कारणं मरणोपक्रमसूचना-रूपमभिहितम् इत्यर्थः' (बालचित्तानुराजिनी) ।

अन्य तीनों ही निबन्धनों में, इसी परिपाटी का आश्रय लिया जाता है । अर्थात् कार्यनिबन्धना में कार्य अप्रस्तुत वाच्य, तथा कारण प्रस्तुत व्यंग्य होता है ।

सामान्यनिबन्धना में सामान्य अप्रस्तुत वाच्य तथा विशेष प्रस्तुत व्यंग्य होता है । ठीक इसी प्रकार विशेषनिबन्धना में विशेष अप्रस्तुत वाच्य तथा सामान्य प्रस्तुत व्यंग्य होता है । सभी व्यंग्य-प्रस्तुत ही कवि के लक्ष्यभूत होते हैं, किन्तु या तो वे वाच्यार्थ के उपस्कारक मात्र होने के कारण अथवा सम्प्राधान्यस्थिति के कारण, ध्वनिरूप न बनकर, गुणीभूत व्यंग्य ही होते हैं ।

बलवान नरेश की अभियान सूचना पाते ही, निर्बल नरेश राजधानी छोड़कर सपरिवार जंगल में भाग जाता है । इधर, अन्तःपुर में पाला गया क्रीडाशुक पिंजरे में अकेला रह जाता है । कोई बटोही, उसे भूख-प्यास से तड़फड़ाता देखकर ज्यों ही लौहशलाका से मुक्त करता है कि वह उड़कर, जनशून्य वलमी में पहुँच जाता है और चित्रस्थ राजा, देवी, राजदारिका, कुब्जा तथा कुमारादि को जीवित मान कर, उन्हें अपने प्रति बर्ती गई निष्चुरता का उलाहना देता है । कार्यनिबन्धना का यह उदाहरण देखिए --

राजन् राजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः कुब्जे
मोजय मां कुमारसचिवैर्नाथापि किं मुज्यते ।
इत्थं नाश ! शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽ ध्वगेः पंजराच्चित्रस्थानवलोक्य
शून्यवलमावेकैकमामाषते ॥

इस पद्य में शुक के समस्त कार्यकलापों का अभिषया प्रतिपादन किया गया है । किन्तु प्रश्न यह है कि आखिर शुक के इन कृत्यों का आधार या कारण क्या है ? इस प्रश्न का समाधान मम्मट के ही शब्दों में -- 'प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैवत्वदरयः' यही कारण व्यंग्य एवं प्रस्तुत है, जिसके अवबोधनार्थ कवि ने कार्य रूप अप्रस्तुतप्रशंसा की योजना की है । अतः इस पद्य में शत्रुपलायन रूप कारण प्रस्तुत तथा पंजरशुकवृत्तान्त रूप कार्य अप्रस्तुत है । किन्तु पूर्वश्लोक की ही भाँति, व्यंग्यार्थ यहाँ भी वाच्यार्थ के प्रति उपसर्जनीभूत है, अतः उद्योतकार श्रीनागेशभट्ट के शब्दों में --

अत्र व्यंग्याद्वाच्यस्याधिकमत्कारकारित्वेन न ध्वनित्वव्यपदेशः ।

किन्त्वलंकारव्यवहारस्वेति बोध्यम् । स्वमग्रेऽपि ।

यह पद्य भोजकृत सरस्वतीकण्ठामरण --४ तथा तिलककृत व्याख्यान में भी उपन्यस्त किया गया है ।

भगवान विष्णु द्वारा नरकासुर का बध कर दिये जाने पर, उसका मंत्री, अपने स्वामी के मित्र 'शाल्व' को विष्णु बध के निमित्त प्रेरित करता है। किन्तु प्रत्यक्ष रीति से यह न कह कर कि -- 'यदि कृष्ण को मार कर आप स्वामी नरकासुर की वधुओं का सन्तान शान्त कर देते हैं तो आप नरोत्ता श्लाघ्य व्यक्ति कोई न होगा।' मंत्री एक सामान्य सिद्धान्त का उपदेश देता है --

'सुहृद्वधुवाष्पजलप्रमार्जनं करोति वैरत्रनियानेन यः ।

न ख पूज्यः स पुमान्स नोतिमान् उर्जावितं तस्य न भाजनं श्रियः ॥'

वास्तुतः कवि की दृष्टि से यह अप्रस्तुत सामान्य केवल उपर्युक्त प्रस्तुतविशेष के अवबोधनार्थ निबद्ध किया गया है, क्योंकि वही 'कविसरम्मगोचर' अर्थ है। राजानक तिलक भी यही पद्य, इस प्रसंग में उदाहृत कर चुके हैं, अतः मम्मट ने सम्भवतः यह आदान वहाँ से किया।

विशेष निबन्धना का उदाहरण आचार्य ने मल्लटशतक से उद्धृत किया है जो कि तिलकोद्धृत उदाहरण से भिन्न तथा अभिनव प्रदत्त उदाहरण से अभिन्न है। कवि कहना यह चाहता है कि -- 'अस्थाने जडानां ममत्वसंभावना भवति' जो कि एक सामान्य उद्गार है। किन्तु इस सामान्य तथ्य को वह वाच्य न बनाकर व्यंग्य रखता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में उस सामान्य तथ्य का चमत्कारातिशायित्व, उसको विच्छिन्ति निश्चय ही द्विगुणित हो उठेगी। अतः इस लक्ष्यभूत सामान्य के अवगमार्थ वह एक अप्रस्तुत विशेष वृत्तान्त का निबन्धन प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ--

'स्तत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपत्रे कर्णवारिणेन यन्मुक्तामपिरित्यमस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि। अंगुत्यग्रक बुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमानेशनेः कुत्रो इडीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुवा ॥'


एक मूर्ख, व्यक्तिविशेष जो कमलिनी के पत्र पर पड़ी जलविन्दु को मोती समझता रहा, और लोभवश अंगुली से कूते ही विनष्ट हो जाने पर, उसके पीछे पागल बना घूमता है। यह समझता है कि मोती कूते ही उड़कर कहीं चली गई। यही इस पद्य का प्रतिपाद्य है। विशेष निबन्धना का उदाहरण तिलक ने 'रेरावणं स्पृशति मन्मयते मरुद्भिः' आदि श्लोक दिया है जो कि राजा के प्रति व्यक्त की गई, किसी कवि की अत्युक्तिपूर्ण चाटुकारिता होने के कारण, स्मणीय नहीं। सम्भवतः इसी कारण आचार्य मम्मट ने उस पद्य की उपेक्षा की।

आचार्य मम्मट की सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति ही उनके समस्त अन्योक्ति-विवेचन का प्राणतत्त्व है। क्योंकि मम्मट द्वारा उद्भावित सारूप्यनिबन्धन का यह

स्वरूप न उनके पूर्व ही था और न उससे व्यतिरिक्त कोई नवीन स्वरूप, परवर्ती युग में ही दृष्टिगोचर हुआ । उन्हीं द्वारा प्रतिपादित तथ्यों को बाद वाले आचार्यों ने या तो अविकल रूप से अथवा किञ्चित्परिवर्तन के साथ स्वीकार किया । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आचार्य मम्मट के सारूप्यनिबन्धन का क्षेत्र पूर्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक है । क्योंकि, मम्मटीय सारूप्य-निबन्धन उन समस्त उपभेदों का भी उपलक्षण है जो आचार्य द्वारा 'तुल्यनिबन्धना' शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये हैं ।

तुल्य(वृत्तान्त) प्रस्तुत (व्यंग्य) रहने पर, इतर तुल्य(अप्रस्तुत) का अधिधान (अभिधया प्रतिपादन) तीन प्रकार से सम्भव है -- श्लेष बाण द्वारा, समासोक्ति द्वारा अथवा केवल सादृश्य द्वारा । आचार्य मम्मट के अनुसार तुल्यनिबन्धना में प्रतिपादित वाच्यार्थ की दृष्टि से सारूप्य के पुनः तीन उपभेद हैं-- प्रथम, जहाँ व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ पर कोई आरोप न हो अर्थात् दोनों अर्थ स्वतः सम्भवी हो । दूसरा जहाँ व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ पर अध्यारोप हो । अर्थात् जहाँ वाच्यार्थ असम्भव हो और तीसरा जहाँ व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ पर आरोप हो भी और न भी हो । अर्थात् वाच्यार्थ सम्भवाऽसम्भव रूप हो । मम्मट कृत यह विभाजन इस प्रकार होगा --

सारूप्यनिबन्धना (-- तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधानम्)



श्लेषमूलक सारूप्यनिबन्धना का उदाहरण आचार्य ने मल्लटशतक से प्रस्तुत किया है । कवि किसी महापुरुष का उदात्तरित्र वर्णित करते हुए कहता है कि--

‘पुनस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि यायाद्यदि प्रणयने नमहानपि स्यात् ।

अम्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीहशीर्यं केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥

प्रस्तुत पद्य में ऐसी पदावली प्रयुक्त की गयी है कि जो श्लेष की शक्ति से दो अर्थ उपस्थित करती है -- एक पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु के पक्ष में तथा दूसरा महापुरुष के पक्ष में । भगवान् भी अमृतहरण के प्रसंग में पुनस्त्व से विचलित हुए (नारी रूप धारण करने के कारण) वराहावतार में ‘अधः लोके’ अर्थात् पाताल गर, वामनावतार में बलि से याचना करने के लिये नमहान्’ अर्थात् भिखारी बने, फिर भी विश्वोद्धार किया । ठीक इसी प्रकार महापुरुष भी लोकोपकार रूप अपने कार्याभिमान में पुरुषार्थ से हीन, सम्पत्ति भ्रष्ट तथा याचना वश गौरवहीन होता है । यहाँ यद्यपि दोनों ही अर्थ अभिधया स्पष्ट हो रहे हैं, श्लेष की शक्ति से तथापि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत भाव का निबन्धन होने के कारण, सारूप्य निबन्धना अन्योक्ति है । क्योंकि ‘समुदाय की शक्ति ही अवयव की शक्ति से बलीयसी होती है’ इस शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार श्लेष द्वारा विष्णुपरक अर्थ ही सर्वप्रथम उद्भासित होता है और चूंकि वह ‘कवि सरम्भगोचर’ नहीं होता है, गौण अथवा अप्रस्तुत होता है, इसी कारण अभिधया प्रतिपादित उस विष्णुपरक प्रथम अर्थ में विश्रान्त न होकर, व्यञ्जनयादिप्ल, महापुरुषगत प्रस्तुतार्थ में विश्रान्त होता है । अतएव श्लेष की स्थिति, इस पद्य में प्रधान नहीं है और इसी कारण यहाँ श्लेषध्वनि भी मान्य नहीं है, क्योंकि श्लेषध्वनि, अभिधामूलका ध्वनि की ही एक कोटि है और वह तभी होती है जब कि श्लेष द्वारा प्रतिपादित दो अर्थों में से एक, प्रकरणादि दश साधनों द्वारा किसी विशिष्ट पक्ष में नियन्त्रित हो जाय तथा दूसरा अर्थ व्यञ्जनया उद्दीप्त हो उठे । प्रस्तुत पद्य में ऐसी कोई संभावना नहीं है, जैसा कि संकेतकार आचार्य रूप्यक स्पष्टतः कहते हैं -- एष न शब्दश्लेषोऽभिधायोऽस्मिन्ननियमान्नियतत्वात् । नापि विश्लेष्यपदस्य श्लेषत्वे शब्दश्लेषमूलध्वनि-मंगवद्वृत्तान्तस्यात्र वाच्यत्वात् । तस्य चाप्रस्तुतत्वात् । प्रस्तुतार्थमुक्तेन यत्राऽप्रस्तुतोऽर्थो विश्लेष्यद्वारेणावगम्यते स तस्य ध्वनेर्विषय इत्युक्तम् । काव्यप्रकाश संकेत ।

यही तथ्य, समासोक्ति मूलक सारूप्य-निबन्धना के भी विषय में सत्य है । वस्तुतः समासोक्ति जनित सादृश्य भी श्लेषसादृश्य का ही अंग है । जहाँ श्लेष में

विशेष्य एवं विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हैं, वहाँ समासोक्ति में केवल विशेषण ही । इसी कारण, परवर्ती युग में, साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने सारूप्य निबन्धना का विभाजन करते समय समासोक्तिमूलक सादृश्य को श्लेष के ही अन्तर्गत रखना उचित समझा । समासोक्तिमूलकता का उदाहरण --

येनास्यम्युदितेन चन्द्र गमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः ।
क्षीणेनैतदनुष्ठितं यदि ततः किं लज्जसे नो मनागस्त्वेवं जडधामता तु भवतो यद्व्योग्नि -
विस्फूर्जसे ॥

प्रस्तुत पद्य में विशेष्यवाची चन्द्र पद स्पष्टतः श्लिष्ट नहीं है, किन्तु 'क्लान्तिं गमितः' प्रतिकर्तुं युज्येत ० न पुनः पादग्रहः' आदि समस्त विशेषण दो-दो अर्थों के द्योतक है । इसी श्लिष्ट द्व्यर्थकता के बल पर चन्द्र सूर्य के इस गौण वृत्तान्त से, प्रस्तुतभूत सधननिर्धन-वृत्तान्त का आक्षेप हो रहा है, जो कि कवि का लक्ष्यभूत विषय है । श्लेष की ही भांति बूँकि यहाँ भी विशेषणसाम्य के कारण अर्थान्तर की प्रतीति हो रही है, अतः इस विशिष्ट परिपाटी की दृष्टि से ही यहाँ समासोक्ति मूलक सादृश्य है । किन्तु निरपेक्षरूप से यहाँ समासोक्ति का लेश भी नहीं । क्योंकि समासोक्ति तो प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यंजनयावगम होने पर ही होती है, जो कि प्रस्तुत पद्य में कतई सम्भव नहीं । यहाँ तो अप्रस्तुत चन्द्र सूर्य वृत्तान्त से प्रस्तुत निर्धनसधन वृत्तान्त की व्यंजनया प्रतीति होने का प्रसंग है ।

सादृश्यमूलक सारूप्यनिबन्धना, में प्रस्तुताक्षेप का एकमात्र कारण सदृश-वृत्तान्त ही होता है । पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में जहाँ प्रकृताक्षेप की सारी प्रक्रिया श्लेष साहित्य पर ही निर्भर है, प्रस्तुत उदाहरण में वह श्लेषसाहित्य अर्थात् शुद्ध सारूप्यमात्र पर आधारित है । मम्मट के शब्दों की व्याख्या करते हुए प्रदीपकार का कथन इसी व्यवस्था का निर्देश करता है -- 'प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः । विशेषणविशेष्यवाचिनां सर्वेषामपि श्लिष्टत्वस्य, विशेषणमात्रवाचिनो वा श्लिष्टत्वस्य, श्लेषामावेऽपि सादृश्यमात्रस्यैव वा प्रकृताक्षेपहेतुत्वात् ।' उदाहरण

१- द्रष्टव्यं -- साहित्य दर्पण, दशम परि० (अप्रस्तुत प्रशंसा प्रसंग)

से यह तथ्य अधिक स्पष्ट हो जायगा --

आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः किं तावदर्जितमनेन दुरर्णवेन ।

नारीकृतं च वड्वादहने हुतं च पातालकुक्षिबुहरे विनिवेशितं च ॥

श्रीनागेश मट्ट के निर्वचनानुसारयहां ग्रासकल्प परधन का अपहरण करके विकल व्यय करने वाला दुष्ट व्यक्ति ही प्रस्तुत तथा तत्समान वृत्तान्त वाला सागर अप्रस्तुत है । यद्यपि प्रस्तुत पद्य में निबद्ध सादृश्य न तो विशेषण विशेष्य की श्लिष्टता के कारण है और न विशेषणमात्र की श्लिष्टता के कारण अर्थात् वह सादृश्य न तो श्लेषमूलक है और न समासोक्तिमूलक , फिर भी सामिप्रायपदों का प्रयोग तो है ही । क्योंकि पद्य में आये हुए-मुख, अर्जित तथा दुरर्णवादि शब्द उभयार्थसूची हैं और क्रमशः सागर तथा दुर्जन व्यक्ति के पक्ष में घटित होते हैं । किन्तु किसी भी रूप में वे शब्द श्लिष्ट नहीं हैं और न दो अर्थों के वाचक । क्योंकि श्लिष्ट पदों का प्रयोग होने से सादृश्य-मूलक सारूप्यनिबन्धना का वैशिष्ट्य ही क्या रह जाता है ? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सारूप्यनिबन्धना के इस त्रिविध वर्गीकरण में आचार्य मम्मट का ध्यान केवल सादृश्य पर केन्द्रित रहा न कि श्लिष्टता पर । इसका तात्पर्य यह है कि यह विभाजन, सादृश्य को ही भेदक तत्त्व मान कर किया गया है अतः श्लेष समासोक्ति अथवा सादृश्यमात्र से उत्पन्न होने के कारण, उसके तत्त्वमूलक तीन भेद हुए । इनमें से श्लेष का तात्पर्य 'श्लेषालंकार' से ही लेना चाहिए, अन्यथा भ्रम उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है । यदि मम्मटाचार्य ने 'श्लिष्टता' को ही भेदक तत्त्व मान कर यह वर्गीकरण किया होता तो श्लेष-समासोक्ति आदि संज्ञाओं की अपेक्षा ही न होती और 'श्लेष-अश्लेष' ये दो ही भेद सम्भव होते । अब यह दूसरी बात है कि मम्मटप्रोक्त सादृश्यमूलक सारूप्य निबन्धना में श्लिष्ट एवं अश्लिष्ट दोनों ही प्रकार की पदावली प्रयुक्त की जा सकती है । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रदीपकार आचार्य गोविन्द ठक्कुर ने एक नवीन उदाहरण दिया है । इस विषय में उनकी स्पष्ट सम्मति है -- 'अत्र श्लेषामावेऽपि सादृश्यमात्रेणा-सत्पुरुषाक्षेपः । यथा वा मम आदि ।' इससे स्पष्ट है कि न सादृश्यमूलक सारूप्य निबन्धना में श्लेष का सर्वथा अभाव होता है ।

इस प्रकार आचार्य मम्मट द्वारा व्याख्यात अन्योक्ति का पंचधा वर्गीकरण सौदाहरण स्पष्ट किया जा चुका । उदाहरणों के कारण इतने विस्तार में जाने का मूल अभिप्राय , इस बात में निहित है कि अन्योक्ति के पांचों निबन्धन स्पष्ट हो

जायं । क्योंकि, यह पंचधाविभाजन, ठीक इसी रूप में, मम्मट के युग से लेकर अब तक अक्षुण्ण बना रहा है । यदि परिवर्तन हुए तो केवल सारूप्यनिबन्धना के उपभेदों में ही हुए, सो भी केवल नाम मात्र के लिए । अन्यथा मम्मट द्वारा उदाहृत श्लोकों में उस विशिष्ट निबन्धन का प्रत्याख्यान कर देने से विभाजन पर कोई आक्षेप संभव नहीं । क्योंकि, इसके पीछे कभी कभी व्यक्तिगत द्वेष, अथवा सैद्धान्तिक मतभेद भी कारण रूप में गोचर होता है । आचार्य अप्पय्य दीक्षित के अम्लम आलंकारिक उदाहरण श्लोकों का जगन्नाथ कृत खण्डन इस तथ्य का प्रमाण है ।

इसके पूर्व कि सारूप्यमूलक या तुल्यनिबन्धना के अन्य तीनों भेद स्पष्ट किये जायं, अन्योक्ति विषयक मम्मटीय व्यवस्था पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण डाल लेना अधिक उचित होगा । क्योंकि इसी प्रसंग में उन भेदों का व्याख्यान भी हो जायेगा । आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य, अन्योक्ति के प्रत्येक अंगोपांग के विधिवत् अनुशीलन से है, ताकि उसका वास्तविक रूप साथ ही साथ उसके बारे में उठाई गई विभिन्न आचार्यों की आपत्तियों का अन्तिममंजूर भी स्पष्ट हो जाय । वस्तुतः ये व्याख्येय अंग, स्वयं एक समस्या के रूप में है, जिनका निदान ढूँढना आवश्यक है । इस दृष्टि से, प्रस्तुत व्याख्यानसन्दर्भ में आने वाली कुछ समस्याएँ इस प्रकार हैं -- अन्योक्ति में: अप्रस्तुत वर्णन का औचित्य, सामान्यविशेषादि सम्बन्धत्रय का स्वरूप श्लेष एवं समासोक्ति विषयक तथ्य, वाच्यार्थ के त्रैविध्य का विचार, साधर्म्यवैधर्म्य तथा अन्यापदेशध्वनि ।

तृतीय अध्याय में अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय में आचार्य दण्डी का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है कि उनका सारा मनोबल इस अलंकार की अन्वर्थनामता पर ही केन्द्रित रहा । वास्तव में बहिरंग अथवा अन्तरंग किसी भी रूप से चिन्तन करने पर इस तथ्य का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता कि अप्रस्तुत की प्रशंसा या वर्णना की जाय । जो पदार्थ स्वयं अप्रस्तुत अथवा अनपेक्षित गौण स्वरूप वाला है, उसकी वर्णना में सिर खपाना किसी भी रूप में न्याय्य नहीं । अतः निश्चित है कि मानव मात्र के प्रत्येक अभियान की पृष्ठभूमि में कोई-न-कोई लक्ष्य अवश्य ही विद्यमान रहता है । 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' जैसे सुमाख्यत का यही भाव है । विशेष करके अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा में जहाँ कि कवि का समस्त प्रयत्न प्रस्तुत की व्यंजना में ही निहित रहता है, अप्रस्तुत का निबन्धन एक सारहीन प्रक्रिया का उन्मेष मात्र प्रतीत होता है साथ ही साथ असम्बद्धमासिता का भाव भी उदित होता है । इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्यहमचन्द्र ने कहा कि -- तथाहि -

परवर्तीपरवर्णनायां कः समुद्रस्वरूपमुपवर्णयेत् ? उपवर्णने वाशिष्टविगर्हणमवश्यम्भावि (काव्यानुशासन ६।८ की टीका) ।

यद्यपि अन्योक्ति में अप्रस्तुतनिबन्धन के अनौचित्य पर आचार्य मम्मट अथवा उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने कोई लिखित उद्गार नहीं व्यक्त किया, केवल दण्डी की अव्यक्त भावना को प्रामाणिक माना जा सकता है । ^{वस्तुतः} इस प्रश्न पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श अलंकारसर्वस्वकार राजानक रुम्यक ने (१२३५-५०ई०) प्रस्तुत किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अप्रस्तुत का वर्णन तभी युक्तियुक्त खंभ संगत हो सकता है जब कि वह प्रस्तुत परक हो । क्योंकि यदि अप्रस्तुत से बिना कोई सम्बन्ध रहे ही प्रस्तुतार्थ की प्रतीति होने लगे तब तो यह अतिप्रसंग होगा । इस दशा में जितने भी अलंकारों में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का निबन्धन होता है, सब अनवस्था दोष से दूषित हो जायेंगे साथ ही साथ उनका पार्थक्य भी विनष्ट हो जायगा । स्कावलीकार आचार्य विद्याधर ने रुम्यक का समर्थन करते हुए (चौदहवीं शती का पूर्वार्द्ध) बताया कि प्रस्तुतमुखी होने के ही कारण अप्रस्तुत का अनौचित्य दूर हो जाता है और चूंकि ऐसा करने में व्यंग्य प्रस्तुत, वाच्य अप्रस्तुत की सिद्धि में सहायक बनता है, इसी कारण अप्रस्तुत प्रशंसा में 'वाच्यसिद्धयंग' नामक गुणीभूत व्यंग्य का उदय भी होता है ।^२

इस प्रकार विद्याधर के ही शब्दों में -- सम्बन्धेन बिना पुनरप्रस्तुत्प्रस्तुता वगतावतिव्याप्तिः स्यादित्यर्थान्तरप्रतिपत्तिनिमित्तेन भवितव्यं सम्बन्धेन ।^१ अर्थात् कोई-न-कोई मध्यवर्ती सम्बन्ध होना अनिवार्य है । अन्यथा यदि प्रस्तुत की उपेक्षा करके अप्रस्तुत की वर्णना की जाती है तो वह उपहसनीयता के से मुक्त नहीं हो सकती । आचार्य रुम्यक के परवर्ती अनेक आचार्यों तथा टीकाकारों ने इसी असंगति को दुहराया है और सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी निर्णय में प्रायः सब समान ही रहे हैं । इस प्रकार अन्योक्ति में अप्रस्तुत निबन्धन, अनुचित अवश्य है किन्तु प्रस्तुतार्थ से उसे सम्बन्धित करने पर दोष-मार्जन भी हो जाता है । ये सम्बन्ध जैसा कि पीछे व्याख्यान उपस्थित किया जा चुका है, तीन होते हैं जिनका स्केकशः विस्तार करने पर संख्या पांच हो जाती है । आगे, इस संख्याविषयक तथ्य पर विचार प्रस्तुत किया जायेगा ।

१- द्रष्टव्य-- अलंकार सर्वस्व, पृ०१२२ त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज, सं०४० सन् १९१५ ।

२- ,, स्कावली उन्मेष ८, पृ०२६३ श्री पी०के० त्रिवेदी कृत बम्बई संस्करण १९०३ई० ।

३- 'ननु ये प्रस्तुतमुपेक्ष्याप्रस्तुतस्य कथं कोऽलंकारः । प्रत्युत वाजपेय शरद्वर्णनवत् परिहास हेतुरयं दोष स्वेत्याशंका मनुष्य प्रस्तुतावगमकत्वान्न दोष इति परिहरति ।

--(स्कावली ८।२७ पर मल्लिनाथ कृत तरल टीका) ।

किन्तु इस प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शती) द्वारा उत्थापित एक समस्या का प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक है । वह यह कि यदि अप्रस्तुत वस्तु , प्रस्तुतार्थ-
नुबन्धिनी होती है, और इस स्थिति में यदि वहाँ अन्योक्तित्व स्वीकार्य है तो क्या दो भिन्न स्थलों (पदों) में भी निबद्ध यही भाव, 'अन्योक्ति' माना जायेगा ?
उदाहरणार्थ, सेतुबन्ध के पूर्व क्रुद्ध राम के प्रति समुद्र का --

'त्वयैव मह्यभियं स्थितिर्दत्ता, यामनुपालयता मया मवान्विष्णु रारोषितः' यह कथन जो कि प्रस्तुत है तथा --

'विकसद्रजः कर्बुरं मकरन्दरसाध्मातमुखरमधुकरम् ऋतुना द्रुमाणां दीयते ह्युयते न पुनरात्मनैव-
कुसुमम् ।'

अप्रस्तुतार्थ प्रतिपादक यह अन्य पद्य है । यहाँ, द्वितीय पद्य में उपवर्ण्यमान अप्रस्तुत अर्थ से वृत्तान्तर में उपनिबद्ध प्रस्तुतार्थ, सम्बन्धित किया गया है, अतः विशेष की विवक्षा में सामान्य प्रस्तुत होने के कारण 'सामान्यनिबन्धना' अन्योक्ति सम्भव है ।

परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि अन्योक्ति में एक वाक्य में ही किसी सम्बन्ध-विशेषका निबन्धन होता है , यही मामल से लेकर मम्मटादि आचार्यों तक की परम्परा है रही है । अतः परम्परा का विरोध करके, अन्योक्ति के विषय में कोई निराधार निर्युक्ति सम्मति प्रस्तुत करना, केवल आत्मगौरव का परिचायक होगा । इसी कारण स्वयं आचार्य हेमचन्द्र ने इस तथ्य का खण्डन उपस्थित किया --

'नैवम् । यत्र हि तस्मिन्नेव वाक्येऽभिधीयमानेनाप्रस्तुतेनार्थेन शब्दानुरूपारूढस्यापि प्रस्तुतस्यार्थस्य सारूप्यादिमिराक्षेपः सोऽन्योक्तेर्विषयः, तत्रत्वेकस्मिन्नेव वाक्ये वाक्यद्वये वा समर्थ्यसमर्थकृतया बिम्बप्रतिबिम्बभावेन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोरभिधयैव संस्पर्शो वाक्यैकवाक्यता च सोऽर्थान्तरन्यासस्य निदर्शनस्य वा विषयः' (हेमचन्द्र कृत काव्या० ६।८ की उन्हीं द्वारा प्रणीत टीका 'अलंकारचूडामणि', पृ० ३६१, श्री पारिखकृत संस्करण, बम्बई १९३८ ई०) ।

इसका निर्गलितार्थ यह हुआ कि अन्योक्ति में प्रस्तुत सर्वदा गम्य ही होता है, वाच्य नहीं । अतः अन्य समस्त अलंकारों से इसकी विजातीयता स्पष्ट हो जाती है । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि अप्रस्तुत का वर्णन आखिर अनुचित क्यों होता है ? इसका उत्तर यही है कि 'अप्रस्तुत' वृत्त स्वरूप से ही दोष युक्त होता है ।

किन्तु इस प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शती) द्वारा उत्थापित एक समस्या का प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक है । वह यह कि यदि अप्रस्तुत वस्तु , प्रस्तुतार्थ-
नुबन्धिनी होती है, और इस स्थिति में यदि वहाँ अन्योक्तित्व स्वीकार्य है तो क्या दो भिन्न स्थलों (पद्यों) में भी निबद्ध यही भाव, 'अन्योक्ति' माना जायेगा ?
उदाहरणार्थ, सेतुबन्ध के पूर्व कृद्ध राम के प्रति समुद्र का --

'त्वयैव मह्यभियं स्थितिर्दत्ता, यामनुपालयता मया मवान्विष्णुरारोषितः' यह कथन
जो कि प्रस्तुत है तथा --

'विकसद्रजः कर्बुरं मकरन्दरसाध्मातमुखरमधुकरम् ऋतुना द्रुमाणां दीयते हिन्यते न पुनरात्मनैव-
कुसुमम् ।'

अप्रस्तुतार्थ प्रतिपादक यह अन्य पद्य है । यहाँ, द्वितीय पद्य में उपवर्ण्यमान अप्रस्तुत अर्थ
से वृत्तान्तर में उपनिबद्ध प्रस्तुतार्थ, सम्बन्धित किया गया है, अतः विशेष की विवक्षा
में सामान्य प्रस्तुत होने के कारण 'सामान्यनिबन्धना' अन्योक्ति सम्भव है ।

परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि अन्योक्ति में एक वाक्य में ही किसी सम्बन्ध-
विशेषका निबन्धन होता है , यही मामह से लेकर मम्मटादि आचार्यों तक की परम्परा
है रही है । अतः परम्परा का विरोध करके, अन्योक्ति के विषय में कोई निराधार
निर्मुक्ति सम्मति प्रस्तुत करना, केवल आत्मगौरव का परिचायक होगा । इसी कारण
स्वयं आचार्य हेमचन्द्र ने इस तथ्य का सण्डन उपस्थित किया --

'नैवम् । यत्र हि तस्मिन्नेव वाक्येऽभिधीयमानेनाप्रस्तुतेनार्थेन शब्दानुरूपारूढस्यापि
प्रस्तुतस्यार्थस्य सारूप्यादिमिराक्षेपः सोऽन्योक्तेर्विषयः, तत्रत्वेकस्मिन्नेव वाक्ये
वाक्यद्वये वा समर्थ्यसमर्थकतया बिम्बप्रतिबिम्बभावेन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोरभिधयैव संस्पर्शो
वाक्यैकवाक्यता च सोऽर्थान्तरन्यासस्य निदर्शनस्य वा विषयः' (हेमचन्द्र कृत काव्या०
६।८ की उन्हीं द्वारा प्रणीत टीका 'अलंकारचूडामणि', पृ०३६१, श्री पारिखकृत संस्करण,
बम्बई १९३८ ई०) ।

इसका निर्गलितार्थ यह हुआ कि अन्योक्ति में प्रस्तुत सर्वदा गम्य ही होता
है, वाच्य नहीं । अतः अन्य समस्त अलंकारों से इसकी विजातीयता स्पष्ट हो जाती
है । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि अप्रस्तुत का वर्णन आखिर अनुचित क्यों
होता है ? इसका उत्तर यही है कि 'अप्रस्तुत' वृत्त स्वरूप से ही दोष युक्त होता है ।

अन्य अलंकारों में इन प्रकार के दोष अत्यल्प हैं । क्योंकि जिस वैशिष्ट्य के कारण वे एक अलंघति-विशेष का गौरव पा सके हैं, वह वैशिष्ट्य निराधार एवं असंगत नहीं होता है । उदाहरणार्थ -- 'समासोक्ति' को समासोक्तित्व केवल इसलिए मिला है कि उसमें प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत की व्यंजना होती है, कैसे ? संचिप्त रूप से । किन्तु यहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का संचिप्त बोध जो कि समासोक्ति का वैशिष्ट्य है, निराधार नहीं है, क्योंकि श्लिष्ट विशेषणों के कारण वह सम्भव है । चन्द्रालोक के टीकाकार आचार्य गागामट्ट ने तुलनात्मक दृष्टि से समासोक्ति का यही उत्कर्ष व्यक्त किया है-- अत्रवाच्यार्थस्याप्रस्तुतत्वेनाऽवर्णनीयतया तत्रामिधायामपर्यवसितायां तेनप्रस्तुतार्थामिव्यक्तिः । समासोक्त्यादौ प्रस्तुतस्य वर्णनीयत्वेनामिधायाम् पर्यवसितायामर्थसौन्दर्यबलेनाऽप्रस्तुतार्थमानमिति -- राकागमटीका, पृ० ८५, चौखम्बा संस्करण सन् १९३८ ई० ।

इसी प्रकार निदर्शना, तुल्ययोगिता, विरोधादि अलंकारों के वैशिष्ट्य भी साधारण होने के कारण निर्दोष हैं । इस अनुपात में ज्यों ही हम अन्योक्ति के वैशिष्ट्य 'अप्रस्तुत से प्रस्तुतबोध पर' विचार करते हैं कि त्यों ही यह स्थिति खटक जाती है कि अप्रस्तुत से कैसे, किस आधार पर और क्यों, प्रस्तुत का ज्ञान होने लगा ? क्योंकि अप्रस्तुत तो स्वयं अवर्णनीय होता है, अवांक्षित एवं अनंगीकार्य भी । अतः उसके निबन्धन में कवि तब तक नहीं प्रवृत्त हो सकता है, जब तक कि उसे कोई ठोस प्रवृत्ति हेतु न प्राप्त हो जाय, यदि वह केवल प्रस्तुताभिव्यक्ति चाहता है, तब तो कोई श्रम ही नहीं, क्योंकि स्कन्धात्र अमिधा से काम चल जायेगा । किन्तु यदि वह प्रस्तुतार्थ की अभिव्यक्ति एक अद्भुत रीति से करना चाहता है जिसमें कि चमत्कारातिशयित्व के साथ ही साथ द्विगुणितप्रभावशालित्व भी हो, और जो कि अन्योक्ति शैली में ही सम्भव है, तब तो उसे कोई-न-कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि खोजनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसका समस्त अप्रस्तुत निबन्धन श्री गंगाधरवाजपेयिन् के शब्दों में 'उन्मत्त का प्रलापनात्र' होगा ।

१- 'तत्राप्रस्तुतवृत्तान्तबर्णनीयतया तद्वर्णनं प्रस्तुतगमकतामन्तरेणासम्बन्धार्थसुन्मत्तप्रलपितं स्यात् । अतस्तन्निवृत्तये प्रस्तुतगमकता वाच्या । सा च तन्मोक्षम्बन्धं विना दुर्घटा ।'

(कुम्भकोणम् संस्करण, सन् १८६२ ई०)(कुवलयानन्द की 'रसिकरंजनी' टीका-

पृ० १२३) ।

इसी असंगति से बचने के लिए अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के बीच कार्यकारणादि सम्बन्धों का नियम प्राचीनकाल से ही आचार्यों ने किया और विवाद की यह परम्परा नंजराज्यशो-भूषणकार श्री अभिनव कालिदास के युग तक (सन् १७४०ई०) चलती रही^१। किन्तु अप्रस्तुतार्थ निबन्धन के अनौचित्य विषयक विवादों के विविध रूप रहने पर भी, हल सब का एक ही है, अर्थात् प्रस्तुतार्थ से, कार्यकारणादि किसी भी रीति से सम्बद्ध अप्रस्तुत का ही निबन्धन अन्योक्ति में होता है और वही उचित भी है।

यह सम्बन्ध आचार्यज्ञानन्दवर्धन के ही युग से त्रिविध माना गया है। कार्यकारण, सामान्यविशेष तथा सारूप्य। किन्तु चूंकि प्रथम दो सम्बन्ध, दो-दो पदा के द्योतक हैं अतः व्यासशैली में विवेचन प्रस्तुत करते समय, उनका व्याख्यान भी उभयथा हो जाता है। आचार्यशम्भु के युग (१०५०-११०० ई०) से लेकर अप्यय्य दीक्षित (१५५४-१६२६ ई०) के पूर्व युग तक, अप्रस्तुत प्रशंसा के यही तीन सम्बन्ध प्रायः प्रतिष्ठित एवं व्याख्यात हुए। इनमें भी प्रथम दो सम्बन्धों के विषय में तो कोई प्रश्न कभी उठाया ही नहीं गया। हां, सारूप्य सम्बन्ध के विषय में विशेष करके उपमेदों की मान्यता के विषय में, कुछ आपत्तियां परवर्ती युग में अवश्य उठीं जिनका लिखित प्रमाण हमें आचार्य विश्वनाथकृत 'साहित्य दर्पण' में प्राप्त होता है।

अन्योक्ति के कुल पांच निबन्धनों का सौदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किया जा चुका है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं -- कारणनिबन्धना, कार्यनिबन्धना, सामान्यनिबन्धना, विशेष निबन्धना तथा सारूप्य निबन्धना। किन्तु ये पांच भेद जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यास विवेचन में ही सम्भव है, क्योंकि तब हम अप्रस्तुत को क्रमशः कारण, कार्य, सामान्य, विशेष तथा सारूप्य से अभिन्न समझ लेते हैं। अतः बजाय इसके कि हम 'अप्रस्तुत' प्रशंसा' कहें हमें इन पांचों भेदों को क्रमशः कारण प्रशंसा, कार्यप्रशंसा, सामान्यप्रशंसा, विशेष प्रशंसा तथा सारूप्यप्रशंसा ही कहना चाहिए। दूसरी दृष्टि से हम इन्हें 'कारणोक्ति, कार्योक्ति, सामान्योक्ति' ---

१- सविस्तर द्रष्टव्य -- नंजराज्यशोभूषण विलास, पृ० २०५-६। इम्बर कृष्णमाचार्य द्वारा सम्पादित, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा संस्करण सन् १९३० ई०।

विशेषोक्ति तथा सारूप्योक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से अन्योक्तिगत पूर्वालोचित अनौचित्य भी, तिरोहित हो जाता है, साथ ही साथ गंज्ञा स्मरण करने के कारण उन सब सम्बन्धों का स्वरूप भी यद्यः परिस्फुट हो जाता है। किन्तु यह तथ्य अवधेय है कि इन पदों का प्रयोग अन्योक्ति की मर्यादा से बाहर नहीं हो सकता। अन्यथा अलंकार शास्त्र में प्रसिद्ध सामान्य एवं विशेषोक्ति अलंकारों से व्यतिक्रम होने की सम्भावना भी रहेगी। सारूप्य सम्बन्ध के पूर्व ही प्रथमदो सम्बन्धों की थोड़ी व्याख्या कर ली जाय, क्योंकि इनका स्वरूप अपेक्षाकृत गूढ है।

सामान्य-विशेष तथा कारण-कार्य ये दोनों जुड़वे शब्द हैं जिनका प्रयोग लोक एवं शास्त्र दोनों में अमन्द गति से होता रहा है। किन्तु यहाँ जब हम इनके स्वरूप की बात करते हैं, तब इसका सम्बन्ध लोकपदा से ही रह जाता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन का 'विशेष' तथा अन्य शास्त्रों के कार्य कारण आदि साहित्य शास्त्र की व्यंजना से बहुत दूर हैं। उदाहरणार्थ 'कारण' शब्द का ही अर्थ, भिन्न भिन्न शब्दों के साथ अद्भुत व्यंजना के साथ परिवर्तित होता है। कारणकारण (परमाणा) कारण गुण, कारणभूत, कारणमाला, कारणवादिन्, कारणवारि, कारणशरीर (वेदान्त) आदि शब्द इसके प्रमाण हैं। किन्तु जब इसका लोक संकीर्ण अर्थ लिया जायगा तब कारण शब्द, कार्य के पूर्व नियतरूप से उत्पन्न होने वाले तत्त्वविशेष से ही होगा और यही तात्पर्य प्रस्तुत व्याख्यान में अभीष्ट भी है। इसी प्रकार कार्य का अर्थ भी कारण के पश्चात् उत्पन्न होने वाले नियत परिणाम से (*an effect, the necessary result of a cause.*) 'विशेष' का अर्थ इकाई अथवा व्यक्तिगत भाव से (*Individuality or particularity.*) तथा सामान्य का अर्थ सार्वजनीन भाव से (*General characteristic, total*) है। चूंकि इन दोनों जुड़वे शब्दों में अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध है अतः उनका नियत साहचर्य लोकप्रख्यात है। इसी कारण, अन्योक्ति में जब उन्हें निविष्ट किया गया, तो उनके इसी 'नियत साहचर्य' के कारण उन्हें स्वतन्त्ररूप से एक 'सम्बन्ध' की मान्यता दी गई।

१- According to J.S. Mill: The antecedent or concurrence of antecedents on which the effect is invariably and unconditionally consequent. (Apte's Sans-Eng. Dictionary P. 145)

किन्तु जब ये कारणकार्यादि अन्योक्ति में प्रयुक्त होते हैं तब उनका व्यक्तित्व आलंकारिक विच्छिन्नता का मंजुल सम्बन्ध प्राप्त करके एक कौतुकपूर्ण नवीनता से व्याप्त हो जाता है । अन्योक्ति में सदैव अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतार्थ का आक्षेप होता है । किन्तु अवर्णनीय होने के कारण अप्रस्तुतार्थ, प्रस्तुत से सर्वथा पृथक् होकर दूर पड़ा रहता है । दोनों में कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, इसी कारण दोनों का व्यक्तित्व निर्मूल्य बनकर छिटका रहता है । किन्तु ज्यों ही प्रतिभावान् कवि, वर्णन-चातुरी दिखाने के ध्येय से, कारण कार्य अथवा सामान्य-विशेष के सहारे इन दोनों व्यक्तियों को सन्धि कराता है कि त्यों ही मणिक्वाचन संयोग पाकर अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत एक भाव में विलीन हो जाते हैं । अन्योक्ति उसी विलयन अथवा एकीभाव का मूर्तिमान रूप है । वस्तुतः कारणकार्य सम्बन्ध वास्तविक तथा सारूप्य सम्बन्ध प्रातीतिक होता है जैसा कि आचार्य जयरथ ने अलंकार विमर्शिणी में स्वीकार किया है । यही इनका स्वरूप लक्षण भी है^१ ।

अन्योक्ति में विद्यमान ये तीनों सम्बन्ध आगे चलकर इतने प्रख्यात हो गये कि कुछ नवीन आचार्यों को उन सम्बन्धों में भी स्वतन्त्र अलंकार का दर्शन होने लगा । उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में उत्पन्न श्री चिरंजोव मट्टाचार्य ने अपने लक्षण ग्रन्थ 'काव्यविलास' की द्वितीय भंगि में 'सामान्य विशेष' अलंकार का निरूपण किया है । आचार्य ने स्वयं इस अलंकार को 'अप्रस्तुतप्रशंसा' (पूर्वव्याख्यात) का ही भेद स्वीकार किया है -- 'स्यात्सामान्यविशेषोक्तावलंकारः स ख हि । सामान्ये वक्तव्ये विशेषोक्तौ सत्यां स ख, सामान्यविशेष स्वालंकारः यथा--

धिगहो कामिपुरुषानलं परुषकर्मिणः ।

जीवितान्यपि मुचन्ति यदमी कामिनीकृते ॥'

अत्र कामिनः कामिनी कृते सर्वमेव त्यजन्तीति सामान्ये वक्तव्ये जीवितत्यागरूप-विशेषोक्तिः कृतेति भवति सामान्य विशेषालंकारः ।'

(पृ० ५२, श्री गोपीनाथ कविराज कृत सरस्वती भवन संस्क०

काशी, सन् १९२५)

१- 'इत्यमेतत्सम्बन्ध द्वयं वास्तवम् सारूप्यं पुनः प्रतीतिकमेव । प्रतीतावेव सदृशेन वस्त्वन्तरेण सदृशस्य वस्त्वन्तरस्य प्रतीतिसिद्धेः । वस्तुत्वे हि वस्त्वन्तरस्य वस्त्वन्तरप्रतीतिर्न स्यात् । अन्यैव भग्येति कारणात् कार्यस्य कार्याद्वा कारणस्य प्रतीतिः । --विमर्शिणी, पृ० १३३ काव्यमाला-३५द्वितीय संस्क०सन् १९३६ ।

श्रीमटाचार्य की इस नव्योद्भावना की आलोचना करने से अधिक अच्छा है कि उनकी इस दाय का अभिनन्दन ही किया जाय । क्योंकि जब आचार्य अप्पय्य दीक्षित ने केवल संख्या वृद्धि के मोहवश कुछ विशिष्ट मौलिक अलंकारों को ही अनायास खींचा-तानी करके एक सौ बीस तक पहुंचा दिया, तब फिर उन्हीं के समान एक अन्य आचार्य का यह साहस भी क्यों न स्वीकार्य हो । हां, इतना अवश्य है कि जैसे दीक्षित प्रोक्त 'प्रतुतांशुरे' अन्योक्ति से भिन्न नहीं, वरन् एक अंग मात्र है, ठीक उसी प्रकार 'सामान्य विशेष' भी । इसी साम्य पर कार्य कारण को तथा 'सारूप्य' को भी स्वतंत्र अलंकार माना जा सकता है । 'सामान्य प्रशंसा' विशेष प्रशंसा आदि पदों की बानगी वस्तुतः इसी ध्येय से व्यक्त की गयी थी ।

सारूप्यनिबन्धना' अन्योक्ति के व्याख्यान में 'सारूप्य' विषयक आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है । सारूप्य, श्लेष, समासोक्ति अथवा सादृश्यमात्र से उद्भूत होता है । आचार्य मम्मट ने अप्रस्तुत वाच्य में प्रतीयमानार्थारोप की दृष्टि से इसके तीन उपमेद और किये हैं, जिन्हें आगे प्रस्तुत किया जायगा । 'सामान्यविशेष' तथा कारण कार्य की ही भांति 'सारूप्य' भी अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत स्वरूप के बीच होने वाला एक सम्बन्ध है । किन्तु जहां पूर्ववर्ती दोनों सम्बन्ध, एक विशिष्ट पारिभाषिक आयाम ही में व्याप्त होने के कारण अत्यन्त संकुचित हैं, वहां 'सारूप्य' सम्बन्ध लोक व्यवहार के सर्वथा अनुकूल होने के कारण अत्यन्त व्यापक है । क्योंकि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत इन दो वृत्तान्तों के बीच पूर्वोक्त दो सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कवि को, प्रतिपाद्य साम्य खोजना होगा, जब कि सारूप्य, अगणित संख्या में स्वयं अनाहूत उपस्थित रहेंगे । अतः अन्य दोनों सम्बन्धों की तुलना से सारूप्य-निबन्धना अन्योक्ति बहुत आगे है । सम्भवतः उसकी लोकप्रियता के ही कारण चौदहवीं शती में उत्पन्न आचार्य श्रीवत्सलांछन भट्टाचार्य ने अपने लक्षणग्रन्थ 'काव्यपरीक्षा' (पंचमोल्लास पृ० ८६) में अन्योक्ति के अन्य भेदों का तिरस्कार किया और केवल सारूप्य निबन्धना का ही व्याख्यान प्रस्तुत किया -- 'अस्याः बहुविषयत्वेऽपि तुल्ये प्रस्तुते तुल्यान्तरस्याभिधानेऽतीव चमत्कार इति तदेवोदाह्रियते यथा-- गतिविततादि ।' -- श्री परशुराम शर्मा वैद्य कृत 'मिथिलास विद्यापीठ ग्रन्थमाला'--२ संस्करण, दरभंगा सन् १९५६ ।

आचार्य मम्मट ने सारूप्य निबन्धना का विभाजन मूलतः दो दृष्टियों से किया है -- एक ही सारूप्यमूलकता की दृष्टि से और दूसरा वाच्यार्थ पर व्यंग्यार्थ

के आरोप की दृष्टि से । प्रथम विभाजन में, आचार्य मम्मट की दृष्टि सम्भवतः सारूप्य उत्पन्न करने वाले तत्त्वों पर रही । चूंकि सारूप्य या तो विशेषणों की शिल्पिता से अथवा विशेषणविशेष्य दोनों की शिल्पिता से अथवा केवल सादृश्य मात्र से सम्भव होता है, अतः मम्मट ने इसके तीन भेदों का निर्देश किया -- १- समासोक्तिमूलक जिसमें कि केवल विशेषण शिल्पित होते हैं । २- श्लेषमूलक- जिसमें विशेषण विशेष्य दोनों शिल्पित होते हैं, तथा ३- सादृश्यमूलक, जिसमें केवल इतिवृत्त साम्य रहता है । समासोक्ति एवं श्लेष तत्त्व अलंकारों के सूचक हैं, यह पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, किन्तु आचार्य ने यह जानते हुए भी कि अन्योक्ति के मूल में 'श्लेष एवं समासोक्ति' कभी सम्भव एवं उचित नहीं है, सम्भवतः केवल उनकी शैली के साम्य वश ही, अन्योक्तिमूलकता का गौरव उन्हें दिया । अन्यथा, अन्योक्ति, समासोक्ति तथा श्लेष, ये तीनों ही एक दूसरे से पूर्णतः व्यतिरिक्त हैं । अतः इस दृष्टि से पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा (१७वीं शती) समासोक्तिमूलकता के प्रति उद्भावित आक्षेप, यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने आचार्य मम्मट का भाव ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया ।

यद्यपि, सारूप्यनिबन्धना के तीन प्रोतों में, श्लेष तथा समासोक्ति को भी स्थान देकर आचार्य मम्मट ने अपना विभाजन सुस्थिर एवं सर्वांगीण अवश्य बनाया, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उनके परवर्तियों ने उनका भाव, हृदयंगम नहीं किया । इसी कारण जहाँ, आचार्य रुम्यक (संकेत टीका) गोविन्दठक्कुर (प्रदीप) नागेशमट्ट (उद्योत) वैष्णवाथ तत्सत् (प्रभा) नरहरि सरस्वती तीर्थ (बालचित्तानुरंजिनी) मट्टगोपाल (साहित्य बूढामणि) एवं मीमसेन दीक्षित (सुधासागर) प्रमृति, प्रतिमासंपन्न विद्वान् टीकाकारों ने मम्मट के इस विभाजन का अनुमोदन करते हुए, श्लेष एवं समासोक्ति मूलकता के प्रति उठाई गई आपत्तियों का सहज समाधान प्रस्तुत किया है, वहीं कुछ स्वतन्त्र आचार्यों ने मम्मटीय विभाजन का स्वरूप परिवर्तित करके अपना मौन आक्रोश भी व्यक्त किया है । आचार्य हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ, इसी कोटि में आस्ये । इन आचार्यों का मतालोचन आगामी शीर्षक में किया जायगा ।

इसके पूर्व ही, एक और महत्त्वपूर्ण समस्या का निदान ढूँढ़ लेना अपेक्षित होगा । वह यह कि, क्या अन्योक्तिगत अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के बीच, यही तीन ही सम्बन्ध होते हैं । क्या अन्यान्य सम्बन्धों की कोई सम्भावना नहीं है ? इस प्रश्न पर विचार करने वाले प्रथम आचार्य श्री अप्पय्य दीक्षित जी हैं, जिन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि -- 'बस्तुतस्तु तदतिरेकेऽपि न दोषः । न ह्यप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुताप्रस्तुतयोः संबन्ध एव सम्बन्ध इति निबन्धुं शक्यते । सम्बन्धान्तरेष्वपि तद्दर्शनात् ।' यथा --

तापत्रयोषधिवरस्य तव स्मितस्य निश्वासमन्दमरुता निबुसीकृतस्य ।
स्ते कङ्गरच्या इव विप्रकीर्णा जैवातृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति ॥

-- कुवलयानन्द, पृ० १३०

प्रस्तुत पद्य में कवि ने भगवान् चन्द्रमा की वन्दना करते हुए उनकी व्याकीर्ण किरणों में 'कङ्गर' अर्थात् भूसे की सम्भावना की है। जैसे धान्य से, छिलका हवा के सहारे पृथक् किया जाता है, उसी प्रकार औषधियों के स्वामी चन्द्र भी अपने निःश्वास रूपी वायु से किरण रूपी भूसा पृथक् कर रहे हैं। रसिकरंजनीकार के अनुसार यहाँ, 'औषधिवर' शब्द में रूपक एवं 'निबुसीकृत' शब्द में तदुत्थापित अतिशयोक्ति है। इसी प्रकार, समस्त श्लोक में, रूपक एवं अतिशयोक्ति से फलित स्वल्पोत्प्रेक्षा तथा इन तीनों से अनुप्राणित अप्रस्तुतप्रशंसा है। किन्तु यहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के बीच कारणकार्य, सामान्यविशेष अथवा सारूप्य सम्बन्ध जैसी कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत आचार्य के ही शब्दों में 'न च धान्यकङ्गरचक्रयोः कार्यकारणभावादि सम्बन्धोऽस्ति । अतस्सहोत्पत्त्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव ।' -- कुवलयानन्द, पृ० १३० ।

कुवलयानन्दकार की इस महनीय घोषणा का भावी युग में समुचित समादर भी हुआ। १८ वीं शती के उत्तरार्द्ध में उत्पन्न आचार्य भट्टदेवशंकर पुरोहित ने अपने लक्षण ग्रन्थ 'अलंकार मञ्जूषा' पृ० १०३ पर अप्पय दीक्षित की सम्बन्धान्तर निबन्धन विषयक पंक्ति का अन्वयः अनुवाद किया है, साथ ही साथ 'कत्स्वं दाशरथेः' आदि पद्य में 'सेव्यसेवकभाव' तथा 'राजधान्यपरम' आदि पद्य में 'सहोत्पत्तिकत्व' सम्बन्ध का निर्देश किया है^१। इसी प्रकार १६ वीं शती में उत्पन्न, अलंकारकोस्तुभकार आचार्य विश्वेश्वर पण्डित तथा 'अलंकारमणिहार' कर्ता श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्र ने भी आचार्य अप्पय के मत का भरपूर समर्थन एवं सोदाहरण पल्लव भी किया है। आचार्य ब्रह्मतन्त्र ने अपने उदाहरणों में आधारार्थभाव, सहावस्थान भाव, शेषश्लेषिभाव तथा प्रयोज्यप्रयोजक भाव का निबन्धन किया है^२, जो कि आचार्य दीक्षित की मान्यता को दृढ़तर पृष्ठभूमि पर स्थापित कर देते हैं।

- १- द्रष्टव्य -- श्री मनुमार्ह स्म० मेहताकृत 'सिन्धिया ओरियण्टल सिरीज-१ संस्करण ।
उज्जैन, सन् १९४० ई० ।
२- ,, -- अलंकारो पृष्ठ २७४ । काव्यमालासंस्करण--६६, बम्बई सन् १९६८ ई० ।
३- ,, -- श्री ज्ञानशास्त्री सम्पादित, द्वितीय भाग, मैसूर वि०विद्यालय संस्करण,
१९६२, सन् १९६२ ई० ।

अब इस विषय में एक ही प्रश्न और बचता है, वह यह कि आचार्य अप्पय्य को सम्बन्धान्तर निबन्धन की यह प्रेरणा मिली कहाँ से ? क्या नूतन अलंकारों को उद्भावना की ही भाँति यह भी उनकी मौलिक मनीषा का ही फल है अथवा इस विषय में वह किन्हीं पूर्वाचार्य के ऋणी हैं ? इतना तो स्पष्ट ही है कि अप्पय्य के पूर्ववर्तियों अर्थात् तिलक, मम्मट, हेमवन्द्र, रुय्यक, वाग्भट प्रथम, जयदेव विद्याधर, विद्यानाथ, वाग्भट द्वितीय, विश्वनाथ तथा केशवमिश्र में से किसी ने भी लिखित रूप में ऐसा उद्गार व्यक्त नहीं किया है । किन्तु पूर्वमम्मट युगीन आचार्यों के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि आचार्य कुन्तक ने अपने व्याख्यान में 'यत्र तत्साम्यमाश्रित्य सम्बन्धान्तरमेव वा कहकरे इन्दुलिप्त इवांजनेन प्रमृति पद्य में विपरीतलक्षणया अन्योक्ति' की प्रतीति की थी । इससे सिद्ध होता है कि आचार्य सर्वाधिक महत्त्व-सारूप्य निबन्धना अन्योक्ति को देता है था किन्तु साथ ही साथ उसे पूर्वाचार्य आनन्दवर्धन द्वारा प्रोक्त कार्यकारणादि सम्बन्ध भी ज्ञात थे । और इतना ही नहीं वरन् विपरीतलक्षणदि सम्बन्ध को भी वह अन्योक्ति में प्रयोजक मानते थे । अतः संभव है कि आचार्य अप्पय्य ने कुन्तक के ही भावों को गृहीत करके, नियम के रूप में उसे प्रतिष्ठित किया ।

श्लेष एवं समासोक्ति मूलक सारूप्य, आचार्य मम्मट प्रोक्त सारूप्य निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के दो भेद हैं । श्लेष में विशेष्य-विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हैं, साथ ही दोनों अर्थ अभिधया वाच्य होते हैं । जब, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य आदि मर्तृहरि प्रोक्त तत्त्वों में से, किसी एक द्वारा अभिधयावाच्य दोनों अर्थों में से कोई एक, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पक्ष में नियन्त्रित हो जाता है तथा दूसरा अप्रस्तुत अर्थ व्यंजना शक्ति के सहारे प्रतीत होता है तो उसी स्थल पर श्लेषध्वनि होती है । इसी प्रकार समासोक्ति में प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुतार्थ की व्यंजना होती है । प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहारों का स्मारोप होना इसी दूसरी विशेषता है । श्लेष तथा समासोक्ति के इस स्वरूप से यह भाव स्वयं उद्दीप्त हो उठता है कि अन्योक्ति का इनसे पूर्णतः भेद है । यदि कोई साम्य है तो केवल प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत पक्षों का निबन्धन भाव । किन्तु प्रथम दोनों अलंकारों में जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अवगम होता है, वहाँ 'अन्योक्ति' में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ।

सारूप्यनूलकता के सम्बन्ध में श्लेष तथा समासोक्ति को निबद्ध करने में आचार्य मम्मट का भाव यह कभी नहीं रहा कि वास्तव में यह सारूप्य, उनके स्वरूप-

लक्षण से ही उत्पन्न होता है । वरन् उनका एकमात्र तात्पर्य केवल इस तथ्य में था कि अन्योक्ति के इस भेद में जो सादृश्य परिलक्षित होता है, वह श्लेष एवं समासोक्ति के तकनीक पर ही आधारित होता है । उदाहरणार्थ प्रत्येक संगीतज्ञ, सारंगी, सितार तथा वंशी के मौलिक भेद को समझता है । किन्तु सिद्धहस्त वंशी का वादक, वंशी से ही जब सारंगी तथा सितार की मधुरमूर्धनायें आलाप तथा आरोहावरोह, प्रस्तुत कर देता है तब श्रोतृवर्ग से सैकड़ों कण्ठ बोल उठते हैं कि 'अरे, इन्होंने तो सारंगी एवं सितार की ध्वनि बजाई । वस्तुतः ऐसा कहने में श्रोता का भाव यह कभी नहीं रहता कि वंशी के अन्तराल में सारंगी एवं सितार ही स्थित थे, वरन् उनका एकमात्र तात्पर्य वंशी पर उक्त दोनों वाद्यों की अनुरणनशैली के आरोप से होता है । स्त्री दशा में बिना इस रहस्य को सहृदयतापूर्वक समझे कोई आलोचक यह कहे कि 'नहीं, वंशी द्वारा सितार की ध्वनि बज ही नहीं सकती, यह बिल्कुल गलत बात है आदि' तो इससे आलोचक की ही चैतसिक भ्रान्ति प्रत्यक्ष होती है ।

किन्तु पूर्वाग्रही यदि अपना 'पूर्वाग्रह' त्याग ही दें तो वितण्डा क्यों उत्पन्न हो ? प्रस्तुत प्रसंग में भी स्थिति, कुछ इसी प्रकार की है । आचार्य हेमचन्द्र ने 'सारूप्य' निबन्धना का विभाजन करते हुए कहा है -- 'तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने द्वौ प्रकारौ-श्लिष्ट- विशेषणता सादृश्यमात्रं वा तुल्यान्तरस्याक्षेपहेतुः' (काव्यानुशासन पृष्ठ ३६५) यद्यपि श्लिष्टविशेषणता 'समासोक्ति' का प्रमुख धर्म है, किन्तु आचार्य ने उपर्युक्त दृष्टिकोण के ही कारण 'तन्मूलकता' का उल्लेख न करके उसी तथ्य को प्रकारान्तर से कहा । इसी प्रकार श्री विश्वनाथ ने भी 'तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा-श्लेषमूला सादृश्यमात्रमूला च । श्लेष मूलापि समासोक्तिवद्विशेषणमात्रश्लेष श्लेषवद्विशेष्यस्यापि श्लेष भवतीति द्विधा' (साहित्य दर्पण पृ० ७१२) कहा, जिसमें कि प्रत्यक्ष एवं निरपेक्ष रूप से श्लेष एवं समासोक्ति मूलकता की चर्चा न करके, प्रकारान्तर से वही तथ्य वतुप्रत्यय के सहारे व्यक्त किया गया है । इसी प्रकार आचार्य जगन्नाथ भी सारूप्य निबन्धना का स्वरूप सोदाहरण स्पष्ट करते हुए 'श्लिष्ट विशेषणमात्रेण दृश्यते' की बात करते हैं । इन तीनों आचार्यों के मतों से सुस्पष्ट हो जाता है कि वे सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति के विभाजन में 'श्लेष एवं समासोक्ति संज्ञाओं' का अन्तर्गमन किसी भी रूप में नहीं चाहते थे । आचार्य विश्वनाथ ने तो मम्मट का प्रारम्भिक अनुकरण ही किया है । मम्मट के विभाजन को ही प्रारम्भिक मानते हुए

उन्होंने केवल, दृढ़तापूर्वक श्लेषादि की मूलकता अन्योक्ति में न दिखाते हुए, उनकी छाया अथवा आभास मात्र को प्रदर्शित किया है, जो कि आचार्य मम्मट की अव्यक्त भावना का ही प्रकाशन है। किन्तु इसके विपरीत आचार्य हेमचन्द्र ने श्लेषमूलकता तथा मम्मटिय उदाहरण 'पुंस्त्वादपि प्रविचलेत्' आदि पद्य का सम्यग्रूप से खण्डन भी किया है। इस विषय में उनकी स्पष्ट धारणा है कि -- 'विशेष्यश्लिष्टता तु अन्योक्तिप्रयोजकतया न वाच्या'। उक्त पद्य में आचार्य ने शब्दशक्तिमूल ध्वनि ही स्वीकार की है।

'श्लिष्टविशेषणा' को आचार्य ने स्वीकृत एवं उदाहृत अवश्यकिया है, किन्तु अन्वयोक्ति के ही व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के रूप में न कि समासोक्ति के घर्म रूप में।

आचार्य जगन्नाथ, 'श्लेषमूलकता' को अपने व्याख्यान में कोई स्थान ही नहीं देते, क्योंकि उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। सम्भवतः इस विषय में उनका दृष्टिकोण, हेमचन्द्र के ही अनुरूप था। 'श्लिष्टविशेषणा' को पूर्वोक्त आचार्य की ही भांति जगन्नाथ अन्योक्ति का निजी घर्म स्वीकार करते हैं। इस विषय में उनकी स्पष्ट धारणा है कि -- 'समासोक्तिरत्रानुग्राहिकेति तु न वक्तव्यम्। तस्याः प्रकृतालंकार-विरुद्धात्मिकात्वेनानुग्राहिकात्वायोगात्।' इतना ही नहीं, वरन् मम्मटोदाहृत पद्य 'येनास्यम्युदितेनचन्द्र' का खण्डन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ प्रतीयमान 'कापुरुषवृत्तान्त यदि 'प्रस्तुत' है तो समासोक्ति न होगी (क्योंकि उसमें प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना होती है) और यदि 'अप्रस्तुत' है तो 'अप्रस्तुतप्रशंसा' न होगी (क्योंकि उसमें अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना होती है) क्योंकि इन विकल्पों को स्वीकार करने पर, मम्मट प्रदत्त इन अलंकारों की परिभाषायें स्वयं असंगत हो जायेंगी। हां यदि श्लिष्टविशेषणों के बल से अप्रदत्त द्वितीयार्थ मात्र ही समासोक्ति हो, तो फिर मम्मटिय उदाहरण में 'समासोक्तिमूलकता' स्वीकार्य है।

किन्तु पण्डितराज के ये विचार केवल उनकी तत्त्ववापेक्षित तर्क-बुद्धि के ही सूचक हैं। यह तो साधारण सी बात है कि 'श्लिष्टविशेषणों' से उपदिष्ट द्वितीयार्थ मात्र समासोक्ति नहीं है, क्योंकि समासोक्ति सद्भाव की सबसे बड़ी शर्त 'प्रस्तुत से अप्रस्तुत' का बोध है। पहला तत्त्व, समासोक्ति होने का साधन है और दूसरा साध्य। अतः यदि ये दोनों ही लक्षण, किसी पद्य में अथवा सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति में ही घटने लगे तो फिर समासोक्ति होगी ही कैसे? क्या आचार्य मम्मट की दृष्टि, समासोक्तिमूलकता की स्थापना करते समय, पण्डितराज की भी तरह सूक्ष्म नहीं रही?

वस्तुतः स्थिति तो यह है कि सारूप्य निबन्धना अन्योक्ति में अप्रस्तुत वाच्य में प्रस्तुत व्यंग्य का व्यंजनयावगम होता है । किन्तु इस अवगम की परिपाटी ठीक वही है जो कि समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुतावगम के समय रहती है । ऐसी दशा में 'साध्य' तो अन्योक्ति पद से किन्तु उसका साधन समासोक्ति पद से सम्बद्ध रहता है । अतः जैसे उचित विभावानुभावसंचारीभावों में निबद्ध स्थायी भाव 'रस' तथा विपरीत दशा में 'रसाभास' बनता है, ठीक उसी प्रकार 'श्लिष्टविशेषणत्व' जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यंजनाविधान में कवि द्वारा निविष्ट दिया जाता है तभी 'समासोक्ति' की सर्जना करता है अन्यथा विपरीत दशा में (अप्रस्तुत में प्रस्तुत व्यंजनया विधान -- अन्योक्ति) 'समासोक्ति' का आभास मात्र बनता है । रुय्यक के टीकाकार आचार्य समुद्रबन्ध (१३००ई०) ने इसी प्रसंग में 'अत्र..... विशेष्यस्य साम्यामावाञ्च समासोक्ति-व्यपदेशमात्रं न तु मुख्या समासोक्तिः । वाच्यस्याप्रस्तुतत्वात्' (अलंकार सूत्र , पृ० १२८ त्रिवेन्द्रम संस्क०, १६२५ ई०) तथा आचार्य विश्वेश्वर (उन्नीसवीं शती का उत्तरार्द्ध) ने -- 'प्रकृते प्रकृतव्यवहारारोपस्य तत्रवात् । अत्र चाप्रकृते प्रकृतव्यवहारारोपात् समासोक्ति-च्छाया' (अलंकार कौस्तुभ पृ० २७२ काव्यमाला संस्क०) आदि कहा है जो कि उपर्युक्त व्याख्यान के ही पोषक प्रमाण हैं ।

ठीक यही प्रक्रिया श्लेषमूलक सारूप्य में भी घटित होती है । 'पुंस्त्वावपि प्रविचलेत्' आदि पद्य में यद्यपि, विष्णु एवं महापुरुष परक दोनों ही अर्थ अभिधया वाच्य हैं, किन्तु इनमें से कोई भी अर्थ संयोगादि द्वारा नियन्त्रित नहीं है और न तदितर अर्थ व्यंजना से प्रतीत ही हो रहा है, अतः किसी भी रूप में यहाँ श्लेष ध्वनि संभव ही नहीं, जैसा कि प्रमवश, आचार्य हेमचन्द्र ने सम्भावना की है । वस्तुतः प्रसंग यहाँ अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतावगम होने का है । किन्तु जब दोनों ही अर्थ अभिधयावाच्य हैं तो एक वाच्य और एक व्यंग्य कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि समुदाय की शक्ति अवयव शक्ति से अधिक बलवती होती है । प्रकरणादि प्राप्त होने पर भी योगार्थ नहीं बलवान् होता वरन् रुदयर्थ ही । उक्त उदाहरण में भी 'पुरुषोत्तम' पद का सूक्ष्म अर्थ विष्णु तथा यौगिक अर्थ 'महापुरुष' से है । अतः अन्योक्ति प्रसंग में यद्यपि ये दोनों ही अर्थ अभिधया वाच्य हैं तथापि विष्णुपरक अर्थ बलवान् होने के कारण अप्रस्तुत होते हुए भी सर्वप्रथम उपस्थित होगा । किन्तु चूंकि वह अप्रस्तुत है अतः अभिधया मात्र में -- 'प्रकृत' न होकर उसके व्यंग्यार्थ 'महापुरुषपरक' में ही विश्रान्त होकर

प्रदीपप्रभाकरर श्री वैष्णवाथ तत्सत् की ये पंक्तियां इस प्रसंग में वस्तुतः उल्लेखनीय हैं --
 'तथा चोभयत्रामिधाव्यापारसत्त्वेऽपि ह्यर्थस्याप्रस्तुतस्यापि प्रथमावगतिमात्रेणाप्रस्तुत-
 प्रशंनलंकारत्वमित्यर्थः । वस्तुतस्त्वत्राप्रकृतदृष्टान्तेन प्रकृतावबोधनं मुख्यं कवेः तात्पर्य-
 विषयः । श्लेषस्तु तदुपयोगितया गुण इति प्रधानेनैव व्यपदेशो युक्त इति ज्ञेयम् ।'

सारूप्य-निबन्धना का तृतीय भेद, आचार्य मम्मट के अनुसार 'सादृश्य मात्र' पर आधारित है । चूंकि श्लेष स्वं समासोक्ति मूलक सारूप्यनिबन्धना की भांति इसमें श्लेषता का सर्वथा अभाव है अतः इसे 'शुद्ध सारूप्य' भी कहा जा सकता है । पूर्व-व्याख्यान में 'आदाय वारि परितः' प्रमृति पद्य में इसे अविस्तर निरूपित किया जा चुका है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सादृश्य में, अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना केवल इतिवृत्त-साम्य के ही कारण होती है । पण्डितराज जगन्नाथ के स्तद्धिषयक मत 'प्रस्तुताङ्कुर' अलंकार के सन्दर्भ में उपन्यस्त किये जायेंगे ।

'सारूप्यमूलकता' की दृष्टि से सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति' के तीन भेदों की आलोचना की जा चुकी है अब वाच्यार्थ पर व्यंग्यार्थ के आरोप की दृष्टि से भी, इसके अन्य तीन भेदों का व्याख्यान कर लेना आवश्यक है । इसी को वाच्यार्थ का त्रैविध्य भी कहते हैं । वस्तुतः श्लेषादि भेद वाले विभाजन की ही भांति प्रस्तुत विभाजन केवल सारूप्यनिबन्धना से ही सम्बद्ध है । क्योंकि कारणकार्यादि भेदों में वाच्यार्थ तथा प्रातीतिक अर्थ का सम्बन्ध स्पष्ट रहने से अध्यारोपादि का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु सारूप्य निबन्धना, जहां कि वाच्यार्थ स्वं व्यंग्यार्थ का सम्बन्ध, केवल श्लेष समासोक्ति स्वं सादृश्य मात्र पर आधारित होता है, में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इसका वाच्यार्थ स्वतः सम्मवी है अथवा नहीं ?' अप्रस्तुत वाच्य पर प्रस्तुत व्यंग्य का अध्यारोप तभी होगा, जब वह 'स्वतः असम्मवी' होगा । अतः इस दृष्टि से वाच्यार्थ का सम्मव, असम्मव तथा सम्मवासम्मव होना ही प्रकारान्तर से उस पर प्रतीयमानार्थ का अनध्यारोप, अध्यारोप तथा आंशिक अध्यारोप के बराबर है ।

'अध्यारोपादि' पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य मम्मट तथा सम्मवादि के प्रथमप्रयोक्ता आचार्य रुय्यक हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने इन दोनों शब्दावलियों की उपेक्षा करते हुए क्रमशः 'विवक्षित, अविवक्षित तथा विवक्षिताविवक्षित' शब्दों का प्रयोग किया है जो कि उन्हीं की व्याख्या के प्रामाण्यानुसार वाच्यार्थ संमवादि के ही पर्याय हैं । आचार्य विश्वनाथ ने रुय्यक की शब्दावली का ही प्रयोग किया है ,

किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने पूर्वोक्त समस्त संज्ञाओं को त्याग कर, उनके स्थान पर क्रमशः, प्रतीयमानताटस्थ्य, प्रतीयमानानामेद तथा 'क्वचिच्च प्रतीयमानमपि किंचिदंशे वाच्यतादात्म्यं वाच्यं च किंचिदंशे प्रतीयमानतादात्म्यमपेक्षते' शब्दावली का प्रयोग किया है। किन्तु इन सब की व्यंजना एक ही है। जो कश्चित् वाच्यार्थ सम्भव होगा वही विवक्षित भी होगा और उसी में अनव्यारोप तथा प्रतीयमानताटस्थ्य भी प्राप्त होंगे। वस्तुतः 'सम्भव तथा विवक्षित' शब्द अप्रस्तुत वाच्य की दृष्टि से तथा अन्य दोनों शब्द, प्रस्तुत व्यंग्यार्थ की दृष्टि से, आचार्यों द्वारा प्रयुक्त किये गए हैं।

प्रतीयमानार्थ के अनव्यारोप का उदाहरण आचार्य मम्मट ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है --

'अव्येरम्मः स्थगितभुवनामोगपातालाकुक्षेः पोतोपाया इह हि बहवो लघनेऽपिज्ञामन्ते ।
आहो रिक्तः कथमपि मवेदेष देवात्तदानीं को नाम स्यादवटकुहरालोकनेऽप्यस्य कल्पः ।।
यहां अप्रस्तुत समुद्रवृत्तान्त से इतिवृत्तमाम्यवश एक ऐसे उपमर्दनशील एवं निष्करुण व्यक्ति की व्यंजनया प्रतीति हो रही है जिसकी पूर्णता (समृद्धि) ही भली है न कि रिक्तता (दारिद्र्य) क्योंकि समृद्धि युक्त होने पर भी जब वह दीनों को पदलित करता रहा है तो दारिद्र्य में निश्चय ही वह और भूखा भेड़िया हो जाएगा ।
अतः उसकी अत्यन्तोपमर्दनशीलता यहाँ व्यंग्य है जो कि वाच्यार्थ के प्रति गुणीभूत है । किन्तु यह अवधेय है कि इस पद्य में दोनों ही अर्थ परस्पर निरपेक्ष हैं, एक के सम्भव होने में दूसरे का कोई साहाय्य नहीं । अतः वाच्यार्थ दृष्ट्या यह, 'संभव अथवा विवक्षितार्थ का अथवा व्यंग्यदृष्ट्या, अनव्यारोप या प्रतीयमानताटस्थ्य का उदाहरण है ।

अव्यारोप का अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण मम्मट ने 'कस्त्वं मोः कथयामि देवहतके आदि दिया है, जिसमें कि एक शासोटक वृत्त तथा बटोही का संवाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि निश्चय ही प्रदीपकार के शब्दों में अनुपपन्न है --
'अत्रवाच्यशासोटके संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वादिक्मनुपपन्नमिति प्रतीयमानाव्यारोपः ।'
(गोविन्द ठक्कर) बालचित्तानुरंजिनीकार के मत से यह तथ्य और स्पष्ट हो जाता है 'अत्र अनेतनेनसह प्रश्नोत्तरयोरसम्भवाद्वाच्यस्यासम्भवः' । अतः यह वाच्यार्थ तब तक असम्भव रहेगा, जब तक कि वाच्यार्थ का इस पर अव्यारोप न हो जाय, अथवा दोनों का जब तक अन्वय न हो जाय । 'किसी बनी व्यक्ति के पड़ोसी, मनस्वी निर्धन का

परिदेवन ही यहां व्यंग्य है, अतः उसका अध्यारोप शाखोटकादि पर होता है^१।

सम्भवासम्भव उदाहरण में, उपर्युक्त दोनों रीतियों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें वाच्यार्थ के कुछ अंश तो उपपन्न, सम्भव अथवा विवक्षित होते हैं और कुछ अनुपपन्न, असम्भव अथवा अविवक्षित। अतः इसी दृष्टि से वाच्यार्थ पर व्यंग्यार्थ का अध्यारोप भी तथाकथित असंभवांशों पर ही होता है। आचार्य मम्मट ने मल्लट शतक का प्रसिद्ध श्लोक 'सोऽपूर्वोरसनाविधिः' आदि उदाहृत किया है^२ अनेक आचार्यों ने इस सारूप्यभेद के लिए 'उभयरूप' शब्द का भी प्रयोग किया है। जो कि उपर्युक्त भाव का ही 'संक्षिप्त संकेत' कहा जा सकता है।

इस प्रकार सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति का मम्मट द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय वर्गीकरण, इस तथ्य का परिचायक है कि आचार्य मम्मट ने अत्यन्त सूक्ष्म रीति से इसका अध्ययन किया था। क्योंकि संस्कृत साहित्य में प्राप्त प्राचीनतम अन्योक्तियां प्रायः इन्हीं तीनों भेदों में समाविष्ट हो जाती हैं। श्लेष स्वं समासोक्ति का निबन्धन भी बहुत कुछ कार्यकारणादि की भांति प्रयत्नसाध्य ही होता है। किन्तु इतिवृत्त साम्य के माध्यम से अथवा निर्जीव, जड पदार्थों के व्यपदेश से कवि किसी भी व्यक्ति का रहस्योद्घाटन ज्ञान भर में कर सकता है। इस दृष्टि से 'आरोपित' सादृश्य का अन्योक्ति में बहुत महत्त्व है। सदुक्ति कर्णामृतादि संग्रहग्रन्थों में संकलित तथा भ्रमर, कोकिल, कीर, खद्योत, जल, तिल आदि अचेतन प्राकृतिक उपादानों को लेकर प्रणीत लाखों अन्योक्तियां 'आरोपितसादृश्य' अथवा 'व्यंग्यार्थ के अध्यारोप' का ही परिस्फुरण हैं। आरोपितसादृश्य का निरूपण करने के बाद आचार्य गगामट ने सम्भवतः इसी दृष्टि से यह उद्गार व्यक्त किया था -- 'स्वमन्यान्मुदाहरणान्मु-
ह्यानि। प्रायेण सर्वेऽप्यन्यापदेशा उदाहरणम्' (चन्द्रालोक की टीका 'राकागम'
५।६७ की व्याख्या -)।

इसी प्रसंग में 'साधर्म्य-वैधर्म्य' शब्दों की व्यंजना भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस विषय में ज्ञातव्य तथ्य यह है कि आचार्य मम्मट ने अपने अन्योक्ति

१- द्रष्टव्य- -- नहि वृत्त विशेषण सहोक्तिप्रत्युक्ती संभवत इति अविवक्षितान्वाच्ये-

नेवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवासिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मन-

स्विनः परिदेवितं तात्पर्येण वाक्यार्थिकृतमिति प्रतीयते।

--हमचन्द्रः का व्याख्यान, पृ० ३६०।

२- 'वाच्योऽप्यर्थस्त्रयेवास्यां सम्भवात्सम्भवोभेदः' --संक्षिप्तसंकेत, पृ० २८६।


व्याख्यान में इन तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है । इनके पूर्व भी किसी आचार्य ने इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला । वस्तुतः 'साधर्म्य-वैधर्म्य' की चर्चा सर्वप्रथम आचार्य रुय्यक ने 'सर्वत्र' टीका में किया है । आचार्य मम्मट ने सारूप्यनिबन्धना अर्थात् अन्योक्ति के पांचवें भेद का दो दृष्टियों से वर्गीकरण किया है, यह पहले देखा जा चुका है । उनके आन्ततम अनुवर्ती आचार्य हेमचन्द्र ने उनही इन दोनों ही दृष्टियों का समाहर करते हुए, ईषद्भेद प्रदर्शन के साथ ही अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है । किन्तु आचार्य रुय्यक ने पूर्वव्याख्यात, श्लेष, समासोक्ति आदि भेदों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए दो नई दृष्टियों से सारूप्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया है -- एक दृष्टि से सारूप्य के दो भेद हैं -- साधर्म्य एवं वैधर्म्य तथा दूसरी दृष्टि से -- सम्मवादि तीन भेद हैं जो कि आचार्य मम्मट के ही द्वितीय भेद की क्लायामात्र है । अतः यह विचारणीय है कि 'साधर्म्य तथा वैधर्म्य' का वास्तविक रूप क्या है ?

साधर्म्य एवं वैधर्म्य का शाब्दिक^{अर्थ} समान धर्म तथा 'विरुद्ध धर्म' होता है । यद्यपि आचार्यों द्वारा साधर्म्य एवं वैधर्म्य के विषय में पारिभाषिक दृष्टिकोण से कोई व्याख्यान व कहीं प्राप्त नहीं होता, तथापि उनके उदाहृत पद्यों तथा उन पद्यों के निर्वचनों से यही प्रतीत होता है कि उनकी व्यंजना समान एवं विपरीत धर्म के निबन्धन से ही है । आचार्य रुय्यक तथा विश्वनाथ, दोनों ने ही वैधर्म्य उदाहरण के रूप में -- 'धन्या? खलु वने वाताः कहलारस्पर्श शीतलाः राममिन्दीवर-श्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिता?' श्लोक उद्धृत किया है । इस पद्य में वक्ता पंचपटी में विद्यमान भगवान राम का स्पर्श करने वाले गन्धवाह की प्रशंसा करता है जो कि अप्रस्तुत है । किन्तु इस अप्रस्तुत से एक अव्यक्त प्रस्तुत की व्यंजना भी हो रही है, वह यह कि मैं स्वयं अभाग्यशील हूँ । इस प्रकार अप्रस्तुत में निबद्ध धन्यता का भाव, अप्रस्तुत में 'अधन्यता' अथवा 'आत्ममर्त्सना' के रूप में परिणत होता है जिसे कि वैधर्म्य का भाव स्वतः स्पष्ट हो जाता है । इसके विपरीत जहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धर्मों में साम्य हो अर्थात् वाच्य प्रशंसा से व्यंग्यप्रशंसा तथा वाच्य मर्त्सना अथवा निन्दा से व्यंग्य निन्दा, उपस्थित हो वहाँ साधर्म्य भाव होगा ।

वस्तुतः 'साधर्म्य एवं वैधर्म्य' के अन्तराल में स्तुति एवं निन्दा का ही भाव व्यवस्थित है । अतः निश्चित है कि अन्योक्तिगत, अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत निबन्धन की

व्यवस्था में स्तुति से स्तुति अथवा निन्दा से निन्दाभाव की व्यंजना होने पर ही साधर्म्य भाव होगा, अन्यथा स्तुति से निन्दा अथवा निन्दा से स्तुतिभाव की व्यंजना होने पर 'वैधर्म्यभाव'। किन्तु इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं कि दोनों ही परिस्थितियों में अन्योक्ति ही होगी। ईशा की सातवीं शती में ही भामहीय अप्रस्तुतप्रशंसा से व्यतिरिक्त एक नवीन 'अप्रस्तुतप्रशंसा' का स्वरूपन्यास करके आचार्य दण्डी ने घोषणा की थी कि 'निन्दापर्यवसायिनी अप्रस्तुतस्तुति ही अप्रस्तुतप्रशंसा है और साहित्य मीमांसाकार (रुद्रयक या मंखक?) ने ठीक इसके विपरीत 'प्रशंसा अर्थात् स्तुति' के व्यंग्य रहने पर अन्योक्ति स्वीकार की है -- अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादन्त्ये तुव्यंरया स्तुतिः यथा शिखरिणी व्यंग्य-रहने-पर-अन्योक्ति-स्वीकार-की-है--- क्व नुनामे इत्यादि। किन्तु यदि हम मम्मटोत्तर युगीन इस सैद्धान्तिक सरणि को देखें तो प्रतीत होगा कि दण्डी अथवा साहित्य मीमांसाकार प्रोक्त अप्रस्तुतप्रशंसा इस नवीन अप्रस्तुतप्रशंसा के चार भेदों में से केवल एक है। चन्द्रालोक के टीकाकार आचार्य गागाभट्ट ने अप्रस्तुतप्रशंसा के इस नवीन रूप को देखते हुए ही, आचार्य दण्डी के मत का खण्डन किया तथा साधर्म्यवैधर्म्य के आधार पर इसके नवीन चार भेदों का निराकरण किया -- 'अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकाण्डे तु या स्तुतिः। स्तुतिरित्युपलक्षणं निन्दाया अपि। तेन यत्राप्रस्तुतस्य स्तुत्या निन्दया वा प्रस्तुतस्य स्तुतिर्निन्दा वा प्रतीयते तत्राप्यप्रस्तुतप्रशंसा लंकारः।' -- राकागम टीका (चन्द्रा० पृ० ६७) गागाभट्ट द्वारा व्याख्यात-- इन चारों भेदों का स्वरूप इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है --

अन्योक्ति (अप्रस्तुतप्रशंसा)



इस प्रकार सिद्ध है कि 'अप्रस्तुतप्रशंसा' में स्थित 'प्रशंसा' शब्द न केवल 'प्रशंसा' का प्रत्युत 'निन्दा' अर्थ का भी धोतक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कुवलयानन्दकार श्री दीक्षित

ने साधर्म्य की दोनों कोटियों को सोदाहरण व्याख्यात करने के पश्चात् कहा कि --
 'स्वं च लक्ष्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्दः स्तुतिनिन्दास्वरूपाख्यानसाधारणकीर्तनमात्रपरो
 द्रष्टव्यः' (कुवलयानन्द अप्र० प्रकरण) ।

उपर्युक्त रेखा-विभाजन में प्रथमभेद स्तुतिरूपा अन्योक्ति का दूसरा निन्दा-
 रूपा अन्योक्ति का तथा वैधर्म्य गत दोनों भेद 'अनुभयरूपा' अन्योक्ति के रूप हैं । इसके
 अतिरिक्त श्री अप्पय्य दीक्षित ने 'प्रशंसा' शब्द की जो तीसरी व्यंजना 'स्वरूपाख्यान
 प्रस्तुत की है, वह स्तुति तथा निन्दा दोनों से मुक्त होने के कारण 'अनुभय रूपा'
 अन्योक्ति का उदाहरण है । अतः इसे भी मिलाकर साधर्म्य वैधर्म्य के कुल चार भेद
 हुए -- स्तुतिरूप, निन्दारूप, अनुभयरूप तथा अनुभयरूप । यह तो स हुई सैद्धान्तिक व्याख्या
 किन्तु व्यवहार रूप में भी इन तीनों अथवा चारों का सोदाहरण व्याख्यान आचार्यों
 ने किया है । प्रथम तीन भेदों का सुस्थिर स्वरूप, मम्मटोत्तरयुग में, क्रमशः आचार्य
 हेमचन्द्र कृत 'काव्यानुशासन', पृ० ३६७ (बारहवीं शती) वाग्मटप्रथमकृत 'काव्यानुशासन'
 पृ० ३५, ३६ (बारहवीं शती) तथा अप्पय्य दीक्षित कृत 'कुवलयानन्द' पृ० १२३, २४
 (सत्रहवीं शती) में सविस्तर निरूपित किया गया । इसी प्रकार 'अनुभयरूप' सहित इन
 भेदों का सांगोपांग विवेचन आचार्य नरेन्द्रप्रमसूरि ने अपने लक्षणग्रन्थ 'अलंकारमहोदधि'
 की आठवीं तरंग में पृ० २८५ पर किया है । अन्योक्ति के काव्यशास्त्रीय विवेचन में
 इन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अन्योक्ति सम्बन्धी मम्मटीय व्यवस्था में एक ही व्याख्येय समस्या और
 शेष रहती है । वह यह कि 'काव्यात्मा ध्वनि का अन्योक्ति में क्या स्थान है? तृतीय
 अध्याय में आचार्य अभिनव के मतनिरूपण में यह प्रमाण हम पा चुके हैं कि आचार्य असंभव
 अथवा प्रतीयमानार्थाध्यारोप सारूप्यनिबन्धना को वस्तुध्वनि का उदाहरण स्वीकार
 करते हैं -- 'यदि पुनरचेतनादिनात्यन्तासम्भाव्यमानतदर्थविशेषणनाप्रस्तुतेन वर्णितेन
 प्रस्तुतमाज्ञिप्यमाणं चमत्कारकारि चमत्कारि तदा वस्तुध्वनिरसौ' -- ध्वन्यालोक
 लोचन प्रथमोद्योत । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्योक्ति के समस्त भेदों में 'ध्वनि'
 प्राप्त ही होगी । क्योंकि आचार्य जानन्दवर्धन ने अलंकार विवेचन का उपसंहार करते
 हुए १- नरेन्द्रप्रमसूरि (सन् १२८२ ई०) कृत अलंकारमहोदधि । श्री लालचन्द्र मगवानदास

मान्धी द्वारा सम्पादित । बहोदा संस्करण, सन् १९४२ ई० ।

हुए स्पष्ट शब्दों में यह निर्णय प्रस्तुत किया है कि समासोक्ति प्रभृति अर्थालंकारों में जहां कि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का ही अनुयायी होता है, दूसरे शब्दों में वही अप्रधान होता है, वहां 'ध्वनि' कभी हो ही नहीं सकती। अतः आचार्य के अनुसार जहां शब्द स्वं अर्थ, व्यंग्यार्थ-निष्पत्ति में तत्पर हों, और जहां उनकी निरपेक्ष स्वं स्फुट प्रतीति हो वही 'ध्वनि' की संभावना है^१। लोचनकार ने भी ध्वनिदोष का निरूपण करते हुए कहा है -- 'तेन चतुर्षु प्रकारेषु ध्वनिव्यवहारः सद्भावेऽपि व्यंग्यस्य अप्राधान्ये, श्लिष्टप्रतीतौ, वाच्येन समप्राधान्ये स्फुटे प्राधान्ये च ।' --ध्वन्यालोक लोचन, प्रथमोद्योत ।

आचार्य आनन्द स्वं अभिनव की उपर्युक्त मान्यताओं को देखते हुए जब हम अलंकारों पर ध्यान देते हैं तो यह भाव स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि उनमें यथाकथंचित प्राप्त ध्वनि या तो वाच्योपस्कारक होने के कारण 'तुल्यप्राधान्य' रूप में रहती है अथवा वाच्यसिद्धयंग रूप में। अन्योक्ति के भी पंचविधनिबन्धन में केवल साहित्यनिबन्धना के एक भेद विशेष में व्यंग्यार्थ की स्फुट स्वं तत्त्वान्तराप्रतिहत स्थिति रहती है, क्योंकि अप्रस्तुत के रूप में निबद्ध अचेतन प्राणिव्यवहार अत्यन्त असम्भव होने के कारण तब तक सिद्ध नहीं होते जब तक कि उन पर व्यंग्यार्थ का आरोप न हो। और बूँकि अप्रस्तुत पर आरोपित किया जाने वाला प्रस्तुतप्रतीयमानार्थ अकारकारी होता है अतः 'ध्वनि' की स्थिति वहां निर्विशंक हो जाती है। शेष प्रसंगों में जहां कि वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का तुल्यप्राधान्य अथवा वाच्यसिद्धयंगत्व रहता है, वहां स्वकीय ध्वनि वाच्योपसर्जनीभूत होने के कारण प्रधान न होकर गुणीभूत ही रहती है। आचार्य विद्याधर अन्योक्ति में व्यंग्यार्थ की वाच्यसिद्धयंगस्थिति ही स्वीकार करते हुए कहते हैं कि -- 'अभिनवगुप्तपादाचार्याः पुनरस्यां वाच्यगुणयोः सममेव प्राधान्यमाहुः ।' स्कावली, पृ० २६५। टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ ने भी विद्याधर एवं अभिनव दोनों के ही मतों का समानरूप से अनुमोदन किया है। इसी प्रकार आचार्य विद्यानाथ तथा उनके टीकाकार श्रीकुमार स्वामी ने साथ ही साथ

१- व्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्तादयस्तत्र वाच्यालंकारतयः स्फुटाः ॥ व्यंग्यस्य प्रतिमामात्रं वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनियत्र वा तस्य प्राधान्यं प्रतीयते ॥ तत्परावेव शब्दार्थो यत्र व्यंग्यं प्रतिस्थितो ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः स करोज्जितः ॥

२- न चायं ध्वनिः प्रतीयमानस्य वाच्यसिद्धयंगत्वात् (विद्यानाथ) वाच्यसिद्धयंगत्वात् प्रस्तुतस्य वाच्यत्वमेवायुक्तमिति कृत्वा प्रस्तुत प्रतीयमानं तत्साधनत्वेनोपकरोतीति वाच्यसिद्धयंगं नाम गुणीभूतव्यंग्यं न प्रधानमतो न ध्वनिरितिमावः । --प्रतापरुद्रकी रत्नापण टीका पृ० ४४४ -- त्रिवेदी संस्करण, १९०६ ई० ।

मम्मटाचार्य के अनेक टीकाकारों ने भी वाच्यभिद्वयंग पदा को ही मान्यता दी है । किन्तु जो भी हो, पर इतना तो निश्चक भाव से कहा जा सकता है कि अन्योक्ति में सारूप्यनिबन्धना के अव्यारोप पदा को छोड़कर अन्य समस्त कोटियों में गुणीभूत व्यंग्य ही होता है ध्वनि नहीं । यह और बात है कि वह गुणीभूत व्यंग्य तुल्यप्राधान्य स्वरूप है अथवा वाच्यसिद्धयंग स्वरूप, क्योंकि दोनों ही आचार्य मम्मट प्रोक्त अष्टविध गुणीभूत व्यंग्य के ही भेद हैं ।

इसके पूर्व कि, अन्योक्ति स्थित ध्वनि के विषय में संस्कृत काव्यशास्त्र की दो चरम, किन्तु अप्रतिम प्रतिमाओं का मनोल्लेख किया जाय, उनके कुछ अतन्त्र विचारों का आकलन कर लेना प्रसंगानुकूल होगा । आचार्य अप्पय्य दीक्षित तथा जगन्नाथ पण्डितराज का मम्मटोत्तर युगीन आचार्यों में वही स्थान है जो पूर्व मम्मट युग में 'उद्भट एवं वामन' का था । किन्तु ए उद्भट एवं वामन जहां पारस्परिक सम्बन्धों से सर्वथा दूर हैं, वहां आचार्य अप्पय्य एवं पण्डितराज परस्पर सम्बद्ध । इस सम्बन्ध का मूल रहस्य यह है कि आचार्य जगन्नाथ, अप्पय्य दीक्षित की मान्यताओं के प्रबल विरोधी एवं तद्विरुद्ध मतों के व्यवस्थापक हैं । उनका लक्षण ग्रन्थ 'रसगंगाधर' पद पर अप्पय्य प्रणीत 'कुवलयानन्द' तथा 'चित्रमीमांसा' के प्रतिपाद्यभूत मतों के लण्डनों से भरा हुआ है ।

अन्योक्ति में सिद्धान्ततः अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतार्थ की व्यंजनया प्रतीति होती है । किन्तु कभी-कभी ऐसे भी वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें 'वक्ता एवं बोद्धव्य' दोनों ही प्रस्तुत होते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन स्थलों पर प्रस्तुत वाच्य से अन्य प्रस्तुत की ही प्रतीति होती है । अतः 'प्रस्तुत से अप्रस्तुतावबोध' न होने के कारण वह वृत्त न तो समासोक्ति का ही दृष्टान्त बन पाता है और 'अप्रस्तुत से प्रस्तुतावबोध' न होने के कारण न तो अन्योक्ति का ही दृष्टान्त बन पाता है और अप्रस्तुत से प्रस्तुतावबोध न होने के कारण न तो अन्योक्ति का ही रूप धारण कर पाता है । अतः अपने इस स्वरूपविषयक वैलक्षण्य के कारण ही स्वविध वृत्तान्त एक पृथक् स्वरूप की अपेक्षा करता है । आचार्य अप्पय्य दीक्षित ने ऐसे ही स्थलों पर एक नूतन अलंकार की सर्जना की है, जिसे 'प्रस्तुताङ्कुर' कहते हैं । अप्रस्तुत प्रशंसा

में ही अन्तर्भूत होने के कारण प्राचीन आचार्यों ने भी 'प्रस्तुताङ्कुर' जैसे षष्ठ सद्यः उद्भावित अलंकार का कोई व्याख्यान अपने लक्षण ग्रन्थों में नहीं किया है । अन्य आचार्यों की तो बात ही होड़िये, श्री दीक्षित जी का एकमात्र मसनेप परमोपजीक्य लक्षणग्रन्थ 'चन्द्रालोक' भी इसके विषय में पूर्णतः मौन है । अतः सिद्ध है कि अनेक नवीन अलंकारों की उद्भावना की ही भांति 'प्रस्तुताङ्कुर' भी आचार्य अप्पय की काव्य शास्त्रीय प्रतिभा का ही रमणीय विलास है ।

'प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य चांतने प्रस्तुताङ्कुरः किं भृंग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्वया ॥' आचार्य अप्पय दीक्षित द्वारा प्रस्तावित 'प्रस्तुताङ्कुर' अलंकार के उपर्युक्त लक्षण एवं उदाहरण से उसका नियत-स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता है । प्रस्तुत प्रसंग में भ्रमर मालती तथा केतकी के बहाने एक ऐसे अविनयशील पति का वृत्तान्त उपस्थित किया गया है जो कि शील सौन्दर्यादि ललनोचित सद्गुणों की खान स्वरूप अपनी पत्नी के रहते हुए भी विटचेटादिसम्बन्धित, निम्नस्तर पर यौवन व्यापार करने वाली अतः कंटीली केतकी सदृश किसी वेश्या में अनुरक्त है ।

नायिका भ्रमर को ही सम्बांधित करके अपनी भावाभिव्यक्ति करती है अतः प्रत्यक्ष एवं समझ होने के कारण भ्रमरादि का वृत्तान्त पूर्णतः प्रस्तुत है और इसका लक्ष्यभूत पतिविषयक वृत्तान्त भी प्रस्तुत ही है, * क्योंकि पति के साथ वह उद्यान में टहल रही है । यहाँ यह शंका भी नहीं की जा सकती है कि भ्रमर सरीसै एक ज्ञान हीन जीव का सम्बोधन होने के कारण वाच्यार्थ 'अप्रस्तुत' है, क्योंकि 'कस्त्वभोः कथयामि देवहतकम्' प्रभृति पद्य में 'शाखोटक' जैसे अचेतन से भी चेतनायुक्त वटोही की प्रश्नोत्तरिका निबद्ध की गई है । अतएव सारूप्यनिबन्धना (अध्यारोप कोटि) में अचेतन पदार्थों का भी प्रयोग पारम्परिक तथा न्याय्य होने के कारण उक्त पद्य में भ्रमर का 'आमन्त्रण' भी निर्विवादरूप से सम्भव है । उपर्युक्त दृष्टान्त की ही भांति कवयित्री विकट नितम्बा प्रणीत --

अन्यासुतावदुपमर्दसहासु भृंग लोलं विनोदय मनस्सुमनोल्तासु ।

बालामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमल्लिकायाः ॥

इस पद्य में भी उद्यानचारी भ्रमर के प्रति एक उपालम्भ व्यक्त किया गया है जो कि प्रस्तुत ही है । इस प्रस्तुत से व्यञ्ज्यमान कामिबुत्तान्त भी प्रस्तुत है । अचेतन निबन्ध

के प्रसंग में जैसा कि पहले कहा जा चुका है आचार्य अभिनवगुप्त 'अन्यापदेशध्वनि' स्वीकार करते हैं, अतः उनके प्रामाण्यानुसार उपर्युक्त दोनों ही उदाहरण वस्तुध्वनि के उदाहरण होंगे । अप्पय्य दीक्षित स्वयं इस तथ्य को जानते हैं -- 'अत्राद्योदाहरणयो रन्यापदेशध्वनिमाह लोचनकारः । अप्रस्तुतप्रशंसायां वाच्यार्थो ऽप्रस्तुतत्वादवर्णनीय इति तत्राभिधायामपर्यवसितायां तेन प्रस्तुतार्थव्यक्तिलंकारः । इहतुवाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायामपर्यवसितायामर्थान्दर्यबलेनाभिमतार्थव्यक्तिर्ध्वनिरेवेति ।' कुव०पृ० १३४ ।

किन्तु यदि उपर्युक्त उदाहरण द्वय में ध्वनि मान ली जाय तो अलंकारत्व सर्वथा नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रसंगों में ध्वनिकार का स्पष्ट मत है कि यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामत्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्धनादाप्यप्रस्तुतस्य स्वरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविज्ञायां ध्वनावेवान्तःपातः । इतरथा त्वलंकारान्तरमेव । ६ ध्वन्यालोक प्रथमोद्योत । परन्तु आचार्य अप्पय्य धार अलंकारवादी आचार्य थे, अतः उन्होंने प्रस्तुतालंकार को अलंकार ही माना, ध्वनि नहीं । इस विषय में उन्होंने ध्वनिकार की ही एक कारिका अपने मत का आधार बनाया है जिसका भाव यह है कि शब्दार्थशक्ति से अज्ञाप्त होने वाला भी व्यंग्यार्थ जहाँ कवि द्वारा अपनी उक्तियों से (अर्थात् श्लोक में निबद्ध शब्दार्थ से) आविष्कृत किया जाता है वहाँ ध्वनि होती ही नहीं, उससे पृथक् कोई अलंकार ही होता है ।^१

वस्तुतः प्रस्तुतालंकार अलंकार की तकनीक सारूप्यनिबन्धना से पृथक् है ही नहीं । आचार्य द्वारा उपर्युक्त पद्यों में जिस भ्रमर को प्रस्तुत माना गया है, वह अप्रस्तुत भी हो सकता है, क्योंकि 'अप्रस्तुत' का केवल यही तात्पर्य नहीं कि जो आंखों के समक्ष न हो वरन् यह तात्पर्य है कि जो 'कविसरम्भगोचर न हो । यह भी आवश्यक नहीं कि नायिका, समक्ष उड़ते हुए भ्रमर को देखकर ही प्रस्तुतार्थ की अभिव्यक्ति करे । यह तो मन्तव्य प्रस्तुत करने की एक कला क या परिपाटी विशेष है जिसमें कि स्वामिप्राय प्रदर्शन चमत्कारयुक्त रीति से सम्भव है । अतः कोई भी वक्ता भ्रमर, कोकिल, पर्वत, वायु, कलश आदि प्राकृतिक एवं अचेतन अप्रस्तुत उपादानों को मध्यवर्ती वक्तव्याधार-बिन्दु कल्पित करके अपने वास्तविक उद्गार की अभिव्यक्ति कर सकता है । ऐसी

१- द्रष्टव्य-- शब्दार्थशक्त्याज्ञाप्तोऽपि व्यंग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राऽऽविष्कृत्यते स्वोक्त्या साऽऽन्येवालंकृतिध्वनेः ॥

-- ध्वन्या० प्रथमोद्योत ।

दशा में प्रस्तुताङ्कुर की प्रतिपाद्य गमग्री, सारण्यनिबन्धना के अविबन्धित वाच्य से बिलकुल विविक्त नहीं है। इसी कारण आचार्य जगन्नाथ ने 'तावत्कोकिल दिवसान्यापय विरसान्वनान्तरेनिवसन् यावन्मिलदल्लिमालः कोऽपि रगलः समुत्सृतिं आदि पद्य को अविबन्धितवाच्य से ही सम्बद्ध स्वीकार किया है^१ जब कि पद्य में प्रतिपादित वृत्त स्व पद्यों का सम्बोधन ठीक 'प्रस्तुताङ्कुर' की ही भांति होता है।

दूसरी बात यह कि अप्पय्य ने अचेतन प्रमर के आमन्त्रण (सम्बोधन) को परिपुष्ट करने के ध्येय से 'कस्त्वं मोः' प्रभृति पद्य का जो हवाला दिया है, वह उनकी भावना का ही पूर्णतः विरोधी प्रमाण ही है। क्योंकि उस पद्य में चूंकि 'शाखोटके' जैसे अचेतन पदार्थ का सम्बोध्यत्वादि गुण अनुपपन्न है, अतः उसी को उपपन्न या सम्भव बनाने के लिए प्रतीयमानार्थ का अध्यारोप उनपर अनिवार्य हो जाता है। प्रदीपकार आचार्य गोविन्द का प्रमाण देखिए -- 'अत्र वाच्यशाखोटके संबोध्यत्वो-च्चारयितृत्वादिक्मनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोपः।' अतस्व जब 'किंभृंग सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्वया' पद्यांश में प्रतिपादित प्रमर के सम्बोध्यत्व को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए आचार्य अप्पय्य 'शाखोटकवृत्तान्त' का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो इसकी परिस्फुट व्यंजना स्पष्ट हो जाती है कि शाखोटके के हो सम्बोध्यत्व की भांति 'प्रमर' का सम्बोध्यत्व भी अनुचित स्व अनुपपन्न है, अतः उसको उपपन्न बनाने के लिए शाखोटकवृत्तान्त की ही भांति कोई न कोई प्रतीयमानार्थ अवश्य अपेक्षित है। वस्तुतः दीक्षितोद्धृत उदाहरणों में यही शैली दृष्टिगोचर होती है। उनके दोनों ही उदाहरण प्रत्येक दृष्टि से 'शाखोटक वृत्तान्त' का ही प्रतिपदानुकरण ही करते हैं, अतः निश्चप्रच है कि उनमें प्रमर का निबन्धन अप्रस्तुत ही है, प्रस्तुत नहीं और इसी प्रकार प्रस्तुताङ्कुर के प्रत्येक उदाहरण में क्रमशः अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत का ही निबन्धन होता है, प्रस्तुत स्व अन्य प्रस्तुत का नहीं। निष्कर्ष यह है कि आचार्य अप्पय्य का प्रस्तुताङ्कुर अलंकार उसमें ध्वनि का अभाव, सम्बोध्य का औचित्य, सब के सब उनकी कल्पितोद्भावना मात्र है, अन्यथा अन्योक्ति के अस्तित्व में उनके परिस्फुरण का लेश मात्र भी अवकाश नहीं ॥

१- 'क्वचिच्च स्वगतविशेषणान्वययोग्यतामासादयितुं प्रतीयमानामेदमपेक्षते' --
रस गुणाधर, द्वितीयानन (अप्र०प्रक०) ।

आचार्य जगन्नाथ ने अन्त अलंकार के प्रकरण में ही शानान्त्यः अन्योक्ति को ध्वनिवत्ता स्पष्टतः स्वीकार की है -- 'ध्वनित्वं पुनर्न क्वाप्यलंकृतिकाव्ये दृष्टमिति चेत् पर्यायोक्तमादृश्यमूलान्प्रस्तुतप्रशंसादि काव्ये ध्वनित्वय स्फुटत्वात् ।' प्रस्तुतालंकार के प्रसंग में भी उन्होंने इसी तथ्य का विस्तृत विवेचन किया है किन्तु आचार्य जगन्नाथ ने एक दूसरी रीति से प्रस्तुतालंकार का खण्डन प्रस्तुत किया है । आचार्य ने आरूप्य निबन्धना अन्योक्ति के नाना भेदों की कल्पना की है और लिखित रूप में भी उनकी दो कोटियों का निदर्शन किया है -- एक तो वह जिसमें अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना होती है । और दूसरा वह जहाँ कि स्थलविशेष पर दोनों ही वृत्तान्त (अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत) प्रस्तुत होते हैं । स्थलविशेष की ध्वनि यह है कि जहाँ कोई व्यक्ति अपने प्रिय को कुछ जताने के ध्येय से पुरोवर्ती भ्रमरादि उपादानों को सम्बोधित करके कुछ कहे । किन्तु कठिनाई तो इस बात की है कि द्वितीय उदाहरण में अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण चरितार्थ कहाँ होगा ? इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए, रस गंगाधरकार कहते हैं कि -- 'अप्रस्तुत शब्देन मुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थातिरिक्तोऽर्थो विवक्षितः । स च क्वचिदत्यन्ताऽप्रस्तुतः क्वचित्प्रस्तुतश्चेति न कोऽपि दोषः । न च ध्वनिमात्रान्याप्रस्तुतप्रशंसात्वात्परिरितिवाच्यम् । अतस्व तत्र सादृश्यादन्यतमप्रकारेणैति विशेषणमुपात्तमिति विभावनीयम् ।' रस गंगाधर द्वितीयानन (अप्र० प्र० क०) ।

इस पृष्ठभूमि की रचना के बाद आचार्य जगन्नाथ ने 'अप्रस्तुताङ्कुर कल्पना' को पूर्णतः निरस्त करते हुए इसविषय में अपना समर्थन प्रस्तुत किया है कि 'थोड़े बेलकाण्य मात्र से ही अलंकारात्तर की कल्पना कने-पूर्णतः से उनके 'आनन्त्ये' की सम्भावना है जो कि सर्वथा दोष माना गया है । अन्योक्ति के पांच भेदों में से प्रथम चार में पण्डितराज ने भी पूर्वाचार्यों को भांति गुणीभूत व्यंग्य ही स्वीकार किया है, किन्तु दोनों के प्रस्तुत रहने पर अर्थात् उभयप्रस्तुता 'अन्योक्ति' में उन्होंने स्पष्टतः ध्वनि स्वीकार की है । आचार्य के मन्तव्यानुसार सादृश्यमूलान्योक्ति के भी दो भेद हैं -- एक तो वह, जिसमें अत्यन्त अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना हो, इस कोटि में मम्मटादि द्वारा व्याख्यात संवासासम्भवोभय रूप अन्योक्तियाँ आ जायेंगी ।

१- स्तेन प्रस्तुतत्वे प्रस्तुताङ्कुरनामान्योऽलंकारः इति कुवलयानन्दाद्युक्तमुपेक्षणीयम् ।

किंचिद्वैलक्षण्यमात्रेण बालंकारान्तरताकल्पने वाग्मंतीनामानत्यादलंकारानन्त्य

प्रसंगः इत्यन्तं उचितत्वात् । -- रसगंगाधर(अप्रस्तुतप्रकरण, अ० २)

दूसरा भेद वह है जिसे दोनों ही वृत्तान्त प्रस्तुत हैं । प्रथम में ध्वनि निर्बाध नहीं है अर्थात् गुणीभूत ही है जब कि द्वितीय भेद में वह निर्विवाद है । किन्तु जगन्नाथ कृत प्रस्तुत व्याख्या में एक असंगति का उल्लेख कर देना उचित होगा । प्रस्तुताङ्कुर खण्डन के पूर्व ही मादृश्य मूला अप्रस्तुतप्रशंसा के तीन भेदों का निराकरण करते हुए आचार्य ने 'तावत्कोकिल विरसान' प्रभृति पूर्वोद्धृत पद्य में 'प्रतीयमानाऽभेद' स्वीकार किया है । अवधेय है कि इसी कोटि की अन्योक्ति में श्री अभिनव ने भी 'अन्यापदेश ध्वनि' स्वीकार की है । अतः ऐसी परिस्थिति में पण्डितराज का प्रस्तुत उद्धरण स्ववचनविरोध उत्पन्न करता है -- 'इदं तु बाध्यम् । अत्यन्ताऽप्रस्तुत य वाच्यतायां तस्मिन्नपर्यवस्थित्या अभिधया प्रतीयमानार्थस्य बलादाकृष्टत्वेन ध्वनित्वं न निर्बाधम् । द्वयोः प्रस्तुतत्वे तु ध्वनित्वं निर्विवादमेव । स्व मादृश्यमूल प्रकारे द्वैतम् । कार्यकारणभावसामान्यविशेष-भावमूलास्तु चत्वारः प्रकारा गुणीभूतव्यंग्यस्यैव भेदाः । अभिधादिस्पृशिशून्यस्य केवलागूरणमात्रस्य ध्वनित्वप्रयोजकत्वात् ॥' --रसगंगाधर, द्वितीयानन(अप्रस्तुत०प्रक०)।

उपर्युक्त उद्धरण में व्यक्त किये गये आचार्य के विचारों से प्रतीत होता है कि अप्रस्तुत प्रशंसा के संभवासंभवोभयवाच्य वाले तीनों उदाहरणों में ध्वनि निर्बाध नहीं है क्योंकि उनमें अत्यन्त अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यञ्जना का भाव उपनिबद्ध किया गया है । किन्तु यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाय तो फिर आचार्य अभिनव के मत की संगति कैसे बैठेगी ? इतना ही नहीं वरन् आचार्य जगन्नाथ ने स्वयं उन उदाहरण में (तावत्कोकिल विरसान आदि) 'प्रतीयमाना भेद' स्वीकार किया है । अतः उसकी भी व्यवस्था संकल्पन हो जायेगी । इस प्रकार निश्चित है कि पण्डितराज द्वारा व्यवस्थापित सारूप्यनिबन्धना का यह द्वेषभाव पूर्णतः निर्दोष नहीं है । वस्तुतः प्रस्तुताङ्कुर को सारूप्यनिबन्धना का कोई विकल्प न मानकर उसमें अन्तर्निविष्ट ही मानना चाहिए जैसा कि पूर्वानुच्छेद में स्पष्ट किया गया है ।

इस प्रकार अन्योक्ति के समस्त भेदों में ध्वनि के होने या न होने का निर्णय दोनों ही दृष्टियों से पूर्ण हुआ । आचार्य अभिनव जो प्राचीनाचार्यों के प्रतिनिधि हैं, के अनुसार अन्योक्ति के पाँचों निबन्धन प्रायः गुणीभूत व्यंग्य के ही क्षेत्र हैं, केवल सारूप्यनिबन्धना का एक भेद(प्रतीयमानाध्यारोप) ध्वनि का क्षेत्र है । नवीन आचार्यों की दृष्टि से उभयप्रस्तुता अन्योक्ति में ही ध्वनि है, जिसे अप्पय्य ने प्रस्तुताङ्कुर कहा है ।

आचार्य मम्मट के अनुवर्तियों द्वारा अन्योक्ति का विवेचन किस प्रकार हुआ ? इस मुद्दा का स्पष्ट विचार करने के पूर्व ही हमें दो तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए ।

एक तो यह कि मम्मटाचार्य के अनुवर्तियों में कौन-कौन आते हैं , उनका समय एवं ग्रन्थ क्या है? दूसरा यह कि अन्योक्ति के विवेचन में उनका नवीन योग क्या रहा । प्रथम तथ्य पर विचार करने से मम्मटोत्तर युगीन आचार्यों की परम्परा का ज्ञान संभव है तथा इसी प्रकार द्वितीय तथ्य पर विचार करने अन्योक्ति विषयक कुछ नवीन रुढ़ियाँ भी स्पष्ट हो जायँगी । यदि आचार्य का कोई नवीन योग दान नहीं, केवल पूर्व परम्परा का निर्वाहमात्र है तब उनके विवेचन को कोई प्राव्यक्तता हो नहीं और यदि है तो उसका निर्देश करना भी अपेक्षित ही होगा ।

पूर्व मम्मटयुगीन आचार्यों में क्रमशः आचार्य भरत(ई०पू०द्वितीय शती) मफ मेधाविन् (चौथी शती) भामह (छठीं शती) दण्डी (सातवीं शती) उद्भट एवं वानन (आठवीं शती) रुद्रट (नवीं शती) आनन्दवर्धन (नवीं शती) मुकुलभट्ट, प्रतीहारेंद्रुराज, मटेन्द्रुराज, मट्टतौत, मट्टनायक, सजशेखर, कुन्तक एवं घनिक-घनन्जय (दशम शती) अभिनव गुप्त, जेमेन्द्र, महिमभट्ट एवं मौज आते हैं जिनके विषय में अन्योक्ति के ऐ सैद्धान्तिक विकास की दृष्टि से विचार तृतीय अध्याय में व्यक्त किया जा चुका है । आचार्य मम्मट^{का} युग राजानकतिलक को साथ लेकर प्रारम्भ होता है । इस परम्परा में क्रमशः तिलक एवं मम्मट, (उद्भटविवेश तथा काव्यप्रकाश कार १२वीं तक) काव्यानुशासनकार आचार्य हेमेचन्द्र, रुय्यक(अलंकार सर्वस्व एवं साहित्य मीमांसा ?) वाग्भट प्रथम (वाग्भटालंकार १२ वीं शती) अमृतानन्द योगिन् (अलंकार संग्रह) नरेन्द्र प्रमसुरि (अलंकार महोदधि) जयदेव (चन्द्राढोक) (१३ वीं शती) विद्याधर (स्कावली) विद्यानाथ (प्रतापरुद्रयशोभूषण) वाग्भट द्वितीय(काव्यानुशासन) श्रीवत्सलाङ्कन (काव्यपरीक्षा) तथा विश्वनाथ (साहित्य दर्पणकार, १४ वीं शती) गोविन्द ठक्कर (काव्यप्रदीप) केशव मिश्र (अलंकारशेखर) शौभाकर मित्र (अलंकार रत्नाकर , सोलहवीं शती) अप्पय्य दीक्षित (कुवलयानन्द + चित्र मीमांसा) तथा पण्डितराज जगन्नाथ (रसगंगाधर १७ वीं शती) अभिनव कालिदास(नंजराजयशोभूषण) मट्टदेवशंकर पुरोहित (अलंकारमञ्जूषा, १८ वीं शती) विद्याभूषण (साहित्यकौमुदी) चिरंजीव मट्टाचार्य (काव्यविलास) तथा विश्वेश्वर पण्डित (अलंकार कौस्तुभे १६ वीं शती) तथा श्रीकृष्णपरब्रह्म (अलंकार मणिहार, २० वीं शती?) प्रभृति आचार्य आते हैं । विवेचन सौकर्य की दृष्टि से इन आचार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-- पण्डितराज जगन्नाथ के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती आचार्य ।

इनके अनेक आचार्य ऐसे हैं, जिनके ग्रन्थों एवं विद्वान्तों का प्रकाशन एवं प्रचलन नहीं हो सका । विद्वानों की दृष्टि वना तक नहीं पहुंच सकी । इसका और चाहे जो भी कारण हो किन्तु एक प्रमुख कारण यह भी है कि आचार्य मम्मट की तुलना में वे हलके सिद्ध हुए । अमृतानन्द, नरेन्द्रप्रभ, वाग्भट द्वितीय श्री वत्सलाच्छन्ने तथा शोभाकर मित्र के विषय में हम अत्यल्प ज्ञान रखते हैं, तो केवल इसी कारण । जगन्नाथ के पूर्ववर्ती आचार्यों की अप्रसिद्धि का तो स्पष्ट कारण, उनकी मौलिकता का अभाव तथा पूर्ववर्तियों के ही मतों का अनुवदन मात्र है । इस प्रकार सिद्ध है कि आचार्य मम्मट से लेकर आज तक का नारा अलंकारशास्त्र काव्य प्रकाश को ही आदर्श मानकर लिखा गया है । अब संक्षेप में अन्योक्ति सम्बन्धी नवीनताओं का परिशीलन कर लेना चाहिए । अवधेय तथ्य यह है कि नवीनता का विवेचन, अन्योक्ति विषयक मम्मटीय व्यवस्था की तुलना में ही होगा ।

आचार्य जगन्नाथ के पूर्ववर्ती आचार्यों में प्रायः प्रत्येक ने अलंकार विवेचन में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का सदुपयोग किया है उदाहरण के लिए -- मम्मटीय व्यवस्था में न विद्यमान रहने पर भी किसी ने सारूप्य मूलकता तीन भेदों के स्थान पर दो ही भेद किया । श्लेष एवं समासोक्ति को एक कर दिया । किसी ने सम्भव, असम्भव उभय तो किसी ने अनुभय, भेद को भी संयुक्त करके वाच्य के त्रैविध्य अथवा चातुर्विध्य की स्थापना की । किसी आचार्य ने केवल सारूप्य निबन्धना को ही श्रेष्ठ भेद स्वीकार कर विवेचन किया तो किसी ने साधर्म्य-वैधर्म्य की समस्या का निदान ढूँढा । किसी ने अप्रस्तुतांशुर जैसे नवीन अलंकार की स्थापना किया तो किसी ने उसका प्रतिपद प्रत्याख्यान करके अन्योक्ति में अंतर्भाव । इन समस्त नवीनताओं का विधिवदनुशीलन तदुभावक आचार्यों के व्याख्यानप्रसंग में किया जा चुका है । अतः बहुत थोड़े ही आचार्य ऐसे बचते हैं, जिनकी नवीन उद्भावनाओं का उपस्थापन उन सन्दर्भों में नहीं किया जा सका और अब प्रस्तुत है ।

आचार्य वाग्भट द्वितीय काव्यानुशासन नामक अपने लक्षण ग्रन्थ में के तृतीयाध्याय में अन्योक्ति समासोक्ति, तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का क्रमशः पृथक व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं । संस्कृत काव्यशास्त्र में अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा से अभिन्न है ऐसा प्रायः सब को ज्ञात है । यद्यपि दण्डी, वासन एवं मोज के युग में उसका वास्तविक रूप में 'समासोक्ति' में तिरोहित रहा तथापि अन्य आचार्यों के मत में वह अप्रस्तुतप्रशंसा से अभिन्न ही रही है । रुद्रट एवं हेमचन्द्र ने जब अन्योक्ति का व्याख्यान किया तब

अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याख्यान अर्थात् ही उपेक्षित कर दिया , केवल इसीलिए कि दोनों एक हैं । किन्तु आचार्य वाग्भट इन अर्थ में विलक्षण हैं जो कि अन्योक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा दोनों को ही पृथक् मान्यता देते हैं । उन्होंने केवल इन अलंकारों की संज्ञिप्त परिभाषा भर दो है, जिसके अनुसार स्पष्ट है कि उनको समानोक्ति (उपमेयश्लेषोक्तों उपमानप्रतीतिः समासोक्तिः) मम्मटीय समानोक्ति की ही भांति तथा 'अप्रस्तुत प्रशंसा' वामन प्रोक्त अप्रस्तुत प्रशंसा (उपमेयस्य किंचिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा) से अभिन्न है । किन्तु वाग्भट प्रोक्त अन्योक्ति की पारिभाषिक समता कहां नहीं प्राप्त होता -- उपमेय-स्यैवक्तावन्यप्रतीतिरन्योक्तिः । परिभाषा के बाद आचार्य ने उनके स्तुति निन्दा तथा उभय रूप तीन भेद किये हैं । किन्तु विचारणीय प्रश्न है कि क्या वाग्भट का मत संगत है ? उपमेय अर्थात् प्रस्तुत को ही प्रशंसा या वर्णना से अन्य (--अप्रस्तुत) की प्रतीति में तो अन्योक्ति कभी सम्भव नहीं है , अतः वाग्भट का यह मत या तो उनकी व्यक्तिगत उद्भावना मात्र है जो कि पारम्परिक सिद्धांतों के विरोध वश उचित एवं मान्य नहीं कहा जा सकता, अथवा उनकी अप्रस्तुत प्रशंसा में ही समाविष्ट है । आचार्य वाग्भट ने अपनी अन्योक्तियों के वही उदाहरण दिये हैं जो मम्मटादि आचार्य दे सकते थे और जो कि संग्रह ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं । किन्तु वाग्भट द्वारा उन पद्यों के उद्धृत किये जाने का तात्पर्य यह है कि आचार्य उनमें प्रतिपादित वृत्त को ही प्रस्तुत मानता है तथा व्यंग्य वृत्त को अप्रस्तुत । वस्तुतः यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्त अन्योक्तियों की स्थिति संकटापन्न हो जायगी और वे सब प्रस्तुतार्थ की ही वर्णना करेंगे । किन्तु यह तो साधारण सी बात है कि जब वक्ता प्रस्तुतार्थ का ही वर्णन करेगा तो उसका मन्तव्य उसी में पर्यवसित हो जायगा और तब किसी भी प्रकार के व्यंग्यार्थ की आशा नहीं की जा सकती । यदि आशा करेंगे तो वह 'अभिधामुला' अर्थी व्यंजना' का ही क्षेत्र होगा जिसे अन्योक्ति से अभिन्न सिद्ध करने का प्रयास कल्पनागौरवमात्र है । अलंकार से उत्पन्न हुई ध्वनि का अपना पृथक् स्थान है जो कि अन्ततः रसध्वनि में ही पर्यवसितप्राय होने पर भी उससे अभिन्न नहीं है । वस्तुतः व्यंग्य का कोई न कोई आधार होना चाहिए जैसे समासोक्ति में प्रकरणादि का नियंत्रण तथा अन्योक्ति में यथार्थलक्ष्य का अप्रस्तुतार्थ में अपर्यवसान । किन्तु वाग्भट की अन्योक्ति में जब अन्य की उक्ति ही नहीं तो लक्ष्य के अद्वारे रहने का प्रश्न

ही नहीं उठता और न व्यंजना का ही ।

काव्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर समासोक्ति होती है । किन्तु मम्मटादि आचार्यों के मतानुसार इस प्रक्रिया में श्लेष का रहना अत्यन्त आवश्यक है, जैसा कि वाग्भट ने भी यही स्वीकार किया है । किन्तु प्रश्न यह है कि जब बिना श्लेष के ही प्रस्तुत से अप्रस्तुत की अवगति हो तब वहाँ कौन अलंकार होगा ? वस्तुतः इस रूप का कोई भी अलंकार 'काव्यशास्त्र' में नहीं प्राप्त होता है । किन्तु वाग्भट द्वितीय ने ऐसे ही स्थल पर 'अन्योक्ति' मानी है, अर्थात् जहाँ श्लेषादि के अभाव में भी, प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो ।

यदि विवेक दृष्टि से देना जाय तो यह मत पूर्व परम्पराओं के विरुद्ध होने के साथ ही साथ स्वरूप से भी अप्रगत ही है । क्योंकि अन्योक्ति में तो सारा सौन्दर्य इसी तथ्य पर आधारित है कि इसमें प्रस्तुतार्थ ज्ञान के अभीष्ट रहने पर भी अप्रस्तुत(अन्य) अर्थ की प्रशंसा (वर्णना या उक्ति) की जाती है । किन्तु वाग्भट के अनुसार अन्योक्ति के इस स्वरूप में 'अन्य की उक्ति' हुई कहाँ ? यहाँ तो प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने के कारण प्रस्तुतार्थ की ही उक्ति है । अतः बजाय इसके कि व्यंग्य प्रस्तुतार्थ का (वाच्य अप्रस्तुत के कारण) कुछ सौन्दर्य बढ़े, वह घट ही जाता है क्योंकि जिस प्रस्तुत अर्थ को आप प्रत्यक्षरूप में न कहकर केवल चमत्कारपूर्ण शैली में कहने के ध्येय से परोक्षरूप से कहते थे अथवा व्यंग्य रखते थे, उसी को वाच्य रूप में कह दिया । तो फिर क्या सौन्दर्य रह गया ? अतः वाग्भट के इस व्याख्यान से अन्योक्ति की अन्योक्तिता तथा उसका उद्देश्य (प्रस्तुतार्थ की व्यंजनयावगम) दोनों ही तत्त्व सिद्ध नहीं हो पाते और इसी कारण यह मत ग्राह्य भी नहीं है । आचार्य जगन्नाथ के प्रसंग में इस विषय पर और विचार किया जायेगा ।

अमृतानन्दयोगिन् ने समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा को ही अपने व्याख्यान में मान्यता दी है । उनका अप्रस्तुतप्रशंसा व्याख्यान, शब्दशः आचार्य दण्डी का ही अनुकरणमात्र है अर्थात् अप्रस्तुत वाच्य की प्रशंसा से प्रस्तुत व्यंग्य की निन्दा । किन्तु इससे भी बड़ी नवीनता यह है कि आचार्य ने 'समासोक्ति' को अन्यापदेश माना है, जो कि संस्कृत काव्यशास्त्र में किसी आचार्य द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है । यद्यपि दण्डी, वामन एवं भोज की समासोक्तियों के रूप मामह अथवा मम्मट प्रोक्त

अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रायः साम्य रखते हैं तथापि उन्हें अन्यापदेश की संज्ञा किसी ने दी नहीं है। यह भी सम्भव है कि समासोक्ति मूलक साहचर्यनिबन्धना को अन्यापदेश या अन्योक्ति माना जाय तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति संभव ही नहीं। किन्तु समस्या तो यह है कि आचार्य ने समासोक्ति का जो रूप स्वीकार किया है वह मामूलीय समासोक्ति के ही समान है अतः उसे अन्यापदेश कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। आचार्य वाग्भट द्वितीय ने 'अप्रस्तुत प्रशंसा' का व्याख्यान ठीक दण्डी के ही अनुकरण पर किया है, जिसमें कोई विशिष्ट नवीनता नहीं दृष्टिगोचर होती।

नव्योद्भावना का चरम एवं उपलब्ध विलास हमें पण्डितराज जगन्नाथ के ही व्याख्यान में प्राप्त होता। 'प्रस्तुताङ्कुरे खण्डनं' हम साहचर्यनिबन्धना विषयक उनके नवीन दृष्टिकोणों में पूर्ण परिचित हो चुके हैं। खण्डन के पश्चात् आचार्य ने अधोनिर्दिष्ट पद्य को उद्धृत करते हुए एक समस्या प्रस्तुत की है कि इसमें कौन अलंकार होगा? उदाहरण देखिये --

आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतंगा भृंगा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते ।

संकोचमंचति सरस्वयि दीनदीनों मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥

प्रस्तुत पद्य में सरोवरवृत्तान्त तथा क्षीणनरेश वृत्तान्त का निबन्धन हुआ है। यदि सरोवर वृत्तान्त अप्रस्तुत वाच्य तथा राजादिवृत्तान्त प्रस्तुत-व्यंग्य है तो 'अप्रस्तुतप्रशंसा' निर्विवाद है, क्योंकि वह पूर्वोक्तों की व्यवस्था के अनुकूल ही है। इतना ही नहीं वरन् पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत किये गए साहचर्यनिबन्धना के दो में से प्रथम यहाँ चरितार्थ होगा -- अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना। इसी प्रकार यदि दोनों वृत्तान्त प्रस्तुत हैं तब भी जगन्नाथकृत दूसरी व्यवस्था के अनुसार वह 'अप्रस्तुत प्रशंसा' ही होगी। किन्तु एक तीसरी स्थिति भी है, वह यह कि 'यदि अकेले सरोवर वृत्तान्त ही प्रस्तुत हो तथा गुणीभूत राजवृत्तान्त रूपव्यंग्य ही हो तब यहाँ कौन अलंकार होगा। अप्रस्तुत की प्रशंसा न होने के कारण 'अप्रस्तुतप्रशंसा' तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रस्तुत की ही प्रशंसा की गई है जो कि समासोक्ति में ही संभव है।

किन्तु प्रस्तुत की प्रशंसा होने पर भी प्रस्तुत पद्य में समासोक्ति न होगी क्योंकि 'विशेषणसाम्य' ही समासोक्ति का 'प्राणतत्त्व' है जो कि उपर्युक्त उदाहरण में सर्वथा अविद्यमान है। यहाँ तो शुद्धसाहचर्य का प्रसंग है, सरोवर तथा

अप्रस्तुतप्रशंसा से प्रायः साम्य रखते हैं तथापि उन्हें अन्यापदेश की संज्ञा किसी ने दी नहीं है। यह भी सम्भव है कि समानोक्ति मूलक पारम्यनिबन्धना को अन्यापदेश या अन्योक्ति माना जाय तो इनमें कोई विप्रतिपत्ति संभव ही नहीं। किन्तु समस्या तो यह है कि आचार्य ने समानोक्ति का जो रूप स्वीकार किया है वह मामूलीय समानोक्ति के ही समान है अतः उसे 'अन्यापदेश' कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। आचार्य वाग्भट द्वितीय ने 'अप्रस्तुत प्रशंसा' का व्याख्यान टीक दण्डी के ही अनुकरण पर किया है, जिसमें कोई विशिष्ट नवीनता नहीं दृष्टिगोचर होती।

नव्योद्भावना का चरम स्वरूप फल विलास हमें पण्डितराज जगन्नाथ के ही व्याख्यान में प्राप्त होता। 'प्रस्तुताङ्कुर' खण्डन में हम पारम्यनिबन्धना विषयक उनके नवीन दृष्टिकोणों से पूर्ण परिचित हो चुके हैं। खण्डन के पश्चात् आचार्य ने अयोनिर्दिष्ट पद्य को उद्धृत करते हुए एक समस्या प्रस्तुत की है कि इसमें कौन अलंकार होगा? उदाहरण देखिये --

आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतंगा भृंगा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते ।

संकोचमंचति सरस्वयि दीनदीनों मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥

प्रस्तुत पद्य में सरोवरवृत्तान्त तथा क्षीणनरेश वृत्तान्त का निबन्धन हुआ है। यदि सरोवर वृत्तान्त अप्रस्तुत वाच्य तथा राजादिवृत्तान्त प्रस्तुत-व्यंग्य है तो 'अप्रस्तुतप्रशंसा' निर्विवाद है, क्योंकि वह पूर्वाचार्यों की व्यवस्था के अनुकूल ही है। इतना ही नहीं वरन् पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत किये गए पारम्यनिबन्धना के दो में से प्रथम यहाँ चरितार्थ होगा -- 'अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना। इसी प्रकार यदि दोनों वृत्तान्त प्रस्तुत हैं तब भी जगन्नाथकृत दूसरी व्यवस्था के अनुसार वह 'अप्रस्तुत प्रशंसा' ही होगी। किन्तु एक तीसरी स्थिति भी है, वह यह कि 'यदि अकेले सरोवर वृत्तान्त ही प्रस्तुत हो तथा गुणभूत राजवृत्तान्त रूपव्यंग्य ही हो तब यहाँ कौन अलंकार होगा। अप्रस्तुत की प्रशंसा न होने के कारण 'अप्रस्तुतप्रशंसा' तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रस्तुत की ही प्रशंसा की गई है जो कि समानोक्ति में ही संभव है।

किन्तु प्रस्तुत की प्रशंसा होने पर भी प्रस्तुत पद्य में समानोक्ति न होगी क्योंकि 'विशेषणसाम्य' ही समानोक्ति का 'प्राणतत्त्व' है जो कि उपर्युक्त उदाहरण में सर्वथा अविद्यमान है। यहाँ तो शुद्धसारूप्य का प्रसंग है, सरोवर तथा

राजवृत्तान्त के बीच । यह भी सम्भव नहीं है कि जैसे शिल्पविशेषणा अन्योक्ति को (मम्मट के अनुसार समासोक्तिमूलक) समासोक्ति का ही प्रकार विशेष माना गया है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत पद्य में स्थित सादृश्य मूला अन्योक्ति को भी समासोक्ति का ही प्रकार विशेष मान लिया जाय, क्योंकि ऐसा करने से तो अनेक अलंकारों में एक ही धर्म के सर्वनिष्ठ रहने पर उन सब की स्वत्वकल्पना की समस्या उठ खड़ी होगी, जो कि पूर्वाचार्यों की परम्परा के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक बन्तु होगी । इस प्रकार आचार्य जगन्नाथ ने इस पद्य के विषय में समस्त सम्भाव्य विकल्पों का निरास प्रस्तुत किया है । अतः ऐसी दशा में एक ही पद्य शेष रहता है वह यह कि हम आचार्य रुय्यक प्रोक्त इस मत को स्वीकार कर लें कि --
सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा विशेषणवाची शब्दों के साम्य को लेकर ही सम्भव है न कि उसकी उपेक्षा करके ॥

किन्तु पण्डितराज, आचार्य रुय्यक के उपर्युक्त सिद्धान्त का खण्डन करते हुए अप्रस्तुत प्रशंसा का एक विलक्षण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं । उनके अनुसार, मूल ही इस पद्य में प्रस्तुत की ही प्रशंसा की गई है जो कि अप्रस्तुत प्रशंसा में सर्वथा असम्भव है तथापि यहां अप्रस्तुत प्रशंसा ही है । क्योंकि 'अप्रस्तुत प्रशंसा' का वास्तुतः यह अर्थ नहीं है कि 'अप्रस्तुत(वाच्य) की प्रशंसा' वरन् उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि 'अप्रस्तुतेन प्रशंसा सा चार्थात्प्रस्तुतस्यैव' (पण्डितराज) अर्थात् 'अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत की प्रशंसा' । और यही स्वरूप प्रस्तुत उदाहरण में द्रष्टव्य भी है । अतः इसी व्याख्यान के अन्त में आचार्य अपना अप्रस्तुत प्रशंसा विषयक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं -- 'अप्रस्तुतप्रशंसावाच्चालंकारः । अप्रस्तुतस्य प्रशंसति न तदर्थः । किन्त्वप्रस्तुतेनेति । सा चार्थात्प्रस्तुतस्यैव । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र सादृश्याद्यन्यतम प्रकारेण प्रशंस्यते साऽप्रस्तुत प्रशंसति । न तु वाच्येनैव व्यंग्येवेति ।' इति रस गंगाधर, द्वितीयानन(अप्र०प्रकरण) ।

इस प्रकार आचार्य जगन्नाथ की मान्यता के अनुसार अन्योक्ति के सम्भाव्य क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार हैं -- १- यदि अप्रस्तुत वाच्य से, कारणादि सम्बन्धों के रहने पर प्रस्तुतार्थ की व्यंजना होती है तो क्रमशः कारणनिबन्धना, कार्य निबन्धना, विशेषनिबन्धना अन्योक्तियां होंगी ।

२- यदि अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से सादृश्य अथवा शिल्प विशेषणों के सम्भाव्य में प्रस्तुत की व्यंजना हो, तब भी सादृश्यानिबन्धना अन्योक्ति होगी ।

३- यदि अप्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत व्यंग्य, दोनों ही प्रस्तुत हों, अर्थात् प्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य की व्यंजनया प्रतीति हो तब भी, अन्योक्ति (सादृश्य निबन्धना) ही होगी ।

४- वाच्य अथवा व्यंग्य अप्रस्तुत द्वारा वाच्य अथवा व्यंग्य प्रस्तुत की जहाँ सादृश्यादि किसी एक प्रकार से प्रशंसा की जाय वहाँ भी अन्योक्ति ही होगी, न कि केवल वाच्य प्रस्तुत में ही व्यंग्य प्रस्तुत की अनुभूति होने पर ।

आचार्य जगन्नाथ का, प्रस्तुत योगदान अन्योक्ति का क्षेत्र इतना विशाल बना देता है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती । वस्तुतः चराचर-मय जागतिक सर्जना को प्रतिपाद्य बनाकर, मानवमात्र की सूक्ष्मातिसूक्ष्म हृदयभावनाओं को, लोकोत्तर-वर्णनानिपुण शैली के माध्यम से लोक के समक्ष प्रकट करने वाली काव्यविधा अन्योक्ति के लिए यह 'आत्मगौरव' की बात है । साथ ही साथ, आचार्य जगन्नाथ, संस्कृतकाव्य शास्त्रकारों की परम्परा के सर्वाभिभावी चरम गौरवचिह्न होने के साथ ही साथ 'अन्योक्ति काव्य' के महान् प्रणेता भी रहे हैं । विरहावमन्न चित्त में भी वासन्ती सुषमा स्वं करुणातरंग उद्वेलित कर देने वाली उनकी अन्योक्तियाँ, संस्कृत काव्य-साहित्य की अज्ञायनिधि हैं । अतएव आचार्य द्वारा अतर्कोपदिष्ट चतुर्थमत, मुख्यतः अन्योक्ति अलंकार से नहीं, वरन् अन्योक्ति काव्य से ही सम्बद्ध है । अन्योक्ति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक (--वाग्मयीन) विकास की दृष्टि से, आचार्य जगन्नाथ की यह नूतन उद्भावना, वस्तुतः अभिनन्दनीय है । किन्तु एक ओर आचार्य जगन्नाथ ने अन्योक्ति का यह रूप स्वीकार करके, जहाँ उसका प्रतिपाद्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत बना दिया, वहीं अन्योक्ति का स्वरूप विकृत भी कर दिया है । क्योंकि, अन्योक्ति का यह स्वरूप प्राचीन परम्परा से सर्वथा विरुद्ध साथ ही साथ निष्प्राण एवं निराधार भी है । जैसा कि वाग्मट द्वितीय प्रोक्त अन्योक्ति के व्याख्यान-प्रसंग में संकेत किया जा चुका है, पण्डितराज का अन्योक्ति विषयक मतः पूर्णतः वाग्मटीय मत से अभिन्न है, क्योंकि वाग्मट भी प्रस्तुत से अप्रस्तुत की (श्लेषहीन) प्रतीति में, अन्योक्ति मानते हैं ।

१- सविस्तर द्रष्टव्य, जगन्नाथ प्रणीत भाभिनीविलास की अन्योक्तियाँ (प्रस्ताविक विलास) ।

वास्तविकता यह है कि पण्डितराज द्वारा सुझाई गई इस युक्ति में कोई 'औचित्य' नहीं दीख पड़ता । क्योंकि 'अप्रस्तुत द्वारा प्रशंसा' तथा प्रस्तुतार्थ की वाच्यता' ये दोनों ही तत्त्व 'अन्योक्ति संविधान' के सर्वथा विपरीत हैं । यद्यपि उक्त मत को 'विकल्प' रूप में ही प्रस्तुत करने के कारण आचार्य जगन्नाथ को दौषी नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु तब भी यह चिन्त्य विषय है कि उन्होंने इस उद्भावना को समूल नष्ट करके ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि 'प्रस्तुत वाच्य से अप्रस्तुत की प्रतीति में अन्योक्ति कभी नहीं हो सकती ।'

अन्योक्ति की, अन्य अलंकारों की अपेक्षा, यही स्वमात्र विशेषता है कि इसमें क लक्ष्य अथवा अभिधेय विषय को व्यंग्य रखा जाता है और कार्यकारणादि अथवा सारूप्य सम्बन्ध से एक ऐसे वृत्त की वर्णना की जाती है, जिसका वक्ता की आंखों में अपना कोई मूल्य नहीं है, किन्तु वही अप्रस्तुत वर्णन, व्यंग्य प्रस्तुत की प्रतीति कराता है, क्योंकि वह उससे सम्बद्ध है । प्रत्यक्षा कथन न होने के ही कारण अन्योक्ति रीति से प्रकटित इस अभिव्यक्ति में, अनन्त चारुता एवं चमत्कार आ जाता है । किन्तु यह बात सोचने की है कि यदि उसी व्यंग्य प्रस्तुत को आप प्रत्यक्षतः कह दें तो क्या विचित्रता रह जायगी ? वह तो अभिधा की भांति उस दशा में, एक नीरस कथन मात्र होगा । कविवर विहारी यदि 'नहिं पराग नहिं मधुर मधु' आदि न कहकर राजा से सीधे कहते कि -- 'राज्य बरबाद हो रहा है और आप नहीं दुलहिन के चक्कर में पड़े हैं ? तो सम्भवतः राजा जयसिंह, बिना उनके ब्राह्मणत्व का विचार किये, सिर ही कटवा लेते किन्तु प्रस्तुतार्थ को सीधे कहने के बजाय उन्होंने अप्रस्तुत अथवा अन्य वृत्त का कथन प्रस्तुत किया, जिससे कि वही अर्थ निकला, जो उस व्यंग्य विषय को सीधे कहने से निकलता । किन्तु इन दोनों वचन पद्धतियों के साधन तथा साध्य में कितना अन्तर है ? इसे सहृदय वर्ग ही जान सकता है । इस प्रकार, आचार्य जगन्नाथ का यह सिद्धान्त ग्राह्य नहीं प्रतीत होता ।

जगन्नाथ के परवर्ती आचार्यों में नवीनता का सर्वथा राहित्य ही रहा है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में ही सूचित किया जा चुका है । तथापि अपेक्षित सामग्री उपस्थित कर दी जानी चाहिए । नज्जसजयशोभूषणकार आचार्य अभिनव कालिदास ने प्रस्तुतबाहुल्य अलंकार का भी अन्योक्ति ही भांति पंचधा विभाजन

प्रस्तुत किया है, कारण, कार्य, विशेष, सामान्य एवं गदृश्य निबन्धना^१। इसी प्रकार आचार्य चिरंजीव के 'सामान्यविशेष' अलंकार की नव्यता का भी उल्लेख पहले किया जा चुका है। अन्य आचार्यों का विवेक प्रायः पूर्वार्थियों का मत संकलन मात्र है, जिसमें कि व्यक्तिगत योगदान का आत्यन्तिक अभाव ही है।

संस्कृत का व्यशास्त्र में प्रचलित अन्य अलंकारों से अन्योक्ति का सम्बन्ध पूर्वमम्मटयुगीन आचार्यों के समय से ही निरूपित किया जा रहा है। तुलना का यह क्रम वस्तुतः आचार्य प्रतीहारन्दुराज ने ही प्रारम्भ होता है जो कि उद्भट्टीय काव्यालंकार सार संग्रह के टीकाकार थे। राजानक तिलक द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक उद्भट्टालंकारव्याख्यान, अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्ट है। तिलक के पश्चात् न केवल टीकाकारों ने, प्रत्युत मम्मट एवं रुद्रयक प्रभृति परवर्ती स्वतन्त्र आचार्यों ने भी इस तुलनात्मक पद्धति को प्रश्रय दिया। किन्तु जैसा कि तृतीय अध्याय में आचार्य रुद्रट के प्रसंग में कहा जा चुका है कि समस्त अलंकारों की तुलना अन्योक्ति के साथ सम्भव नहीं। यदि की भी जाय तो वह व्यर्थ ही होगी, क्योंकि किन्हीं दो तत्त्वों में तुलना तभी सम्भव है, जब उनमें किसी वृत्तिविशेष की उभयनिष्ठता हो। हाथी एवं घड़ियालकी तुलना नहीं सम्भव है, क्योंकि दोनों पूर्णतः विजातीय हैं, किन्तु बेल और घोंड़े की तुलना विजातीय होते हुए भी स्वर्गीय होने के कारण सम्भव है। इसी दृष्टि से कुछ अन्य अलंकारों का तुलनात्मक इतिवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्रम में आने वाले अलंकारों की सूची इस प्रकार है -- पर्यायोक्त, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति, पर्याय, तथा असंभव-सम-विकस्वर-ललित-प्रहर्षण-विषादन-उल्लास अवज्ञा-लेश(कुवलयानन्दकार)। यद्यपि समासोक्ति श्लेष एवं प्रस्तुताङ्कुर भी तुलना के ही क्षेत्र में आते हैं, किन्तु इसके पूर्व ही उनका विस्तृत व्याख्यान हो चुकने के कारण उन्हें प्रस्तुत सन्दर्भ में नहीं लिया गया है। अब स्वैकशः इनका व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है।

'पर्यायोक्त' में अन्योक्ति की ही मांति गम्य वस्तु का मंग्यन्तर से अभिधान होता है। किन्तु 'वह' मंगि, अर्थात् अभिधान शैली कैसी होती है? बस यही

तथ्य दोनों की पारस्परिक भिन्नता का कारण है। आचार्य उद्भट ने बहुत पूर्व ही इस समस्या पर विचार प्रस्तुत किया था। जहाँ तक अन्योक्ति का प्रश्न है, वह तो पूर्व व्याख्यानों से स्पष्ट है कि इमें वाच्य अप्रस्तुत द्वारा, व्यंग्य प्रस्तुत की व्यंजना होती है। किन्तु पर्यायोक्त में प्रस्तुतार्थ व्यंग्य होने पर भी, व्यंजना द्वारा अवबोध्य न होकर अभिहित ही होता है। कैसे अभिहित होता है? इस प्रश्न का निदान प्रस्तुत करते हुए आचार्य उद्भट कहते हैं कि वाच्य तथा वाचक की वृत्ति से शून्य (अर्थात् अभिधाव्यापार से शून्य) अवगमात्मा व्यापार द्वारा^१। किन्तु ऐसा होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा से इका भेद ही क्या रहा? क्योंकि इमें भी तो प्रस्तुतार्थ का बोध एक अवगमात्मा व्यापार द्वारा ही होता है जो कि अभिधा व्यापार से सर्वथा दूर है। दूसरी बात यह कि अन्योक्ति में तो प्रस्तुतार्थ का ज्ञान, व्यंजना शक्ति द्वारा 'प्रतीति' रूप में होता है, किन्तु पर्यायोक्त में आचार्य उद्भट के अनुसार, उसी प्रस्तुतार्थ का अवगमात्मा व्यापार द्वारा अभिधान होता है, प्रतीति नहीं। पर्यायोक्त का यह स्वरूप स्थापित करते हुए, आचार्य ने 'येन लम्बालकः साम्नः' आदि उदाहरण प्रस्तुत किया है। किन्तु टीलाकार राजानक तिलक ने उद्भट की इस मान्यता का विरोध करते हुए अपना स्पष्ट निर्णय दिया है, एक तो यह कि अत्यधिक साम्य होने पर भी पर्यायोक्त एवं अन्योक्ति में एक्य नहीं है और दूसरा यह कि अवगमात्मा व्यापार द्वारा किसी वस्तु का अभिधान सम्भव नहीं है, क्योंकि अभिधा एवं व्यंजना, एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् है, अतः व्यंजना द्वारा अभिधान की सम्भावना में स्पष्टतः 'वदतो व्याघाते' दोष होता है।

राजानक तिलक ने उद्भटीय मान्यता की इन असंगतियों से बचने के लिए पर्यायोक्त की एक नवीन परिभाषा दी -- 'अतएव समानप्रतिपत्तिकारिणा शब्दान्तरेण अभिधानमिति पर्यायोक्तम्'। उदा० 'यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्ज्वलता -- मदेनेरावणमुखे मानेनहृदये हरेः।' इस उदाहरण में प्रस्तुत अर्थ इस प्रकार है कि -- 'हयग्रीव को देखते ही, देवराज इन्द्र तथा एरावत गज, दोनों निर्मद हो गए किन्तु इस तथ्य को स्पष्टतः इसी रूप में न कहकर, शब्दान्तर द्वारा

१- पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।

वाच्यवाचक वृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥

-- उद्भटालंकार ४।११

व्यक्त किया गया है, जिससे निकला हुआ अर्थ भी, उपर्युक्त अर्थ के ही समकक्ष है, अर्थात् 'स्नानप्रतिपत्तिकारी' है । अतः निलक के मतानुसार, अवगमात्मा व्यापार द्वारा प्रस्तुत अर्थ का अभिधान पर्यायोक्त नहीं है, वरन् प्रस्तुतार्थ के समकक्ष अर्थ का, मंग्यन्तर में कथन ही पर्यायोक्त है और प्रस्तुतार्थ का व्यंजना द्वारा बोध ही अन्योक्ति है ।

जो लोग अवगम्यमान अर्थ का भी अभिधान चाहते हैं, उनका प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि व्यंजना व्यापार द्वारा अभिधान सर्वथा असम्भव है । हाँ यदि, अवगम व्यापार द्वारा पहले प्रस्तुतार्थ का बोध करके, फिर बाद में उसे शब्दशः कहा जाय, तभी उपर्युक्त मत कृतार्थ हो सकता है । उदा० कन्या वरकथां श्रुत्वा लज्जयावनतानना अर्थात् डूल्हे की बात सुनकर लड़की ने लाज के मारे सिर झुका लिया । यहाँ वस्तुतः व्यंग्यार्थ यह है कि वह बेचारी लाज गई । किन्तु यह भाव, उपर्युक्त श्लोक में 'लज्जया' पद के न रहने पर भी सर्वथा प्रतीत होगा, और होना भी वही चाहिए । क्योंकि व्यंग्यार्थ यदि तिल भर भी शब्द-वाच्य हुआ तो उसी क्षण वह ध्वनि की कोटि में परिभ्रष्ट होकर 'गुणीभूत व्यंग्य' बन जाता है, ऐसा ध्वनिकार का स्पष्ट निर्णय है^१ । और रस का 'स्वशब्दवाच्य' होना स्वयं एक प्रधान काव्य दोष माना गया है^२ । ऐसी दशा में उपर्युक्त पद्यांश में 'लज्जयापद' का प्रयोग किसी भी रूपमें समुचित नहीं कहा जा सकता । किन्तु यदि हम इतना ही कहें कि -- 'कन्या वरकथां श्रुत्वाऽऽवनतानना' तो फिर विपक्षियों का मन्तव्य संकटापन्न हो जाता है यद्यपि काव्य की दृष्टि से यह वाक्य सर्वथा निर्दोष है । अतः 'सिर झुका लिया' तथा 'लाज के मारे सिर झुका लिया' इन दोनों वाक्यों में एक ही तथ्य को दो ढंग से कहा गया है । वस्तुतः लक्ष्यार्थ दोनों का समान ही है, अर्थात् 'लज्जानुभूति' जो कि व्यंग्य है । किन्तु प्रथम वाक्य में यह व्यंग्यार्थ, व्यंजना द्वारा प्रतीत हो रहा है, जब कि

१- द्रष्टव्य ध्वन्यालोक, उद्योत २, कारिका २३ । तथा जगन्नाथ--

व्यंग्यस्यार्थस्य यदि मनागप्युक्त्या प्रकाशनं तदा गुणीभाव एव शोभते । रसगंगापू० २६३

२- द्रष्टव्य-- काव्यप्रकाश, उल्लास ७, कारिका ६०, ६१, ६२ ।

३- द्रष्टव्य-- अलंकार सूत्र, पृ० १३४ तथा रसगंगाधर, पृ० ४१३

दूसरे में अभिवा द्वारा व्यक्त किया गया है^{१४}। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने लक्षणया प्राप्त होने वाली अर्थप्रतिपत्ति को पर्यायोक्त माना है, किन्तु राजानक तिलक ने इन दोनों मतों को 'तुष्यदुर्जनन्याय' से ही खारिज किया है।

तिलक के पश्चात् मम्मट से लेकर पण्डितराज के युग तक पर्यायोक्त विषयक मान्यताएं प्रायः परिवर्तित होती रही हैं, जिन्हें कि विशारदभ्य से यहाँ नहीं दिया जा सकता है। किन्तु सज्ञाप में, अन्याक्ति तथा पर्यायोक्त का अन्तर समझ लेना चाहिए। यद्यपि पर्यायोक्त में भी वाच्य तथा व्यंग्य, अन्याक्ति का ही भांति कारण-कार्य अथवा कार्य कारण रूप में सम्बद्ध होते हैं किन्तु जहाँ अन्याक्ति में वाच्य अप्रस्तुत तथा व्यंग्य प्रस्तुत होता है, पर्यायोक्त में वहाँ दोनों ही प्रस्तुत होते हैं। आचार्य रुद्रयुक्त तथा जगन्नाथ ने स्पष्टतः इसी भाव का प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में किया है। दूसरा अन्तर यह है कि अन्याक्ति में वाच्यार्थ व्यंग्यपरक होता है किन्तु पर्यायोक्त में व्यंग्यार्थ वाच्य परक। इसी कारण आचार्य जगन्नाथ ने कहा है कि -- 'अस्मिंश्चालंकारे व्यंग्य वाच्यपरं। अप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यं व्यंग्यपरम्.. इति ध्वनिकारानुयायिनः।' -- रसगंगाधर, पृ० ४१४। अतः अन्याक्ति जहाँ कुछ विशिष्ट स्थलों पर ध्वनिरूप हो जाती है, वहाँ पर्यायोक्त गुणीभूत व्यंग्य मात्र रहता है।

दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार का अन्याक्ति के साथ केवल प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत भावों के साम्य वश सम्बन्ध है। दृष्टान्त में, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों ही वाच्य होते हैं, जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में, अप्रस्तुतवाच्य तथा प्रस्तुत व्यंग्य होता है। इसी प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा में धर्म केवल एक बार (अप्रस्तुत में) किन्तु दृष्टान्त में उपमेय तथा उपमान दोनों ही वाक्यों में वर्णित होता है। दृष्टान्त की एकमात्र विशेषता यह है कि इसमें प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत में पूर्णतः 'बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव' होता है। अर्थान्तरन्यास, प्रायः दृष्टान्त से अधिकांश साम्य रखता है। केवल अन्तर

१-किन्तु आचार्य रुद्रयुक्त ने तिलक के इस मत का सण्डन किया है -- 'अत्र यदेव गम्यते तस्यैवामिधानं पर्यायोक्तम्। गम्यस्यैव सतः कथममिधानमिति चेन्न। गम्यापेक्षया प्रकारान्तरेणामिधानम्। कायादेरपि तत्र प्रस्तुतत्वेन वर्णनार्हत्वात्। अतस्व अप्रस्तुतप्रशंसातो मेदः। -- अलंकारसूत्र, पृ० १३४।

२- द्रष्टव्य-अलंकार सूत्र, पृ० १३४ तथा रसगंगाधर, पृ० ४१३।

यह है कि जहाँ दृष्टान्त अथवा त्रुटिवनुपमा में कवि को समस्त शक्ति, बिम्बप्रति-बिम्ब भाव अथवा वस्तुप्रतिवस्तुभाव पर केन्द्रित होता है, अर्थान्तरन्यास में वहाँ समर्थयसमर्थक भाव पर । यह समर्थयसमर्थक भाव, सामान्य विशेष संबन्धों के सहारे निष्पन्न होता है । उदा० हनुमानव्धिमनस्तु दुष्करं किं मन्नात्मनाम् ? यहाँ हनुमान द्वारा गगरान्तरण परोक्षा एक विशेष तथ्य सामान्य नियम द्वारा समार्थित किया गया है । पहला वाक्य 'समर्थय' तथा दूसरा 'समर्थक' है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा की, सामान्य एवं विशेष निबन्धना कोटि अर्थान्तरन्यास के समान ही है, किन्तु अन्तर यही है कि दृष्टान्त की ही भांति, अर्थान्तरन्यास में भी प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अर्थात् समर्थय एवं समर्थक दोनों ही वाच्य होते हैं जब कि अन्योक्ति में केवल अप्रस्तुत ही वाच्य होता है, प्रस्तुत नहीं । अतः अन्योक्ति में भी यदि समर्थयसमर्थकभाव स्वीकार कर लिया जाय जैसा कि राजानक तिलक ने किया है तब भी अन्योक्ति का यह वैशिष्ट्य अक्षुण्ण रहेगा कि इसमें केवल व्यंग्य प्रस्तुत का ही वाच्य अप्रस्तुत द्वारा समर्थन होता है । किन्तु इसको विपरीत दशा, ~~अन्योक्ति-इसमें~~, अन्योक्ति में सम्भव नहीं, क्योंकि अर्थान्तरन्यास को भांति इसमें अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों ही एक साथ वाच्य नहीं होते । आचार्य रुय्यक के शब्द इस स्थल पर उद्धरणिय हैं -- 'द्वयोः सामान्य विशेषयोः यदा वाच्यत्वं भवति तदाऽऽर्थान्तरन्यासाविर्भावः । अप्रस्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य गम्यत्वे सर्वथाऽ प्रस्तुत-प्रशंसैति निर्णयः । -- श्लोकार सूत्र, पृ० १२६-१३० ।

व्याजस्तुति में वाच्य रूप में निबद्ध निन्दा अथवा स्तुति का पर्यवसान 'अन्यथा' रूप में होता है^१ । अर्थात् यदि निन्दावाच्य है तो स्तुति व्यंग्य होगी और इसी प्रकार यदि स्तुति वाच्य है तो निन्दा व्यंग्य होगी । चूंकि, वाच्य रूप में प्रतिपादित निन्दा अथवा स्तुति भाव, स्वयं अपने में पर्यवसित न होकर, बाधित ही जाता है अतः आचार्य नागेश के मतानुसार व्याजस्तुति में ध्वनि की कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि निर्बाधरूप से वाच्य द्वारा जब अर्थान्तर की अवगति हो

१- व्याजस्तुतिसे निन्दा स्तुतिर्वा रुढिरन्यथा ॥ काव्य प्रकाश १०।२६ अ ।

तभी ध्वनि होता है। व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा में अन्य अलंकारों की अपेक्षा अधिक साम्य है, क्योंकि व्याजस्तुति की ही भांति अन्योक्ति में भी अप्रस्तुत स्तुति अथवा निन्दा से प्रस्तुत निन्दा अथवा स्तुति की व्यंजना होना है। अतः इस दशा में तो यही सम्भावना है कि दोनों को एक मान लिया जाय। किन्तु ऐसा होता नहीं। क्योंकि व्याजस्तुति में केवल स्तुति एवं निन्दा का ही निबन्धन होता है और वह स्तुति अथवा निन्दाभाव एक 'विच्छिन्ति विशेष' उत्पन्न करने के कारण व्याजस्तुति का प्राणतत्त्व बन जाना है। आचार्य रुय्यक के शब्दों में -- 'स्तुतिनिन्दा-रूपत्वस्य विच्छिन्तिविशेषस्य भावदप्रस्तुतप्रशंसानो भेदः।' किन्तु इसके विरहित अन्योक्ति में सामान्यविक्षेपादि भावों की भी सम्मानता का भाव रहता है^१। यही दोनों का प्रमुख अन्तर है। किन्तु इस अन्तर के रहते हुए भी अन्योक्ति तथा व्याजस्तुति की स्फुटा का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अन्योक्ति में व्याजस्तुति नहीं हो सकती किन्तु प्रत्येक व्याजस्तुति में अन्योक्ति का होना सम्भव है। रसगंगाधर कार ने स्पष्टतः इस तथ्य को स्वीकार किया है -- 'स्व च भाग्यं ते..... यदहर्दिवम् इत्यत्र अप्रस्तुतप्रशंसा संकीर्णाभ्येषा भवति।' रम० पृ० ४१८।

साधर्म्य-वैधर्म्य विचार करते समय आचार्य दण्डी तथा साहित्यमीमांसाकार (?) के मतों का उल्लेख किया गया है। दण्डी एवं मीमांसाकार क्रमशः 'अप्रस्तुतरूप में स्तुति एवं निन्दा के निबन्धन से, प्रस्तुतरूप में स्थित, निन्दा अथवा स्तुति की प्रतीति का पदा ग्रहण करते हैं। वास्तुतः यदि इन दोनों मतों को समष्टिरूप में स्वीकार कर लिया जाय तो व्याजस्तुति की प्रतीति-कर्म-पक्ष-ग्रहण-करते-हैं-+ स्वतन्त्र सत्ता अन्योक्ति में ही अन्तर्भूत हो जाती है। संस्कृत संग्रह ग्रन्थों में भूरिशः प्रतिपादित, स्तुति एवं निन्दा पर्यवसायिनी अन्योक्तियाँ ही आचार्यों द्वारा व्याज स्तुति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत की गई हैं इससे भी दोनों अलंकारों के एक्य-भाव का ही बोध होता है। अतः सिद्ध है कि हम अपने स्वारस्य वश भले ही

१- एवं स्तुतिनिन्दाभ्यामप्रस्तुताभ्यां निन्दास्तुत्योः प्रस्तुतयोर्गम्यत्वमित्यत्र सिद्धम् । यथैवं तत्किमियमप्रस्तुतप्रशंसेव न भवतीत्याशङ्क्याह--स्तुतीत्यादि । तत्र हि सामान्य-विक्षेपादीनां गम्यत्वमुक्तम् ।--अलंकारसर्वस्व पर जयरथ टीका ।

व्याजस्तुति की स्वतंत्र सजा स्वीकार करें, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वह, अन्योक्ति से पृथक् नहीं हो पाती। यह कहना कि व्याजस्तुति में स्थित निन्दा एवं स्तुति दोनों वैचित्र्यविशेष के कारण हैं कोई प्राभाषिक कथन नहीं प्रतीत होता और न इसमें यकी सिद्ध होता है कि अन्योक्ति में स्थित स्तुतिनिन्दा भाव, वैचित्र्याघातक नहीं। आचार्य अप्यय के शब्दों से यह विवक्षता स्पष्ट हो जाती है -- 'सुखं जीवन्ति हरिणा.... मनस्विना इति । वस्तुतस्त्वत्र व्याज-स्तुतिरित्येव युक्तम् । न्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिरित्यप्रस्तुतप्रशंसानो वैचित्र्यविशेष-सद्भावात् । अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेषु अपि अप्रस्तुताभ्यां निन्दास्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुतिनिन्दे गन्धेते ज्ञेतावक्त्रा व्याजस्तुतिमात्रम् अप्रस्तुतप्रशंसं स्यात् ।'

-- (कुवल्या० व्याज० प्रकरण)

आचार्य अप्यय ने मुख्यतः व्याजस्तुति के तीन स्वरूप माने हैं--स्तुति से निन्दा की व्यंजना, निन्दा में स्तुति की व्यंजना तथा स्तुति से स्तुति की व्यंजना। इसमें तीसरा विकल्प आचार्य की मौलिक उद्भावना है। ठीक इसीप्रकार जहाँ वाच्य निन्दा से व्यंग्य निन्दा की ही प्रतीति हो, उसे आचार्य ने 'व्याजनिन्दा' नामक एक स्वतन्त्र अलंकार माना है। उदा०

विधिरेवविशेषगर्हणीयः करट त्वं रट कस्तवापराधः ।

महकारतरां चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥

यहाँ विधिनिन्दा तथा तन्निर्मित काकनिन्दा से कवि ने एक वैधेय प्रसु की निन्दा का भाव व्यक्तप व्यक्त किया है जो कि विद्वान् तथा मूर्ख को समकक्ष स्थिति देता है, किन्तु आचार्य ने स्वयं इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन करते हुए व्याजनिन्दा तथा अन्योक्ति की स्मृता स्वीकार की है -- 'एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेय-मप्रस्तुतप्रशंसैति चमत्कारातिशयः । स्वमेव व्याजस्तुतिमूलक व्याजस्तुतिरूपाप्यप्रस्तुत-प्रशंसा दृश्यते ।'

पर्याय अलंकार आचार्य रुय्यक के अनुसार वहाँ होता है, जहाँ कि एक आधेय वस्तु की स्थिति क्रमशः अनेक आधारों में अथवा अनेक आधेयों की एक आधार में

१- निन्दायां निन्दया व्यक्ति व्यजनिन्देति गीयते ।

विधे ! स स्म निन्धो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ कुव० का० ३० ।

प्रदर्शित की जाय^१। प्रथम स्थिति का उदाहरण, मम्मट, रुद्रयुक्त, तथा अप्पय्य ने एक प्रसिद्ध अन्योक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है --

नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट ! केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपद्विष्टा ।

प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठे ऽधुना वमरि वाचि पुनः खलानाम् ॥^२
यद्यपि यहाँ कालकूट (आश्रय) की स्थिति, नागर, शम्भुकण्ठ तथा खलवाणी जैसे विभिन्न आधारों में दिखाई गई है, अतः पर्याय के विशिष्टों की दृष्टि से यहाँ पर्याय अलंकार अलंकार्य है, किन्तु साथ ही साथ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि प्रस्तुत पद्य मल्लट कवि प्रणीत अन्योक्ति शतक (१६४) में उद्धृत किया गया है, अतः यदि हम इस पद्य में प्रतिपादित, वाच्य कालकूटवृत्तान्त तथा व्यंग्य वस्तुविशेष पर ध्यान केन्द्रित करें तो यह स्पष्ट मान होता है कि यह अन्योक्ति का ही उदाहरण है। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्योक्ति जब अलंकार मात्र न रहकर अलंकार्य बन जाती है तब अन्य अलंकार भी उसकी चारुता के हेतु बन जाते हैं।

असम्भव, सम, विक्रान्त, ललित, प्रहर्षण, विषादन, उल्लास, अवज्ञा (तथा लेश) ये नवों अलंकार सर्वप्रथम आचार्य अप्पय्य द्वारा ही विनृत रूप में विवेचित किये गये हैं। किन्तु यह ज्ञातव्य तथ्य है कि पर्याय की ही भांति इन सब अलंकारों के उदाहरण 'अन्योक्ति' रूप हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इन प्रसंगों में सर्वत्र अन्योक्ति अलंकार्य रूप में ही रहती है क्योंकि इन स्थलों पर उक्त अलंकार, अलंकार्य वस्तुरूप में विद्यमान अन्योक्ति, के अप्रस्तुत पदा का वैचित्र्य एवं सौन्दर्य बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार चन्द्रालोक की व्याख्या में उदात्त प्रभृति अनेक अलंकारों के प्रसंग में श्री गागाभट्ट ने अन्योक्ति पद्यों को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः इससे यह सिद्ध होता है कि अन्योक्ति के संविधान में अन्य अलंकारों के वैचित्र्य भी अन्तर्निविष्ट हैं।

असम्भव अलंकार वहाँ होता है वहाँ अर्थनिष्पत्ति की असम्भावना का वर्णन किया जाय^२। उदा० को वेद गोपशिशुकशैलमुत्पाटयेदिति । यहाँ भगवान् कृष्ण द्वारा गोवर्धन गिरि उठा लिये जाने की असम्भावना वर्णित की गई है। दीक्षित द्वारा

१- स्कन्नेकस्मिन्नेकस्मिन् वाक्येण पर्यायः ॥ अलंकार सूत्र, ६०

२- असम्भवोऽर्थनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववर्णनम् -- कुवलयानन्द प्रक० ३५ ।

उदाहृत दूसरा पद्य अथं वारामेको निलय इति रत्नकर इति भी प्रायः 'महर्षि' अगत्य द्वारा 'सुद्रमान' किये जाने की असम्भावना प्रस्तुत करता है किन्तु है यह अन्योक्ति का ही उदाहरण । क्योंकि यहाँ अगत्यवृत्तान्त (अप्रस्तुत) द्वारा एक अन्य वृत्तान्त (प्रस्तुत) की व्यंजना भी सम्भव है । अनेक ग्रंथों में यह पद्य अन्योक्ति की स्वीकार किया गया है^१ ।

जहाँ दो पृथक् वस्तुओं का अनुरूप वर्णन हो वहाँ 'सम' अलंकार होता है^२, जैसे 'चित्रं चित्रं बत महच्चित्र मेतत्' आदि पद्य में 'निम्बतरु एवं काक समूह' का परस्परापेक्षी तथा अनुरूप वर्णन । इसी प्रकार जहाँ किसी विशेष वस्तु का समर्थन करने के लिए सामान्य वस्तु का उपन्यास हो, किन्तु उस दशा में भी कवि सन्तुष्ट न होकर पुनः उसके समर्थनार्थ कोई विशेष वृत्त प्रस्तुत करे तो वहाँ 'विकस्वर' नामक अलंकार होता है^३ । उदा० 'कर्णारुन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक खयम्' आदि पद्य में कौवे द्वारा आप्रवृत्त का आश्रय लेना एक विशेष वस्तु है जिसके समर्थन में कस्तूरी वृत्तान्त (सामान्य) तथा पुनः कौकिलवृत्तान्त (विशेष) प्रस्तुत किया गया है । किन्तु इन दोनों ही उदाहरण श्लोकों में अन्योक्तित्व सर्वथा स्पष्ट है ।

प्रस्तुत वाक्यार्थ का वर्णन न करके, उसी के स्थान पर उसके प्रतिबिम्ब स्वरूप किसी अप्रस्तुत वाक्यार्थ का वर्णन करना 'ललित' अलंकार है^४ । यद्यपि इस रूप में ललित का अधिकांश साम्य अन्योक्ति से प्रतीत होता है तथापि अप्पय्य ने उसे एक पृथक् अलंकार माना है । 'सोऽपूर्वा रसनाविपर्ययविधिः' आदि श्लोक को उदाहृत करके आचार्य ने ललित, अन्योक्ति तथा अतिशयोक्ति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, जो प्रकृतग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है । किन्तु आचार्य के व्याख्यान से इतना तो स्पष्ट ही है कि ललित की आधारशिला अन्योक्ति ही है ।

१-द्रष्टव्य -- सुमाषित रत्नकोष ब्रज्या ३३, सङ्कित ० ४।६।३ प्रसन्न साहित्य ० ६८ ।

२-'सम' स्याद् वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयो? स्वानुरूपं कृतं सद्म हारेण कुचमण्डलम् ॥

--कुवल्या ० प्रक ० ३८ ।

३-'मैस्मिन्विशेष सामान्यविशेषस्य विकस्वरः ।' --कुवल्या ० प्रकरण ६१ ।

४-'प्रस्तुते वर्णयवाक्यार्थप्रतिबिम्बस्य वर्णनम् ललितम् । कुवल्या ० प्रक ० ६५ ।

बिना यत्न के ही जहाँ उत्कण्ठितार्थ की सिद्धि हो, वहाँ 'प्रहर्षण' अलंकार होता है। अथवा वांछित कामना को अपेक्षा अधिक अर्थ को संसिद्धि में भी 'प्रहर्षण' होता है^१। उदाहरणार्थ--

चातकत्रिवनुरान्पद्मकणान् यावते जलधरं पिपासया ।

सोऽपि घूरयति विश्वनाम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ॥

इसी प्रकार इष्यमाण अर्थ के विरुद्धार्थ की प्राप्ति ही अप्पय के अनुसार 'विषादन' अलंकार है^२। उदाहरणार्थ -- रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुत्रमात्म आदि पद्य में भ्रमर द्वारा आकांक्षित मधुर आशाओं के विपरीत गज द्वारा उनका कवलित हो जाना। अवधेय है कि उपर्युक्त समस्त उदाहरण अन्वोक्ति रूप हैं।

इसी प्रकार जब किसी गुण से अन्य का गुण दोष से दोष, गुण से दोष अथवा दोष से गुण की वर्णना की जाय तो इन चारों ही स्थानों पर 'उल्लास' अलंकार होता है। एक उदाहरण से इसका दिग्भ्रमत्र निर्देश किया जा रहा है --

आघ्रातं परिचुम्बितं परिसुहृतीढं पुनश्चर्वितं^{त्यक्तं} वा भुवि नीरेण मनसा तत्र व्यथां मा कथ हे सद्रत्न । तवैतदेव कुशलं यद्दानरेणादराइन्तस्मारविलोकनव्यसनिना चूर्णिकृतं नाश्मना प्रस्तुत पद्य में बानर के चापलदोष से रत्न का चूर्णनाभाव गुणरूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं। उल्लास के पश्चात् 'अवज्ञा' अलंकार आता है। अप्पय के मतानुसार जब किसी के गुण अथवा दोष वर्णन से दूसरे के गुणभाव अथवा दोषभाव का भाव प्रस्तुत किया जाय तो वहाँ 'अवज्ञा' अलंकार होता है। उदा० 'त्वं चेत्संचरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनाम्' आदि पद्य में 'शंकर को न ग्रहण करने रूप दोष से दिग्गजों के लघुतादि दोषभाव का वर्णन। वस्तुतः 'अवज्ञा' अलंकार 'उल्लास' के प्रथम दो विकल्पों का ही प्रतिरूप है।

- १- वांछिताधिकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम् । कुवल्या० प्रक० ६६
 २- इष्यमाणविषादनार्थसम्प्राप्तिस्तु विषादनम् । ,, ६७
 ३- स्कस्य गुणदोषाम्यामुल्लासो न्यस्तौ यदि । ,, ६८
 ४- ताम्यां तौ यदि न स्यातामवज्ञा लंकृतिस्तुसा । ,, ६९

‘लेशे’ में गुण एवं दोष की क्रमशः दोष एवं गुण रूप में कल्पना की जाती है^१। उदाहरणार्थ-- ‘अखिलेषु विहंगेषु हन्त स्वच्छन्दचारिषु शुक्र । पंजरबन्धस्तं मधुराणां गिरां फल्म् ॥’ यहाँ पर एक ऐसे राजकुमार का वर्णन अभीष्ट है जो राजा (अपने पिता) का अत्यन्त प्रिययात्र एवं विद्वान् है, राजधानी में रह रहा है। किन्तु उसके पिता राजधानी में दूर, अपने निवासस्थान पर हैं, गद्य ही गाय पुत्रदर्शन के लिए उत्कण्ठित भी हैं। यहाँ श्लोक के पूर्वार्द्ध में अन्य पक्षियों के अवकृता रूप दोष को उनके स्वच्छन्द संवरण लक्ष्य गुण के रूप में कल्पित किया गया है। इसी प्रकार उत्तरार्द्ध में ‘मधुरभाषिता’ रूप गुण को पंजरबन्धन हेतु रूपों दोष के रूप में कल्पित किया गया है। किन्तु स्पष्ट है कि शुक्र वृत्तान्त यहाँ पूर्णतः अप्रस्तुत है तथा राजकुमार वृत्तान्त प्रस्तुत। अतः आचार्य अप्पय्य इस पद्य की अन्योक्तिता स्वयं स्वीकार करते हैं -- ‘राज्ञेऽभिमतं विदुषि पुत्रे विरं राजधान्यां प्रवसति तद्दर्शनोत्कण्ठितस्य गृहेस्थितस्य पितुर्वचनम् अप्रस्तुतप्रसंसारूपम् ।’

इस प्रकार इन अलंकारों के सन्निहित विवेचन में यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि इनका आधारस्थल अन्योक्ति ही है। तब फिर प्रश्न यह उठता है कि इन स्थलों पर हम अन्योक्ति स्वीकार करें अथवा असंभन्धि असम्भवादि अलंकार को? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन प्रसंगों में दोनों ही अलंकार माने जा सकते हैं। क्योंकि अध्यायारम्भ में ही इस तथ्य का विवेचन किया जा चुका है कि अन्योक्ति ‘अलंकार तथा अलंकार्ये’ दोनों ही रूप वाली है। अतः अन्य अलंकारों की ‘अन्योक्तिसंकीर्णता’ कोई असम्भव बात नहीं है। एक बात यह भी है कि आचार्य अप्पय्य द्वारा अन्योक्ति उदाहरणों से संवलिप्त जो-जो अलंकार कुवलयानन्द में विवेचित किये गए हैं, उनका सम्भव-द्वन्द्व एकमात्र सम्बन्ध अन्योक्ति के ‘वाच्यपक्ष’ से ही है। उदाहरणार्थ, पूर्वोत्ल्लिखित प्रहर्षण या विषादन आदि अलंकारों के उदाहरणों में जो अन्योक्तियाँ हैं, उनका केवल ‘अप्रस्तुतवाच्य पक्ष’ ही, उन-उन अलंकारों का प्रतिपाद्य है। किन्तु ज्यों ही हम उस अप्रस्तुत वाच्यार्थ को किसी प्रस्तुत व्यंग्यार्थ से संयुक्त करना चाहेंगे कि त्यों ही उन अलंकारों की स्वतन्त्र सत्ता विनष्ट हो जायेगी और एकमात्र अन्योक्ति ही उन प्रसंगों में अधिकृत रूप में स्थित रहेगी। अतः ऐसी अन्योक्तियों में, ‘अन्योक्ति’ होना या न होना, तथा इसी प्रकार प्रहर्षण विषादनादि अलंकारों का होना या न होना ‘कविसंरम्भोचरता’ पर ही आधारित है।

उपर्युक्त स्थिति को ही ध्यान में रखने के कारण आचार्य अप्पय्य तथा उनके टीकाकारों में पारम्परिक मतवैजान्य भी दृष्टिगोचर होता है । वस्तुतः पूर्व व्याख्यात अलंकारों में से अनेक ऐसे हैं, जो कि संस्कृत काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम आचार्य अप्पय्य द्वारा वर्णित किये गये हैं, जैसे ललित, लेश (स्वरूप विशेष) तथा प्रहर्षण के भेद विशेष आदि । अतः बिना किसी पूर्व प्रानाप्य के अप्पय्य ने इनका व्याख्यान केवल स्वान्तः सुखाय साथ ही साथ अपने ही प्रतिपादन कौशल से किया है । अतः लेश में जहाँ वे अन्योक्ति का प्रभाव स्वीकार करके भी उसे मन्ने लेश मानने के कारण अपेक्षात कर देते हैं, वहीं टीकाकार श्री गंगाधर वाजपेयिन् अपना विरोधी स्वतन्त्र मत देते हैं -- ' अयं श्लोको ऽ प्रस्तुतप्रशंसाः सोऽ प्रस्तुतश्लोकवृत्तान्तेन राजवहुमतद्विकाल-प्रवासशीलवैदुष्यान्वितपुत्रदिदृष्टा गृहस्थितजनकवाक्यतया पुत्रवृत्तान्तस्य प्रतीतेरप्रस्तुत-प्रशंसैवात्रालंकारो युक्तः ।' -- कुवलो लेशप्रकरण (रसिकरंजनी टीका) ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्योक्ति अलंकार्य तथा अलंकार दोनों है । वह अलंकार तब होगी, जब कि उसका अप्रस्तुत पदा वाच्य बनकर व्यंग्य प्रस्तुत की चारुता का कारण बनेगा । इसी प्रकार वह अलंकार्य तब होगी जब उसका अप्रस्तुत पदा, वस्तुरूप में उपस्थित होकर पूर्वव्याख्यात अलंकारों द्वारा अलंकृत होगा । इस दृष्टि से अन्योक्ति का अप्रस्तुत पदा 'कविसरम्भगोचर' न होते हुए भी बड़े महत्त्व का है, क्योंकि अन्योक्ति को अलंकार अथवा अलंकार्य बनाने का दायित्व उसी पर निर्भर है ।

पंचम अध्याय

-०-

लिखित-बन्योक्ति-साहित्य

स्व

उसके मान्य कवि

.....

पंचम अध्याय

-0-

लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उसके मान्य कवि

विश्व के किसी भी समृद्ध-वाङ्मय का सूक्ष्मानुशीलन करके, इस रहस्य को जाना जा सकता है कि 'व्याकरण भाषा का अनुगामी होता है' । यदि इसी तथ्य को और सामान्य रीति से कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि 'लक्षणिय विषय पहले होता है तथा लक्षण बाद में' । संस्कृत काव्य और काव्यशास्त्र के विषय में यह तथ्य, अन्य देशों में विद्यमान वाङ्मय की अपेक्षा अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे देश में, हजारों वर्ष पूर्व से ही अनेकविध साहित्य की रचना, स्वच्छन्द एवं निर्वाध रूप से होती रही, जिसके पश्चात् ही ईसवीय सन् का प्रारम्भ होता है । यूनानी साहित्य में, अरस्तू के लक्षण ग्रन्थ काव्यशास्त्र (*Poetics*) तथा उसके पूर्ववर्ती वाङ्मय में अत्यल्प दूरी, रही है, किन्तु भारतवर्ष में ऋग्वेद का प्रणयन युग कम से कम १२०० ई० पूर्व० (मैक्समूलर) तथा अधिक से अधिक दस हजार वर्ष (बाल गंगाधर तिलक) अथवा और निश्चित किया गया है ।

स्थूल रूप में, आचार्य भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र को ही संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ माना जा सकता है, क्योंकि महाकाव्यों, नाटकों अथवा इतरतर काव्यों का जो स्वरूप-निर्देशन आचार्य भरत ने किया, थोड़े परिष्कार के साथ प्रायः वही, परवर्ती लक्षणकारों द्वारा भी स्वीकार किया गया । तथापि इतना तो निर्विवाद ही है कि नाट्य शास्त्र के पूर्व ही स्मस्त वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक,

उपनिषद्, अधिकांश पुराण, एवं रामायण-महाभारत मरीखे उपजाव्य ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी। इन ग्रन्थों में, जैसा कि प्रथम अध्याय में अप्रमाण विवेचन किया जा चुका है, अन्योक्तियां मरी पड़ी हैं। आचार्य भरत प्रोक्त 'मनोरथ लक्षण' में भी प्राप्त अन्यापदेशः कथनम् से यही रहस्य उद्घाटित होता है कि पूर्व भरत युग में ही अन्योक्ति भावामिव्यक्ति की समणीय परिपाटी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वरन् साख्य निबन्धना अन्योक्तियां भी, अगणित संख्या में आचार्यों, कवियों एवं फुटकर काव्य-रचना करने वाले व्यक्तियों द्वारा गणित हो चुकी थी। इन अन्योक्तियों का निबन्धन किसी ग्रन्थ-विशेष में नहीं है, क्योंकि उनके प्रणेता कविगण विशिष्ट काव्य-प्रणेता न होकर, विद्याव्यसनी मात्र रहे। वस्तुतः वे अत्यन्त सहृदय थे अतः भावप्रवणता की स्काध घड़ियों में कुछ पद्ये स्वान्तः सुखाये लिख लेते थे। इन रचनाओं का मुक्तक तथा प्रतिपाद्य विषय प्रायः शृंगारादिरस, अन्यापदेश अथवा नियम-निर्देश मात्र होता था। ऐसे ही कवियों की मुक्तक अन्योक्तियां परवर्ती युग में 'संग्रहग्रन्थों' में संकलित की गयी।

भरत के पश्चात् ही, महाकाव्यों की रचना का युग प्रारम्भ होता है। महाकाव्ये वस्तुतः काव्य के ही एक विशिष्ट रूप हैं, जिन्हें 'सर्गबन्ध' कहा जाता है^१। अतः 'काव्ये' शब्द का विस्तृत अर्थ लेने पर इसके श्रव्य एवं दृश्य रूप (-- काव्य एवं नादयः) तथा उनके भी भेदोपभेद अर्थात् महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, स्तोत्रकाव्य, मुक्तक, कथा, आख्यायिका, चम्पू, दशविधरूपक अट्ठारह उपरूपक प्रभृति समस्त साहित्यिक रचनाये आ जाती हैं। प्राचीनतम नाटककार मास के पश्चात् कालिदास, अश्वघोष शूद्रक, वररुचि श्यामिलक- ईश्वरदत्त, बाण-दण्डी-सुबन्धु-भट्टि-भारवि-माघ- श्रीहर्ष आदि इन विविध काव्यधाराओं के विशिष्ट कवि हैं। चूंकि कृतीं शताब्दी तक आचार्य मामह द्वारा श्रव्य काव्यों का स्वरूप पूर्णतः स्थिर कर दिया गया, अतः उनके पश्चात् लिखे गये समस्त काव्यग्रन्थों में स्वरूपता प्राप्त होती है। सब में प्रायः मामहप्रोक्त 'सर्गबन्ध' के लक्षणों का अक्षरशः अनुवर्तन विद्यमान है। यह भी अवश्य तत्त्व है कि तब तक अन्योक्ति एक विशिष्ट अलंकार के रूप में, परिनिष्ठित हो चुकी थी, अतः उसका जो निबन्धन कालिदास प्रभृति पूर्व मामहयुगीन कवियों की कृतियों में स्वामाविक रूप से हुआ था, वह अब उसकी बालंकारिक

अलंकारिक मान्यता के साथ होने लगा । नवीं शती ई० के अन्त में आचार्य आनन्दवर्धन ने तथा ग्यारहवीं शती के अन्त में आचार्य मम्मट ने, अन्योक्ति का क्रमशः सन्निहित एवं विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत करके इसे एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया । यद्यपि अन्वयोक्ति के भेद-प्रभेद, भास एवं कालिदास जैसे प्राचीन कवियों की कृतियों में भी प्राप्त होते हैं, किन्तु ध्वनिकार के पूर्ववर्ती किमी भी आचार्य की दृष्टि उग्र रहस्य पर नहीं पड़ सकी । कवि तो प्रतिभाशील होता ही है, अतः काव्य रचना की समाधितुल्य सुखद वेला में वह किसी आचार्य के निर्देश की अपेक्षा नहीं करता और यदि करे भी तो काव्य में स्वाभाविक सौन्दर्य कभी आ ही नहीं सकता । मामहोत्तर युग के कवि, जिन्होंने सम्भवतः 'काव्यालंकार अथवा काव्यादर्श' की प्रति सामने रखकर हां, काव्य रचना की, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो काव्यानन्द पाठक को कालिदास के पद्यों में प्राप्त होता है वह मारवि-माघ के काव्यों में नहीं ।

अतः सिद्ध है कि आचार्यों द्वारा स्थापित की गयीं समस्त काव्य-रूढ़ियां उनके पूर्ववर्ती कवियों की प्रतिभा से ही उद्भूत हुई हैं । लक्षणकार आचार्य, इस दृष्टि से किसी प्रतिभाशील कवि से वरीयान् नहीं माना जा सकता । वस्तुतः कवि की प्रतिभा पहचानने के ही कारण, वह स्वयं प्रतिभाशील हो जाता है । इस प्रकार मामह के पश्चात् उत्पन्न होने वाले जितने भी कवि हुए उनकी रचनाओं में अन्योक्ति का भरपूर निबन्धन हुआ, किन्तु उनका स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया । जहां, मामहोत्तर युग में, अन्योक्तियां 'सहजवर्णना' के रूप में प्रतिपादित हुई थी, अब इस धारणा के साथ प्रतिपादित होने लगीं कि ये एक विशिष्ट अलंकार हैं और काव्य में इनका निबन्धन भी आवश्यक है । आनन्दवर्धन के बाद यह धारणा प्रायः और संकुचित हो गई अतः अन्योक्ति विषयक कवियों की धारणा अब उसके त्रैविध्य, अर्थात् सामान्यविशेष, कार्यकारण एवं सारूप्य सम्बन्ध पर केन्द्रित हो गई । अस्तु जो भी हो किन्तु समस्त संस्कृत साहित्य में अन्योक्तियों का निबन्धन किसी न किसी रूप में होता रहा, कालिदास के युग से लेकर आज तक । अन्योक्तियों का प्रयोग उपर्युल्लिखित समस्त काव्यांगों में समान रूप से हुआ है ।

किन्तु नवम शती ई० में उत्पन्न महाकवि मल्लट ने 'मल्लटशतक' की रचना करके, स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की परम्परा का श्रीगणेश किया । वस्तुतः ऐसे ग्रन्थों में प्रायः मुक्तक अन्योक्तियों का ही संकलन किया गया, जिनमें विषय एवं कहीं-कहीं अन्वय का भी त्रैविध्य दृष्टिगोचर होता है । नवीं शती से लेकर आज तक, इस परम्परा में

असंख्य ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें से बहुत थोड़े ही आज उपलब्ध होते हैं ।


इस प्रकार संस्कृत साहित्य में अन्योक्तियों का प्रतिपादन मुख्यतः दो रूपों में हुआ-- काव्यखण्डों तथा मुक्तकों के रूप में । काव्यखण्ड का तात्पर्य उन अन्योक्तियों से है, जो कि प्रबन्ध काव्य की ही अंशभूत हैं । जिनका प्रसंग अथवा व्याप्ति, आधिकारिक कथा पर ही निर्भर है । वस्तुतः ऐसी अन्योक्तियाँ उस विशिष्ट काव्य की कथावस्तु का अंगविशेष होती हैं अतः मूलकथा से उन्हें पृथक् कर लेने पर, उनकी अपेक्षा न्यून प्रतीत होने लगती है । इस कोटि में प्रायः सामान्य विशेष तथा कारण कार्य निबन्धना अन्योक्तियाँ ही आती हैं । किन्तु इसके विपरीत मुक्तक अन्योक्तियाँ प्रबन्ध से सर्वथा विच्छिन्न होती हैं । अतः उन स्थान विशेष से उन्हें हटा लेने पर भी काव्य के कथा-प्रवाह में कोई रिक्तता नहीं ज्ञात होती । इसका मूल कारण उन अन्योक्तियों का 'पृथक-प्रसंग' है जो किसी भी रूप में मूल कथा से सम्बद्ध नहीं होता है । 'काव्यखण्ड तथा मुक्तक' ये दोनों शब्द ही, अपनी परिधि में आने वाली अन्योक्तियों का वैशिष्ट्य स्पष्ट कर देते हैं । क्योंकि काव्यांश होने के कारण एक पराधीन है, किन्तु दूसरी 'मुक्त' होने के कारण स्वाधीन या स्वतन्त्र । मुक्तक कोटि में प्रायः सारूप्यनिबन्धना अन्योक्तियाँ ही आती हैं ।

प्रयोग की दृष्टि से मुक्तकों के दो रूप हैं -- अन्यरचित तथा स्वरचित । वे मुक्तक अन्योक्तियाँ जो अन्य कवियों द्वारा प्रणीत होती हैं, उनको यदि कोई अन्य व्यक्ति पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे, तो उसकी एकमात्र विधि यह है कि वह उनका संचयन या संकलन करे । किन्तु यदि उन अन्योक्तियों का रचयिता स्वयं उन्हें अपने किसी ग्रन्थविशेष में संकलित कर दे, तो वही 'स्वरचित' कही जायगी । अतः निश्चित है कि मुक्तक अन्योक्तियों का उपर्युक्त वर्गीकरण संकलयिता की ही दृष्टि से किया गया है । इस प्रकार, आर्यासप्तशती अथवा माहिनी विलास की अन्योक्तियाँ महाकवि गोवर्द्धन तथा जगन्नाथ की दृष्टि से तो स्वरचित हैं, किन्तु 'संग्रहकारों' की दृष्टि से वही अन्यरचित हैं । स्वरचित मुक्तकों का संकलन प्रणेतृ कवि, स्वयं अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों में करता है जब कि अन्यरचित मुक्तकों का संकलन संग्रहकार कवि अपने 'संग्रह' ग्रन्थ में करता है । संस्कृत साहित्य में प्राप्त गोवर्द्धन कृत आर्यासप्तशती, मल्लट कृत 'मल्लटशतक' आदि स्वतन्त्र मुक्तक अन्योक्ति संग्रह पहली कोटि में आये और ठीक इसी प्रकार सुभाषित रत्नकोष सद्भक्ति कर्णामृत तथा सुभाषितावली आदि दूसरी कोटि में । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि संस्कृत साहित्य में अन्योक्तियों का अस्तित्व क्षेत्र तीन प्रकार का है -- १- संग्रह ग्रन्थ,

जिनमें कवि अन्य कवियों द्वारा प्रणीत मुक्तक अन्योक्तियों का संकलन करता है। एकाध मुक्तक स्वरचित भी हो सकते हैं। जैसे सुभाषित रत्नकोष में प्राप्त विद्याकर के तीन पद्य। २- काव्यग्रन्थ अर्थात् काव्य के समस्त भेद-प्रभेद, जिनमें अन्योक्तियां मुक्त न होकर काव्य प्रतिपाद्य का ही अंग-विशेष होती हैं, अतः उन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। ३- स्वतंत्र ग्रन्थ अर्थात् स्वतन्त्र मुक्तक अन्योक्तियां, जिन्हें उनका प्रणेता कवि ही अपने ग्रन्थविशेष में संग्रहित करता है, किन्तु दूसरे कवि की कोई भी रचना उसके ग्रन्थ में नहीं रहती।

अन्योक्तियों का यह विभाजन इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :--

लिखित अन्योक्ति साहित्य



अब इन्हीं उपर्युक्त तीनों वर्गों का विवेचन क्रमशः किया जा रहा है ताकि समस्त अन्योक्तिवाङ्मय के स्वरूप की फांकी प्रत्यक्ष हो जाय।

संस्कृत वाङ्मय में 'संग्रह ग्रन्थों' का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि हजारों वर्षों की मुस्लिम एवं अंग्रेजी पराधीनता के कारण, जिन महाकवियों के काव्य पूर्णतः विनष्ट हो गए, उनकी भी वाणी, इन्हीं ग्रन्थों में सुरक्षित रह सकी। पाश्चात्य विद्वान् कालरिज ने संग्रहग्रन्थों की इसी उपयोगिता को परख कर उनकी हार्दिक प्रशंसा की थी

१- why are not more gems from our great authors, scattered over the country?
Great books are not in everybody's reach and though it is better to know them thoroughly than to know them here and there, yet it is a good work to give a little to those who have neither time nor means to get more.

यद्यपि कवियों की वाणो को संग्रहीत करने में, संग्रहकार की प्रतिभा का बलवतो होना उतना आवश्यक नहीं, जितना कि उसकी तद्विषयक प्रवृत्ति का होना । और संग्रहकार की यही प्रवृत्ति, उनकी यही सहृदयता, मौलिक प्रतिभा के समान होती है, क्योंकि यथाकथंचित् संग्रहग्रन्थ से उनकी कुछ न कुछ आत्मीयता तो हो ही जाती है² । इस दृष्टि से संग्रहकारों का महत्व एक कवि की ही भांति, श्लाघ्य स्वं उदात्त होता है ।

'संस्कृत साहित्य' का प्रचीनतम संग्रहग्रन्थ 'सुभाषित रत्नकोष' माना जाता है, जिसका परिचय भारतीय विद्वानों को १६४६ ई० में मिला । इसके पूर्व स्फ० डबल्यु० टामम द्वारा १६१२ ई० में प्रकाशित 'कविवचन-समुच्चय' ही प्राचीनतम संग्रहग्रन्थ 'स्वीकार' किया जाता था । इस परम्परा में आने वाले अन्य प्रमुख ग्रन्थ सदुक्तिकर्णामृत, सूक्ति-मुक्तावली, शाङ्गधर पद्धति, सुभाषितावली, प्रसन्न साहित्य रत्नाकर तथा प्रस्ताव-रत्नाकर आदि हैं । इन संग्रह ग्रन्थों में मुक्तक पद्यों का ही संकलन किया गया है किन्तु जैसा कि पूर्वानुच्छेद में ही स्पष्ट किया गया है, वे समस्त पद्य अन्य कवियों द्वारा प्रणीत किये गये हैं । किसी-किसी संग्रह ग्रन्थ में संकलनकर्ता कवि का भी पद्य, यत्र-तत्र प्राप्त होता है, किन्तु ऐसे संग्रह ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प है । इन ग्रन्थों की दूसरी विशेषता यह है कि इनमें से प्रत्येक का विभाजन अत्यन्त वैज्ञानिक रीति से किया गया है । वैज्ञानिक रीति का तात्पर्य यह है कि विभाजन का आधार 'प्रतिपाद्य विषय' ही स्वीकार किया गया है । इन विषयानुकूल विभागों के नाम, विभिन्न संग्रह ग्रन्थों में विभिन्न रूप में प्राप्त होते हैं । किन्तु ऊपर गिनाये गये प्रतिनिधिभूत संग्रहों में इन्हें ब्रज्या, प्रवाह, पद्धति अथवा परिच्छेद की संज्ञा दी गयी है । प्रत्येक ब्रज्या अथवा पद्धति, निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या वाले श्लोकों में विभक्त है । प्रत्येक ग्रन्थ प्रायः 'नमस्कार पद्धति' से ही प्रारम्भ होता है, क्योंकि महाभाष्यकार के मतानुसार किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ, मध्य तथा अन्त में मंगल पाठ होना आवश्यक है² । मध्य तथा अन्त तो प्रायः नहीं, किन्तु प्रारम्भिक मंगलाचरण का निर्वाह प्रत्येक संग्रहकार ने किया है । सुभाषित रत्नकोष, सूक्ति मुक्तावली, शाङ्गधर पद्धति, सुभाषितावली तथा सूक्तिमालिका में, अन्तिम परिच्छेदों का नाम क्रमशः इस प्रकार है -- कविस्तुतिब्रज्या, हरस्तुतिपद्धति, विदेहसूक्ति कथन, श्री मगवत्स्वरूप वर्णन तथा दशावतार पद्धति । किन्तु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें

२- I have gathered a posie of otherman's flowers and nothing, but the thread that binds them is mine own — Montaigne.

मंगलाचरण १-१ मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यादि मगवद्भाष्यकार-
विरचिते रत्नापणे, पृ० २ ।

तो प्रतीत होगा कि उपर्युक्त परिच्छेद भी 'सुति सम्बद्ध होने के कारण, मंगलाचरण के ही प्रतीक हैं। इसी प्रकार यदि 'मुमाषितो' को भी हम मंगलाशंसी तत्त्व ही स्वीकार करें (और स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि इनमें देवविषयक अन्योक्तियां भी संकलित की गई हैं) तो समस्त संग्रहग्रन्थों के मध्यभाग में भी 'मंगलपाट' स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि अन्योक्ति अथवा अन्यापदेश का निबन्धन प्रायः संग्रहग्रन्थों के मध्यभाग में ही किया गया है। इस प्रकार, इन प्रमाणों ने यह स्पष्ट हो जाता है कि महामाष्यकार का मत, इन संग्रहग्रन्थों में पूर्णतः चरितार्थ हुआ है।

यहाँ एक और तथ्य का निर्देश कर देना उचित होगा। वह यह कि संस्कृत - साहित्य में संग्रह ग्रन्थों की संख्या अत्यन्त विशाल है। यह बात दूसरी है कि उनमें से कुछ थोड़े ही प्रख्यात हो सके हैं। प्रस्तुत सन्दर्भ के प्रारम्भ में ही ऐसे संग्रहों की नामावलि दी जा चुकी है किन्तु जब हम संस्कृत साहित्य का ऐतिह्य लिखने वाले आधुनिक विद्वानों के शोधग्रन्थों, निबन्धों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित उनकी पाण्डुलिपि - सूचियों पर ध्यान देते हैं तो संग्रह ग्रन्थों की अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इनमें से सैकड़ों कृतियों का कर्तृत्व संदिग्ध अथवा पूर्णतः अज्ञात है। ठीक इसी प्रकार महाकवि राजशेखर, बिल्हण, मंसूक, कल्हण तथा जैमिन्द्र सरीखे विद्वानों द्वारा अपने ग्रन्थों में स्मरण की गयीं अनेक कर्ताओं की कृतियां भी आज नहीं मिलतीं। ठीक यही दशा स्वतन्त्र अन्योक्ति शतकों की भी है। जिन कृतियों के प्रणेता पूर्णतः ज्ञात एवं प्रामाणिक हैं, उनकी रचनायें लुप्त हैं और जाने कितनी ऐसी रचनायें प्राप्त हैं, जिनके प्रणेता का कुछ पता नहीं। उन ग्रन्थों में भी कर्ता, काल अथवा काव्यविषयक कोई अन्तरंग या बहिरंग साक्ष्य नहीं प्राप्त होता कि जिसके आधार पर उनकी संगति बैठाई जाय। अनेक अप्रकाशित पाण्डुलिपियां, प्रारम्भ अथवा अन्त में संद्विष्ट हैं। अतः उनके विषय में भी कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाता कि वे किस कवि अथवा किस काल की कृतियां हैं। कवि प्रायः प्रारम्भ अथवा अन्त में ही आत्मपरिचय परक पद्य रखता है, अतः उपर्युक्त दशा में परिचय प्राप्ति की कोई आशा नहीं रह जाती। कभी-कभी ऐसी भी हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं, जो प्रारम्भ में तो एक विशेष्य ग्रन्थ के रूप में प्रारम्भ होती हैं, किन्तु उनका अन्तिम भाग किसी अन्य ग्रन्थ का होता है। यद्यपि ग्रन्थों को यह स्वरूप देने में सारा दोष, प्रणेताओं

का नहीं, वरन् एक तीसरे ही व्यक्ति का होता है, जो कि ज्ञान, अज्ञान, शंका अथवा कल्पनावश सजा करता है किन्तु कठिनाई तो इस बात की है, कि बिगड़े रूप वाले उन दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थों का मूल्यांकन कैसे और किस आधार पर किया जाय ।

ऐसी विषम परिस्थिति में अन्योक्ति साहित्य का व्यापितंत्र प्रस्तुत करने में केवल उन्हीं ग्रन्थों का आश्रय लिया जायगा, जो पूर्णतः मौलिक हैं याथ ही याथ प्रकाशित एवं प्राप्त हैं । वे अन्योक्तियाँ जिनका प्रतिपादन काव्यों एवं काव्य-प्रमेदों में हुआ है, उनके विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका संकेत भर ही किया जा सकता है । महाकवि मास से लेकर आज तक लिखे गए गद्य-पद्य-चम्पू एवं नाट्य वाङ्मय का एकैकशः आकलन करना ही असम्भव है, अतः उनमें विद्यमान अन्योक्तियों के संकलन और व्याख्यान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरी बात यह कि उनमें, अन्योक्तियों का प्रतिपादन गौण रूप से हो हुआ है, क्योंकि उन ग्रन्थों में कवि का लक्ष्य प्रायः आधिकारिक कथा पर ही केन्द्रित रहा है । इतना ही नहीं, वरन् अन्योक्तियों की जिन कोटियों का प्रतिपादन उन काव्यों में हुआ है, वे भी गौण ही हैं । वस्तुतः 'सारूप्यनिबन्धना' ही अन्योक्ति के अर्थ में रूढ़ है, जो कि उपर्युक्त काव्य-प्रमेदों में अपेक्षाकृत कम मिलती है ।

किन्तु जिन अन्योक्तियों का प्रतिपादन संग्रह एवं स्वतन्त्र अन्योक्ति शतकों में हुआ है, उनका प्रामाणिक वृत्त प्रस्तुत करना तो अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनमें संकलित समस्त अन्योक्तियाँ सारूप्यनिबन्धना रूप हैं, अतः गौण रूप से नहीं प्रत्युत मुख्य रूप से 'अन्योक्ति' कही जाने योग्य हैं । संग्रहों तथा शतकों में, जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, मुक्तक अन्यापदेशों का संकलन किया गया है-- एक में अन्तरचित मुक्तकों का दूसरे में स्वरचित मुक्तकों का । यह तथ्य भी अवधेय है कि स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों में केवल शतक ही नहीं है, वरन् पंचक, षटक, सप्तक, अष्टक, दशक पंचाशत्, द्वासप्तति सप्तशती तथा सहस्रक के भी प्रमाण सूची ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं । सौ से अधिक तथा एक हजार से कम अन्योक्तियों का संकलन जिन ग्रन्थों में किया गया है, उनके नाम भी तदनुकूल ही रखे गये हैं । ऐसे ग्रन्थों के प्रसंग में प्रायः अन्योक्ति अथवा अन्यापदेश शब्द के

१- द्रष्टव्य -- डा० वी० राघवन् द्वारा सम्पादित न्यू कैटालाग्स कैटालागरम् पृ० १७६

साथ -- श्लोकाः, परिच्छेदाः, माला, मुक्तावली, मुक्तालता, मालिका, संग्रह, रत्न करण्डिका, रत्नाकर, रत्नावली स्तवक अथवा सुभाषित पदों को जोड़ दिया गया है। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें अन्योक्ति या अन्यापदेशशतक न कहकर एक स्वतन्त्र पंजा दी गयी है उदाहरणार्थ -- रुद्र कविकृत भावविलाप, जगन्नाथकृत भामिनीविलास, लक्ष्मी नृसिंहकृत ऋषि कौमुदी, चन्द्रबूढकृत अन्योक्ति कण्ठाभरण, तथा एक अज्ञात कर्ता की कृतिकविकर्णभूषण। यथात्रंग, इन ग्रन्थों का परिष्करण, विस्तारपूर्वक किया जायेगा।

संग्रह तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की एक विशेषता यह भी है कि उनमें स्वरूपता प्राप्त होती है। यद्यपि नवीन कवियों द्वारा अथवा संग्रहकारों ने उत्तरोत्तर नवीन विषयों से सम्बद्ध अन्यापदेशों को लिखा एवं संकलित किया है, किन्तु इतना होने पर भी, उनके ग्रन्थों में पूर्ववर्तियों के अनुकरण का भाव स्पष्टतः दीख पड़ता है। संग्रहकारों ने प्राचीन कवियों के अतिरिक्त अपने युग के भी प्रणेताओं को स्थान दिया है किन्तु रचना विषयक सन्देहों का निर्णय वे नहीं कर सके हैं। इसी कारण, एक ही अन्योक्ति विभिन्न संग्रहों में विभिन्न कवियों के नाम मढ़ दी गयी है। स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों में भी प्रायः स्काध श्लोक, जो निश्चय ही पूर्व प्रणेताओं के हैं, थोड़े परिवर्तन के साथ आत्मसात् कर लिये गये हैं। इन सामान्य तथ्यों का निर्देश करने के पश्चात् अब अन्योक्ति के त्रिवर्गीय साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परिचय में क्रम यद्यपि, संग्रह ग्रन्थ, स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा काव्य ग्रन्थ का है किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थों का व्याख्यान अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण होने के कारण अन्त में रखा गया है।

क- संग्रहग्रन्थों में प्राप्त अन्योक्ति वाङ्मय

संग्रह ग्रन्थों के विषय में पहले यह बताया जा चुका है कि इस कोटि का प्राचीनतम ग्रन्थ 'कविवचनसमुच्चय' है। उन्नीसवीं शती में, अंग्रेज़ मनीषियों ने जब

१- ब्रिटिश म्यूजियम के सूचीपत्र में, इसी को 'अन्योक्ति उल्लास' भी कहा गया है। इसी प्रकार बदयार तथा मैसूर के सूचीपत्रों में जगन्नाथकृत अन्योक्ति ग्रन्थ का नाम अन्यापदेश शतक दिया गया है।

भारतीय वाङ्मय का मूल्य समझना, तब एक बार जिन संस्कृत ग्रन्थों के अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ किया गया। देश के मुख्य-मुख्य विद्याकेन्द्रों में, इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए शोध संस्थानों की स्थापना की गयी। बंगाल तथा बम्बई की 'एशियाटिक सोसाइटी' तथा मण्डारकर इन्स्टीच्यूट पूना आदि संस्थायें इसी प्रकार की हैं। बड़ौदा, मैसूर, त्रावनकोर दरभंगा, जयपुर, बीकानेर, काशी, उड़ीसा तथा बंगाल के स्वतन्त्र नरेशों ने भी इस कार्य में अमूल्य सहयोग दिया। इन नरेशों के विद्वान् राजपण्डितों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा प्रकाशन अधिकारियों ने विद्वत्पूर्ण प्राक्कथनों सहित सैकड़ों महत्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया। निर्णयसागर, वैकटेश्वर, चौखम्बा आदि मुद्रणालयों ने तथा सरस्वती महल (तंजोर) अनन्त-शयन (त्रिवेन्द्रम्) प्राच्यपाण्डुलिपि पुस्तकालय (मद्रास) केन्द्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय (बड़ौदा) सरस्वती मवन (काशी) तथा अन्यान्य नगरों एवं प्रान्तों में विद्यमान विशाल पुस्तकालयों ने अथक प्रयास के पश्चात् एक बार पुनः संस्कृत भाषा को स्थायित्व दिया।

महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री ने सन् १८६५ से १९०० के बीच, सर्वप्रथम एक संग्रहग्रन्थ प्राप्त किया। इस ग्रन्थ की रिपोर्ट 'एशियाटिक सोसायटी बंगाल', के तत्सुवावधान में, सन् १९०१ ई० में 'रिपोर्ट आन दि सर्व फार संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स' शीर्षक निबन्ध के रूप में कलकत्ता में प्रस्तुत की गई। इसी ग्रन्थ को उक्त शोध संस्थान की ओर से एफ० डबल्यु० टामस ने सन् १९१२ में 'बिब्लियोथिका इण्डिका' (नवीन ग्रन्थमाला, सं० १३०६) में मय प्राक्कथन के प्रकाशित किया। किन्तु यह ग्रन्थ खण्डित, शीर्षक एवं प्रणता के उल्लेख से हीन था। इस ग्रन्थ का प्रथम पद्य इस प्रकार है --

नाना कवीन्द्रवचनानि मनोहराणि संख्यावतां परमकण्ठविभूषणानि ।

आकम्पकानि शिरसश्च महाकवीनां तेषां समुच्चयमनर्घमहं विधास्ये ॥'

अतः ग्रन्थ के अन्वेषक श्री हरप्रसाद जी ने बहुत सोच-विचार कर इस पद्य के प्रथम एवं चतुर्थ पाद में प्राप्त सामिप्राय संज्ञाओं के आधार पर इसका नामकरण 'कवीन्द्रवचन समुच्चय' किया। ग्रन्थ का प्रकाशन भी इसी नाम से हुआ।

यह अपूर्ण संग्रहग्रन्थ कई वर्गों में विभक्त है, जिन्हें 'ब्रज्या' कहा गया है, प्राप्त ब्रज्याओं की संख्या उन्नीस है, जिनमें से प्रथम 'सुगतब्रज्या' तथा अन्तिम 'अस्तीब्रज्या' है। इन उन्नीस ब्रज्याओं में कुल ४२५ पद्यों का संकलन किया गया है। सम्पादक श्री टामस महोदय ने ब्रज्या को 'वर्ग' का पर्याय स्वीकार किया है। जैन कवि श्री जयवल्लभकृत 'ब्रज्यावली' तथा सप्तशतक (हालकृत गाथा सप्तशती का संस्करण) में भी

भारतीय वाङ्मय का मूल्य समझा, तब एक बार समस्त संस्कृत ग्रन्थों के अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ किया गया । देश के मुख्य-मुख्य विद्याकेन्द्रों में, इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए शोध संस्थानों की स्थापना की गयी । बंगाल तथा बम्बई की 'एशियाटिक सोसाइटी' तथा मण्डारकर इन्स्टीच्यूट पूना आदि संस्थायें इस प्रकार की हैं । बड़ौदा, मैसूर, त्रावनकोर दरभंगा, जयपुर, बीकानेर, काशी, उड़ीसा तथा बंगाल के स्वतन्त्र नरेशों ने भी इस कार्य में अमृतपूर्व सहयोग दिया । इन नरेशों के विद्वान् राजपण्डितों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा प्रकाशन अधिकारियों ने विद्वत्तापूर्ण प्राक्कथनों सहित पैकड़ों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया । निर्णयसागर, वैकटेश्वर, चौखम्बा आदि मुद्रणालयों ने तथा सरस्वती महल (तंजोर) अनन्त-शयन (त्रिवेन्द्रम्) प्राच्यपाण्डुलिपि पुस्तकालय (मद्रास) केन्द्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय (बड़ौदा) सरस्वती मवन (काशी) तथा अन्यान्य नगरों एवं प्रान्तों में विद्यमान विशाल पुस्तकालयों ने अथक प्रयास के पश्चात् एक बार पुनः संस्कृत भाषा को स्थायित्व दिया ।

महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री ने सन् १८६५ से १९०० के बीच, सर्वप्रथम एक संग्रहग्रन्थ प्राप्त किया । इस ग्रन्थ की रिपोर्ट 'एशियाटिक सोसायटी बंगाल', के तत्त्वावधान में, सन् १९०१ ई० में 'रिपोर्ट आन दि सर्व फार संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स' शीर्षक निबन्ध के रूप में कलकत्ता में प्रस्तुत की गई । इसी ग्रन्थ को उक्त शोध संस्थान की ओर से एफ० डबल्यु० टामस ने सन् १९१२ में 'बिब्लियोथिका इण्डिका' (नवीन ग्रन्थमाला, सं० १३०६) में मय प्राक्कथन के प्रकाशित किया । किन्तु यह ग्रन्थ खण्डित, शीर्षक एवं प्रणता के उल्लेख से हीन था । इस ग्रन्थ का प्रथम पद्य इस प्रकार है --

नाना कवीन्द्रवचनानि मनोहराणि संख्यावतां परमकण्ठविभूषणानि ।

आकम्पकानि शिरसश्च महाकवीनां तेषां समुच्चयमनर्घमहं विधास्ये ॥'

अतः ग्रन्थ के अन्वेषक श्री हरप्रसाद जी ने बहुत सोच-विचार कर इस पद्य के प्रथम एवं चतुर्थ पाद में प्राप्त सामिप्राय संकेतों के आधार पर इसका नामकरण 'कवीन्द्रवचन समुच्चय' किया । ग्रन्थ का प्रकाशन भी इसी नाम से हुआ ।

यह अपूर्ण संग्रहग्रन्थ कई वर्गों में विभक्त है, जिन्हें 'व्रज्या' कहा गया है, प्राप्त व्रज्याओं की संख्या उन्नीस है, जिनमें से प्रथम 'सुगतव्रज्या' तथा अन्तिम 'अस्तीव्रज्या' है । इन उन्नीस व्रज्याओं में कुल ४२५ पद्यों का संकलन किया गया है । सम्पादक श्री टामस महोदय ने व्रज्या को वर्ग का पर्याय स्वीकार किया है । जैन कवि श्री जयवल्लभकृत 'बज्जालमठ' तथा साधारणदेव कृत सप्तशतक (हालकृत गाथा सप्तशती का संस्करण) में भी

यही विभाजन प्राप्त होता है । प्रथम दो ब्रज्याओं के, सुगत एवं अवलोकितेश्वर से सम्बद्ध होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कृति पर बौद्ध प्रभाव पड़ा है और सम्भवतः इसका प्रणेता भी बौद्ध ही था । किन्तु श्री टामस ने इसे 'अत्युक्तिपूर्ण' (*Superficial*) कथन माना है, क्योंकि इन दोनों ब्रज्याओं के बाद बौद्ध कवियों की रचनायें ग्रन्थ में बहुत कम हैं । अधिकांश कवि ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी हैं । इस ग्रन्थ के विषय में अधोनिर्दिष्ट तथ्य महत्त्वपूर्ण हैं --

१- खण्डित होने के कारण, इस ग्रन्थ में 'अन्यापदेश ब्रज्या' नहीं प्राप्त होती । ग्रन्थ के प्रारम्भ में भी षडुक्तिकर्णामृत की भांति, ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त होती कि जिससे समस्त ग्रन्थ का प्रतिपाद-विस्तार जाना जा सके । फिर भी इस ग्रन्थ में 'अन्यापदेश' निबन्ध की पूर्ण सम्भावना है, क्योंकि अनुशालन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'अन्यापदेश', प्रायः सभी संग्रह ग्रन्थों के प्रमुख अंग रहे हैं ।

२- ग्रन्थ के अन्वेषक श्री शास्त्री जी ने पाण्डुलिपि को ग्यारहवीं शती का तथा सम्पादक श्री टामस ने, किसी भी रूप में इसे सन् १२०० ई० के पूर्व स्वीकार किया है । श्री टामस की स्पष्ट धारणा है कि इस ग्रन्थ का कोई भी कवि या लेखक १००० ई० के बाद का नहीं है । इसी प्रकार 'एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के सूचीपत्र में ग्रन्थ का समय तेरहवीं शती (नेवारी) स्वीकार किया गया है ।

सन् १९४६ ई० की समाप्ति में बम्बई विश्वविद्यालय के विद्वानों को कुछ संस्कृत पाण्डुलिपियां मिलीं जिनका अन्वेषण महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में सन् १९३४ ई० में तथा उनकी फोटोग्राफी सन् १९३७ ई० में की थी । प्रो० वी० वी० गोखले ने, उनमें भीमार्जुन सोम कृत एक संग्रह ग्रन्थ भी देखा जिसका नाम 'सुभाषित रत्न कोष' था । किन्तु लेखक श्री सोम का नाम ग्रन्थ में और कहीं भी नहीं था । सबसे रोचक तथा महत्त्वपूर्ण बात तो यह थी कि इस ग्रन्थ का प्रथम पद्य भी वही था, जो कि 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' का । श्री राहुल द्वारा फोटोग्राफ की गई पाण्डुलिपियों की सूची JBORS से यह भी पता लगा कि इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति नेपाल नरेश के राजगुरु पं० हेमराज के व्यक्तिगत संग्रह में है ।

इसी बीच ल्हासा में गए इण्डियन मिशन के आफिसर श्री वी० वी० गोखले ने अठारह महीनों के धीरे प्रयत्न के फलस्वरूप इस ग्रन्थ की एक मठस्थित (*Manuscript*)

प्रति प्राप्त की । सन् १९४६ ई० में ही भण्डारकर प्राच्य शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री पी०के० गोडे ने काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास से , नेपाल राजगुरु की प्राप्ति के विषय में पूछा, जिससे यह पता चला कि सुभाषित रत्नकोष के प्रणेता भीमार्जुन सोम नहीं, प्रत्युत श्री विद्याकर पण्डित हैं । अन्त में बम्बई के ही विद्वान् श्री टी०डी० कौशाम्बी जी की प्रार्थना पर, पं० नेहरू ने इस ग्रन्थ की प्राप्ति के लिए राजगुरु पं० हेमराज को लिखा, जिसके फलस्वरूप सन् १९५२ में प्रस्तुत संग्रहग्रन्थ को मूल एवं शुद्ध प्रति इन विद्वानों को प्राप्त हुई । श्री गोखले एवं कौशाम्बी जी ने इसी ग्रन्थ को संशोधित करके एक विस्तृत प्राक्कथन के साथ सन् १९५७ ई० में हार्वर्ड प्राच्य ग्रन्थमाला, संख्या ४२ के रूप में, प्रकाशित किया , इस प्रकाशन में सम्पादकों ने जिन ग्रन्थों का उपयोग किया, उनका विवरण इस प्रकार है :-

- १- 'सुभाषित रत्नकोष' की त्रिविध मठ में प्राप्त प्रति, जो कि ताड़पत्रों पर लिखी गई थी ।
- २- इसी ग्रन्थ की आधुनिक कागज पर लिखी गई प्रति, जो कि नेपाल नरेश के राजगुरु से प्राप्त हुई थी ।
- ३- एफ० डबल्यु० टामस द्वारा प्रकाशित तथा गलत शीर्षक (कवीन्द्रवचनसमुच्चय) वाली इसी ग्रन्थ की एक खण्डित लिपि तथा --
- ४- श्रीधरदास प्रणीत संग्रहग्रन्थ सद्भक्तिकर्णामृत और नन्दन कवि द्वारा प्रणीत एक अन्य संग्रह ग्रन्थ प्रसन्न साहित्य रत्नाकर । इन दोनों ग्रन्थों में से, पहला तो प्रकाशित है किन्तु दूसरा अप्रकाशित ।

'सुभाषित रत्नकोष' के प्राप्त होते ही 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' की सतानिरस्त हो गई , क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि कवीन्द्रवचनसमुच्चय, सुभाषित रत्नकोष की ही एक खण्डित प्रति थी । अतः उस प्रति की काल्पनिकसंज्ञा, उसकी बौद्धप्रभावयुक्तता, रचनाकाल सम्बन्धी धारणाएँ, सब की सब अपार्थक्य सिद्ध हो गई । वस्तुतः ग्रन्थ का नाम सुभाषित रत्नकोष है, जो कि विद्याकर पण्डित द्वारा लगभग ११०० ई० के बीच, संग्रहीत किया गया । विद्याकर पण्डित, सम्भवतः पूर्वी बंगाल के मालदा जिले में स्थित, प्राचीन जगदल विहार के स्नातक विद्वान् थे । इस संग्रहग्रन्थ के अतिरिक्त, विद्याकर की किसी भी अन्य कृति का पता नहीं चलता । प्रस्तुत संग्रह के तीनपद्य (प्रथम, १७३८ वां तथा १७३९वां) संस्कार के ही हैं ।

सम्पादकों ने विद्याकर का समय अथवा रूप के मन् १०५५ से १२०५ ई० के बीच स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें भोज तथा घोयीक के पद्य प्राप्त होते हैं। भोज, धारा नगरी में स्थित, परमारवंशीय नरेश थे जिनका समय मन् १००५ से १०५४ ई० तक माना जाता है। इसी प्रकार 'पवनद्वत' के प्रणेता घोयी अथवा घोयीक, बंगाल के सेनवंशीय राजा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे, जो मन् ११७८ से १२०५ ई० तक शासन करते हैं। संस्कृत साहित्य का दूसरा प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थ श्रीधरदास द्वारा लिखा गया, जिसके पिता वटुदान इन्हीं राजा लक्ष्मणसेन के 'महानामन्तबुडामणि' थे। वस्तुतः लक्ष्मणसेन के दरबार में अनेक महाकवि रहते थे जिनमें प्रमुख विद्वान् उमापतिधर, जयदेवधरण, गोवर्धनाचार्य तथा घोयी आदि थे। शरण स्वं उमापति धर के विषय में तो निश्चित नहीं कि उन्होंने किस ग्रन्थ को रचना की किन्तु अन्तिम तीन कवियों की कर्तृता के विषय में कोई सन्देह नहीं क्योंकि उनके प्रख्यात काव्य 'गीत गोविन्द', आर्यासप्तशती तथा पवनद्वत आज भी प्राप्त हैं। सम्पादकों ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि उमापतिधर न केवल लक्ष्मणसेन के ही, प्रत्युत उनके पिता स्वं पितामह के भी राजकवि थे। यद्यपि इस उद्भावना का कोई आधार प्रस्तावना में नहीं व्यक्त किया गया है, किन्तु यदि हम लक्ष्मणसेन के समय में उमापतिधर को अत्यन्त वृद्ध स्वीकार कर लें तो सम्पादकों की उपर्युक्त धारणा सत्य हो सकती है। यदि ऐसी ही स्थिति, घोयीक के भी विषय में मान ली जाय तो उनका अम्युदयकाल लक्ष्मणसेन से पच्चीस वर्ष पूर्व अर्थात् मन् ११५० ई० के आस पास स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार घोयीक को उद्धृत करने वाले विद्याकर पण्डित भी, लक्ष्मणसेन के राज्यारोहण काल (मन् ११७८ ई०) के परवर्ती नहीं, वरन् पूर्ववर्ती ही सिद्ध होते हैं।

वस्तुतः सम्पादक ने घोयीक प्रणीत इस पद्य (६२३ संख्या के बाद) के कर्तृत्व को ही सन्दिग्ध स्वीकार किया है, क्योंकि यह पद्य केवल काठमाण्डू प्रति में ही प्राप्त होता है, अन्य प्रतियों में नहीं। दूसरी बात यह कि सद्भक्ति कर्णामृत में श्रीधरदास ने इसी पद्य को (सद्भक्ति १।८४।५) योगेश्वरकृत स्वीकार किया है। चूंकि, श्रीधरदास निश्चितरूप से लक्ष्मणसेन के ही युग के हैं तथा घोयी के विषय में उनकी जानकारी, अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक मानने योग्य है, अतः श्रीधरदास द्वारा इस पद्य को घोयीकृत न मानना, यह सिद्ध कर देता है कि वास्तव में घोयी इस पद्य के प्रणेता नहीं थे। श्रीधरदास ने स्वयं भी

घोषी के अनेक सुमाषितों को उद्धृत किया है, ऐसी दशा में यदि उक्त पद्य उन्हीं द्वारा प्रणीत होता तो, यदुक्तिकर्णामृत कार, अवश्य उसका स्पष्ट उल्लेख करते । इस प्रकार घोषी प्रणीत पद्य के प्रामाणिक न सिद्ध होने के कारण विद्याकर का समय सन् ११५० ई० से भी पूर्व होना सम्भव है, जैसा कि सुमाषित रत्नकोष का निर्माण-काल सन् ११०० के आस-पास किया गया है । यद्यपि इन घोषी सम्भावनाओं में कोई विशेष लाभ नहीं तथापि निश्चित प्रमाणों के अभाव में उनका गौरव भी कम नहीं है ।

निष्कर्ष यह है कि विद्याकर पण्डित ने लगभग ११०० ई० में इस संग्रहग्रन्थ का, सर्व प्रथम संकलन किया । बुद्धाचर्यगुप्त तथा भीमार्जुन सोम ने जो कि जगदल विहार में विद्याकर के सहयोगी आचार्य थे, लगभग ११३० ई० में इस ग्रन्थ का पुनर्संस्कार किया । इसी कारण, ग्रन्थ के अन्त में पण्डित श्री भीमार्जुन सोम का उल्लेख प्राप्त होता है । जगदल विहार विक्रमशिक्षा एवं उद्वण्डपुरी (? ओदन्तपुरी) की ही मांति पालवंशीय नरेशों द्वारा स्थापित एवं संरक्षित था । प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के साक्ष्यानुसार इस विश्ववंशीय विश्वविद्यालय में राजकीय उपाधि 'पण्डित' रूप में दी जाती थी । जगदल विहार का अन्तिम संरक्षक नरेश रामपाल था (सन् ११३० से ७५ तक) जिसकी राजधानी वारेन्द्री में थी । वारेन्द्री बंगाल के राजशाही, बोगरा, मालदा तथा दीनाजपुर जिलों के कुछ भागों में बसी थी । वस्तुतः रामपाल की राजधानी 'रामावती' गंगा एवं करतोया के संगम पर थी, जिसे 'आहने ककबरी' में लखनौती के समीप स्थित 'सरकारजन्मताबाद' गांव के अनुरूप सिद्ध किया गया है । इन्हीं पाल-नरेशों के संरक्षण में रहकर सम्भवतः विद्याकर ने इस संग्रहग्रन्थ को तैयार किया । तारानाथ के अनुसार, पश्चिमी बौद्ध विहारों पर मुस्लिम आक्रमण होने पर पण्डित शाक्य श्री तथा उनके शिष्य विभूतिचन्द्र, सर्वप्रथम जगदल की ओर और बाद में तिब्बत की ओर भाग य आए । इस पलायन में जाने कितनी ग्रन्थप्रतियां भी भारत से, तिब्बतीयमठों में जा गयीं । संभवतः सुमाषित रत्नकोष के तिब्बत एवं नेपाल में पाये जाने का भी यही रहस्य है । रामपाल के पुत्र राज्यपाल ने मूलप्रति के तिब्बत चले जाने पर पुनः इस ग्रन्थ को अपूर्णरूप में संग्रहीत

१- जगदलविहार तथा पालवंश से इसका सम्बन्ध सविस्तर द्रष्टव्य--सुमाषित रत्नकोष की प्रस्तावना ।

२- श्री बुद्धनाथ सरकार द्वारा 'आहने ककबरी' का अनुवाद, भाग २ ,, ,, ।

कराया ।

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि सुभाषितरत्नकोष ही संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम मौलिक संग्रहग्रन्थ है न कि उसको संपिद्ध प्रति कवीन्द्रवचनमुक्वय । मोज प्रमृति विद्वानों के उद्धृत पद्यों से श्री टामस की यह धारणा भी नष्ट हो जाती है कि इसके रमी लेखक ई० १००० से प्राचीन है । वस्तुतः सुभाषितरत्नकोष, पाल नरेशों के ही शासनकाल में लिखा गया किन्तु स्पष्टतः यह नहीं कहा जा सकता कि कि पालनरेश के समय में ? यदि सुभाषितरत्नकोष का लेखन वास्तव में ११०० ई० है तो इसका अर्थ हुआ कि वह रामपाल के पूर्ववर्ती नरेशों (विग्रहपाल तृतीय महीपाल तथा शूरपाल) के युग में लिखा गया । श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत भी सम्भवतः भारत में विद्यमान , इस ग्रन्थ की प्रति के ही अनुकरण पर बाद में निर्मित किया गया ।

‘सुभाषितरत्नकोष’ में कुल ५० ब्रज्याएं हैं । प्रत्येक ब्रज्या, विविध छन्दों वाले कुछ श्लोकों में विभक्त है । समस्त ग्रन्थ में इन श्लोकों की पूर्णसंख्या १७३६ है । ग्रन्थ की प्रथम ब्रज्या ‘सुगत’ से तथा अन्तिम ‘कविस्तुति’ से सम्बद्ध है । इन पचास ब्रज्याओं में से तैतीसवीं ब्रज्या का नाम ‘अन्यापदेश ब्रज्या’ है जिसमें कुल एक सौ छः अन्योक्तियों का संकलन किया गया है (पद्य संख्या १०१६ से ११२३ तक) इन अन्योक्तियों के विषय तथा प्रणता दोनों ही बहुसंख्यक हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है --

१- अन्यापदेशों के विषय -- मुक्तारत्न, अम्भोनिधि, पद्माकर, कौतुकी व्यक्ति, मरकत मणि, वृद्धसामान्य, मृग, सिंह, शौणनद, मेघ, सुवर्णकार, चन्दन, कोकिल, अशोक, अंगारकार, मृग, शरम, सूर्य, अगस्त्य, पिप्पल, न्यग्रोध, शात्मलि, जल, दिवस, नियति, पान्थ, चातक, गज, व्योम, रोधःशाखी, वानर, शाखोटक, सुरासुर, कदम्ब, सेहपात्र, अमाग्यशील, सहकार, नौका, यामिनी, तटिनी, दावानल, चन्द्रकान्त, कांचन, शंख, कीर, किम्पाक तथा बिन्ध्याचल ।

२- अन्यापदेशों के कर्ता-- सुरारि, दामोदर, बल्लण, कविन्द, मैत्रीश्री, लक्ष्मीधर, अभिमन्द, द्वन्द्वक, मद्यकूट, कुशलाथ, यम्प्याक, अमरसिंह, श्रीधर्माकर, अचल, हरणि-नन्दिन्, मट्टगणपति, वीर, अचल सिंह, वित्तोक, लडहचन्द्र, हनुमान, कणिकाकार, वनारोह, शब्दाणेव, सविर, सुरमि, सुवरित, बुद्धाकर गुप्त तथा बिहूक ।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार ‘सुभाषितरत्नकोष’ में तीस कवियों द्वारा विषयों पर कुल १०६ अन्योक्तियां, विधाकर पण्डित द्वारा संकलित की गयी है ।

उपर्युक्त कवियों में सुरारि, अमिनन्द, अमरविह तथा बुद्धाकरगुप्त के ही विषय में कुछ कहा जा सकता है, किन्तु शेष कवियों के इतिवृत्त विषयक निश्चित प्रमाणों के अभाव में कुछ भी कहना सम्भव नहीं। यही दशा, आगे वर्णित किये जाने वाले संग्रहों के विषय में भी सत्य है। वस्तुतः जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अन्यापदेशों के प्रणेता कवि गण, अधिकांशतः वे ही हैं जो प्रायः महाकाव्यों के लेखक नहीं हैं। वे स्वान्तःसुखाय अथवा काव्यगोष्ठियों में सहृदयमनोविनोदनार्थ ही अन्यापदेशों की उटकर रचना किया करते थे। कभी-कभी किसी उपकारी या अपकारी व्यक्ति की प्रशंसा या निन्दा को हा जताने के ध्येय से और कभी-कभी लोक व्यवहार में निम्न होकर निःस्वार्थभाव से ही आशु कवि लोग इन मुक्तक अन्यापदेशों की रचना कर देते थे। ये अन्यापदेश कहीं लिखे नहीं गये वरन् गोष्ठियों में कण्ठस्थ कर लिये जाने के कारण कर्ण परम्परया, काव्यरसिकों के बीच पल्लवित होते रहे। संग्रहकारों ने ऐसे ही अप्रसिद्ध किन्तु बहुमूल्य, कवियों की रचनाओं को यथाशक्ति प्राप्त करके संग्रहित किया।

ऐसी दशा में संग्रहग्रन्थों में उद्धृत कवियों का जीवनपरिचय देना, उर्वथा असम्भव ही है। इसी प्रकार काव्यमेदों में निबद्ध अन्योक्तियों के कर्ताओं का भी परिचय उनकी अनन्तता के कारण असम्भव है। केवल स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों के लिखने वाले कवियों का परिचय दिया जायेगा क्योंकि वे एक-दो नहीं प्रत्युत सैकड़ों मौलिक अन्योक्तियों के प्रणेता हैं। साथ ही साथ सारूप्य निबन्धना अर्थात् शुद्ध अन्योक्ति के लेखक हैं। जहां तक अन्योक्ति के विषयों के आकलन का प्रश्न है, वह अगले अध्याय (काव्यात्म विवेचन) में किया जायगा।

सुभाषितरत्नकोष के पश्चात् दूसरा संग्रहग्रन्थ 'सदुक्तिकर्णामृत' तेरहवीं शती के पूर्वार्द्ध में, श्रीधरदास द्वारा प्रणीत किया गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संग्रहकार के ही कथनानुसार, उसके पिता वट्टदास, सेनवंशीय शासक लक्ष्मणसेन (सन् ११७८ से १२०५ तक) के 'महासामन्त ब्रह्ममणि' थे। अतः श्रीधरदास का साहित्यिक जीवन बारहवीं शती के अन्तिम पचीस वर्ष तथा तेरहवीं शती के पूर्वार्द्ध में माना जा सकता है। ग्रन्थ के प्रथम पांच पद्यों में कवि ने क्रमशः मंगलाचरण, आत्मपरिचय (श्लो० २, ३) तथा प्रतिपाद्य परिचय (श्लो० ४, ५) प्रस्तुत किया है। ग्रन्थ के अन्य किसी भी भाग में कवि परिचयात्मक कोई पद्य नहीं प्राप्त होता है।

प्रस्तावना के पांचवें पद्य के अनुसार, ग्रन्थ पांच भागों में विभक्त है, जिन्हें कवि ने 'प्रवाह' की संज्ञा दी है। प्रत्येक प्रवाह, वीचियों में तथा प्रत्येक वीचा पांच श्लोकों में विभक्त है। संग्रहकार ने प्रस्तुत विभाजन अत्यन्त वैज्ञानिक स्तर पर किया है। इस प्रकार क्रमशः अमरप्रवाह (देवप्रवाह) में पंचानबे वीची तथा चारसौ बहत्तर श्लोक, शृंगारप्रवाह में एक सौ उन्यासी वीची तथा आठ सौ पंचानबे श्लोक, चाटुप्रवाह में चौवन वीची तथा दो सौ सत्तर श्लोक, अन्यापदेश प्रवाह में बहत्तर वीची तथा तीन सौ साठ श्लोक और अन्तिम उच्चावचप्रवाह में छिहत्तर वीची तथा तीन सौ अस्सी श्लोक हैं। समस्त ग्रन्थ में पांच प्रवाह, चार सौ छिहत्तर वीचियां तथा दो हजार तीन सौ अस्सी श्लोक हैं। यद्यपि सद्भक्तिकर्णामृत के रूपे हुए संस्करण एशियाटिक सोसायटी आफ् बंगाल (बिब्लियो-थिका इण्डिका, सं० १३४३) तथा पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः सन् १९१२-१३ तथा सन् १९३३ में प्रकाशित किये गये। इसी प्रकार शान्तिपुर एवं सैरामपुर के संस्कृत विद्यालयों में इसकी छपी प्रतियों का तथा संस्कृत कालेज कल्कत्ता में इसकी हस्तलिखित प्रति का भी पता लगता है किन्तु ये सब के सब संस्करण या तो अपूर्ण हैं अथवा सद्बोध एवं अप्राप्य। सौभाग्य से, इसका नवीन संस्करण डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी द्वारा सम्पादित कल्कत्ता से पिछले वर्ष (जनवरी १९६५ ई०) प्रकाशित किया गया। जो कि प्रायः निरवध पाठावली अपनाने के कारण सम्पूर्ण एवं निर्दोष है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सद्भक्तिकर्णामृत में अन्यापदेश प्रवाह की ७२ वीचियां हैं। प्रत्येक वीची भी संग्रहकार की प्रतिज्ञा के अनुसार पांच श्लोकों से युक्त है। वस्तुतः ये बहत्तर वीचियां बहत्तर अन्यापदेश विषयों का ही संकेत करती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि कवि ने प्रत्येक विषय पर पांच अन्योक्तियों का संकलन किया है। संग्रहकार ने अन्यापदेश संकलन से के पूर्व ही आठ आर्यावों में इन बहत्तर विषयों की गणना कर दी है। विषयों तथा उनके प्रणेता कवियों का विवरण इस प्रकार है -- १- विषय-विष्णु, महेश (महेश के) गण, रवि, शशि, शशिमास्कर, सरिन्नाथ, समुद्रोत्कर्ष, अगस्त्यपीत समुद्र, समुद्रनिन्दा, सवाडवसमुद्र, अगस्त्य, जल शंख, मणि, मरुत्तमणि, नानारत्न, स्वर्ण, नद एवं नदी, बावली, शुष्कसर, पूर्णसर, मीन, सर्प, मण्डूक, पद्म, मधुप, स्वर्गप्रमर, सरसीरुहप्रमर, व्रतप्रमर, केतकी प्रमर, पद्म, मलय, शरम, सिंह, सिंह शिशु, जरात्सिंह, हस्ती, बन्धहस्ती, मत्तगज, पंकपतितगज ; बद्धगज, हरिण, व्याघ्रपीत हरिण, दावभीतहरिण,

मृगी, विविध पशु, तरु, कल्पतरु, चन्दन, पिप्पल, सहकार ककैलि, शात्मलि, अध्वतरु, मरु वृक्ष, नानावृक्ष मरु, मेघ, मेघशलाघा, मेघनिन्दा, सारंग (चातक) देवोपहत चातक, अनन्यगतिक चातक, मानो चातक हंस, राजहंस, पिक, कीर, विविधविहग तथा उच्चावच ।


२- अन्यापदेशों के कर्ता -- क्षियाक, चिरन्तनशरण, शतानन्द, अभिनन्द, वराह, वासुदेव सेन, उमापतिधर, शैलसर्वज्ञ, धर्मयोगेश्वर, वाक्पति, अमोघ, आनन्दवर्धन, जलचन्द्र, वासुदेव, रविगुप्त, दंक वैद्य गदाधर, रामदास, योगेश्वर, दल्लालसेन, मधुकूट, दशरथ, माष्यकार, लक्ष्मीधर, विभोक, शृंगोक, धीतोक, शब्दार्णव, हरि, सुवर्णरेख, विद्यापति विश्वेश्वर, लोपामुद्रा, इन्द्रदेव, सरोरुह, कमलगुप्त, पापाक शुभांक, कपालेश्वर, वाणी कुटिल लक्ष्मीधर, केशट, धर्मपाल, शब्दार्णववाचस्पति, शालुक, तैलपाटीय गांगोक, नोल, कविरत्न, गोसोक, अनुरागदेव, अचल, वाचस्पति, तिलचन्द्र, धर्माधिकरणिक रुद्र, नारायणावधि, बल्लण, मंगल, दूनोक, गोपोक, मुरारि, बाण, बलमद्र, अमरसिंह, मौजदेव, शाकटीयशबर, माधव, मव्य, मधुरशील, विरिचि, क्षितीश, क्षितप, वसन्तदेव, मास्कर देव, कवि चक्रवर्ती, नाचोक नाकोक, जयनन्दिन्, वीर, जह्नु, शाटोक, बल्लभ, वसुकल्प, वनमालिन्, अज्जोक, सरस्वती, नरसिंह, दामोदर, कामदेव, पुण्डरीक, सुद्रांक, सुष्टिक, मट्टवेताल, मकरन्द, मानु, वसुन्धर, वीर्यमित्र, नारायण, आचार्य गोपीक, त्रिपुरारिपाल, संग्रामचन्द्र, गुरु, लंगदत्त, सुरभि, मानोक, शंकरदेव, पाम्पाक, कंकण, मर्तुमेण्ठ, रत्नमालीयपुण्ड्रीक, मट्टशालीय पीताम्बर, कालिदास, वपलदेव, मन्दोक, माधवसेन, साजोक गोविन्द, विद्या, अचल सिंह, राजकुब्जदेव, शरण, गदाधरनाथ, सांफानन्दिन्, मामह, मलयज, ईश्वरमद्र, शालिकनाथ, वैद्यत्रिविक्रम, कविराज श्रीनारायण, पुरुसेन, वित्तोक, सौटगोविन्द, गदाधर धनपाल, वांङ्काक, कविपण्डितश्रीहर्ष, सरसीरुह, मर्तुहरि, लहहचन्द्र, आवन्तिकद्रव्य, डिम्बोक, शंकर, गोपीक, लोलिक, तीरभुक्तीय सर्वेश्वर तथा केशर ।

इस प्रकार सद्भुक्ति कर्णामृत में एक सौ चौवालिस कवियों द्वारा बहतर विषयों पर कुल तीन सौ साठ अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है । एक अवधेय तथ्य यह है कि कवि ने एक ही विषय के विभिन्न रूपों को लेकर, उसकी अनेकरूपता की दृष्टि से जो पृथक् गणना की है, वह सद्भुक्ति पूर्ण नहीं प्रतीत होती । उदाहरणार्थ, वृक्षसामान्य तथा आम, पीपल, बरगद, सेमर सरीसृप वृक्षविशेष से सम्बन्धित अन्योक्तियों का पार्थक्य तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उनमें जाति-व्यक्ति अथवा 'सामान्य विशेष' का सम्बन्ध है किन्तु

हरिण तथा व्याधभीत, दावभीत, हरिण का पार्थक्य ठीक नहीं। क्योंकि, व्याध स्व दावाग्नि के प्रसंग हरिण की ही दशा विशेष के परिचायक हैं। इसी प्रकार मेघ की प्रशंसा तथा निन्दा, मेघरूपी स्क ही विषय से सम्बद्ध है। यदि इस दृष्टि से हम संग्रहकार के विषयों का आकलन करें तो निश्चित ही उनकी संख्या अज्ञेयकृत कम हो जायेगी।

अन्यापदेश लेखकों की संख्या १४४ है। यद्यपि, वल्लण, द्वित्तप, स्वं सांभा-
नन्दिन् के नाम, अन्यस्थलों पर वल्लन, द्वित्तप तथा सांभा की प्राप्त होते हैं। किन्तु इतने भर में ही उनमें द्वैध कल्पना करना असम्भव है। हां, वैद्यगदाधर, गदाधरनाथ तथा गदाधर, अवश्य ही पृथक चिकार्य हैं क्योंकि यदि वे स्क होते तो संग्रहकार उनकी स्क ही संज्ञा का भूरिशः उल्लेख करता, जैसा कि अनेक स्थलों पर उचने किया है। सद्भुक्ति, कर्णामृत के कवि अधिकांशतः नवीन हैं।

तेरहवीं शती के उत्तरार्द्ध में यादववंश कृष्ण (सन् १२४७-६० तक) के 'करिवाहिनीपति' श्रीमदारोहकभगवत् जल्हण ने 'सूक्तिमुक्तावली' नामक संग्रहग्रन्थ की रचना की। सूक्ति मुक्तावली तथा इनके कर्ता, जल्हण के विषय में, प्रभूत सामग्री इस ग्रन्थ की अनुक्रमणिका में ही प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त हेमाद्रि विरचित चतुर्वर्ग-चिन्तामणि (व्रतखण्ड) तथा अमलानन्द विरचित भामती (ब्रह्मसूत्र शांकरभाग्य की टी का) व्याख्या -- 'कल्पतरु' से भी, उनके जीवनवृत्त पर कुछ प्रकाश पड़ता है। संग्रहकार के अपने प्रमाणानुसार मध्ययुग (बारहवीं - तेरहवीं शती) में देवगिरि में यादव वंशीय राजा मैलुगि (मल्लुगि) हुए। मैलुगि, के हस्तिसेनानायक, अत्यन्तपराक्रमी, वत्सवंशीय ब्राह्मण 'दादा' नाम के थे। इन्हीं दादा की पांचवी पीढ़ी में महाकवि जल्हण पैदा हुए, जो कि अपने पूर्ववंशियों की ही मांति मल्लुगि की पांचवी पीढ़ी में महामकवि-जल्हण-पैदा-हुए,--जो-कि-अत्यन्त-उत्पन्न, राजा कृष्ण के हस्तिसेनापति थे। दोनों वंशों का क्रम इस प्रकार है :-



यद्यपि कवि का जन्मस्थान निश्चित नहीं तथापि हेमाद्रि के प्रमाणानुसार इनके पूर्वज देवगिरि के निवासी थे । प्रस्तुत रचना के विषय में सबसे अधिक कौतुक इस तथ्य में है कि यह जल्हण की अपनी कृति नहीं है, वरन् वैद्यमानु नामक विद्वान् ने जल्हण की प्रसन्नता के लिए इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया । ग्रन्थ की अनुक्रमणिका तथा उपसंहार के अन्तिम चार पद्यों में स्तद्धिषयक प्रमाण प्राप्त होते हैं । अनुक्रमणिका में वैद्यमानु द्वारा प्रणीत तथाकथित पद्यों से जल्हण की विद्वत्ता एवं रसिकता स्पष्ट हो जाती है --

साहित्यविद्याहृदयं ज्ञातुमिच्छसि चेत्सुखं तत्पश्य जल्हणकृतां सूक्तिमुक्तावलीमिमाम् ।
नांगुलीयैर्न केयूरैर्न ग्रैवैर्न कंकणैः तथा माति यथा विद्वान्कण्ठसंगतयाऽनया ॥

किन्तु इस प्रशस्ति के बाद जब हम ग्रन्थान्त पद्य पढ़ते हैं तो वैद्यमानु की कर्तृता का हवाला सारहीन-सा प्रतीत होता है । अतः इस विषय में दो ही विकल्प सम्भव हैं --१- या तो सूक्ति मुक्तावली, वास्तव में वैद्यमानु की ही कृति थी और घनादि के लोभवश घावक की भांति उसने भी, इस ग्रन्थ को जल्हण के हाथ बेच दिया । अथवा यह सम्भव है कि २- रचना वास्तव में महाकवि जल्हण की ही है, वैद्यमानु ने यथाकथंचित केवल नाम कमाने के लिए कवि की मृत्यु के बाद, इसे अपनी कृति कह कर लोकप्रचलित किया ।

१-शाकेऽहोष्काद्रीश्वरपरिमिते वत्सरे पिंगलास्थे चैत्रे मासि प्रतिपदि तिथौ वासरे सप्तसप्तैः ।
पुष्पिणीं शासत्यनुत्सहसा यादवे जल्हस्यार्थे व्यरचि मिषजा मानुना सेयमिष्टम् ॥

यद्यपि प्रथम विकल्प को आश्रय देने वाले विद्वान्-गण कम नहीं हैं, तथापि यह विकल्प उचित नहीं प्रतीत होता । जब कोई भी व्यक्ति पराई रचना, धन देकर खरीदता है तो इसके पीछे, स्वमात्र उसकी यशोलिप्सा ही कारणरूप में अवस्थित रहती है । मला वह कब चाहेगा कि मूलकर्ता का नाम भी उस ग्रन्थ में बना रहे ? वह कब चाहेगा कि मूलकर्ता द्वारा क्रेता को ग्रन्थ बेचे जाने की कथा भी, उसमें सविस्तर वर्णित हो । जो विद्वान् हर्ष की कृतियों का कर्तृत्व धावक को देते हैं वे भी सम्भवतः इस रहस्य को स्वीकार करेंगे । यदि, धावक उन कृतियों के वास्तविक कर्ता थे तो भी उन्होंने कहीं भी अपने कर्तृत्व को सूचना नहीं दी । ग्रन्थों की प्ररोचनाओं से स्पष्टतः सिद्ध होता है कि वे महाराज हर्ष की ही कृतियाँ हैं ।

अतएव, महाकवि जल्हण, जिन्हें जय वैद्यमानु ने परमरसिक स्वीकार किया है, तथा जिनकी रचना, वैद्यमानु के ही शब्दों में -- 'कण्ठकदलीभूषण, साहित्यविद्याहृदय तथा सुखमाण्डार स्वरूप' है, मला कब इस प्रकार का कृत्रिम यश चाहते रहे होंगे कि कोई अपनी रचना उनके नाम कर दे, साथ ही साथ यह ढिंढोरा भी पीट दे, जल्हण उसके रचयिता नहीं हैं । और जब जल्हण सूक्तिमुक्तावली के मूलकर्ता नहीं ही थे तब वैद्यमानु के इस कथन का अभिप्राय क्या है -- 'तत्पश्य जल्हणकृतां सूक्तिमुक्तावलीमिमाम्' ।

वास्तुतः रचना, जल्हण की ही प्रतीत होती है, क्योंकि वह संग्रहकार की विद्वत्ता एवं प्रतिभा के अनुकूल ही है । यादवनरेश के दरबार में अनेक आश्रयप्राप्त विद्वान् कवि थे, जिनमें मुख्यतः हेमाद्रि, अमलानन्द, वैद्यमानु तथा जल्हण आदि थे । हेमाद्रि तथा अमलानन्द ने अपने ग्रन्थों में आश्रयदाता, कृष्ण की प्रशस्ति तथा दोनों माइयों के पारस्परिक स्नेह, सौहार्द की प्रशस्ति भी गई है । संग्रहकार जल्हण, भी उसी कोटि के विद्वान रहे । गजसैनापति होने से भी, उनके वाग्दैर्घ्य पर कोई शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राचीन परम्परा के अनुसार राजानक पदवी वाले, जाने कितने कवि तथा लेखक राजकीय पदों पर अधिष्ठित थे । मंसूक के माई लंक तथा विश्वनाथ दोनों ही सान्धिविग्रहिक थे । इसी प्रकार वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के प्रधानात्मात्य थे । इतना ही नहीं वरन् नक्तन्दिब साम्राज्यचिन्ता में तल्लीन रहने वाले नरेश भी सारस्वत वैभव के पुजारी थे, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है ।

अतः जल्हण के कवित्व एवं कर्तृत्व पर भी कोई वैमर्त्य न होना चाहिए । यह, अवश्य सम्भव है कि जल्हण की कृति, उनकी मृत्यु के बाद वैश्वमानु को ही मिली । उन्होंने इस ग्रन्थ को सर्वप्रथम लोक में प्रचलित किया, किन्तु ईष्या अथवा आत्मगौरवप्रत्यापनार्थ ही, उन्होंने इस ग्रन्थ के आद्यन्त भागों में कुछ हेर फेर कर दिया । अन्यथा किसी के निमित्त कोई ग्रन्थ रचना, साथ ही साथ उगी गाँण पुरुष को उस ग्रन्थ का प्रणेता भी स्वीकार करना, ये दोनों ही तथ्य आत्यन्तिक विरोधी, साथ ही साथ उद्भावक को वैधेय सिद्ध करने वाले हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि किर्गी भी प्राचीन आचार्य ने अथवा आधुनिक इतिहासकार ने, वैश्वमानु को सूक्तिमुक्तावली का रचयिता नहीं स्वीकार किया है प्रक्षिप्त पद्यों के कारण भले ही सब को कौतूहल हां जाय ।

सूक्ति मुक्तावली, इम्बर कृष्णभाचार्य द्वारा गायकवाडके प्राच्यग्रन्थमाला के अंगरूप में सन् १९३८ में सर्वप्रथम बड़ौदा से प्रकाशित की गयी । इसके अतिरिक्त अन्य संस्करणों के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं । अनुक्रमणिका के बाम्ठतथा समाप्ति के चार पद्यों को छोड़कर समस्त ग्रन्थ कुल १३३ भागों में विभक्त है, जिन्हें 'पद्धति' की संज्ञा दी गई है । इनमें नमस्कारपद्धति प्रथम, तथा हरस्तुतिपद्धति, अन्तिम है । पद्धतियां विभिन्न कूटों वाले पद्यों में विभक्त हैं, जिनकी संख्या परस्पर भिन्न है । ग्रन्थ का यह विभाजन कवि ने अनुक्रमणिका में स्वयं वर्णित किया है । इन १३३ पद्धतियों में से, संख्या १०(रविपद्धति) से लेकर ३६ तक (संकीर्णवस्त्वन्योक्ति) अर्थात् सत्ताइस पद्धतियों का विषय, अन्यापदेश या अन्योक्ति है, जिसमें कुल ३८४ पद्य संगृहीत किये गये हैं । अपेक्षित विवरण इस प्रकार है :-

१- अन्योक्ति के विषय-- रवि, चन्द्र, वायु, मेघ, कोकिल, हंस, मयूर, काक, बक, प्रमर, खद्योत, चातक, सिंह, गज, करम, घवल, हरिण, समुद्र, रत्न, शंख, नदी, सर, कमल, वृक्षासामान्य (वृक्षाविशेष) दावानल, मरु एवं संकीर्ण । वृक्षाविशेष में कल्पवृक्षा पारिजात, ब्रूत, चन्दन, चम्पक, अशोक, पनस, नारिकेल, कदली, दाहिम, मूर्ज, अगुरु, मालती, केतकी, ताल, अश्वत्थ, न्यग्रोध, मधुक, शाल्मलि, बव्बुल, निम्ब, सदिर, शालि, कापसि, शण, घत्तूर, तृण एवं स्तम्ब ये अट्ठाइस विषय निबद्ध किये गये हैं । इसी प्रकार संकीर्ण शीर्षक में जनविशेष, विष्णु, जम्बुक, सिंह, कोल, पोत्रिणी, जम्मारि, गरुड, शेषराहणात्तल, मेरु, व्योम, पय, दुग्ध, कुण्डल, विष, रसेन्द्र कलघात, तिल, बडिशदण्ड, विशिष्ट, पट्ट, कूप, दीप, शुक, धार्मिक, श्लेष, समणी, मृगपद, दुर्दुर, व्याल, मशक, शश, वामन,

मषक, तथा कलश प्रभृति तन्वीस विषयों का निवन्धन किया गया है । इस प्रकार वृक्ष-विशेष तथा ऋक्षों विषयों को पृथक् गणना करने पर तथा उभयनिष्ठ विषयों को ही एक ही ऋकार करते पर सूक्तिमुक्तावली में प्रतिपादित, इन अन्योक्तियों के विषय संख्या में लगभग नब्बे सिद्ध होते हैं, जो कि स्पष्टतः पूर्वोक्त ग्रन्थों से बहुत अधिक है ।

२- अन्योक्तियों के प्रणेता-- श्रीभोजदेव, राजप्रियानन्दमहादेव, मुंज, मट्टमल्लट, कल्याण, विशेषान, भवभूति, वस्तुनाट, प्रह्लादन, मालतीमाधव (?) मदन, वल्लभमेन, सुरारि वल्लभ, हरिहर, त्रिलोचन, बल्लभदेव, वैद्यमानुपण्डित, अमृतदत्त, चन्द्रकवि, मागवत जयवर्धन, प्रकाशवर्ष, दीपक, अचल, भीमसिंह पण्डित, अन्ध वैद्यनाथ, भेरीभांकार, गोयां दोर्या, कविराज, वसुन्धर, हरिमट्ट, मट्टरुद्रनाथ, मट्टगोविन्दराज, द्विषप, हेविधनेजारे, आनन्दवर्धन, आकाशपालि, अन्धनाथ, भीमपण्डित, रत्नहण, महोपतिमण्डलीक, उमानतिधर, कर्पूर कवि, जितनाग, व्यासमुनि, वसुपाल, धर्मकोर्ति, चन्द्रकवि, चतुर्मुख महादेव, मागवतामृतदत्त, रीसुक, केटश, वररुचि, विमलसरस्वती, जयदेव, सर्ववर्ना, सिंहपेय, मट्टेन्दुराज, पद्मनाभ, कविरत्न सिंहपेय्य वैद्यनाथ पण्डित, नागपेय्य, बिज्जाका, पायाक, शुकधर, जयवर्धन, मदनतज्ञान वर्मा, बिल्हण, हर्ष, मट्टनायक, नम्मैय, माधव मागध, राणक, नरनिह, इन्दुराज, अभिनवगुप्त विद्यापति, लक्ष्मीधर, कृष्ण मिश्र, मंसण, पृथ्वीधर, वेदव्यास तथा आदित्य मट्ट ।

उपर्युक्त कवियों में वेदव्यास तथा व्यासमुनि, मागवतजयवर्धन तथा जयवर्धन मम्मकन्तः मागवतामृतदत्त तथा अमृतदत्त, सिंहपेय तथा सिंहपेय्य, भीमसिंह पण्डित तथा भीमपण्डित-- ये सभी कवि परस्पर अभिन्न प्रतीत होते हैं सम्भवतः कवि ने उन्हें कहीं कहीं सोपाधि रूप में और कहीं निरुपाधिरूप में उद्धृत किया है । मालतीमाधव आपाततः भवभूति को कृति ही जान पड़ती है किन्तु वस्तुतः है वह स्वतन्त्र कवि का नाम । क्योंकि वह अन्योक्ति भी भवभूति के नाटक में नहीं प्राप्त होती । इसी प्रकार मंसण महाकविमंसक की ही संज्ञा प्रतीत होती है जो कि श्रीकण्ठचरित के लेखक रुद्रयक के शिष्य तथा कश्मीरनरेश सुस्सल पुत्र जयसिंह (ई०११२६ से ५१ तक) के समकालीन थे । सम्भवतः जल्हण द्वारा समुद्धृत कवियों में मंसण(क) ही नवीनतम हैं । इस प्रकार सूक्तिमुक्तावली में कुल ७८ कवियों द्वारा नब्बे विषयों पर कुल तीन सौ चौरासी अन्यापदेशों का संकलन किया गया है ।

शारंगधर पद्वति, चौदहवीं शती का संग्रहग्रन्थ है जिसके कर्ता श्री शारंगधर कवि हैं । मध्ययुग में ही शाकम्परी देशाधिपति, चौहानवंशी नरेश श्री हम्पीर सिंह हुए । उनके

प्रधान उभापण्डित का नाम 'राघवदेव' था । राघवदेव के तीन पुत्र थे --गोपाल, दामोदर तथा देवदास । इन्हीं दामोदर पण्डित के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठपुत्र शाङ्गिधर कवि थे । संग्रहकार के दो छोटे भाई क्रमशः लक्ष्मीधर तथा कृष्ण थे । महाराज हम्मीरसिंह का शासनकाल १४ वीं शताब्दी ई० है । ये वही हम्मीरसिंह हैं, जो रणथम्भौर दुर्ग के अधिपति थे, और मीर महिमा नामक एक मुस्लिम व्यक्ति को शरण देने के कारण तत्कालीन दिल्ली सम्राट अलाउद्दीन ने जिन पर सन् १३०१ ई० में आक्रमण किया था । अतः कवि का समय इन ऐतिहासिक गद्यों के आधार पर निर्दिष्ट नहीं है । शाङ्गिधर के जन्मस्थान, काल तथा जीवनवृत्त के विषय में और कोई विशेष प्रत्यायक प्रमाण, उनके ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होता है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का विभाजन कवि ने १६३ भागों में किया है, जिन्हें परिच्छेद कहा गया है । प्रथम एवं द्वितीय परिच्छेद क्रमशः कविवंश वर्णन (१२ श्लोक) तथा अनुक्रमणिका (४४ श्लोक) से सम्बद्ध है । इसी प्रकार अन्तिम परिच्छेद में 'विदेहमुक्ति' का कथन प्रस्तुत किया गया है । षष्ठ ग्रन्थप्रशंसा (४पद्य) तथा संगपरीक्षा (६६पद्य) नामक दो और परिच्छेद विदेहमुक्ति के बाद जुड़ हुए हैं किन्तु विषयानुक्रमणिका में कवि द्वारा गिनार गर १६३ परिच्छेदों में इन दोनों की गणना नहीं है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में किसी व्यक्ति ने इन अंशों को ग्रन्थ से संयुक्त कर दिया है । अनुक्रमणिका में कवि स्वयं कहता है --

विदेहमुक्तिकथनं कालवचनसंयुतं सुभाषितवरत्येति कथितोऽयमनुक्रमः ॥

शतं त्रिषष्ट्यधिकं परिच्छेदेषु कीर्तितं गणितं पद्यसंख्याभिः षट्सहस्रं शतत्रयम् ॥
स्पष्टतः द्वितीय पद्य के अनुसार, प्रस्तुत पद्धति में कविशाङ्गिधर ने छः हजार तीन सौ पद्यों का संकलन किया था जो कि एक सौ तिरसठ परिच्छेदों में विभक्त था । किन्तु अद्यावधि प्राप्त ग्रन्थ में परिच्छेद तो १६३ ही हैं, जब कि पद्यों की कुल संख्या केवल ४६१६ है । इससे सिद्ध होता है कि शाङ्गिधरपद्धति के लगभग छह हजार पद्य, काल कवलित हो चुके हैं ।

इन परिच्छेदों में संख्या ४० (सूर्यान्वोक्ति) से ७१ तक (संकीर्णान्वोक्ति) अर्थात् बत्तीस परिच्छेदों में कवि ने विविध विषयों पर विविध कवियों द्वारा प्रणीत ४७१ अन्योक्तियों का संकलन किया है । विषयों एवं लेखकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है

१- द्रष्टव्यं कविवंशवर्णनं -- प्रथम परिच्छेद, श्लोक २-६ तक (शाङ्गिधर०)

१- अन्योक्तियों के विषय-- रवि, चन्द्र, मेघ, वायु, हंस, मधुकर, कोकिल, चातक, मयूर, शुक, काक, बक, खद्योत, सिंह गज, हरिण, करभ वृषभ, सामान्य वृक्ष, विशेष वृक्ष, पर्वत, जगत्पति, समुद्र, रत्न, शंख, नदी, तटाक, कमल, कूप, मरुत्थल, दावानल एवं तंकीर्ण । वृक्षविशेष में -- कल्पवृक्ष, पारिजात, चन्दन, अगुरु, चम्पक, अशोक, मालती, मल्लिका, केतकी, पाटला, सहकार, पनप, कदली, द्राक्षा, दाहिम, नारिकेल, ताल, भूर्ज, अश्वत्थ, न्यग्रोध, मधुक, शात्मलि, निम्ब, बुब्बुल, खदिर, किंशुक, शामोटी, पीलुकरार, विल्व, शालि, इच्छु, कार्पास, शण, कण्ठकारिका, घनूर, तृण, तान्बूलमल्ला तथा तुन्बा, इन ३६ विषयों का तथा तंकीर्ण में घनूर, ईश्वर, गरुड, व्योम, पय, श्री, वीगादण्ड, अशु, कुण्डल, हार, सर्प, तिमि, सारस, चक्रवाक, द्विरेक, बक, पथ, कुविन्द, लंगरिख, कर्णाधार, शैलष, कुशोलव, तैलिक, रमणो कलश पान्थ, दुग्ध, बडिशदण्ड, जिहवा, अनिल, कस्तूरी, काक, पाषाण, खग, पंजरलावक, पपीलक, श्वान, गज, भसण, जम्बुक, पोत्रिणी, शतपदी तथा वराह प्रभृति ४३ विषयों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार समष्टिरूप में कुल अन्योक्ति विषय लगभग एक सौ बारह हैं ।

२- अन्योक्तियों के प्रणेता -- महादेव, मल्लट, परिमल, प्रह्लादन, भवभूति, उमापति-घर, मदन, कालिदास, बल्लालसेन, त्रिलोचन, वस्तुपाल, चन्द्रकवि, बिल्हण, शारंगधर, अकालजलद, प्रकाशवर्ष, अचल, मानुपण्डित, मर्तुहरि भोजराज, लक्ष्मी, श्री गणदेव, श्रीघनदेव, पुष्पाकरदेव, विकटनितम्बा, मेरीभांकार, चन्द्रदेव, चन्द्र, लक्ष्मीधर, राघवचतन्य, कृष्ण मिश्र, वृद्धि, जयवर्द्धन, आनन्दवर्धन महीपतिमण्डलीक, रल्लण, लक्ष्मणसेन, गोविन्दराज, बल्लभदेव, मुक्तापीड, धर्मकीर्ति, इन्द्रकवि, धर्मवर्धन, जीवनायक, भगवान व्यास, मदनतज्ञान कर्मा, बीजक, वैद्यमानुपण्डित नापेय, शांगदेव, हरिगण, विज्जाका, सरस्वती कुटुम्ब, नम्मैय, उत्पलराज, हेतुक, मट्टनायक, कर्पूरकवि, माधवमागध, शक्ति कुमार, इन्दुराज, राणक, विद्यापति, श्रीशुक, गौडाभिनन्द, मालवरुद्र, बधिरकवि, अच्युत, शर्वकर्मा, कविरत्न, श्रुतधर, बभिनवगुप्त, नरसिंह, घोडेकवि, राजपितामहमहादेव, भीमसिंहपण्डित, महेन्दुराज, तथा दामोदर कवि ।

शुक्तिमुक्तावली की ही भांति, यहां भी राजपितामह महादेव तथा महादेव, महेन्दुराज तथा इन्दुराज, वैद्यमानुपण्डित तथा मानुपण्डित में ऐक्य की कल्पना की जा सकती है । इस प्रकार प्रस्तुत संग्रह में पचहत्तर कवियों द्वारा एक सौ बारह विषयों पर प्रणीत कुल ४८१ शर्षों का संकलनशारंगधर कवि ने किया है । पीटर्स पीटर्स ने सर्वप्रथम सन् १८८० में इस ग्रन्थ को बम्बई से प्रकाशित किया, यह तथ्य अवश्य है ।

'शारंगधर पद्धति' के पश्चात् पन्द्रहवीं शता में बल्लभदेव ने 'सुभाषितावली' नामक संग्रहग्रन्थ की रचना की। इन ग्रन्थ का प्रकाशन डा० पीटर्सन तथा महा० पंडुर्गाप्रसाद जी ने, सन् १८६६ ई० में बम्बई से किया। पीटर्सन के ही प्रमाणानुसार, टीकाकार राजानक जोनराज के एक शिष्य श्रीवर ने भी १५ वीं शता में ही एक अन्य सुभाषितावली को रचना की। किन्तु वह ग्रन्थ, विशेषण महत्वपूर्ण नहीं है। जब कि बल्लभदेवकृत सुभाषितावली प्राचीन ग्रंथों के अनुकरण पर रचा गई एक महत्वपूर्ण मौलिक कृति है।

जहाँ तक संग्रहकार के जीवनवृत्त का प्रश्न है, वह पूर्णतः अन्वकारमय ही है, क्योंकि पूर्ववर्ती तीन कवियों की भांति उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ में कोई आत्मपरिचयात्मक पद्य नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत साहित्य में अनेक बल्लभदेव हों चुके हैं। पिछले तीन संग्रहग्रन्थों में ही बल्लभ अथवा बल्लभदेव की अन्योक्तियाँ संग्रहीत की गई हैं। किन्तु ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार दो ही बल्लभदेव प्रख्यात हैं-- एक तो शिशुपालवध के टीकाकार तथा दूसरे सुभाषितावली के प्रणेता। इनमें से टीकाकार बल्लभदेव ही प्राचीन हैं, क्योंकि आचार्यमल्लिनाथ ने (१४ वीं शता) माघकाव्य की 'सर्वकषा' टीका (२१४४) तथा रायमुकुट ने अमरकोशटीका (सन् १४३२ में लिखित) में उनका उल्लेख किया है। आचार्य आनन्दवर्धन कृत देवीशतक स्तोत्रकाव्य के टीकाकार कश्यप ने भी टीका के प्रारम्भ पद्य में, अपने को चन्द्रादित्य का पुत्र तथा बल्लभदेव का पौत्र (नप्ता) स्वीकार किया है। टीकाकार के ही प्रमाणानुसार, उसका समय भीमगुप्त के शासनकालअर्थात् दशम शता के उत्तरार्द्ध में निश्चित होता है। क्योंकि टीका ४०७८ कलिवर्ष बीतने पर अर्थात् सन् ६७८ ई० में पूर्ण हुई थी। इस प्रकार यदि, कश्यप के पितामह का समय उनसे पचास वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया जाय तो बल्लभदेव का समय लगभग ६२८ ई० सिद्ध होता है। स्थूल रूप में बल्लभदेव देव का साहित्यिक युग दशमशता का पूर्वार्द्ध सिद्ध होता है जो कि महाकवि माघ की दृष्टि से बल्लभदेव के टीकाकार होने

१- द्रष्टव्य-- डा०पीटर्सन कृत सुभाषितावली की प्रस्तावना।

२- संचिक्रि पुरक्तं स्वबुद्धिरचितैः पर्यायैश्च वैर्व्याघाटीकां बल्लभदेव उत्तममतिस्मृत्यै भवानीस्तुवा ।
पर्यायैः क्रियया समं कविकृतान्पाठान्पठन्कश्यपश्चन्द्रादित्यतनूज इत्यमकरोत्तस्यैव नप्ता नपाम् ।

३- बसुमुनिममनोदधिसमकाले यातेकलेस्तथा लोके ।

द्वार्षवाशे क्वे रचितेयं भीमगुप्तनृपे ॥

का सम्भाव्य प्रमाण बताता है ।

किन्तु इन्हीं व्यक्तियों पर यह तथ्य भी जान लेना चाहिए कि देवीशतक के टीकाकार कैश्यट, उन कैश्यट से पूर्णतः भिन्न एवं पूर्ववर्ती हैं, जिनमें कि पतंजलि प्रोक्त महाभाष्य पर 'प्रदीप' नामक टीका लिखी है और जो कि वैश्याकरण कैश्यट के पुत्र थे । डा० कीलहार्न तथा व्युहलर ने प्रदीपकार कैश्यट को तेरहवीं शती ई० से अर्वाचीन ही स्वीकार किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि शिशुपालवध के टीकाकार बल्लभदेव अत्यन्त प्राचीन हैं और सम्भवतः उन्हीं की अन्योक्तियां पूर्वोलिखित मंग्रहग्रन्थों में संकलित की गयी हैं । इन अन्योक्तियों से बल्लभदेव की कवित्वशक्ति का पता लग जाता है ।

जहाँ तक संग्रहकार के परिचय का प्रश्न है, वह पूर्णतः अज्ञात ही है । किन्तु अन्यापदेश पद्धतियों में ही उद्धृत जल्हण, जोनराज तथा भागवतामृतदत्त सरसि कवियोंसे, उनके जीवनकाल पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है । जल्हण, संस्कृत साहित्य में मुख्यतः दो हुए हैं, एक तो मुग्धोपदेश तथा सोमपालविलास नामक काव्यों के प्रणेता, जो कि कश्मीर में बारहवीं शती ई० के पूर्वार्द्ध में विद्यमान थे । मंसक ने श्रीकण्ठचरित के अंतिम सर्ग में इनका स्मरण किया है । सोमपालविलास की रचना कवि ने अपने आश्रयदाता 'सोमपाल' के प्रीणनार्थ की है, जो कश्मीर देश के समीपवर्ती प्रदेश के शासक थे । इनकी राजधानी का नाम 'राजपुरी' था । राजानक रुच्यक (रुचक) ने इसी ग्रन्थ की 'अलंकारानुसारिणी' टीका भी लिखी है । दूसरे जल्हण पूर्वोक्त सूक्तिमुक्तावली के रचयिता तथा यादव नरेश कृष्ण के गजवाहिनीपति थे । इनका समय तेरहवीं शती का उत्तरार्द्ध है । किन्तु यह निश्चित नहीं कि सुमाषितावली में उद्धृत जल्हण प्राचीन हैं या नवीन । यदि वे नवीन जल्हण हैं तो बल्लभदेव का समय आसानी से उनके बाद अर्थात् १४ वीं या १५ वीं शती में स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु बल्लभदेव की कालविषयक मंगति बैठाने के लिए जोनराज तथा अमृतदत्त के प्रमाण अधिक सहायक बन सकते हैं । जोनराज श्रीकण्ठचरित (मंसक) के टीकाकार हैं जिनका समय सन १४५० ई० के आस पास है । इसी प्रकार --

'किमेवमविशंक्तिः शिशुहरं लीलमं परिक्रमितुमीहसे विरमनेव शून्यं वनम् ।

स्थितोऽत्राजयुष्माथमथोच्छ्लक्षोपितच्छटापटलमासुरोत्कटसटामरः केसरी ॥'

प्रमृति अन्योक्ति को भागवतामृतदत्त द्वारा लिखी गयी है, एक चुनौती के रूप में, कश्मीर नरेश

१- दृष्टव्य -- सुमाषितावली की प्रस्तावना में उद्धृत, व्युहलर की 'काश्मीर रिपोर्ट' पृ० ७१ ।

शाहाबुद्दीन द्वारा मोरशाह के लिए भेजा गई थी, जो कि कश्मीर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। जनरल कनिंघम के अनुसार शाहाबुद्दीन का जन्म मन् १३५२ ई० है। सम्भवतः अमृतदत्त, शाहाबुद्दीन के ही दरबारी कवि थे। इस प्रकार यदि जोनराज तथा अमृतदत्त का प्रमाण माना जाय तो वल्लभ देव का जन्म, चौदहवीं शता के अन्त से लेकर पन्द्रहवीं शती तक कीकार किया जा सकता है।

प्रस्तुत संग्रह में कुल १०१ छन्दितियां तथा ३५२२ पद्य संग्रहीत हैं। इनमें प्रथम पद्यति का विषय 'मंगलाचरण' तथा दूसरी का 'भगवत्स्वरूप वर्णन' है। इन पद्यतियों में से संख्या दश (सूर्येन्दुवर्णन) से लेकर उन्तीस (संकीर्णवस्तु) तक का विषय अन्यापदेश है। अन्यापदेश विषयक इन बीस पद्यतियों में कवि ने विविध कवियों द्वारा प्रणीत ४६३ पद्यों का संकलन किया है। विवरण इस प्रकार है --

१- प्रतिपाद्य विषय-- सूर्येन्दु, सिंह, गज, मृग, करम, मयूरचातक, हंस, पारस, कोकिल, भ्रमर, बक, काक, कीटमणि, वृद्ध, मेघ, समुद्र, मणि, शंख, पद्म, मरु, संकीर्ण। वृद्धों में चन्दन, न्यग्रोध, ताल, अशोक, करीर, कल्पतरु, सदिर, चम्पक, भूर्ज, शाखोटक तथा शात्मलि ये ग्यारह विषय हैं। इसी प्रकार संकीर्ण वर्ग में सागर, नह, नन्दी, नन्न, सिंह, चन्दन, मृग, आपण, सर्प, मयूर, रजनी, मदन, हेमकार, शतपदी, कूप, लुब्धक, तृणमणि, दन्दशूक राजा, बाडव, कपोती, काक, मेघ, महामति, शनि, किमान, मूर्ख, पर्वत, वणिक्, मैनाक पवन, कुबेर, अगस्त्य, विष्णु, कुम्भ, श्वान, राहु, शुक, मालती, विशिष्ट, अलंकार, मङ्गल मृणाल, मलय, धूलि, सूर्य, जलकण, हंस, जाल्म, काष्ठिक, घवल, विषमन्त्री, व्योम, दावानल, मेरु, आसु, तरु, विन्ध्य, हालिक तथा कूर्म आदि। इनमें से उभयनिष्ठ होने के कारण यदि सूर्य, सिंह, मृग, हंस, काक, वृद्ध तथा मेघ इन भातों को हम एक मान लें तो समस्त अन्योक्ति विषयों की संख्या लगभग चौरासी होती है।

२- अन्योक्तियों के प्रणेता -- शुक, मट्टनारायण पाजक (पण्डित), मट्टमल्लट, प्रकाशदत्त, आनन्दवर्धन, धाराधर, कालिदास, कलशक, मवानीनन्दन, धुतिधर, श्रीबक (पण्डित), आराध्य कर्पूर, कल्हण, जीवाक, श्री मुत्तपीड, पुण्य, वज्रायुध, ललितानुराग, उपाध्याय घनकर्मा, मट्टवासुदेव, श्री राजानक जोनराज, मद्धक (पण्डित) अमृतदास (भागवत) रविसेन, बल्हण, बाणमट्ट, प्रकाशवर्ष, श्रुतधर, गोविन्दराज, मश्वुहस्तिपक, साजक, कर्मकीर्ति, जयापीड, जीवनाग, नैषधकर्ता (---श्रीहर्ष) जयवर्धन (भाग०), मर्तुसारस्वत,

चर्मटीनाथ, मट्ट सुक्किबोशक, श्रीमण्डक, श्री शिवशार्मा, अर्थवर्मा, यज्ञःस्वामी, तज्ञक, मट्टवृद्धि, मट्टरुद्रट, विकटतितम्बा, मट्टनायक, चाट, सुखविष्णु, कामेन्द्र, बाल्मीकि, किशोरक, उपाध्यायोदय, मट्टादित्यक, नरेन्द्र, वामन, मदननान कर्मा थोजाक, महर्षि, दाक्षिणात्य, विश्रान्तिवर्मा, रत्नाकर, त्रिविक्रम(भाग०) अमरक, वल्लभदेव, मट्टप्रभाकर, चित्रे (?विष्णुशर्मा) कविरत्नक, मट्टेन्दुराज, लुट्टक, धर्मदेव, श्रीशर(भाग०), कात्र, जयमाधवसुलोठकसुत शर्मा, थो प्त्युच्यमानानन्द, नरसिंह, यज्ञस, ईश्वरसुलोचक, मट्टकि, विद्याधिपति, अमृतवर्धन, जगद्धर (पण्डित) प्रशस्तक(पण्डित) मट्टापराजित, लुल्लसुविद्याधर तथा वर्मदत्त ।

इस प्रकार, सुभाषितावली में, कुल नब्बे कवियों द्वारा चौरासी विषयों पर लिखित ४६३ अन्योक्तियों का संकलन, श्रीवल्लभदेव ने किया है । यह अवधेय तथ्य है कि सुभाषितावली में जिन कवियों की अन्योक्तियाँ संकलित की गई हैं, अधिकांशतः वे नवीन हैं ।

पन्द्रहवीं शताब्दी में ही नन्दनपण्डित ने 'प्रसन्न साहित्य रत्नाकर' नामक संग्रहग्रन्थ लिखा, जो कि लगभग एक हजार पद्यों का संकलन है । प्रास्ताविक पद्य में कवि स्वयं कहता है -- 'सहस्रं श्लोकानां व्यरचयदिदं नन्दनकविः' । यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित ही है । किन्तु पं० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा तैयार किये गए 'कैटालाग आफ पामलीफ एण्ड सेलेक्टेड पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिलांगिंग टु दि नेपाल दरबार लाइब्रेरी, काठमाण्डू' से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ की एक प्रति नेपाल में है । इसी प्रकार सुभाषित रत्नकोष में, पृ० २३ पर, डा० कौशाम्बी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रस्तुत संग्रह की एक प्रति 'मिथिला संस्कृत परिषद्, दरभंगा' के सम्मान्य सदस्य महामहोपाध्याय डा० उमेशमिश्र के व्यक्तिगत संग्रह में प्राप्त हुई । इस प्रति के लिए, श्रेष्ठ गुरुवर्य से याचना की और दो महीने तक उन्हीं के आदेश पर प्रतीक्षा भी किया । किन्तु पिछले सप्तकह (७ अगस्त १९६६ई०) उनके पुत्र श्री प्रमाकान्त जी ने पुस्तक के न मिलने की सूचना दी । ऐसी दशा में चूंकि 'प्रसन्न साहित्यरत्नाकर' संग्रहों की परम्परा में प्रणीत एक महत्त्वपूर्ण कृति है, अतः डा० कौशाम्बी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही इसका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है ।

यद्यपि कविनन्दन ने प्रारम्भ में ग्रन्थगत श्लोकों की संख्या का प्रमाण महान् श्लोकानां ही कह कर दिया है । किन्तु 'द्विरुक्तियों तथा खण्डितांशों' को मिलाकर पद्यों की कुल संख्या १४२८ है । इसके ४८० पद्य, सुभाषितरत्नकोष में उनी क्रम में उद्धृत किये गये हैं । ठीक वही प्रकार २४५ पद्य, महुक्ति कर्णामृत एवं सुभाषित रत्नकोष, दोनों में सम्मिलित रूप में अभिन्न हैं । ग्रन्थ के १६, ३६, ६४ तथा ६६ संस्यक पद्य क्रमशः कपिलेश्वर गजपति, त्रिविक्रमगजपति तथा पुरुषोत्तमगजपति द्वारा प्रणीत हैं, जिससे सिद्ध होता है कि संग्रहकार उड़ीसा प्रदेश स्थित, गजपति राजवंश से पूर्णतः परिचित था । इस राजवंश के संस्थापक कपिलेश्वर गजपति थे जिनके पुत्र पुरुषोत्तम थे । इन्हीं 'पुरुषोत्तम के पुत्र प्रतापरुद्र गजपति सन् १४६७ ई० में सिंहासन पर बैठे । अतः उनके पिता तथा पितामह जिन्हें प्रसन्नसाहित्यरत्नाकरकार ने उद्धृत किया है, यह सिद्ध करते हैं कि नन्दन पण्डित उनके बाद सम्भवतः प्रतापरुद्र के ही समय में हुए । इस दशा में संग्रहकार का समय १५ वीं शती का उत्तरार्द्ध ही होना चाहिए ।"

ग्रन्थ प्रत्यक्ष न होने के कारण उसके समस्त प्रतिपाद्य का और विशेष रूप से 'अन्यापदेश ब्रज्या' का विस्तृत विवेचन नहीं उपस्थित किया जा सकता । किन्तु सुभाषित-रत्नकोष में प्रदत्त सम्पादकों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रसन्न साहित्य रत्नाकर में संकलित, अन्यापदेश विषयों तथा उनके प्रणताओं की सूचना यथापतः दी जा रही है --

१- प्रतिपाद्य विषय-- मुक्तारत्न-सागर-पद्माकर-मरकतमणि-सिंह-मलयद्वन्द्व-कलकण्ठ-अशोक-मृग-तरु-शरभ-अगस्त्य-पिप्पल-न्यग्रोध-पान्थ-गरोवर-चातक-कदम्ब-सूर्य-आम्र-कूर्मावतार-नौका-नदी-पोखरी (पुष्करिणी)-कांचन-शंख-मनसिज-वाहवाग्नि-दुर्जन चक्रवाक-मृगी-लक्ष्मी-चन्द्रमा मेघ-भ्रमर-बानरी-उद्यानपाल-मत्तगज-- ३८ विषय ।

२- प्रणता गण-- सुरारि-कविराज-दामोदर-कविनन्द-कालिदास-वल्लभ-नन्दन लक्ष्मीधर-बधिर कविराज-अभिनन्द-शालिक-यम्प्याक-अमरसिंह-श्रीधर्माकर-तरणिनन्दन-मट्टगणपति-वीर-अचल सिंह-वित्तौक-बिम्बोक-लडहचन्द्र-कलिकाकार-शब्दार्णव-कुशलाथ-सुरमि-सुरुचित-बुद्धकरगुप्त - नारायणदत्त-ज्ञ (ज्ञ) मीश्वर-गोमटि(हृ?) चित्तप (चित्तप-चित्तप) जितारि-धर्मपाल-धर्मयशोक(? धर्माशोक) नील-प्रवरसेण(न)-मर्तुहरि-योमेश्वर (धर्मयोगे०)वसुकल्प-वाचस्पति-विक्रमादित्य(कालिदास)विद्या-हनूमत--४३ कवि ।

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- सुभाषितरत्नकोष की प्रस्तावना, पृ० २२-२३ ।

इस प्रकार ईसा की दशवीं शती से लेकर पन्द्रहवीं के मध्य तक पांच सौ वर्षों में अनंख्य अन्योक्तियों का संकलन, संग्रहग्रन्थों में किया गया । यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय तो स्पष्टतः प्रतीत होगा कि विद्याकर पण्डित के पश्चात् होने वाले संग्रहकारों ने उत्तरीत्तर अधिक संख्या में नवीन विषयों तथा नवीन कवियों को अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है । किन्तु विश्व के प्रत्येक वाङ्मय की यह एक मौलिक विशेषता रही है कि जब वह लोकोत्तर वर्णना की चरम पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तब उसकी एक ही दशा संभव होती है । लोकभाषा में उसी को 'ड्रास वा पतन' की संज्ञा दी गयी है । ड्रास की स्थितिमें कविता की धारा एक नवीन दिशा में मुड़ जाती है । पूर्ववर्ती कवि तथा काव्य, की अभिनव काव्यकारों द्वारा, प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति होने लगती है, फलतः नये काव्य-भिद्वान्तों का जन्म होता है ।

कालिदास तथा उनके सुकुमार मार्ग की समाप्ति पर, संस्कृत काव्य साहित्य की ऐसी ही दशा हुई थी । परवर्ती कवियों द्वारा चलाई गई, विचित्र काव्य-सरणि, वस्तुतः सुकुमार पद्धति की ही प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति थी । श्रीकण्ठवरितकार महाकवि मंसक ने, उसी तथ्य को ध्यान में रखकर नवीन कवियों की मीठी चुटकी ली थी । आचार्य दामेन्द्र ने कविकण्ठाभरण (द्वितीयमन्धि) में, ह्यायोपजीवी प्रभृति कवियों का जो व्याख्यान किया है, वह भी कविता की द्वाभगी स्थिति में ही सम्भव होता है ।

संग्रहग्रन्थों के विषय में भी यही तथ्य दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि पन्द्रहवीं अथवा सोलहवीं शती के पश्चात् ही अन्योक्ति-विषयों तथा उनके प्रणेताओं की मौलिकता जाती रही । विद्याकर से लेकर नन्दन कवि के युग तक ही, लगभग पांच प्रतिशत अन्योक्तियाँ कर्तृत्व की दृष्टि से संदिग्ध रही हैं, क्योंकि एक ही रचना दो अथवा तीन चार संग्रहों में भिन्न भिन्न कवियों की रचना बताई गई है । किन्तु इस विवादास्पद विषय को यहीं छोड़कर संग्रहग्रन्थों की अगली परम्परा का विवेचन कर लेना उचित होगा । प्रसन्न साहित्य-रत्नाकर के पश्चात् अब तक अर्थात् लगभग पांच सौ वर्षों में अनेक संग्रहग्रन्थ लिखे गये किन्तु उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो, जिसकी तुलना हम सूक्तमुक्तावली स्तर के संग्रहों से कर सकें । इन ग्रन्थों में जिनमें अधिकांश, अप्रकाशित ही हैं, प्रायः अन्योक्तियों का संकलन मात्र

१- यातास्ते रससारसंग्रहविधिं निष्पीडयन्निष्पीडय ये वाक्तात्वेद्वा लतां पुराकतिपये तत्त्वस्पृशश्च-
क्रिरे ।
काव्यस्य यथायथं तु कवयस्ते यत्र सन्तन्बन्ने ये सुप्रास कठोरचित्रयमकश्लेषादिशत्कौच्यम् ॥२॥४३

विषय ग्रन्था है किन्तु यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि वे किस कवि की रचनायें हैं । यद्यपि उन नवीन ग्रन्थों में अनेक तो ऐसे भी हैं जिनमें प्राचीन संग्रहों की तुलना में नवीन विषय संग्रहीत किये गये हैं , किन्तु बहुमत उन्हीं ग्रन्थों का है जिनमें कि प्राचीन संग्रह ग्रन्थों में से ही हाटकर कुछ अन्योक्तियां संकलित कर दी गयी हैं । वास्तुतः उन दयाधित संग्रह ग्रन्थों में औपचारिक रूप से संग्रहात्मक प्रवृत्ति का निर्वाह किया गया है ।

सूक्ति अथवा सुभाषित , एक अत्यन्त व्यापक पद है जिनमें शृंगार, वैराग्य, नीति, अन्यापदेश, राजनीति, चौर्य शास्त्र, वास्तुकला, चित्रकला, संगीतबला, -- सब के सब अंग रूप में प्रतिपादित हैं । प्राचीन संग्रहों की एकमात्र विशेषता यही है कि उनमें यथाशक्य इन समस्त विषयों का स्फुटा निबन्धन किया गया है । किन्तु सोलहवीं शती के बाद वाले अधिकांश सुभाषित ग्रन्थ प्रायः स्कांगी हैं । यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों के अनुकरण पर नाम तो उनका उतना ही व्यापक एवं कौतुकपूर्ण है किन्तु प्रतिपाद्य की दृष्टि से वे अत्यन्त संकीर्ण हैं । उदाहरणार्थ जैन कवि, सोमप्रभाचार्य कृत 'सूक्तिमुक्तावली' केवल वैराग्य विषयों से तथा रूप गोस्वामी प्रणीत 'पद्यावली' केवल 'कृष्णलीलापरक' सूक्तियों से युक्त है । इसी प्रकार वेदान्तदेशिक कृत सुभाषित नीवी, केवल मनुष्य की विविधप्रवृत्तियों को इंगित करने वाली सूक्तियों से तथा जैनाचार्य अमितगति कृत 'सुभाषितरत्नसन्दोह' जैन धर्म परक सुभाषितों से ही भरा है ।

श्री स्व० ली० वेलंकर द्वारा सम्पादित 'जिनरत्नकोश' तथा मराठी भाषा में लिखित श्री वर्णेकर कृत 'अर्वाचीन संस्कृत साहित्य' पृ० १४६-४७ पर सोलहवीं शती से अथावधि लिखे गये सैकड़ों संग्रह ग्रन्थों की नामावली प्रस्तुत की गयी है । कविवचनसमुच्चय के सम्पादक श्री टामस महोदय ने भी ग्रन्थ की प्रस्तावना में अनेक प्रमुख संग्रहग्रन्थों का उल्लेख किया है किन्तु यह अवधेय तथ्य है कि इनमें से बहुत थोड़े ही अंशतः मौलिक कहे जा सकते हैं । पूर्णतः मौलिक तो वास्तुतः कोई है ही नहीं । सब के सब पूर्व व्याख्यात संग्रहग्रन्थों की उपजीवी ही हैं । ऐसी दशा में जब कि हमें केवल अन्योक्ति विषयों तथा उनके लेखकों के वैविध्य का विवेचन ही अभीष्ट है, उन ग्रन्थों का एकैकशः परिशीलन करना निरर्थक ही है । दूसरी बात यह है कि इन सैकड़ों संग्रहग्रन्थों में से बहुत थोड़े ही प्रकाशित एवं उपलब्ध हैं, अतः उनके विषय में कुछ सामान्य निर्देश भी सम्भव नहीं है ।

१- द्रष्टव्य--काव्यमाला, सप्तगुच्छक, सन १८६० ई० ।

२-

त्रष्टमगुच्छक सन् १६११ ई० ।

नन्दकवि के (१५वीं शती) पश्चात् प्रमुख संग्रहग्रन्थों में आचार्य सिद्धिचन्द्रमणि कृत 'सूक्ति रत्नाकर' (१३ वीं शती) हरिदासकृत 'प्रस्तावरत्नाकर' हरिकविकृत 'सुभाषितहारावली', सुन्दरदेवकृत 'सूक्ति सुन्दर' (१७वीं शती) वज्रनाथकृत 'पद्यतरंगिणी' वेणीदत्तकृत 'पद्यवेणी', 'हरिभास्कर कृत 'पद्यामृततरंगिणी', मटगोविन्दजित् कृत 'सम्यालंकरण' नागेंजी पण्डित कृत 'सूक्तिमालिका' (१८वीं तथा १९वीं शती) तथा निर्णय सागर प्रेम बम्बई से प्रकाशित 'सुभाषित रत्न भाण्डागार' आदि (सन् १९६३ ई०) आते हैं। पद्यामृत तरंगिणी, पद्यवेणी तथा सम्यालंकरण, श्री जे०बी० चौधरी द्वारा क्रमशः सन् १९४१, ४४ तथा ४७ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित किये गये हैं। सिद्धिचन्द्र का ग्रन्थ सम्भवतः अभी तक अप्रकाशित ही है।

प्रस्तावरत्नाकर, हरिदास कवि द्वारा सन् १६१४ (सन् १५५७ ई०) में पूर्ण किया गया। कवि द्वारा दिये गये आत्मपरिचय से ज्ञात होता है कि वह सारागढ़-- नरेश वरवीरशाहि के राज्यकाल में विद्यमान था। उसके पिता पुरुषोत्तम अत्यन्त प्राज्ञ तथा कुलशील युक्त ब्राह्मण थे। उनकी चार सन्तानों (कृष्णदास, दामोदर, नारायण तथा हरिदास) में से, संग्रहकार अन्तिम था। इस ग्रन्थ का विभाजन कुल इक्कीस परिच्छेदों में हुआ है जिनमें चौथा 'अन्योक्ति परिच्छेद' है। अन्योक्ति परिच्छेद में शुक-शात्मलि, कि किंशुक, चातकपोत, अलि, गज, मत्स्य, पु पुरुष विशेष, सागर, कल्पवृक्ष, ताम्बूल, कौकिल, कवि, रासम, केकी, काक, शंकर, शेष, व्योम, जल, श्री, कुण्डल, दुर्दुर, चक्र, जिह्वा, कस्तूरी, पाषाण, कमलपुष्प, हरिण, तुम्बी, करीर, दाता, शरण्य, पराधीन, चन्द्रमा, जोमूत शाखोटक, मन्दार, सरोवर, स्वर्णवलय, मलयपवन, हे रंग, हंस, दुर्दशा, प्रमृति ४५ विषयों पर कुल चौंसठ अन्योक्तियों का संकलन किया गया है। किन्तु इन पूर्वव्याख्यात ग्रन्थों की भांति, इस ग्रन्थ में प्रत्येक पद्य के कर्ता का नाम नहीं निर्दिष्ट किया गया है। सम्भवतः इसका कारण यह था कि प्राचीन ग्रन्थों से ही अधिकांश अन्यापदेशों का चयन करने के कारण कवि ने इनका कर्तृत्व स्पष्ट करने की आवश्यकता ही न समझी होगी, क्योंकि ये पूर्वग्रन्थों में उनका निर्देश मूरिशः ही जुका है। किन्तु एक तथ्य जानने योग्य है, वह यह कि प्रस्तावरत्नाकर की प्रभूत अन्योक्तियां स्वयं कवि द्वारा प्रणीत की गयी हैं, क्योंकि संग्रहकार के पूर्ववर्ती संग्रहग्रन्थों में वे बिल्कुल प्राप्त नहीं होतीं। ताम्बूल, तुम्बी तथा

तथा करीर प्रभृति विषय भी सर्वथा नवीन हैं, जिसे हरिदास को मौलिक प्रतिभा सुस्पष्ट हो जातो है। प्रस्तावरत्नाकर अप्रकाशित कृति है, किन्तु इसकी एक ही तालिखित प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन^{प्रमाण} के संग्रहालय (संख्या ६४४) में विद्यमान है जो कि राव मुकुन्द सिंह (बूंदी) द्वारा सम्मेलन को १९५६ ई० में उपहार रूप में दी गई। पुस्तक में कुल २१४ पृष्ठ हैं।

नारोजी पण्डितकृत 'सूक्तिमालिका' का प्रकाशन 'दि जर्नल आफ दि तंजौर सरस्वती महल लाइब्रेरी' (वाल्सम १३ नं० १ से वाल्सम १५ नं०३ तक, म् १९६१ ई०) में हुआ है। यद्यपि पुस्तक में कवि ने अपना कोई परिचय प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि वह अर्वाचीन ही प्रतीत होता है। ग्रन्थ के अन्त में दी गई पुष्पिका में केवल य इतना ज्ञात होता है कि संग्रहकार के पिता का नाम विश्वनाथ पण्डित था। यह संग्रह पांच पद्यों की प्रस्तावना को छोड़कर नमाकार, नीति, सज्जन, दुर्जन, सामान्य, अन्योक्ति, कथा एवं दशावतार -- इन आठ पद्धतियों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः २२, ६४, ८१, १०६, १४६, २०६, २२५ तथा २३८ पद्य हैं। इस प्रकार समस्त ग्रन्थ में स्थूल दृष्टि से लगभग ग्यारहसौ पद्यों का संकलन है। अन्योक्ति के ३६ विषय यद्यपि पूर्वालोचित विषयों में ही अन्तर्भूत हैं तथापि तुलसी, पूग, चिञ्चा, जम्बीर, मच्चिका, सरट, मार्जार तथा इन्द्रवारुणो विषयक अन्योक्तियां, नारोजी पण्डित की मौलिक सूक्तबुक्त की परिचायक हैं। वस्तुतः सूक्तिमालिका, एक उत्कृष्ट संग्रहग्रन्थ है, जो कि प्रस्तावरत्नाकर को ही कांठि का है। क्योंकि कवियों का नाम इसमें भी नहीं प्राप्त होता। इसका कारण यह है कि सूक्तिमालिका की अन्योक्तियां स्वयं नारोजी पण्डित द्वारा लिखी गयी हैं।

सुभाषितरत्न माण्डागार, सुभाषित संग्रहों की कोठि में अन्तिम कहा जा सकता है, जो कि प्राचीन संग्रहों तथा स्वतन्त्र चयनों के आधार पर संकलित तथा निर्णय सागर प्रेस बम्बई से सर्वप्रथम १९३५ ई० में प्रकाशित किया गया। इसमें मंगलाचरण, सामान्य, राज, सिद्धि, अन्योक्ति, नवरस तथा संकीर्ण नामक सात प्रकरण हैं, जिनमें दश हजार से अधिक पद्यों का संकलन किया गया है। अन्योक्ति का विभाजन प्रस्तुत संग्रह में सोलह वर्गों में किया गया है -- सूर्य, चन्द्र, मेघ, वायु, पर्वत, समुद्र, नदी, तड़ाग, कूप, मरुस्थल, दावानल, व्योमचर, स्थलचर, जलचर, वृद्ध तथा संकीर्ण। परन्तु यदि इनके उपभेदों की ~~संख्या~~ गणना की जाय तो प्रतिपद्य विषयों की कुल संख्या १७५ हो


जाता है^१। जिनमें कुल एक हजार चौदह ग्रंथ संकलित किये गये हैं। वस्तुतः सुभाषित रत्न भाण्डागार संस्कृत साहित्य का विशालतम संग्रहग्रन्थ है। अन्योक्तियों का भी बृहत्तम संग्रह यही ग्रन्थ है। क्योंकि इतनी अधिक अन्योक्तियों का संकलन किसी भी ग्रन्थ में नहीं हुआ है।

(ख) प्रबन्ध रचनाओं में प्राप्त अन्योक्ति वाङ्मय

लिखित अन्योक्ति साहित्य के एक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का संक्षेप में विवेकन किया जा चुका है। अब यह देखना है कि काव्य के विविध अंगों में, इसका प्रतिपादन किस रूप में हुआ? आचार्य मम्मट के अनुसार दोष हान, गुणों पे युक्त तथा सालंकार शब्द एवं अर्थ की स्पष्टि ही काव्य है। किन्तु यह तो 'काव्य' को काव्यशास्त्रीय परिभाषा हुई। वस्तुतः 'काव्य' शब्द का स्पष्ट अभिप्राय आचार्य

१- सूर्य, चन्द्र, मेघ, वायु, पर्वत, (हिमालय, मेरु, विन्ध्य, मलय, मन्दर, मैनाक, लोकालोक, रोहण, पर्वतदरी, गिरिनिर्भर) समुद्र (क्षीरसागर, अगस्त्य, रत्न, वज्रमणि, कौस्तुभ, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, मरकत, माणिक्य, काच, शंख, पांचजन्य) नदी (गंगा, शोण) तहाग (मानस) कूप, मरुस्थल, दावानल (वडवानल) गरुड, हंस, मधुकर, कोकिल, वातक, मयूर, चक्रवाक, शुक, काक बक, घुस, खद्योत, सिंह, गज, मृग, करम, रासम, वृषभ, कषि, वराह, आदिवराह, श्वा, वृश्चिक, भेक, जम्बुक, सर्प, शेष, मत्स्य, रोहित, राघव, कूर्म, वृक्ष, कल्पद्रुम, पारिजात, चन्दन, अगुरु चम्पक, बकुल, अशोक, यूथी, मालती, मल्लिका, दमनक, केतकी, पाटला, सहकार, पनस, तमाल, कदली, द्राक्षा, दाडिम, नालिकेर, ताल, मूर्ज, अश्वत्थ, न्यग्रोध, मधुक, शात्मलि, निम्ब, बबूल, खदिर, किंशुक, शाखोट, पीलु, करीर, बिल्व, शालि, कुटज, इड्डा, लवंगी, कार्पास, शण, कण्टकारिका, घत्तूर, पलाण्डु, वृण, कलम, ताम्बूल, तुम्बी, वंश, कुन्द, कमल-लता, (संकीर्ण में) शिव, परशुराम, रामचन्द्र, सीता, इन्द्र, स्मर, जाकाश, पृथ्वी, जल, मारुत, मृगतृष्णा, सुवर्ण, मौक्तिक, सुवर्णकार, हार, कंबुक, कुण्डल, नासाभूषण, वलय, रंग, वीणादण्ड, मुरली, कुबिन्द, लामलिक, कर्णधार, तैलिक, पंजरलावक, व्याघ्र, विषमन्त्री, मालाकार, कायस्थ, कवि, बाला, श्लेष, कुशीलव, बाला, पल्लीपति, पुत्री, पान्थ, कस्तूरी, दीप, तुला, कुम्भ, कलश, इन्द्र, अश्विण, शर, लम्पाक, खल, कण्टक, कालकूट, जिह्वा, नन्दनवन, वसन्त, मुसल, संकीर्ण।

मटुता के शब्दों में 'कविकर्मा' है। अतः कवि की प्रतिभा के प्रसूत को ई भी वाङ्निर्मिति काव्य कही जाने योग्य है। आचार्यों ने काव्य का विभाजन, कई प्रकार से किया है और उस विवधता का मूल कारण का विभाजन के पीछे उनको विविध दृष्टि हो है। भामह तथा दण्डी ने रूप तत्त्व, वस्तुतत्त्व, प्रतिपाद्य एवं भाषा की दृष्टि से तथा मम्मटादि प्राचार्यों ने काव्यमाला ध्वनि की दृष्टि से काव्य विभाजन प्रस्तुत किया है। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में काव्य के विविध रूपों का ही परिशो लन करना अपेक्षित है अतः व्यंजनानुसारी काव्यभेद बहुत उपयोगी नहीं है। साहित्य दर्पणकार ने ग्रन्थ के छठे परिच्छेद में काव्य का जो भेद प्रस्तुत किया है, वस्तुतः वही सर्वोत्तम है, क्योंकि भामह, दण्डी तथा वामन की समस्त दृष्टियों का आवीकृत रूप होने के कारण उसमें छोटी-बड़ी सभी काव्यव्यवहृतियाँ समाहृत हो जाती हैं। वस्तुतः विवेचन न करके, विभाजन का निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है :-



संस्कृत साहित्य के रूपक के अन्तिम पांच भेद बहुत कम प्राप्त होते हैं। भारत के नाट्यशास्त्र में, केवल त्रिपुरदाहडिम् एवं अमृतमन्थन समवकार का उल्लेख मिलता है किन्तु

नाट्यशास्त्र ४।२-३ तथा ४।१० (गायकवाङ् संस्करण)।

ग्रन्थ कोई भी उपलब्ध नहीं है । महोबानरेश श्री परमादिदेव (सन् १२६३-१२७३ सक) के विद्वान् अमात्य, वत्सराज, ने सर्वप्रथम, त्रिपुरदाहञ्जि समुद्रमन्थन समकार तथा रुक्मिणी परिणय उद्दामृग की रचना की । र्सी जनश्रुति है कि वत्साराज ने माधवी नामक बोधी तथा शर्मिष्ठाग्र्यति(?) नामक अंक की भी रचना की है । किन्तु वे ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध नहीं है । वत्सराज की इन कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत में इस कोटि की कोई भी दूसरी कृति नहीं है । उपरूपकों में भी, नाटिका, त्रोटक, गृहक, प्रकरणि तथा भाणिका का ही प्रणयन अधिक हुआ है । प्रेरण (प्रेक्षण ?) तथा रासक भी, प्रायः प्रसिद्ध उपरूपकों की कोटि में आते हैं । मुक्तक से लेकर कलात्मक तक का चक्र पद्य क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार श्लोकों का होता है । पांच अथवा उससे अधिक पद्यों का समुच्चय कुलक कहा जाता है । जब यही बहुसंख्यक कुलक, सर्गबन्ध का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें महाकाव्य की तथा 'काव्यैकदेशानुसारी' होने पर खण्डकाव्य की संज्ञा दी जाती है । इन्हीं मुक्तक पद्यों का संकलन संख्या भेद के अनुसार क्रमशः पंचक, सप्तक, अष्टक, दशक, पंचदशी, विशंति, पंचविंशति, द्वात्रिंशति, पंचाशत्, सप्तति, द्वाप्तति, शतक, त्रिंशती, पंचशती, सप्तशती, सहस्र, संग्रह, मुक्तावली, रत्नावली, रत्नकोष, रत्नामृत आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है । मुक्तकों के यही विविध रूप सुभाषित काव्य भी कहे जाते हैं जिनका विस्तृत विवेचन संग्रहों के माध्यम से पीछे किया जा चुका है । स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ, जिनका विवेचन अभी आगे किया जायगा, वे भी वस्तुतः इन्हीं मुक्तक पद्यों के संकलन मात्र हैं । संग्रह तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों का भेद, संकनकर्ता की भी दृष्टि से किया गया है, इसे अव्यायारम्भ में ही स्पष्ट किया जा चुका है । काव्य के अन्य भेद, कथा आख्यायिका तथा चम्पू, प्रसिद्ध होने के कारण स्वरूपतः स्पष्ट हैं ।

किन्तु संग्रह तथा अन्योक्ति ग्रन्थों के विविध रूपों में जहाँ अन्योक्ति प्रधानरूप से प्रतिपादित की गई है वहाँ काव्य-भेदों में गौण रूप से । क्योंकि रूपक, उपरूपक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, कथा आख्यायिका तथा चम्पू इन समस्त प्रमुख काव्यों में कवि का एकमात्र लक्ष्य काव्यप्रतिपाद्य की वर्णना पर ही केन्द्रित रहता है । यद्यपि यह बात सत्य है कि काव्यवर्णना को चमत्कारातिशय रूप देने के लिए, कवि अपनी-अपनी पृथक् रुचि के अनुसार गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, लक्षणा, व्यंजना तथा अन्यान्य प्रख्यात काव्य तत्त्वों का प्रयोग करते हैं फिर भी ये तत्त्व प्रमुख न बनकर प्रतिपाद्य पर्यवसायी मात्र होते हैं ।

अन्यापदेश भी व्यंजना का ही एक स्वरूप विशेष है, क्योंकि इसका अन्तिम लक्ष्य बिना व्यंजना शक्ति के सम्भव ही नहीं। आचार्य अभिनव ने इसी कारण अन्योक्ति में वस्तुध्वनि की कल्पना की है। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति तथा लक्षण भी अन्यापदेश पद्धति में सहायक बनते हैं। अन्यापदेश, अलंकार $\&$ तथा अलंकार्य दोनों हैं, यह भी पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। अन्योक्ति की इमी महत्ता के कारण काव्य में प्रतिपादित होने पर उसे गौण न मानकर प्रधान भी माना जाता है। स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ, जहाँ अन्योक्ति प्रधान बनती है, वहाँ काव्य उससे पृथक् न रहकर स्वयं अन्योक्ति रूप हो जाता है। अन्योक्ति काव्य अथवा अन्योक्तिवाङ्मय कहने का यही तात्पर्य है। किन्तु सुभाषितों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अन्य काव्यभेदों में अन्योक्ति का निबन्धन गौणरूप से ही होता है।

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि लपक के प्रथम पांच भेद अर्थात् नाटक, प्रकरण भाण, व्यायोग तथा प्रहसन ही अधिक प्रख्यात हैं और इन्हीं की रचना भी अधिक हुई है। नाटकों तथा प्रकरणों में, पताका स्थानक के रूप में अन्यापदेशों का निबन्धन प्रायः प्राप्त होता है। जब नाटकादि में भावी घटना की सूचना अन्योक्ति अथवा समासोक्ति के माध्यम से दी जाय तो उसे पताकास्थानक कहते हैं। महाराज हर्ष कृत रत्नावली में, इसका एक रमणीय दृष्टान्त प्राप्त होता है -- यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति : ॥ वस्तुतः कवि का लक्ष्य यहाँ रत्नावली से विकृते हुए नायक उदयन का दृष्टान्त प्रस्तुत करना है और यही वृत्तान्त प्रस्तुत भी है। किन्तु कवि इसे सीधे न कहकर अप्रस्तुतविधान के सहारे व्यक्त करता है जिससे कि उदयनपरक अर्थ में एक विशिष्ट-विच्छिन्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कमलिनी-सूर्य संवाद में वाच्यार्थ सर्वथा असम्भव है, अतः उसे सम्भव अथवा प्रतिपन्न करने के लिए रत्नावली (सागरिका) उदयन संवाद का उस पर आरोप करना अनिवार्य हो जाता है, यही इस पद्य का अर्थ सौन्दर्य है। आचार्य अभिनव ने सारूप्य-निबन्धना के इसी भेद को ध्वनिरूप स्वीकार किया है। इसका विस्तृत विवेचन पूर्वाध्याय में हो चुका है।

१- प्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सूचकम् ।

पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम् ॥

-- दशरूपक (प्रथम प्रकाश)

पताकास्थानक के अतिरिक्त लक्षण अथवा नादयालंकार के रूप में ही भी अन्योक्ति का प्रयोग नाटकों में निर्दिष्ट किया गया है। किन्तु यह निर्देश, ऐद्वान्तिक परम्पराओं की ही पुष्टि करता है। जब हम प्रायोगिक दृष्टिकोण से नादयवाङ्मय का विश्लेषण करते हैं तो कथाप्रवाह में पैकों मोड़ दृष्टिगोचर होते हैं। वस्तुतः अन्योक्तियों का प्रयोग, इन्हीं मार्मिक स्थलों पर किया गया है। यद्यपि इन स्थलों पर अन्योक्तियाँ प्रायः कारणकार्य तथा सामान्य-विशेष भाव से ही सम्बद्ध हैं, तथापि गारूप्य निबन्धना भी यथास्थान प्राप्त होती है। भावकृत प्रतिज्ञायौगन्धरायण में उज्जैननरेश चण्डप्रद्योत द्वारा निगृहीत, महाराज उदयन को छुड़ाने के लिए उनके अमात्य यौगन्धरायण, गुप्तरूप से उज्जैन में डेरा डाल देते हैं। पूर्वयोजनानुसार उदयन छुड़ा लिये जाते हैं किन्तु उभी समय मयंकर संग्राम मच जाता है। ऐसी दशा में गात्रमेवक जो नकली ढंग से चण्डप्रद्योत का सेवक बना है, किन्तु वस्तुतः है वह यौगन्धरायण का चर, समस्त स्वपत्नीयों को ललकारता है --

नवं शरावं मल्लैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युद्धेयत ॥

-- प्रतिज्ञा० ४।३

प्रस्तुत पद्य में एक सामान्य उद्गार व्यक्त किया गया है कि स्वामी के लिए प्राणत्याग न करने वालों को अमुक अमुक वस्तु न प्राप्त हो। किन्तु वक्ता का अभिप्राय यह कभी नहीं है वरन् वह तो यह जताना चाहता है कि 'समस्त कौशाम्बी निवासी', राजा उदयन के लिए युद्ध करें। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में एक विशेष तथ्य ही प्रस्तुत है जो कि सामान्य विषय के निबन्धन से, व्यंजना द्वारा व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार 'दुःखी व्यक्ति को प्रसन्न बनाने के लिए संगीत(वीणा) ही सर्वोत्तम साथी है' इस सामान्य वृत्त के प्रस्तुत रहने पर विशेष तथ्यों का यह निबन्धन, विशेषनिबन्धना का रमणीय उदाहरण है --

उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः ।

संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥

उपर्युक्त उदाहरण, शूद्रक रचित, मृच्छकटिक प्रकरण(३।३) से उद्धृत किया गया है।

कारणनिबन्धना का उदाहरण, प्रतिज्ञायौगन्धरायण (२।३) में द्रष्टव्य है।

मम ह्यरवुरभिन्नं मार्गरेपुं नरेन्द्रा मुकुटतटविलग्नं मृत्यभूता वहन्ति ।

न च मम परितोषो यन्न मां वत्सराज? प्रणमति गुणशाली कुंजरज्ञानदृप्तः ॥

इस पद्य में मन्त्रियों द्वारा पूछा गया प्रश्न 'आप क्यों उदास हैं?' वस्तुतः कार्यरूप है, किन्तु वह वाच्य न होकर व्यंग्य है। उस कार्य की व्यंजना करने वाले कारण का निबन्धन

उपर्युक्त पद में हुआ है । जो कि अप्रस्तुतवाच्य है । इसी प्रकार 'कार्यनिबन्धना' का उदाहरण भासकृत प्रतिमानाटक (३।२) में देखिये --

द्रुमा धावन्तीव द्रुतरथगतिज्जीणविषया नदीवोद्वृत्ताम्बुनिपतति मही नेमिविवरे ।

अख्यकिर्नष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवलयं रजश्वाश्वोद्धतं पतति पुरतो नानुपतति ॥

इसमें वर्ण्यमान समस्त वस्तुओं का स्क्रमात्र कारण भरत के रथ की अत्यन्त तीव्र गति है जो प्रस्तुत है साथ ही साथ व्यंग्य भी । इसके विपरीत, पद्य में वर्णित कार्यरूप वाच्य अप्रस्तुत है ।

उपर्युक्त उदाहरणों में स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम नाटकों में भी अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद-प्रभेदों का प्रयोग, प्रभूत रूप में हुआ है । दण्डी ने वाच्य अप्रस्तुतप्रशंसा में व्यंग्य प्रस्तुतनिन्दा रूप जो अप्रस्तुतप्रशंसा स्वीकार की थी, वह भी प्रतिमानाटक में (२।१२) कहे गए कुमार भरत के इस उद्गार में प्राप्त होती है --

'धन्याः खलु वने वातास्तटाकपरिवर्तिनः ।

विचरन्तं वने रामं श्रे स्पृशन्ति यथासुरवम् ॥

प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत पवन की प्रशंसा से वक्ता (भरत-- प्रस्तुत) की अन्तर्मनोवेदना व्यक्त हो रही है, जिसकी उसकी आत्मनिन्दा का भाव भी स्पष्ट हो जाता है ।

कालिदास की नाट्य रचनाओं में पूर्व व्याख्यात चार भेदों की अपेक्षा, सारूप्यनिबन्धनाएं ही अधिक प्राप्त होती हैं । अन्योक्तियों का प्रयोग आत्मसन्तोष के लिए ही करता है । जब असहाय दशा में व्यक्ति-विशेष का कोई हितैषी नहीं रह जाता तब जब सांसारिक प्रवृत्तियों के थपेड़े उसके मर्मस्थलों को घायल कर देते हैं तब, वक्ता अपना सारा गुबार, अप्रस्तुत विधान की सहायता से लोक में प्रकट कर देता है । इस कार्य से उसे असीम सहानुभूति, आदिर्लभ आनन्द एवं जागतिक दुरवस्थाओं का सामना करने के लिए अपार नैतिक साहस प्राप्त होता है । कालिदास के नाटकों में नायक अथवा नायिका ऐसे ही परिस्थिति में प्राप्त होते हैं । मालविकाग्निमित्र नाटक में जब राज-महिषी धारिणी, मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणयलीला को जान लेती है और संयोगवश, सखी सहित उसे रंग हाथों पकड़कर कारागार में डाल देती है तो बेचारा विदूषक यह दुःखद समाचार राजा को सुनाता है । राजा स्वयं राजमहिषी से मयस्वीत है अतः वह कुछ कर भी नहीं सकता । केवल अन्यापदेश के बहाने अपना उद्गार व्यक्त करता है --

मधुरन्वरापरभृता भ्रमरी च विबुद्धवृत्तसंगिन्यौ ।

कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ॥

भाव स्पष्ट है, क्योंकि कौकिला तथा भ्रमरी , क्रमशः पालविका तथा बकुलावलिका के वृत्तवृत्त, राजा का कोटर कारागार का तथा प्रबलपुरोवाता धारिणी की प्रतीक है । अतः पद्य में वाच्य अप्रस्तुत से अग्निमित्र परक प्रस्तुतार्थ ही व्यंग्य हो रहा है ।

कालिदासकृत विक्रमोर्वशीय त्रोटक का अष्टम चतुर्थ अंक, अन्यापदेश शैली में लिखा गया है । उर्वशी के वियोग से उन्मत्त, राजा पुरूरवा को अपनी सुधि व बुधि नहीं रह जाती । वे मयूर, कौकिल, चक्रवाक, हाथी, भ्रमर, हंस, पर्वत, नदी, स्वं मृग को ही सम्बोधित करके अप्रस्तुत विधान के पहारे प्रिया का संदेश पूछते हैं । और चूंकि प्राकृतिक उपादान संवाद नहीं कर सकते, अतः बिना उत्तर पाए, नरेश मनोरुक्ल कथनोपकथन प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार सारा का पारा चतुर्थ अंक अन्योक्तियों में भरा है जो कि भावानुकूल आशा-निराशा, संगम एवं विरह भावों की द्योतक हैं । यह तथ्य अवधेय है कि इन अन्यापदेशों में वक्ता तथा बोद्धव्य दोनों ही प्रस्तुत हैं अतः ' अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृंगं आदि पद्यों की भांति , उनका स्वरूप आचार्य अप्यय प्रोक्त प्रस्तुताङ्कुर जैसा है । किन्तु है वो पूर्णतः अन्योक्ति जो कि पण्डितराज के मन्तव्यानुसार गर्वथा वस्तुध्वनि रूप हैं । हंस के प्रति व्यक्त की गयी , पुरूरवा की एक अन्योक्ति देखिये --

सरसि नलिनीपत्रेणापि त्वमावृतविग्रहां ननु सहवरीं दूरे मत्वा विरोषि स्मृत्युक्तः ।

इति च भवतो जायासैहात्पृथक्स्थितिभीरुता मयि च विधुरे भावः कान्ताप्रवृत्ति-
परामुखः ॥

यहां वक्ता (नरेश) और बोद्धव्य (हंस) दोनों ही प्रस्तुत हैं अतः प्रस्तुतोभय निबन्धना अन्योक्ति स्वीकार्य है ।

इसी प्रकार कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुन्तल के पंचमांक में भी रानी हंसपदिका का उपालम्भ स्पष्टतः अन्यापदेशरूप है --

अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य वृत्तमंजरीम् ।

कमलवसतिमात्रनिर्वृतो मधुकर । विस्मृतोऽस्येनां कथम् ॥

यहां रानी हंसपदिका स्पष्टतः भ्रमर वृत्तान्त(अप्रस्तुत) के बहाने, अपने को उपेक्षित करके वाले राजा दृष्टान्त को उपालम्भ कर देती है । तृतीयांक में गौतमी के आतेही राजा से

पृथग्भूत होकर शकुन्तला, एन्तापहारक लतावलय को सम्बोधित करके जो कुछ कहती है, वह अन्योक्ति रूप ही है। टीकाकार श्री राघवभट्ट ने यहाँ 'मनोरथ' लक्षण स्वीकार किया है जो कि अन्यापदेश रूप ही है। इसी प्रकार शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक में प्रवहण विपर्यय के कारण जब अभिचारिका वरन्त भेना शकार के पास पहुँच जाती है तो चेट का अधोनिर्दिष्ट कथन पूर्णतः सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति का ही स्वरूप धारण करता है --

शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनं हंसी हंसं परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ॥ मृच्छ० ८।१६ ।

महाराज हर्षकृत रत्नावली में अन्योक्ति का एक उदाहरण पीछे दिया जा चुका है। इसी प्रकार उनकी अन्य कृतियों-- नागानन्द तथा प्रियदर्शिका में भी अन्यापदेश प्राप्त होते हैं। प्रियदर्शिका के द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ तीनों ही अंकों में स्पष्टतः सारूप्यनिबन्धनारं प्राप्त होती हैं। द्वितीयांक में अभिनय वेला में महाराज उदयन तथा प्रियदर्शिका सम्बद्ध कुछ अन्योक्तियाँ इस प्रकार हैं--

घनबन्धनसंरुद्धं गगनं दृष्ट्वा मनाप्मेतुम् अभिलषति राजहंसो दयितां गृहीत्वात्मनो वसितम् ।
अभिनव रागाजिप्ता मधुकरिका वामकेन कामेन उत्ताम्यति प्रार्थयमाना द्रष्टुं प्रियदर्शनं दयितम् ।

--(प्रिय० ३।८-९)

इसी प्रकार अन्तिम अंक में --

संजातसान्द्रमकरन्दरसां क्रमेण पातुं गतश्च कलिकां कमलस्य भृंगः ।
दग्धा निपत्य सहसैव हिमेन वैषा वामे विधौ नहि फलन्त्यभिवाञ्छितानि ॥'

भी शुद्ध अन्योक्ति का उदाहरण है।

य इसी प्रकार मवभूति-प्रणीत मालतीमाधव के नवें अंक में उन्मत्त माधव द्वारा पवन से संदेश भेजने का प्रसंग पूर्णतः अन्योक्ति है^१। उत्तर रामचरित का 'पुरायत्र स्रोतः पुलिमधुना प्रमृति पद्य भी आचार्य जगन्नाथ द्वारा सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा रूप में स्वीकार किया गया है^२। विश्वासदत्त प्रणीत 'मुद्राराजासे' में श्लोक २।११ तथा ७।३

१- भ्रमय जलदानम्भोगभान्प्रमोदय चातकान् कलय शिशिनः केकौत्कण्ठान् कठोरय केतकान् ।

विरहिणि जने मूच्छां लब्ध्वा विनोदयति व्यथामकरुण पुनः संज्ञा व्याधिं विधाय --
किमीहसे ? --मा०मा०६।४२

२- सबिस्तर दृष्टव्य -- रसगंगाधर, द्वितीय आनन, पृ० ३८२-८३ (काव्यमाला-१२ सू१८८८)

स्पष्टतः अन्यापदेश इयं है । इसी प्रकार मदनारायण , सुरारि, राजशेखर, दिंडुनाम, जयदेव तथा दशम शती से लेकर आज तक के नाटककारों की कृतियों में अन्योक्तियों के समस्त भेद-प्रभेद ढूँढे जा सकते हैं ।

नाटकों के अतिरिक्त इसके अन्य प्रसिद्ध भेद भाण-व्यायोग तथा प्रहसन हैं । अन्य भेद जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है केवल तेरहवां शती में अमात्य वत्सराज द्वारा लिखे गये, सो भी संख्या में केवल एक-एक । भाण, व्यायोग, प्रहसन तथा उपरूपक के भी अनेक भेद, एकांकी नाटकों की कोटि में आते हैं । भाण साहित्य का उदय, उभयाभिसारिका से होता है जो सम्भवतः नन्दवंशीय अमात्य वररुचि द्वारा चतुर्थ शती ई०पू० में लिखी गई । शूद्रक कृत पद्मप्राभृतक (दूसरी शती ई०) ईश्वरदत्त कृत धूर्तवित्संवाद (५ वीं शती) श्यामिलक कृत पादताडितक (५वीं शती) वत्सराज कृत कर्पूरचरित, वामनभट्टबाण कृत शृंगारभूषण , वरदाचार्य कृत वन्ततिलक, रामभद्र दीक्षित कृत शृंगारतिलक, नल्लाकवि कृत शृंगार चरित, युवराजकृत 'रसदन' काशीनाथ कृत मुकुन्दानन्द तथा घनश्याम कृत मदन-संजीवनादि रचनाएं भाणों की परम्परा में ही आती हैं ।

संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्रहसनों में बोधायन कृत भगवदज्जुकीय, महेन्द्रवर्मनकृत मत्तविलास, शंखधर कृत लटकमेलक , वत्सराजकृत हास्यबुडामणि, महेश कृत सुवर्णमुक्तासंवाद , रामपाणिवाद कृत मदनकेतु चरित, सुन्दरराज कृत सुषाविजय अरुणगिरिनाथ कृत सोमवल्लीयोगानन्द तथा जगदीश्वर तर्कालंकार कृत हास्यार्णव आता है । भगवदज्जुकीय का समय विण्टरनिट्ज ने ५वीं शती ई०पू० नवीकार किया है । व्यायोग, भासकृत मध्यम व्यायोग से प्रारम्भ होते हैं । वत्सराज कृत किरातार्जुनीय प्रह्लादनदेवकृत पार्थपराक्रम, रामचन्द्र सूरि कृत निर्भयभीम, मौज्जादित्य कृत भीमपराक्रम, कवि नीलकण्ठ कृत 'कल्याणपोगन्धिक' : कंचनाचार्य कृत 'घनन्जयविजय' तथा सदाशिवकृत प्रचण्डभैरव आदि रचनाएं इसी परम्परा में हैं । इसके अतिरिक्त विरूपाक्षकृत उन्मत्तराघवप्रेक्षणक, सुमटकृत दूतांगद प्रभाकराचार्य प्रमरकाहली आदि रचनाएं एकांकी परम्परा में आती हैं ।

समाज के निम्नवर्गीय पक्ष का चित्रण करने के ध्येय से ही भाणों की रचना का विधान किया गया । आचार्य भरत के ^{मत के} अनुसार इसमें एक ही व्यक्ति दूसरे के वचनों को

१-द्रष्टव्य -- अनुजनअञ्जन द्वारा सम्पादित भगवदज्जुकीय की विण्टरनिट्ज कृत प्रस्तावना ।

२-नाट्यशास्त्र -- १८।१०८, ६, १० ।

को आत्मस्थ करके, उतरप्रत्युत्तर सहित व्यक्त करता है। आत्मस्थ करने की यह प्रक्रिया अन्यापदेशविधि को ही संकेतित करती है। इन भाण रचनाओं में विशेष करके वेशवाटी तथा उमें अनुरक्त लफंगों तथा आवारों के इतिवृत्त प्रस्तुत किये गये हैं। प्रत्येक भाण में प्रायः कोई विटविशेष (जो कि उसका नायक भी होता है) अपने किसी मित्र का पन्देश लेकर अथवा एकैतन्धान में भेंट कराने के ध्येय से नायिका के यहाँ चलाता है। रास्ते में वह एक कोर से दूसरे कोर तक वही हुई अपनी परिचित वेश्याओं से भेंट करता हुआ उन पर फबतियाँ काता हुआ, अथवा उनके घर में घुसे हुए न्माज के गारुण्डी धर्मध्वजों की मखौल उड़ता हुआ अन्त में लक्ष्य स्थान पर पहुँचता है। चतुर्भाषणी में ऐसे ही स्थलों पर अन्यापदेशों का प्रयोग प्राप्त होता है। क्योंकि अन्योक्ति के माध्यम से व्यंग्य क्रमेण पर किसी की आमने-सामने तौहीनी भी नहीं होती है साथ ही साथ लक्ष्यभूत पात्र, उस कटूक्ति से विदीर्ण भी हो उठता है। वामनभट्ट बाण कृत शृंगारभूषण में (१५वीं शती) किसी वेश्या द्वारा प्रताडित व्यक्ति के प्रति विलासशेखर विट का कथन देखिये -- सहजनिजवापलेन प्रमर-युवा तत्र तत्र कृतकेलिः कमलमुखि ! कस्य मान्यः कमलिन्ना गाढरोषमवधूतः ॥ इसी प्रकार रामभद्रदीक्षित कृत शृंगार तिलक (१७ वीं शती) में नायक मुंगशेखर द्वारा व्यक्त की गई वसन्त तथा मरुत सम्बन्धी अन्योक्तियाँ उत्कृष्ट अन्यापदेश पद्धति की परिचायक हैं --

जेतव्ये जगतां त्रयेऽपि तदलंकीर्णमेकं शरं तस्या यौवनकैतवेन मदनी लब्ध्वा कृती वर्तते ।
 प्रातः कस्य कृते वसन्त ! भवता बाणाः क्रियन्ते वृथा वापन्तीसहकारनील नलिनाशोकारविंदादयः
 वागश्चन्दनशीतलेषु मलयद्रप्रान्तेषु ते विभ्रुतस्त्वचैन्मारुत ! दावपावकसमस्पर्शोऽसि गात्रे मम ।
 न प्राप्तं किमु तत्र चन्दनगतं शैत्यं त्वया शीलता संसर्गेऽप्यथवा गुणो न महतां मूर्खेषु संक्रामति ॥
 किन्तु एक तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि ये पद्य जिस्थल पर व्यक्त किये गये हैं वहाँ नायक तथा पुरोवर्ती वसन्त एवं मरुत दोनों ही प्रस्तुत हैं। अतः यह अन्योक्ति, उभयप्रस्तुता का ही उदाहरण होगी।

काशीपति कवि का मुकुन्दानन्द भाण, अपने ढंग की एक विलक्षण रचना है, क्योंकि स्कतो यह 'मिश्रभाण' का उदाहरण है (क्योंकि इसमें संस्कृत प्राकृत दोनों का प्रयोग है) दूसरे, इस भाण की कथा, कृष्ण सम्बन्धी प्रतीकों के साथ चलती है। नायक मुंगशेखर, श्रीकृष्ण की भूमिका में आता है। अतः समस्त वर्णन कृष्ण गोपी परक हैं जो कि अप्रस्तुत वाच्य है। वस्तुतः प्रस्तुतार्थ इसमें मुंगशेखर परक अर्थ ही है जो कि व्यंजनया प्रतीक ही है। यह भाण वसन्त अन्यापदेश पद्धति में लिखा गया है। केवल एक

जन्मारम्य प्रतिकल्पगवारजोदर्शनं ते भ्राम्यन्भृंगः क्षणगणनया वासरानत्यनैषीत् ।

त्वं त्वद्भिन्ने रजणि मरुता दक्षिणेनासि मुक्ता सोढव्यं तत्कमलिनि कथं तेन लोकेन वापि ।।
प्रस्तुत पद्य में कली एवं भृंग वृत्तान्त रूपी अप्रस्तुतवाच्य के एक प्रस्तुतार्थ की व व्यंजना हो रही है । वस्तुतः विट, अपनी किसी प्रेयसी वेश्या के प्रति यह भाव व्यक्त कर रहा है ।
ऐसी प्रकार के उदाहरण अन्यान्य भाषा रचनाओं में भी द्रष्टव्य हैं ।

प्रहसन भी स्कान्की नाटक का ही रूप है । इसके पात्र दो प्रकार के होते हैं । एक तो तपस्वी, ब्राह्मण इत्यादि और दूसरे वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, घूर्ता तथा बन्धकी आदि । आचार्य भरत के अनुसार प्रहसन में प्रमुख प्रतिपाद्य 'लोकोपचारयुक्त' वाता होती है । प्रथम कोटि के पात्र रहने पर प्रहसन 'शुद्ध' अन्यथा 'पंकीर्ण' होता है । इस दृष्टि से मत्तविलास, चोमवल्लीयोगानन्द, दामकप्रहसन तथा सुवर्णमुक्ता आदि शुद्ध प्रहसन तथा अन्य मिश्र या पंकीर्ण के उदाहरण होंगे । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्राचीनतम प्रहसन बोधायन कवि द्वारा ई०पू० में लिखा गया जो कि नाट्यशास्त्रीय मान्यताओं का अतिक्रमण करने के कारण भरत के पूर्व का है ।

भाषाओं को ही भांति इन प्रहसनों में भी अन्यापदेशों का स्फुट निबन्धन प्राप्त होता है । भगवदज्जुकीय की रचना प्रतीकारात्मक शैली में हुई है ऐसा स्वयं उसके टीकाकार ने ग्रन्थ के अन्त में स्वीकार किया है । प्रतीकारात्मक पद्धति अनयोक्ति निबन्धन होने का आंशिक प्रमाण माना जा सकता है । इन प्रकार भगवदज्जुकीय में कारण कार्यादि अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद प्रायः प्राप्त होते हैं, किन्तु वे सब के सब दार्शनिक पृष्ठभूमि हो उपस्थित करते हैं । वत्सराज कृत हास्यबुद्धामणि में स्पष्टतः सांख्यनिबन्धनारं मिलती हैं । एक उदाहरण द्रष्टव्य है --

रथा रोलम्बून्यतया वृष्णीका कुमुमभूषणोन्मुक्ता ।

लद्यते कुन्दलता मुषितेव वरन्तचोरेण ।।

सुवर्णमुक्ता संवाद (जिसे प्रोफे० स्टेनकोनो अंक रचना मानते हैं) प्रहसन में सुवर्ण तथा मुक्ता की पारस्परिक उक्तिप्रत्युक्ति पूर्णतः अन्यापदेश पद्धति का संकेत करती हैं । अतः ग्रन्थ की दृष्टि से वे मूले ही प्रस्तुत हैं किन्तु यदि उन्हीं को 'मुक्तक' के रूप में स्वीकार कर लिया

१- द्रष्टव्य -- नाट्यशास्त्र १८।१०३-६ ।

२- -- अनुजन अच्वनकृत भगवदज्जुकीय संस्करण, त्रिवार (कोचीन स्टेट) १९२५ ई०

जाय तो सर्वथा अप्रस्तुत वाच्य बनकर किसी प्रस्तुत अर्थ के व्यंजक बन जाये -- एक पद्य में यह स्पष्ट हो जायेगा --

अथे मुक्ते मुग्धे ऽ लिलगुणगणापारनिचये मयि वर्षे गुज्जाम्बतुलनदोषः खलु कियान् ।
सुधासाराधारे निखिलजगदानन्दजनके कलानाथे किं वा भवति शशदोषस्य गणना ॥
इसी प्रकार जगदीश्वर कृत हा श्याणव का यह पद्य --

गतवति दिननाथे पश्चिमन्माधरान्तं शिशिरकस्मयूरवैर्निभरं दह्यमाना ।

परिहृतमिलितालिः पान्यकान्तेव मन्यकान्तेक दीना गादि कमलिनीयं हास्य-
हीना बभूव ॥

सपठ

सास्यनिबन्धना का उत्कृष्ट उदाहरण है । इसी प्रहसन में समासोक्ति मूलक सास्यनिबन्धना का भी एक उदाहरण द्रष्टव्य है --

अन्यत्र वांक्षितनिशं परिलोहितांगमन्यांगनागतमिवागतमुष्णरश्मिम् ।

प्रातर्निरीक्ष्य क्षुपितेव हि पद्मिनीयमुत्फुल्लहल्लकसुलोहितलोचनाभूत ॥

इस पद्य में लोहितलोचना, वांक्षितनिशं तथा परिलोहितांग प्रभृति विशेषण इत्यर्थक हैं ।

किन्तु यह पद्य अप्रस्तुतवाच्य रूप हैं, जिसे कि प्रहसन मन्बन्धी पात्र व्यंजित हो रहे हैं ।

'मदनकेतुचरित' के अन्यापदेश प्रायः अभिनवप्रोक्त ध्वनि के समीप है, क्योंकि इसमें असंभाव्य प्राकृतिक उपादानों का निबन्धन किया गया है । उदाहरणार्थ --

'केतकीकुसुमगर्भसम्भृतां माधुरीजितसुधां मधूलिकां कण्टकावलिपरिजततोऽपि सन्नैव मुंचति कृती
मधुव्रतः ॥'

प्रतिपाद्य की दृष्टि से 'व्यायोगः' भाण एवं प्रहसन से सर्वथा पृथक् है क्योंकि प्रहसनाविक्त व्यायोग का लक्ष्य समाज की निम्नवर्गीय कुरीतियों का प्रदर्शन नहीं है वरन् आचार्य अभिनव के शब्दों में 'व्यायामे युद्धप्राये नियुध्यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोगः अर्थात् व्यायोग में बाहुयुद्ध, वीररौद्रादिरस तथा ओजोगुण का प्रदर्शन होता है । भाण तथा प्रहसन में इसका साम्य केवल यही है कि उन दोनों की भांति यह भी 'स्काहचरित' से युक्त होता है । किन्तु नायक इसमें 'विटादि' न होकर कोई उदात्तनायक ही होता है ।

संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम व्यायोग, महाकवि मास द्वारा लिखा गया है । इन व्यायोगों में भी सुन्दर अन्यापदेश प्राप्त होते हैं । वत्सराज प्रणीत किरातार्जुनीय में किरातवेषधारी शंकर को फटकारते हुए अर्जुन का यह पद्य मुक्तक रूप में ग्रहण करने पर अन्यापदेश का उत्कृष्ट उदाहरण होगा --

आप्रत्यूषप्रदोषं विपिनविहरणैरामिपाहारकारः प्रालेयात्यन्दकल्पं परिपिबसि मुहुर्नैफरं
वच्छम्भः ।

धिदत्त्वां धिदत्त्वां किरात । क्षिपत्किमुपदं वर्त्मनि क्षत्रियाणां प्राणप्रेमानपेक्षो नहि
नहि भवति त्वाहृशामेष योग्यः ॥

प्रस्तुत पद्य में (यदि इस ह्म अर्जुन का कथन न मानकर स्वतन्त्र ही चिकार करें) एक अप्रस्तुत
वस्तु का विधान किया है, जिसका कि पर्यवसान, अनधिकारवेष्टा करते हुए किसी व्यक्ति
विशेष के वृत्त में सम्भव है । यदि इसी पद्य में कहीं अर्जुन शब्द वाच्य होता तो पद्य की
अप्रस्तुतता निश्चय ही विनष्ट हो जाती और अन्योक्ति भी न हो पाती । रामचन्द्रसूरि
(१२ वीं शती) कृते निर्मयमीम व्यायोगे में स्वतन्त्र अन्यापदेश भी प्राप्त होता है --

रणे शौण्डीराणां रिपुविजयहेतुर्मुज्युगं गजाश्वं तु द्वेषिप्रतिमयकृते डम्बरविधिः ।

स सारंगः कच्चित् करटिकटकृटानि कुरुते कुरगेन्द्रः शश्वन्मुषितमदलेखान्यधिवनम् ॥
इस पद्य में भीमपरक अर्थ ही प्रस्तुत है । इसी प्रकार अन्यान्य ग्रन्थों में भी अन्यापदेश
अन्वेषणीय हैं ।

महामात्य वत्सराज की ईहामृग-ञ्जि तथा समकार रचनाओं में भी अन्योक्तियाँ
मरी पड़ी हैं । रुक्मिणी परिणय (ईहा०) में कृष्ण को उत्साहित करने वाली यह
अन्योक्ति कितनी समणीय है --

यामानिमान्कतिपयानपराम्बुराशिमौघस्थितो गमय मीलितरश्मिनेत्र ।

सूर्य प्रसीद । पुनरभ्युदयाधिरुद्धः प्रह्लादयिष्यसि जगन्नवकान्तिकान्तः ॥

सूर्यवृत्तान्त प्रस्तुत श्लोक में पूर्णतः अप्रस्तुतवाच्यरूप है तथा कृष्णपरक अर्थ प्रस्तुत व्यंग्य ।

पन्द्रहवीं शती में, विजयनगर के नरेश श्री विष्णुपादा देव ने उन्मत्तराघव नामक
स्क प्रेक्षाणक स्कांकी की रचना अन्यापदेशपद्धति में की । विक्रमोर्वशीय के चतुर्थीक की ही
भांति प्रस्तुत स्कांकी में भी शृंगाररस तथा उन्माद संज्ञक व्यभिचारीभाव का प्रयोग किया
गया है । रावण द्वारा सीता के हर लिये जाने पर भगवान राम उन्मत्त की तरह, कोकिल
रसाल, रक्तशोक, मयूरशाब, चम्पक, केसर, बकुल, प्रियाल, कुरबल, तिलक, पुन्नाग, मन्दानिल
शुक, कृष्णसार, पलाशवन, प्रमर, गोदावरी, मात्स्यवान गिरि, मातंग, मेघ, पम्पा, हंस
तथा रथांगमिथुन प्रमृति प्राकृतिक उपादानों से वैदेही वृत्तान्त पूछते हैं । इन स्थलों पर कवि
ने उमयप्रस्तुता अन्योक्ति का अत्यन्त मर्मस्पर्शी प्रयोग किया है । केवल एक उदाहरण से
यह तथ्य स्पष्ट किया जाता है जहाँ कि श्रीराम अपनी समस्त वृत्तियों का वर्णन प्रमर
वृत्तान्त के व्यास से प्रस्तुत करते हैं --

वृत्तान्तान्कृत्वा गुञ्जन्मुपैतिनिवर्तते विरच्यति न स्वादौ पुष्पासवेऽपि कुतूहलम् ।

वृत्तान्तान्कृत्वा गुञ्जन्मुपैतिनिवर्तते विरच्यति न स्वादौ पुष्पासवेऽपि कुतूहलम् ।

इस प्रकार रूपक तथा उपरूपक के भेदों में अत्यन्त संज्ञान्तर रीति से अन्यापदेश निबन्धन देखा गया । वस्तुतः संग्रहों में प्राप्त इन कवियों की अन्योक्तियाँ यहाँ सूचित करती हैं कि ये कवि अन्यापदेश रचना में अत्यन्त निपुण थे । इसी कारण वे मुक्तक के रूप में भी अन्योक्तियों लिखते थे, गद्य ही गद्य, अपने काव्य ग्रन्थों में भी उनका निबन्धन करते थे । अनेक कवियों ने तो समय-समय पर प्रणीत अपनी मुक्तक रचनाओं को काव्यों में भी निबद्ध कर दिया है । महाकवि माघ में यह प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती रही है । रूपकों तथा उपरूपकों के प्राप्त होने वाले भेदों में भाव-वस्तु-आदि के वर्णन में कवियों ने अपने पूर्व प्रणीत मुक्तकों का यदुपयोग किया है, इसका प्रमाण यही है कि उन मुक्तक पद्यों को हटा लेने पर भी कथाप्रवाह में कोई बाधा नहीं आती । मान-एवं कालिदास के ग्रन्थों में भी अन्यापदेशों के अस्तित्व से उनकी प्राचीनता सुस्पष्ट हो जाती है । अब सौदाग में ही श्रव्यकाव्यों में अन्यापदेशनिबन्धन का विचार कर लिया जाय ।

संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की परम्परा मुख्यतः कालिदास की कृतियों से ही प्रारम्भ होती है, यद्यपि इसका उदय पाणिनि के 'पातालविजय' से ही प्रारम्भ होता है । कालिदास के पश्चात् इस परम्परा में अश्वघोष, मट्टि, भारवि, माघ, कुमारदास, मर्तुमैष्ठ, जेमेन्द्र, श्रीहर्ष, बिल्हण, मंखक, रत्नाकर आदि महाकवियों की रचनाएं आती हैं । इन महाकाव्यों अथवा खण्डकाव्यों में अन्योक्तियों का उन्मुक्त प्रवाह स्थान स्थान पर प्राप्त होता है । गीतकाव्य, जिसका प्रधान उदाहरण श्रीजयदेव कवि प्रणीत गीतगोविन्द है तथा सन्देशकाव्य, जिसकी प्राचीनतम सीमा कालिदास कृत मेघ-सन्देश है, सब के सब काव्य कृति के ही रूप विशेष हैं । सन्देश काव्यों तथा दूतकाव्यों में प्रायः एक ही परिपाटी का आश्रय लिया गया है, केवल उनमें संज्ञा का भेद है । इस प्रकार इन काव्यकृतियों का आनन्त्य देखते हुए, यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि रूपक भेदों की भांति इनका भी स्वरूपः विवेचन करना विशेष उपयोगी नहीं । क्योंकि रूपक के भेदों की भांति, महाकाव्य

१-वस्तुतः गीतकाव्य जैसी कोई वस्तु संस्कृत में है ही नहीं और इसी कारण गीतगोविन्द (सर्गबद्ध होने के कारण) न तो खण्डकाव्य है न गीतिपरकनाट्य (*lyrical Drama*) है और न रूपकात्मक गीत (*Dramatic Lyric*) ही है । इन शब्दों या शीर्षकों का प्रयोग तथा गीतगोविन्द का उनमें अंतर्भाव, आधुनिक आलोचकों ने केवल पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र से प्रभावित होकर ही किया है । किन्तु इस प्रयोग में कोई भी औचित्य नहीं है । गीतगोविन्द, जैसा कि डा० कीथ ने भी स्वीकार किया है, जयदेव की एक विलक्षण काव्य-रचना है, जो कि किसी पौरस्त्य अथवा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की विभाजक रेखा के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती । प्रस्तुत प्रसंग में केवल, संगीततत्त्व अथवा गेयत्व प्रधान होने के कारण ही गीतगोविन्द को गीतकाव्य कहा गया है न कि पाश्चात्य *Lyric* का पर्याय

एवं खण्डकाव्य में कोई मौलिक भेद नहीं है । गहलित्यदर्पणकार ने स्पष्टतः 'काव्यैकदेशानु-
गारी' रचना को खण्डकाव्य कहा है । अतः किने व्यक्ति के प्रायेण स्मस्त जीवन का
परिचायक ग्रन्थ ही महाकाव्य रूप होगा, जब कि उनी व्यक्ति के जीवन की किसी
मर्मस्पर्शी घटना को लेकर लिखा गया इतिवृत्त, खण्डकाव्य होगा । इत अथवा पन्देश काव्य में
भी स्कदेशीय कथा का ही निबन्धन होता है, किन्तु केवल वर्णना को एक विशिष्ट परिपाटी
अपना ली जाने के कारण, इसे 'दूतकाव्य' को संज्ञा दी गई है । गीतकाव्य में गीततत्त्व
का ही प्राधान्य रहता है । इनी प्रकार अन्योक्तिकाव्य, सुभाषितकाव्य, त्रौत्रकाव्य
आदि की भी अपनी पृथक् सत्ता नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से मुक्तक पद्यों के ही संकलन
मात्र होते हैं । अतः पद्य के मुख्य भेद दो ही स्वीकार्य हैं -- महाकाव्य तथा खण्डकाव्य ।

यद्यपि अन्यापदेशों के भेद-प्रभेदों का प्रयोग, किसी भी कवि से छूटा नहीं है,
किन्तु कुछ कवियों की रचनाओं में उनकी अतिशयता दृष्टिगोचर होती है । महाकवि
कालिदास कृत कुमारसम्भव के चतुर्थ सर्ग में स्थित रतिविलाप तथा रघुवंश के अष्टमसर्ग में स्थित
अजविलाप, के स्काध पद्य यदि मुक्तक के रूप में ग्रहण किये जायं तो स्पष्टतः अप्रस्तुतवाच्य
से किसी न किसी प्रस्तुतार्थ की व्यंजना कराने के कारण अन्यापदेश रूप होंगे । उसी प्रकार
रघुवंश के नवम सर्ग का वसन्तावतरणपरक पद्य (कुसुमजन्म ततो नवपल्लवा आदि) तथा
मृगयालु नरेश दशरथ की कुरंग मिथुन पर दया परक पद्य (लक्ष्मीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः
आदि) भी जब मुक्तक रूप में गृहीत होंगे तब अप्रस्तुत या प्रस्तुत बनकर किसी अन्य, अम्युदय
एवं दया दर्शन परक वृत्तान्तों की व व्यंजना करेंगे । तेरहवें सर्ग में पुष्पक से लौटते हुए
भगवान राम द्वारा सीता के प्रति ऋद्र की ऋद्धि का वर्णन भी प्रायः पारूप्यनिबन्धना
की ही तरह का है । केवल वक्ता के लक्ष्य का भेद है । महाकवि माघकृत 'शिष्टपालवध' के
दूसरे तथा ग्यारहवें सर्ग में जो वर्णन कवि द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनमें ने अनेक अन्यापदेश
रूप हैं । व्यक्तिविशेष की दयनीय परिस्थिति की व्यंजना करने वाले एक प्रमात वर्णन से
यह भाव स्पष्ट हो जायेगा --

कुमुदवनमपत्रि श्रीमदम्भोजषण्डं त्यजति मुदमुल्लूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः ।

उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिनिहतानां हा विचित्रो विपाकः ॥

लगभग ११ वीं शती के अन्त में कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द्र के राज्यकवि श्रीहर्ष ने
नैषधीय महाकाव्य की रचना की । लालित्यलसित ह्य विशाल महाकाव्य में अन्यापदेशों
का भरपूर प्रयोग हुआ है । चतुर्थ सर्ग में, दम्बन्ती द्वारा कहा गया, चन्द्रोपालम्भ तथा
अन्यापदेशों का प्रयोग सायं वर्णन बहुत कुछ अन्योक्ति शैली में लिखे गये हैं --

उदाहरणार्थ --

हृदयमाश्रये यदि मामकं ज्वलयतीत्यमनंग । तदेव किम् ।

अयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः क्व भवितामि हताश हुताश्रयः?

प्रस्तुत पद्य में अनंग के प्रति दिया गया उमालम्भ किसी भी अमानेतिवृत्त का व्यंजक बन सकता है अथवा यह पद्य किसी ऐसे नीच मित्र के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो रहता तो किसी व्यक्ति विशेष के आश्रय में है किन्तु उर्गा व्यक्ति विशेष के विनाशार्थ प्रयत्नशील भी है । उसे यह चिन्ता बिलकुल नहीं है कि शरण्य के विनाश के साथ ही साथ वह भी अश्रय विनष्ट होगा । इसी ग्रन्थ के उन्नीसवें सर्ग में किसी प्रस्तुत मिथुन की व्यंजना करने वाले, इस पद्य को देखिये --

तटतरुखगन्धेणिसाराविणैरिव साम्प्रतं सरणि विजगलन्निद्रामुद्राजनिष्ट सरोजिनी ।

अधरसुधया मध्ये मध्ये वधूमुखलब्धया घयति मधुपः स्वादुंकारं मधूनि परोरुहाम् ॥

इसी प्रकार प्रस्तुत सर्ग के ३३ वें तथा ३४ वें पद्य में भी अन्यापदेशपद्धति द्रष्टव्य है । परवर्ती युग में प्रणीत अमृत महाकाव्यों तथा खण्डकाव्यों में इसी प्रकार विविधभावों को प्रकट करने वाली अन्योक्तियां प्राप्त होती हैं । विषय वैविध्य का विचार अगले अध्याय में किया जायेगा ।

अनेक विद्वानों की यह धारणा है कि द्विसन्धानात्मक सन्देशकाव्यों में भी अन्योक्ति पद्धति है । किन्तु यह धारणा निराधार है । प्रथम अध्याय में ही इस विषय पर पाश्चात्य तथा पौरस्त्य दोनों ही दृष्टियों से विचार करके यह निर्णय दिया गया है कि समस्त रूपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक कृतियां, अन्योक्तिशैली से भिन्न हैं । इसी दृष्टि को अपनाने के कारण नाटकों के प्रसंग में प्रतीकात्मकनाटकों से अन्योक्ति के उद्धरण नहीं दिये गये हैं क्योंकि वे अन्योक्ति रूप हैं ही नहीं । 'हंसदूत' जैसे दूत या सन्देश काव्य जिनमें प्रस्तुत कथा के साथ ही साथ हंस को आत्मा रूप में कल्पित करके कवि ने दार्शनिकता का भी उपस्थापन किया है, अन्यापदेश से पूर्णतः भिन्न है । आवश्यक नहीं कि पुनः अन्योक्ति के स्वरूप का विवेचन किया जाय । अतः अन्योक्ति पद्धति के अस्तित्व परिज्ञानार्थ अन्वेषक की दृष्टि का, उसके स्वरूप ही केन्द्रित होना आवश्यक है ।

आख्यायिका की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अन्त में एक महत्त्वपूर्ण बात कही है -- 'आर्या कवत्रापवत्राणां हृन्दसा येन केनचित् अन्यापदेशेनाश्वासमुसे भाव्यर्थ-सूचनम् । परि० ६ इस कारिका से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि आख्यायिका में प्रत्येक आख्यायिका के आरम्भ में एक ऐसी अन्योक्ति का प्रयोग होना आवश्यक है जिससे कि उस

आरवास में प्रतिपाद्यत घटना प्रत्युतार्थ के रूप में व्यंग्य हो उठे । वस्तुतः आख्यायिकों में होता भी यही है । यदि हम हर्षचरित देखें तो प्रतीत होगा कि वास्तव में महाकवि वाणभट्टने प्रत्येक उच्छ्वास के प्रारम्भ में अन्योक्ति का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ, हर्षचरित के पंचम उच्छ्वास का प्रारम्भ इन प्रकार है --

नियतिर्विधाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारुणं दुःखम् ।

कृत्वा लोकं तरला तडिदिव वज्रं निपातयति ॥

किन्तु नियतपरक इस अप्रस्तुत अर्थ से स्पष्टतः महाराज प्रभाकरवर्धन की भावी मृत्यु की व्यंजना की गयी है जो कि पांचवें उच्छ्वास का हो वर्ण्य विषय है अतः प्रस्तुत रूप है ।

कथा का आख्यायिका से पैदान्तिक भेद है । यद्यपि आचार्य दण्डी ने स्पष्टतः कहा है कि -- 'तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञायुक्ता' अर्थात् दोनों एक ही हैं, केवल नाम भिन्न हैं । किन्तु यह अवधेय तथ्य है कि आर्याओं का विधान कथा में भी किया गया है । लोककथा (बृहत्कथा-बृहत्कथासंग्रह, बृहत्कथामंजरी, कथापरित्सागर आदि) जन्तुकथा (पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि) आदि भी कथा ही के रूप विशेष हैं । जन्तुकथा को हा प्रायः 'नीतिकथा' भी कहा जाता है । क्योंकि प्राकृतिक उपादानों, पशुओं एवं पक्षियों को भी सजीवरूप में चित्रित करके इन कथाओं के अन्त में कोई न कोई सदुपदेश अवश्य दिया गया है । जन्तुकथाकारों ने अपने प्रतिपाद्य वर्णन में भिन्न भिन्न आकरग्रन्थों से पद्य भी उद्धृत किये हैं जिनमें कि यथास्थान अन्यापदेशों का निबन्धन प्राप्त होता है । पंचतन्त्र के मित्रभेद भाग में, एक उदाहरण देखिए :-

'जातस्य नदीतोरे तस्यापि तृणस्यजन्मपाफल्यम् ।

यत्सलिलमज्जनाकुलं जनहंतालम्बनं भवति ॥'

प्रस्तुत पद्य में तृणवृत्तान्त से व्यंजनाया दमनक शृगाल का इतिवृत्त भाषित हो रहा है । इसी प्रकार मित्रभेद की दूसरी कथा में सजीवक बैल के पौरुष एवं धैर्य की व्यंजना करने वाले इस अन्यापदेश को देखिए --

'गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धरागमत्प्रमद्मरपादतलाहतोऽपि ।

कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नागस्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति ॥'

चम्पू गद्यपद्यमयो रचना को ही कहते हैं । अतः इस दृष्टि से हममें कोई विशेष नवीनता नहीं है । क्योंकि चम्पू का इतिवृत्त काव्य के अन्य भेदों की ही भांति कोई प्रख्यात राजर्षिचरित, अथवा महत्त्वपूर्ण उत्पाद्य कथा ही होता है । अन्यापदेशों के निबन्धन इन ग्रन्थों में भी प्रायः प्राप्त होते हैं ।

काव्य के विविध रूपों में प्राप्त होने वाले अन्यापदेशों का छिटपुट विवेचन किया गया । वस्तुतः यदि आचार्य भरत (ई०पू० दुसरी शती) तथा बीसवीं शती ई० के बीच में प्रणीत किये गये रूपां उग्ररूपों तथा श्रव्यकाव्य के पूर्वविवेचित भेद-प्रभेदों में प्राप्त होने वाली अन्योक्तियों का विषय तथा कर्ता की दृष्टि से अंकन किया जाय तो लाखों पृष्ठ अज्ञात हो जायेंगे । इस प्रकार अन्योक्ति वाङ्मय तथा उनके कर्तारों की इयता का निर्धारण एक कल्पनामात्र है । फिर भी प्रस्तुत शोध में अन्योक्ति के विषय एवं प्रणेतृ वर्ग को एक सीमित दायरे में ही स्थित मानकर उनकी सम्भाव्य उद्धरणों प्रस्तुत की गई है । पूर्व योजना के अनुसार संग्रहग्रन्थों तथा दृश्यश्रव्य इन द्विविध काव्य भेदों में अन्योक्ति का अस्तित्व देखा जा चुका । अब स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की परम्परा तथा विद्वानों का प्रामाणिक विवरण देना अंशित है ।

किन्तु उस नवीन विषय को प्रारम्भ करने के पूर्व ही एक तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना अत्यन्त आवश्यक है । काव्य के विविध भेदों के विवेचन में अन्योक्ति के दो रूपों का उल्लेख पहले किया गया है । एक तो यह कि कहीं-कहीं कोई पद्य मौलिक रूप में अर्थात् 'अन्यापदेश वैशिष्ट्यों' में संयुक्त होने के कारण स्वयं अन्योक्ति-रूप होता है । किन्तु कहीं-कहीं वह पद्य, प्राप्त-प्रसंग अथवा प्रतिपाद्यभूत कथा से पृथक कर लिये जाने पर ही 'अन्यापदेश' बनता है । वस्तुतः काव्य के प्रतिपाद्य की दृष्टि से देखने पर वह अन्योक्ति-रूप नहीं होता । अन्योक्ति के इन दोनों रूपों में प्रथम स्वरूप जहाँ उसका अधिकार-क्षेत्र है वहाँ दूसरा केवल उसकी संभावनाभूमि । अतः अन्योक्ति सम्बन्धी इस पूर्वोक्त संभावना का यह अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए कि प्रत्येक काव्य के पद्य-मुक्तक के रूप में गृहीत किये जा सकते हैं और इसी कारण वे 'अन्योक्ति' में भिन्न नहीं हैं । ऐसी धारणा वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की साहित्यिक चेतना के विरुद्ध है । अतः निश्चित है कि पूर्वव्याख्यात काव्यों के तत्त्व श्लोक सर्वथा अन्योक्ति नहीं हैं किन्तु यदि वे 'मुक्तक रचना के अंश होते तो उनका 'अन्योक्ति' होना सर्वथा निश्चित था । इस प्रकार अन्योक्ति होने की इस संभावना मात्र से उसकी निरपेक्षस्थिति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, क्योंकि दोनों के क्षेत्र पूर्णतः एक दूसरे के पृथक हैं ।

(ग) स्वतन्त्र अन्यापदेशग्रन्थ

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, संग्रह ग्रन्थ अथवा स्वतन्त्र अन्यापदेशग्रन्थ ~~संग्रहों~~ के ही संग्रह होने के कारण श्रव्यकाव्य के अंगविशेष हैं । किन्तु केवल शोध विषय के

पार्थक्य का ध्यान रखकर ही अन्य काव्यप्रभेदों में उनको मिलान नहीं की गई है । ठीक वही प्रकार ग्रंथ तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ दोनों ही मुक्तक संकलन होने के कारण एक रूप हैं । किन्तु उन ग्रन्थों में संकलित गमगी के स्वरचित एवं पररचित होने की दृष्टि से हो, उनका भी पृथक विवेचन किया जा रहा है । यह भी पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है कि प्र प्रतिपादन ही की दृष्टि से काव्य के भेदों (दृश्य एवं श्रव्य) में अन्योक्ति का स्थान गौण, तथा संग्रहादिकों में मुख्य है । संग्रह तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में भी स्वतन्त्र ग्रन्थ एकमात्र अन्योक्तियों से ही निर्मित हैं जब कि संग्रहों में अन्योक्तियों का संकलन अनेक अन्य विषयों के साथ की गयी है ।

स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की परम्परा वस्तुतः पातवाहन नरेश हाल (ई०पू० ७८ ई०) कृत 'गाथा-स्तम्भ' से प्रारम्भ होती है जोकि प्राकृत भाषा में प्रणीत कवि की स्वरचित सात सौ० मुक्तक गाथाओं का संकलन है । प्राकृत में गाथा का वही स्थान है, जो कि संस्कृत में 'गाथा' का । वस्तुतः गाथा अथवा आर्या छन्दों के एक रूप विशेष है । किन्तु चूंकि प्रस्तुत शोध विषय पूर्णतः लौकिक संस्कृत साहित्य (Classical Sans.

Krit literature.) से ही सम्बद्ध है, इसलिए अन्योक्ति का प्राचीनतम स्वतन्त्र ग्रन्थ महाकवि मल्लट प्रणीत 'मल्लट शतक' ही स्वीकार किया जाना चाहिए चूंकि इस ग्रन्थ में प्राचीन कोई भी उस कोटि का अन्य ग्रन्थ नहीं प्राप्त होता अतएव स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की परम्परा का उदय नवीं शती ई० मान्य है जो कि मल्लटशतक की रचना का युग है ।

अन्योक्ति विषयक स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी संख्या कम नहीं है किन्तु जैसा कि इनकी स्थिति पर अध्यायारम्भ में ही प्रकाश डाला गया है, सब में के सब आज उपलब्ध नहीं होते । कुछ का कर्तृत्व मन्दिग्ध है, तो कुछ कर्तृत्व अस्पष्ट होने पर ही खण्डित है । इसी प्रकार उनकर विवेचन में अन्यान्य कठिनाइयां भी हैं । किन्तु इस स्थल पर विवेचन सौन्दर्य की दृष्टि से उनके दो भाग किये जाते हैं -- प्रकाशित तथा अप्रकाशित । प्रकाशित ग्रन्थों में वे समस्त रचनाएं जो पत्र-पत्रिकाओं अथवा स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में छपी हैं । इसी प्रकार अप्रकाशित ग्रन्थों में समस्त पाण्डुलिपियां आयेंगी, चाहे वे खण्डित हों अथवा सम्पूर्ण । इन दोनों ही वर्गों के विवेचन में प्रणेता कवि के साहित्यिक जीवन का यथासम्भव परिचय तथा रचनाओं के प्रतिपाद्य का अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।

१- महाकवि मल्लट (नवीं शती ई०)

सम्बन्ध संग्रह ग्रन्थों में मल्लट का नाम प्रायः उद्धृत किया गया है । किन्तु कवि का विस्तृत परिचय देने वाला कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त होता । मल्लट कवि के पद्य को उदाहृत करने वाले प्राचीनतम व्यक्ति सम्भवतः लोचनकार श्री अभिनव गुप्त हैं जिन्होंने प्रथमोद्योत में अप्रस्तुतप्रशंसा की व्याख्या करते हुए मल्लट कवि के 'स्तनस्य मुखात्' प्रमृति ६४ वें पद्य को उद्धृत किया है । इसमें सिद्ध है कि मल्लट की परवर्ती सीमा ग्यारहवीं शती का पूर्वार्द्ध है (जो कि लोचनकार का साहित्यिक युग माना जाता है) मल्लट कवि के पद्य इसी प्रकार काव्यप्रकाश, काव्यानुशासन तथा क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं ।

राजतरंगिणी की पांचवीं तरंग में प्राप्त प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि महाकवि मल्लट, कश्मीरनरेश शंकरवर्मा के राज्यकाल में थे । सम्भवतः वे उक्त नरेश के राजकवि भी रहे । क्योंकि वृद्धावस्था में राजाशंकरवर्मा के अनाचारों का हवाला देते हुए कल्हण ने कहा है --

त्यागभीरुतया तस्मिन् गुणि संगपरामुखे आपेवन्तावरा वृत्तीः कवयो मल्लटादयः ॥

५।२०४ ।

अर्थात् राजा शंकर वर्मा ने अपव्यय से मयभीत होकर गुणी व्यक्तियों का समागम ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पारितोषिक देना पड़ता था । फल यह हुआ कि राजा के आश्रय में रहने वाले मल्लट कवियों ने छोटे मोटे उद्योगों से जीविका चलाना प्रारम्भ किया । कल्हण के इस प्रामाण्य क में मल्लट की ऐतिहासिकता में कोई शंका नहीं रह जाती । तरंगिणीकार के याद्यानुसार शंकर वर्मा राजा अवन्तिवर्मा (ई० ८५५ से ८८३ तक) का ही एकमात्र पुत्र था जिसका राज्यकाल सन ८८३ से ९०२ ई० तक है । अतः मल्लट कवि का भी साहित्यिक जीवन नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

जैय्यट, कैय्यट, उद्दमट, रुद्रट, तथा अल्लट, मम्मट आदि नामों के ही साम्य पर मल्लट सरीखी संज्ञा से यह तथ्य भी सिद्ध हो जाता है कि कवि की जन्मभूमि कश्मीर ही रही होगी । काव्यमाला चतुर्थ गुच्छ के सम्पादकों ने इसी सूचना दी है कि मल्लट नाम को निरर्थक मान कर कुछ विद्वान् कवि का शुद्ध नाम 'मट्टमल्ल' अथवा 'मल्लमट्ट' मानते हैं । किन्तु जैसा कि विद्वान् सम्पादकों ने स्वयं स्पष्ट किया है, यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि ऊपर उद्धृत किये नाम, इस दृष्टि से कोई भी सार्थक नहीं है । मट्टमल्ल स्वयं एक प्राचीन वैयाकरण

हो चुके हैं जिनका नाम मल्लिनाथ ने महाकाव्य (२।६८) की टीका में उद्धृत किया है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि 'मल्लट' कोई गंदिग्ध संज्ञा नहीं है वरन् इस नाम के एक महाकवि राजाशंकर वर्मा के राज्यकाल में थे।

अथावधि प्राप्त होने वाले कवि के ग्रन्थ में कुल १०८ पद्य हैं। ग्रन्थ का नाम 'मल्लटशतक' है। इसके प्रथम दो पद्य मंगलाचरण रूप हैं, जिनके बाद एक सौ छः अन्योक्तियों का संकलन किया गया है। इस शतक के अनेक पद्य विभिन्न संग्रहग्रन्थों में विभिन्न कवियों के नाम मद्ध दिये गये हैं जिसे संग्रहकारों के अनवधान का ही परिणाम माना जा सकता है। ग्रन्थ में छन्दों की विविधता भी है। प्रतिपाद्य विषय इस क्रम में है -- सुर्या, कालकूट, मन्मणि, श्री, तृष्णा, रवि, कीटमणि, क्रोष्टा, चातक, शिशु, भ्रमर, वक, काक, करम, कमलाल, कमल, स्थलकमल, शंख, चन्दन, कल्पतरु, खदिर, ताल, बर्बर, नारिकेल, घन, ऊषर, अम्बुधि, म्फटिकमणि, चिन्तामणि, इडा, मरुत्थल, पांसु, दन्दशूक, शेष, श्वान, विशिख, नीच, हेमकार, अन्धकूक, शतपदी, लुब्धकबाल, जलबिन्दु, तृणपुरुष, पुरुषोत्तम, काचवणिक, वृषदंश, मृणाल, रजनी, प्रदीप, काष्ठिक, जाल्म, चन्द्र, अगस्त्य, स्वपदा, जड, विषमन्त्री, व्याध, पवन, मनस्वी, विद्युत, वेताल, मृग, गज, नरेश तथा शुक।

उपर्युक्त ६५ विषयों में अनेक ऐसे भी हैं जिनका लक्ष्य बहुमुखी है अतः यदि उन्हें दूसरे पदा की ओर उन्मुख समझा जाय तो वे तद्विषयक अन्योक्तियों के उदाहरण बन जायेंगे। मल्लट शतक के ही पद्यों का भाव लेकर परवर्ती युग में, अनेक कवियों ने समरूप अन्यापदेशों का निर्माण किया, अतः इस ग्रन्थ को उपजीव्यता में सन्देह नहीं रह जाता।

+

+

+

२- श्री शम्भुमिश्र (११ वीं शती ई०)

महाकवि श्रीशम्भु विरचित दो ग्रन्थ प्राप्त हैं -- राजेन्द्र कर्णपूर तथा अन्योक्ति मुक्तालता^१। प्रथम रचना कश्मीर नरेश हर्षदेव (सन १०८८-११०० तक) की प्रशस्ति तथा दूसरी एक सौ आठ अन्योक्तियों का संग्रह है। राजेन्द्र कर्णपूर में कुल ७५ पद्य हैं जिसके उन्नीसवें

१- द्रष्टव्य -- काव्यमाला प्रथम खंड द्वितीय गुच्छक, सन् १८८६ तथा ६६।

तथा बपालीसर्वे पद्यों में कवि ने क्रमशः महाराज हर्ष तथा त्वदेशे कश्मीर का स्मरण किया है । इसी प्रकार श्लोक ३, ७२, ७४ तथा ७५ में कवि ने अपना नाम देते हुए आत्म प्रस्थापन किया है । ग्रन्थ के १७ वें तथा ३६ वें पद्य में महाराज मुंज की मृत्यु के बाद विपन्न हुई सरस्वती तथा राजा हर्ष के कारण पुनः उनके स्मृद्ध होने का तथ्य भी दिखाया गया है । इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि धारानरेश मुंज की मृत्यु (सन् ६६४ के आसपास) के थोड़े ही समय बाद पल्लवित होने वाले कश्मीर नरेश हर्ष देव के शासन में शम्भु कवि ने अपने ग्रन्थों की रचना की । राजा हर्ष देव, कल्हण, के प्रमाणानुसार कश्मीर के प्रतापी नरेश अनन्तदेव का पौत्र, कलश का पुत्र तथा उत्कर्ष का छोटा भाई था । विजयमल्ल के पुत्र उच्चल तथा सुस्सल ने राजा हर्ष को सन् २३०० ई० में प्रवचना द्वारा मरवा दिया ।

इस प्रकार हर्षदेव की प्रशान्ति माने वाले कवि शम्भु का समय लगभग ११ वीं शती ई० का उत्तरार्द्ध होना चाहिए । श्रीकण्ठचरितकार, मंसक कवि ने भी ग्रन्थ के पचीसवें अध्याय में चार श्लोकों में (६६-६९ तक) शम्भु विषयक तथ्यों का उल्लेख किया है । मंसक राजा जय सिंह (सुस्सल के पुत्र) के राज्यकाल (१२ वीं शती का पूर्वार्द्ध) में थे क्योंकि उनके बड़े भाई लंकक अथवा अलंकार उन्हीं नरेश के मंत्रो थे । मंसक ने पच्चीसवें सर्ग के श्लोक ६६ तथा ६७ में शम्भु महाकवि के पुत्र आनन्द का वृत्तान्त प्रस्तुत किया है--

अशेषः अशेषः मिषगर्ण्यं शरण्यं शास्त्रपद्धतेः ववन्दे ऽथ तमानन्दं सुतं शम्भुमहाकवेः ॥१॥

इसमें यह सिद्ध हो जाता है कि शम्भु के पुत्र आनन्द मंसक के सम सामयिक अर्थात् १२ वीं शती के पूर्वार्द्ध में थे । हर्षदेव के पश्चात् अर्थात् सन् ११०० से ११२७ के बीच कश्मीर के सिंहासन पर उच्चल, शंखराज, पल्हण, सुस्सल तथा भिक्षाचर (हर्षदेव का पौत्र) प्रभृति अनेक नरेश आसीन हुए और अन्त में सुस्सल पुत्र जयसिंह ने सन् ११२७-४६ ई० तक राज्य किया । इस दशा में श्रीकण्ठचरितकार द्वारा स्मृत किये जाने के कारण भी शम्भु कवि का समय उनसे पूर्व अर्थात् हर्षदेव के ही शासनकाल में निश्चित किया-सकता है । अन्योक्ति मुक्तालता की अन्तिम पुष्पिका से यह भी ज्ञात होता है कि शम्भु कवि ब्राह्मण कुल में

१- द्रष्टव्य-- राजतरंगिणी--सप्तमतरंग ।

२- कल्हण ने अलंकार को जयसिंह का मंत्री बताया है (राज० पृ० २५५७) किन्तु मंसक ने उन्हें सान्धिधिग्रहिक कहा है -- तस्योपासित सन्धिधिग्रहमलंकारं द्वितीयं स्तुमः ॥

श्रीकण्ठ० ३५१६१ ।

उत्पन्न 'मिश्र' संज्ञा वाले थे । किन्तु 'राजेन्द्र कर्णपूर' में कहां ऐसा प्रमाण नहीं प्राप्त होता है । यद्यपि दोनों ग्रन्थों में कोई ऐसा उभयनिष्ठ प्रमाण नहीं प्राप्त होता ताकि हम उन दोनों का कर्तृत्व शम्भु को ही दे सकें । तथापि उनकी कर्तृविषयक रक्ता में कोई शंका नहीं सम्भव है । श्री कण्ठचरित के सम्पादक म०० पण्डित दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ ने श्लोक २५।६७ की पाठटिप्पणी में तथा श्री पी०के०नारायण पिल्लई ने 'लाइट ग्रोन आन कल्चरल करेण्ट्स बाई दि त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज़' शीर्षक परिचयात्मक निबन्ध में दोनों ही ग्रन्थों के रक्तात्र कर्ता के रूप में शम्भु महाकाव को प्रस्तुत किया है ।

अन्योक्ति मुक्तालता में अधिकांश छन्द, प्रग्धरा तथा शार्दूल विक्रीडित हैं । कुछ पद्य वसन्त तिलका तथा मन्द्राक्रान्ता में भी प्राप्त होते हैं । कवि ने विषय वर्णन में पूर्णतः मल्लट शतक का अनुकरण किया है । अस्त पद्य (१०० संख्यक) अन्योक्ति के ही हैं जिनका विषय क्रमशः उस प्रकार है -- विपंची, कैरव, कौस्तुभ, भगवान, दामन, (दौना) नागरखण्डपल्लव, बकुलकन्दली, करमा, मराल, अम्भोधर, चैत्र, पारंग, चकोरार्थक, सागर, विग्गज, भ्रमर, क्रमेलक, खद्योत, चन्द्र, कल्पद्रुम, मृगमद, रसांग मिथुन, रमणी, रोहण, अरविन्द, अंगारकार, सिंह, शंकर, सरोवर, पारम, कोलवाल, लवंग, मालती, वैकटिक (रत्नवणिक) मल्लीमुकुल विरंचिहंभ, जरीसागर, मुक्ताहार, बालागुरु (बालभंजरी) पामर, गंगा, शेषा, सहकारभंजरी, पारिजात, कार्तिकेय का मयूर, इन्द्रकार, मेनाक, श्रीखण्ड, हेमकमल, कठपुतली माली, चम्पक, अनुमान, शिरीझ, रावण, शारदपयोद, चन्दन, मल्लिका, रमणोमुख, कुवलय, मातंग, सर्प, सैरन्ध्री, पान्थ, ताम्रपणी तथा पाटला -- कुल ६६ विषय ।

मल्लटशतक की ही भांति, प्रस्तुत ग्रन्थ में भी अनेक अन्योक्तियाँ ऐसी हैं जो कई विषयों को एक साथ लक्षित करती हैं, अतः इस दृष्टि से उनका विषयवैविध्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

+

+

+

३- श्रीगोवर्धनाचार्य (१२ वीं शती ई०)

सुभाषित रत्नकोष तथा महुक्तिकर्णामृत के प्रसंग में अध्यायारम्भ में ही प्रभूत तथ्य प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे कि घोयी कवि तथा संग्रहकार श्रीधरदास का समय

१- ~~...~~ ए सावनिर (Souvenir) आफ दि सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन आफ दि डिपार्टमेंट फार दि पब्लिकेशन आफ ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्ट्स , ~~...~~ १६३३ई०, पृ०१०४-११३ तक ।

भी स्पष्ट हो जाता है । उन्हीं ग्रंथों में दिये गये महाकवि जयदेव के प्रमाणों से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वेधोया, शरण, ज्ञाननिवर, गोवर्धनाचार्य तथा जयदेव प्रभृति कविगण एक ही समय में, बंगनरेश लक्ष्मण सेन के समारत्न रहे । राजा लक्ष्मणसेन के मनागृह द्वार पर उत्कीर्ण पद्य-- 'गोवर्धनश्चशरणो जयदेव उमानतिः कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥' से भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है । ऐतिहासिक विद्वानों के प्रमाणानुसार लक्ष्मणसेन का राज्यारोहण सन् ११७८ तथा शान्त की व्रत अवधि सन् १२०५ ई० है । अतः सिद्ध है कि उक्त नरेश के ही राजकवि होने के कारण पूर्वोक्त कवियों का भाहित्यिक जीवन भी बारहवीं शती का उत्तरार्ध तथा तेरहवीं शती का प्रथम पाद होना सम्भव है ।

गोवर्धनाचार्य की एकमात्र रचना 'आर्यासप्तशती' है जो कि ई०पू० ७८ में मातवाहन नरेश हाल द्वारा प्राकृत भाषा में प्रणीत 'गाहासप्तसई' (गाथा सप्तशती) के अनुकरण पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है । प्रस्तावना की ५४ आर्याओं के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले प्रसृत ग्रन्थ में अकार आदि क्रम से कुल ७०२ आर्याश्लोक संकलित किए गए हैं । इन क्रमों को कवि ने 'व्रज्या' की संज्ञा दी है । गोवर्धन के विषय में श्री जयदेव कवि का यह कथन पूर्णतः गत्य है -- शृंगारोत्तररत्नमेयरचनैराचार्यगोवर्धनस्पर्धी कोपि न विभुतः ✓ क्योंकि सप्तशती की एक एक आर्या में कवि ने मानवमात्र के हृदयगह्वर में प्रतिध्वनित होने वाली एक एक घड़कन का आकार दर्शन कराया है । अहोरात्र में घटित होने वाली कौतुकपूर्ण प्रणयलीलाओं से लेकर दिव्यप्रणय तथा उममे संकेतित, पारमार्थिक आनन्द तक की वृत्तियां आर्यासप्तशती में प्राप्त होती हैं । किन्तु तब भी मोटे ढंग से इस ग्रन्थ को विविध भावों की व्यंजनामयी उपनिध्यति से पूर्ण एक शृंगार-रचना कहा जा सकता है ।

यद्यपि भल्लट तथा शम्भु कवि के अन्योक्ति ग्रन्थों की ही भांति गोवर्धनाचार्य कृत 'सप्तशती' नहीं है, क्योंकि इसका प्रतिपाद्य अनेकविध है । तथापि अन्योक्तियों का प्रयोग कवि ने पद-पद पर किया है । समस्त श्लोक प्रायः नायक-नायिका के 'मान-प्रवास-विरह-मिलन, सन्देश-दौत्य को लेकर ही लिखे गये हैं और इन्हीं विषयों की वर्णना कहीं-कहीं कवि ने अन्यापदेश शैली में कर दिया है । दयाविहीन नरपशु के समान प्रयत्नपूर्वक दैन्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के प्रति कवि कहता है --

१- द्रष्टव्य -- सुभाषितरत्नकोष की प्रस्तावना, पृ० ३३ ।

२- काव्यमाला १। निर्णय सागर संस्करण सन १८८६ ई० ।

चरणैः परागैकतमफलाभिर्दं लिखति मधुप केतव्याः ।

इह वसति कान्तिनारे नान्तःउल्लिलानि मधुनिन्धुः ॥२२७

इसी प्रकार दारिद्र्य गहर भी परोपकार करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा चन्दन के बहाने इस प्रकार की गयी है --

यद्यपि चन्दनविटगी कलुषविवर्जितः कृतो विधिना निज वपुषैव तथापि
हिरहरति सन्तापपरेषाम् ॥४८७ इस दृष्टि से अन्वेषण करने पर आर्यासप्तशती में
गैकड़ों अन्यापदेश प्राप्त हो सकते हैं । विस्तार भय से उनका विस्तृत व्याख्यान नहीं किया
जा रहा है । एक सूच्य तथ्य यह है कि गोवर्धनाचार्य की इस कृति को चन्द्र अन्योक्ति
ग्रन्थों के क्रम में रखा गया है क्योंकि इसके समान चन्द्र, कवि के आत्मकृत पद्य हो हैं न
कि अन्यरचित । अतः पंग्रहग्रन्थों से यह रचना पूर्णतः भिन्न है । हाँ, इसका एक वैशिष्ट्य
अवश्य है वह यह कि इसका समस्त प्रतिपाद्य अन्यापदेश शैली में नहीं है । वरन् अन्यापदेश के
साथ ही साथ बहुविध लोकवृत्तान्तों का अभिधा रीति से भी प्रतिपादन किया गया है ।
चूंकि कवि का उद्देश्य प्रमुख रूप से नायक-नायिका से अथवा लोक से सम्बद्ध शृंगारिक चैष्टाओं
का ही उपास्थापन मात्र था, इसलिए अन्यापदेश रीति में उन विषयों को प्रस्तुत करते समय
कवि ने कुछ ही उपादानों को ग्रहण किया है । वे विषय क्रमशः इस प्रकार हैं --

६- कोषलार (कीट) , ७ ३०-दूतवल्ली(२), ४५- केतकलता(४), ५१- पथिक, ५६-मशक(२)
६१-पुगतारु, ६२-अमरगण, ६७-जनविशेष(४) २०० कुरंग (कुरंगशावक--५), १०१-दूती, १०४-
मनेस्म गोपी, ११५- मधुप(६), १२३- कांचनकेतकी, १२६-सूर्य(२), १३६-पृथ्वी, १५३-यमुना
१७३ हस्ती(६) चन्द्र १७७- चन्द्रकिरण, १६८- लम्बोदर, २०१- सखी(४), २०७ प्रमरी,
२०८- तुला,, २१२-चन्द्र,, २१६-कैरव, २२३- गन्धवाह, २३६-वृषभ(२) २६२-वटवृक्षा, २६६-
शक्रध्वज, २६७-स्त्री विशेष(२), ३०४-अग्नि, ३०६-सुग्धकुरंगी, ३३३- सौरभेयी, ३४६-कीरावलि
(२), ३४६- काक(२) ३६६-पंजरचकोरिका, ३७०- घन(२), ३८८- शंकर का फणी, ४०६-नलिनी,
४१०-सुवर्ण, ४१४- कंचुक, ४२३-हलिकनन्दिनी, ४२४- शंकर(२), ४२६- गोदावरी, ४३१-तुलसी
४४०- वृक्षा(४) , ४४६-शबरतरुणी, ४७६- पल्लीपति पुत्री, ४८२-सागर, ४८३- चकौर,
४८७- चन्दन, ५०२- वर्तिका, ५३२- हरि(२) ५४२- जाहनवी, ५७८- इन्दुकला(२) ६०७-
बिसकण्डिका(बलाका), ६४१-अश्वत्थ, ६५२- दत्तिनी, ६६२- तरिनी ।

उपर्युक्त विषय-विवेचन में विषयों के पूर्व की संख्या ,आर्यासप्तशती में उन
पद्यों की संख्या है तथा काण्टगत संख्या, उसी विषय पर प्रणीत अन्यापदेशों की संख्या है ।

यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर और भी अनेक आयर्थि अन्यापदेश कही जा सकती हैं किन्तु उपर्युक्त सूची में परिगणित विषय स्पष्टतः अन्योक्ति के हैं। टीकाकार श्री अनन्तपण्डित (सन् १५२३ ई०) ने भी इन पद्यों को 'अन्योक्ति' ही बतलाया है। इस प्रकार १५ शती में कुल ५८ विषयों पर लगभग सौ अन्योक्तियाँ लिखी गई हैं।

+

+

+

४- श्री वंशीधर मिश्र (१६ वीं शती का उत्तरार्द्ध ?)

कविकृत 'अन्योक्ति' स्तवके में कुल १०४ पद्य हैं, जिनमें प्रथम शत प्रस्तावना से तथा अन्तिम स्तव उपसंहार से सम्बद्ध है। शेष ६६ पद्य, ६२ विषयों पर प्रणीत अन्यापदेश हैं जिनमें कि किरात, लोचन, तमसू, तीर्थराज, दीपिका, निर्धन, सुरली, पुरदेवता, पत्रच्छत्र, वंश, काण्डकार, दर्भ, हुण्डुम, नकुल, खंजन, गोमयकोट तथा सर्ण्ड विषयक अन्योक्तियाँ प्रयोग की दृष्टि से प्रायः नवीन हैं। ग्रन्थ का प्रकाशन सर्वप्रथम सन् १६५५ ई० में बुन्नीलाल गान्धी विद्यामन टिम्कन स्टडीज--४ के रूप में, श्री जे०टी०पारिख एवं आर०जी०अस्टि द्वारा सूरत से किया गया।

कवि के विषय में कहींकहीं का प्रमाण नहीं प्राप्त होता। सूचीपत्रों में भी 'अन्योक्ति-स्तवके' का नाम न प्राप्त होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि रचना प्रख्यात न हो सकी। सम्पादकों ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में दश से भी अधिक वंशीधरों का प्रमाण देते हुए प्रस्तुत कवि का उनमें से किसी स्तव के साथ तादृश्य स्थापित करने में असमर्थता व्यक्त की है। किन्तु स्म०टी०बी० कालेज लाइब्रेरी सूरत में प्राप्त जिन पाण्डुलिपि के आधार पर सम्पादकों ने प्रस्तुत प्रकाशन किया है, उसका लेखन काल संवत् १७२७ (—सन् १६७०) होने से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि कवि का जीवनकाल अधिक से अधिक सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध ही हो सकता है। 'राजप्रशंसा-स्तवके' नामक अपने दूसरे ग्रन्थ में कवि ने 'राम' (रामचन्द्र, राममद्र, आदिराज) नामक किसी नरेश की प्रशंसा गाई है। इसकी पाण्डुलिपि भी श्री बुद्धि शर्मा मिश्र द्वारा सन् १६७० में लिखी गई। किन्तु राम नामक यह नरेश कब और कहाँ था, बिना इस समस्या का हल किये कवि के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

१- द्रष्टव्य -- अन्योक्ति-स्तवके की प्रस्तावना, पृ० ७५। सूरत, सन् १६५५ ई०।

मध्यकालीन मध्यभारतीय ऐतिहासिक ग्रन्थों में पण्डित पद्मनाभ मिश्र को बघेल वंशीय, रीवां नरेश वीरभद्र का राजकवि बताया गया है। इन्हीं वीरभद्र के पिता का नाम रामचन्द्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि पण्डित वंशीधर द्वारा प्रशंसित नरेश 'रामचन्द्र' यही हैं। रामचन्द्र अकबर के समकालीन तथा उसके परम मित्र थे। 'अकबरीय कालिदास' की उपाधि से युक्त कवि श्री गोविन्दभट्ट ने नरेश को प्रशस्ति के रूप में 'रामचन्द्रयशःप्रबन्ध' की रचना की। विद्वत्प्रिय होने के कारण नरेश के दरबार में अनेक कवियों को आश्रय मिला था। रामचन्द्र के पिता वीरमानु के प्रशंसक वीरमानुदय महाकाव्य के प्रणेता माधव तथा 'रसमंजरी' एवं 'गीत गोरीश' प्रभृति ग्रन्थों के प्रणेता आचार्य मानुदत्त थे। इसी प्रकार रामचन्द्र तथा उनके पुत्र वीरभद्र के प्रशंसक गोविन्दभट्ट तथा पद्मनाभ मिश्र (प्रद्योतन भट्ट) थे। सम्भव है कि श्री वंशीधर मिश्र भी इन्हीं बघेलवंशीय नृपति के प्रशंसक हों, क्योंकि इस नाम का अन्य कोई नरेश मध्यकाल में नहीं ज्ञात होता। यद्यपि सत्रहवीं शती के प्रारम्भ में तंजौर नरेश रघुनाथ भी जसम विद्वत्प्रिय माने जाते हैं, किन्तु उनके दरबार में रहने वाला कोई भी कवि अन्धकार में नहीं है। निश्चित ही वंशीधर मिश्र उनसे भी अधिक प्राचीन हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक गान्यानुसार, रामचन्द्र का शासन काल सन् १५५५ से १५६२ ई० तक माना जाता है। अतः बहुत संभव है कि श्री वंशीधर मिश्र इसी नरेश के कृपा-पात्र रहे और इन्हीं नरेश के आश्रय में रहकर उन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना की। इस दृष्टि से उनका जीवनकाल सोलहवीं शती का उत्तरार्द्ध सिद्ध होता है।

+

+

+

५- श्री मधुसूदन दुजन्ति (सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध ?)

काव्यमाला नवमगुच्छक में प्रकाशित अन्यापदेश शतक के प्रणेता श्री मधुसूदन कवि हैं। इस ग्रन्थ में प्रथम तीन मंगलाचरण तथा अन्तिम दो परिचयात्मक पद्यों को छोड़कर शेष १०५ अन्योक्तियाँ हैं। परिचयात्मक पद्यों के अनुसार ज्ञात होता है कि कवि की जन्मभूमि मिथिला, पिता पद्मनाभ, माता शुभदा तथा वंश 'दुजिती' या 'उचिती' था। 'विविध सूचीपत्र' (*Catalogue*) में मधुसूदन का नाम उनकी उपाधि 'दुजन्ति' के साथ भी दिया गया है। किन्तु कवि का समय पूर्णतः अज्ञात है। काव्यमाला

१- द्रष्टव्य-- रामचन्द्रयशःप्रबन्ध की प्रस्तावना (डा० यतीन्द्र विमल चौधरी) कलकत्ता

सन् १९४६ ई० ।

में प्रकाशित यह शतक डा० पोर्टर्सन द्वारा (मथुरा से प्राप्त) प्रदत्त जिस पाण्डुलिपि पर आधारित है, उसका लेखन-काल संवत् १८२२ (सन् १७६५ई०) है, अतः निश्चित है कि कवि अठारहवीं शती में प्राचीन ही है ।

अन्यापदेशशतक के प्रणेता श्री मधुसूदन दुजन्ति के अतिरिक्त प्रख्यात विद्वान् आफ्रेक्ट ने लगभग बीस तथा स्ल०डी० वार्नेट ने लगभग आठ नवीन मधुसूदनों का परिचय प्रस्तुत किया है, जिनमें से सोलहवीं शती में विद्यमान विश्वेश्वर सरस्वती के शिष्य मधुसूदन सरस्वती, बंगला कवि तथा 'मेघनाथवध के कर्ता माहकैल मधुसूदन दत्त तथा पिछली शती में विद्यमान, विज्ञानादि संबंधी १३५ अद्भुत ग्रन्थों के प्रणेता पं० श्री मधुसूदन ओम्का अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । ऐसी दशा में केवल नाममात्र से किसी भी मधुसूदन का परिचय पाना सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि इनमें शायद ही दो-चार ऐसे हों जिनका जीवनवृत्त स्पष्ट है, अन्यथा सब के सब अज्ञानवर्त में ही डूबे हैं ।

सोलहवीं शती में मिथिला में बलभद्र नाम के एक मिथिल वंशीय ब्राह्मण हुए जिनके तीन पुत्र थे -- विश्वनाथ, पद्मनाभ तथा गोवर्द्धन । इनमें से 'पद्मनाभ' दर्शन तथा साहित्य दोनों में समान अधिकार वाले प्रख्यात विद्वान् हुए । गंगेशोपाध्याय की चिन्तामणि पर 'प्रकाश टीका', स्वकृत 'राद्धान्तमुक्ताहार' पर कणादरहस्य टीका 'वर्धमानप्रणीत द्रव्य किरणावली प्रकाश पर 'वर्धमानेन्दु टीका' उदयनाचार्य कृत किरणावली पर 'मास्कर' टीका प्रशस्तपाद भाष्य पर 'वैशेषिक सेतु टीका श्रीधरकृत न्यायकन्दली तथा श्रीहर्ष कृत खण्डनखण्डखाद्य पर अज्ञात नाम्नी टीकाओं की रचना पद्मनाभ ने की । अपने आश्रय दाता रीवां के बघेलवंशीय राजा ^{वीरभद्रके प्रीणनार्थ} वीरभद्र देव चम्पू तथा आचार्य जयदेव कृत 'चन्द्रालोक' पर 'शरदागम' टीका भी पद्मनाभ ने लिखी । वीरभद्र, रीवां नरेश रामचन्द्रदेव के पुत्र थे, जिनका युवराजकाल सन् १५६६ से १५६३ ई० तक है । वीरभद्र संस्कृत के विद्वान् भी थे और उन्होंने 'कन्दर्पब्रह्मामणि' नामक ग्रन्थ सन् १५७६ में लिखा था जब कि पद्मनामकृत पूर्वोक्त चम्पू का रचना-काल सन् १५७८ ई० है । इन प्रमाणों के आधार पर म०पं० गोपीनाथ कविराज ने पद्मनाभ का समय सोलहवीं शती का उत्तरार्द्ध माना है । यदि यही पद्मनाभ मधुसूदन कवि के पूज्य पिता स्वीकार कर लिये जाय तो

१- द्रष्टव्य-- (आफ्रेक्ट) कैटलाग्स कैटालागसु भाग १ (पृ० ६७) तथा भाग २ (पृ० ४२७) ।
(वार्नेट) ए सप्लिमेण्ट्री कैटलागसु आफ ब्रिटिश म्यूजियम भाग १ पृ० ३४६ तथा भाग २, पृ० ५६२ ।

२-सविस्तर द्रष्टव्य -- महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज लिखित किरणावली मास्कर की प्रस्तावना, पृ० ३-६, बनारस, सन् १६२० ई० ।

उनका समय, स्पष्टतः सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध होगा । इस सम्बन्ध को स्वीकार करना अयुक्त नहीं प्रतीत होगा क्योंकि मधुसूदन द्वारा निर्दिष्ट आत्मविषयक तथ्य प्रायः पद्मनाभ से मिलते हैं ।

६- न्यायवाचस्पति रुद्रकवि (१७ वीं शती का पूर्वार्द्ध)

(न्याय) दर्शन एवं साहित्य में मान प्रतिभा वाले, श्री रुद्रकवि, मानसिंह के पुत्र तथा राजा भगवान दास के पौत्र, श्री भावसिंह महाराज के राजकवि थे । अपने आश्रयदाता की ही आज्ञा से उन्होंने 'भावविलास' नामक प्रस्तुत अन्यापदेश ग्रन्थ का प्रणयन किया । इसमें कुल १३६ पद्य हैं, प्रथम समूह जब भावसिंह के वंशकीर्तन एवं प्रशस्ति से सम्बद्ध अन्तिम तीन उपसंहारात्मक तथा मध्यवर्ती ११६ पद्य अन्यापदेश रूप हैं ।

इतिहासिक प्रमाणों के अनुसार राजा मान सिंह सम्राट अकबर के समकालीन तथा उसी के सेनापति थे । अकबर का समय सन् १५५६ से १६०५ ई० तक है अतः मानसिंह का भी समय सोलहवीं शती का उत्तरार्द्ध ही है । इन्हीं प्रकार मानसिंह के पुत्र भावसिंह का समय सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध माना जा सकता है और वही समय राजकवि रुद्र का भी होना चाहिए । कविमकु भट्ट हरिवल्लभने भावसिंह का समय सन् १५५६ से १६१४ ई० तक माना है^२

ग्रन्थ के प्रथम सत्रह पद्यों में कवि ने अपने आश्रयदाता के निर्मलवंश, शौर्य, दया, दान, एवं वाञ्छिष्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । सम्भवतः 'न्यायवाचस्पति' की उपाधि भी उक्त नरेश ने ही कवि के दार्शनिक पाण्डित्य को देख कर दी हो । अन्तिम श्लोक से यह भी ज्ञात होता है कि कवि के पिता का नाम श्री विद्याविलास था । रुद्र कवि के विषय में इससे अधिक, परिचय नहीं प्राप्त होता । प्रस्तुत अन्यापदेश ग्रन्थ के अतिरिक्त कवि प्रणीत अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं -- १-तत्त्वचिन्तामणिदीधितिपरीक्षा, २-किरणवली प्रकाश निवृत्ति परीक्षा, ३- पदार्थखण्डनव्याख्या, ४- भ्रमरद्वतकाव्य, ५- भ्रमरद्वतकाव्य वृन्दावनविनोदकाव्य, ६- पिकद्वत(१) ।

श्री विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि (तर्कभाषा प्रस्तावना पृ० ५१) तथा श्री वर्णेकर जी ने (अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, पृ० ३०, १३६, १४० तथा ४५० पर) रुद्रकवि के-----

१- द्रष्टव्य--पद्य १७ (तस्याज्ञामधिगत्य यः कविकुलानन्दाय सम्पादितः) तथा १३४ (श्रीभावसिंहरसिंह नियोग योगात् सम्पादितः) भावविलासिकाव्यमाला गुच्छक-२। बम्बई सन् १८६६ ।

२- द्रष्टव्य-- बयनगरपर्वरंग, तरंग ४ श्लोक ३२-३६ तक। निर्णयसागर संस्करण सन् १८६४ ई० ।

के ग्रन्थों की जो नामावलि प्रस्तुत की है, वह परस्पर समान है। किन्तु पृ० १३६ पर वर्णिकर द्वारा प्रदत्त 'पिकदूत' को विरवेश्वर जी ने अपनी सूची में नहीं रखा है। स्वयं वर्णिकर जी ने भी पृ० ४५० पर रुद्रकवि के दार्शनिक ग्रन्थों को गिनाने के बाद टिप्पणी रूप में उनके अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिमें कि प्रमरदूत है किन्तु पिकदूत नहीं। अतः यह शंका हो जाती है कि पिकदूत भी रुद्र की कृति है या नहीं? सम्भवतः लेखक ने अनवधानवश ऐसा किया है, किन्तु पिकदूत भी रुद्र की ही रचना है। काव्यमाला तथा प्राच्यवाणी जर्नल में (सन् १९४५ ई०) इसका प्रकाशन हुआ है।

भावविलास में कुल ३८ विषयों पर ११६ अन्यापदेशों की रचना की गई है। विषय क्रमशः इस प्रकार है -- पिण्डन, लोक, हुताशन, मलिनिमा, महान्, साधु, गगर, महामणि (रत्न), लक्ष्मी, मधुप (२१), कमल, नलिनी, हंस, मालती, लवंगी, कुन्द, माकन्द, अशोक, करट, चक्रांग (रथांग-रथांगि), सारंग, जीभूत (७) सरोवर, तटिनी, पान्थ, पवन, चन्द्रमा (६), रवि, केसरी (७) वारणेन्द्र (१०) मृगशावक, रूष्णी, त्रीविशेष, काल, विधि, त्रिलोकनाथ, घनुष, मुक्ताकलाप (दाम)।

+

+

+

७-श्री दर्शन विजय गणि (सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध)

मुगल बादशाह अकबर के दरबार में जैन आचार्यों का बड़ा सम्मान था, ऐसा इतिहासकारों के प्रामाण्य से सिद्ध होता है। अकबर के राज्यकाल में (सन् १५५६से १६०५तक) हरिविजय, मानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र प्रभृति सैकड़ों जनामधन्य जैनाचार्यों ने जन्म लिया। स्वयं अकबर तथा शाहजादा सलीम (जहांगीर) उन आचार्यों का बड़ा आदर करते थे। मानुचन्द्र के ही आग्रह पर सम्राट ने जज़िया कर की प्रथा बन्द कर दी थी जहांगीर के शासनकाल में इन जैन साधुओं के दो दल थे-- सागर तपागच्छ सम्प्रदाय तथा विजय तपागच्छ सम्प्रदाय। ये दोनों दल बुरहानपुर में स्थित थे। इनके आचार्य क्रमशः नेमिसागर उपाध्याय तथा विजयदेव सूरि थे। लगभग सन् १६१६ में इन दलों के सैद्धान्तिक मतभेद वश, फगड़े के उग्र रूप धारण कर लेने पर, सम्राट जहांगीर ने मध्यस्थता की। नेमिसागर, धर्मसागर उपाध्याय के शिष्य थे। धर्मसागर ने 'प्रवचनपरीक्षा', नामक जैनागम का 'सर्वज्ञशतक' नाम से एक नवीन संस्करण प्रस्तुत किया, जिसे कि पूर्वाचार्य विलयसेन के पट्टशिष्य विजयदेव सूरि ने मान्यता दी। यही दोनों दलों के बैमनस्य का मूल था। फगड़े की सूचना श्री दर्शन विजय गणि ने, सिरौही में विद्यमान आचार्य मानुचन्द्र को दी, ताकि सम्राट जहांगीर

के श्रेय हाने के कारण वे इसे निपटा रके । आचार्य ने अपने शिष्य सिद्धिचन्द्र से यह संदेश दिल्ली भेजा । जिसे पाकर सम्राट ने दोनों बलों को नाण्डू में बुलाकर सम्पर्कता कराया । तुलुके जहांगीरों के अनुसार सम्राट जहांगीर २३ मार्च सन् १६१७ ई० को नाण्डू पहुँचा था । फलतः कमनस्य शान्त हो गया और नागर पक्षीय आचार्यों का अतिशय विरोध देखकर आचार्य भानुचन्द्र गणि ने सम्राट के समक्ष ही श्री विजयतिलक सूरि को, दिग्गज आचार्य विजयसेन का युयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त करे दिया । पाँच जनवरी सन् १६१८ को सम्राट आचार्य विजयतिलक, भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र तथा दर्शनविजय प्रभृति जैनों के साथ अहमदाबाद लौटा । इस प्रकार श्री दर्शन विजय का जीवनकाल जहांगीर के राज्यकाल में ही निश्चित हो जाता है ।

शक सम्वत् १६७६ (सन् १६२२ ई०) मार्गशीर्ष वदी ८ को बुरहानपुर में रहकर ही, दर्शन विजयगणि ने 'विजयतिलकसूरिराजे' नामक ग्रन्थ लिखा । इससे यह मान होता है कि सम्भवतः दर्शनविजय, विजयतिलक सूरि के प्रियशिष्य तथा प्रतिभासम्पन्न एक उत्साही जैन साधु थे । अतः यदि उक्त भगड़े के समय उनकी अवस्था लगभग ३० वर्ष भी मान लिया जाय तो उनका सम्भाव्य जन्मकाल सन् १५८६ ई० के आस पास निश्चित होता है । गुरु का जीवनचरित लिखते समय इस प्रकार दर्शनविजय की अवस्था लगभग ३६ वर्ष की थी । (सन्-१६०५-से-१६२८-तक) इस प्रकार दर्शनविजय का समय स्थूलरूप से सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध अर्थात् जहांगीर का शासन काल (सन् १६०५ से १६२८ तक) निश्चित है । इसी कवि ने अन्योक्ति शतक की रचना की है, जिसमें कि पूर्व कवियों के ही अनुकरण पर विविध विषयों से सम्बद्ध शताधिक अन्यापदेशों का संकलन किया गया है । यह ग्रन्थ सन् १६१३ ई० में सर्वप्रथम श्री हीरालाल हंसराज, जामनगर(गुजरात) द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

+

+

+

८- श्री हंस विजयगणि (सत्रहवीं शती का उत्तरार्द्ध)

दर्शनविजयकृत 'विजयतिलकसूरिराजे' तथा 'प्राचीनतीर्थमाला संग्रहे' प्रभृति अनेक सम्प्रदाय ग्रन्थों से मुगल साम्राज्य में विद्यमान जैनाचार्यों की परम्परा इस प्रकार की सिद्ध होती है --

१- द्रष्टव्य--भानुचन्द्रगणिचरित की प्रस्तावना, पृ० ६२ से ६४ तक। सिन्धी जैनग्रन्थमाला-१५।कलकत्ता १९४१ ई० ।

आचार्य हरिविजयसूरि^१ (जन्म सन् १५२६ई० प्रहलदानपुर में)
 (तथा सन् १५५३ ई० में सूरिपद प्राप्ति)
 आचार्य विजयसेन सूरि (हीर विजय के पुत्र)

विजयदेव सूरि ----- विजयतिलक सूरि (सन् १६१८-२० तक)
 विजयानन्द सूरि (सन् १६२० में शिष्यपदप्राप्ति)
 हंसविजय गणि (अन्योक्ति मुक्तावली के प्रणेता)

दर्शन विजयकृत 'विजयतिलक सूरि रास' के अनुसार विजयानन्द सूरि को, पौष शुक्ल चतुर्दशी संवत् १६७६ अर्थात् सोमवार ८ जनवरी सन् १६२० ई० में विजयतिलक का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ^२। अतः हंस विजयगणि जो 'अन्योक्तिमुक्तावली' में अपने को विजयानन्द का शिष्य बताते हैं, निश्चित ही अपने गुरु के मश्चात् अर्थात् त्रहवीं शती के उत्तरार्ध में हुए। यह भी स्पष्ट है कि आचार्य विजय तिलक का जीवन चरित लिखने वाले श्री दर्शन विजय एवं उनके उत्तराधिकारी आचार्य विजयानन्द प्रायः समकालीन ही रहे होंगे। अतः हंस विजय गणि का सत्रहवीं शती के उत्तरार्द्ध में होना पूर्णतः सत्य होना चाहिए। कवि ने ग्रन्थ का रचनाकाल स्वयं संवत् १७३६ अर्थात् सन् १६७८ ई० लिखा है जिससे उपर्युक्त स्थापना और सुदृढ़ हो जाती है^३। अन्योक्ति मुक्तावली कुल ६४० संस्कृत अन्योक्तियों का एक विशाल संग्रह है, जिसका विषय विवेचन, विस्तारभय से यहाँ नहीं किया जा सकता। अतः प्रकृतग्रन्थ ही अपेक्षित ज्ञान के लिए द्रष्टव्य है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन निर्णय सागर प्रेस बम्बई ने 'काव्यमाला--८८' के रूप में किया है। किन्तु 'न्यू कैटालागस कैटालागस' पृ० १७६ पर डा० राघवन ग्रन्थ की रचना का समय सन् १७६३ ई० लिखा है जो कि सर्वथा असम्भव है।

१- आचार्य हरिविजय तथा विजयसेन सम्बन्धी वृत्तान्त द्रष्टव्य-- हीरसौभाग्य महाकाव्य, पृ० ६८, २७८ तथा २६५। काव्यमाला-६७ सन् १६०० ई०।

२- द्रष्टव्य -- विजयतिलकसूरि रास, अधिकार २।

३- द्रष्टव्य -- जिनरत्न कौषा माग१, पृ० ४६६।

६- श्री नीलकण्ठ दीक्षित (सन् १५७० से १६७० तक के बीच)

अपनी कृतियों के अन्त में स्वतः प्रस्तुत किये गये प्रमाणों के अनुसार कवि नीलकण्ठ, महान् आलंकारिक श्री अम्पय्य दीक्षित के सगे (छोटे?) भाई श्री आच्चा दीक्षित के पौत्र तथा श्री नारायण दीक्षित के पांच पुत्रों में से दूसरे थे । अम्पय्य का जीवनकाल सन् १५२०-१६२६ तक माना जाता है, अतः लगभग वही समय उनके भाई का भी होना चाहिए । एक-एक पीढ़ी में कम-से-कम पच्चीस वर्षों का अन्तर स्वीकार करने पर नारायण तथा नीलकण्ठ का समय क्रमशः सन् १५४५ तथा १५७० ई० पड़ता है । पण्डितराज जगन्नाथ का समय भी लगभग १५६० से १६७० तक स्वीकार किया जाता है । अतः नीलकण्ठ को पण्डितराज का समसामयिक तथा सोलहवीं शती के अन्तिम चरण एवं सत्रहवीं शती के पूर्वार्द्ध युग की प्रसूति मानना सर्वथा उचित है ।

संस्कृत साहित्य में कई नीलकण्ठ हो चुके हैं, किन्तु प्रस्तुत अन्यायपदेश शतक के प्रणेता श्री नीलकण्ठ कवि, ओष्ठशतककर्ता शुक्लजनार्दनसूनु कवि नीलकण्ठ, काशिकातिलककर्ता रामभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ भट्ट, कुण्डमण्डपविधानकर्ता नीलकण्ठ, गणराजशतककर्ता कविनीलकण्ठ शर्मा, नारायणगीताकर्ता नीलकण्ठ ब्रह्मचारी, ब्रह्ममीमांसाभाष्यकर्ता नीलकण्ठशैवाचार्य भगवन्तभास्करकर्ता शंकरभट्ट सूनुनीलकण्ठभट्ट, भारतभावदीप तथा मंत्र रहस्यप्रकाशिका कर्ता गोविन्द पुत्र नीलकण्ठ चतुर्थर तथा वर्षतन्त्रकर्ता अनन्तदैवज्ञ सूनु नीलकण्ठ दैवज्ञ ने पूर्णतः भिन्न हैं । वास्तुतः ये सब नीलकण्ठ नाम वाले कवि प्रायः एक ही देश और काल में उत्पन्न हुए ।

नीलकण्ठ की कृतियाँ भी एक सौ चार प्रबन्धों के प्रणेता अपने पूज्य पितामह अम्पय्य की भांति अनेक हैं । 'कलिविडम्बून', 'मभारंजन', 'शान्तिविलास', 'वैराग्यशतक', 'अन्यापदेश शतक', तथा 'आनन्द सागरस्तव' इन छः प्रख्यात ग्रन्थों को कवि नीलकण्ठ की 'षडग्रन्थी' कहा जाता है । ये समस्त ग्रन्थ 'काव्यमाला' में प्रकाशित हैं । नीलकण्ठविजय (चम्पू) की परिणामाप्ति का समय कवि ने स्वयं संवत् ४७३८ (कलिवर्ष) अर्थात् सन् १६६१ स्वीकार किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ववर्षों की भांति नीलकण्ठ भी दीर्घायु (१५७०-१६६१-- ६१ वर्ष) थे ।

श्री नीलकण्ठप्रणीत अन्यापदेशशतक कुल ४८ विषयों पर प्रणीत एक सौ तीन अन्योक्तियों का संकलन है । सांयात्रिक, कामी, वणिक्, मधुमक्षिका, विषदुग्ध, जीवन, वृश्चिक, पृथ्वी तथा ब्रह्म आदि विषय प्रयोग की दृष्टि से सर्वथा नवीन, किन्तु शेष ३६ विषय विशेष विषयों में ही अन्तर्भूत हैं । ग्रन्थ का प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस बम्बई से

सन् १८६० ई० में काव्यमाला षष्ठ गुच्छक के रूप में हुआ है ।

१०- श्रीगीर्वाणन्द्र दीक्षित (सन् १६०० से १७०० तक के बीच)

श्री नालकण्ठ दीक्षित के तृती- पुत्र गीर्वाणन्द्र का समय भी सत्रहवीं शता और अठारहवीं शताब्दी का प्रथम पाद भी होना सम्भव है । कविकृत अन्योक्ति- ग्रन्थ 'अन्यापदेश' का प्रकाशन 'डुलिटिन आफ दि गवर्नमेण्ट ऑरियण्टल मैन्सुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी मद्रास' (भाग ७ संख्या १, सन् १९५४ ई०) तथा श्री मन्महाराज संस्कृत पाठशाला पत्रिका, मैसूर (सम्पुट ३३, संचिका ३-४, सन् १९३७ ई०) में हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल ५७ विषयों पर ११२ अन्यापदेशों का संकलन किया गया है जिसमें कि वनवदा, मर्कट, महाग्राह, कीचक, घोवर, मत्स्युण, लशुन, कदली, तिमिर तथा हाग प्रायोगिक दृष्टि से प्रायः नूतन ही कहे जा सकते हैं । गीर्वाणन्द्र की अन्य कृतियाँ, शृंगारकोषभाण, पदार्थ- दीपिका व्याख्या न्यायप्रकाश तथा कार्तिकेयविजय काव्य हैं । पं० शेषाचार्य ने प्रपञ्चनार के भी गीर्वाणन्द्र की ही कृति मानी है ।

११- पण्डितराज जगन्नाथ (१५६० से १६७०ई० तक)

जगन्नाथ कवि वेगिनाड अथवा वेगिनाडु (*Vengināṭiya*) कुलोत्पन्न तैलंग ब्राह्मण पेरु अथवा पेरम मट्ट तथा लक्ष्मी के पुत्र थे । पेरममट्ट ने वाराणसी में ज्ञानेन्द्र- मिश्रा ने वेदान्त महेन्द्रपण्डित से न्यायवैशेषिक, खण्डदेव से पूर्व मीमांसा तथा शेषवीरेश्वर ने महाभाष्य पढ़ा । पण्डितराज ने समस्त शिक्षा अपने पिता से ही ग्रहण की । मनोरमा- कुचमर्दन नामक उनके ग्रन्थ से यह भी विदित होता है कि पण्डितराज ने श्रेष्ठ शेषवीरेश्वर से भी कुछ शिक्षा पाई । अपने यौवनकाल में जगन्नाथ मुगलबादशाह शाहजहाँ, शाहजुआदा दाराशिकोह, उदयपुरनरेश जगत् सिंह तथा असम प्रान्त के नरेश प्राणनारायण के आश्रय में रहे । शाहजहाँ का राज्यकाल सन् १६२८ से ५८ तक है, क्योंकि सन् ५८ में ही वह अपने

१- द्रष्टव्य-- टी० चन्द्रशेखरन् कृत प्रस्तावना, मद्रास प्रति ।

२- ,, -- पं० शेषाचार्य कृत प्रस्तावना, मैसूर प्रति ।

कनिष्ठ पुत्र औरंगजेब द्वारा कारागार में मारा गया जहाँ २ वर्ष बाद सन् १६६६ में उसकी मृत्यु हो गई । दारा को हत्या, और औरंगजेब ने पहले ही करा दी थी । शाहजहाँ का सलाहकार भी, जगन्नाथ का प्रमुख परचाक था । अपने इन परचाकों की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के ही ध्येय से जगन्नाथ ने भाभिनी विलास, जगदाभरण, प्राणाभरण (काव्य) तथा आसक विलास (आख्यायिका) की रचना की । जगदाभरण को कुछ विद्वान् दाराशिकोह की ही प्रशस्ति स्वीकार करते हैं । उनके अतिरिक्त अमृतालहरी, करुणालहरी, पीयूषलहरी, सुधालहरी, लक्ष्मीलहरी (काव्य) चित्रमोमांसाखण्डन, मनोरमाद्युक्मर्दन तथा रणगाधर, पण्डितराज प्रणीत अन्न प्रविद्ध प्रकाशित कृतियाँ हैं ।

यदि 'लवंगीवृत्तान्त' को ऐतिहासिक माना जाय तो 'दिल्ली-वल्लभपाणि पल्लवतले नीतं नवीनं वयः' (भाभिनी विलास) कवि की इस स्वीकृति के अनुसार शाहजहाँ के दरबार में प्रथम आगम के समय कवि की अपस्था लगभग पैंतीस वर्ष की प्रतीत होती है । क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से पण्डितराज विषयक तीन प्रमुख तथ्य एक साथ ही सिद्ध हो जाते हैं । एक तो यह कि वे शाहजहाँ के बादशाहत पाने के पूर्व ही जहांगीर के आश्रय में आ चुके थे दूसरा यह कि प्रख्यात आचार्य अप्पय्यदीक्षित (सन् १५२०-१६२६ तक) उनके युग तक जीवित थे (और किम्पी भेंट में दीक्षित ने यकीन रख लेने के कारण जगन्नाथ पर छींटाकरी भी की थी ?) और तीसरा यह कि 'सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्र परं चिन्त्यते' पण्डितराज के इस आत्मकथन के अनुसार उनकी बुद्धावस्था काशी में बताती थी । इस दृष्टि से पण्डितराज का जीवनकाल सन् १५६० से १६७० ई० तक होना चाहिए, जैसा कि डा० आर्येन्द्र शर्मा ने स्वीकार किया है ।

'भाभिनी विलास' पण्डितराज का एकमात्र अन्यापदेश ग्रन्थ है जिसमें कवि प्रणीत प्रास्ताविक शृंगार, करुण तथा शान्त नामक चार विलासों का संकलन है । प्रास्ताविक विलास का विषय ही अन्यापदेश है, जिसमें कुल ५२ विषयों पर प्रणीत १२७ अन्योक्तियों का संग्रह प्राप्त होता है । किन्तु पण्डितराज द्वारा ही प्रणीत मानी गई लगभग १४०० अन्योक्तियों का एक संकलन, वृन्दीनरेश, विजयापट्टम द्वारा, तेलगू लिपि में सन् १८६६ ई० में

१- द्रष्टव्य--'पण्डितराज काव्य संग्रह' की भूमिका । उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रकाशन, हैदराबाद, सन् १९६० ई० ।

प्रकाशित किया गया । इसी ग्रन्थ से कुल २६४ विषयों पर प्रणीत ५६७ अन्योक्तियों का संकलन डा० आर्येन्द्र शर्मा ने भी 'चम्पादित ग्रन्थ 'पण्डितराज काव्य संग्रह' (१०१२३-१८८८क) में किया है किन्तु इस संग्रह को देखने में स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जगन्नाथ की रचना नहीं है वरन् विभिन्न कवियों के समर्पणिय अन्यापदेशों को संग्रहित करके किसी व्यक्ति ने उसे प्रसिद्धि पाने के ध्येय से पण्डितराज के नाम मढ़ दिया । संग्रह के अनेक पद्य प्राचीन संग्रह ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं । उदाहरणार्थ 'रे रे कोकिल मानजमानम्' आदि, हरिदासकृत प्रस्तावरत्नाकर में (सन् १५५७ ई०) तथा 'ये शिरसा निहता अपि' प्रभृति पद्य आचार्य गोवर्धन कृत आर्यासप्तशती का ४७ वां पद्य है, जिनका समय स्पष्टतः बारहवीं शता का अन्त भाग है । इसी प्रकार अन्य भी बहुत सी अन्योक्तियां प्राचीन कवियों की हैं, जो कि पण्डितराज की प्रवृत्ति के प्रतिकूल हैं, क्योंकि भामिनीविलास में प्रायः सभी अन्योक्तियां उन्हीं की रचना है । पण्डितराज द्वारा वर्णित विषय प्रायः प्राचीन ही हैं, तथापि विधाता रूप, हिमालय, राघव मत्स्य, गुरु, लघुन, सीता, काम, तीर्थ, निन्दक, यती, निन्दक सत्पंगति तथा भाग्यादि विषयक अन्यापदेश प्रायः नवीन हो हैं ।

+

+

+

१२- श्री आच्चान् दीक्षित (१८ वीं शती ?)

आच्चान दीक्षित प्रणीत अन्योक्तिमाला का प्रकाशन 'बुलेटिन आफ दि गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मैन्सुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास' (बाल्युम ५ संख्या १) में सन् १९५२ में हुआ है । ग्रन्थ में दो आश्वास हैं जिनमें क्रमशः ८० तथा १०३ अन्यापदेशों का संकलन किया गया है । उभयनिष्ठ विषयों को छोड़ देने पर अन्यापदेश विषयों की कुल संख्या ४२ होती है । विषय प्रायः वही है जो कि पूर्व कवियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं । फिर भी माधव, जम्बीर, मण्डूक, बकुल, कासर, सीता, तथा वर्षा नदी संबंधी अन्योक्तियां प्रयोग की दृष्टि से प्रायः नवीन ही प्रतीत होती हैं ।

ग्रन्थ के अन्त में कवि अपने को 'श्रीमदप्पय्यदीक्षित वंश जात कहता है । नीलकण्ठदीक्षित के समस्त ग्रन्थों में दी गई अन्तिम पुष्पिका से यह सिद्ध होता है कि वे अप्पय दीक्षित के सगे भाई आच्चा दीक्षित के पौत्र थे । नीलकण्ठ के तृतीय पुत्र श्री गीवाप्पिन्द्र ने भी आत्मचरित्र में अप्पय्य-आच्चा नारायण तथा नीलकण्ठ का नाम लिया है । अतः यदि अन्योक्ति मुक्तमवली के कर्ता आच्चान् को आच्चा दीक्षित ही समझा जाय तो स्पष्टतः उनका समय सोलहवीं शती का उत्तरार्द्ध होगा, क्योंकि

की निन्दा तथा विचारण्य, नृसिंहात्म एवं अप्पय्यदीक्षित रीति प्रख्यात अज्ञेताचार्यों की प्रशंसा करता है । अप्पय्य की स्मरण करने के कारणों, कवि का जीवनकाल पष्टतः १७ वीं शती अथवा उसके बाद ही होना चाहिए, क्योंकि जनद्विति के अनुसार मन् १६२६ तक श्रीदीक्षित जी जीवित थे । डा० कृष्णमूर्ति ने मन् १७०० तथा १८०० के बीच कवि का समय माना है जो कि निश्चायक प्रमाणों के अभाव में उक्ति ही प्रतीत होता है ।

प्रो० हरियप्पा ने 'कल्प' शब्द को कवि का जन्मस्थान का परिचायक समझ कर, बंगलोर जिले के मगडी तालुका में स्थित 'कल्प' नामक गांव को ही कवि का जन्मस्थान माना है, किन्तु डा० कृष्णमूर्ति जी ने कविप्रणीत जनकजानन्द नाटक की प्रस्तावना में प्राप्त प्रमाण के आधार पर 'कल्प' शब्द को कवि के वंश का परिचायक (— कल्यान्ववाय) माना है । बंगलोर के बहुत से तेलुगुभाषी स्मार्त ब्राह्मण परिवार जो कौशिक गोत्र के हैं, अपनी उपाधि 'कल्प' रखते हैं । तेलुगु शब्दकोश शब्दरत्नाकर तथा किरिटलकृत कन्नड शब्दकोश के अनुसार 'कल्प' शब्द का अर्थ भाग्यवान (*auspicious*) सुधी (*SKilled*) आदि होता है । अतः निश्चित है कि 'कल्प' कवि के वंश का ही प्रतीक है, न कि स्थान का । यद्यपि कुर्नुल जिले में अहोबल पर्वत के पास कुर्नुल से १६ मील दूर पूर्वदिशि तथा चुड्डापह (*Cuddapah*) से ६० मी० पश्चिमोत्तर कोण में आज भी 'कल्प' (*Kalwa*) नामक स्थान है । किन्तु प्रमाणाभाव में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कवि का जन्मस्थान है रहा होगा । वैसे स्थूल रूप से बंगलोर-मण्डल को ही कवि की जन्मभूमि मानी जा सकती है ।

कवि कौमुदी में, कुल ४४ विषयों पर १४० अन्योक्तियों का संकलन है । प्रथम शतक के प्रारम्भिक चार पद्य तथा द्वितीय के तीन पद्य अन्योक्तिरूप नहीं हैं, केवल परिचयात्मक है । टिप्पणी रूप में उद्धृत यदि मद्रास पाण्डुलिपि को भी गणना में लिया जाय तो सात नवीन विषय और बढ़ जाते हैं । इस प्रकार लक्ष्मीनृसिंह प्रणीत अन्योक्तियों का विषय, सब मिलाकर ५१ तथा उनकी संख्या १४८ हो जाती है । धुक, गरुड, मधुच्छिष्टघुटिका, पांचालिका, मल्लुक, पिशाच, कंकजम्बुकसंवाद, काकधुकसंवाद, कंकजम्बुक संवाद (द्वि०श्ल० श्लोक ३६, ४०, ४१) चित्रदीप तथा गृद्ध सम्बन्धी अन्योक्तियों प्रयोग की दृष्टि से सर्वथा नवीन हैं । इसी प्रकार मद्रास पाण्डुलिपि में स्थित, शिवनयनाभि (कनका) विद्या (कनधि तथा कासर?) प्रभृति विषय भी सर्वथा नवीन हैं ।

--- कविकौमुदी की डा० कृष्णमूर्ति कृत प्रस्तावना, पृ० ३ ।

१४- श्री वीरेश्वरमट्ट (उन्नीसवीं शती ई०)

काव्यमाला के पांचवे गुच्छक (सन् १६३७ द्वितीय संस्करण) में उल्लिखित श्री वीरेश्वर प्रणीत अन्त्योक्ति शतक, १०५ पद्यों का एक समणिय संग्रह है। शंकरानन्दनाथपरक प्रथम तथा आत्मपरिचयपरक अन्तिम दो पद्यों को छोड़कर शेष १०२ पद्य अन्यापदेश रूप हैं जो कि भ्रमर, खद्योत, चन्दन, गज, सागर, चन्द्र, गन्धवाह, भक्तेशास्त्र, कीर, लक्ष्मी, वृषभ सिंह, आम्र, वायस, चातक, चक्रोर, मरालवाल, वारिद, हिमागम तथा किम्पाक इन २० विषयों को लेकर लिखे गये हैं।

आत्मपरिचयात्मक पद्यों से केवल यही प्रतीत होता है कि कवि संभवतः किरीट नरेश का आश्रित था, क्योंकि पद्य १०४ में उस व्यक्ति की प्रशंसा गाते हुए कवि ने चन्द्र सागर, कल्पतरु, सुमेरु एवं कामधनु को भी तुलना के लिए अयोग्य बताया है (संसारं भवतस्तुलां कल्पितुं कौ वा समर्थो भवेत् ?) इसी प्रकार अन्तिम पद्य १०५ से यह ज्ञात होता है कि मौद्गल्य वंश में उत्पन्न तथा द्रावि चक्रवर्तिमुकुटालंकाररूपी श्रीहरि कवि के पिता थे। यदि हरि की द्वितीय उपाधि का राजपरक अर्थ लिया जाय तो पूर्वपद्य में प्रशंसित नरेश संबंधी तथ्य और दृढ़ हो जाता है। अतः सिद्ध है कि वीरेश्वर मट्ट द्राविडदेश अर्थात् दक्षिणीभारत में विद्यमान किसी नरेश के राजकवि रहे। सम्भवतः कवि शैवमतानुयायी था जैसा कि प्रथम पद्य से स्पष्ट है। प्रमाणाभाव में भी कवि को अर्वाचीन (१६ वीं शती) ही स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि रचना पूर्वकृतियों से पूर्णतः प्रभावित प्रतीत होती है।

१५- श्री विश्वेश्वरपण्डित (सन् १८०० से १८६५ के बीच)

हिमालय कुञ्ज में विद्यमान अल्मोड़ा नगर में 'पडिया के पाण्डे' नामक पर्वतीय ब्राह्मण कुल में कवि का जन्म १८ वीं शती के प्रथम पाद में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधरपण्डित था। जनश्रुति जो कवि के प्रणीत ग्रन्थों को देखते हुए सर्वथा सत्य प्रतीत होती है के अनुसार विश्वेश्वर ने दश वर्ष की अवस्था में ही काव्यरचना प्रारम्भ की तथा पचीसों ग्रन्थों को लिखकर केवल चालीस वर्ष की ही अवस्था में बुढ़िया हो गया। इस प्रकार कवि का जीवनकाल स्पष्टतः उन्नीसवीं शती का पूर्वार्ध

माना जा सकता है। सन् १९११ ई० में प्रकाशित कवि के ग्रन्थ 'कर्वाण्डकपीठभरण' (काव्यमाला गुच्छक =) की भूमिका में महा० पं० दुर्गाप्रसाद जी ने यह सूचना दी थी कि कविवंश के आठवें पुरुष देवेश्वर (दुन्नीलाल) उस समय गंगतट पर विष्णुमान 'अनूपशहर' नामक नगर में रहते थे। सम्भवतः जब भी कवि की वंशपरम्परा क अज्ञात ही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता।

विश्वेश्वर पण्डित कृत 'सटीक आर्यासिद्धि' गोवर्धनाचार्य के अनुकरण पर लिखी गई एक शृंगारिक रचना है, किन्तु गोवर्धन की ही भांति विश्वेश्वर ने भी पद-पद पर अन्यापदेशों की रचना अपने ग्रन्थ में की है। समस्त ग्रन्थ में इन अन्यापदेशों के विषयों तथा स्वयं उनकी संख्या क्रमशः ३१ तथा ४५ हैं। इनमें अक्वग, कालिन्दी, पारावत तथा प्रमर के व्यपदेश से ली गयीं अन्योक्तियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नवीन हैं। विषय विस्तार के लिए ग्रन्थ द्रष्टव्य है।

१६- श्री महालिंगशास्त्री (बीसवीं शती ई०)

श्री महालिंग शास्त्री स्म० बी० स्ल० प्रणीत 'व्याजोक्ति रत्नावली' दक्षिण भारत में स्थित 'थिरुवैयारु' (*Thiruvaiyaru*) नामक स्थान से सन् १९५३ ई० में प्रकाशित हुई। ग्रन्थ की प्रस्तावना में स्वयं कवि ने कहा है कि प्रस्तुत कृति में सन् १९१६ से २८ तक के बीच प्रणीत किये गए अन्यापदेशों का ही संकलन उराने किया है और सन् १९२८ के बाद लिखी गई अन्योक्तियों का एक दूसरा संग्रह वह निकटमविषय में ही प्रकाशित करेगा। किन्तु दूसरे संग्रह के सम्बन्ध में कोई सूचना न प्राप्त होने के कारण उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री शास्त्रीजी का जन्म तंजौर जिले के 'तिरुवैलंगुडे' नामक स्थान पर संभवतः सन् १८६० तथा १९०० के बीच हुआ, क्योंकि व्याजोक्ति रत्नावली में प्रदत्त प्रमाण के अनुसार सन् १९१६ में वे एक सफल वकील के रूप में जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। उक्त स्पष्ट है कि बी० स्ल० की डिग्री प्राप्त करते समय सम्भवतः शास्त्री जी की अवस्था बाईस-तेईस वर्ष की रही होगी और ऐसा स्वीकार कर लें पर कवि का जन्मकाल सन् १८९५-९६ के आस पास सिद्ध होता है। कवि ने 'साहित्यचन्द्रशाला' की स्थापना करके

उनी के विविध पुष्प रूप में अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया । सन् १९५३ तक लिखी गई कृतियों में -- व्याजोक्ति रत्नावली, किंकिणीमाला, प्रमरसन्देश, शम्भुचर्योपदेश, द्राविडार्यानुमाविधितप्तति तथा कोण्डिन्य प्रहसन, अत्यन्त प्रख्यात हैं । इनमें से व्याजोक्ति रत्नावली ही अन्यापदेशग्रन्थ है, अन्य नहीं ।

प्रसृत ग्रन्थ की स्माप्ति में लिखित पुष्पिका से यह भी सिद्ध होता है कि महालिंग का जन्म श्री अप्पयदीक्षित के ही वंश में हुआ । मन्नार्गुंडिराजशास्त्री नाम से प्रसिद्ध महामहोपाध्याय श्री त्वागराजमहिराज कवि के प्रपितामह तथा महामहोपाध्याय महोपदेशक, शास्त्ररत्नाकर श्री केशव कवि महालिंग के पिता थे । पितामह तथा माता का उल्लेख कवि ने नहीं किया है ।

व्याजोक्ति रत्नावली में कुल ४६ विषयों पर प्रणीत १२५ अन्यापदेशों का संग्रह है । विषय प्रायः सब प्राचीन ही हैं तथापि प्रयोग की दृष्टि से इन्द्र, मूषक, ग्रीष्मागम, त्रिशंकु, लूता, भूतगण, कुक्कुट, रतुरं तथा कुड़या (*The decayed wall.*) ये नौ विषय नवीन हैं । जैसा कि कवि ने प्रस्तावना में लीकार किया है ये अन्यापदेश भारत में स्थित तत्कालीन अंग्रेजी राज्य को भी यथास्थान लक्ष्य करते हैं और शतक का पहला दूसरा, दसवां इकतीसवां, उनतालीसवां तथा चौंसठवां पद्य स्पष्टतः माण्टेग्यूचेम्सफोर्ड सुधारयोजना, श्रीमान सिन्हा(?) जी की अंग्रेजों के गमकदा पदोन्नति, इंग्लैण्ड के सम्राट का भारतपर्यटन, आदि विषयों को लक्ष्य करके प्रणीत किये गये हैं । ग्रन्थ आद्यन्त (घ) शार्दूलविक्रीडित छन्दों में लिखा गया है ।

(घ) अप्रकाशित अन्योक्ति रचनाएं

अन्योक्ति ग्रन्थों की समस्या पर पहले ही विचार किया जा चुका है कि उनकी संख्या एक ओर जहां विशाल हैं, वहीं दूसरी ओर तद्विषयक अत्यल्प ग्रन्थ ही आज प्राप्त होते हैं । नेपाल, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, केरल, मद्रास, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र प्रभृति प्रान्तों के जगत्प्रसिद्ध पुस्तकालयों में अन्योक्ति विषयक सैकड़ों ग्रन्थ आज भी खण्डितरूप में प्रष्ट रूप में अथवा पूर्णरूप में भी सुरक्षित हैं । प्रकाशित ग्रन्थों का उनके कर्ताओं के साथ ही विवरण पीछे उपस्थित किया जा चुका है । सम्भव है कि कुछ प्रकाशित ग्रन्थ हूट भी गये हों, किन्तु इसके दो ही सम्भाव्य कारण हैं । या तो वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं तथा प्राचीन ग्रन्थों के ही संयाक्यंचित् अंशभूत हों, जैसे डा० हेबर्लिन द्वारा

सम्पादित काव्यसंग्रह की 'वातकाष्टक', 'भ्रमराष्टक' एवं 'वानराष्टक' प्रमृति अन्योक्तियां । पं० जीवानन्द विद्यासागर कृत 'काव्यसंग्रह' को अन्योक्तियां भी इसी कोटि की हैं । वस्तुतः उन संग्रहों में प्रनिपादिन अष्टक मौलिक न होकर संकलनमात्र हैं । दूसरा कारण यह सम्भव है कि फुटकर रूप में उन अन्यापदेशों का प्रकाशन अधुनातन पत्र पत्रिकाओं में हुआ या हो रहा हो । ऐसे अष्टकों, दशकों अथवा अन्य संख्यक प्रकाशकों की अव्यायान्त में केवल सूचना मात्र दी जायगी । क्योंकि प्रत्येक रचयिता का जीवन परिचय देना न तो सम्भव ही है और न तो प्राचीन महाकवियों की तुलना में समकाल एवं गौरवपूर्ण ही है । वाणी की अमन्द धारा तथा उसके सफल तैराक, देश एवं काल की सीमा में बंधे नहीं हैं अतः उनकी परिगणना का प्रयास गहना मात्र होगा ।

शेष बचे अप्रकाशित ग्रन्थ, जिनका संकलन अनेक प्रान्तीय सूचीपत्रों तथा उनके संकलनकर्ता विद्वानों के प्रमाण पर किया गया है । उनका संक्षिप्त परिचय कालक्रमानुसार उपस्थित किया जा रहा है --

१- कविरत्न चक्रवर्ती (१४ वीं शती ई०)

चक्रवर्ती प्रणीत 'अन्योपदेशकाव्यम्' की एकमात्र पाण्डुलिपि गौहाटी (आसाम) में विद्यमान 'डिपार्टमेंट आफ हिस्टोरिकल रेण्ड एण्टीक्वेरियन स्टडीज' नामक संस्था के पास है । ऐसा वहां के सूचीपत्र से ज्ञात होता है । चक्रवर्ती कवि की उपाधि या उपनाम है । वस्तुतः उनका नाम कविरत्न अथवा कविराज है । सूक्तिमुक्तावली, शांगंधर पद्धति एवं सुभाषितावली में 'कविरत्न' या 'कविरत्नक' के अन्यापदेश संग्रहित हैं । किन्तु सदुक्तिकर्णामृत में ये नाम नहीं प्राप्त होते । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि 'कविरत्न' 'सूक्तिमुक्तावलीकार जल्हण के समसामयिक एक प्रख्यात कवि थे । जल्हण का समय तेरहवीं शती का उत्तरार्द्ध और सम्भवतः १४ वीं का पूर्वार्द्ध भी है । गौहाटी सूचीपत्र के सम्पादक डा० पी०सी० चौधरी भी कवि का समय १४ वीं शती आंकते हैं । किन्तु संग्रहग्रन्थों के प्रामाण्य से सिद्ध होता है कि उनमें उद्धृत 'कविरत्न' 'अन्योपदेशकाव्यकार' हैं ।

१- द्रष्टव्य-- डा० पी०सी० चौधरी द्वारा सम्पादित 'ए कैटलाग आफ संस्कृत मेन्स्युरिज' का हिस्टोरिकल रेण्ड एण्टीक्वेरियन स्टडीज पृ० ४३ ।
'कविरत्न' गौहाटी, सं० १९६१ ई० ।

हीं थे तो निश्चित ही वे १३ वीं शती के भी उत्तरार्द्ध में विद्यमान थे । सदुक्ति कर्णामृत में न होने के कारण यह भाव और स्पष्ट हो जाता है कि कवि कर्णामृतकार श्रीधरदास के समय (१३ वीं शती का पूर्वार्द्ध) तक नहीं था ।

ग्रन्थ का नाम 'अन्योपदेश काव्य' है । इसका प्रतिनाम अन्यापदेश ही है या नहीं ? यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । किन्तु लगता ऐसा ही है कि ग्रन्थ अन्यापदेशकाव्य ही होगा । बाद में प्रतिलिपिकारों ने मूल से 'अन्या' का रूप 'अन्यो' कर दिया । मिथिला के सूचीपत्र में मधुसूदनकृत अन्योक्ति ग्रन्थ का भी नाम 'अन्योपदेश शतक' ही दिया गया है । इसी प्रकार आफ्रेक्ट, राघवन तथा वेलंकर प्रमृति विद्वानों ने अपने सूचीपत्रों में 'अन्योपदेशरत्नाकर' तथा 'अन्योपदेश' ग्रन्थों का विवरण दिया, जो वस्तुतः अन्योक्ति ग्रन्थ है । अतः 'ऐसी मूल हो जाना कोई असम्भव बात नहीं' । कविरत्नकृत यह ग्रन्थ सर्गों में विभक्त है क्योंकि गौहाटी में इसका केवल प्रथम सर्ग ही प्राप्त है । ग्रन्थ गणेश की वन्दना से प्रारम्भ होता है । कवि ने महाभारत के वनपर्व पर 'पाण्डवी गीता' नामक टीका भी लिखी है ।

२- राममद्राम्बा (१७ वीं शती पूर्वार्द्ध)

सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर में अज्ञात नामा कर्ता द्वारा प्रणीत एक 'अन्यापदेशशतक' पूर्णरूप में विद्यमान है । इसमें विविध विषयों पर प्रणीत लगभग सत्तासी अन्योक्तियाँ हैं । पद्य ८५, ८६ तथा सत्तासी में कर्तृ परिचय विषयक प्रमाण प्राप्त होते हैं । पद्य ८६ इस प्रकार है --

' त्वं पद्मे ऽधिकमागधेयविभवा यं (यन्) नैत्रयोरंचले नित्यं तिष्ठसि राममद्रनृपतेः सेवे ऽहमन्तेदिशा कीर्तेऽलं हसितेन दूरगतयाप्याकृष्टचित्तस्त्वया मामप्यंकगतां... तृणलघुप्रायामयं मन्यते ॥

यद्यपि सूचीपत्र के सम्पादक श्री पी०पी०एस० शास्त्री ने केवल प्रश्नचिह्न लगाकर ही कर्तृविषयक तथ्य को तिलांजलि दे दी है और डा० बर्नेल ने भी इस ग्रन्थ को ही पूर्णतः उपेक्षित कर दिया है किन्तु इतने पर भी उक्त पद्य से कुछ निर्णय किया जा सकता है -- एक तो यह कि प्रस्तुत शतक 'राम राजा राममद्र' के दरबार में प्रणीत किया गया । दूसरा यह कि इसका लेखक कोई सफल कवयित्री (स्त्री है) क्योंकि 'मामप्यंकगतां' का प्रयोग स्पष्टतः स्त्रीत्व को उल्लेखित करता है और तीसरा यह कि कवयित्री उस नरेश की प्रेयसी अथवा बहुत प्रिय थी कि उसकी सन्तान थी । क्योंकि किसी राजा की गोद में बैठने की बात केवल साम्राज्ञी ही कर सकती है ।

केरलीय ऐतिहासिक प्रमाणों के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि सत्रहवीं शती के प्रारम्भ में वहाँ के इतिहास पर एक महान् प्रतापशाली तथा विद्वान नरेश रघुनाथ नायक विद्यमान था । रघुनाथ नायक स्वयं एक मेधावी विद्यमान था । उनकी प्रसिद्ध रचनार्थे पारिजात हरण, बात्मीकिचरित, श्वयुतन्द्राम्युदय, गजेन्द्रमोक्ष, नलाम्युदय, रुक्मिणी, कृष्णविवाह, यज्ञगान तथा रामायण आदि ग्रंथ हैं । रघुनाथ के दरबार में अनेक यशः काम कवि कवयित्रियों को सम्मान प्राप्त था । प्रख्यात कवयित्री मधुरवाणी ने राजा रघुनाथ द्वारा तैलमू भाषा में प्रणीत 'रामायण' का संस्कृत में अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त नरेश के प्रधानामात्य श्री गोविन्द दीक्षित ने 'साहित्य सुधा' अमात्यपुत्र यज्ञनारायण ने रघुनाथभूपविजय, रत्नखेट श्रीनिवास के पुत्र राजबुडामणि ने भी रघुनाथ भूपविजय तथा स्वयं राजा की विदुषी साम्राज्ञी रामभद्राम्बा ने 'रघुनाथाम्युदय' काव्य की रचना करके राजा का गौरव अद्भुत बनाया । सम्भवतः यही रामभद्राम्बा उपर्युक्त 'अन्यापदेश' शतक की कवयित्री है क्योंकि उद्धृत उद्धृत श्लोक में प्रतिपादित भाव, उन्नी पदा में चरितार्थ होता है । निश्चित है कि लक्ष्मी (द्रव्य) के लोभवश नक्तन्दिव युद्ध करने के लिए समुत्सुक अपने वीर पति को चिढ़ाने के ध्येय से रानी ने यह पद्य लिखा । ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार राजा रघुनाथनायक का राज्यारोहण काल सन् १६१४ है । उसका योग्य पुत्र वीरराघवनायक सन् १६६२ ई० तक राज्य करता रहा । इस प्रकार स्पष्ट है कि रानी रामभद्राम्बा का साहित्यिक जीवन सत्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध रहा होगा ।

यद्यपि १७ वीं शती में ही उत्पन्न कवयित्री प्रियम्बदा के पति का भी नाम 'रघुनाथ' ही था और प्रियम्बदा भी 'श्यामारहस्य' जैसे कृष्णचरित काव्य का प्रणयन करने वाली एक विदुषी कवयित्री थी किन्तु तब भी उसका पति कोई 'नृपति' नहीं था अतः 'अन्यापदेश' शतक की कवयित्री वह नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार बघेलवंशीय रीवां नरेश रामचन्द्र (सन् १५५५-६२ ई०) की पत्नी 'यशोदा' भी कवयित्री न होने के कारण 'अन्यापदेश' शतक की कर्तृता से दूर है ।

३-चन्द्रचूड (१८ वीं शती का पूर्वार्द्ध)

चन्द्रचूडकृत 'अन्योक्ति कण्ठाभरण' पं० गोविन्दशास्त्री नासिक के व्यक्तिगत संग्रह में है तथा अप्रकाशित है किन्तु थियोडोर आफ्रेक्ट ने इसे 'काव्यमाला' के अन्तर्गत

अस. २२ पृष्ठा, ११ पंक्तियाँ, ३८ अक्षर । पुस्तक संख्या ५७४

प्रकाशित लिखा है । इति पाठ्य पर पुस्तक के लिए ब निर्णयमागर के अधिकारियों को पत्र भी लिखा दिन्तु उनसे यह ज्ञात हुआ कि पुस्तक उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है । जो भी हों, किन्तु यह स्पष्ट है कि अन्य शतकों की भाँति 'अन्योक्ति-कण्ठाभरण' भी सौ मुक्तक अन्यापदेशों का संकलन है । किन्तु पं० गोविन्द शास्त्री के संग्रह में इसका नाम 'भावविलास' दिया गया है जो कि पूर्णतः अंगत है क्योंकि भावविलास राजा भावसिंह के राजकवि रुद्र की एक स्वतन्त्र रचना है । चन्द्रबूट ने ग्रन्थ के द्वितीय पद्य में स्पष्टतः लिखा है कि --

श्लोकाः शतं यत्र भवन्ति मुक्तशिख्रोच्चिता गाढमयप्रबन्धाः ।

तच्चन्द्रबूटो जनरंजनार्थमन्योक्ति-कण्ठाभरणं तनोति ॥

इस प्रकार कवि के स्वतः प्रामाण्य के अनुसार ग्रन्थ में सौ पद्य हैं । प्रथम पद्य में कवि ने भगवान् शंकर की वन्दना की है । इनके विपरीत भावविलास में कुल १३६ पद्य हैं तथा प्रथम पद्य में आश्रयदाता मानसिंह की प्रशंसा है । दोनों ग्रन्थों में इतना वैषम्य होते हुए भी 'न्युकैटालागस' कैटालागस' पृ० १७६ पर ग्रन्थ की सूचना देते हुए डा० वी० राघवन कहते हैं -- *"A name of Bhava Vilāsa of Rudra Nyaya Uchhaspati. Printed*

in Kavyamālā, Gucc. II. p. 111-128."

वस्तुतः इस उद्गार से

आश्चर्य होने के साथ ही साथ यह सोचकर खेद भी होता है कि विद्वदगण कोई सूचना देते समय उसके औचित्यानौचित्य का ध्यान न रखकर अपना पिण्ड भर छुड़ाते हैं । नासिक में विद्यमान सूचीपत्र में ग्रन्थ का समय संवत् १७६६ (सन् १७३६ ई०) दिया गया है । किन्तु यह नहीं स्पष्ट है कि यह समय कवि चन्द्रबूट द्वारा स्वयं निर्दिष्ट ग्रन्थ रचना का समय है अथवा प्रतिलिपिकार का । अतः दोनों ही दशाओं में चन्द्रबूट का समय व या तो अठारहवीं शती का पूर्वार्द्ध है अथवा इससे पूर्व ॥ श्री वर्णेकर जी ने अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ के पृ० १४७ पर प्रस्तावचिन्तामणि के प्रणेता तथा सुन्दरराज द्वारा प्रणीत सूक्तिसुन्दर में उद्धृत चन्द्रबूट का समय १७ वीं शती का अन्त स्वीकार किया है ।

४-घनश्याम (१८वीं शती पूर्वार्द्ध)

सन् १०१ पृष्ठों से युक्त घनश्यामकृत अन्यापदेशशतक की सफिद्ध पाण्डुलिपि, सरस्वती नदी किनारे बंगौर में है । घनश्याम, तंजौर नरेश तुको जी मोसले (सन् १७२६ ई०) के प्रधानमंत्री थे । प्रस्तुत ग्रन्थ के अतिरिक्तकवि ने संस्कृत में लगभग ६४ ग्रन्थ रचि हैं । इनमें से अनेक प्रणीत अथवा संशोधित भाषाओं में २५ ग्रन्थों की रचना की ।

कवि को वा पत्नियां -- सुन्दरा और कमला की तत्पन्त विदुषो यः । उन्होंने संयुक्त रूप से राजरंजर कृतविद्वशालमंजिका को 'चमत्कारतरंगिणी' नामक टोका लिखा है । इस टोका में घनश्याम के व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व के विषय में प्रभूत सामग्री मिल जाती है । इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्य के अनुसार कवि का समय निश्चित रूप से १२ वीं शती का पूर्वार्ध है ।

घनश्यामकृत अन्यापदेश में अन्तिम परिचयात्मक पद्य को छोड़कर कुल सौ अन्यापदेश हैं जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है -- तस्यासौः उक्तेः कृता सुवि शतश्लोको विरं वर्धताम् । किन्तु विद्वशालमंजिका को टोका में कवि को पत्नियां सुन्दरी और कमलापति के ग्रन्थों की गणना करते हुए कहता है -- व्यायोगोऽन्यापदेशानां सहस्रं राजरंजनम् (पद्य ८) जिसे सित होता है कि कवि ने अन्यापदेश सम्बन्धी दो ग्रन्थ लिखे थे । किन्तु 'अन्यापदेश-सहस्र' नहीं प्राप्त होना । शतक की खण्डित लिपि के केवल अंतिम दश पद्य प्राप्त होते हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय केतक, धनूर तथा विभु आदि हैं ।

५-१६ सोमनाथ, स्कनाथकाश्यप, श्री रघुनाथ तीर्थ क शिष्य, गोविन्दचन्द्र महापात्रदेव रविवर्मराज गदाधरभट्ट नारायणदास श्री निवास चन्द्रमाणिक्य देव, रुद्र माणिक्यदेव, शिवशंकरदेव, मोहन शर्मा तथा संग्रहग्रन्थों में अन्य अज्ञात कवि ।

अब कुछ ऐसे कवियों पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है जिनकी कृतियां तो खण्डित अथवा पूर्णरूप में प्राप्त हैं किन्तु अब उनके विषय में कहीं कुछ भी सामग्री नहीं प्राप्त होती ।

५- सोमनाथ कवि प्रणीत अन्योक्ति मुक्तावली की तीन प्रतियां महाराज बीकानेर के पुस्तकालय में है । इसी ग्रन्थ को अन्योक्तिशतक भी कहते हैं जिसको एक प्रति गुजरात प्रान्त के किसी व्यक्तिगत पुस्तकालय में है । कवि के विषय में कोई इतिवृत्त किसी भी स्रोत में नहीं प्राप्त होता । डा० राघवन् द्वारा निर्दिष्ट 'प्राच्य पाण्डुलिपि' पुस्तकालय सूचीपत्र उज्जैन (पृ०३२) से ज्ञात होता है कि कवि का दूसरा नाम 'नारायण सोमनाथ भी था

१-सविस्तर द्रष्टव्य-- दिकाण्डीव्यूअन आफ वीमन टु संस्कृत लिटरेचर वालूम -१(द्विभा) डा० जे०बी० चौधरी द्वारा प्रकाशित एवं संपादित, कलकत्ता १९४३ ई० (श्रीचौधरीकृत प्रस्तावना भी द्रष्टव्य)

२-श्री. राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित बीकानेर का सूचीपत्र सन् १८८०-८८कलकत्ता (कटालागस केटालागस भाग-२, पृ०४) संख्या २८५, ६१३ तथा ३२६४ ।

३-श्री. राजेन्द्रलाल मित्र की अध्यक्षता में 'सम्पादित' गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, सिन्धु प्रांत के व्यक्तिगत पुस्तकालयों का सूचीपत्र (चारभाग सन् १८७९-७६ तक) भाग २ सं० ७० ।

४-श्री. राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित न्यू केटालागस, पृ० १७६ ।

सम्भवतः कवि बहुत प्राचीन नहीं है ।

६- रघुनाथकाश्यप कृत 'अन्यापदेशशतक' की एक सम्पूर्ण प्रति नासिक निवासी पं० गोविन्दशास्त्री के व्यक्तिगत संग्रह में है । ग्रन्थ में कुल ३१० पद्य हैं जिनमें प्रथम तीन मंगलाचरणों सम्बद्ध हैं । वाग्देवी की वन्दना (पद्य १) के पश्चात् तृतीय पद्य में कवि स्वयं कहता है --

'अन्यापदेशशतकं प्राञ्जलात्परमर्भितम् ।

काश्यपेन मया नूतनं रच्यते विदुषाम्बुधे ॥'

इस पद्य के काश्यप तथा नूतन शब्द से यह ध्वनित होती है कि कवि सम्भवतः काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण, साथ ही साथ उन्नीसवीं शती के आसपास ही पैदा हुआ था । नासिक के सूचीपत्र में शक संवत् १७६५ (सन् १८७२ ई०) का उल्लेख है । अतः यदि यह संवत् स्वयं कवि द्वारा अपनी रचना के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया है तो निश्चित है कि उसका जीवनकाल उन्नीसवीं शती का उत्तरार्द्ध है । नासिक में प्रति प्राप्त होने से यह भी प्रतीत होता है कि सम्भवतः कवि दक्षिण भारत का ही निवासी था । प्रत्यक्षात् न होने के कारण प्रतिपाद्य के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता ।

७- श्री रघुनाथ तीर्थ के शिष्य द्वारा विरचित 'अन्योक्तिशतक' (अथवा अन्यापदेश) की प्रति भी प्राच्य पुस्तकालय मद्रास के पाण्डुलिपि संग्रह (संख्या ३१५२) में विद्यमान है । प्रति खण्डित है, क्योंकि इसके केवल आठ से लेकर १३६ तक के पद्य ही उपलब्ध हैं । आठवें पद्य का भी उत्तरार्द्धनात्र प्राप्त होता है जिसमें कवि ने अपने पूज्य गुरु श्री रघुनाथतीर्थ की वन्दना की है -- 'नित्यं श्री निलयं नृपालवल्यं तूलौघमालोक्ते तस्मै श्रीरघुनाथतीर्थपुरवे भूयः प्रयुजे नमः ।' प्राचीन परम्पराओं के प्रामाण्यानुसार राजा अथवा समस्त राजवर्ग को तूलौघ निर्मूल्य तथा अकिंचित्कर समझने वाले प्रायः संसार से मुक्त साधु-सन्त ही रहते हैं । अतः ऐसा आभास होता है कि रघुनाथ तीर्थ भी सम्भवतः कोई सांसारिक प्रपञ्चों से मुक्त सन्यासी ही थे ।

प्रसिद्ध दार्शनिक मध्वाचार्य का ही दूसरा नाम आनन्दतीर्थ था, ऐसा परम्परयात् ज्ञात होता है । मध्व के अधिकांश ग्रन्थों पर टीका लिखने वाले श्री जयतीर्थ के दो गुरु

१- डा० मण्डारकर के तत्समाधान में सम्पादित बम्बई प्रेसीडेन्सी के व्यक्तिगत पुस्तकालय के विमान पाण्डुलिपियों की सूची । बम्बई सन् १८८३ ई० (भाग-१ संख्या २५४) ।

पद्मनाभ तीर्थ तथा ब्रजोन्मय तीर्थ । बार्नेट ने अपने ब्रिटिश म्यूजियम लूचीफर (भाग २ पृ० ४१=) में इन्हीं 'ब्रजोन्मय' का दूसरा नाम रघुनाथ तीर्थ दिया है । अतः इस वाक्य के अनुसार तो श्री जयतीर्थ को ही 'अन्योक्ति शतक' का कर्ता होना चाहिए । किन्तु इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में रचना किन कवि को है और वास्तव में किस युग की है । प्राप्त पाण्डुलिपि के नवें पय में कवि ने अन्त 'अन्योक्ति' विषयों की गणना की है जो कि उक्त ग्रन्थ में आये हैं । वे विषय श्लोक क्रमानुसार इस प्रकार हैं -- जीमूत, पान्कर, उवाकर, शैल, चिन्धु, धात्रीरुह (वृद्धा) व्रतति, पत्रि (पत्रा) आदि ग्रन्थ के (प्राप्त) अन्तम पय में उक्त के व्यपदेश ने किसी स्मृति का वृत्त उपस्थित किया गया है ।

८- गोविन्दचन्द्र महापात्रदेव की कृति 'अन्यापदेशश्लोकशतक' के विषय में बार्नेट का कथन है कि -- *A century of Stanzas conveying by implication various morals. Compiled with Oriyā paraphrases and notes by Govinda chandra . pp. 42. Cuttack 1902.* किन्तु बहुत प्रयास करने पर भी चूंकि इस अन्योक्ति ग्रन्थ की रचना किसी स्वदेशी सूची ग्रन्थ में नहीं मिली अतः स्पष्टतः माना जाता है कि इस ग्रन्थ की रचना ही प्रति है जो कि 'ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन' में है । महापात्र वंश का सम्बन्ध उड़ीसा प्रान्त में विद्यमान ब्राह्मणों से है जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, अपने को महापात्र ही लिखते हैं । सम्भवतः प्रस्तुत शतक का कर्ता भी विश्वनाथ का ही वंशज कोई व्यक्ति रहा हो । श्री बार्नेट महोदय ने ग्रन्थ के साथ जो 'उड़िया व्याख्या' होने की बात कही है, उससे भी यह तथ्य सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि गोविन्दचन्द्र महापात्र चौदहवीं शती के बाद ही उत्पन्न कोई महापात्र वंशीय ब्राह्मण थे, क्योंकि विश्वनाथ का समय १४ वीं शती ई० है । यद्यपि जल्हण प्रणीत 'सूक्तिमुक्तावली' तथा शारंगधर कृत पद्धति के अन्यापदेश संग्रहों में मट्टगोविन्दराज की अन्योक्तियां संकलित हैं किन्तु 'महापात्र' उपाधि न होने के कारण प्रस्तुत कवि से उनकी रचना नहीं स्थापित की जा सकती ।

१- ब्रह्मव्य -- ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन का सूचीपत्र, पृ० १६३ तथा ६०१। स्ल०डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित सन् १९०८। (भाग एक) ।

६- रविकर्मराज प्रणीत अन्यापदेशशतक की प्रति नी ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन में ही है^१। श्री बार्नेट महोदय के विवरणानुसार इसमें कुल २०२ अन्यापदेशों का निबन्धन है। कवि का उपाधि 'इवल कडटनाडु' (*Idaval Kadattanadu*) है जो संभवतः दक्षिणात्य कवियों की परम्परा के अनुसार 'कविवंश' अथवा 'निवासस्थान' का प्रतीक होगा। कवि के विषय में और कुछ नहीं ज्ञात है।

१०- डा० राघवन द्वारा सम्पादित 'न्यूकैटालागु केटालागरम' पृ० १७६ पर श्री गदाधर भट्ट प्रणीत 'अन्योक्ति-रत्न-करण्डका' का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह ग्रन्थ अब प्राप्त होता है या नहीं इसका कोई भी उल्लेख सम्पादक ने नहीं किया है। वास्तुतः जैसे घनश्याम कवि की पत्नियों ने बिद्वशालभञ्जिका की टीका में पतिप्रणीत 'अन्यापदेशसहस्र' का उल्लेख किया है, ठीक उसी प्रकार गदाधर भट्ट ने स्वयं 'रसिक जोवन' नामक अपनी रचना में (भाग ३, चरम पद्य) इस अन्योक्ति ग्रन्थ का उल्लेख मात्र किया है। सूचीपत्रों से इसकी पाण्डुलिपि भी कहीं विद्यमान होने की बात नहीं ज्ञात होती। संभवतः यह ग्रन्थ अब लुप्त हो चुका है।

११- 'नारायणदास प्रणीत अन्यापदेशशतक' की पाण्डुलिपि, अणि पण्डित पुस्तकालय, पोस्टऑफिस वेणु बाजार सिंहट (आसाम) में विद्यमान है ऐसी सूचना डा० राघवन ने दी है। किन्तु कवि तथा उसकी रचना के विषय में कोई विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सम्भवतः कवि असम प्रदेश का हो निवासी रहा हो, क्योंकि रचना वहीं प्राप्त होती है। वैसे यह कोई सबल प्रमाण नहीं है।

१२- श्रीनिवास कवि प्रणीत 'अन्यापदेशशतक' की एक प्रति (संख्या १८८०) राजकीय प्राच्य पुस्तकालय, मैसूर में है^३। ग्रन्थ में कुल अठारह पण हैं तथा श्लोक ग्रन्थ लिपि में लिखे गये हैं। संस्कृत-साहित्य में इतने 'श्रीनिवास' नामक कवि एवं विद्वान् हो चुके हैं कि उनमें से किसी एक को बिना किसी प्रबल साक्ष्य के प्रस्तुत शतक का कर्ता मान

१- वही०, पृ० ८८६। (भाग ६)

२- दृष्टव्य -- डा० राघवन कृत 'न्यूकैटालागु केटालागरम' पृ० १७६।

३- दृष्टव्य -- राजकीय प्राच्यशास्त्रालय लिखित संस्कृत पुस्तक प्रदर्शनी, भाग ६ मैसूर स

(30) सन्दिग्ध अन्योक्ति रचनाएं

कुछ अन्योक्ति ग्रन्थों को 'सन्दिग्ध' शीर्षक के अन्तर्गत केवल दो मुख्य कारणों से रखा जा रहा है। एक तो यह कि चूंकि उनके प्रणेता का कोई भी उल्लेख उनकी प्राप्त पाण्डुलिपियों में नहीं है, अतः यह नन्देह है कि वास्तव में वे किसी कवि विशेष द्वारा प्रणीत कोई मौलिक कृति हैं अथवा छिटपुट संग्रहमात्र। दूसरा कारण यह है कि कुछ पुस्तकालयों में विशेष करके नासिक एवं तंजौर में अन्योक्ति सम्बन्धी ऐसे शतक हैं, जिनका नाम पीछे व्याख्यात हो चुका है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि नासिक एवं तंजौर के ये ग्रन्थ पूर्वोक्त ग्रन्थों से भिन्न हैं अथवा अभिन्न। सम्भाव्य ग्रन्थों का क्रमशः विवेचन किया जा रहा है। --

१- अन्योक्ति

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतियां, भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल पूना (५६।२५) मण्डारकरप्राच्यशोधसंस्थान, पूना, दक्कन (*Daccan*) कालेज पूना, त्रिवेन्द्रम तथा प्राच्य पाण्डुलिपि मुस्तकालय मद्रास (संख्या १४६१२) में है। जी०व्युहलर तथा आर्कीबाल्ड गफ में भी अपने शोध निबन्धों में इसी नाम वाले ग्रन्थ का उल्लेख किया है। किन्तु यह नहीं निश्चित है कि उपर्युक्त संस्थाओं में प्राप्त तथा व्युहलर एवं गफ द्वारा निर्दिष्ट अन्योक्ति संज्ञक ये ग्रन्थ एक ही हैं या परस्पर भिन्न।

२- अन्योक्तिषट्सुमाषितम्

प्रस्तुत ग्रन्थ केवल ६ अन्योक्तियों का षट्क मात्र है तथा पंजाब प्रान्त के किसी जैन मण्डार में सुरक्षित है।

३-अन्योक्तिषुमाषितम्

प्रस्तुत काव्य की पाण्डुलिपि अनूपसंस्कृतग्रन्थागार, बीकानेर में सुरक्षित है।

४- अन्योक्तिसंग्रह

इसकी प्रतियां 'राजकीय प्राच्य पुस्तकालय मैसूर में तथा मिथिला प्रदेश में विद्यमान हैं। मिथिला की पाण्डुलिपि सम्भवतः 'बिहार रेण्ड उद्दीप्ता रिसर्चसोसाइटी के अधिकार में है, क्योंकि वहीं के सूचीपत्र में इसका उल्लेख भी है।

१- सन्दिग्ध अन्योक्ति रचना शीर्षक में प्रदत्त समस्त ग्रन्थों तथा उनमें उद्धृत पत्र, पत्रिकाओं का विस्तृत विवरण नामों के लिए द्रष्टव्य--डा० राखबनकृत 'न्यू कैटालाग्स कैटालागर्स' में १९५०-५१ तथा उद्धृत पत्रों की व्याख्या, पृ० ८ से ३६ तक (प्रास्ताविक अंश)।

५- अन्योक्तिपरिच्छेदा :

इस ग्रन्थ की प्रतियां मण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, तथा दकनकालेज पूना में हैं। व्युहलर स्वं गङ्गा ने अपने शोधनिबन्धों में इस ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है। किन्तु दकन पाण्डुलिपि, ठीक उसी प्रकार की है अथवा नहीं, जो कि ऊपर 'अन्योक्ति' रूप में दी गयी है। अतः सम्भव है कि दोनों ग्रन्थ मूलतः एक हैं और उनमें केवल नाम भर का भेद है।

६- अन्योक्तिमालिका

प्रस्तुत ग्रन्थ की दो प्रतियां (सी ५२३ तथा बी ३६४) मैसूर राजकीय प्राच्य पुस्तकालय में हैं। देवनागरी लिपि में लिखित पहला प्रति पन्द्रह पन्ने की तथा 'आ' (?) लिपि में लिखित दूसरी, बीस पन्ने की है।

७- अन्यापदेश

प्रस्तुत ग्रन्थ की एक पाण्डुलिपि आसाम प्रान्त के 'डिंगडिंगी' नामक स्थान के निवासी श्री कालीदत्तशर्मा के पास है। इसमें कुल ८५ पद्य हैं। इसी नाम वाले ग्रन्थ की अन्य पाण्डुलिपियां लालबन्द रिसर्वलाइब्रेरी डी०ए०वी० कालेज लाहौर (संख्या ४०६०) में, पंजाब युनिवर्सिटी लाइब्रेरी लन्डन (संख्या-२३६५४-५७) में-तथा चण्डीगढ़ (संख्या ४८७२) में सरस्वतीमहल लाइब्रेरी तंजौर (संख्या २३६५४-५७) में तथा प्राच्यपाण्डुलिपि पुस्तकालय, मद्रास (संख्या १४८४०) में भी हैं। मद्रास पाण्डुलिपि अपूर्ण है, किन्तु उसके प्राप्तांश से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका लेखक अत्यन्त विद्वान् स्वं प्राज्ञ था। कवि स्वयं कहता है -- "किञ्चित् मामकं चित्तं हारिणं चिद्विहारिणं निर्मलं भजताधेन मत्कृति-स्सक्तमत्कृतिः" आदि। अन्य पद्यों में व्याकरण कौशल भी दिखाया गया है। प्राप्त ग्रन्थ का अन्तिम पद्य सहकार-विषयक अन्योक्ति है। यह अवश्य तथ्य है कि नीलकण्ठदीक्षित गीर्वाणन्द्रदीक्षित तथा रघुनाथ शिष्य के ग्रन्थ भी 'अन्यापदेश' नाम वाले हैं किन्तु प्रस्तुत अन्यापदेश, उन तीनों से पूर्णतः पृथक् है, जैसा कि उन तीनों के पूर्वव्याख्यान से सिद्ध भी है किन्तु आसाम, लाहौर, चण्डीगढ़, तंजौर तथा मद्रास की स्कसंज्ञक पाण्डुलिपियों के एक्य के विषय में बिना प्रत्यक्षीकरण के कुछ भी कहना असम्भव ही है।

८- अन्यापदेशश्लोका :

इस अन्योक्ति ग्रन्थ की पाण्डुलिपि बदयार लाइब्रेरी में है, साथ ही श्रीपत्र (मास २, १९७७) से ज्ञात होता है।

६-अन्यापदेशाप्तानि:

प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन (संख्या ८१६३) में है, ऐसा एंगलिज़ द्वारा तैयार किये गये, वहाँ के सूचीपत्र में ज्ञात होता है। सम्भवतः रचना में ७२ पद्य होंगे जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है।

१०-अन्यापदेशशतकपूर्व व्याख्यात समस्त अन्यापदेश शतकों के भिन्न इस ग्रन्थ की चार प्रतियाँ (३८६०, ६१, ६३ एवं ६४) गणवती महल लाइब्रेरी तंजौर में हैं। अप्रकाशित अन्योक्ति रचनाओं के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि भट्टगोविन्द चन्द्र रविवर्मराज नारायणदास श्रीनिवास, चन्द्रमाणिक्य, रुद्रमाणिक्य तथा शिवशंकर देवकृत अन्योक्ति ग्रन्थों का भी एक नाम 'अन्यापदेशशतक' ही है। अतः बहुत सम्भव है कि अज्ञातकर्तृक रचनायें इन्हीं कवियों में से किन्हीं दो की हों। 'दो' कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रतियाँ तो चार हैं किन्तु संख्या ३८६० तथा ६१ एक ही ग्रन्थ की दो भिन्न प्रतियाँ हैं, इसी प्रकार अन्य दोनों भी एक ही ग्रन्थ की दो प्रतियाँ हैं। इनमें से प्रथम दो प्रतियाँ पूर्ण हैं तथा १०० पद्यों से युक्त हैं। इनके प्रारम्भिक तीन पद्य क्रमशः 'चम्पक-महादेव तथा चम्पक' से सम्बद्ध हैं इसी प्रकार अन्तिम दोनों पद्य (६६ एवं १००) जल तथा सागर से सम्बद्ध हैं। ग्रन्थ की दूसरी पद्य केवल ६६ वें पद्य तक है, शेष ४ पद्य खण्डित हैं। ग्रन्थ के अन्त में कोई पुष्पिका नहीं प्राप्त होती। सम्भवतः यही रचना गोविन्दचन्द्रमहापात्र की है, क्योंकि बार्नेट के प्रामाण्यानुसार उसमें भी ठीक सौ पद्य ही हैं, अधिक या कम नहीं।

अन्य दोनों प्रतियाँ अपूर्ण हैं और केवल ६३ पद्यों से युक्त हैं। कवि ने प्रथम पद्य में भगवान् शंकर की वन्दना तथा दूसरे में कवियों की प्रशंसा गाई है। पद्य ६२ तथा ६३ पद्योक्तक एवं सागर सम्बन्धी अन्योक्तियों के हैं। बार्नेट ने इन चारों पद्य ही प्रतियों का उल्लेख किया है।

११-अन्योपदेश:

कोल्हापुर में विद्यमान, श्री लक्ष्मीसेन भट्टारक जी जैन मठ के मण्डार में प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि है ऐसा श्री स्व०डी० वेलंकर द्वारा सम्पादित 'जिन रत्नकोश' (पृ०१२) से ज्ञात होता है। वस्तुतः यह ग्रन्थ 'अन्यापदेश' होना चाहिये जैसा कि स्वयं सम्पादक ने भी प्रश्नवाचक चिह्न द्वारा यही तथ्य सूचित किया है। ग्रन्थ की संख्या १२१ है।

१२- अन्यापदेशरत्नाकरः

जोरियण्टललाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी आर बंगाल के गा। प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि है। ग्रन्थ के अ. कि. आर्चेबिशप ने भी स्वाकार किया है 'अन्यापदेश रत्नाकर' है।

(च) आधुनिक अन्यापदेश ग्रन्थ

अंग्रेजों के शासन-काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किस प्रकार हुआ इस विषय पर संग्रहग्रन्थों की भूमिका में ही प्रकाश डाला जा चुका है। यह तथ्य अवश्य है कि उसी युग में देश के विभिन्न केन्द्रों से संस्कृत वाग्धारा के प्रसार एवं प्रचार के निमित्त, अनेक समाचारपत्रों का प्रकाशन भी प्रारम्भ हुआ जो कि प्रायः वार्षिक षा. त्रैमासिक-मासिक-मासाहिक अथवा दैनिक थे। वस्तुतः साप्ताहिक एवं दैनिक संस्कृत पत्रों का प्रकाशन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ और उसके पूर्व भी मासिक पत्रिकाओं की ही संख्या अधिक थी। सहृदया (मासिक) संस्कृत परिषत् (मासिक) सूर्योदय (मासिक) मञ्जूषा (मासिक) भारती (मासिक) सरस्वती-सुषमा (त्रैमासिक) तथा संस्कृत प्रतिभा (त्रैमासिक) आदि पत्रिकाएँ काशी, जयपुर, कलकता तथा दिल्ली आदि स्थानों से प्रकाशित होने वाली हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं में भी अन्यापदेशों का समय-समय पर प्रकाशन होता रहा है।

श्री भोलानाथ कविराज द्वारा प्रणीत अन्यापदेशों-कविचातक-अन्यापदेश संस्कृत साहित्य परिषत् (वर्ष १७ भाग ३, जुलाई १९३४ ई०) में प्रकाशित इन्हीं प्रकार की अन्यापदेश रचना है। कवि प्रणीत इस रचना में कुल ३१ पद्य हैं जिनमें से अन्तिम तीन परिचयात्मक हैं। इसी प्रकार पं० जगूवंकटाचार्य प्रणीत 'काकान्योक्तयः' तथा श्रीकान्तपाण्डेय प्रणीत 'अन्योक्तिदशकम्' का प्रकाशन 'संस्कृतप्रतिभा' (द्वितीयोन्मेष द्वितीय विलास, अक्टूबर १९६० ई०) में हुआ है। वस्तुतः पत्र-पत्रिकाओं में अन्यापदेश रचनाओं को खोजना, अपने ही सिर पर आफत मोल लेना है। क्योंकि जन-जीवन को विविध प्रवृत्तियों को अभिरामतम शैली में प्रकाशित करने के कारण अन्यापदेश पद्धति कवियों का कण्ठहार, सब दिन रही और आज भी है। अतः नये-पुराने वाङ्मय में इसका बाहुल्य है कि उसको संकलित करना दुष्कर है। वस्तुतः सरस्वती का अमन्द निष्कर्ष और उसके पितापुत्र कविगण, देश काल की सीमा में बंधे नहीं हैं। अतः प्रत्येक युग उनकी अन्यापदेश रचना है।

प्रतिभा वल्लभराय त्रिवेदी ने क्रमशः अन्यापदेश-साहस्री तथा अन्यापदेश का प्रकाशन किया है किन्तु वे संग्रह मात्र हैं।

षष्ठ अध्याय

-०-

अन्योक्ति-साहित्य का काव्यात्मक एवं शास्त्रीय

विवेचन
०००००

षष्ठ अध्याय

-0-

अन्योक्ति-साहित्य का काव्यात्मक

स्व

काव्यशास्त्रीय विवेचन

काव्य एवं शास्त्र में अत्यन्त प्राचीन काल से भेद होता चला आ रहा है । आचार्य मट्टनायक ने शब्दप्राधान्य का आश्रय लेकर प्रणीत की गई रचना को 'शास्त्र' अर्थतत्त्व से युक्त रचना को आस्थान तथा शब्द एवं अर्थ दोनों का समान योग होने पर व्यापार प्रधान रचना को 'काव्य' स्वीकार किया था । इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य को त्रिविध बाह्यमय ही अभीष्ट था । परन्तु इसके विपरीत कुछ आचार्यों ने बाह्यमय के चातुर्विध्य की भी स्थापना की है-- 'शास्त्र-काव्य-शास्त्र काव्य एवं काव्य शास्त्र' । बाह्यमय मत इन बर्गीकरणों को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि उसके प्रमुख एवं समुचित भेद दो ही हैं -- शास्त्र एवं काव्य । वस्तुतः इन दोनों में सिद्धान्त एवं व्यवहार का सा संबंध है । अतः जैसे बिना सिद्धान्तों को जाने-बुझे व्यवहार में प्रवृत्त होना, कभी कभी मनुष्य के लिए उपहास का कारण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना 'शास्त्रज्ञान' के काव्य रचना का प्रयास भी बहुत सफल नहीं होता । इसी कारण आचार्य राजशेखर ने शास्त्र एवं काव्य रूप बाह्यमय का दो ही भेद स्वीकार करते हुए काव्य-रचना के पूर्व ही शास्त्रों में, अतिरिक्त होने की राय दी है । क्योंकि जैसे बिना ज्ञान के ही एक-दूसरे अन्वय में विद्यमान रहते हुए भी वस्तु समूह का दर्शन, भावों को

१- काव्य-शास्त्र-विवेचन, पृ० २६८ (बड़ौदा संस्करण) ।

काव्य-शास्त्र-विवेचन, पृ० २६८ (बड़ौदा संस्करण) ।

नहीं करा पाते, ठीक वही दशा उनकी भी है जो बिना शास्त्र ज्ञान के ही काव्य-रचना करने को स्मृत्युक्त रहते हैं ।

राजशेखर के मतानुसार शास्त्र के दो भेद हैं -- अपौरुषेय तथा पौरुषेय । चार वेद एवं ऋग्वेदांगे अपौरुषेयशास्त्र तथा पुराण-बान्धीचिकी-मीमांसा-स्मृतितन्त्र ये चार पौरुषेयशास्त्र कहे जाते हैं । इन्हीं चौदह शास्त्र-भेदों को चतुर्दशविद्यास्थान भी कहा जाता है । त्रैलोक्यगत समस्त विषय नहीं, चतुर्दश अंगों के अन्तर्गत हैं (तान्येतानि कृत्स्नामपि मूर्धुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते - काव्यमीमांसा) कुछ आचार्यों ने वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र तथा दण्डीति को भी सम्मिलित करके, विद्य स्थानों की संख्या १८ स्वीकार की है । काव्यमीमांसा में, शास्त्र के इन समस्त भेद-प्रभेदों का अत्यन्त विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है ।

काव्य, आचार्य मत्तोत के अनुसार 'कविकर्म' को कहते हैं -- 'तस्यकर्म स्मृतं काव्यम्' किन्तु काव्य की यह परिभाषा, केवल उसके कर्ता की ओर संकेत करती है । अतः प्रतिपाद्य की दृष्टि से विचार करने पर काव्य कविकर्म होने के अतिरिक्त और भी कुछ प्रतीत होता है, जैसे कि आचार्य मातृह से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक के विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न रूपों में प्रकट किया है । किन्तु इन समस्त विद्वानों का प्रतिनिधित्व आचार्य मम्मट की परिभाषा ही करती है, जिसके अनुसार निर्दोष, अश्लेष तथा सालंकार शब्दार्थ समष्टि ही काव्य है । आचार्य राजशेखर ने इसी काव्य को पन्द्रहवां-विद्यास्थान मानते हुए कहा है कि काव्य, शास्त्रगत समस्त चतुर्दशविद्यास्थानों का स्मृतात्र आयतन (आधारशिला) है ।

किन्तु अपनी इस व्यक्तिगत व्याख्या को पुष्ट करने के निमित्त, राजशेखर ने विन कारणों का उल्लेख किया है, वे विशेष प्रभावशाली नहीं हैं । क्योंकि नवपद्यत्व, कविधर्मत्व तथा हिलोपदेशकत्व, ये तीनों ही लक्ष्य शास्त्रपदा में भी प्रायः उही मात्रा में घटित हो जाते हैं । केवल कविधर्म की अतिरिक्तता अपौरुषेय शास्त्रों में असम्भव है,

१- सविस्तर द्रष्टव्य -- काव्यमीमांसा, त्रितीय अध्याय । चौदहवां संस्करण सन् १९३४ ई.

२- ,, ,, ,, वही० ।

किन्तु पौरुषेय शास्त्रों में तो इसका प्रत्याख्यान किया ही नहीं जा सकता । शेष दोनों तथ्य, भी, काव्य की ही मांति शास्त्रपदा में भी सत्य हैं । हितोपदेशकत्व तो बल्कि, सांसारिक दृष्टि से काव्य की अपेक्षा शास्त्रों में ही अधिक प्राप्त होता है । तब फिर आचार्य राजशेखर प्रोक्त यह काव्योत्कर्ष कैसे संगत होगा ?

वस्तुतः शास्त्रों की अपेक्षा काव्य की उत्कृष्टता का सबल प्रमाण, आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश में प्राप्त होता है, जहाँ आचार्य ने काव्य-रचना के षड्विध प्रयोजन बताये हैं-- यज्ञ:प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहारज्ञान, अमंगल विनाश, सद्यःपरनिर्वृत्ति तथा बान्तासम्मित उपदेश । मम्मट ने 'गद्यपद्यमयता तथा कविधर्मता का उल्लेख किया ही नहीं है, क्योंकि वे इतने साधारण तथ्य हैं कि उनको देना या न देना दोनों बराबर हैं । यज्ञ एवं धन की प्राप्ति, व्यवहारज्ञान तथा अमंगलविनाश, यद्यपि काव्यों के ही समान शास्त्रों द्वारा भी सम्भव है किन्तु दोनों ही पद्यों की अपनी एक स्वतन्त्र विशेषता है । शेष दोनों तत्त्व ही वस्तुतः 'काव्य' के प्राण हैं जो कि उसे शास्त्रों से पूर्णतः व्यतिरिक्त, एक स्वतन्त्र स्थान देते हैं । 'सदुपदेश' शास्त्र भी देते हैं, काव्य भी देते हैं । किन्तु कैसे देते हैं? यही तथ्य काव्योत्कर्ष का मूल कारण है । वस्तुतः अपौरुषेय वेदादि शास्त्र प्रभु के रूप में तथा ~~पौरुषेय~~ ^{तथा काव्य पत्नी के रूप में उपदेश देता है। अतः काव्योत्कर्ष} कारणेतिहासादि, मित्र के रूप में जो जामबिक में सुख, जो माधुर्य, जो युगान्तरकारी प्रभाव और जो तन्मयता है, वह शास्त्रों में पूर्णतः असम्भव है । वेधातुकी सृष्टि में नारी को अंम - प्रत्यंम पौरुषशृंखला में बांधकर भी पुरुष को नारीत्व का ही उपासक बनाया गया है, इसे ध्यान में रखना चाहिए ।

आचार्य ~~मम्मट~~ के ही पद-चिह्नों पर चलते हुए मम्मट ने वेदादि शास्त्रों को शब्द-प्रधान, पुरुषादि पौरुषेय शास्त्रों को अर्थ प्रधान, किन्तु काव्यों को रसात्मकता प्रधान माना है । शब्द एवं अर्थ दोनों ही काव्य में मौल्य होते हैं तथा उनमें रसात्मक व्यापार भी प्रवण होता है । यदि ऐसा नहीं हुआ, अर्थात् यदि काव्य में शब्द ही प्रधान रहे और सब उनका मुष्णीभूत बहव रहा तो वह काव्य उसम कोटि का न होकर मध्यम बलवा बलम कोटि का ही होता है । मध्यम एवं बलम को ही आचार्य ने मुष्णीभूत व्यंग्य तथा अव्यंग्य भी कहा है । वस्तुतः इसी रसप्रवणता के कारण काव्य, शास्त्र से उत्कृष्ट, विलक्षण तथा लोकजीवर वर्णना युक्त होता है ।

— काव्यप्रकाश, प्रथम अध्याय ।

नि

निष्कर्ष यह है कि 'शास्त्र' एवं 'काव्य' दोनों ही वाङ्मय के दो स्वतन्त्र भेद हैं। वस्तुतः शास्त्र प्रमुखित उपदेश देने के ही कारण 'शास्त्र' अथवा 'शासक' रूप में कल्पित किया गया है। यह 'सिद्धान्त' अथवा नियामकता से भी सम्बद्ध माना जाता है। अतः इस दृष्टि से, लोक में प्राप्त प्रत्येक वस्तु का शास्त्र से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं -- सिद्धान्त एवं प्रयोग। हृदयंगम करने की सृष्टि से जब किसी वस्तु-विशेष की आदर्श रूपरेखा एक वैज्ञानिक रीति से, लोक के समझ रखी जाती है तो उसे 'सिद्धान्त' कहते हैं और जब उसी निर्दिष्ट वैज्ञानिक रूपरेखा को लोकजीवन में कार्य रूप में परिष्कृत किया जाता है, तो वही 'प्रयोग' कहा जाता है। उदाहरणार्थ नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत द्वारा प्रदत्त नाट्य संबंधी रूपरेखा उसका सिद्धान्त है, जब कि शाकुन्तल प्रभृति नाटकों में कवि कालिदास द्वारा उमी रूपरेखा को अमल में लाना, उसका प्रयोग-पक्ष है। इस प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से किसी वस्तुविशेष के सिद्धान्त एवं प्रयोग उसके दो पृथक पक्षों को संकेतित करते हुए भी अन्ततः एक ही सिद्ध होते हैं।

ऊपर बताया गया है कि शास्त्र, प्रमुखितता के ही कारण 'शास्त्र' रूप में भी कल्पित किये गये हैं क्योंकि वे 'सिद्धान्त पक्ष' के प्रतीक हैं। प्रमुख, का नियोग सब को अनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ता है इसी कारण स्मस्त वेदांगों (शिक्षा, कल्प, निरुक्त व्याकरण-ज्योतिष तथा छन्द तथा षड्वर्णियों) को अकेले न कहकर, उन्हें उनके 'शास्त्र' से सम्बद्ध ही स्वीकार किया जाता है, जैसे -- शिक्षाशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि।

जैसे 'शास्त्र' सिद्धान्त पक्ष का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार 'काव्य' प्रयोगपक्ष का। क्योंकि कवि कर्म को ही 'काव्य' कहते हैं जो कि किसी भी सिद्धान्त का लोकजीवन में प्राप्त प्रायोगिक अथवा व्यावहारिक पक्ष उपस्थित करता है। किन्तु इन दोनों ही पक्षों का प्रयोग जब संकीर्ण अर्थ में किया जाता है तो 'शास्त्र' केवल हः वेदांगों के तथा काव्य 'समुष्ण निर्दोष एवं सालंकार शब्दार्थ रूप काव्य विशेष' के ही प्रतीक बनते हैं। चूंकि कवि ब्रह्मन्तदर्शी होता है, साथ ही साथ त्रैलोक्यगत कोई भी भावमंभी उसकी पहुँच से बाहर नहीं होती, अतः वह शास्त्रों को भी काव्य रूप में ढाल देता है। ऐसे कवि को ही महाकवि राजशेखर 'शास्त्र कवि' कहते हैं। इसी प्रकार सार्वजनीन लौकिक भावों को साधक के भाव्यमय रूप में उपस्थित करने वाला कवि 'काव्यकवि' है।

इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे हम किसी वस्तु का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पद कहें अथवा उसका शास्त्रीय एवं काव्यात्मक पद दोनों में कोई भेद नहीं। किन्तु जब हम आचार्य मम्मट द्वारा लक्षित 'तददोषोशब्दार्थोसगुणावलंकृती पुनः काव्यम्' रूप काव्य विशेष के दोनों पदों को संकेतित करना चाहें तो किस विधान का प्रयोग करेंगे ? वस्तुतः उपर्युक्त स्वरूप वाले काव्यविशेष का सिद्धान्त पद विवेचित करने के लिए 'काव्यशास्त्र' (Poetics) का जन्म हुआ। इन्हीं को अलंकारशास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। चूंकि अन्योक्ति भी मम्मटोपदिष्ट काव्य सामान्य का ही अंगविशेष है, अतः अपने अंग की दृष्टि से उसके उभयपदों का विवेचन करते समय 'काव्यशास्त्रीय तथा काव्यात्मक' शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

इस अध्याय में वाङ्मय का काव्यशास्त्रीय विवेचन ही इष्ट है। क्योंकि पूर्वोल्लिखित धारणा के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई शास्त्रीय अथवा सैद्धान्तिक पद अवश्य होता है। किन्तु काव्यशास्त्रीय विवेचन, काव्यात्मक विवेचन के बिना अधूरा रहता है, क्योंकि जब तक किसी सिद्धान्त का लोकजीवन में प्रयोग न दर्शाया जाय, तब तक पाठकवर्ग को उस सैद्धान्तिक सत्यता की कोई प्रतीति ही नहीं हो सकती। अतः यही रीति सर्वोत्तम है कि विषय की सरलता के लिए प्रमाण पहले दे दिये जाय तथा प्रमेय सिद्धि बाद में की जाय। क्योंकि प्रमाण उपस्थित रहने पर प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसी दृष्टि से अन्योक्ति वाङ्मय का काव्यात्मक पद पहले देकर काव्यशास्त्रीय पद बाद में दिया रहा है।

यज्ञ प्रश्न हो सकता है कि तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन तथा पंचम में उसका प्रायोगिक विवेचन तो हो चुका है। तब फिर इस नवीन सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विवेचन की सार्थकता क्या है ? इसका उत्तर यह है कि 'अन्योक्ति' काव्य सामान्य का ही एक अंगविशेष है। बैसे, वह काव्य अथवा अलंकार्य होने के साथ ही साथ 'अलंकार' भी है। अतः काव्य सामान्य एवं अन्योक्ति काव्य में सामान्य-विशेष सम्बन्ध होने के कारण यह तथ्य सुस्पष्ट है कि अन्योक्ति मात्र के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पद, काव्य सामान्य के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिकपदों से कुछ न-कुछ पृथक् अवश्य होने। दूसरे शब्दों में अन्योक्ति मात्र के सिद्धान्त एवं प्रयोग में, काव्यसामान्य की अपेक्षा कुछ न-कुछ अतिरिक्त अवश्य होगा। उन्हीं बेशिष्टियों का यथावत् परिशीलन उन पिछले तीन अध्यायों में किया गया है।

'काव्यसामान्य' के सिद्धान्तों एवं तदनुकूल प्रयोगों की व्याप्ति निश्चय ही विशाल होगी । उसमें वे सैद्धान्तिक अथवा शास्त्रीय तथ्य होंगे जो कि न केवल अन्योक्ति पर, वरन् काव्य कही जाने वाली समस्त छोटी बड़ी रचनाओं पर चरितार्थ होंगे । काव्यशास्त्रीय विवेचन के क्षेत्र में शब्द शक्तियां, गुण-दोष, रीति-वृत्ति, वक्रोक्ति औचित्य एवं रसपरिपाक जैसी मान्यताएं आएंगी, जिनका उद्भव ही केवल इसलिए हुआ कि समस्त वाङ्मय तद्रूप माना जाय । यद्यपि अब समस्त सिद्धान्तों की सत्ता निरस्त हो चुकी है तथा 'ध्वनि सिद्धान्त' ही आज काव्यक्षेत्र में मान्य है तथापि अन्योक्ति का विवेचन उन समस्त सिद्धान्तों की दृष्टि से संज्ञापतः किया जायेगा । इसी प्रकार काव्यात्मक विवेचन के क्षेत्र में 'सारूप्यनिबन्धना प्रभृति' अन्योक्ति सम्बन्धी मान्यताएं नहीं आएंगी क्योंकि वे स्कपत्नीय हैं । इसमें व्यक्ति एवं समाज प्रकृति एवं प्रणय, तथा जीवनवैविध्य सरिसै तथ्य व्याख्यात होंगे जो कि न केवल अन्योक्ति वरन् दृश्य अथवा श्रव्य कोटि में आने वाली, काव्यसंज्ञक किसी भी छोटी अथवा बड़ी रचना से सम्बद्ध है ।

व्यक्ति समाज का ही अंग होता है । इसी कारण समाज की अच्छाई अथवा बुराई, कीर्ति एवं निन्दा, उत्कर्ष एवं अपकर्ष-- इन सब के कारण उसके अंग रूप व्यक्ति ही होते हैं । कवि चाहे स्वान्तः सुखाय काव्य लिखे, अथवा दूसरे की प्रेरणा से दूसरे के ही हित के लिए लिखे, किन्तु प्रत्येक दशा में वह तत्कालीन समाज के दायरे से पूर्णतः पृथक् नहीं हो पाता । वस्तुतः आदर्श काव्य वहीं होना भी चाहिए जो केवल किसी पुरुषविशेष की प्रशस्ति मात्र न हो, जो केवल स्वार्थसिद्धि में पर्यवसित देवाराधन रूप न हो और न काल्पनिक उद्धानों से संकुलित कोई 'प्रणय-कथा' हो । वरन् इन सबसे व्यतिरिक्त एक ऐसी कथावस्तु वाला हो जो सामाजिक परम्परम्पराओं को, उसके नग्न यथार्थ को, उसकी घृणित वासनाओं को और उसकी बहुविध प्रवृत्तियों को स्पष्टतः दिखा सके । किन्तु पूर्वोक्त इन सामाजिक वृत्तियों को उनके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना, सभी कवियों के वश की बात नहीं । क्योंकि जो कवि अल्पबुद्धि का होगा वह अभिधा शक्ति के सहारे उन वृत्तियों का प्रदर्शन करेगा और ऐसा करने से उस काव्य का 'काव्यत्व' अर्थात् 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' रूप उसका आदर्श लक्ष्य, प्रतिहत हो उठता है । अभिधा का आश्रय लेने से काव्य, कटुसत्यों को कटुतम शैली में अर्थात् 'मुहतोड़ जवाब की शैली' में ही व्यक्त होता है ।

किन्तु काव्यक्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ऐसी भी अभिव्यंजनपरिपाटियां हैं, जो

समाज का चित्र तो वही खींचेगी जैसा कि वह अथवा उसके व्यक्ति स्वयं होंगे, किन्तु उनकी अभिव्यक्ति का मार्ग दूसरा ही होगा। वही मार्ग अन्याक्ति शैली का विषय है जो कि लक्षणा व्यंजना से पल्लवित होता है। इस विषय पर पीछे भी कई बार प्रकाश डाला जा चुका है। अन्याक्ति वाङ्मय में आदर्श एवं कट्ट यथार्थ का जो मंजुल समन्वय प्राप्त होता है, वह निश्चय ही अन्य किसी भी विशिष्ट काव्यांग में दुर्लभ है। इस समन्वय का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कवियों ने सन्देश देने अथवा आलोचना प्रस्तुत करने का माध्यम व्यक्ति अर्थात् स्त्री-पुरुष को न बनाकर पशुओं, पक्षियों एवं पेड़-पौधों को ही बनाया। केवल इसलिए कि सामने खड़े हुए कुख्यात चोर को, चोर कहकर कुछ कहना, अपनी मृत्यु अथवा सर्वनाश की भूमिका बनाना है। किन्तु उसी चोर के समान इतिवृत्त वाले किसी प्रेमर को दो-चार गाली भी बक देना, वक्ता को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पहली स्थिति में 'चोर' शब्द का उच्चारण जहां तथाकथित चोर के हृदय में क्रोध एवं प्रतिहिंसा की सृष्टि करता, वहां दूसरी स्थिति में वह उसी चोर के हृदय में आत्म मर्त्सना एवं आत्मज्ञोम का भाव पैदा करेगा।

इस प्रकार अन्याक्ति शैली उस कोटि के काव्य की जनयित्री है, जो वस्तुतः ✓ सहृदयों को अभीष्ट है। किसी व्यक्ति का दोष अथवा गुण उसके मुंह पर ही बेधड़के कहना वक्ता और बोद्धव्य दोनों ^{के लिये शुभकारक नहीं क्योंकि बोद्धव्य दोने} तथ्यों को सुनकर क्रमशः या तो क्रुद्ध होकर कुछ गुलत काम कर बैठेगा और या तो आत्मप्रस्थापन से अभिभूत होकर घमण्ड के नशे में डूब होकर पथभ्रष्ट होगा। इसी प्रकार वक्ता भी या तो मार खायेगा, या फिर किसी मले व्यक्ति को विनाश पथ पर ले जाने का कारण बनेगा।

समाज में उच्चवर्ग की प्रभुता प्राचीनकाल से ही अज्ञाण रही है। किन्तु इन उच्चवर्गीय व्यक्तियों के हृदय में अहंमन्यता का भाव जन्मजात एवं बंश परम्परा प्राप्त होता है। पाश्चात्य देशों में इसी तथ्य को *Sp Superiority complex* की भावना कही गई है। संस्कृत साहित्य में माणों एवं प्रहसनों के बहाने तथा व्याजस्तुतियों के माध्यम से समय-समय पर कवियों ने उन्हीं तथाकथित उच्चवर्गीय जनों का अनेक व्यंग्यचित्र उपस्थित किया है। वे चाहें जो भी उचित अथवा अनुचित कार्य करें, उन्हें सब शोभा देता है, क्योंकि सब कुछ पचा डालने की शक्ति उनमें होती है। ऐसे ही व्यक्ति का चित्रव्यापदेश के रूप में कवियों ने व्यक्त किया है --

त्वचेत्संचरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां
 व्यालैः कंकणकुंडलानि, कुरुषे हानिर्न हेमः पुनः ।
 मूर्ध्ना चेद्वहसे जडांशुमयशः किन्नाम लोकत्रयी-
 दीपस्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोऽसि किं ब्रूमहे १ १

ऐसे महामहिम कहे जाने वाले , केवल नाम भर के लिए समाज के मेरुदण्ड माने जाते हैं ।
 वस्तुतः वे नर-पिशाच । उनके घन का, बल का एवं बुद्धि का भी कमी-कमी सुदुपयोग नहीं
 हो पाता । मध्यम अथवा निम्नवर्ग का खून बूस-बूस कर संचित किया हुआ घन , उनके
 दैनन्दिन आमोद-प्रमोद, शराब खोरी एवं व्यभिचार का साधन बनता है । कवि के शब्दों
 में --

आदायवारि परितः सरितांशतेम्यः किन्नाम साधितमनेन दुरर्णवेन ।
 क्षारीकृतं च वडवादहने हृतं च पाताल कुक्षि कुहरे विनिवेशितं २

ऐसे उच्छ्वसल व्यक्तियों से समाज का कोई भी वर्ग मन्तुष्ट नहीं होता है । बाह्य चाकचिक्य
 एवं व्यवहार कुशलता देखकर यद्यपि, स्क बार सब उनकी ओर उन्मुख होते हैं, किन्तु प्रवचना
 की प्रथम फांकी ही उन्हें निराश कर देती है । अन्यापदेश रीति से इस अवस्था की वर्णना
 द्रष्टव्य है --

हंसाः पद्मवनाशया मधुलिहः सौरम्यगन्धाशया पान्थाः स्वादुफलाशया बलिमुजो गृद्धाश्च-
 मांसाशया ।

दुरादुन्नतपुष्परागनिकरेर्निस्सारमिथ्योन्नते रे रे शात्मलिपादप । प्रतिदिनं के नत्वयावंचिता ३
 फल यह होता है कि ऐसे पासण्डी व्यक्ति आजीवन समाज में आदर पात्र नहीं बन पाते ।
 दांतों से पकड़ी गई स्क-स्क कोड़ी तथा उससे स्कत्रित पाप घन, कमी सत्कार्य का साधन नहीं
 बन पाता है । रात-दिन चापलूसी करने वाले, लुच्चे बढमाश ही उसका उपभोग करते हैं ।
 'Ill got ill spent' की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है --

किम्पाक । पाके बहिरेव रक्तस्तिक्तासितान्तर्हंशि कान्तिमेषि ।
 स्तावता काकमपास्य कस्य हृत्प्रीतिमिचित्स्त्वमिदं न जाने ? ४

१- सुक्तिमुक्त ० ३६।१

२- सुमाविच रत्न ० ३३ की ब्रज्या

३- क्षारीकृतं परिच्छेद ० ३६,

४- सुमाविच रत्न ० ब्रज्या ३३

निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों से, दीनों का कोई कल्याण नहीं हो सकता और यही क्या कम है, सहायता पाने के ध्येय से गया हुआ कोई अम्यर्था उनकी सन्निधि से सकुशल लौट आये। कवि के शब्दों में --

कस्त्वं ? कोपि, कुतोसि ? रत्नवसतेस्तीरादहं नीरर्धेलव्यं किंचन । गर्जितैर्वधिरता, दृग्व्याह-
तिः सैकतैः ।

मा खेदं कुरु तादृगौर्वदहनज्वालावलीदुःसहं क्षीरोदं यदुपास्य जीवसि सखे । श्लाघ्यं न तन्मन्यसे १

किन्तु समाज तो बहुविध व्यक्तियों का समूह है अतः ऐसा नहीं है कि उच्चवर्गीय समस्त जन एक ही रंग में रंगे होते हैं। वस्तुतः जो वंशानुक्रम से गौरवशाली होते हैं, उन्हें संसार का एक-एक प्राणी अपना ही अभिन्न अंग प्रतीत होता है। वे बहुजनहिताय, बहुजन-सुखाय, जीवित रहते हैं। 'वसुधैवकुटुम्बकम्' ही उनका चरम लक्ष्य होता है। अतएव: थोड़े धर्म संकट में पड़ जाने पर वे पलायन नहीं करते और न आश्रितों के प्रति कन्दलित अपना प्रणयाङ्कुर ही म्लान करते हैं। वस्तुतः वे उस धन की मांति हैं जो उत्तरोत्तर विपत्ति रूपी मूसलों की चोट खाकर अपना व्यक्तित्व खरा बनाए जाते हैं --

अस्मानवेहि क्लृप्तानलभाहतानां येषां प्रचण्ड मुसलैखदाततैव ।

स्नेहं विमुच्य सहसा खलतां प्रयान्ति ये स्वल्पपीडनवशान्न वयं तिलास्तैः २ ॥६॥

ऐसे लोकप्रिय उन्नतमना एवं दीनबन्धुत्व की भावना से ओत प्रोत, सज्जन व्यक्ति-द्वन्द्व वस्तुतः ईश्वर के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। प्रस्तुत अन्योक्ति पद्य में कवि ने ऐसे ही महाशय व्यक्ति की प्रशंसा गाई है --

आमोर्धैर्मरुतो मृगाः किसलयोदधे देस्त्वचा तापसा? पुष्पैः खट्वरणाः फलेशशकुनयो-
धर्मादिरेणशक्यथा ।

स्कन्धैर्मन्धगजाश्च विश्रमरुजः शश्वद्विमक्तास्त्वया प्राप्तस्त्वं द्रुम बोधिसत्त्व पदवीं सत्यं,
कुजाताः परे ॥६॥

ऐसे महामहिम मेधावी पुरुषरत्न परोपकार व्रत का निर्वाह करने के लिए कोई भी विपत्ति सह सकते हैं। ओह व्यक्तियों की छींटाकसी, दैन्यपात्र एवं पारिवारिक अवहेलनाएं उन्हें अपने कर्णव्य-पथ से विचलित नहीं कर पाती --

निष्केशोऽस्ति च कस्य सुस्वस्तरः कष्टं तुलारोहणं ग्राम्यस्त्रीकरलुङ्गनव्यतिकरस्तन्त्री । हा रक्ता

क्या

कापासिन परार्थसाधनधिया किं किं नचागीकृतम् ।

मण्डित... पृ०१३१। ३-सूक्ति मुक्ता ०पद्धति २३ ।

सौजन्य एवं दौर्जन्य वस्तुतः मनुष्य के अन्तःपदा से ही संबंधित हैं । सुन्दर चमचमाते वस्त्राभूषण मात्र से कोई व्यक्ति निश्चय ही सज्जन नहीं बन सकता । क्योंकि समय पड़ने पर वे कृत्रिमतायें लुप्त हो जायेंगी तथा उनका औद्धारण स्वयं स्पष्ट हो जायगा । किन्तु जो हृदय से ही उदार एवं लोकप्रिय हैं, उनका सब कुछ मले समाप्त हो जाय, मोटा खाने एवं पहनने को मले मिले, किन्तु हृदय को सँहथाती कमी रीतने को नहीं आती । तभी तो कवि कहता है --

कोहि तुलामधिरोहति शुचिना दुग्धेन सहजमधुरेण ।

तप्तं विकृतं मथितं केवलमुद्दिगरति यत्सैहम् १ ॥४॥

अतः निश्चित है कि ऊँच-नीच अथवा सज्जन-दुर्जन का यह मौलिक भेद कमी विनष्ट नहीं हो सकता । कौकि कौवा न कमी हंस हो सकता है और न बबुला कमी नीर क्षीर विवेक ही कर सकता है । अन्यापदेश में इसी भाव का उपस्थापन कवि करता है --

काकस्य चंचुर्यदि हेमयुक्ता माणिक्ययुक्तौ चरणौ च तस्य ।

स्कैकपदे गजराजमुक्तास्तथापि काको न स राजहंस ॥१०॥

इससे भी अधिक व्यंजना अधोनिर्दिष्ट में देखी जा सकती है --

नैर्मल्यं वपुषस्तवास्ति वसतिः पद्माकरे जायते मन्दं याहि मनोसमां वदमिरं मोनचं सम्पादय ।
घन्डस्त्वुं बक । राजहंसतुलनां प्राप्ता सि किन्तैर्गुणैर्नीरक्षीरत्वभागकर्मनिपुणा शक्तिः कथं
लभ्यते ॥११॥

अब आइये समाज के मध्यम एवं नीच वर्ग की ओर । जैसे उच्चवर्गीय जनों के दो वर्ग हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा पाखण्डी । ठीक उसी प्रकार मध्यम एवं नीच वर्ग में भी व्यक्तियों की दो कौटियां हैं -- एक तो वे जो वास्तव में दीन-हीन एवं अकिंचित हैं, किन्तु दैन्य को ही अपनी पूर्व जन्म सम्पत्ति समझकर अथवा उसमें दैवयोग का समावेश मानकर संतोषपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं । और दूसरे वे हैं जो विद्रोहात्मक प्रवृत्ति

१- सुचिना शुचिना ० मधुरेण ३६,

२- पण्डितराज ० पृ० १३३ ।

३- पण्डितराज, पृ० १६१ ।

के हैं , अतः अपनी दीनता एवं पौरुषहीनता को अभिशाप मानकर किसी भी उपाय से, चोरी-चमारी, डकैती एवं लठैती करके भी सुखी रहना चाहते हैं । हां में हां मिलाना, तथा मौले-भाले सज्जनों को वाक्प्रतारणा देकर ठगना, उनका परमलक्ष्य है । भौतिक दृष्टि से वस्तुतः यही वर्ग अधिक सुखी रहता है --

पिबन्ति मद्यु पद्भ्यो मृगाः केसरधूसराः ।
हंसाः शैवालमश्नन्ति धिग्दैवमसमंजसम् ॥१२॥^१

उनको अपना वर्ग, अपने कार्य एवं अपनी घोसाघड़ी ही संसार की सर्वोत्तम वृत्ति प्रतीत होती है । अतः उनके समूह में घुसकर , कोई भी व्यक्ति उनको कोई नई राह सुफाने के बजाय स्वयं मूर्ख बन सकता है --

हंसो ऽ ध्वगः श्रमपोहयितुं दिनान्ते कारण्डकाकबकभासवनं प्रविष्टः ।^२

मूको ऽ यमित्युपहन्ति लुन्ति पद्मान्नीचाश्रयो हि महतामवसानमूमिः ॥१३॥

कमी कमी तो ऐसे अवसर आते हैं कि साधारण, सत्यापथाश्रयी सज्जनों को कोई पूछता तक नहीं, किन्तु घूर्तगण उन्हें अपनी केंची में फंसाकर पूजा तक करा लेते हैं --
नृत्यन्तः शिखिर्नो मनोहरममी श्रक्यं पठन्तः शुका वीक्ष्यन्ते न त एव सत्त्विरुषा वार्यन्त स्वाथवा ।

पान्थस्त्रीगृहमिष्टलामकथनाल्लव्धान्वयेनासुना सम्प्रत्येदत्रमैलं बलिमुजा मायाविना मुज्यते ॥१४॥^३

ऐसे व्यक्तियों की उन्नति मूल ही हो जाय, किन्तु समाज उनको तब तक उच्चपद नहीं दे सकता जब तक कि उनका पूर्णतः कायाकल्प न हो जाय । वैयक्तिक महात्म्य ही सामाजिक महात्म्य की आधारशिला बनता है । अतः पाप की कमाई से अथवा धन-संपत्ति की ऊष्मा मात्र से कोई ओका व्यक्ति सरा कहने वालों की ज़बान नहीं बन्द कर सकता । क्योंकि ज़रा सा भी स्खलन होने पर अकड़बका आदमी मीठी तीती सुनाने से मला कब चुकें ? वे तो स्पष्टतः कहें --

ज्ञात्वापेक्षकं कथंचिदनिशं मात्रं कृशं बिप्रता ~~अ~~ प्रान्तं येन गृहे गृहे गृहवत्पुच्छिष्टपिण्डादिना
अस्थनः स्रष्टुमवाप्य देवपतितश्चून्यां त्रिंशोकीमिमां मन्वानो धिग्हो स एव समापुत्रोऽद्य-
सिंहायते ॥१५॥

१- सुभाषिता० पदंति १६,

२- सुभाषिता० प० १६,

३- सुभाषिता० प० १६,

इन आलोचनाओं को सुनकर जो वास्तव में गौरवामिलाषी हैं, वे तो अपनी कमियों को दूर करके आत्म-सुधार कर लेते हैं किन्तु 'तृणवत् मन्थते जगत्' के पुजारियों पर इसका रती भर प्रभाव नहीं पड़ता । क्योंकि वे अपनी प्रवृत्ति के इतने अभिमानी हैं कि दूसरे की गुणगणना करना भी उनके लिए ओझी वस्तु है । और यह ठीक भी है क्योंकि इस तरह उनका वैलक्षण्य तो अप्रतिहत रहता ही है और कुछ चाहे हो या न हो ।

न कौकिलानामिव मञ्जुगुञ्जितं न लब्धलाभ्यानि गतानि हंसवत् ।

न बर्हिणानामिव चित्रपद्मता गुणस्तथाप्यस्ति बके बकव्रतम् ॥१६

अन्योक्ति वाङ्मय में समाज का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है । कोई यह नहीं कह सकता कि समाज में रहने वाले अमुक खेड़ के व्यक्ति, अन्यापदेश के लक्ष्य नहीं बन सके हैं । जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, विघाता की सृष्टि में मनुष्य ही सर्वोत्तम प्राणी है । सांसारिक वृत्तियाँ उन्हीं पर प्रायः आधारित हैं । विचारशील एवं सवाक् न होने के कारण पशु पक्षी आदि प्राणियों का मूल्य आपेक्षिक दृष्टि से नहीं के बराबर है । अतः उनको उपालम्भ अथवा प्रेरणा देना मूर्खता की निशानी है । तो क्या ऐसा करने वाले अन्यपदेशी कवि, वैधेय ही थे ? नहीं वे अत्यन्त समाचतुर व्यक्ति थे । इसी कारण प्रत्यक्ष व्यंग्य (*direct attack*) न करके उन्होंने यद्यपि निरीह एवं बेजान पात्रों को ही अपना लक्ष्य बनाया किन्तु उस मार्मिक व्यञ्जना का पर्यवसान विचारशील पुरुषों में ही हुआ । ऐसा क्या हुआ, इसकी पहले ही व्याख्या की जा चुकी है ।

समाज के तीनों वर्गों की स्क मांकी पा लेने के बाद अब हमें उन विविध व्यक्तित्वों को भी देखना चाहिए जो त्रितयनिष्ठ हैं । जो समाज में कहीं भी, किसी भी वर्ग में और किसी भी समय में जन्म ले सकते हैं । प्रेमी-द्रोही, निन्दक-प्रशंसक, कृतज्ञ-कृतज्ञान, उपकारी-अपकारी, सबल-निर्बल, मान्य-हेय, मल तथा दुष्ट-- जाने कितनी कोटियों के व्यक्ति बेदिक युग से ही समाज में सपते रहे हैं । वस्तुतः 'समाज' का तो अर्थ ही यही है -- 'समम् अबन्ति जना अस्मिन्निति समाजः' अर्थात् जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति, एकसाथ चले या रहे वही समाज है ।

घर का मेदिया लंकादाह की ग्राम्योक्ति व लोक में खूब प्रचलित है। कमी-कमी अपने ही माई-बन्धु विनाश पथ पर उतर जाते हैं और अन्ततः समस्त स्वर्गीयों को चार भी कर देते हैं। इसलिए, मनुष्य को स्वपत्नियों की और भी चौकन्ना ही रहना चाहिए। महाकवि मल्लट, का अन्यापदेश, इस विषय में ठंडे पंडु व्यक्ति को भी गरम कर देता है --

अनीर्ष्यां श्रौतारौ मम क्वसि चेद् वच्मि तदहं स्वपत्नाद्भेतव्यं न तु बहु विपत्नात्प्रभवतः
तमस्याभ्रान्ताशे कियदिह न तेजोऽवयविनः स्वशक्त्या भासन्ते षिव दिवसकृति सत्येव -
न पुनः ॥१६॥

प्रत्येक बाप का यही स्वप्न होता है कि उसका बेटा लाखों में एक हो। लड़का स्वयं हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर एवं सुडौल है। किन्तु स्वास्थ्य सुन्दर तथा सुडौलता का यह तो अर्थ है नहीं कि लड़का अवश्य लायक होगा। जिन्हें अयोग्य एवं नालायक होना होता है उनका सुधार, अमरावती का ^{मी}वैभव नहीं कर सकता। फिर भी वात्सल्य भाव से आप्यायित पिता, पढ़ा-लिखाकर पुत्र के धनार्जन तक प्रतीक्षा करता ही है। और नालायक लड़का दो-चार पैसा कमाने लायक होकर भी उसे गुण्डे-बदमाशों की संगति में झूंक कर बाप की आशाओं पर पानी फेर देता है। उस पिता का हृदय यदि शब्दों में देखा जा सकता है तो अन्यापदेश प्रसूत है --

विशालं शाह्मत्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं शुकस्यासीद् बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सहस्रम् ।

इति घ्यात्त्रोपास्यं फलमपि च देवात्परिणतं विपाके तूलोऽन्तः सपदि मरुता सौ व्यपहृतः ॥

और दूसरी ओर उस सुयोग्य माई की विपन्न दशा द्रष्टव्य है, जिसने जीवन भर एक पैसा अपने ऊपर निष्प्रयोजन खर्च नहीं किया। उसकी सारी कमाई परिवार की ही समृद्धि पर ही खर्च हुई। आज देवयोग से वह तपेदिक का मरीज हो गया अथवा वृद्ध हो गया तो वही परिवार के व्यक्ति ईश्वर से उसकी मौत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समाज में यह दुर्दान्त दृश्य घर-घर देखने को मिल सकता है --

ऊढा येन महाधुराः सुविषमे मार्गे सदेकाकिना सोढो येन कदाचिदेव न निजेगो ष्टेऽम्यशो
ध्वनिः ।

बापीस्य कन्या वपस्य किलकं तस्येव सम्प्रत्यहो धिक्कष्टं धवलस्य जातजरसो गोः पण्यमुद्वा

कन्यायाः ॥

समाज में जहां शारीरिक एवं नैतिक शक्ति की बलि देकर भी परोपकार करने वाले सम्मान्य व्यक्ति हैं, वहीं कौड़ी-कौड़ी को आंस की कनीनिका समझने वाले कृपण भी । किन्तु परोपकारी 'चन्दन' की भांति है, वह चन्दन जो घिसा जाकर भी विनष्ट होकर भी पीसने वाले को ही अपनी सुगन्ध से संतुप्त कर देता है -- 'पाटीर । तव पटीयान् कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुं यत्पिषंतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलैस्तुष्टिम् ॥^१ और दूसरी ओर वे कृपण भी हैं, जो शरत्कालीन मेघ के समान, एक पैसा भी किसी याचक को नहीं दे सकते । कवि कहता है --

'अन्ये ते जलदायिनो जलधरास्तृष्णां विनिघ्नन्ति ये भ्रातश्चातक । किं वृथात्र रटितै खिन्नाऽसि विश्राम्यताम् ।

मेघः शारद एष काशधवलः पानीयरिक्तोदरो गर्जत्येव हि केवलं मृशतरं नो बिन्दुमप्युज्जति ॥^२

इस प्रकार अन्योक्ति वाङ्मय सैकड़ों प्रकार के व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत कर सकता है । इतना ही नहीं वरन् एक ही व्यक्ति की विभिन्न मनोदशाओं का विभिन्न रूप भी 'अन्यापदेश वाङ्मय' में प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए प्रस्तुत जन-विशेष की व्यंजना कराने वाले, प्रमर का उदाहरण लीजिए । यदि गुणी मनुष्य का मूल्यांकन मूल्य करने बैठें तो निश्चय ही उसके गुण-समुच्चय मूल्यवान नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि निर्णायक की मनोवृत्ति के अनुकूल ही होता है । किन्तु इतने मात्र से ही गुणवान को निराश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके हार्दिक हितैषी तो उसका वास्तविक स्थान निर्धारित करने के लिए हैं ही । कवि के शब्दों में --

कमलिनि । मलिनीकरोषिचेतः किमिति बकैस्सहेल्लितानमिज्ञः ।

परिणतमकरन्दमार्थिकास्ते जगति मवन्तुचिरायुषो मिलिन्दाः ॥^३ २२ ॥

यहां प्रमर को गुणग्राही रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे उसकी विवेक-बुद्धि स्पष्ट हो जाती है ।

मनुष्य को सदैव विवेक से ही कार्य करना चाहिए । अपने वंश का गौरव तथा व्यक्ति त्वका स्वर सौ देने से फिर उसकी कोई महत्ता रह ही नहीं जाती । क्योंकि महत्ता

१- मामित्री विलास--१।१२।

२- चालिष्यारि०४० ।

३- चालिष्यारि०४० ।

का मूल कारण तो वैलक्षण्य ही है । ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य करके कवि कहता है --

‘आजन्म कल्पतरु काननकामचारी यत्कौतुकादुपगतः कुटजं मिलिन्दः ।

तत्कर्मणः सुसदृशं फलमेतदेव यत्प्राप साम्यमद्युना मधुमञ्जिकाभिः ॥२३॥

यहाँ प्रेमर को अविवेकशील रूप में वर्णित किया गया है । अतस्व कवि, मधुकर वृत्ति वालों से बचने के लिए अथवा उनसे उपेक्षित होने पर भी कोई मारव-मलाल न करने के लिए सब को सावधान कर देता है --

‘सकलगुणनिधानं मां विहाय द्विरैफाः परिमलपरिहीनं ह्यन्तं ह्युम्बन्ति घूर्तम् ।

इति मनसि विषादं मा कृथाः चम्पकोच्चेरिह मधुपसमाजे को विवेकावशकाशः ॥२४॥

यौवन की अंगड़ाईं लैते ही, प्रायः मनुष्य को सबसे पहले प्रेम की ही भूख होती है । मौक्तिक उमंगों की मधुरकल्पना उठते ही वह किसी भी मूल्य पर अपनी ज्वाला की शान्ति चाहने लगता है । प्रेम का पथ सर्वनिष्ठ होने के कारण थोड़ी उलफनों एवं झंझटों वाला भी होता है । किन्तु उस बाट का बटौही, उन शूलों को भी फूल सा ही समझता है । यह क्रम बढ़ता जाता है, तब तक जब तक कि प्रियसी से साक्षात्कार नहीं हो जाता --

‘त्वमालोक्य समागतः कथमसौ केलिक्रियाकांविदो हित्वा कत्यपि काननानि दिवसप्रान्ते-
द्विरैफो युवा ।

त्वं त्वेनं समुदीक्ष्य पत्रनिकरानाङ्गुल्य यद्गोपनं वक्त्रस्थाञ्च करोषि पदिमनि । न तद्युक्तं -
प्रतीमो वयम् ॥२५॥

किन्तु वास्तविक प्रेम वही होता है जो महाकवि मधुभूति के शब्दों में स्काध व्यक्ति को ही प्राप्त हो पाता है ‘धन्यं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ।’ वह प्रेम ‘मांसल नहीं होता बरन् दो स्निग्ध हृदयों की दिव्य मधुमय अनुभूतियों का स्कीकृत-रूप होता है । बूँकि उसमें दो हृदय परस्पर विलीन होकर एक नवीन सत्ता का रूप धारण कर लैते हैं अतः वह आजीवनस्थायी होता है । किन्तु शारीरिक प्रणय, शरीर की रचमात्र विकृति होते ही मग्न होने लगता है । प्रणयी, प्रियसी की समस्त मनुहारें, चाणमर में मूल जाता है - एक प्रमाण द्रष्टव्य है --

मीतमत्र मधु यापिता क्षपा मृमं सर्कचिरेण विस्मृतम् ।

हिमागमे पदिमनी यदिह नावलोक से ॥२६॥

इस प्रकार प्रथम उदाहरण में जहाँ प्रेमर को 'आदर्शप्रेमी' का रूप दिया गया था, जब उसे 'स्खलित प्रेमी' के रूप में उपस्थित किया गया है।

अतृप्ति की भावना ही व्यभिचार - सौध पर जाने का प्रथम सोपान है। मनुष्य जब कामान्ध एवं विवेक हीन बन जाता है तो उसे आत्मसम्मान, वंश पर्यादा एवं लोकमत की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तो वह कमी, इस गली तो कमी उस गली जैसे भी हो, अपनी वासना, शान्त करने की धुन में तल्लीन हो जाता है। इस धुन का अंतिम परिपाक व्यभिचार में ही होता है, जिसका रूप इस प्रकार है --

मधुकरगणश्चूतं त्यक्तवागतो नवमल्लिकां पुनरपि गतो रक्ताशोकं कदम्बतरुं ततः।

तदपि सुचिरं स्थित्वा च तेम्यः प्रयाति सरौरुहं परिचितजनद्वेषी लोको नवं नवमीहते १।२६
तत्कालक एक दिन ऐसा भी आता है जब व्यभिचार की भावना तो नहीं किन्तु शक्ति पूर्णतः विनष्ट हो जाती और मनुष्य ठोंकरों में खाने लगता है। कोई सहानुभूति तक प्रकट करने वाला नहीं रह जाता --

मन्दारमैदुरमरन्दरसालसांगः स्वनागिरीनयननन्दन एष मुंगः २

देवादुपेत्य जगतीमन्दिनिः सिद्धं वोटकोटर कुटीषु निलीय शैते ॥२७॥

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि अन्योक्ति वाङ्मय में कवियों ने मनुष्यमात्र की प्रत्येक मानसिक अनुभूतियों तक पहुँचने का प्रयत्न किया है और सफल भी रहे हैं। प्रेमर को ही विवेकशील, अविवेकशील, प्रेमी, पथप्रष्ट, व्यभिचारी एवं असहाय रूप में चित्रित किया गया है जो कि स्पष्टतः इस रहस्य को संकेतित करने वाले हैं कि एक ही मनुष्य कई परिस्थितियों में उतने ही रूप धारण कर सकता है। किन्तु एक तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि मानव-जीवन के ये विभिन्न स्तर काल्पनिक नहीं हैं, बरन् समाज में पग-पग पर उनका अस्तित्व प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यथार्थवाद का जेसा समावेश इस वाङ्मय में प्राप्त होता है, वैसा 'माण साहित्य' को छोड़कर वस्तुतः अन्यत्र नहीं प्राप्त होता। किन्तु अन्योक्ति का 'सम्यक् यथार्थवाद' व्यंजनाश्रयी होने के कारण जहाँ अधिक प्रभावशाली, संयम एवं मर्यादित है, वहाँ माणों का यथार्थवाद बेहबाई-सा प्रतीत होता है। क्योंकि उसमें सहृदय समाजनीय वर्णन-परिपाटी का आश्रय नहीं किया गया है।

व्यक्ति एवं समाज की ही मांति प्रकृति एवं प्रणय में भी सापेक्ष-सम्बन्ध है । किन्तु अन्योक्तियों में, प्रकृति का वर्णन केवल उसके अप्रस्तुत विधान में ही देखा जा सकता है, क्योंकि प्रस्तुतरूप स्वीकार करने पर तो उनका प्रकृतित्व विनष्ट ही हो जायगा और वे किसी न किसी आत्मानुकूल भाव के संकेत बन जायेंगे । प्रकृति-वर्णन का क्षेत्र भी अत्यन्त विस्तीर्ण है, जिसमें कि पशु, पक्षी, पर्वत, कानन, उपवन, तरु, कुंज, निर्फर, सरिता, सागर आदि सभी आ जायेंगे । यह स्पष्ट है, अन्योक्ति वाङ्मय का अप्रस्तुत विधान प्रायः इन्हीं प्राकृतिक उपादानों को आधार बनाकर विकसित हो सका है । प्रणय भी प्रकृति की ही गोद में पला है अतः उसे प्रकृति से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता है । एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा --

स्थित्वा क्षणं विततपद्मतिरन्तरिक्षे मातंगसंगकलुषां नलिनीं विलोक्य ।

उत्पन्नमन्युपरिघर्षरनिःस्वनेन हसेन साशु परिवृत्य गतं न लीनम् ॥२८॥

प्रेयसी से मिलने के लिए मनुष्यक राजहंस आकाशयात्रा करके कमलिनी के पास पहुँचता है । किन्तु उसे मतवाले गजराज द्वारा उपमुक्त देखकर एक ओर तो वह क्रोध से उदीप्त हो जाता है और दूसरी ओर उसकी प्रणय-पूरित आँसुओं से अविरल अश्रुधारा गिरने लगती है । प्रणयभंग होने पर, मनुष्य नवनीत की तरह कोमल हो उठता है अतः हंस के पद्म में कमलिनी का यह वृत्तान्त पूर्णतः सत्य है । संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा, जो प्रेयसी का शीलापहरण करने मरने वाले पर आगबबूला न हो उठे, और अपनी मनोवेदना का स्मरण करके, रो न दे । अतः प्रस्तुत स्थल पर आँसू एवं घर्षकण्ठ ये दोनों ही व्यभिचारी भाव अंगरूप हैं, जिनसे परिनिष्ठित 'विप्रलम्भ शृंगार' इस पद्य में 'रसपरिपाक' की सर्जना करता है ।

किन्तु, थोड़ी देर के लिए उस चित्र को याद करें, कमलिनी, सरोवर के किनारे मुरमाई पड़ी है । हाथी ने उसके मृणालवलयों को खण्ड खण्ड कर दिया है, कुछ पक्षे अर्द्ध-चर्वित दशा में पत्रवृन्त में ही लगे हैं और एक हंस अन्यमनस्कभाव से ऊपर आकाश में चञ्चल कर रहा है । परन्तु जाने क्यों नीचे नहीं उतरता । वस्तुतः इतना याद करते ही पद्य का भाव, साकार प्रकृति के अंग रूप में सामने उपस्थित हो जाता है ।

उपवन में कुन्द-बु बकुल, साल, लंबगलता, प्रियंगु एवं आम -- सब के सब पास ही पास विकसित हैं । मतवाला मीरा, गुंजार करता हुआ जाता है, पहले कुन्दकली पर बैठा

परन्तु ज्ञानमात्र में ही उड़ जाता है । यों ही वह सभी फूलों पर मंडराता है, किन्तु कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसे तो कमल का मधुपान करना है । वह उसी के अन्वेषण में विह्वल है । अतः वासन्ती सुषमा में अंग-प्रत्यंग , विकसित , कुन्द प्रभृति पुष्प भी उसे संतृप्ति नहीं दे पाते । प्रकृति का यह कोमल पत्र अन्योक्ति में द्रष्टव्य है --

निरानन्दः कौन्दै मधुनि विद्युरो बालबकुले न साले सालम्बे लक्ष्मपि लवगे न स्मते ।
प्रिंशो नो संगं रचसति न ब्रूते विचरति स्मरल्लक्ष्मीलीलाकमलमधुपानं मधुकरः ॥१०॥

आषाढ की प्रथम मूसलाघार वर्षा ही प्रचण्ड निदाघ से संतप्त पृथ्वी की छाती, शीतल बना देती है । दो चार दिन बीतते ही, खेत में पड़े मकाई के दाने उग आते हैं, बरगद में नवीन जटारं निकलने लगती हैं, वृक्षां में नयी कोपलों की बाढ़ आ जाती है, कन्द अंखुवा फोड़ने लगते हैं । सारा महीतल, एक अद्भुत उत्साह एवं उछाह में डूब जाता है । किन्तु बेचारा पपीहा , तब भी 'पी कहां' की रट लगाता हुआ, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदता ही रह जाता है । ग्रीष्मावसान का यह मनोहर चित्र शब्दों में द्रष्टव्य है --

बीजैरंकुरितं जटाभिरुदितं वल्लीभिरुज्जृम्भितं कन्दैः कन्दलितं जनेः समुदितं धाराधरे वर्षति ।
प्रातश्चातक । पातकं किमपि ते सम्यङ्जानीमहे यैनास्मिन्न पतन्ति तावकमुखे द्वित्राः --
पयोबिन्दवः ॥३१॥

रास्ते में एक गन्दी गलियारी के पास कूड़ा करकट इकट्ठा है । मूस से व्याकुल कौवा चारों तरफ मध्य की सोज करता हुआ, वहीं उतरता है । बड़े परिश्रम के बाद इकट्ठे कूड़े-करकट को छिन्न-भिन्न कर देने पर बेचारे को एक मरा चूहा मिलता है । अब उसी को पंख में पकड़कर स्काज काक महाराज, कांव-कांव करते हुए पेड़ की कोटर में बैठकर इतने स्वाभिमान के साथ खा रहे हैं, मानों कोई मर्यकर युद्ध जीत कर लोटे हों । अब अपने को वह उबना ही पराक्रमी समझते हैं, जितना कि देवताओं से अमृतहरण करने के पश्चात् ब्रह्म ने अपने को समझा होगा । प्रकृति का यह यथार्थ वृत्ति दृश्य देखिये

यथ्यावस्करचत्तरावटबहिर्भूमावटन्नीजणं संचार्यैकमितरततो प्रमिवशात्प्राप्यैकमाखुं मृतम् ।
काकः पश्यत कोटरे कट्ट रटन् संग्रामभग्नामरप्रत्यक्षापहृतामृतन समतां तादर्येण संश्लाघते ॥३२॥

इस प्रकार इन उदाहरणों से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति, अन्योक्ति वा इ०मय में अप्रस्तुतविधान की आधारशिला रही है । पूर्वाध्याय में विवेचित अन्योक्ति विषयों कीतालिका से स्पष्ट हो जाता है कि मेघावी कवियों ने जागतिक सर्जना में विद्यमान छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े, जीव अथवा निर्जीव को प्रस्तुतव्यंजना का माध्यम बनाया । प्रकृतिवर्णन के जो उद्धरणअमी तक दिए गए हैं वे अत्यन्त यथार्थ एवं स्वाभाविक हैं, साथ ही साथ वे प्रायः उसके कौमल पक्ष का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि महाकवि कालिदास को अभीष्ट था । किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्यापदेशों में प्राप्त प्रकृति-वर्णन सर्वथा कल्पनाविहीन है, साथ ही साथ उसके कठोर पक्ष से दूर हैं । वस्तुतः प्रकृति की कठोरता उसके विषय पर ही निर्भर है, अतः 'हंस-कमल-कोकिल-चातक-चक्रवाक आदि पात्र, जो प्रायः काव्य में कौमल भावों केही उपकरण स्वीकार किये गये हैं, वे प्रकृति की कठोरता में सम्भवतः उतने सहायक न बन सकेंगे जितने कि सिंह, मालु, बाघ, अजगर आदि जो कि स्वभावतः खूंखार प्रवृत्तियों एवं यातनाओं के प्रतीक हैं । किन्तु अन्यापदेशवाइ०मय में इन समस्त प्राकृतिक उपादानों को समान अधिकार प्राप्त है । कुछ उद्धरणों से इस तथ्य की पुष्टि की जा रही है ।

थोड़ी देर के लिए सिंह ने अपनी दहाड़ बन्द की कि सारे जंगल में कुहराम मच गया खूंखार बौले सुअर घुरघुराने लगे, मतवाले हाथी कमलों से व्याप्त रम्य सरोवरों को तहस-नहस करने लगे और जंगली भैंसे, समस्त बन को ही रौंदने लगे -- क्तना मयंकर दृश्य है --

कः कः कुत्र न घुरघुरायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः कःकः कं कमलाकरं विकमलं कर्तुं करी नोक्तुः ।
के के कानि वनान्यरप्यन्ति ता नोन्मूल्यैद्युर्यतः सिंही स्नेहविलासबद्धवसतिः पंवाननो वतति ॥३३॥

मयंकर मरुभूमि का वह रौंभांचकारी दृश्य । जहां मीलों तक सिवाय सुनेपन के और कुछ नहीं दृष्टिगोचर होता । एक ओर कौबों का कर्णभेदी कांव-कांव तो दूसरी ओर विकृत भेष वाले उल्लूपद्वियों की घुत्कार, एक ओर गिद्धों की लम्बी कतार जो दूसरी ओर कंक प्रद्वियों का समूह । इस प्रकार समस्त बीरान मरुभूमि शमशान सी ही प्रतीत होती है --

इतः काकानीतः प्रतिभयमितः कौशिकरुतादितो गृह्व्यूहः कुलमिदमितः कंकवयसाम् ।
श्मशानावस्थेऽस्मिन्नरिवलगुणवन्व्ये हतमरावपि द्विजाः केचिन्न खलु कलवाचः शकुनयः ॥३५॥

प्रकृति के ये दोनों कोमल एवं कठोर पक्ष, जिनका प्रतिनिधित्व काव्यसाहित्य में मुख्यतः कालिदास एवं मवमृति ने किया है, वस्तुतः एक-दूसरे के पूरक हैं । इनके अतिरिक्त भी प्रकृति के अनेक ऐसे रूप अन्योक्ति वाङ्मय में प्राप्त होते हैं जो कि न तो कठोर पक्ष से और न ही कोमल पक्ष से सम्बद्ध हैं, क्योंकि वृत्त उन्हें साकार रूप में देखने पर अथवा यों कहा जाय कि उन वर्णनों को साधारणिकृत कर लेने पर भी मन में कोई भय अथवा शृंगार-भावना का उदय नहीं होता । वरन् उनके पढ़ते ही, आश्चर्य-कौतूहल -सहानुभूति अथवा करुणा एवं जुगुप्सा का भाव उदित हो जाता है । रसपरिपाक के प्रसंग में इसका सविस्तर निरूपण किया जायगा ।

पीछे प्रकृति एवं प्रणय का सापेक्ष सम्बन्ध बताया गया है । वस्तुतः प्रणय के उपादान अर्थात् नरन्मिक नायक एवं नायिका जहां आलम्बन-विभाव बनते हैं वहां प्रकृति के उपादान उद्दीपन विभाव । इस प्रकार दोनों एक ही विभाव के दो भिन्न अंग होने के कारण अन्ततः एक ही साध्य के साधन सिद्ध होते हैं । अन्योक्तियों के समी अप्रस्तुत विधानों का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही है कि उनमें प्रकृति एवं प्रणय का मंजुल सामन्जस्य प्राप्त होता है । चूंकि अन्योक्ति किसी एक सीमित चारदीवारी में तो धिरी नहीं है, अतः उसके विषयों की विविधता होनी निश्चित है । जहां जिस प्रकार के पात्रों का लक्ष्य बनाया गया है वहां उसी के अनुकूल भाव अथवा रस की प्रतीति भी होती है । कभी-कभी एक ही उपादान को अनेक भावना की व्यंजना का साधन बनाया जाता है, जैसा कि पीछे प्रमर मात्र के उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है ।

आदर्श दाम्पत्य प्रणय के लिए कवियों ने प्रायः हंस गजराज अथवा हरिण को ही चुना है, जब कि प्रमर ठीक व इसका उल्टा अर्थात् 'व्यभिचारी' रूप में अंकित किया गया है । अन्योक्ति में विद्यमान यह प्रणय, केवल शृंगार रस के अर्थ में रूढ़ नहीं है, ऐसा हमें यहीं समझ लेना चाहिए । वरन् इसमें शृंगार रस के उभयपक्षों (सम्मोग एवं विप्रलम्भ) के अतिरिक्त, समस्त संघर्षी भावों-- साक्षिक भावों तथा वात्सल्य, सख्य एवं मक्ति प्रभृति अस्मिन् भावनाओं का भी सहभोग है । यद्यपि षष्ठ पक्षियों से सम्बद्ध होने के कारण इस रतिभाव की, काव्यशास्त्र की दृष्टि से 'आमास' की भी संज्ञा दी जा सकती है किन्तु

वह बहुत उचित नहीं है । क्योंकि प्रकृति पदा मले ही अन्योक्ति के अप्रस्तुतविधान तक सीमित हों, किन्तु रति भाव का पर्यवसान तो हर हालत में प्रस्तुत पदा में ही होगा । कुछ उदाहरणों से इन तथ्यों की पुष्टि की जाती है ।

पावस के दिन आ गए । काली काली मेघमालाओं ने आकाश को आक्रान्त कर लिया, दिशारं भी धूलि घूसरित सी प्रतीत होने लगीं । बेवारा राजहंस जिसने शरत् एवं ग्रीष्म के प्रत्येक दिन मुग्धाकमलिनियों के आंचल में बिताये अब विवश होकर मानस की ओर प्रयाण करना चाहता है । किन्तु वह सरोवर उसके वे किनारे, वे कमल, सब के सब बरबस उसे आकृष्ट कर लेते हैं । प्रेम के घागे, अत्यन्त कोमल होने पर भी टूट नहीं पाते । हंस बार बार, सरोवर के किनारे जाता है, प्रत्येक कमल पर अपना मुह रखता है और प्रत्येक कमलिलिनी के पते की क्रांति में सड़ा हो जाता है । आंखों से सावन मरने लगता है, किन्तु विवश राजहंस चल ही पड़ता है । विप्रलम्भ शृंगार का यह चित्र अन्योक्ति रूप में दर्शनीय है --

गतमनुतटं पद्मे पद्मे निवेशितमाननं प्रतिकमलिनी पत्रच्छायं मुहुर्मुहुरासितम् ।

नयनसलिलैरुष्णैः कोष्णाः कृता जलवीचयो जलदमलिनां हंसनाशां विलोक्य गमिष्यता ॥ १

उपर्युक्त उदाहरण में प्रणय का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया गया है किन्तु इसी की तुलना में प्रमरों की प्रीति का एक उदाहरण देस लिया जाय । जब से प्रमर ने जाती पुष्प को देखा है, उसके सारे के सारे कार्य-कलाप, तास पर रख उठे हैं । न वह नवमालिका को चाहता है न मतवाले गजराज की कर्णपटी को और न ही वासन्ती सुषमा से मरी वरण्यानी को ही । बस योगी हीकी मांति, रात दिन उसी की याद में खोया सा प्रतीत होता है --

नो मल्लीमयीहते न मजते मत्तमकुम्भस्थलीं वासन्तीं सहते न चन्दनवनीमालम्बते न क्वचिद् ।

जातीमेव हृदीश्वरीमिव महानन्देक कंदाङ्कुरां घ्यायन्निवृत्तिमेति षट्पदयुवा योगीव बीजप्रमः ॥

किन्तु यदि तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रमर द्वारा मल्ली कुम्भस्थली एवं चन्दनवनीकादि का त्याग, स्पष्टतः इस वक्ष्य के प्रतीक हैं कि उसका प्रणय, हंस सरिसां हृद् प्रणय न होकर केवल उसका आभास मात्र है । अतः हंस की अतुरानिन्दित में बहा ईश्वरीयता की गन्ध मिलती है, वहीं प्रमर का कृत्रिम प्रेम व्यभिचार वृत्ति का पी चर्चा होता है ।

इस विस्तृत विषय को छोड़कर अब प्रणय तत्त्व के कुछ गोण अंशों को भी देख लिया जाय । वात्सल्यरस को नौ रस मानने वाले आचार्यों ने शृंगार के ही अन्तर्गत स्वीकार किया है जब कि दूसरों ने स्वतन्त्ररूप में । किन्तु शास्त्रीय विवाद में न पड़कर हमें स्वीकार करना चाहिए कि वात्सल्य प्रेम की सामान्य स्थितिभाव में ही अन्तर्भूत एक तत्त्व है, क्योंकि प्रेम में बाह्यदृष्टि से पात्रानुसार भले ही भेद हो, किन्तु अन्तस्तत्त्व उन सब का एक ही होता है । इसी प्रकार, किसी व्यक्ति का माता-पिता में प्रेम अथवा माता-पिता का पुत्र से प्रेम (वात्सल्य) पत्नी से प्रेम (दाम्पत्य) मित्र से प्रेम (सख्य) भाई बन्धु से प्रेम (प्रावृत्त्व) मालिक (ईश्वर अथवा स्वामी) से प्रेम (दास्य) ये सब के सब एक ही सामान्य प्रेम में अंतर्निविष्ट हैं अतः सब के सब एक ही रति-स्थायी भाव के विभिन्न रूप हैं ।

सारा जंगल प्रचण्ड दावानल में घू घू करके जल रहा है । आग बढ़ती ही जा रही है, ठीक उसी ओर जहां बेचारी कबूतरी ने एक वृक्ष पर नीड़ बनाकर अण्डे दिये थे । अण्डे अब बूजों के रूप में कुलकुल मचाने लगे हैं । कपोती का मातृहृदय मग्न हो जड़ता है, वह क्या करे ? कैसे अपने निरीह शिशुओं की रक्षा करे ? बहुत आगा पीछा सोचकर वह पास में विधमान नदी की ओर भागती है और चौंच से पानी भर कर उस हत्यारिणी दावाग्नि को बुझाने का प्रयास करती है । उसे अपनी वेदनाओं की तिल भर भी चिन्ता नहीं है । चित्र द्रष्टव्य है --

शाबान कुलायकमतान् परिपातुकामा नद्याः प्रगृह्य लघु पत्रपुटेन तोयम् ।

दावानलं किल सिषेच मुहुः कपोती स्निग्धो जनो न खलु चिन्तयते स्वपीडाम् । १६११

प्रस्तुत उदाहरण में यद्यपि जिन वृत्तियों का वर्णन किया गया है, वे वस्तुतः कभी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि न जंगल में इस प्रकार की परस्परापेक्षिणी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न हो सकती हैं और न कपोती पानी से दावाग्नि ही बुझा सकती है । फिर भी इस पद्य का स्फुट लक्ष्य, वात्सल्य प्रेम से सराबोर एक ममतामयी माँ का हृदय उपस्थित करना है । दूसरी बात यह कि अन्यापवेश रूप होने के कारण कपोती वृक्षान्त की सार्थकता में कोई ननु नच नहीं उपस्थित किया जा सकता । इसी प्रकार 'सख्य-दास्य एवं प्रावृत्त्व' प्रेम के इस भी उदाहरण अन्योक्ति बाह्यमय में दूढ़े जा सकते हैं, 'दाम्पत्य एवं वात्सल्य' का स्वरूप विवक्षित ही चुका है ।

अन्योक्ति वाइ०मय में विद्यमान 'व्यक्ति एवं समाज तथा प्रकृति प्र एवं प्रणय' के विविध स्वरूपों में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के जीवन में भी बड़ी विविधता है। है भी ऐसा ही। क्योंकि दिन प्रतिदिन एक न एक नवीन परिस्थितियां जन्म लेती रहती हैं और पुरानी स्थितियां कोई न कोई स्थायी-अस्थायी अथवा ईषत् स्थायी परिणाम छोड़कर समाप्त हो जाती है। मनुष्य नियति की डोरी में जकड़ा हुआ, अनायास जीवनपथ पर घसीटा जाता है। जीवन का यही वैविध्य, अन्योक्ति वाइ०मय का प्रतिपाद्य है, क्योंकि इसकी यथार्थ व्याख्या के लिए ही 'अन्योक्ति' जैसे साहित्य की सर्जना हुई है।

गुणी एवं निर्गुण दोनों ही व्यक्ति समाज के अंगभूत हैं, किन्तु दोनों का जीवन समाज में दो वर्गों का श्रीगणेश करता है। गुणी व्यक्ति का जीवन सर्वथा अनुकरणीय होता है। वह यदि समाज से सर्वथा पृथक् भी रहना चाहेगा तो ऐसा नहीं कर सकेगा। क्योंकि वह जहां ही रहेगा, इसके अनुयायिगण वही एक स्वतन्त्र समाज की रचना कर देंगे। किन्तु इसके विपरीत गुणविहीनों को कोई पूँछने वाला नहीं होता। कवि कहता है --

हंसा दूरतरं वसन्ति कुहचिदेशे मृणालाशनाः चातुर्यं सुगतत्वमत्र सुजना घुष्यन्ति तेषां सदा ।
काकाः पुष्टतमाश्चरन्ति बलिभिः प्रत्यंगुणं राविणः तेषां दुर्गुणशालिनां गुणकथा-
का वा जनैः कथ्यताम ? ॥३८॥

यह तो हुआ, गुणी एवं निर्गुण व्यक्ति का जीवन। अब, एक चाटुकार का जीवन द्रष्टव्य है, जो जीवन भर मिथ्या-प्रशस्तियों से राजा की खुशामद करता रहा। किन्तु अन्त में जरा सी झुट्टि हुई नहीं, कान पकड़ कर निकाल बाहर हुआ। सिवाय लकड़ी काटने और बेचने के, उसके लिए अब जीवनयापन का कोई उपाय ही नहीं रहा। इस जीवन को आत्ममर्त्सना के रूप में यों देखा जा सकता है --

इन्द्रो यमो ऽसि बरुणोऽसि हुताशतो ऽसि ब्रह्माहरो हरिशशीत्यसकृच्छुक्तम् ।
मुषालमोलिगिरंजितपादपीठ । तस्यानृतस्य ॥३८॥

प्रत्येक व्यक्ति प्राणी: पूर्व जन्म के ही संस्कारों के अनुसार तदनुकूल वंश में उत्पन्न होता है तथा वही ही गुणसम्पदा प्राप्त करता है। एक ही मां के पेट से उत्पन्न दो माँस-बिद्या-गुण एवं सम्पत्ति के मामले में, एक-दूसरे से अत्यन्त दूर होते हैं, अतः दो सभे माँस का ही जीवन एक-दूसरे का आत्यन्तिक विरोधी तक हो सकता है। अतः निश्चित है कि माँस का माँस प्रत्येक प्राणी को करना नम्हिए ही पड़ता है, चाहे वह

पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप । जीवन के वैषम्य का यही मूल कारण है । कवि के शब्दों में --

तुल्ये भ्रमृति जन्म तुल्यमुमयोर्मूल्यं च तुल्यं वपुस्तुल्यं दाढर्यमुद्ग्रटकदलनं तुल्यं च पाषाणयोः^१
स्कस्याखिलवन्दनाय विधिना देवत्वमारीपितं तद्द्वारे विहिताऽपरस्य तु पदाघातस्पदं देहली ॥
॥५०॥

मनुष्य चाहें कितने ही महान् वंश में उत्पन्न क्यों न हा किन्तु उसके वैपत्तिक व्यतिकरों में कोई हिस्सा नहीं बंटा सकता । जीवन का वह स्वरूप वस्तुतः दर्शनीय है कि सब सुखमय साधनों के रहते हुए भी मनुष्य विपत्ति का निवारण न कर सके । अतः निश्चित है कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को दुर्भाग्य के हाथों बिकला ही पड़ता है । --

यन्माता विष्णुनाभिः पतिरपि च सुतो यस्यशास्ता प्रजानां लक्ष्मीर्यत्संश्रयाभूयदपि -
करतले भारती संबमार ।

मानुर्यस्यास्ति मित्रं तदपि सरसिजं क्षीणमिन्दोर्ययूरवै स्त्रातुं नैवोत्सहते गतसुकृतफलं-
प्राप्तकालं गहायाः ॥५१॥

किन्तु भाग्य-दुर्भाग्य सब को अच्छी तरह जानता हुआ भी, अदूरदर्शी मानव दुनिया में अपनी ही चाल चलता है । उसे क्या पता कि समस्त भूमण्डल में उससे अधिक आदर ऐश्वर्य एवं आभिजात्य वाले व्यक्ति भी होंगे । ऐसा जीवन कूपमण्डकों की ही भांति होता है, जिसमें स्वायत्त सम्पत्ति ही सर्वस्व होती है । कवि कहता है --

केऽमी दिक्करिणो रणौद्धुरंतरश्चेदस्मि कस्मिंश्च वा शक्तिस्ताहृगिहास्ति यस्य न मयं--
जागतिं मद्गाजिते ।

एवं केवलमात्मनैव गुरुतामात्मन्यमि १तयत्साहंकारमितस्ततो विहरते कूपोदरे दुर्दुरः^३ ॥५२॥

अज्ञान का पूर्वोक्त जीवन प्रायः बहुत कम सुधर पाता है । किन्तु अज्ञान की भी तो एक सीमा होती है । अतः जब वह अपनी सीमा को लांघने लगता है तो असत्य, झूठ, प्रपञ्च, प्रतारणा एवं दम्भ सरीखे सहायक उसे प्राप्त होने लगते हैं और इन सब में सर्वाभिमाबी सत्ता दम्भ की ही रह जाती है । क्यों जहाँ दम्भ है रहंगा वहाँ उसके समस्त कुटुम्बी अवश्य

ही रहेंगे । आचार्य ज्ञानेन्द्र के शब्दों में --

लोभः पिताति वृद्धो जननी माया सहोदरः क्रुद्धः
कुटिलाकृतिश्च गृहिणी पुत्रो दम्भस्य हुंकारः ॥

--(कलाविलास १।६४)

किन्तु दम्भपूर्ण जीवन का विनाश अवश्यम्भावी होता है । अधोलिखित अन्यापदेश से इसी भाव की व्यंजना होती है --

वाताहारतया जगद्धिषधरैराश्वास्य निःशेषितं ते ग्रस्ताः पुनरप्रतोयकणिकातीव्रव्रतैर्बर्हिभिः ।
तेऽपि क्रूरचमूरोर्ध्वसनेनीताः क्षयं लुब्धकैर्दम्भस्य स्फुरितं विदन्मपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥
॥४३॥

दम्भ भावना से समाच्छन्न व्यक्ति अपने उपकारियों को भी भूल जाता है । ऐसे कृतघनों का जीवन मृतक तुल्य है । किन्तु दुख तो इस बात का है कि ऐसे व्यक्ति अपनी कर्मियों का स्वतः अनुभव कर नहीं पाते । उसी दम्भ व्यापार में उसी कृतघन वातावरण में जीवन समाप्त भी हो जाता है, किन्तु दुनियाँ उस व्यक्ति के घृणित जीवन को यथाप्रसंग याद करती है । आचार्य मल्लट का एक पद्य इसी प्रकार के जीवन का चित्र उपस्थित करता है --

प्राणा येन समर्पितास्तव बलात्तु त्वमुत्थापितः स्कन्धे येन चिरं धृतोऽसि विद्वेह्यस्ते सपर्यामपि ।
तस्यान्तःस्मितमात्रकेण जनयंजीवापहारं क्षणाद्भ्रातः प्रत्युपकारिणां घुरि परं वेताल । लीलायसे
ऐसे कृतघन व्यक्ति यदि अपना पौरुष प्रदर्शन करने के बाद, समाज से किनारा कस लें तब
भी कुशल है । किन्तु वे तो इतने नीच एवं बेहया हो जाते हैं चोरी के बाद सीनाजोरी का
भी उनका प्रयास निरन्तर चलता रहता है । वे जिस जिस पत्तल में सायेगे उसी में छेद भी
करने का प्रयत्न करेंगे, यही कृतघनतामय जीवन की रौद्र परिणति है । मेघ का दृष्टान्त
देसिये --

यत्रोषितोऽसि चिरकालमकिंचनः सन्नर्णः प्रतिग्रहघनग्रहणाघमर्णः ।

निर्लज्ज बर्हसि समुद्रतटेऽपि तत्र घृष्टोऽक्षमस्तव समो घन । नैव दृष्टः ॥ ४५ ॥

अज्ञान, दम्भ, कृतघनता एवं बेहयाई की ही भांति ईर्ष्या भी जीवन को एक बिलक्षण रूप देती है । ईर्षालु, जो स्वप्न इतने मयंकर एवं क्रान्तिकारी होते हैं कि यदि कहीं वे सत्य हो जायें तो एक निकृष्ट जीवन की कुशल के पीछे समस्त संसार नष्ट हो जाय । किन्तु क्या ऐसे विनाशकारी स्वप्न कभी पूर्ण होते हैं ? कभी नहीं । और चूंकि वे नहीं पूरे होते, इसीलिए ईर्षालु व्यक्ति का एक-एक पल कुढ़न में षडयंत्र में अथवा अन्तर्दाह में ही

बीतता है। वस्तुतः ईर्ष्या का उद्भव 'अशक्तता' से होता है। जो व्यक्ति समर्थ होगा, पौरुषी होगा, उसके हृदय में स्पर्धा की तरंगें उठेंगी न कि ईर्ष्या की। स्पर्धा विध्यात्मक अथवा दोममूला है, किन्तु ईर्ष्या उसी का निषेधात्मक रूप साथ ही साथ विनाशमूला है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति-विशेष की बढ़ाचरी देखकर, अपने को उसकी बराबरी करने में सर्वथा असमर्थ पाता है किन्तु अपने दुर्बल मनोभावों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तभी ईर्ष्या की आग प्रज्वलित होती है। ऐसे व्यक्तियों को सुख नहीं ही मिल सकता --

इन्द्रुः प्रयास्यति विनइ०द्यति तारकश्रीः स्थास्यन्ति लीदतिमिरा न मणिप्रदीपाः ।

अन्धं समग्रमपि कीटमणे । मविष्यत्युन्मेषमेष्यति भवानिति दूमेतत् ॥४६॥

रूप, भोजन, निवास, वृत्ति, प्रेयसी एवं मित्र, ये तन्त्र प्रत्येक मनुष्य को नियंत्रित करते हैं। इनकी पूर्ति एवं अपूर्ति उपचय एवं अपचय, आगम एवं लोप, मनुष्य को कब क्या रूप देगे, उसके जीवन को किस ढर्रे पर ले जायेंगे, यह कोई सफल वैदवज्ञ भी, स्पष्टतः नहीं बता सकता है। जिस व्यक्ति में इनका सन्तुलित सहयोग रहता है, वस्तुतः वही सुखी है। रूप के अभाव में आत्मग्लानि, भोजन के अभाव में चाकरी, चोरी, मित्राटन, निवास के अभाव में उच्छ्वसलता, वृत्ति के अभाव में अवारागदी, प्रेयसी के अभाव में, व्यभिचार तथा मित्र के अभाव में असहानुभूति के भाव उदित होते हैं और इसी कारण नियमित जीवन सेकड़ों अनजानी राहों से गुजरता है जो किसी भी रूप में लौकाभिनन्द्य नहीं होता है। सन्तुलन का एक उदाहरण द्रष्टव्य है --

रूपं हारि मनोहरा सहचरी पानाय पाद्मं मद्यु क्रीडा चाप्यु सरोरुहेषु वसतिस्तेषां रजो मण्डनम् ।

वृत्तिः साधुमता बिसं न सुहृदश्चारु स्वना षटपदा सेवादेन्यविमाननाविरहितो हंसः सुखं जीवति ॥४६॥

श्रीस्वामी तुलसीदास ने स्पष्टतः कहा है कि 'स्वार्थ लाइ करहिं सब प्रीती ।' मनुष्य कितना भी निष्काम क्यों न हो किन्तु कोई न कोई कामना तो हृदय में रहती है। महात्मा बुद्ध ने सम्भवतः सारी सिद्धियां जगत् के ही कल्याणार्थ प्राप्त की थीं। किन्तु उनका भी य इसके पीछे एक स्वार्थभाव था। वह यह कि उनका धर्म युग युग तक चलता रहे। इस प्रकार संसार का कोई भी प्राणी स्वार्थभावना से दूर नहीं है वस्तुतः मूण्डल में अवस्थित किन्तु भी सम्बन्ध है, उनकी आधार-शिला 'स्वार्थ' ही है। पिता पुत्र से कुछ

आशा लगाये बैठा है तो पुत्र अपने पिता से । बहन, माई से कुछ अपेक्षा रखती है तो माई अपने मित्रों से । यहां तक कि स्वार्थी मनुष्य अपनी गाय, भैंस, बैल, एवं खेतों से भी कुछ न कुछ आशा लगाये बैठा है । स्वार्थ की यह शृंखला उतनी ही बड़ी है, जितनी कि वसुधरा की परिधि । इस स्वार्थ की प्रारम्भिक दशा प्रेममय, मध्यदशा ईर्ष्यामय और अन्तिम दशा विनाशमय होती है । अपने ही हाथों पाले गये बकरे को, मांस लोभी व्यक्ति काट डालता है । ज्वार के साथ अमनचैन, अज्ञाण रखने के लिए दुराचारिणी पति तक को काट डालती है अथवा देव वश, चौर्यरत को देख लेने वाले उस पुत्र को भी काट डालने में नहीं हिचकती, जिसे उसने नौ मास तक उदर में टोया-संजोया था । एक दृश्य देखने योग्य है । घान के पोथे अपने मालिक के प्रति कुछ कह रहे हैं --

येन स्मो जनिता वयं प्रतिदिनं स्नेहेन संवर्धिता येनास्मांस्तृणपीडनादपि पुरा सोढुं न शक्नुयः
ज्ञात्वा सोऽप्यघुना फलस्य समयं हेतुं शिरो वाङ्मति ब्रुवन्तीव तु नारवाष्पविगलदिबद्धत्करैः-
शालयः ॥४८॥

किन्तु दुनियां स्वार्थी व्यक्ति से कम, चालाक नहीं है । जब स्वार्थपरता की हांड़ी फूटती है तो उसमें संचित द्रव्य विखर कर समाज के सामने आ जाता है । और जब स्वार्थी व्यक्ति की सारी पोलपट्टियां सब की समझ में आ जाती हैं, तब फिर उसका कोई भी अभियान सार्थक नहीं हो पाता । ठीक उसी प्रकार जैस, जूते के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जादूगर का सारा नकलपन जान लेता है, वैसे ही समाज भी स्वार्थी का स्वार्थ जान लेता है -- कवि कहता है --

संरक्षितुं कृषिमकारि कृषीवलेन पश्यात्मनः प्रतिकृतिस्तूपुरुषां यम् । ✓

स्तव्यस्य निष्क्रियतमाऽस्तभियोऽस्य नूनमत्स्यन्ति गौमृगगणाः पुनरेव शस्यम् ॥४९॥

इसका अर्थ यह हुआ कि संसार की दुरवस्थाओं का सामना करने के लिए मनुष्य को द्वेष जीवन का आश्रय लेना अनिवार्य है । क्योंकि बिना 'शठशाठ्यं समाचरन्' का सहारा लिये घोसेबाजी से कोई पार नहीं पा सकता । अतः सच्चा संसारी व्यक्ति वही है जो अबसरानुकूल, अपनी प्रवृत्तियों को बदल सके । पड़ोसी यदि, 'मैया' कहे तो उसे 'पिता' कहने का और यदि कंकड़ फेंके तो उसका गला तक घोटने को तैयार रहे । अत्याचार के समक्ष विमय प्रदर्शन, स्वयं शास्त्रीय उपदेशों के विपरीत है । अतः समाज में इज्जतदार

बनने के लिए आन्तरिक पद्म का कोईस सहयोग नहीं, केवल 'बाह्य' लोकानुकूल होना चाहिए, ताकि संसार लौहा मान सके --

प्रातः कांचनलेपगोपितबहिस्ताम्राकृते । सर्वतो मामेषीः कलश । स्थितो भव चिरं देवालयस्योपरि ।

ताम्रत्वं गतमेव कांचनमयी कीर्तिः स्थिरा तेऽधुना नान्तःसारविचारणप्रणयिनो - लोका बहिर्बुद्धयः ॥ ५० ॥

सम्भव है कि उपर्युक्त नियम एवं जीवन पद्धति नीतिशास्त्र के अनुकूल न हो किन्तु तब भी जीवन-संग्राम में मनुष्य को अच्छा-बुरा सब करना चाहिये-+ पड़ता है। 'समस्त परिस्थितियों' किसी को ^{श्री} अनेक रूप दे देती हैं। कौमार्य, यौवन एवं वार्धक्य, अवस्थाएं मनुष्य को तीन विभिन्न संसार में रख देती हैं। यौवन में अपार बल रखने पर मनुष्य जानें कितनी यांजनाएं केवल अपने ब्रूते पर, संचालित करता है किन्तु बुढ़ाती आने पर अपनी ही पिपासा शान्त करने के लिए एक लोटा पानी तक नहीं ले पाता। जो व्यक्ति उसके सामने बैठ तक नहीं सकते थे, अब वही उसका मज़ाक उड़ाते हैं। यही संसार की व्यवस्था है। सिंह के व्यपदेश से इसी जीवनदशा का एक उदाहरण दिया जा रहा है --

यन्निद्रालसकण्ठनादकलिकां श्रुत्वाैव दूरादितः प्रत्येकं सहि मूर्ख्या निपतितो गन्धद्विपानां गणः ।

तस्यैवाथ मृगाधिपस्य पुरतः प्रोन्मुक्तचण्डस्वना निष्कम्पं विवरन्ति दुर्दुस्सापानोन्मदाः फेरवः ।

॥ ५१ ॥

किन्तु 'सत्संगति' से जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। नदी नाले के अस्पृश्य जल भगवती गंगा से मिलकर उतने ही पवित्र हो जाते हों हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य, कमी तो मारा-मारा फिरता है किन्तु जब संयोगवश किसी महान् जन से भेंट हो जाती है तब उसके दिन लौट आते हैं। मारे-मारे फिरने वाले व्यक्ति नीच एवं गुणी दोनों ही हो सकते हैं। अतः सज्जन की संगति पाने पर भी उन दोनों के जीवन में बड़ा भेद हो जाता है। दुष्ट पुरुष को यदि सत्संगति के फलस्वरूप समृद्धि प्राप्त होती है तो वह 'घुणात्तरन्याय' से ही मानना चाहिए। कपूर में रखी हीम की तरह उनकी दुष्टता, हृदय का कार्पण्य एवं ओहापन कभी विनष्ट नहीं हो सकता। मले ही वे मौक्तिक कणिकाओं से उद्दीप्त हो जायें 'यच्चाण्डः सत्संगतिः कोलेयकानां कुले जन्म स्वोदरपूरणं च विषसेनं स्पर्शयोग्यं वयुः । तन्मृष्टं सकलं त्वया च हनक। ज्ञोणीपतेराज्ञया यत्वं नमः प्रकृत्यः प्रासादमारोहसि।'

१- सुक्ति मुक्ता ० प० ३६

२- सुक्ति ० ३।३८

३- सुक्ति ० ३।३८

नीच व्यक्तियों की समृद्धि आयायी नहीं होती । क्यों कि उनका जीवन एक प्रकार से अनधिकृत सुखा का उपभोग करता है । अतएव सज्जनों का संगम छूटते ही पुनः अपनों पुरानों दशा को ही प्राप्त होते हैं । ठीक उसी प्रकार जैसा कि घण्टे दो घण्टे के लिए राजा की भूमि का निबाहने वाला नट, अमिनय के पश्चात् नट मात्र रह जाय । कवि के शब्दों में --

मौलिः स्वर्णकिरीटकान्तिरुचिरः केयूरभव्यो मुजो त्वद्मृत्याः किल क्वचिप्रमृतयो देवेति विज्ञाप्यमे ।

इत्थं कल्पनया कुशीलव ! नृपाहंकारदाढ्यं वृथा नृत्यान्ते भवतो भविष्यति मषीमात्रावशेषं वपुः ॥ ५३ ॥

परन्तु नारी की स्थिति पुरुष से कुछ भिन्न होती है । अतः उसके ममस्त गुण दोष पुरुषों के ही समान होते हुए कुछ विलक्षण इसलिए हैं कि उनका कर्मक्षेत्र पुरुष की अपेक्षा सीमित ही है । सम्भवतः इन्हीं कारण ईश्वर ने अधिकांश कोमल भावनाएं उन्हीं को दी है, क्योंकि घर की मर्यादित परिधि में रहने, पुरुष की प्रेरक शक्ति होने तथा मानवमात्र की जनयित्री होने के कारण उन स्निग्ध भावों का समुचित परिपाक नारी के ही वात्सल्यपूर्ण आंचल में हो सकता है । अपने इसी व्यक्तिगत बलदायक के कारण नारी का जीवन पूर्वव्याख्यात जीवनविविधा से पूर्णतः व्यतिरिक्त होता है ।

असहाय मृगी को एक क्रूर बहेलिया पकड़ लेता है और मृगी की आंखों से आंसू फरने लगते हैं । इसलिए नहीं कि उसे अपने प्राणों का मोह है, वरन् इसलिए कि उसका दुधसुहां होना, जो अभी इतना कोमल एवं अल्पदिनों का है कि घास को खाटना भी नहीं जानता, केवल मांस का दुध ही पीने का आदही है, कतराई आंखों से चरने के लिए गई हुई मांस की ही इगर निहारता होगा । वह व्याध से कहती है --

आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जमंगान्मां मुंच वागुरिक। याहि कुरु प्रसादम् ।

अद्यापि घासकवलग्रसमानभिज्ञो मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥ ५४ ॥

नारी जीवन का यही सर्वोत्कृष्ट रूप है । मातृ हृदय का अनुपम आदर्श भी इसी पथ में प्राप्त होता है । एक मां अपने नवजात शिशु के लिए कितने बलिदान, कितने समर्पण कर सकती है, बस यही इस पथ का द्रष्टव्य है, अन्यथा यह तो सहृदय जान ही सकती हैं कि यदि व्याध मृगी की अम्यर्थता को स्वीकार करके उसका सारा मांस शरीर से निकाल ले और स्तन मात्र को छोड़ दे तो भी बच्चों का कोई हित नहीं हो सकता । मृगी की यह उक्ति वस्तुतः

नायिका के इस कथन की भांति है --

कागा चुनि चुनि साइयां फल हाड़ औ मांस ।

डै नयना मत साइयो, पिउ मिलन की आम ॥

उपर्युक्त विवेचनों से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि अन्योक्ति वाङ्मय में 'मानव जीवन' के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। यह विषय इतना विस्तृत है कि सैकड़ों पृष्ठ केवल जीवन वैविध्य से भर सकते हैं, किन्तु यहाँ गुण-दोष-चाटु-संचित कर्म-अज्ञान-दम्भ-कृतघ्नता-निर्लज्जता-ईर्ष्या-सौख्य स्वार्थ तथा वात्सल्य आदि कुछ ही परिस्थितियों से युक्त जीवन का दिङ्मात्र निर्देश किया गया है। लाखों की संख्या में प्रणीत की गई अन्याक्तियाँ मानव जीवन की किसी न कस्मि किसी घटना अथवा मार्मिक प्रसंग को लेकर ही प्रारम्भ होती हैं। अतः सार रूप में यही कहा जा सकता है कि जनजीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसे अन्याक्ति ने आलोकित न किया हो।

+

+

+

काव्यशास्त्रीय विवेचन का क्षेत्र-निर्धारण, अध्यायारम्भ में ही हो चुका है। अतः तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में अन्योक्ति मात्र की सैद्धान्तिक परम्पराओं का आकलन कर लेने के पश्चात् अब आवश्यक है कि उसका विस्तृत स्तर पर भी मूल्यांकन किया जाय। कहने का तात्पर्य यह कि बूँकि प्रेरणात अर्थ में अन्योक्ति अलंकार मात्र मानी गई है। अतः उसके सैद्धान्तिक विवेचन का अर्थ, उसका आलंकारिक विवेचन हुआ। किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि अलंकार संस्कृत काव्यशास्त्र के सामूहिक प्रतिपाद्य का एक अंगमात्र है। यदि इसी तथ्य को और विशिष्ट परिपाटी में कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध छह सम्प्रदायों में से अन्यतम है। इनमें से प्रत्येक सम्प्रदायाधिष्ठातृ तत्त्व, अपने को काव्य की आत्मा घोषित करता है। अतः अलंकार के अतिरिक्त रीति, वक्रोक्ति, औचित्य रस एवं ध्वनि से पाँच सम्प्रदाय और बचते हैं। इनके अतिरिक्त शब्द शक्तियाँ गुण-दोष एवं वृत्तियाँ भी काव्यशास्त्र के ही अंगविशेष हैं। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में उपर्युक्त पाँच सम्प्रदायों में से कुछ सम्प्रदायों के व्यवस्थापक आचार्यों का विवेचन करते समय अन्योक्ति पर उस सम्प्रदाय की भी दृष्टि से प्रकाश डाला गया है जो कि अलंकार रूप में अन्याक्ति को स्वीकार करते हैं। अतः प्रस्तुत विवेचन द्विरुक्तियों का परिहार करते हुए अत्यन्त सटीक में होना।

संस्कृत काव्यशास्त्रों में भाषा के आधारभूत तत्त्व, शब्द एवं अर्थ पर अत्यन्त उच्च स्तर का चिन्तन किमपि प्रस्तुत किया गया है। मीमांसा दर्शन एवं व्याकरण शास्त्र भी

शब्द एवं अर्थ की सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । जैसा कि स्फोटवाद अभिहितान्वयवाद एवं अन्विताभिधान के सिद्धान्तों से सुस्पष्ट है । मनुष्य, कुछ भाव द्योतित करने के लिए ही उसके अनुकूल शब्दों का प्रयोग करता है । जब हमें अक्षरांकित, कतिपय पन्नों वाली पुस्तक मांगनी होती है तो हम 'पुस्तक' शब्द का प्रयोग करते हैं । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि पुस्तक शब्द का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं ? क्यों नहीं लोटा मांगने पर कोई व्यक्ति पुस्तक को ही देता है । अस्तु यह तो एक साधारण सी बात है जिसका निदान अभी स्पष्ट कर दिया जावेगा । किन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य हमें तब होता है जब कि किसी विशिष्ट अर्थ को द्योतित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रख्यात अर्थ उस विशिष्ट अर्थ से पूर्णतः भिन्न होता है फिर भी वैसा प्रयोग करने से आता है वही असम्बद्ध विशिष्ट अर्थ । हमारा आश्चर्य उस समय तो पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब हम कहते कुछ और हैं और उसका एक नहीं वरन् सैकड़ों ऐसे अर्थ निकलने लगते हैं जिनका कि प्रयुक्त शब्दों से न तो कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है और न कोई साम्य ।

वस्तुतः इन्हीं कृतुहलों की शान्ति के लिए समस्त काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में शब्दार्थ का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक मांगने पर ही पुस्तक रूप वस्तु विशेष इसलिए प्राप्त होती है कि दोनों के बीच एक निश्चित सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध, प्रयोग परम्परा अथवा रूढ़ि पर आधारित होता है । शब्द एवं अर्थ के बीच विद्यमान, इसी निश्चित सम्बन्ध को काव्यशास्त्र की शब्दावली में संकेत कहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक शब्द उच्चारण किये जाने पर अपने किसी संकेतित अर्थ का ही बोध करता है उदाहरणार्थ जल शब्द द्रव रूप एक अर्थ- विशेष का गायशब्द सासनादियुक्त एक चतुष्पद पशु-विशेष का इत्यादि । काव्यशास्त्र में इसी संकेतित अर्थ की जाति, गुण, क्रिया एवं द्रव्य (यहच्छा) ये चार कोटियाँ बताई गई हैं ।

शब्द एवं अर्थ के बीच विद्यमान यह संकेत सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है -- साक्षात् तथा असाक्षात् । जब कोई शब्द साक्षात् रीति से अपने संकेतित अर्थ का बोध कराता है तब वह उस अर्थ का वाचक कहा जाता और वह अर्थ भी वाच्य कहा जाता है । असाक्षात् रीति से अर्थावबोध कराने पर शब्द या तो लाक्षणिक होता है अथवा व्यञ्जक और इसी प्रकार उनका अर्थ भी या तो 'लक्ष्य' होता है अथवा 'व्यञ्ज्य' । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि शब्द-तीन प्रकार का होता है -- १-वाच्यार्थ बोधक वाचक शब्द, २-लक्ष्यार्थ बोधक

लक्षणात्मक शब्द एवं ३- व्यंग्यार्थ बोधक व्यञ्जक शब्द । किन्तु यह रहस्य जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि वाचकादि शब्दों द्वारा वाच्यादि त्रिविध अर्थों का बोध बिना किसी प्रक्रिया के ही नहीं हो जाता, वरन् उन तीनों ही अर्थ बोधों में शब्द की तीन बलवती शक्तियाँ काम करती हैं । इन्हीं शब्दशक्तियों को क्रमशः अभिधा लक्षणा, तथा व्यञ्जना कहते हैं ।

अभिधा शक्ति की प्रक्रिया में शब्द द्वारा किसी साक्षात् संकेतित अर्थ का 'अभिधाने' या 'कथने' होता है । इसमें शब्द वाचक तथा उसका अर्थ वाच्य रूप होता है । आचार्य मम्मट स्पष्टतः कहते हैं -- 'साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः' अर्थात् वाचक शब्द वही है जो (१) साक्षात् संकेतित अर्थ का ही अभिधान करे न कि संकेतित मात्र का । क्योंकि 'कर्मणि शु कुशलः' आदि रूढ लक्षणा के उदाहरण में, 'कुशल' शब्द (कुशात्लातीति कुशल) कुशाहरणपरक अर्थ का बोधक होते हुए भी 'चतुर' अर्थ में रूढ हो चुका है । अतः 'कुशल' शब्द का साक्षात् संकेत भी रूढि के बल से चातुर्यपरक अर्थ में होता है । किन्तु उसका पूर्व संकेत तो कुशाहरणपरक अर्थ में ही है । इस प्रकार कुशल शब्द का संकेतित अर्थ दो प्रकार का हुआ -- साक्षात् एवं असाक्षात् । 'कर्मणि कुशलः' में 'कुशल' शब्द का तात्पर्य उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ 'कुशलाने' में तो निहित है नहीं । अतः जब कुशाहरणपरक अर्थ उस प्रसंग में अयुक्त सिद्ध हो जाता है तब लक्षणाशक्ति के बल से 'चातुर्यपरक' उसका एक नवीन अर्थ उदित हो जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि रूढ लक्षणा में प्रत्येक शब्द के संकेतित अर्थ दो प्रकार के होते हैं -- एक तो साक्षात् सक्रम संकेतित जो रूढि से उत्पन्न हो जाता है और दूसरा असाक्षात् या परम्परया (व्युत्पत्त्या) संकेतित । किन्तु प्रयोग की बेला में कुशल शब्द का भाव उसके साक्षात् संकेतित अर्थ 'चतुर' में ही निहित होता है । अतः कुशल शब्द चातुर्यपरक अर्थ का ही वाचक है । किन्तु यदि साक्षात् पद को हटा कर केवल स संकेतितार्थ का अभिधान करने वाले शब्द वाचक मान लिये जायें तो फिर कुशल प्रमृति शब्द अपने व्युत्पत्तिपरक अर्थों के वाचक बन जायेंगे और इस प्रकार रूढ लक्षणा की स्थिति ही संकटापन्न हो जायेंगी । (२) किन्तु कुछ विद्वानों ने वाचक पद की एक और विशेषता बताई है । वे साक्षात् पद को संकेतित अर्थ का विशेषण न मान कर क्रियाविशेषण रूप में ही स्वीकार करते हैं -- साक्षात् यथा स्यात्तथाऽभिधत्ते । अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना में हम देखते हैं कि पद्य के दो अर्थ होते हैं । क्यों ? क्योंकि उस पद्य में प्रयुक्त समस्त शब्द शिष्ट होते हैं । अतः उन शब्दों का संकेत भी उन दोनों ही अर्थों में होता है, उदा० 'राजा एवं हस्ती परक' इत्यादि में 'राजा' एवं 'हस्ती' परक

में तो गांव टिक नहीं सकता । अतः निश्चित ही इस कथन के पीछे वक्त का कोई गूढ़ अभि-
प्राय अवश्य तिरोहित है यह गूढाभिप्राय या तो रुढ़ि रूप होता है या फिर प्रयोजन रूप ।
'कर्मणि कुशलः' में कुशल शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ बाधित होने पर चातुर्थ परक अर्थ रुढ़ि
के ही कारण लजित होता है । इसी प्रकार 'गंगाया घोषः' में धारा में घोषस्थिति
असम्भव होने पर उसका गंगा तटेघोषः रूप अर्थ प्रयोजन विशेष के कारण ही हाता है ।
और वह प्रयोजन है ग्राम का शैत्यपावनत्वादि धर्म । इस प्रकार 'लज्जणा' में बाधित
मुख्यार्थ द्वारा एक अमुख्यार्थ लजित होता है, जो कि आरोपित ह साथ ही साथ व्यवधान
युक्त होता है ।

अन्योक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में यद्यपि 'लज्जणा' शक्ति बहुत प्रसिद्ध नहीं है
क्योंकि व्यंजना के समझ उसे महत्व देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु इससे यह
नहीं समझना चाहिए कि मावाभिव्यक्ति की इस परिपाटी में लज्जणा का कोई स्थान
नहीं । प्रत्युत सत्य तो यह है कि यदि हम पृथक् विवेचन करना चाहें तो अन्योक्ति पद्यों
में पद-पद पर 'लज्जणा व्यापार' प्राप्त होगा ॥ तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में क्रमशः
आचार्य कुन्तक एवं सम्बन्धत्रय के स्वरूप का हवाला देते हुए यह प्रमाण दिया जा चुका है
कि वक्रोक्तिजीवितकार 'लज्जणा' को भी अन्योक्ति का प्रयोजक तत्त्व मानते थे । इन्दुलिप्त-
इवांजनेन प्रभृति पद्य में उन्होंने स्पष्टतः विपरीत लज्जणा स्वीकार करते हुए उसे अप्रस्तुत
प्रशंसा के रूप में स्वीकार किया है ।

वस्तुतः सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति में निर्जीव पदार्थों एवं पशुपक्षियों के संवादों
को ही अप्रस्तुतवाच्य के रूप में ग्रहण करने के कारण उनका बाधितत्व तथा उसी से सम्बद्ध
एक अन्य अर्थ का लजितत्व -- ये दोनों ही तथ्य अत्यन्त सम्भव हैं । किन्तु तब भी
अन्योक्ति में 'लज्जणा' का पृथक् अस्तित्व माना नहीं जाता । क्योंकि लज्जणा का उदय
केवल और केवल तभी संभव है जब वाच्यार्थ बाधित या असिद्ध हो जाय जैसे गंगा व की धारा
में घोष कीस्थिति । साथ ही साथ उसी बाधित अर्थ से पूर्वोक्त पांच सम्बन्धों में से किसी
एक द्वारा सम्बद्ध कोई रुढ़ि अथवा प्रयोजन परक अर्थ लजित हो । अन्योक्ति में पहली बात
तो यह कि वाच्यार्थ का बाधित होना आवश्यक नहीं है । वह सम्भव, असम्भव तथा
सम्भवासम्भव किसी भी प्रकार का हो सकता है । अन्योक्ति का सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्य है

अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के इतिवृत्त का साम्य । इन दोनों इतिवृत्तों में या तो कार्यकारण या सामान्यविशेष या फिर सारूप्यसंबंध होता है । लक्षण में ये प्रक्रियाएं पूर्णतः असम्भव हैं । दूसरी बात यह कि -- लक्षण में केवल प्रयोजनवती लक्षण ही अव्यंग्य होती है रुद्ध लक्षण नहीं । किन्तु अन्योक्ति में प्रस्तुतपदा सर्वदा व्यंग्य ही रहता है ।

निष्कर्ष यह कि लक्षण में एक ही इतिवृत्त बाधित होकर रुद्धि अथवा प्रयोजन वश एक दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है किन्तु अन्योक्ति में 'अप्रस्तुत इतिवृत्त' की सत्ता अप्रस्तुत के साथ समाप्त हो जाती है । किन्तु वृत्तिका का भाव उसमें पर्यवसित नहीं हो पाता अतः उसी के समान दूसरा इतिवृत्त व्यंजनया प्रतीत होता है । अर्थ के लक्षित होने एवं प्रतीत होने में मौलिक भेद है । अतः सिद्ध है कि अन्योक्ति में लक्षण का स्वतंत्र स्थान अपेक्षाकृत कम है और जहां है वही वहां वह व्यंजनया का उपस्कारक मात्र है । आचार्य मम्मट ने लक्षण के तैरह भेद - प्रमेदों का विस्तृत निरूपण काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में किया है, जो इस पार्थक्य की दृष्टि से द्रष्टव्य है ।

व्यंजनावृत्ति के विषय में अधिक नहीं कहना है, क्योंकि यह शब्दशक्ति इतनी विलक्षण है कि इसके विषय में कोई आपत्ति उठाई ही नहीं जा सकती है । 'गंगायां घोषः' लक्षण के इस उदाहरण में पीछे बताया जा चुका है 'शैत्यपावनत्व' रूप एक प्रयोजन अवस्थित है । किन्तु इस प्रयोजन का ज्ञान हमें हांता कैसे है ? अमिधा द्वारा ? नहीं, क्योंकि तटादि में प्रतीत होने वाले शैत्यपावनत्वादि धर्म गंगा पद के संकेतित अर्थ तो है नहीं अतः संकेत मात्र में सम्भव अमिधा शक्ति किसी भी दशा में यहां चरितार्थ न होगी । इसी प्रकार 'शैत्यपावनत्व' का ज्ञान हमें 'लक्षण' द्वारा भी न होगा, क्योंकि लक्षण होने की तीन प्रमुख शर्तें हैं १- मुख्यार्थ का बाध, २- मुख्यार्थ से योग (सारूप्यादि सम्बन्धों द्वारा) तथा ३- रुद्धि अथवा प्रयोजन । किन्तु 'शैत्यपावनत्व' के ज्ञान में लक्षण की उपर्युक्त कोई भी शर्त पूरी नहीं होती । 'गंगायां घोषः' में तो जलधारा में घोषस्थिति असम्भव होने के कारण मुख्यार्थ बाध तटस्थिति रूप सामीप्य योग और शैत्यपावनत्व रूप प्रयोजन तीनों विद्यमान थे । किन्तु अब यदि आप उस प्रयोजन को भी लक्षण से ही जानना चाहते हैं तो आवश्यक है कि 'गंगायां घोषः' में 'तट' शब्द गंगा शब्द का मुख्य अर्थ हो, वह बाधित भी हो । शैत्यपावनत्व का तट से कोई सम्बन्ध हो । और सबसे बड़ी चीज तो यह कि पुनः कोई अमीन प्रयोजन हो ।

किन्तु शैत्यपावनत्व के ज्ञान में त्रिस्थूणा लक्षण की कोई भी शर्तें पूरी नहीं होती । क्योंकि 'तट' गंगा शब्द का लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ नहीं । इसका बाध भी नहीं है

क्योंकि गंगातट पर तो गांव ही हो सकता है । हां, धारा में गांव नहीं हो सकता । तट का लक्षणिय धावनत्वादि से कोई सम्बन्ध भी नहीं है और न इस प्रयोजन के लक्ष्य बनेने में कोई अन्य प्रयोजन ही है । थोड़ी देर के लिए यदि कोई प्रयोजन मान भी लिया जाय तो फिर उसका भी प्रयोजन उस प्रयोजन का भी प्रयोजन , इस प्रकार शृंखला बढ़ती जाने से अनवस्था दोष होना^१ । इस प्रकार सिद्ध है कि प्रयोजनमूलक उस शैत्यपावनत्व का ज्ञान अभिधा लक्षण से सर्वथा व्यतिरिक्त किसी अन्य शब्दशक्ति से ही होगा । वही शब्दशक्ति व्यंजना या ध्वनि कही जाती है ।

प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन रूप में विद्यमान व्यंजना लक्षणामूला कही जाती है । इस व्यंजना के दो प्रमुख वैशिष्ट्य हैं -- एक तो यह कि इसमें सर्वदा कोई न कोई वस्तु हो व्यंग्य होती है और दूसरा यह कि वह व्यंजना सदा शाब्दी ही होती है आर्थी नहीं^२ । इसके विपरीत अभिधामूला व्यंजना शाब्दी एवं आर्थी दोनों ही प्रकार की होती है । श्लेषमूलक सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति इसी अभिधामूला शाब्दी व्यंजना के समान होती है, जिसके साम्य-भेद एवं औचित्य का सविस्तर निरूपण चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है । अतः अन्योक्ति में व्यंजना के स्थान-निर्धारण की अब कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

+

+

+

अन्योक्ति वाङ्मय में गुण-दोष एवं अलंकार-विवेचन के प्रसंग में यह सूचना दे देनी अपेक्षित है कि तृतीय एवं चतुर्थ इन पूरे दो अध्यायों में अन्योक्ति के अलंकारत्व का सविस्तर व्याख्यान किया जा चुका है अतः प्रस्तुत स्थल पर केवल गुणों एवं दोषों पर ही थोड़ा प्रकाश डाला जायेगा । संस्कृत काव्यशास्त्र में गुणों का विवेचन, अत्यन्त जटिल एवं दुर्बोध हो गया है, जिसका कि एकमात्र कारण समय-समय पर होने वाला इसका सैद्धान्तिक पदा-परिवर्तन है । प्राचीनतम आचार्य भरत ने गुणों की संख्या दश मानी है तो मामह ने केवल तीन । आचार्य बामन ने उनकी संख्या बीस मानी तो राजा मोज ने चौबीस । इसी प्रकार किसी आचार्य ने गुणों को काव्य सम्बन्धी वैषम्य मार्ग का प्राण माना तो किसी ने काव्य-रामाकारक धर्म और किसी ने काव्यात्ममूलक रस का धर्म । किन्तु सम्स्त

१- स्वमप्यनवस्था स्यात्सा मूलकारिणी -- काव्यप्र० २।१७ अ

२- सविस्तर इष्टव्य-- काव्यप्रकाश, द्वितीय एवं तृतीय उल्लास ।

काव्यशास्त्रीय ग्रन्थकारों में गुणों का सर्वोत्तम विवेचन करने वाले आचार्य काव्यप्रकाशकार ही हैं, जिन्होंने कि गुणों की संख्या एवं सिद्धान्त के विषय में पूर्वाचार्यों द्वारा उद्भावित भ्रान्त धारणाओं को निरस्त करके, उनका एक नवीन सिद्धान्त हमारे समक्ष रखा ।

दोष विहीन, गुणयुक्त एवं मालंकार (कहीं कहीं अलंकार विहीन भी) शब्द एवं अर्थ की समष्टि काव्य है, ऐसा आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया । इस काव्य की आत्मा रस है । काव्य में रस ही 'अंगी' होता है तथा शब्द एवं अर्थ अंग होते हैं । गुण इसी अंगीरस के स्थायी-धर्म को कहते हैं । जैसे शरीरमें विद्यमान आत्मा के स्थायी गुण शौर्यादि हैं, ठीक उसी प्रकार रस के धर्म, ओजस प्रसाद एवं माधुर्य ये तीनों गुण हैं । आचार्य मम्मट ने गुणों की स्थिति को 'अचल' बताया है जिसका अर्थ यह है कि गुण रस के बिना अवस्थित नहीं रह सकते हैं और विद्यमान रहने पर रस का उपकार भी अवश्य करते हैं । शब्द एवं अर्थ ही, काव्य रूप होने के कारण चूंकि काव्यात्मभूत रस के अभिव्यंजक होते हैं अतः (रस के धर्म) गुण, औपचारिक रीति से शब्द एवं अर्थ के भी धर्म मान लिये जाते हैं । तददोषों शब्दार्थों मगुणावनलंकृती पुनः काव्यम् में मगुणों को शब्दार्थों का विशेषण बनाने में आचार्य मम्मट का वस्तुतः यही अभिप्राय था । इसके विपरीत अलंकार, विद्यमान रहते हुए उसी काव्यात्मभूत रस का उसके अंगों -- शब्दों एवं अर्थों -- द्वारा कमी-कमी उपकार किया करते हैं । किन्तु इस विषय में कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि शब्द एवं अर्थ काव्यात्मभूत रस का उपकार करें ही । वस्तुतः

१- कहीं कहीं तां वे अंगीभूत रस का उपकार करते हैं २- कमी कमी रस के अनुपस्थित रहने पर 'उक्तिवैचित्र्य' मात्र बन जाते हैं और ३- कमी कमी विद्यमान रहते हुए भी रस का कोई उपकार नहीं करते । वस्तुतः अलंकार रस के अस्थायी या चल धर्म हैं ।

मामह विवरण में आचार्य उद्मट ने कहा था कि 'लौकिक शौर्यादिगुण तथा हारादि अलंकार मले ही शरीर से 'समवाय एवं संयोग वृत्ति द्वारा सम्बन्धित हैं । किन्तु काव्य में विद्यमान रहने वाले अलौकिक, ओज, प्रमृति गुण एवं अनुप्रासोपमादि अलंकार काव्य से केवल समवाय वृत्ति द्वारा ही सम्बन्धित हैं । अतएव काव्य में उनकी क्रमशः समवाय एवं संयोग वृत्ति से स्थिति तथा तज्जनित दोनों का भेद केवल महलिका प्रवाह

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- काव्यप्रकाश ८।१

२- अचल धर्म पुनस्तेषां वृत्तिः अलंकाराणां चेतः ॥ का० प्र० ८।६

इसी प्रकार आर्थी व्यंजना के प्रसंग में आचार्य पुनः स्पष्टतः कहते हैं --

शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यन्तरं अतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तच्छब्दस्य पहकारिता ।।
(काव्यो तृतीयो) इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि आचार्य मम्मट काव्य की परिधि में शब्द एवं अर्थ को परस्परापेक्षी ही स्वीकार करते हैं, पृथक् नहीं । वस्तुतः यदि आचार्य वामन का शब्द एवं अर्थ गुण अलग-अलग देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है, उपमेदबुद्धि में कोई सबल आधार नहीं है, अतः वह पूर्णतः बनावटी सा ही प्रतीत होता है ।

वामनाचार्य के अनुसार शब्दगुणों में गाढबन्धत्व-- ओजस्, शैथिल्य--प्रसाद, मसृणत्व--श्लेष, आरौहावरोहक्रम -- समाधि, पृथक्पदत्व-- माधुर्य, अजठरत्व--सौकुमार्य, विकटत्व--उदारता, अर्थव्यक्तिहेतुत्व --अर्थव्यक्ति तथा औज्वल्य-- कान्ति । इसी प्रकार अर्थ गुणों में-- अर्थ की प्रौढि--ओजस्, अर्थ वैमल्य -- प्रसाद, क्रमकौटिल्यानुल्बणत्वोपपत्ति-योगरूपा घटना -- श्लेष, अवैषम्य--समता, अर्थदृष्टि--समाधि, उक्तिवैचित्र्य--माधुर्य, अपारुष्य--सौकुमार्य, अग्राम्यत्व--उदारता, वस्तुस्वभावस्फुटत्व--अर्थव्यक्ति तथा दीप्त रसत्व-- कान्ति । इन पारिभाषिक सूत्रों में षोडश भेद रहते हुए भी एक ही तथ्य को घुमा फिराकर शब्द एवं अर्थ के वर्गों में रखा गया, प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ-- शब्द एवं अर्थ में सौकुमार्य का लक्षण 'अजठरत्व' तथा 'अपारुष्य' केवल संज्ञान्तस्मात्र प्रतीत होता है । इसी प्रकार मागमिद तथा अवैषम्य रूप 'समता' एवं अर्थव्यक्तिहेतुत्व तथा वस्तुस्वभाव-स्फुटत्व रूप 'अर्थव्यक्ति' गुण शब्द एवं अर्थ के वर्ग में पृथक् उपदिष्ट होने पर भी तत्त्वतः एक ही सिद्ध होते हैं ।

किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में हमारा अभीष्ट बस इसी तथ्य के प्रकाशन में निहित है कि अन्योक्ति वाङ्मय काव्य सामान्य का अंग, साथ ही साथ एक विशिष्ट अंग होने के कारण इन गुणों का प्राधान्य आश्रय बनता है । चाहे हम दण्डी की परिभाषाओं को स्वीकार करें, चाहे वामन अथवा मौज की । किन्तु सब ने एक ही तथ्य को प्रकारान्तर से प्रतिपादित करने की चेष्टा की है । अर्थगुण का शब्द गुण से पार्थक्य होने के कारण ही वामन दण्डी की अपेक्षा तथा अमिजात्य प्रमृति चार नवीन गुणों को भी मृहीत कर लेने के कारण मौज, दण्डी एवं वामन की अपेक्षा नवीन प्रतीत होते हैं । किन्तु ये सब के सब आचार्य मरत के ही मतानुयायी हैं जिन्होंने गुणविषयक प्रथम एवं प्राचीनम् सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । हहं० हां आचार्य मम्मट इन तीनों ही आचार्यों से अवश्य पृथक् हैं क्योंकि उन्होंने गुण-विषयक जो सम्प्रदाय स्वीकार किया है, वह मरत से भिन्न आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित किया गया था । इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र में गुणविषयक दो सम्प्रदायों की संख्या प्रतीत होती है । एक सम्प्रदाय गुणों की संख्या

दश और दूसरा केवल तीन ही स्वीकार करता है । किन्तु अपनी सुदृढ़ सैद्धान्तिक समावेशिता के कारण आचार्य मम्मट का ही मत आगे आने वाले काव्यशास्त्रकारों द्वारा अंगीकार किया गया ।

अन्योक्ति का कोई भी पद्य, बन्ध की दृष्टि से, वामनप्रोक्त किसी न किसी शब्द-गुण से अवश्य ही सम्बद्ध होगा । काव्यात्मक विवेचन में व्याख्याते तीसरा पद्य (निरानन्दः कौन्दे आदि) आचार्य वामन द्वारा समाधि शब्द गुण का उदाहरण दिया भी गया है । अतः यह कहा जा सकता है, कि शब्द गुणों का पद-रचना की दृष्टि से, अन्योक्ति बाह्यमय से घनिष्ठ सम्बन्ध है । विशेष करके वामन प्रोक्त कान्ति शब्दगुण जो औज्वल्य अर्थात् 'नवकल्पना' रूप है और जिसका अभाव में कोई रचना 'पुराणच्छाया' मात्र रूप प्रतीत है, अन्योक्ति का प्राणतत्त्व है क्योंकि 'अन्यापदेश' स्वयं कवि की चैतासिकी कल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण है -- 'ऐसे समृद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी उसका व्यक्ति कैसे इस निम्न स्तर पर आ गया । और कवि कह रहा है कि --

येनामन्दानन्दे ष दलदरविन्देदिनान्यनायिषत् ।

कुटजे सल तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम् ? । ५६॥

इस पद्य में स्पष्टतः कवि की कल्पना एक नूतन 'मंगीमणिति' के साथ औज्वल्य गुण पैदा कर रही है । अतः स्पष्टतः यहाँ 'कान्तिगुण' है । फटित्यर्थावबोधकता के कारण अर्धव्यक्ति तथा शब्दों को लीला ममानता के कारण उदार गुण भी यहाँ द्रष्टव्य हैं । इसी प्रकार पद्य-अभाव जनित सुकुमारता, पृथक्पदत्वजनित, माधुर्य तथा मसृणत्वादि विशिष्ट श्लेष गुण भी इस पद्य में विद्यमान हैं । इस प्रकार एक ही अन्योक्ति में इस समस्त शब्द गुणों की स्थिति से यथरहस्य सिद्ध हो जाता है कि अन्यापदेश में वे स्वभावतः विद्यमान हैं । सिंहादि जीवों के पराक्रम वर्णन में यदि 'गद्गदबन्धत्व' (ओज) है तो मयकर उरुगर्भ से मरणप्राय बच्चे को बचाने की असफल चेष्टा करती हुई कपोती के वर्णन में शैथिल्य । समता गुण तो अन्योक्ति में पदे-पदे प्राप्त होता है ।

वामनाचार्य प्रोक्त अर्थगुण, शब्दगुणों की अपेक्षा, अन्योक्ति बाह्यमय से अधिक सम्बद्ध है । 'दीप्तरसत्व' कान्ति का लक्षण है जिसमें कि सारी की सारी रस परिपाक की प्रक्रिया अन्तर्भूत हो जाती है । काव्यात्मक विवेचन में विद्यमान ३५ वां पद्य शृंगार का

३७ वां करुण का, ३३ वां वीर रस का, ४२ वां हास्य का, ३२ वां वीभत्स का, ३४ वां भयानक का तथा अन्यान्य पद्य, अन्यान्य रसों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इसी प्रकार अग्राम्यता, उदारता, नामक अर्थगुण का लक्षण है । किसी अश्लील तथ्य को औचित्यपूर्ण शैली में प्रकट करना ही अग्राम्यता है । आचार्य दण्डी ने इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है --

उत्कर्षवान् गुणः कश्चित् यस्मिन्मुक्ते प्रतीयते ।

तद्दुदाराह्वयं तेन मनाथा काव्यपद्धतिः ॥

-- काव्या० २।७६

इस गुणका जो उदाहरण आचार्य ने दिया है (है है लाजित बोधिसत्त्व आदि) वह सूक्ति मुक्तावली के अन्योक्ति खण्ड में ही संकलित किया गया है ।

इन विवेचनों से सिद्ध होता है कि अग्राम्यता अथवा उत्कर्षवान् गुण का वर्णन जो कि उदारता का प्राण है वही अन्योक्ति का भी प्राण है । क्योंकि अन्यापदेश शैली का तो लोक में प्रचलन ही केवल इसलिए हुआ कि निम्न से निम्न गन्दे से गन्दे तथा घृणित से घृणित भावों का भी निबन्धन हम ऐसे चामत्कारिक ढंग से कर सकें कि वक्ता का मन्तव्य पूर्ण हो जाय । जनता अपनी कुरीतियों को लोकप्रकाश के मय से ठीक भी कर ले और काव्योपकार भी हो । इसी कारण, आचार्य हेमचन्द्र ने उदारता गुण के व्याख्यान में ये पूर्व यवसूचि सूत्रसुहृदों आदि अन्यांक्ति पद्य को ही उदाहृत किया है ॥

आचार्य मम्मट ने यद्यपि ओजसु प्रसाद एवं माधुर्य मात्र को ही स्वतन्त्र गुण स्वीकार किया है साथ ही साथ उन्हें रस का स्थायी-धर्म माना है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रस परिपाक में गुणों का प्रत्यक्ष सहयोग है । अतः जहाँ आचार्य वामन एवं उनके अनुयायियों ने गुणों को काव्यसंघटना से सम्बद्ध माना है, वहाँ आचार्य मम्मट ने उन्हें काव्यात्ममूत रस से सम्बद्ध । किन्तु दोनों दशाओं में गुणों का अन्योक्ति वाङ्मय के संघटना तत्त्व अथवा रस परिपाक से घनिष्ट सम्बन्ध है । इस विस्तृत व्याख्यान को अब यहीं समाप्त किया जाता है ।

१- आचार्य वामन ने गुणों को निम्न गिनाते हुए काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (३।१।४) में कहा है--
 ओजः प्रसादः माधुर्यं समञ्जः समाधिमाधुर्यसौकुमार्यादारता ध्वन्युक्तिरान्त्यो बन्धुगुणाः ॥ बन्धु-
 पदरक्ता वस्य गुणाः बन्धुगुणाः ओजः प्रमृतयः । रीति के भी विषय में रीतिरिक्त-
 काव्यस्य और विशिष्टापदरचनारीतिः कहकर आचार्य ने गुण को ही वैशिष्ट्य का कारण
 माना है (विशिष्टो गुणात्मा) इससे यह स्पष्ट है कि वामन गुणों को पदसंघटना का ही
 बन्धु मानते हैं ।

काव्यदोषों का विवेचन भी अन्य काव्यतत्त्वों की भांति नाट्यशास्त्र से ही प्रारम्भ हुआ । मरत ने उनकी संख्या दश, भामह ने पच्चीस, दण्डी ने पन्द्रह, वामन ने बीस, रुद्रट ने पन्द्रह तथा अन्त में आचार्य मम्मट ने सत्तर से भी अधिक दोषों का व्याख्यान काव्यप्रकाश के सम्पूर्ण सातवें उल्लास में किया । किन्तु प्रस्तुत स्थल पर उनकी संख्या पर विचार न करके केवल उनका सिद्धान्त पदा तथा अन्योक्ति से उसका संबंध निर्देश भर करना है । जैसे गुणों की मौलिक परिभाषाएं आचार्य वामन एवं मम्मट ने ही मौलिक रूप में प्रस्तुत कीं, ठीक उसी प्रकार दोष का भी सिद्धान्त पदा परिनिष्ठित रूप में सर्वप्रथम आचार्य वामन ने ही व्याख्यात किया । आचार्य वामन ने दोषों को गुणविपर्यय रूप स्वीकार किया है । किन्तु विपर्यय का अर्थ यहाँ अभाव रूपे न होकर केवल विरोधी मात्र होना है । विपरीयन्ते विरुद्धं गच्छन्तीति विपर्ययाः । इस प्रकार विपर्यय का अर्थ विरोध मात्र लेकर वामन ने दोषों को भावरूप ही सिद्ध किया है । दूसरी बात जो आचार्य निर्दिष्ट की है, वह गुणों की अपेक्षा, दोषों की प्राथमिकता से सम्बद्ध है । लोक में मनुष्य, हाथ मुंह घोंकर ही मोजन करने बैठता है । ठीक उसी प्रकार गुणों के पूर्व ही दोषों का विवेचन श्रेयस्कर है । इसी कारण वामनाचार्य ने दोषों का विवेचन गुणों के पूर्व ही (काव्या० द्वितीयाधिकरण) किया है ।

गुण विपर्यय रूप होने के कारण दोष भी पद संघटना से ही विशेषतः सम्बद्ध हैं, ऐसा हमें वामन के पदा में समझना चाहिए । किन्तु आचार्य मम्मट ने स्पष्टतः दोषों को 'मुख्यार्थहतिदोषः' रूप स्वीकार किया । मुख्यार्थ का तात्पर्य मम्मट के अनुसार 'रस' से है क्योंकि काव्य में रस ही तो मुख्य होता है । और चूंकि रस का आश्रय वाच्यार्थ भी होता है तथा रस एवं वाच्यार्थ दोनों में उपयोगी होता है शब्द, अतएव दोष अर्थ एवं शब्द में भी स्वीकार्य है । वामन ने दोषों की प्रमुख चार कोटियां मानी हैं-- पद, पदार्थ, वाक्य एवं वाक्यार्थ । इसी प्रकार मम्मट ने इन चारों के अतिरिक्त अन्यान्य भेदों को भी स्वीकार किया है जो कि उनके लक्षण ग्रन्थ में ही सविस्तर द्रष्टव्य है । किन्तु जब हम अन्योक्ति बाह्यभय में दोषों का विवेचन करने बैठें तो हमें इतनी सूक्ष्म एवं विद्वान्चेष्टिणी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए । क्योंकि अन्योक्तियों के प्रणयन में सुसका भाव एवं कलापदा ही प्रबलतम रहा है जब कि उसकी पदसंघटना पर कवियों ने अपेक्षाकृत कम ध्यान रखा है । फिर भी इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि कम ध्यान रस के कारण अन्योक्तियों की पद संघटना सर्वोत्तम है । वरन् सत्य तो यह है कि अन्योक्ति बाह्यभय शब्द अर्थ एवं रस तीनों को ही दृष्टि से संस्कृत साहित्य का सर्वात्कृष्ट काव्यांश

तात्पर्य केवल कहने का यह है कि कवि काव्य-रचना के समय कुछ तो दोषों में बचता ही है। किन्तु अधिकांश काव्य-रचना वह 'आत्मा एवं वर्ण्यविषय की उस एकतान परिस्थिति में करता है, जहां पहुंचकर बाह्यजगत् से उसका सम्बन्ध अत्यल्प रह जाता है। अतः उसकी रचना स्वामाविक होती है, गुण दोष निकालना तो उन आलोचकों का व्यापार ही है, जिन्हें इसके सिवाय और कुछ करना ही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई कवि, मम्मट द्वारा निर्धारित काव्यदोषों को सामने रखकर, कुछ लिखने बैठेगा तो सम्भवतः दिन भर में भी एक पद्य की रचना करनी कठिन हो जायगी इसी कारण गुण दोष का इतना जोरदार न करके कविकण्ठाभरणकार आचार्य ज्ञानेश्वर ने स्थूल रूप से केवल तीन ही दोष माने -- १- शब्दकालुष्य, २- अर्थकालुष्य तथा ३- रस कालुष्य। इसी प्रकार गुण भी तीन प्रकार के हैं -- १- शब्द वैमल्य, २- अर्थवैमल्य तथा ३- रसवैमल्य। यद्यपि आचार्य ने इन भेदों की परिभाषा ग्रन्थ में नहीं दी है, तथापि उनके उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि निरन्तर क्लिष्ट वर्णों का प्रयोग ही 'शब्दकालुष्य' दीर्घसमास वाले, द्वयर्थक, त्रयर्थक यमकों का प्रयोग 'अर्थकालुष्य' तथा शृंगारादि के प्रसंग में स बीभत्सादि का प्रयोग रस कालुष्य है। यदि आचार्य ज्ञानेश्वर की इस 'अभिनन्दनीय-दोष विवेचना को हृदयंगम कर लिया जाय तो हम 'अन्योक्ति-वाङ्मय' की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि वह सर्वथा निर्दोष है। अथवा यदि कहीं सदीष है भी तो अत्यल्प। जैसा कि पिछले अनेक स्थलों पर अन्योक्ति के ध्वनित्व, व्यञ्जनाश्रयत्व तथा काव्यात्मक विवेचन में उसके उत्कृष्ट काव्यत्व से, भी यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि 'अन्योक्ति-वाङ्मय' दोषों की परिधि से प्रायः बाहर है।

+

+

+

'रीति तथा वृत्ति' भी काव्यशास्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुके हैं। रीतियों से तात्पर्य यहां गौडीवैदमी, पांचाली और छाटी रीतियों से है न कि नाट्यशास्त्र में बर्णित पांचाली आदि प्रवृत्तियों से। इसी प्रकार 'वृत्तियों' से यहां तात्पर्य, नामरिका-उपनामरिका प्रमृति अप्प्रास वृत्तियों से है न कि नाट्यशास्त्र में विवेचित मारती-कैशिकी-सात्वती एवं आरमटी नामक वृत्तियों से। आचार्य राजशेखर ने 'प्रवृत्ति-वृत्ति एवं रीति'।

को तीन पृथक् काव्यतत्त्व स्वीकार किया है। उनके अनुसार -- तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः। चतुष्टयी गतिर्वृत्तीनां प्रवृत्तीनां च देशानां पुनरानन्त्यं तत्कथमिव कात्स्न्येन परिग्रहः इत्याचार्याः।... रीतयस्तु तिब्रस्तास्तु पुरस्तात्। -- काव्यमीमांसा (तृतीयाध्याय) की प्रकार विष्णु पुराण में भी --

वेषभाषानुकरणात् तथाचारप्रदर्शनात् ।

संक्षेपेण व्याख्याता वृत्तिरीतिप्रवृत्तयः ॥ आदि के रूप में प्रवृत्ति वृत्ति एवं रीति का व्याख्यात किया गया है। किन्तु इन उद्धरणों को देखने से यह भाव स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि इनमें व्याख्यात वृत्तियाँ केशिकी आदि ही हैं जो कि अभिनय-कलाओं से ही प्रायः सम्बद्ध होने के कारण नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में विवेचित की गई है^१। किन्तु काव्य में प्रयुक्त होने वाली वृत्तियाँ कुछ और ही हैं, जिनका व्याख्यान इसी प्रसंग में रीतियों के अनन्तर किया जायेगा।

आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित 'रीतिमम्प्रदाय' के पूर्व संस्कृत काव्यशास्त्र में रीतियों का अस्तित्व नहीं के बराबर था। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में वेषविन्यास की ही दृष्टि से कुछ प्रवृत्ति संज्ञक काव्यतत्त्वों का व्याख्यान अवश्य किया था। किन्तु साधिकार यह नहीं कहा जा सकता कि वह रीतियों का ही प्राचीन रूप था^२, क्योंकि परवर्ती काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी जैसा कि अभी सादय दिया गया है, प्रवृत्तियों को रीतियों से पूर्णतः भिन्न ही माना है गया है। वस्तुतः आचार्य वामन ने काव्यात्मा रूप जिम रीति का व्याख्यान एवं गौड़ी वैदर्भी पांचाली रूप-भिधा-विमाजन अपने ग्रन्थ में किया है, वह अवश्य ही उनके पूर्व विद्यमान था, किन्तु 'रीति' रूप में नहीं।

आचार्य मामह के युग में स्थान की दृष्टि से काव्य के दो भेद प्रख्यात हो चुके थे वैदर्भ एवं गौड़ीय। विदर्भ (आधुनिक बरार) तथा गौड़ (बंगाल) दोनों दो प्रान्तों के सूचक शब्द हैं। इन प्रान्तों में विद्यमान कवियों की रचनाओं में कुछ मौलिक भेद थे, जिनके कारण मामह के पूर्व ही काव्यविषयक दो सम्प्रदाय चल पड़े थे। दिशाओं की दृष्टि से गौड़ काव्यों को 'प्राच्यपरम्परा' से तथा वैदर्भ काव्यों को 'दाक्षिणात्यपरम्परा' से सम्बद्ध माना जाता था। वैदर्भ कविता, ब्रह्मोक्ति स्वभावोक्ति की रमणीय बर्चोमंगी के प्रयोगाधिक्यवश, उन्नति की परीकाष्ठा पर थी। मामह के समय में वैदर्भ मार्ग का अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाव्य

१- चतुष्टयी -- दशरूपक प्रकाश २, खंड ३।

२- नाट्यशास्त्र, अध्याय १३ (बड़ादा संस्करण)

अश्मकवंश था जो सम्भवतः 'रघुवंश' के अनुकरण पर लिखा गया था । अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण वैदर्भ सम्प्रदाय गौड की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था । गौडकाव्यधारा में समास बाहुल्य तथा क्लिष्ट पदों का प्रयोग सम्भवतः अधिक था ।

किन्तु आचार्य मामह ने इन दोनों काव्य मार्गों तथा विशेषरूप से वैदर्भ सम्प्रदाय के उत्कर्ष को बड़ी निन्दा की^१ । उन्होंने इस विभाजन को 'गतानुगतिक' बताया --

वैदर्भमन्यद्दतीति मन्यन्ते सुधियोऽपरं तदेव च क्लि ज्जायः षडर्थमपि नापरम् ॥३१

गौडीयमिदमेतत्तु वैदर्भमिति किं पृथक् गतानुगतिकन्यायान्नास्थायेममेघसाम् ॥३२

--(काव्या० अ०११)

गौडसम्प्रदाय का इतना पदा लेने, तथा वैदर्भ सम्प्रदाय के उत्कर्ष पर पटाक्षेप करने के प्रयत्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य मामह सम्भवतः गौडकाव्यमार्ग के ही अनुयायी आचार्य थे । सातवीं शती में आचार्य दण्डी ने पुनः एक बार मामह का विरोध करके वैदर्भ सम्प्रदाय की सत्ता को स्थिर किया । इसी प्रसंग में उन्होंने आचार्य मरत प्रोक्त दश गुणों का व्याख्यान करते हुए उन्हें वैदर्भ काव्य सम्प्रदाय का प्राणतत्त्व बताया -- जां कि तदितर गौड काव्य धारा में नहीं मिलते -- 'इति वैदर्भमार्गस्य प्राण दशगुणास्मृताः-- एषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौड वर्त्मनि ॥ काव्या० २।४२ ।

इस प्रकार निश्चित हो गया कि आचार्य दण्डी के अनुसार काव्य के दश गुण वैदर्भ काव्य धारा के उत्कर्षाधायक तत्त्व थे । वस्तुतः वैदर्भ काव्यधारा तथा उसके शौमाति-शायी तत्त्वों -- गुणों को ध्यानमें रखकर ही आचार्य वामन ने ८ वीं शती में सर्वप्रथम रीतियों एवं तदाश्रित गुणों की स्थापना एवं व्याख्या की । जैसे मानव शरीर में तदभिमानि आत्मा का अधिष्ठान है ठीक उसी प्रकार काव्य का भी एक अधिष्ठातृ तत्त्व है । उसी अधिष्ठातृ अथवा आत्मतत्त्व की स्थापना, आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति (१।२।६) में किया -- 'रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात् काव्य की आत्मा रीति है । इस रीति कहते हैं विशिष्ट पद-रचना को और 'विशेष' कहते हैं गुण को । इस प्रकार आचार्य वामन

१- अपुष्ट्यर्थमवब्रौक्ति प्रसन्नमृजु कोमलं भिन्मं गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम् ॥३४

अलंकारववग्राम्मर्ष्यं न्यायं गौडीयमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥३५

न नितान्तं चारुता मिरां ब्रह्मिभयश्च व्योक्तिरिष्टा वाचामलवृत्तिः

--(काव्या० अध्याय१)


२- द्रष्टव्य-- विष्णुः (१।२।७) विशेषवती पदानां रचना रीतिः । को सौ विशेष इत्यादि विशेषणो गुणात्मा (१।२।८) वक्ष्यमाणगुणरूपो विशेषः ।

की मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 'काव्यगुण' (वामन के अनुसार बीस अन्यथा दश) रूपी विशिष्ट तत्त्व से युक्त पदरचना-- रीति ही काव्य की आत्मा है । यह रीति वामन के अनुसार तीन प्रकार की है -- वैदर्भी, गौडीया और पांचाली ।

स्पष्ट है कि आचार्य वामन की सारी रीतिकल्पना और गुणों के साथ रीति का आधाराध्य भाव, पूर्णतः आचार्य दण्डी के व्याख्यान पर आधारित है । पांचाली का नामक रीति भी यद्यपि वामन ने सर्वप्रथम प्रकाशित की है किन्तु सम्भव है कि दण्डी के युग में वह भी विद्यमान थी । क्योंकि आचार्य ने प्रारम्भ में ही कहा है ० --

अस्त्यने को गिरां मार्गं, सूक्ष्ममेदः परस्परम् तत्र वैदर्भगौडीयो वर्ण्यन्ति प्रस्फुटान्तरां ।।
-- काव्या० २।४०

अर्थात् काव्य के मार्ग तो अनेक हैं जिनमें कि बहुत थोड़ा सा पारस्परिक भेद हैं किन्तु वैदर्भ और गौड की ही यहां विवेचना की जा रही है, जिनमें कि प्रभूत भेद है और स्पष्ट है उस प्रकार दण्डी के अस्त्यनेको गिरा मार्गः से सिद्ध है कि गौडी वैदर्भी के अतिरिक्त पांचाली प्रभृति अन्य काव्यमार्ग भी उनके युग में थे, किन्तु यदि आचार्य वामन कृत पांचाली रीति को परिभाषा देखी जाय तो दण्डी का यह कथन पूर्णतः सिद्ध हो जाता है । क्योंकि मौलिकता स्वमात्र वैदर्भी में ही है, गौडी और पांचाली में नहीं । फिर भी वैदर्भी की स्पष्टता में यदि कोई रीति आ सकती है तो गौडी ही । इसी प्रकार परवर्ती युग में आचार्य राजा मोज द्वारा उद्भावित लाटी- मागधी एवं अवन्तिका (द्रष्टव्य-सर० स्वर्ण २।२६) रीतियां भी वैदर्भी के समान कहीं मौलिक नहीं सिद्ध होती हैं । आचार्य विश्वनाथ ने केवल चार ही रीतियां स्वीकार की हैं -- वैदर्भी, गौडी, पांचाली और लाटी ।



आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रथम अभाववाक्य की व्याख्या करते हुए, लोचन में, ध्वनि की, शब्दालंकार-अर्थालंकार शब्दगुण अर्थगुण, वृत्ति तथा रीति, से, व्यतिरिक्तता स्वीकार करने में वाच्य प्रकट किया है । यद्यपि यह व्याख्यान द्रष्टव्यन्यायके ही विषय

१- काव्यगुण वैदर्भी (१।२।११) और काव्यमाली गौडीया (१।२।१२) माधुर्यसौकुमार्यवर्णनां
पांचाली (१।२।१३) ।
२- काव्यगुण पांचाली (१।२।१३) और काव्यमाली गौडीया (१।२।१२) माधुर्यसौकुमार्यवर्णनां
पांचाली (१।२।१३) ।
३- काव्यगुण पांचाली (१।२।१३) और काव्यमाली गौडीया (१।२।१२) माधुर्यसौकुमार्यवर्णनां
पांचाली (१।२।१३) ।
४- काव्यगुण पांचाली (१।२।१३) और काव्यमाली गौडीया (१।२।१२) माधुर्यसौकुमार्यवर्णनां
पांचाली (१।२।१३) ।

गया है, किन्तु इस प्रसंग में आचार्य द्वारा किया गया 'वृत्ति-रीति' व्याख्यान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः रीतियां, गुणों के 'समुचित वृत्ति-वर्तन' की साधनभूता है। गुणों की वृत्ति है -रसाभिव्यंजना। अतः रीतियों में रसाभिव्यंजक विशिष्ट वर्णों की योजना या संघटना होती है। गौड वैदर्भ एवं पांचाल निवासियों के स्वभाव का प्राचुर्य देखकर ही उन्हें गौरी-वैदर्भी तथा पांचाली की संज्ञा दी गई है^१। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में रसाभिव्यंजक विशिष्ट (गुणयुक्त) पदसंघटना ही 'रीति' है। आचार्य वामन एवं अभिनव दोनों ने ही इनके नामकरण में तद्देशीयजनों के स्वभाव का प्राचुर्य स्वीकार किया है। वामन स्पष्ट कहते हैं -- 'विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत्समारख्या' (काव्या०१।२।१०)। मामह और दण्डी के विषय में पहल ही कहा जा सकत है कि उन्होंने भी मार्गभेद का आधार गौड एवं विदर्भ देश को ही माना था। किन्तु आगे चलकर वक्रोक्ति जीवित कार ने मामह एवं वामन के इन द्विमार्ग एवं त्रिमार्ग के देशाश्रित रीतिवाद का प्रबल सण्डन किया जो कि प्रकृतग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है।

'वृत्ति' शब्द की व्युत्पत्ति भी लौचनकार ने इस प्रकार दी है -- 'वर्तन्तेऽनुप्रासमेदा आस्विति' अर्थात् जिसमें अनुप्रास के भेद रहें। वस्तुतः (रौद्ररस में) दीप्त, (शृंगार में) मसृण, तथा (हास्य में) मध्यम कौटिक के वर्णनीय विषयों में उपयोगी अनुप्रास के परुष-ललित तथा मध्यम स्वरूपों के विवेचनार्थ अनुप्रास वर्णों के जो तीन वर्ग बनाये गए हैं वही वृत्ति कहलाते हैं^२। आचार्य उद्भट वृत्तियों के विषय का उपन्यास एवं व्याख्यान करने वाले प्राचीनतम आचार्य हैं। इस विषय में उनका मत ठीक वही है जैसा कि आचार्य अभिनव ने ऊपर व्याख्यात किया है। काव्यालंकारसार संग्रह की तद्विषयक कारिका इस प्रकार है -- 'स्वरूपव्यंजनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु- पृथक्पृथगनुप्राससुश्रन्ति कवयः मदा ॥' जिस वृत्ति में परुष अनुप्रास होते हैं उसे 'नागरिका' जिसमें मसृण अनुप्रास होते हैं उसे उपनागरिका या 'ललिता' और जिसमें मध्यम (न कोमल न परुष) अनुप्रास हों उसे ग्राम्या वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार उपनागरिका नागरिका तथा ग्राम्या-- ये तीनों वृत्तियां अनुप्रास की ही तीन जातियां हैं। अतः जैस रीतियों का गुणोंसे आधाराधेय

१- 'तन्ध्वेनां प्रमाश्रुयादयो गुणाः । तेषां च समुचितवृत्त्यर्पणे यदन्योऽन्यमेतन्नामत्वेन पान्तव इव सुखमरिचादिरसानां सधास्वरूपव्यंजनं दीप्तललितमध्यमवर्णनीय विषयं गौडीयवैदर्भ-पांचालीयैश्चैव प्राचुर्यवृत्त्या तदेव त्रिविध रीतिरित्युक्तम् -- ध्वन्यालोकलौक्य (प्रथमोद्योत)

२- 'ननु वृत्तिरीतिना तद्व्यतिरिक्तत्वं सिद्धम् । तथा ह्यनुप्रासानामेव दीप्तमसृणमध्यम-पृथक्पृथक्स्वरूपविवेचनाय वर्गत्रयसम्पादनाय त्रिविधवृत्तिसंज्ञाः । वर्तन्तेऽनुप्रासमेदा अस्विति । ध्वन्यालोकलौक्य प्रथमोद्योत ।

आधाराधेय सम्बन्ध है ठीक वैसे ही, वृत्तियों का अलंकार से भी । निष्कर्ष यह है रीति एवं वृत्ति दानों ही काव्य के संघटना पक्ष से ही प्रायः सम्बद्ध हैं ।

काव्यात्मक विवेचन में उदाहृत किये गये पद्यों को यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि रीति एवं वृत्ति का अन्योक्तिवाङ्मय में समुचित निबन्धन हुआ है । यदि सिंह के वर्णन में (पद्य३३) गौड़ी रीति का आश्रय लिया गया है तो हंस वर्णन (पद्य४७) में वैदर्भी का । इसी प्रकार मधुकर वृत्तान्त (पद्य३०) में पंचमवर्ण बहुला पांचाली स्पष्टतः देखी जा सकती है । काव्यात्मक विवेचन में व्याख्यात पद्यों में इसी प्रकार पद्य ५, ६, ११, १२, २१, २२, २४, २५ आदि वैदर्भी रीति एवं ललिता वृत्ति के पद्य ४२, ४५ (तथा शब्द शक्ति विवेचन में व्याख्यात पद्य ५५ भी) गौड़ीरीति एवं नागरिका वृत्ति के तथा पद्य २८, ३१, ३६, ४६, ४८ आदि पांचाली रीति एवं ग्राम्या वृत्ति के समर्पण उदाहरण हैं । वस्तुतः रीतियाँ, वृत्तियों को साथ लेकर ही चलती हैं, क्योंकि दोनों का सम्बन्ध पद-संघटना से ही है । अतः जहाँ गौड़ीरीति रहेगी, वहीं पर परुषानुप्रास या नागरिका वृत्ति भी होनी सम्भव है । जहाँ वैदर्भी होगी वहीं, मसृणानुप्रास या ललिता वृत्ति होगी और जहाँ पांचाली रीति होगी, वहीं ग्राम्या वृत्ति भी सम्भव है ।

साहित्यदर्पणकार ने वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली का लक्षण इस प्रकार दिया है ।

माधुर्यव्यंजकैः शब्दै रचना ललितात्मिका अल्पवृत्तिवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते ॥

ओजः प्रकाशकैर्वर्णबन्ध आडम्बरः पुनः समासबहुला गौड़ी वर्णैः श्लेषैः पुनर्द्वये ॥

समस्तपंचषपदो बन्धः पांचालिकामता ॥ -- साहित्यदर्पण परि० ६

इन लक्षणों में ललितात्मिका, समासबहुला तथा पंचषपद संज्ञारं प्रायः कोमल, परुष एवं मध्यम अनुप्रासों को ही लक्षित करती हैं । अतः निश्चित है कि अन्योक्ति वाङ्मय का पदसंघटना-पक्ष रीति एवं वृत्ति का सर्वात्कृष्ट प्रायोगिक स्थल है । हाँ, यह अवश्य जान लेना चाहिए कि अन्योक्ति में, वैदर्भी एवं पांचाली रीति तथा कोमल, मध्यम, अनुप्रास का ही प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ । लाटी, आवन्ती तथा मागधी रीतियों भी यदि खोजी जायें तो अन्योक्तिवाङ्मय में पद-पद पर प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वे अन्योक्ति में प्रतिपादित वैदर्भी आदि रीतियों से भिन्न नहीं हैं । अब इस प्रसंग से ही समाप्त किया जाता है ।

गौड़ी रीति एवं ललिता के दोनों शब्द रीति की ही भांति संस्कृत काव्यशास्त्र

में प्रयुक्त हैं, जिनके उद्भावक आचार्य क्रमशः कुन्तक एवं

दामेन्द्र हैं। कुन्तक प्रणीत 'वक्रोक्तिजीवित' तथा दामेन्द्र प्रणीत 'औचित्यविचार चर्चा' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में आद्यन्त इन्हीं दोनों तत्वों का क्रमशः व्याख्यान किया गया है, जो कि उन आचार्यों की मान्यता के अनुसार काव्य की आत्मा है। किन्तु प्रस्तुत स्थल पर केवल अन्योक्तिवाङ्मय में वक्रोक्ति एवं औचित्य का स्थान निर्धारण करने के ही लिये उनका संक्षिप्त सिद्धान्त दिया जा रहा है।

'वक्रोक्ति' का प्राचीनतम उल्लेख आचार्य मामह के ही ग्रन्थ में प्राप्त होता है। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में वक्रोक्ति एवं लक्षण का तुलनात्मक विवेचन करते समय अम्ब आचार्य इन्हीं रुद्रट द्वारा अलंकार विभाजन करते समय तथा कुन्तक प्रदत्त अप्रस्तुतप्रशंसा विषयक मन्त्र को स्पष्ट करते समय वक्रोक्ति पर अपेक्षित सामग्री दी जा चुकी है। वस्तु वक्रोक्ति का अर्थ है 'वक्र' अर्थात् टेढ़ी युक्ति (*A clever interpretation.*) स्वभावोक्ति जो कि दूसरे इसी वक्रोक्ति की प्रतियोगिनी प्रतीत होती है, का अर्थ ठीक इसके विपरीत है अर्थात् बिना किसी टेढ़पन के साधारण ढंग से कथन (*A natural description.*) आचार्य मामह ने वक्रोक्ति, एवं स्वभावोक्ति को ही समस्त काव्य वाङ्मय का शृंगार माना था। सर्गबन्ध-विरोधी 'अनिबद्ध' अर्थात् 'मुक्त' के (*Sporadic poetry.*) काव्य का वैशिष्ट्य उन्होंने इस प्रकार बताया है -

अनिबद्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्पुनः मुक्तं प्रकृतस्वभावोक्त्या सर्वमेवेतदिष्यते ॥

-- काव्या० १।३०

इसी प्रकार काव्यक्षेत्र में वेदमकाव्य के प्रशंसकों एवं गौडकाव्य के निन्दकों को अमेघस कहते हुए आचार्य ने कहा कि केवल 'नितान्तादि कुल कर्ण सुखद वर्णों के प्रयोग मात्र से ही काव्य में सौन्दर्य नहीं उत्पन्न होता। बल्कि -- 'वक्रोक्तिः वाचामलंकृतिः' अर्थात् 'वक्रोक्ति' ही काव्य चारुता का हेतु है। वक्रोक्ति के बिना काव्य चाहे कितना ही क्लृप्त प्रसादगुणयुक्त एवं कोमल क्यों न हो किन्तु वह काव्य न होकर केवल श्रुतिपेशल-गीत मर ही सकता है। अतः यदि इतनी प्रभावशालिनी 'वक्रोक्ति' गौडकाव्य में भी प्राप्त होती है तो निश्चय ही वह सर्वोत्कृष्ट काव्य होगा। इस प्रकार आचार्य मामह ने 'वक्रोक्ति' को एक ऐसी सत्ता के रूप में स्वीकार किया कि जिसमें समस्त अलंकार आ जाते हैं, क्योंकि वे सब के सब किसी न किसी मनीषिणिति को ही तो लेकर जाते हैं और वही बचोमंगी वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के इसी बहुरूप का संकेत मामह ने काव्यालंकार (२।८५) में दिया --

वक्रोक्तिः अति लयाभा विमानकः ।

किन्तु स्वविद्य प्रभावशालिता से युक्त 'वक्रोक्ति' भी शक्तियों तक काव्यशास्त्रीय तत्त्वों में दबल बन कर पड़ी रही । दशम शती में आचार्य कुन्तक ने इसी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया । आचार्य कुन्तक ने अलंकार युक्त कविकर्म को काव्य माना है --
 'अयमत्र परमार्थः -- सालंकारस्यालंकरणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः समुदायस्य काव्यता काविकर्मत्वम् । तनालंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति । वक्रो० प्रथमोन्मेष । वस्तुतः अन्य आचार्यों की भांति कुन्तक ने अलंकारों को काव्य का उत्कर्षाघायक या शोभातिशायी, धर्म न मानकर उनका स्वरूपाघायक अथवा प्राणतत्व माना है । अतः किसी भी रूप में अलंकार को , कटककुण्डलादि भूषणों की भांति शरीर रूप-काव्य से पृथक नहीं किया जा सकता । यही अलंकार आचार्य कुन्तक के अनुसार 'वक्रोक्ति' है जिसके कारण काव्य 'रस' या रीति जीवितम् न होकर वक्रोक्तिजीवितम् कहा जाता है ।

कुन्तक के अनुसार 'वक्रोक्ति' का अर्थ है वैदग्ध्यमंगीमणिति जिसे कि आचार्य ने अन्य भी शब्दावलियों में स्पष्ट किया है -- 'प्रसिद्धामिधानव्यतिरेकिणीविचित्रैवामिधा एवं अतिक्रान्त प्रसिद्धव्यवहारसरणिः' इत्यादि । वैदग्ध्य का तात्पर्य है नैपुण्य अथवा चातुर्य 'मंगी' का अर्थ है विच्छिन्ति या सौन्दर्य । इस प्रकार 'वैदग्ध्यमंगीमणिति' का अर्थ है-- 'चातुर्य मय मंगिमा से लसित कथन' । वस्तुतः अलंकार जो कि वक्रोक्ति रूप हैं, मुख्यतः यही कार्य करते हैं । विशेष कर अन्यापदेश वाङ्मय तो 'प्रसिद्धामिधानव्यतिरेकी काव्यमिव्यक्ति साधनो' में रमणीयतम है । अतः 'चातुर्यपूर्ण विच्छिन्ति' जो कि अन्योक्ति वाङ्मय की प्राणप्रतिष्ठा है रूप है, यह सिद्ध कर देती है कि आचार्य मामह द्वारा उद्भावित दण्डी द्वारा समर्पित एवं राजानक कुन्तक द्वारा व्याख्यात एवं परिनिष्ठित वक्रोक्ति अन्योक्ति वाङ्मय का प्राण है । काव्यात्मक विवेचन में उद्धृत कोई एक नहीं वरन् समस्त पद्य वक्रोक्तियुक्त हैं । क्योंकि तृतीय पद्य में ज्ञात्मलि के बहाने जिस प्रवचक एवं नीच व्यक्ति का वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः 'लोकप्रसिद्धामिधानव्यतिरेकी' है क्योंकि लोक में तो मनुष्य सामने ही खरीसोटी सुना डालने का अभ्यासी होता है, बाद में चाहे उसके पीछे सिर ही क्यों न कट जाय ?

आचार्य कुन्तक ने इसी वक्रता के रू मेद माने हैं -- वर्णवक्रता, पदवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रत्ययवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता तथा प्रबन्ध वक्रता । वाक्यवक्रता की व्याख्या करते हुए आचार्य ने समस्त अलंकारों की सत्ता उसी में स्थित स्वीकार की है --
 'वाक्यवक्रता यो भिन्ने यः बहस्यो यत्रालंकारवर्गो ऽसौ सर्वोप्यन्तर्मविष्यति ॥'
 इस प्रकार वक्रता का समस्त वाङ्मय तथा काव्यशास्त्र में वर्णित उसके

उसके पंचधा विभाजन सब वक्रोक्ति (वाक्यवक्रता) के ही अन्तराल में आ जाते हैं । सादृश्यनिबन्धना अन्योक्ति में तो आचार्य ने विशेषरूप से 'उपचार वक्रता को ही प्राणतत्त्वमाना है -- 'आदि ग्रहणादप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य कस्यचिदन्यापदेशलक्षणस्य उपचारवक्रतेन जीवितत्वेन लक्ष्यते ।' -- वक्रोक्ति २।१४ की वृत्ति । उपचार का अर्थ है दो भिन्न वस्तुओं में ऐक्य भाव का प्रतिपादन अथवा भेदबुद्धि का नियमन ।

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार -- उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः सादृश्यातिशय-महिम्ना । 'भेदप्रतीतिव्यगनमात्रम्' (वस्तुतः सादृश्यनिबन्धना में निर्जीव प्राकृतिक उपादानों तथा प्रस्तुतभूत मनुष्यों के बीच 'उपचार' की यही प्रक्रिया द्रष्टव्य है और यही उपचार आचार्य अभिनव एवं तदनुयायी जन्म आचार्यों के मतानुसार अन्योक्ति में ध्वनि सर्जना भी करता है ।

वक्रोक्ति की हो भांति 'ओचित्य' के श्रोत भी सर्वप्रथम आचार्य मामह कृत काव्यालंकार में और स्पष्टरूप में उसके बाद आचार्य आनन्दवर्धन प्रणीत 'ध्वन्यालोक' में प्राप्त होते हैं । तृतीय उद्योत में आचार्य ने कहा है --

'वाच्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनं रसादिविषयेण तत्कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ ३।३२ इसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक २।१५ तथा २।१७ में भी ध्वनिकार ने 'ओचित्य' की ही चर्चा की है किन्तु जैसा कि द्वितीय अध्याय में मविस्तर निरूपित हो चुका है ध्वनिकार द्वारा 'ओचित्यतत्त्व' की स्थापना रस की ही दृष्टि से की गई है । क्योंकि वही काव्यात्मभूत तत्त्व है जो कि 'ध्वनि रूप' धारण करता है । अनौचित्याहूते नान्यद्रसमंगस्य कारणम् कहने से आनन्दवर्धनाचार्य के उक्त मत की पुष्टि भी हो जाती है । ध्वन्यालोक के प्रथमोद्योत में ही द्वितीय कारिका के पश्चात् दी गई काव्य की पारिभाषिक शब्दावली 'काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः' की व्याख्या करते हुए लोचनकार अभिनव कहते हैं -- ललित-शब्देन गुणालंकारानुग्रहमाह । उचित शब्देन रसविषयवोचित्यं भवतीति सूचयन् रसध्वनेर्जीवितत्वं सूचयति । इससे भी ओचित्य तत्त्व की रसपरता स्पष्ट हो जाती है ।

यही ओचित्य तत्त्व आचार्य जामेन्द्र द्वारा काव्य का प्राणतत्त्व माना गया है ; ठीक उसी प्रकार जैसे बामन द्वारा रीति, कुत्तक द्वारा वक्रोक्ति एवं आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनि काव्यात्मा स्वीकार की गई है । किन्तु आचार्य जामेन्द्र ने भी ध्वनिकार का ही अनुकरण करते हुए ओचित्य को रसविषयतत्त्व और चमत्कारकारी माना है । अलंकार तथा गुण, ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चाहोचरुण रसदीप्तस्तुतस्य विचारं करुतेऽनुना ॥

उचित स्थानविन्यास के ही कारण काव्य को अलंकृत करने में समर्थ हो पाते हैं अन्यथा विपरीत दशा में उनकी वह स्थिति ही न रह जायेगी ।

यह औचित्य है क्या ? जामेन्द्र , परिभाषा देते हुए , कहते हैं --

“उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते (कारिका ७) यत्किल यस्यानुरूपं तदुचितमुच्यते । तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति ।” आचार्य जामेन्द्र के इस सिद्धान्त पक्ष से स्पष्ट हो जाता है कि वे ध्वनिकार की स्तद्विषयक सैद्धान्तिक आस्था से बहुत दूर नहीं है । अतएव शृंगार रस के प्रसंग में वैदर्भी रीति, कौमलानुप्रास मयी रूपनागरिका या ललिता वृत्ति, एवं रूपकादि अलंकारों का प्रयोग क्रमशः उस रीति, वृत्ति और अलंकार का औचित्य कहा जायेगा, अन्यथा अनौचित्य । इसी तथ्य को लक्ष्य करके ध्वनिकार ने कहा है --

“ध्वनि ध्वन्यात्मभूते शृंगारे यमकादिनिबन्धनं शक्तावपिप्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः । ध्वन्या० २।१५ इस विवेचन से औचित्य सिद्धान्त के विषय में कोई विप्रतिपत्ति नहीं शेष रहती है ।

यह औचित्य पद, वाक्य प्रबन्ध, गुण , अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम एवं आशीर्ष से सम्बद्ध होने के कारण आचार्य जामेन्द्र द्वारा सत्ताइस प्रकार का माना गया है, जिसका विस्तृत व्याख्यान, प्रकृत ग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है । किन्तु यहां इतना निर्देश कर देना तो अनिवार्य ही है कि ‘अन्योक्ति वाङ्मय में इन समस्त औचित्यों का प्रतिपद उपनिबन्धन प्राप्त होता है। यहां यह अवसर नहीं है कि प्रत्येक औचित्य से संवलित अन्यापदेशों में दिखाया गया है, वे पद एवं गुण आदि के औचित्य से ही युक्त होंगे । क्योंकि परुषानुप्रास (वृत्ति) एवं ओजांगुण का प्रयोग वैदर्भी रीति में कभी संभव नहीं है । और यदि कहीं ऐसा है तो वही अनौचित्य है अथवा जामेन्द्र की दृष्टि में वह काव्य आत्माविहीन है । किन्तु अन्योक्तिवाङ्मय में सत्ताइसी प्रकार के औचित्यों का सफल एवं प्रभावशाली निर्वाह प्राप्त होता है ।

+

+

+

जब रसपरिपाक का प्रसंग प्रारम्भ किया जा रहा है । संस्कृत काव्यशास्त्रों में काव्यों में रस के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पक्ष का संवर्धन प्राचीन काल से ही होता रहा है । इसी कारण रस को ब्राह्मवन्दर सहोदर तक स्वीकार किया गया । प्राचीनतम आचार्य परमेश्वर की अभिनय देखने वाले बहुवच्य सामाजिकों को तभी कृतकृत्य माना है जब कि वे अभिनय के साथ आत्मा की अन्तःस्थापित करके रसानुभूति कर सकें । अभिनय के साथ

आत्मा की स्फूर्त साधारणीकरण की प्रक्रिया में ही सम्भव है। इसी प्रकार अव्यकाव्यों में भी, पाठक की प्रवृत्ति केवल आनन्दप्राप्ति के ही लिये होती है। आचार्य मम्मट ने इसी को 'मद्यः परनिर्वृति' नाम दिया है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कौतूहल स्वतः उत्पन्न हो जाता है कि आखिर यह रस है क्या? कैसे प्राप्त होता है, क्यों, कब और किसमें प्राप्त होता है? इसकी उपयोगिता क्या है?

मनुष्य के जीवन में बदलती हुई परिस्थितियाँ अपने आंचल में कोई न अच्छा या बुरा भाव लेकर ही आती हैं। जिसमें पड़कर वह क्षण भर के लिए उसी रूप का हो जाता है। प्रेयसी का अनिन्द्य सौन्दर्य अथवा माता-पिता एवं गुरु का दर्शन करके कभी वह रतिभावना से आकृष्ट हो जाता है तो कभी प्रिय व्यक्ति का मरण दृश्य देखकर शोक से अभिभूत हो जाता है। इसी प्रकार, हास, जुगुप्सा, मय, क्रोध, उत्साह आश्चर्य एवं शम के भाव भी उसके हृदय में यथावसर उदित होते रहते हैं। ये भाव रस हैं, जो कि देशकाल अथवा किसी भी मीमा में बंधे नहीं हैं। वस्तुतः वे त्रैलोक्यगत एवं त्रैकालिक हैं। मानव का क्या समस्त भ्रमण्डल में विद्यमान किसी भी सजीव प्राणी की मनोवृत्ति इन्होंने नों भावों के अन्तर्गत रहती है। काव्यशास्त्र में इन भावों सार्वजनीनता एवं सार्वकालिकता को ही ध्यान में रखकर इन्हें स्थायीभाव की संज्ञा दी गई है। यही 'स्थायी भाव' जब विभाव, अनुभाव, सात्त्विक एवं व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर व्यञ्जना शक्ति के साहाय्य से व्यक्त होता है, तब उसे रस कहते हैं^१। आचार्य भरत भी रससूत्र में, रसोत्पत्ति संबंधी इसी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं -- 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयुगाद्रसनिष्पत्तिरिति'।

स्थायीभाव का पोषण करने वाले तथा उसका ज्ञान कराने वाले भाव ही विभाव कहे जाते हैं। इसके दो पद हैं -- एक तो आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। 'आलम्बन' का अर्थ है जिसमें वह स्थायी भाव टिके या निवास करे और उद्दीपन का अर्थ है जो उस स्थायी भाव को उद्दीप्त करे, बढ़ाये। अनु का अर्थ है पीछे, अतः 'अनुभाव' का तात्पर्य है -- अनुभावयन्ति रसिकान्, पश्चाद्भवन्तीति वा' अर्थात् स्थायी के आलम्बन में स्थित हो जाने तथा उद्दीप्त हो जाने के पश्चात् जो 'भाव संसृचनात्मक-निकार उत्पन्न हों वही अनुभाव है^३। ये अनुभाव आलम्बन पदा द्वारा जानबूझकर पैदा

१- इष्टव्य -- काव्यप्रकाश ४१४-५

२- आलम्बन पदा द्वारा विभावो भावसोपकूल आलम्बनोद्दीपनत्वप्रमेदेन स च द्विधा ॥

३- अनुभावो निकारस्य भावो संसृचनात्मकः ॥

किये जाते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी भाव हैं, जो उस समय स्वयं एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं उनका प्रत्याक्ष सम्बन्ध वस्तुतः मनुष्य के सत्त्वपद्म से है, अतः वे सात्त्विक भाव कहे जाते हैं^१ । अन्तिम हैं संचारी या व्यभिचारी भाव । जैसे समुद्र की अपार जलराशि पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव के ही प्रसंग में जो अनेकधा उत्पन्न एवं विनष्ट होते हैं, अथवा संचारण करते रहते हैं, वही संचारी भाव हैं^२ । इनमें यह नहीं निश्चित है कि किस स्थायी भाव के साथ कौन संचारी भाव उत्पन्न होगा । ये किसी भी स्थायी के साथ किमी भी संख्या में उत्पन्न हो सकते हैं । संचारियों की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है ।

करुण रस का एक चित्र देखिए । कोई स्त्री मरे हुए पति के पास बैठी रो रही है । उसे सान्त्वना देने के लिए अपार नर-नारी एकत्रित हैं । चिता ब्नाई जा रही है, पुरुष के पहनने वाले सुन्दर वस्त्र भी उसी के साथ दग्ध करने के लिए निकाले जा चुके हैं । स्त्री , रोते रोते मूर्च्छित भी हो जाती है, कभी उसका गला मर जाता है, वह पसीने से लथपथ है इत्यादि । इस उदाहरणमें शोक है, स्थायीभाव । स्त्री है आलम्बन विभाव^३ जिसमें कि शोक विद्यमान है । चिता मनुष्य के वस्त्र , पुरुषों द्वारा मृत व्यक्ति की लोकौत्तर प्रशंसा, आदि उद्दीपन-विभाव हैं, जो कि पत्नी के शोकवेग को और बढ़ा रहे हैं । ऊ गद्गद् कण्ठ होना, कंपकंपी तथा पसीना, जो स्त्री के न चाहते हुए भी बीच-बीच में उत्पन्न हो जाते हैं सात्त्विकभाव हैं स्त्री का मूर्च्छित होना तथा कमी-कमी उन्मत्त वदाचरण भी संचारीभाव के चिह्न हैं । इस प्रकार विभाव , अनुभाव सात्त्विक एवं संचारी भाव से परिपुष्ट होकर शोकस्थायी भाव यहाँ करुणरस के रूप में व्यक्त हो रहा है । इसी प्रकार अन्य आठों स्थायी भी स्वानुकूल विभावादि से पुष्ट होकर क्रमशः शृंगार, हास्य, वीभत्स, मथानक, रौद्र, वीर, अद्भुत एवं शान्त रस की व्यंजना करते हैं । रसों की संख्या इस प्रकार नौ मानी जाती है । इसका कारण यह है कि स्थायीभाव भी आचार्यों ने नौ ही स्वीकार किये हैं । इसी प्रकार सात्त्विकों की संख्या आठ तथा संचारियों की संख्या बेंतीस मानी गई है ।

प्रश्न यह है कि इस रस का अनुमन्त्र अनुभव पाठक या दर्शक को कैसे होता है । उपर्युक्त रसोत्पत्ति प्रक्रिया तो केवल आलम्बन पात्रों अर्थात् नायक अथवा नायिका मात्र में

१- पूर्वभावा सम्बन्धने सुभावत्वे चि सात्त्विकाः सत्त्वादेव समुत्पद्येस्तच्च तद्भावभावम् ॥

२- विभावानामनुमन्त्र चरणा व्यभिचारिणः स्थायिन्धुन्मग्निर्मग्नाः कल्लोला इव वारिषो
--दशरूपक प्रकाश ४ ।

सीमित रहती है। अतः सहृदय सामाजिकों के लिए भी रसानुभूति का कोई साधन होना आवश्यक है। उसी साधन को काव्यशास्त्र में साधारणीकरण कहा गया है। लोक में रमणियों के माध्यम से रति प्रभृति स्थायी भावों को देखकर उनके विविध अनुमानों की चरितार्थता अथवा अचरितार्थता तल्लीन होकर अपने ही ऊपर समझने लगते हैं, उस समय उनके विविध व्यापारों के साथ अपनी आत्मैकता स्थापित हो जाने के कारण सामाजिकों के लिए अन्य किसी भी वस्तु का नम्र ज्ञान सम्पर्क शून्य हो जाता है। उस समय आलम्बन की समस्त चेष्टाएं सामाजिक की अपनी हो जाती हैं। अतएव इस साधारणीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप उसके हृदय में चर्व्यमाणता के भाव से भरा हुआ पानकरण की भांति अद्भुत स्वाद देने वाला सामने ही परिस्फुरित होता हुआ सा हृदय में प्रवेश करता हुआ सा अंग-प्रत्यंग का आलिंगन करता हुआ सा समस्त अन्य लौकिक वृत्तियों को ज्ञान मर के लिए तिरोहित करता हुआ अलौकिक चमत्कार से युक्त, साक्षात् ब्रह्मानन्द अर्थात् मौज सुख की अनुभूति कराता हुआ सा, शृंगारादिक रस, होता है।

इस प्रकार रसानुभूति की दशा 'विभावादिजीवितावधि' होती हुई भी अप्रतिम अलौकिक एवं अद्भुत होती है। रसानुभूति की वह दशा चर्व्यमाण होने के कारण शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती, वरन् वह तो केवल अनुभव-गम्य है। न वह रस, 'उत्पन्न' होता है (मटलोल्लट) न 'अनुमेय' होता है (शंकु) और न 'भाव्य' (मट्ट नायक) अर्थात् रस एवं तदनुभावक सहृदय में न तो 'जन्यजनक-भाव' होता है के न 'अनुमेयानुमापक' और न 'भाव्यभावक'। वरन् उनमें 'व्यंग्य-व्यञ्जक' भाव होता है, यही ध्वनिवादियों की मान्यता है।

'रस-परिपाक' की इस प्रक्रिया में यद्यपि स्थायी भाव, विभावादि से पुष्ट होकर ही 'रसता' को प्राप्त होता है। किन्तु कभी कभी विभाव-अनुभाव अथवा संचारी भाव भी अकेल ही पथ में प्रतिपादित होकर रस की अनुभूति कराते हैं। इसका रहस्य यह है कि उन स्थलों पर 'रसपरिपाक' में सहायक अन्य तत्वों का अध्याहार कर लिया जाता है। रतिभाव जब नायक-नायिका से सम्बद्ध होता है तब तो शृंगार रस, अन्यथा देव, मुनि, गुरु, तथा पितृ प्रभृति विषयक होने पर 'भाव' कहा जाता है। 'व्यभिचारी भाव' भी व्यंग्य

१- अष्टव्य-काव्यप्रकाश, चतुर्थोल्लास तथा ध्वन्यालोकलेखन (कारिका ४ की अभिनव कृत टीका) 'यस्तु स्वप्ने पि न स्वशब्दवाच्यः आदि।'

रहने पर 'भाव' ही कहा जाता है। अनुचित रूप से प्रयुक्त होने पर यही समस्त नौरस तथा भाव क्रमशः 'रसाभास' एवं 'भावभास' कहे जाते हैं। इसी प्रकार किसी पद्य में प्रतिपादित कोई भाव जब समाप्त, उदित, एक अन्य भाव के साथ सम्मिलित अथवा कई भावों के साथ रहता हुआ, प्रदर्शित किया जाय, तो वहाँ क्रमशः 'भावशान्ति -भावोदय-भावसन्धि' एवं 'भावशबलता' जैसे, रस-परिपाक के विभिन्न रूप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चित हो जाता है कि 'रस परिपाक का पक्ष अत्यन्त विस्तृत होता है'।

वस्तुतः इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी कि अन्योक्ति वाङ्मय में प्राप्त होने वाले उपर्युक्त समस्त, रसपरिपाक के तत्वों का सिद्धान्त-पक्ष पूर्णतः स्पष्ट हो जाय। रस- का जैसा परिपाक अन्योक्ति वाङ्मय में हुआ वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसका प्रधान कारण यह है कि कवियों ने बाह्य जगत के उपादानों के माध्यम से अन्तर्जगत् के प्रकाशन का प्रयत्न अन्यापदेशों में किया है। पद्य-पद्यों का वृत्तान्त लेकर मनुष्यमात्र की अन्तर्निर्गूहित मनोरम अपना अरुचिकर भावनाओं की 'व्यंजना शक्ति' के सहारे अभिव्यक्ति की। और इन समस्त कार्यकलापों की 'रंगभूमि' की अन्योक्तियाँ। काव्यात्मक विवेचन में पीछे जैन रसों की पृष्ठभूमि स्थापित एवं विवेचित की गई है अतएव पचीसवें पद्य (भ्रमरवर्णन) में यदि सम्भोगशृंगार है तो उन्नीसवें (हंसवर्णन) में विप्रलम्भ शृंगार। पद्य ३७ तथा ५४ में (कपोती एवं मृगी वर्णन) यदि करुण की अजस्र प्रोतस्विनी है तो पद्य ३२ एवं ३४ में (काक एवं मरु वर्णन) क्रमशः वीमत्स एवं मयानक के रोमांचक दृश्य। तैतीसवें पद्य (सिंह वृत्तान्त) में जहाँ उसका रौद्ररूप प्राप्त होता है तो पन्द्रहवें एवं बयालीसवें पद्य में (काक एवं मण्डूक वर्णन) हास्य की गम्भीर परम्परा। इसी प्रकार पद्य ६ एवं सात (धान तथा वृद्ध वर्णन) वीररस (दानवीर) के पांचवा पद्य अद्भुत का तथा पद्य ४० एवं ४१ शान्त रस के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं।

इसी प्रकार देव, मुनि, गुरु एवं पितृ विषयक भावों, अंजित व्यभिचारियों तथा भावोदय आदि के उदाहरण भी अन्योक्ति वाङ्मय में भरपूर प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि पाठक के समक्ष तो अन्यापदेश का केवल अप्रस्तुत पक्ष ही रहता है किन्तु यह नहीं निश्चित रहता कि वह अप्रस्तुत विधान किस प्रस्तुत वृत्तान्त को व्यंजना संकेतित कर रहा है। वस्तुतः

१- सविस्तर द्रष्टव्य-- काव्यप्रकाश चतुर्थोऽध्यायः ।

यही कार्य पाठक या आलोचक का है कि वह अप्रस्तुत-पदा का इतिवृत्त-गाम्य सोजकर उसे किसी प्रस्तुत पदा पर चरितार्थ करे । उदाहरणार्थ निम्नलिखित पद्य देखिये --

किंव्यक्तीकुरुषे सरौजमुकुलाकारामुरौजश्रियं लीनेनाधरपल्लवे कुसुमतां किंवा स्मितेनामुना ।

आकूतामृतशीतलाः श्रमसे किं वागिरौ नागरीर्मुग्धे । कामिनि । किं मुघा घटयसि-
क्लीबे कटाक्षच्छटाः ॥५६॥

इस पद्य को (१) मूर्ख को समझाते हुए गुरु पर (२) अरसिक को आकर्षित करती हुई वारांगना पर (३) चौर को उपदेश देते हुए साधु पर (४) परकीयासक्त-पति को अपने सौन्दर्य से फुसलाने का प्रयत्न करती हुई, पत्नी पर, अथवा इसी प्रकार के समान इतिवृत्त वाले सैकड़ों अन्य मानवीय पात्रों पर चरितार्थ किया जा सकता है । अतः इस दृष्टि से देवादिविषयक भावों, उनके आभासों तथा भावोदयादि का निबन्धन अन्योक्ति वाङ्मय में प्राप्त होना एक साधारण सी बात है । वस्तुतः संग्रहग्रन्थों में शंकर-विष्णु, गरुड, गणपति, इन्द्र वायु एवं अग्नि आदि के व्यपदेशक से व्यक्त की गई सैकड़ों अन्योक्तियों का अप्रस्तुत पदा ही देवविषयक रति का उदाहरण होने के कारण भावरूप है । अन्य उदाहरण संग्रहग्रन्थों में अन्वेषणीय एवं द्रष्टव्य हैं, क्योंकि विस्तार मय से उनका व्याख्यान प्रस्तुत स्थल पर सम्भव नहीं है ।

सप्तम अध्याय

- 0 -

बन्धोक्ति का मूल्यांकन

~~~~~

## सप्तम अध्याय

-0-

## अन्योक्ति का मूल्यांकन

मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया गया है, क्योंकि वह विचारशील ( *Rational* ) होता है। <sup>उसकी</sup> यही विचारशीलता, उसका अन्यव्यव-  
च्छेदक गुण भी बनती है। संसार के अन्य समस्त प्राणी, मनुष्य की तुलना में या तो पूर्णतः  
अविचारशील अथवा किंचिद्विचारशील होते हैं। मनुष्य की इस वैयक्तिक-निधि के कारण  
ही, उसको असंख्य प्रकार के अधिकार एवं उपभोग प्राप्त है, जिनमें से कि ज्ञान अथवा  
विद्या की सम्पत्ति सर्वोत्तम है। जो कुछ भी वाइडमय विश्व में, पहले था, आज है,  
अथवा भविष्य में होगा, सब का चरम लक्ष्य ( *Summum Bonum* ) मनुष्य  
और उसका जीवन ही है। वेद-पुराण-षड्दर्शन-काव्य एवं शास्त्र, जिनकी समवेत संज्ञा  
आचार्य राजशेखर ने 'चतुर्दशविद्यास्थान' के रूप में दी है, सब मनुष्य की ही दृष्टि से  
प्रणीत किए गए हैं। कोई उसका सम्बन्ध परलोक से तो कोई इहलोक से जोड़ता है।  
इन दोनों के भी, उनकी 'व्याप्ति' के आधार पर अनेक भेद किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ  
'काव्य' को ही लीजिए। इसके अनेक उपभेद हैं, किन्तु कोई समाज के निम्नवर्ग में ही व्याप्त  
है (भाण) तो कोई उच्चवर्ग में (महाकाव्य-नाटक आदि) कोई पशु-पक्षियों मात्र से सम्बद्ध  
है (कथा) तो कोई और किसी से। इस प्रकार इन सब का लक्ष्य केवल इतना ही है कि  
ब्रह्माण्ड-गत, किसी एक विषय को अपना प्रतिपाद्य बनाकर उसी के द्वारा मनुष्य का  
या तो मनोरंजन मात्र करें अथवा उसे 'बहुश्रुत' बनायें।

किसी भी दर्शन अथवा साहित्य ग्रन्थ की प्रस्तावना में निर्दिष्ट ग्रन्थ प्रयोजन  
से यह रहस्य जाना जा सकता है कि उन सब का उपदेश मानव की ही सुख एवं शान्ति  
के निमित्त किया गया है। उपनिषदों से लेकर चौर्यशास्त्र तक का सर्वात्कृष्ट एवं निकृष्ट  
सब ज्ञान मनुष्य के ही लिए सुरक्षित है, क्योंकि लोक में असंख्य अभिरुचियों के मनुष्य हैं।  
कोई सर्व के भी कोई विद्वान्, कोई सत्यवादी है तो कोई असत्यवादी, प्रवचक एवं लोभी।  
कोई का विचार नहीं है, कि जिस ज्ञान की किस कोटि को पसन्द करेगा। किन्तु

जनवर्ग की इस प्रतिपद-विविक्तता के होते हुए भी, उसके विषय में एक घुव सत्य की घोषणा की जा सकती है। वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति सुख एवं आनन्द के ही अन्वेषण में लगा है।

मूर्ख व्यक्ति के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे किस 'उपाय' द्वारा सौख्य एवं आनन्द चाहते हैं? सम्भवतः उन्हें कोई आत्मानुकूल 'दुर्व्यसन' ही रुचिकर होगा किन्तु धीमानों के विषय में तो निश्चित है कि -- काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। 'काव्य-शास्त्र' इन दोनों के समवायग्रहण का एकमात्र तात्पर्य यह है कि लोक में बुद्धिजीवियों की केवल दो ही कोटियाँ सम्भव हैं, या तो वे इहलोक के वैभवों की ओर आकृष्ट हों अथवा परलोक के वैभवों के प्रति। इस प्रकार प्रथम कोटि के सुमुत्तु जनों के लिए आनन्द का साधन, 'मोक्षसाधनरूप शास्त्र' होगा और द्वितीय कोटि के सांसारिक जनों के आनन्द का साधन, यज्ञ, अर्थ, व्यवहारज्ञान, कल्याण, स्वःपरनिर्वृति एवं कान्तासम्मित उपदेशों साधन भूत काव्य होगा। शास्त्र एवं काव्य ही समस्त ज्ञान सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

काव्य में भी, मनुष्य श्रव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य को ही अधिक महत्त्व देता है क्योंकि (१) एक तो दृश्य काव्य में, 'श्रव्यत्व' का भी संयोग होता है (२) दूसरे, साधारण नटों पर प्राचीन नरेशों, राजमहिषियों एवं अन्यान्य पात्रों का आरोप करने से तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने से दृश्यकाव्य में एक अद्भुत वर्णना, विच्छिन्न उत्पन्न हो जाती है और (३) तीसरा यह कि दृश्य काव्य में साधारणीकरण अपेक्षाकृत शीघ्र होता है।

इसका अर्थ यह है कि श्रव्यकाव्यों की वही कोटि दृश्यकाव्य के समान आनन्द-दायिनी हो सकती है जो उन्हीं की भाँति, दृश्यत्व एवं श्रव्यत्व दोनों गुणों से युक्त आरोप-क्रिया से संवलित एवं शीघ्र साधारणीकार्य हो। वस्तुतः ठीक रूपकों की ही भाँति पूर्वोक्त गुणत्रय-निष्ठ कोई रचना, श्रव्यकाव्यों में तो प्राप्त ही नहीं हो सकती। क्योंकि यदि ऐसा ही जाय तो फिर इस द्वैधवाद्भय की आवश्यकता ही क्या? अतएव, हमें यह संशोधन समझ लेना चाहिए कि श्रव्यकाव्य में उसका वही रूप सर्वोत्कृष्ट है जिसमें रूपकों के गुण, यथाशक्य अधिक मात्रा में प्राप्त हो। श्रव्यकाव्य में जैसा कि पीछे पाँचवें अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है, मुक्तक से लेकर कुलक तक तथा महाकाव्य एवं खण्डकाव्य आदि हैं। इनमें से मुख्य विवेचन करने पर भी 'मुक्तक' को छोड़कर और कोई श्रव्यकाव्यरूप ऐसा नहीं प्रायः होता जिसमें कि रूपक की पूर्व संकेतित तीनों विशेषताओं को देखा जा सके। मुक्तक ही श्रव्यकाव्य की रूप-विशेष रूपकों की तुलना में तुल्य आनन्ददायी है जो कि आरोप

प्रक्रिया से युक्त होने के कारण शीघ्र साधारणीकरण के योग्य होता है । मुक्तकों की वही कोटि 'संस्कृत काव्य-साहित्य' में 'अन्यापदेश या अन्योक्ति' कही जाती है ।

'अन्योक्ति' की तो व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध कर देती है कि इसमें कुछ न कुछ वैचित्र्य अवश्य निहित है । अन्यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि श्रव्यकाव्यांगों में भी तो किसी अन्य की ही उक्ति का वर्णना होती है । कोई नरेश अथवा नायक मूल अन्यपात्र ही उनका वर्ण्य-विषय ही होता है । तो, फिर क्यों नहीं उनको भी हम 'अन्योक्ति' कहते ? वस्तुतः इसीलिए नहीं कहते कि उनमें कोई वैचित्र्य नहीं । किन्तु जिस अन्योक्ति को यहाँ श्रव्यकाव्य का सर्वोत्कृष्ट रूप बताया गया है, वह अंग-प्रत्यंग चमत्कारातिशय से ओत-प्रोत है । इस अन्योक्ति का यह अर्थ कभी नहीं है कि वास्तव में जो केवल अन्य व्यक्ति की वर्णना मात्र हो वरन् उसका तात्पर्य 'उस अन्य पात्र की वर्णना' से है जो कि अन्य पात्र की वर्णना होते हुए अपने से भी अन्य एक और पात्र की वर्णना प्रस्तुत करे । और विचित्रता तो यह है कि अन्योक्ति शैली में विद्यमान इन दोनों अन्य वृत्तान्तों में से पहला तो कवि संरम्भगोचर न होने के कारण अप्रस्तुत होता है और दूसरा कवि का लक्ष्यमूल होने के कारण प्रस्तुत होता है । अप्रस्तुत पदा अभिधया वाच्य किन्तु प्रस्तुत पदा व्यञ्जनयान्निप्त होता है । इसका तात्पर्य यह है कि अन्योक्ति में प्रस्तुत पदा पर अप्रस्तुत का आरोप होता है । यही 'आरोप' अन्योक्ति का प्राण है जो कि महाकाव्य, खण्डकाव्य प्रभृति अन्य किसी भी श्रव्य काव्यांग में नहीं प्राप्त होता । अन्योक्ति में प्रतिपादित अप्रस्तुत वृत्तान्त कवि प्रायः अपने ही आस-पास विद्यमान प्रकृति से लेता है अतएव यह आदान एक और जहाँ अन्योक्ति में दृश्यत्व का भाव भर देता है, वहीं दूसरी ओर शीघ्र साधारणीकरण में सहायक भी होता है । एक उदाहरण में अन्योक्ति के तीनों वैशिष्ट्य देख लिये जायं --

चन्दने विषधरान् सहामहे वस्तु सुन्दरं सुन्दरं सुन्दरं ।

रक्षितुं वद किमात्मगौरवं सञ्चिताः खदिर । कण्टकास्त्वया ॥

इस पद्य को पढ़ते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो दिन-प्रतिदिन देखा गया चन्दन स्व खदिर (खैर) का पेड़ आँसों के समान विद्यमान है । एक के सह ऊपर काले-काले साँप लिपटे हैं और दूसरी ओर खैर के छाने पर हँव-हँव मर के असंख्य काटे उभे हों । यद्यपि यह साकारता अन्य श्रव्यकाव्यांगों में भी सम्भव हो सकती है किन्तु जिस आश्चर्य से जितनी स्पष्टता के साथ यह अन्योक्ति में सज-प्रस्तुत होती है, उस शक्ति और उतनी स्पष्टता के साथ अन्य श्रव्यकाव्यांगों में नहीं । अन्योक्ति में विद्यमान यही दृश्यत्व उसके शीघ्र साधारणीकरण में



भी कार्य करता है । आरोप-क्रिया तो सुस्पष्ट ही है ।

निष्कर्ष यह है कि संसार में रहने वाले मनुष्यों को दो कोटियाँ हैं--स्क तो परलोकगत आस्थाओं में विश्वास करता है और दूसरा इहलोकगत आस्थाओं में । स्क का मनोविनोद पावनशास्त्र है, तो दूसरे का काव्य । काव्य में भी दो भेद हैं -- दृश्य तथा श्रव्य । दृश्य के व्यक्तिगत वैशिष्ट्यों के कारण मनुष्यया तो सर्वाधिक महत्त्व उन्हें देता है अथवा श्रव्य काव्य के उस रूप को जो कि उन्हीं के समकक्ष है । इस प्रकार का दृश्यकाव्य का समकक्ष श्रव्यकाव्य के रूप , अन्यापदेश या अन्योक्ति ही है । अन्योक्ति का आद्यन्त प्रतिपाद्य मनुष्य और उसका जीवन ही है । प्रकृति का उपम आदान भी, अन्योक्ति में अप्रस्तुतपदा बनकर प्रस्तुतभूत मनुष्य का ही वृत्त उपस्थित करता है । इस प्रकार अन्योक्ति के अणु-अणु में मानवता का ही बहुविध-भाव व्याप्त है । चूंकि अन्योक्ति ही नहीं, प्रत्युत उसी की भाँति त्रैलोक्य विद्यमान प्रत्येक ज्ञान की धाती, मनुष्य तथा उसके जीवन को ही लक्ष्य करके प्रणीत की गई है अतः उन सब का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर होना चाहिए, कि 'मानव' एवं 'मानव जाति' के उन्नयन में उनका क्या सहयोग रहा है । वे मनुष्य के जीवन को किस ढर्रें पर ले जा रहे हैं विनाश अथवा विकास के ? इस प्रकार अन्योक्ति के भी मूल्यांकन की आधारशिला मनुष्य और उसका जीवन ही है, क्योंकि अन्योक्ति का तो वही वर्ण्यविषय है, प्रतिपाद्य है ।

वस्तुतः यदि भारतीय वाङ्मय एवं जन-जीवन का प्राचीनता की दृष्टि से विचार किया जाय तो उसके तीन आदर्श स्पष्ट हो जाते हैं -- यथार्थ अथवा सत्यमय जीवन, सर्वहित की भावना तथा जीवन माधुर्य । सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को वर्तमान युग में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के रूप में स्वीकार किया गया है । प्राचीन वैदिक वाङ्मय में भी 'ऋत' की कल्पना 'सत्य' को ही संकेतित करती है । सूर्यचन्द्र एवं समस्त नक्षत्राणां के ही बशीमुत होकर अपने अपने मार्ग पर स्थिर हैं । विश्व की समस्त प्रक्रिया 'ऋत' अथवा सत्य पर अथवा कल्याण की भावना ही भारतीय वाङ्मय का प्राणतत्त्व रही । इसी कारण ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में 'मद्रं' ( जो कि 'शिव' का ही पर्याय है ) की ही कामना ऋच-पद पर दृष्टिगोचर होती है । सूक्तियों में प्रतिपादित 'सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा ऋग्वेद में प्रतिपादित 'यद् मद्रं ब्रह्म आसुव' के प्रसंग-इस बात के साक्ष्य हैं प्रत्येक भारतीय अपना तथा अपनी ही भाँति समस्त विश्व का भी मंगल सब दिन से चाहता है । इस प्रकार 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की भावना पूर्णतः लोक की सरसता एवं उसके भव-पदा से सम्बद्ध है । इस प्रकार 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की भावनायें जहाँ समस्त विश्व को अपनी

प्रायोगिक अथवा व्यावहारिक स्थिति से समृद्धि मार्ग पर ले जाती है, वहीं आदर्श रूप होने के कारण वे प्रत्येक ग्रन्थ की 'प्रतिपाद्य सामग्री' भी हैं। क्यों कि वाङ्मय का जो भी स्वरूप इन तीनों 'विश्वजनीन मान्यताओं' का समवेत अथवा पृथक् रूप से ही उपदेश न दे सका अथवा प्रतिपादन न कर सका, वस्तुतः उसकी कोई मार्थकता नहीं है। इस प्रकार 'सत्य-शिव एवं सुन्दर' का सन्देश ही, किसी भी आदर्श वाङ्मय की अन्तिम प्रतिपाद्य व्यंजना हौनी चाहिए। आचार्य मम्मट द्वारा स्थापित 'काव्य-प्रयोजनों' में से 'यशः प्राप्ति' सत्य का अर्थ प्राप्ति -व्यवहार ज्ञान तथा शिवेतरज्ञाति ये तीनों शिव के तथा गद्यःपरनिर्वृति एवं कान्तासम्मित उपदेश-- 'सुन्दर' के ही प्रतीक हैं।

किन्तु 'रूप-विद्या तथा कण्ठ की ही भांति 'सत्य शिव तथा सुन्दर' की भी अवस्थिति समवायतः देखने में नहीं आती। शास्त्रों में यदि सत्य, शिवतत्त्व का प्रबल अस्तित्व है तो सौन्दर्य तत्त्व उनमें गौण ही है। यहां तक कि सरसरसमाधुरी से आप्यनयित 'काव्य' भी अपने प्रत्येक-भेद में इन तीनों चिरन्तन आदर्शों का एकधा प्रदर्शन नहीं कर पाता। यदि, रूपक कृतियों में सौन्दर्य पदा प्रबल है तो 'सत्य एवं शिव तत्त्व' अपेक्षाकृत निर्बल हैं। नाटक में काल्पनिकता का आश्रय लिये जाने के कारण 'सत्यतत्त्व' एवं लौकिक नरेश मात्र की प्रशस्ति रूप होने के कारण 'शिवतत्त्व' गौण ही रहता है। इसी प्रकार स्तोत्र काव्यों में केवल शिवतत्त्व ही प्रबल रहता है किन्तु सौन्दर्य का उनमें अपेक्षाकृत कम सहयोग रहता है। कथा एवं आख्यायिकादिक में भी सत्यपदा अत्यन्त निर्बल रहता है। अन्ततः नीतिपरक महाकाव्यों-खण्डकाव्यों अथवा क शतकों में भी केवल सत्यपदा ही मंडित हो पाता है, अन्य दोनों नहीं। तो क्या यह मान लिया जाय कि काव्यवाङ्मय की कोई भी ऐसी उत्कृष्ट विधा नहीं, जहां कि इन तीनों का युगपत् निबन्धन प्राप्त होता हो ?

वस्तुतः 'अन्यापदेश' उपर्युक्त प्रश्न का ही एक रमणीय-समाधान है। संस्कृत काव्य-वाङ्मय का दूसरा कोई भी ऐसा प्रमेद नहीं है जो कि 'सत्यं शिवं तथा सुन्दरम्' इन तीनों जागतिक आवश्यों का प्रस्तुतीकरण एक साथ कर सके। किन्तु 'अन्यापदेश वाङ्मय' इन्हीं तीनों कलाओं की मंजुल समष्टि है। ये तीनों तत्त्व अन्योक्ति वाङ्मय के व्यंग्य सन्देश नहीं हैं, बल्कि उसके प्रतिपाद्यत्व होने के कारण उसके अवयव रूप ही हैं। सांसारिक सत्यों का प्रतिपादन करके 'सत्यतत्त्व' को, लोक कल्याणपरक भावनाओं की व्याख्या वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना करने के कारण उत्पन्न वस्तुतः शिव-तत्त्व को, तथा कालिका प्रतिपादित अप्रस्तुत करके सुन्दर तत्त्व को अन्यापदेश द्वारा प्रतिपादित किया है। अतः इस वैशिष्ट्य के कारण उसका अस्तित्व

अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व और उसका स्वतन्त्र-पद अप्रतिम एवं अननुकार्य ही है ।

'सत्यतत्त्व' का प्रतिपादन यद्यपि बहुत कुछ काव्यवाङ्मय के अन्य भेदों में भी हुआ है । उदाहरणार्थ रघुवंश प्रभृति महाकाव्यों में तद्वंशीय नरेशों के लोकातुकार्य्यं पुण्य चरित प्रतिपाद्य रूप में आये हैं । किन्तु वे वस्तुतः लौकिक सत्य नहीं हैं, वरन् सांसारिकता से परे एक आदर्श सत्य हैं । वे उस प्रकार के सत्य हैं, जो केवल, स्वर्ग तक विजय पाने के इच्छुक, वंशप्रवर्तन भर के लिए गार्हस्थ्यधर्म पालने वाले, सत्यसन्ध एवं विनयावनत रघुवंशी नरेशों को अभीष्ट थे । कृत युग एवं त्रेता के 'उस यथार्थ सत्य को पालने वाले महान् व्यक्ति अब कलि में नहीं ही है । प्रत्यूग युग का गत्य, अपने युग के अनुकूल ही होता है । अतः कलियुग का सत्य, जिसे अन्धापदशों ने प्रतिपाद्यतया स्वीकार किया है, 'आदर्शसत्य न होकर 'कटुसत्य' है । किन्तु 'सत्य' एक ऐसा तत्त्व है जो स्वरूप से ही 'दुरधिगम एवं क्लिष्ट' होने के कारण किसी को पसन्द नहीं । उसे कितना भी 'आदर्श रूप' क्यों न बनाया जाय, किन्तु वह 'मिथ्यात्व' की भांति 'बाह्यमनोरम' तो हो ही नहीं सकता 'सत्य' उस कच्चे सिंघाड़े की भांति है, जिसे वही व्यक्ति पसन्द कर सकता है जो कि यह जान चुका है कि ऊबड़-खाबड़ छिलके के नीचे सिंघाड़े का आस्वाद्य तत्त्व भी विद्यमान है । किन्तु इतनी शोध एवं प्रतीक्षा करने वाले धीर व्यक्ति, पृथ्वी में अत्यल्प हैं, क्योंकि किसी वस्तु से सम्बन्ध उनका निर्णय, प्रायः उसके बाह्य पर ही आधारित होता है । इस प्रकार जब 'आदर्श सत्य' का ही स्वरूप इतना 'रहस्यमय-दुर्बोध- एवं मीतिकर' होता है, तब फिर 'कटुसत्य' का क्या कहना । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्यापदेश ने केवल सत्य के निकृष्टतम कोटि को ही अपनाया है, वरन् सत्य तो यह है कि पारलौकिक सत्य अथवा ऋतु, आदर्शसत्य तथा कटुसत्य तीनों ही वन्योक्ति के प्रतिपाद्य बने हैं । वस्तुतः सत्य सत्य ही होता है, उगमें उत्कृष्ट या निकृष्ट कोई भेद करना अज्ञता का सूचक है । अतएव सत्य को ऋत रूप, आदर्श रूप, निकृष्ट या कटुरूप, उसके विभिन्न अनुयायियों द्वारा ही दिया जाता है । 'असत्य' भी वस्तुतः 'सत्य' का ही रूप है, क्योंकि वह तभी उत्पन्न होता है जब सत्य के अनुयायी उसका पूर्णतः छीप करके लड्डि-सक- तड्डिरुद्ध वस्तु ग्रहण करते हैं । अतः एक ही सत्य, ज्ञानी मुमुक्षुवी द्वारा ऋत रूप में, विवेकशील नरेशों अथवा तत्तुल्य विद्वानों द्वारा आदर्श रूप में, बिबाध एवं मायासक सांसारिक जनों द्वारा कटु या निकृष्ट रूप में, तथा अन्ततः पावकी दुष्टों द्वारा अत्यन्तमाव अवका 'असत्य' रूप में देखा जाता है ।



कालिदास ने स्क महाकाव्य के रूप में रमणीय वर्णना पद्धति के साथ उपस्थापित कर दिया हमें न कोई आयास ही था और न कोई विशेष परिश्रम । क्योंकि प्रतिभावान कवि के लिए 'काव्यरचना' एक अभिरुचि-पूर्ण कार्य है न कि थकावट उत्पन्न करने वाली वस्तु । परन्तु स्क कटु सत्य का उदाहरण लीजिए कोई व्यक्ति है तो गुणवान् किन्तु साथ ही साथ महान स्वार्थी भी है । जिस व्यक्ति के पीछे कुछ लैने के लिए पड़ जाता है तो फिर लेकर ही कौड़ता है । चाहे इस कार्य में उसका कितना ही अपमान क्यों न हो । उनका कोई हितैषी हृदय से चाहता है कि उनका सुधार हो जाय । किन्तु सुधार इष्ट तो तभी सम्भव है जब कि कोई उसमें अधिक प्रभावशाली व्यक्ति उन अपने प्रभाव में दबोच ले अथवा उसे स्वयं अपने कार्य पर घृणा एवं क्रोध हो जाय । पहले उपाय में जहाँ 'प्रतिशोध' की मावना के लिए अवकाश है , वहाँ दूसरे उपाय में चिरस्थायी सुधार की आशा । पहले उपाय में प्रत्यक्ष डाट-फटकार उपयोगी होगी किन्तु दूसरे में कोई साममयी उक्ति विधि ।

ऐसे स्थलों पर सभी चाहते हैं कि चिरस्थायी सुधार हो जाय न कि कोई वैषम्य परिशेष रहे । अतः काव्य में चिरस्थायी सुधार के निमित्त लोक सुधारक कोई महाकवि जिस वर्णनापद्धति का जिस साममयी उक्तिविधि का प्रयोग करता है वही अन्योक्ति है । अन्योक्ति में बाहर से तो कथन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि आत्मतुष्टि के ही लिए निरपेक्ष भाव से कुछ कह रहा हो किन्तु रहस्य तो तब खुलता है जब बोद्धव्य व्यक्ति वक्ता के कथन को उसके सही रूप में जान लेता है । पूर्वोक्त उदाहरण में ही स्वार्थी व्यक्ति को इंगित करके कवि कहता है --

अनुसरति करि कपोलं भ्रमरः श्रवणन ताड्यमानो ऽपि ।

गणयति न तिरस्कारं दानान्ध-विलोचनो नीचः ॥

इस पद्य को सुनकर स्वार्थी व्यक्ति पहले तो तटस्थ रहेगा कि ठीक है, भौरे के ही लिए तो कह रहा है किन्तु उसी क्षण ज्यों ही उसे यह मान होगा कि इ अरे ! मैं भी तो असुक व्यक्ति का तलबा चाटता रहता हूँ, कितनी ही बार उम्ने मुझे अपमानित किया है पीटा है, फिर भी मैं उनका स्थाल न करके बेहयाई वतने से बाज नहीं आता कि त्यों ही उसकी नस-नस में बिजली सी दौड़ बाधेगी । वह कांप उठेगा श्रम के मारे मुक बाधेगा किन्तु प्रतिशोध का भाव नहीं उठेगा । क्योंकि वह तुरन्त यह भी जान लेगा कि बेसी, कितना मेक बाधेगी है कि इस बाधियों के बीच मेरी पोल नहीं खोली , फिर भी स्वने

इस प्रकार जो कटु सत्य प्रत्यक्षातः कह जाने पर भयंकर-हिंसा का कारण बन सकता था, वह अभिव्यक्ति वैशिष्ट्य के ही कारण आशातीत सुखान्त रूप बन जाता है। और अभिव्यक्ति का यह माध्यम लोक में अन्योक्ति प्रस्तुत करती है। अन्योक्ति उस अन्यवस्तु की उक्ति या अभिधा होती है जो बहिरंग दृष्टि से तो अपने लक्ष्य को छूती तक नहीं किन्तु व्यंजना-शक्ति द्वारा उसे शतपत्रपत्रकंदनन्यायेन प्रकट कर देती है। इस व्यंग्य-बाण से आहत हुआ व्यक्ति फिर कभी वह कुछ दुष्कार्य करने का स्वप्न तक नहीं देख पाता जिसके लिए कि वह दुत्कारा या फटकारा गया है।

अन्योक्ति का मूल्यांकन करते समय यह भी स्पष्ट कर देना उचित हांगा कि जीवन एवं जगत् के जिस कटु यथार्थ को उसने अपना प्रतिपाद्य बनाया है वे स्वरूपतः मले ही भयंकर अथवा दुर्दान्त हों किन्तु अन्योक्ति ने उन्हें परिणामस्मरणीय रूप में ही कल्पित किया है। क्योंकि उन सब घृणित से घृणित हेय से हेय, तथा असंगत भावों की अन्तिम पर्यवसान, मानवमात्र के कल्याण में ही निहित है। पिछले अध्याय में अन्योक्ति द्वारा परिगृहीत कुछ जीवन यथार्थों की बानगी हम देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार समस्त अन्योक्ति वाङ्मय में इतने अधिक जागतिक कटु सत्यों का निबन्धन किया गया है कि क कोई निपुण गणयिता भी स्कवारगी उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकता। इन कटुसत्यों को किसी वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस रहस्य का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है कि अन्योक्ति में जो कुछ वाच्यरूप में कहा जाता है वह तो संयत एवं स्ववस्तुनिष्ठ है किन्तु व्यंग्य रूप में प्रस्तुत की गई चरितार्थता ( *application* ) सेकड़ों का वस्तुओं से सम्बद्ध हो सकती है।

लोक-मंगल की भावना ही अन्योक्ति का व्यंग्य-पक्ष पुष्ट करती है। वस्तुतः अन्योक्ति का अप्रस्तुत पक्ष, प्रस्तुतपक्ष तथा वाच्य अप्रस्तुत से इतिवृत्तसाम्य के कारण व्यंग्य प्रस्तुत की व्यंजना रूप परिपाटी, ये तीनों तत्त्व क्रमशः सत्य, शिव एवं सुन्दर तत्त्व के परिचायक हैं। अप्रस्तुत वाच्य अर्थात् प्रतिपाद्य रूप में अन्यापदेश सांसारिक सत्य तथा उसके अस्तित्वरूपों को स्वीकार करता है और लोकमंगलभावना के रूप में उनकी व्यंजना करता है। काव्य के अन्य किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का लोकोत्तर प्रतिपाद्य विधान प्राप्त ही प्राप्त हो सके। रूपक-साहित्य में लोकमंगल की यह भावना स्पष्टरूप से केवल भरतनाट्य में प्राप्त होती है। श्रवण-वाक्यांशों में ही प्रकृत व्यक्ति के ही चरित का वाच्य-पक्ष होने के कारण यह भावना बहुत कम प्रस्फुटित हो पायी है, हाँ यह भावना काव्य के अन्तर्गत ही प्राप्त होती है। कथा-साहित्य में लोकमंगल का भाव प्राप्त होता है किन्तु

चारुत्व के माने में वह अन्यापदेश से घटिया ही सिद्ध हांता है, क्योंकि अन्योक्ति की तरह कान्तासम्भितापदेशता उसमें कम ही प्राप्त हां पाती है ।

किन्तु अन्योक्ति का लोकमंगलभाव अपने ढंग का अप्रतिम मद्दार्थ है । कथा-साहित्य में अनेक दृष्टान्तों का निबन्धन करके कथाकार एक मूल तथ्य का निकृष्ट एवं उत्कृष्ट पक्ष प्रस्तुत करता है । उदाहरणार्थ -- 'अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचारविवर्जिताः सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खमण्डिताः' प्रस्तुत पद्य में इस मूल तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि मनुष्य को लोकाचार में प्रवीण होना अनिवार्य है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए कथाकार कुछ विरोधी दृष्टान्त एवं तदनुकूल विरुद्ध परिणामदिलाकर अन्त में यह सदुपदेश देता है -- 'इमीलिये कहता हूँ कि मनुष्य को व्यवहारनिपुण होना चाहिए आदि । यद्यपि इसमें लोकमंगल का भाव स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है किन्तु सोचिये कि क्या इस निबन्धन में कोई ऐसी शक्ति अन्तर्हित है जो कि अव्यवहार कुशल व्यक्ति को बलात् व्यवहार कुशलता की ओर आकृष्ट करसके ? कोई नहीं । यह भी तो निश्चित नहीं है कि व्यवहार कुशल होने पर सदा लाभ ही लाभ होगा । व्यवहार कुशल व्यक्तियों के भी अनेक ऐसे दृष्टान्त प्राप्त होते हैं जिनका जीवन अत्यन्त विपन्न है, जिन्हें पेट भर अन्न भी नहीं मिलता है । अतस्व कथा साहित्य की लोकमंगलभावना, एक शिक्षा या आदर्श सदुपदेश मात्र में निहित है, जिसकी प्रायोगिक सफलता के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

परन्तु अन्यापदेश का लोकमंगल भाव कल्पान्तरस्थायी है । क्योंकि वह गलत राह पर चलने वाले व्यक्ति दूर से शिक्षा नहीं देता दृष्टान्त नहीं प्रस्तुत करता कि 'देखो अमुक अमुक व्यक्ति, इसी प्रकार का आचरण करते थे और उनकी अमुक दुर्दशा हुई । अतः तुम इस राह को छोड़ दो अन्यथा तुम भी उसी गति को प्राप्त होओगे' आदि ।" सुनने वाला यदि निर्मलचित्त का होगा तब तो वचन भी दे देगा कि 'मेया बाप ठीक कह रहे हैं मैं गलत रास्ते पर था । पर अब भविष्य में ऐसी दुर्दशा होगी । किन्तु यदि वह कोई बड़काक बड़माश होगा तो मन में ही अथवा खुले आम ही कह देगा -- 'अरे जाजा ! जाया है बड़ा उपदेश देने वाला । अरे वे कोई मधे रहे हीमे जिन्होंने अमुक आचरण करके भी अमुक दुर्दशा पाई । मेरी देखना कि मैं क्या करता हूँ और कैसे रहता हूँ ।' आदि ।

इस प्रकार निश्चित है कि कथामत ज्ञानमपद्धति स्वयं तो ज्ञानमूला है किन्तु उसका परिणाम इस स्थिति है जो अधिक मूर्ख सिद्ध हो सकता है जिसके कि परिणामार्थ कथाकार को समझना पड़ता है । प्रसन्न यह है कि तब फिर अन्योक्ति में विद्यमान लोकमंगलभाव का उद्देश्य ही है कि अन्यापदेश परिभ्रष्ट होते हुए

मनुष्य को चेतावनी नहीं देता, दूर से ही तदलंकृत-सरणि का गुण दोष नहीं बताता, वरन् स्वयं उस व्यक्ति, की स्क-स्क मांसपेशियों में घुसकर उसे व्यथित कर देता है। अन्योक्ति कवि रूपी दुर्घर्ष घनुर्धर द्वारा परिभ्रष्ट व्यक्ति रूपी लक्ष्य को इंगित करके छोड़ा गया वह विषेला तीर है जो देखने में तो छोटा अवश्य लगता है किन्तु ऐसा ममान्तक धाव करता है कि लक्ष्य बेचारा अचेतन सा हो जाता है और जब चेतना आती है तो फिर कमी भी उस परिस्तररूपी कान्तार में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं करता, जहाँ पर कि इस प्रकार के विषेले तीर निरन्तर चलते रहते हैं।

अन्योक्ति लक्ष्य व्यक्ति का आमूलवृद्ध परिवर्तन कर देती है। किसी मनुष्य को अपने गुणों पर बड़ा अभिमान है, इतना अभिमान की ज़मीन पर पांव नहीं पड़ते। किन्तु उन श्रीमान् को यह नहीं पता है कि वे जिस व्यक्ति के आधीन हैं, वह उनकी गुण-वत्ता को कतई नहीं जानता और यदि मौका आया तो शुनःशेष की भांति वह उनसे पिंड छुड़ा लेना ही श्रेयश्कर समझेगा। परन्तु यदि संयोग से किसी ने कटाक्ष कर दिया कि -

त्यज निजगुणाभिमानं मरक्त पतितो ऽभि धामरे वणिजि ।

काचमणे रपि मौत्यं लमसे यत्नादपि श्रेयः ॥

तो उगी क्षण उनकी मिट्टी पलीद हो जायेगी। तब वे तुरन्त अन्दाज लेंगे कि आखिर वे कितने पानी में है? यद्यपि वक्ता ने यह कथन मरक्त के विषय में ही प्रस्तुत किया है किन्तु इतिवृत्त साम्य के कारण वह ब्र उसी लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहारों पर केन्द्रित होगा। वैसे वक्ता तो यह जानता ही है कि मैं यह कटाक्ष उसी व्यक्ति के ही ऊपर कर रहा हूँ किन्तु बौद्धव्य अर्थात् लक्ष्यव्यक्ति भी तुरन्त इस रहस्य को जान लेगा कि आखिर इस व्यक्ति ने बिना किसी प्रसंग के यहाँ मरक्त मणि को क्यों क्यों ताना मारा? मरक्त मणि कोई आवमी तो है नहीं कि इसकी बात सुनेगा। तो क्या इसने मुझ पर कटाक्ष किया है? हो सकता है, मुझे ही कहा हो। बस बस जान गया। मुझे ही इसने ताना मारा है, क्योंकि मुझे ही तो अपने गुणों पर बड़ा घमण्ड है। मैं ही तो घमण्ड के नश्वे में अपने प्यारे दोस्तों से सीधे मुँह बाँध भी नहीं करता। तो क्या मेरा यह मांसिक मुँह ही कौड़ी का ही समझाता है? अवश्य समझता होगा क्योंकि अपना कर्तव्य विहाय मैं मौका भी तो मुझे नहीं मिला। तब फिर इस नालायक के यहाँ पाकर कि करने है क्या काम? किसी गुणवान व्यक्ति के यहाँ चहुँ ओर सन्तोषपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अब कौन अपने काचमणिमान न करेगा। साथियों से स्नेह सौहार्द की बातें



इस प्रकार उपर्युक्त भाव के आते ही कुछ क्षण पूर्ण का अहंकारी व्यक्ति अपने उसी रूप में नहीं रह जाता । उम्का 'कायाकल्प' हो जाता है । वह सीधी राह पर आ जाता है । किन्तु विचार कीजिए कि क्या कोई उपदेश देने में यह सच 'कायाकल्प' सम्भव था ? अपने इसी लोकोत्तर एवं व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के कारण अन्योक्ति अपना मानी नहीं रखती । मनुष्य ही वैधातृ की सर्जना का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, क्योंकि ईश्वर ने उसे विचारशीलता दी है जो कि अन्य किसी भी तदितर प्राणी में प्राप्त नहीं है । अतः जब वही अपने इस विशिष्ट एवं असाधारण अधिकार से दूर होने लगता है तो क्रान्तदर्शी कवि को उद्बोधन के गीत गाने पड़ते हैं ताकि परिरक्षित होता हुआ व्यक्ति अज्ञान रूपी तमतीम से अपने को निकाल कर ज्ञान एवं कर्तव्य के समुज्ज्वल आलोक में रख सके । उन्हीं उद्बोधन गीतों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 'अन्यापदेश' अथवा 'अन्योक्ति' है ।

मनुष्यों की समष्टि से ही लोक की सृष्टि होती है, जिसका वितान समस्त भूमण्डल में विस्तीर्ण हो चुका है । अतः यदि वर्जित मार्ग का अनुगमन करने वाले एक व्यक्ति का मविष्य 'अन्यापदेश' ने मंगलमय बना, दिया तो समझिये कि विश्वजनीनलोकमंगल की भावना में एक कड़ी जुड़ गई । यदि ऐतिहासिक साक्ष्यों का आश्रय लिया जाय तो हमारा उभयकोटिक लचीला विश्वास एक गेरिकशिला की भांति सुवृद्ध हो जायेगा कि 'अन्योक्ति' ने व्यक्ति को ही नहीं वरन् प्रान्त के प्रान्त का मविष्य देश के देश का मविष्य मंगलमय बना दिया है । यदि कण्वाश्रम में विद्यमान शकुन्तला ने महाराज दुष्यन्त के प्रणय को सर्वथा ठुकरा दिया होता अथवा गौतमी के आने पर लतासन्तापहारक के बहाने नरेश को आमंत्रित न किये होती तो सम्भवतः सन्तानहीन नरेश का जीवन और भी अधिक वेदनामय हो जाता और आश्चर्य नहीं कि उसी परिवर्धित स्मरवेदना में उनकी मृत्यु भी हो जाती । तब न भरत जैसा चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होता न पवित्र भारतभूमि की यह संज्ञा ही होती । सुभाषितावली में प्राप्त किमेकमविशंकितः प्रमृति पथ के विषय में हम जान चुके हैं कि वह कश्मीर नरेश शाहाबुद्दीन द्वारा आक्रामक मीरशाह के लिए मेजा मया था और जिस पाकर सम्भवतः उसने कश्मीर पर आक्रमण करने की योजना बकही छोड़ दी -- अन्योक्ति ने समस्त कश्मीर प्रदेश का मंगल किया । हिन्दी के सुप्रसिद्ध रीतिकालीन कवि विहारी की 'अन्योक्ति' नहीं परान नहिं महार मधु' बाकि है जिस प्रकार जयपुर प्रदेश का मंगल किया वह किसी भी भूमी परलोक से शिवा नहीं । प्राचीन वन्दकथाओं को मले ही अप्रामाणिक मानकर छोड़ दिया जाय किन्तु जब यह इतिहास प्राप्त होने लगता है तभी से यदि हम 'अन्योक्ति' के मंगल का जन्म देने को मान्यता दान आयेंगे कि उनमें 'अन्योक्ति' अथवा 'अन्योक्ति'

परिपाटी का आश्रय लिया जाता रहा है ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्यापदेश का प्रतिपाद्य अर्थात् अप्रस्तुत वाच्य रूप में उसकी अभिधा सामाजिक दुरवस्थाओं कटसत्थों बुराइयों एवं स्तादृश अन्य तथ्यों को लेकर व्यंजना शक्ति के सहारे उनसे लोकमंगल का भाव द्योतित कराती है । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि अन्योक्ति दुरवस्थाओं कटताओं बुराइयों तथा स्तादृश अन्य कमियों को मंगलमय रूप देती है, उन्हें कल्याणमय रूप देती है । किन्तु इसके अतिरिक्त अन्योक्ति प्रशंसनीय एवं उदात्तचरितवाले प्राकृतिक उपादानों पशुपक्षियों एवं अप्रस्तुत देवताओं तथा मनुष्यों की स्तुति के बहाने प्रस्तुत भूत जन समुदाय की प्रशस्ति भी गाती है, उसे उत्साहित एवं आप्तकाम भी बनाती है । इस प्रकार लोकमंगल भावना के दोनों ही स्वरूप अन्योक्ति को इष्ट हैं ।

अन्योक्ति का मूल्यांकन उसमें व्यवहृत मनुष्य एवं उसके जीवन के आधार पर ही होना चाहिए । और चूंकि मानव जीवन के आदर्श अभिकान्क्षित तत्त्व तीन ही हैं -- सत्य, शिव एवं सुन्दर अतएव यह भी देखना आवश्यक है कि अन्योक्ति वाङ्मय में इन तीनों तत्त्वों का निर्वाह कवियों ने किया किस तरह । सत्य षि एवं शिव का प्रश्न, अभी हल किया जा चुका है अतएव सौन्दर्य पक्ष की भी अपेक्षित व्याख्या अब होनी चाहिए । वास्तुतः यह विचारणीय प्रश्न है कि सुन्दर तत्त्व है क्या ? और अन्योक्ति में वह किस रूप में प्राप्त होता है ?

सौन्दर्य का सम्बन्ध प्रायः प्रेम अथवा रतिभाव से जोड़ा जाता है क्योंकि सौन्दर्य की ही कुक्षि में 'रतिभाव' प्रायः जन्म लेता है । पिछले अध्याय में इसी रतिभाव के अनेक भेदों का उल्लेख किया गया है । किन्तु सौन्दर्यजात रतिभावना की मुख्यतः दो ही प्रवृत्तियाँ हैं स्कतो इहलोक सम्बन्धी और दूसरी परलोक सम्बन्धी । इहलोक संबंधी रतिभावना में ही संयोग एवं वियोगपक्षीय शृंगार तथा अन्य वासनात्मक प्रवृत्तियाँ जाती हैं । ठीक इसी प्रकार पारलौकिक प्रणय में सर्वश्रेष्ठ स्थान मक्ति का है जिसके कि दास्य, सत्य, वात्सल्य, आवि भेद हो सकते हैं । मगवान कृष्ण की प्रणयिनी मीरा ने तो दाम्पत्य भाव से कृष्ण की मक्ति स्वीकार की थी । मगवती दुर्गा के प्रति की गई पुत्ररूप मक्ति की मक्ति वात्सल्य का उदाहरण है । इस प्रकार दास्य-सत्य-वात्सल्य-दाम्पत्य (मक्ति एवं वासना दोनों का) तथा अन्य वासनात्मक प्रवृत्तियाँ सब की सब सौन्दर्य बोध के ही अन्तर्गत आती हैं ।

किन्तु मानवजीवन का सौन्दर्य थोड़ा और स्थूल है । नक्तन्दिव गगनांगन में उचुंग शृंग उठाए हुए पर्वतों की सुरम्य अधित्यकाओं से कलकल निनाद करती हुई पयस्विनियों के मधुर गीत, फरनों की शतशत किंकिणियां से उत्पन्न होने वाली शिंजितध्वनि सरीखी फंकार, सूर्योदय, चन्द्रोदय, उषा की मनोहर अरुणिमा तथा रजनी का सूचीमेघ निबिडान्धकार, पशुओं के हम्भास तथा पक्षियों के अयत्नसुलभ कलरव, स्मणीय कान्तार श्री, वन-उपवन, गिरिताट अमराई और इन्हीं के रसमय माहुर्य में सहवास करता हुआ मानव समुदाय । यही जीवन सौन्दर्य है - खाने को मरपेट मिल जाय शरीर नीरोग हो थोड़ा मनोरंजन का साधन ही, बल्कि यही जीवन का सौन्दर्य पद है । और यदि इन वैभवों की मात्राएं बढ़ती जायं तो क्या कहना -- अधिकस्य अधिकं फलम् । किन्तु यह आवश्यक नहीं है वैभव-साधनों की बढ़ोतरी से जीवन का सौन्दर्य भी बढ़ जायेगा । सम्भव है ऐसा न भी हो अथवा हाका उल्टा ही हो । सौन्दर्य दर्शन के लिए संतोष का होना अत्यन्त आवश्यक है । संतोषविहीन व्यक्ति प्राप्त वैभवों का आनन्द न उठाकर नित्यप्रति प्राप्त होने वाली नवीन उपलब्धियों की ही चिन्ता में हैरान रहेगा और अतृप्त दशा में ही एक दिन इस धरती से उठ भी जायेगा । किन्तु इसके विपरीत संतोष का घनी एक गरीब किसान दश बीघे की खेती भर करके अपने खेतों एवं छुट्टी-बी जनों के बीच, जीवन का सारा सौन्दर्य सारा सौख्य एवं आनन्द -- देख और पा लेगा ।

किन्तु प्राकृतिक उपादानों की मांति अन्योक्ति तै कोई साकार वस्तु तो है नहीं । वरन् वह तो काव्य का एक रूप विशेष है जो कि उपर्युक्त लोकगत सौन्दर्य को अपने प्रतिपाद्य रूप में ग्रहण करता है । अतः अन्योक्ति में प्राप्त होने वाला सौन्दर्य तत्त्व सौन्दर्य तत्त्व मुख्यतः दो प्रकार का है -- एक तो वर्णन-सौन्दर्य और दूसरा वर्ण्य सौन्दर्य वर्णन का अर्थ अन्योक्ति काव्य के सैधानिक अथवा संघटनात्मक उत्कर्ष से है, जिसका विवेचन बिस्तरपूर्वक तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है । इसी प्रकार वर्ण्य का अर्थ भाव से है जो कि प्रतिपाद्य रूप में अन्योक्ति में दिखाई पड़ते हैं । और जिनका विवेचन छठे अध्याय में (काव्यात्मक विवेचन) सविस्तर किया जा चुका है ।

अन्योक्ति का वर्णन-सौन्दर्य केवल छद्म तत्त्व में निहित नहीं है कि उसमें अत्रस्तुत वाक्य से व्यंग्य प्रस्तुतार्थ की व्यंजनयावमति होती है । वह तो महज अन्योक्ति की सौन्दर्य-विशेषता है उसका अन्यव्यवहारक मुण्ड है । किन्तु वास्तविक सौन्दर्य तो इस अर्थ में है कि उस अत्रस्तुत पद का किसे लोकगत प्रस्तुत इतिवृत्त से साम्य होता कैसे है ? और जो महज अत्रस्तुत पद का ही विवेचन कर बैठता है किना यह समझे कि इसकी संमति अत्रस्तुत अर्थ का भाव सौन्दर्य का नहीं ? ऐसे इन प्रश्नों में कुछ सुतुहल का भाव तो



अप्रस्तुत व्यक्ति स्वयं अपना अतिवृत्त उत्तमपुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है<sup>१</sup>। किन्तु इन तीनों ही अभिव्यक्ति-माधनों में व्यंजना की दृष्टि से तृतीय मेद सर्वातिशायी है। लोक में भी किसी को ताना मारने अथवा उसपर कुछ क्लींटाकमी करने के लिखतुर व्यक्ति प्रायः अपने को ही चुनते हैं। क्योंकि बौद्धव्य का जितनी ही अधिक संकीर्णता में डाल दिया जाय, व्यंजना उसे उतनी ही अखरती है। ग्रामीण स्त्रियां व्यंजना की इस परिपाटी में अपना मानी नहीं रखतीं। किसी पड़ोसिन पर जब भी क्लींटाकमी करती हुईं और जिस वृत्तान्त को लेकर करनी हुईं बस उन्हीं वृत्तान्त को अपनी लड़की पर आरोपित करके लगातार ऐसे व्यंग्य बाण छोड़ेंगी कि पड़ोसिन तिलमिला उठेगी उसके हांठ फड़क उठेंगे वह लाल पीली हो जायेगी गुबार गले तक आकर ठसाठस मर जायेगी। आश्चर्य नहीं कि बेबी में रोती हुईं वह मैदान से भाग खड़ी भी हो। किन्तु किसी भी रूप में उसे एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं क्योंकि व्यंग्य बोलने वाली तो अपनी लड़की को डांटती है। इसी प्रकार पड़ोसिन भी बदला लेने का अवसर ताकती रहती है।

अतः सिद्ध है कि आत्मारोपित अप्रस्तुत पदा की व्यंजना अन्यारोपित अप्रस्तुत पदा से कई गुना अधिक मयंकर परिणाम वाली तथा तीव्र होती है। उदाहरणार्थ हरिदास प्रणीतप्र प्रस्ताव रत्नाकर का ४।६ संख्यक पद्य जिमं वक्ता कहता है -- 'अरे महाराज ! जो सेकड़ों बार मैंने आपके लिए इस तरह के वाक्य कहे कि आप यम हैं, वरुण हैं, साक्षात् अग्नि देव हैं। राजन् आप ब्रह्मा, हैं शंकर हैं, विष्णु हैं, क्या कहूं आप तो त्रैलोक्य नयनानन्द बाण्णि दायी भगवान् चन्द्रमा हैं, इत्यादि उसी झूठ बोलने का यह फल मिला है कि आज इन्धन ढो रहा हूं ॥' वस्तुतः वक्ता द्वारा स्वयं कहे गये इस पद्य की व्यंजना किसी भी अन्य रीति से (अर्थात् प्रथम पुरुष गत अप्रस्तुत वृत्तान्त का निबन्धन करके) नहीं ही कराई जा सकती। क्योंकि आत्मपरक होने के कारण ढेर की ढेर व्यंजनाएं हममें एकत्र हो गई हैं। मुख्य व्यंजना तो यह है कि -- 'राजवर्ग के स्वभाव का कोई प्रत्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि 'सुसन्नपि नृपो हन्ति'। दूसरी, यह कि जो वास्तव में जिन पदों के योग्य न हों अतिशयोक्ति द्वारा उन्हें उस पद पर न अभिषिक्त करना चाहिए। तीसरी, यह कि -- 'योग्य के समान मनुष्य का कोई बन्ध नहीं चलता अतः मथितव्यता को कोई टाल नहीं सकता। चौथी, यह कि असत्यमाषण का परिणाम बहुत मयंकर होता है। और पांचवीं, यह कि पराधीन अपने ही सुख नहीं। इसी प्रकार आचार्य दण्डी के अनुसार वक्ता की मनाबेवना भी पद्य की व्यंजनाओं में ही एक होगी।

१- अथर्ववेद-शुक्ल ० मन्त्र ३३ (शुक्ल) शारंगपरि० ४२ (अकबृजा) तथा ४५ (कली), सुभाषिणा ० २०२३ (मृगी) तथा अथर्ववेद-शुक्ल ० पृ०

यह तो हुआ अन्योक्ति का सौन्दर्य । अब वर्ण्य अथवा प्रतिपाद्य पर भी ध्यान देना चाहिए । वर्ण्य का अर्थ है जो वर्णन करने योग्य हो । प्रश्न यह है कि अन्योक्ति में वर्णन करने योग्य होता कौन है ? अप्रस्तुत इतिवृत्त अथवा प्रस्तुत । अन्योक्ति का ही अपर पर्याय अप्रस्तुत प्रशंसा भी है जिसका विस्तृत विवेचन पहले भी अनेकधा हो चुका है । प्रायः अधिकांश आचार्य न प्रशंसा का अर्थ वर्णना से ही लिया है । जो कि अप्रस्तुत की होती है । अन्य उक्ति का भी ठीक वही माव है । अतएव इस साम्य स्वीकार करने के बाद हम पूर्वोत्थापित प्रश्न का उत्तर स्पष्टतः दे सकते हैं कि अन्योक्ति में वर्णना (निबन्धन) अप्रस्तुत पद की ही होती है, क्योंकि वही वाच्य होता है । किन्तु आचार्य दण्डी तथा कुन्तक ने 'प्रशंसा' का व्युत्पत्तिपरक अर्थ लेकर उसे 'निन्दा' के विरोधी तथा 'श्लाघा' के पर्याय रूप में ग्रहण किया है । ~~इस स्थल पर वक्रोक्ति परक अर्थ लेकर उसे निन्दा के विरोधी तथा श्लाघा के पर्याय रूप में ग्रहण किया है ।~~ इस स्थल पर वक्रोक्ति जीवितकार की एक धारणा वास्तव में अमिन्दनीय है । वे कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा में प्रशंसा पद का प्रयोग विपरीतलक्षणा द्वारा ही सम्पन्न हुआ है क्योंकि प्रशंसा तो वस्तुतः व्यंग्यमूल प्रस्तुत की ही होती है न कि वाच्य अप्रस्तुत की । अप्रस्तुत पद की तो निन्दा ही होती है । फिर भी जैसे प्रकाशयुक्त आत्मा से सम्बद्ध अप्रकाशरूप अचेतन घट को भी प्रकाशित होने का श्रेय दे दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रशंस्य प्रस्तुत पद से सम्बद्ध होने के ही कारण असत्यमूल अप्रस्तुत पद को भी प्रशंस्य स्वीकार कर लिया जाता है ।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि अन्योक्ति में वर्णना या निबन्धन तो अप्रस्तुतपद का ही होता है किन्तु वह स्वयं श्लाघ्य अथवा प्रशंस्य नहीं होता है । प्रशंसा वास्तव में प्रस्तुत पद की ही होती है क्योंकि उसी के अभ्युदयार्थ कवि इतना विशाल परिश्रम करता है । यदि अन्योक्ति में प्रस्तुत व्यंग्य का प्रश्न न उठाया जाय और अप्रस्तुत इतिवृत्त की ही वर्णना में कवि के मतव्य को पर्यवसित होने की दिया जाय तो फिर उसमें सौन्दर्य संज्ञक कोई वस्तु बचेगी ही नहीं । क्योंकि उस दशा में वह स्वयं प्रस्तुत हो जायेगा अतः सिवाय अभिवेद्यार्थ के और किसी भी काव्य सौन्दर्य की वहाँ हम अपेक्षा नहीं कर सकते । वस्तुतः सत्य तो यह है कि अन्योक्ति के दोनों ही पद उसके अस्तित्व के दो सम्मिश्र आधार-स्वरूप हैं । यह वर्ण्य विषय जैसा कि पिछले अध्याय में विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है अनेक विध होता है । प्रकृति, प्रणय, मनुष्य, मनुष्य का जीवन

1- अनेकान्योक्ति-वर्णना-विशेष-विपरीतलक्षणा-युक्त-कवि ।



मांति के हजारों व्यक्तियों का विभिन्न परिस्थितियों में पलता हुआ सुख-दुःख मय जीवन अन्योक्ति का प्रतिपाद्य बनता है। दूसरी बात यह है कि डाक्टर साहब का यह कथन किमी भी रूपमें युक्तियुक्त नहीं है कि अन्योक्ति का प्रतिपाद्य शौर्यपूर्ण ऐतिहासिक महाकाव्यों की मांति गम्भीर नहीं होता। वस्तुतः अन्योक्ति का प्रतिपाद्य उनसे भी अधिक गम्भीर होता है किन्तु अन्योक्ति की विशिष्ट प्रतिपादन परिपाटी में पड़कर वह अत्यन्त परल प्रतीत होने लगता है।

३- अन्योक्ति के प्रयोगों में तत्प्रणेत कवि के व्यक्तिगत मनोभावों का साम्य होता है। कभी-कभी तो कवि अपने व्यक्तिगत वृत्तान्त को ही अप्रस्तुत विधान के सहारं प्रतिपादित करके अपने ही मनोभावों की व्यंजना करवाता है। यद्यपि कथा एवं आख्यायिकादि में भी दण्डी प्रमृति आचार्यों ने कविभावकृत चिह्नों के प्रतिपादन की स्वतंत्रता दी है किन्तु वह तो व्यक्तिगत स्वारस्य का एक संकेत मात्र है। परन्तु अन्यापदेश में तो पूरा का पूरा व्यक्तिगत इतिवृत्त अप्रस्तुत रूप में वर्णित हाकर प्रस्तुत रूप में व्यंग्य हो उठता है। श्री महालिंगशास्त्री के शब्दों में - *'In Anyapadesha, observations having particular references to experiences in the poet's life are purposely hidden in parallels drawn from nature or well known legendary lore with a view to universalising them. (Vijaykoti Ratnavali's Introduction.)*

४- इसी प्रकार पाठक भी अपने मनोभावों का साम्य अन्यापदेशों में प्राप्त करता है। क्योंकि जिस समाज की बहुविध प्रवृत्तियों का निबन्धन अन्योक्ति में होता है, विज्ञपाठक का व्यक्तिगत जीवन उनसे पृथक् थोड़े न होता है। इसी कारण डा० कृष्णमूर्ति का यह कथन उचित ही प्रतीत होता है कि *'In this (अन्यापदेश) the audience can share his thoughts and ease.'* और श्री शास्त्री जीनेते अन्यापदेश की उत्कृष्टता का यही प्रमाण ही स्वीकार किया है कि वह अपनी मत्थता एवं संगतता से पाठक को आकृष्ट कर ले और कुछ संचने के लिए बाध्य भी कर दे।

५- अन्यापदेश में प्रतिपादित कवि का व्यंग्य बहुत नपा-तुला ही होता है। उसकी तीक्ष्णता की अन्तिम परिणति भी मंगलमयी भावना ही होनी चाहिए। अन्यथा

*Anyapadesha is recognised when it impressed with its truth and validity, the reader who realises at once how with astonishing facility it interprets his own experiences of life in its several aspects. (Vijaykoti Ratnavali's Introduction)*



उसका प्रतिपादन वैशिष्ट्य किसी काम का नहीं सिद्ध होता । वस्तुतः अन्योक्ति में विद्यमान व्यंग्य डा० कृष्णमूर्ति के शब्दों में इसी प्रकार का होता है -- "His satire is always polished, neither coarse nor cynical and never misses fire."

६- और अन्त में अन्यापदेश का सर्वोत्तम स्वरूप वही है, जिसमें जीवन का स्क-स्क कोना फलक उठे । काव्यात्मक विवेचन में प्रस्तुत जीवनविविधाओं के दृष्टान्त से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है । अन्योक्ति के इसी वैशिष्ट्य को देखते श्री महालिंग शास्त्री जी ने अन्योक्ति की उम्मा अलादीन की दीपक से दी है । उन्हीं के शब्दों में -- "An Anya-padesha of the best quality is an Alladin's wonderful lamp lamp to the mature thinker — a rub over the surface will reveal Kallidoscopic vistas of life."

परिशिष्ट  
ॐॐॐॐॐॐॐ

## परीशीष्ट क

### ग्रन्थ सूची

सौकर्य की दृष्टि से प्रस्तुत शोध-सन्दर्भ में अधीत समस्त ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रिकाओं को तीन भागों में विभक्त किया जा रहा है :-

संस्कृत ग्रन्थ

हिन्दी ग्रन्थ

अंग्रेजी ग्रन्थ

### संस्कृत ग्रन्थ

:क: लक्षण ग्रन्थ--

- १- नाट्यशास्त्र (भरत प्रणीत) गायकवाड़, ओरियण्टल सिरीज-६८, बड़ौदा, भाग दो, १९३४ ई०
- २- काव्यालंकार (भामह प्रणीत) श्रीबालमनोरमा सिरीज-५४, मडलापुर, मद्रास, १९५६ ई०
- ३- काव्यादर्श (दण्डी प्रणीत) गवर्नमेण्ट ओरियण्टल सिरीज-४, पूना (प्रभा टीका) १९३८ ई०
- ४- काव्य लक्षण (दण्डी प्रणीत) मिथिला विद्यापीठ ग्रन्थमाला-४, दरभंगा (रत्नश्रीटीका) १९५७ ई०
- ५- काव्यालंकार सार संग्रह (उद्भट प्रणीत) १- राजानक तिलक कृत विवृति टीका सहित, ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट बड़ौदा से प्रकाशित, १९३१ ई० तथा २- प्रतीहारेन्दुराजकृत लघुवृत्ति सहित,
- ६- काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (बामन प्रणीत) हिन्दी अनुसन्धान परिषद् ग्रन्थमाला-१, दिल्ली विश्व-विद्यालय, दिल्ली, १९५४ ई० ।
- ७- काव्यालंकार (रुद्रट कृत), काव्यमाला सिरीज-२ बम्बई सन् १९२८ ई० ।
- ८- ध्वन्यालोक (आनन्दबर्धन प्रणीत) श्री कुप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्व इन्स्टीच्यूट, मद्रास, १९४४ ई०
- ९- ~~ब्रह्मसिद्धि~~ <sup>काम्यमौल्यसा</sup> जीवित (राजशेखर प्रणीत) हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला-१४, चौसम्बा संस्करण, बनारस १९३४ ई० ।
- १०- ब्रह्मसिद्धि जीवित (कुन्तिक प्रणीत) हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, ग्रन्थमाला-५, दिल्ली, १९५५ ई० ।
- ११- सरस्वती कण्ठाभरण (मोज प्रणीत) बारोह संस्करण सन् (?) कलकत्ता, सन् १८८५ ई० ।
- १२- काव्यप्रकाश (मम्मट प्रणीत) दक्षम उल्लास, कनाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई-२, १९४१ ई० ।

(सु)

- (१३) काव्यानुशासन (हेमचन्द्र प्रणीत) श्री महाबीर जैन विद्यालय प्रकाशन, बम्बई, सन् १९३८ ई०
- (१४) अलंकार सर्वस्व (रुय्यक प्रणीत) काव्यमाला सिरीज-३५, बम्बई १९३९ ई०
- (१५) अलंकार सूत्र (रुय्यक प्रणीत) त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज-४०, त्रावनकोर, १९४० ई०
- (१६) चन्द्रालोक (जयदेव प्रणीत) राकागम युक्त, चौखम्बा संस्कृत सिरीज-४५८-५९, काशी, १९३८ ई०
- (१७) स्कावली (विद्याधर प्रणीत) के०पी० त्रिवेदी संस्करण, बम्बई १९०३ ई० ।
- (१८) वाग्मटालंकार (वाग्मट प्रथम प्रणीत) काव्यमाला सिरीज-४८, बम्बई, १८९५ ई० ।
- (१९) अलंकार संग्रह (अमृतानन्द योगिन् प्रणीत) श्री वैकटेश्वर प्राच्य ग्रन्थमाला-१९, तिरुपति, १९५० ई० ।
- (२०) अलंकार महोदधि (नरेन्द्रप्रभसूरि प्रणीत) एल०बी० गांधी द्वारा प्रकाशित, बड़ौदा, १९४२ ई० ।
- (२१) काव्यानुशासन (वाग्मट द्वितीय प्रणीत) काव्यमाला सिरीज, ४३, बम्बई १९०३ ई० ।
- (२२) प्रतापरुद्रीय (विद्यानाथ प्रणीत) के०पी० त्रिवेदी संस्करण, अहमदाबाद, १९०९ ई० ।
- (२३) काव्य परीक्षा (बात्सलाह्न प्रणीत) मिथिला विद्यापीठ-२, दरभंगा, १९५६ ई० ।
- (२४) साहित्य दर्पण (विश्वनाथ प्रणीत) सिद्धान्त वागीशकृत टीका, कलकत्ता, १९५० ई० ।
- (२५) कुवलयानन्द (अप्पय्य प्रणीत) रसिकरंजनी टीका सहित, कुम्भकोणम्, १९१७ ई० ।
- (२६) रसगंगाधर (जगन्नाथ प्रणीत) काव्यमाला सिरीज-१२, बम्बई १८८८ ई० ।
- (२७) अलंकारकौस्तुभ (विश्वेश्वर प्रणीत) काव्यमाला सिरीज-६६, बम्बई १८८८ ई०
- (२८) नंजराजयशोभूषण (नृसिंह कवि प्रणीत) ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, बड़ौदा, १९३० ई० ।
- (२९) अलंकार मञ्जूषा (भट्ट वैशंकर प्रणीत) सिन्धिया ओरियण्टल सिरीज-१, उज्जैन, सन् १९४० ई० ।
- (३०) साहित्य कौमुदी (विद्याभूषण प्रणीत) काव्यमाला - बम्बई सन १९०३ ई० ।
- (३१) काव्य विलास (चिरंजीव प्रणीत) सरस्वती मवन-संस्करण, काशी, १९२५ ई० ।
- (३२) अलंकार मणिहार (श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्र प्रणीत) ओरियण्टल लाइब्रेरी पब्लिकेशन, संस्कृत सिरीज-५८, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, १९२१ ई० ॥

सु: संग्रह ग्रन्थ

- (३३) कवीन्द्र बचन समुच्चय (विद्याकरकृत) बिब्लियोथिका इण्डिका (न्यू सिरीज) १३०९, कलकत्ता १९१२ ई० ।
- (३४) सुमाषित रत्नकोष (विद्याकर कृत) हार्वर्ड ओरियण्टल सिरीज-४२, केम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स १९५७ ई० ।
- (३५) सङ्कति कर्णा मृत (श्रीधरदासकृत) फार्मा के० एल० रूपाध्याय, कलकत्ता, १९६५ ई० ।
- (३६) सङ्कति मुक्तावली (जल्हण कृत) मायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज-८२, बड़ौदा, १९३८ ई० ।

(ग)

- (३७-) शारंगधरपद्धति (शारंगधरकृत) पीटर्स पीटर्सनकृत संस्करण, बम्बई १८८८ई०।  
(३८) सुभाषितावली (बल्लभदेवकृत) ,, ,, ,, १८८६ई०।  
(३९) प्रस्तावरत्नाकर (हरिदास कृत) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, में सुरक्षित हस्तलिखित प्रति सं०६६४।  
(४०) सूक्तिमालिका (नारोजी पण्डितकृत) दि जर्नल आफ दि तंजौर सरस्वती महल लाइब्रेरी माग १३ से १५ तक।  
(४१) विद्याकर सहस्र (विद्याकर मिश्र कृत) इलाहाबाद युनिवर्सिटी यल्लिकेशन्स सन् १८५२ई०  
(४२) सुभाषित रत्नमाण्डागार (सम्पादित) निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, सन १९३५ ई०।

गः काव्य ग्रन्थ--  
-----

- (४३) काव्यमाला के चौदह गुच्छक (१३५ ग्रन्थ) निर्णयसागर प्रेस बम्बई सन् १८८६ से १९३८ तक।  
(४४) आर्यासप्तशती (गोवर्धनाचार्य कृत) काव्यमाला सिरीज-१, निर्णयसागर, बम्बई, १८८६ई०  
(४५) आर्यासप्तशती (विश्वेश्वर प्रणीत) चौखम्बा संस्कृत सिरीज-३१५, बनारस सन १९२५ई०  
(४६) कवि कौमुदी (लक्ष्मी नृसिंहकृत) कर्णाटक विश्वविद्यालय, प्रकाशन, धारवाड़, १९६५ई०  
(४७) अन्योक्ति स्तवक (वंशीधर मिश्रकृत) चुन्नीलाल गांधी विद्यामवन स्टडीज-४, सूरत, १९५५ई०  
(४८) व्याजोक्ति रत्नावली (महालिंगकृत) श्रीनिवास प्रेस, थिरुवैय्यारु, १९५३ई०।  
(४९) मानुचन्द्रगणि चरित (सिद्धिचन्द्रकृत) सिन्धी ब जैन ग्रन्थमाला-१५, अहमदाबाद-कलकत्ता, १९४१ ई०।  
(५०) मासनाटक चक्र एवं अन्य नाटक (मासकृत) त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज १३ नाटक सन् १९१२-१९१५ई०  
(५१) चतुर्माण्णी एवं अन्य माणकृतियां हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९५६ ई०।  
(५२) मगवदज्जुकीय एवं अन्य प्रहसन, मंगलोदयम् प्रेस त्रिवार, कौचीन स्टेट १९२५ ई०।  
(५३) किरातार्जुनीय एवं अन्य व्यायोग, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज-८, बड़ौदा, सन १९१८ई०।  
(५४) उन्मत्तराघव एवं अन्य एकांकी अदयार लाइब्रेरी सिरीज-५७, अदयार, १९४६ई०।  
(५५)-----  
१-कालिदास-शुद्रक-हर्ष-मवभूति-विशालदत्त-मदनारायण-मुरारि-राजशेखर-दिगनाम एवं जयदेव पीयूष वर्ण की कृतियां (कुल ३ नाटक)।  
२-बत्सुराज-बामनमट्टबाण-राममद्र दीक्षित-नल्लकवि-काशीनाथ एवं युवराज कवि के माणग्रन्थ (कुल १० माण)।  
३-महेन्द्रबिक्रम बर्मा (दम्पक प्रहसन) बत्सुराज-रामपाणिवाद-सुन्दरराज-अरुण गिरिनाथ, महेश मनीषी तथा महा० जमदीश्वर तकालकार मृत प्रहसनग्रन्थ (कुल ६ प्रहसन)।  
४-प्रहलादनदेव- रामचन्द्र सूरि तथा नीलकण्ठ कवि की रचनाएं (कुल ४ व्यायोग)।  
५-इतामद (सुमटकृत) एवं भ्रमरकाहली (प्रभाकराचार्यकृत) (कुल ३ एकांकी)

(घ)

- (५५) वत्सराज प्रणीत रूपकषट्कम्, गायकवाङ् ओरियण्टल सिरीज-८, बङ्गोदा, १९१८ई०
- (५६) राजतरंगिणी (कल्हण प्रणीत) पण्डित पुस्तकालय, काशी, सन् १९६०ई० ।
- (५७) रघुवंश प्रमृति महाकाव्य -- विभिन्न संस्करण ।  
जो. आयेन्द्र शर्मा सम्पादित । उस्मानिया वि० विद्यालय  
सन् १८६० ई०
- (५८) पाण्डितराज काव्य संग्रह ----- हिन्दी ग्रन्थ -----
- (५९) हिन्दी काव्य में अन्योक्ति (डा० संसारचन्द्र कृत शोध प्रबन्ध ) राजकमलप्रकाशन, दिल्ली, १९६०ई० ।
- (६०) भारतीय साहित्य शास्त्र (डा० गणेश त्रयम्बक देशपाण्डे) पापुलर बुक डिपो, बम्बई-७, १९६०ई०
- (६१) अर्वाचीन संस्कृत साहित्य श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा मराठी भाषा में लिखित) माडर्न बुक स्टोर्स, अकोला एवं नागपुर, सन १९६३ई० ।
- (६२) संस्कृत साहित्य का इतिहास (ए०बी०कीथ कृत ए हिस्ट्री आफ् संस्कृत लिटरेचर का डा० मंगलदेव कृत हिन्दी अनुवाद) मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, वाराणसी, पटना, १९६०ई०

अंग्रेजी ग्रन्थ

- (६३) ए हिस्ट्री आफ् इंगलिश लिटरेचर (एम० कैजामिया)
- (६४) ऐन इण्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ् लिटरेचर (डबल्यु० एच० हडसन) लन्दन से प्रकाशित, १९३६ ई० ।
- (६५) शृंगार-प्रकाश ( डा०बी० राघवन का शोध प्रबन्ध )
- (६६) सम् प्राव्लम्स आफ् संस्कृत पोयटिक्स (डा० एस०के०डे) फर्मा के० स्ल०मुसोपाध्याय, कलकत्ता १९५६ई० ।
- (६७) कान्सेप्ट्स आफ् रीति ऐण्ड गुण इन संस्कृत पोयटिक्स (डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी का शोध प्रबन्ध), ढाका विश्वविद्यालय, ढाका से प्रकाशित, १९३७ई० ।
- (६८) सम् कान्सेप्ट्स आफ् दि अलंकारशास्त्र (डा०बी० राघवन) अदयार लाइब्रेरी सिरीज-३३, अदयार, १९४२ई० ।
- (६९) हिस्ट्री आफ् संस्कृत पोयटिक्स (डा०पी०बी० काणे) निर्णयसामर प्रेस, बम्बई, १९५१ई० ।
- (७०) स्टडीज इन दि हिस्ट्री आफ् संस्कृत पोयटिक्स (डा० एस०के०डे) कृत

१- रघुवंश- कुमार सम्भव-किरावाङ्गीय-शिशुपालवध, नैषधीयकाव्य आदि सैकड़ों महाकाव्य, सङ्ग्रह काव्य, गद्य काव्य एवं चम्पू ग्रन्थ ।

प्रकीर्णग्रन्थ(पत्र-पत्रिकारं, शोध निबन्ध एवं सूचीपत्र इत्यादि)

क- पत्र-पत्रिकारं

- १- संस्कृत साहित्य परिषत् (वर्ष-१७, भाग-३) सन १९३४ई०
- २- संस्कृत प्रतिमा (उन्मेष-२, विलास-२), दिल्ली सन १९६०ई० ।
- ३- बुलेटिन आफ दि गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मैन्यूस्क्रिप्टस लाइब्रेरी, मद्रास, वालूम-५, सं०१, १९५२ई०, वालूम-७, सं०१सन् १९५४ई०।
- ४- श्री मन्महाराज संस्कृत महापाठशाला पत्रिका मैसूर (सम्पुट १३, संचिका-३, ४ सन् १९३६ई०)

ख- शोध निबन्ध

- १- भरताज ( Bharata's ) थियरी आफ रस (पूना ओरियण्टलिस्ट, भाग १२, सं० १ से ४ तक , १९४७ई०--डा०के० कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित ।
- २- दि डाक्ट्रीन आफ लक्षण रेण्ड ह पीप इण्ट इदस चेकई हिस्ट्री (पूना ओरियण्टलिस्ट भाग १६, १९५१ई०) प्रो०शिवप्रसाद मट्टाचार्य द्वारा लिखित ।
- ३- संस्कृत पोयटेजेज(ए साविनर आफ दि सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन आफ दि डिपार्टमेण्ट फार दि पब्लिकेशन आफ ओरियण्टल मैन्यूस्क्रिप्टस, त्रिवेन्द्रम, १९३३ ई०) एम० कृष्णमाचारियर द्वारा ।
- ४- लाइट थोन आन कल्चरल करेण्टस बाई दि त्रिवेन्द्रम सन्-१९३३ई० संस्कृत सिरीज(ए साविनर आफ दि .... वही) पी०के० नारायण पिल्लई द्वारा लिखित ।

ग- सूचीपत्र

- १-केटालागस केटालागस (तीन भागों में) थियोडोर आफ्रेक्ट कृत । जर्मनी से प्रकाशित, १९६२
- २-न्यु केटालागस केटालागस(अकार मात्र) डा० एष राघवन कृत। मद्रास विश्वविद्यालय, १९४९ई०
- ३-जिनरल कोश (भाग १) स्व०डी०वेलकर कृत । मण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना, १९४४ ई० ।
- ४-सफ्लीमेण्ट्री केटालाग आफ संस्कृत प्राकृत रेण्ड पाली बुक्स इन दि ब्रिटिश म्युजियम (दो भाग) एल०डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से क्रमशः सन् १९०८ एवं २८ में प्रकाशित ।

(च)

- ५- कैटलाग आफ गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी मद्रास, माग २५ तथा त्रिवर्षीय ०४।१अ ४।१ स ।
- ६- कैटलाग आफ सरस्वती महल लाइब्रेरी आफ तंजौर , पी०पी० एस शास्त्री कृत, माग ७ , श्रीरंगम् १९३०ई०।
- ७- कैटलाग आफ मैन्युस्क्रिप्ट्स बिलांगिंग टु गोविन्दशास्त्री आफ नासिक, नासिक, सन् (?)
- ८- कैटलाग आफ गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी, मैसूर, सन् १९२२ ई० ।
- ९- कैटलाग आफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स सेट दि डी०स्व०ए०एस०, गौहाटी, सन् १९६० ई० ।



(क)

परिशिष्ट -- (ख)

-0-

विद्याकरसहस्रकम्

प्रस्तुत संग्रह ग्रन्थ का प्रकाशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन (संस्कृत सिरीज) के अन्तर्गत डा० उमेश मिश्र द्वारा सन् १९४२ ई० में हुआ था । इस ग्रन्थ में कुल १३० कवियों द्वारा प्रणीत लगभग एक सहस्र पद्यों का संग्रह श्री विद्याकर मिश्र ने किया है । सम्पादक द्वारा दी गई सूचना के ही आधार पर कवि का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है -- मिथिला प्रान्त के दरभंगा जिले में मंगरौनी ग्राम है, जहाँ अत्यन्त विद्वान् एवं तन्त्रप्रवर ब्राह्मण रहते थे । उसी ग्राम में 'फणदह्वा (फन्नेवार) वंशीय गोकुलनाथ उपाध्याय भी थे, जिनके पुत्र श्री रघुनाथोपाध्याय ने अपना सर्वस्व दान करके वत्सगोत्रीय, 'हरि अम्मे' कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाया । इन्हीं पुरोहितों के वंश में उत्पन्न पण्डित आनन्दकर मिश्र के पुत्र, प्रस्तुत संग्रहकार श्री विद्याकर मिश्र हुए । विद्याकर का विवाह कोइलख ग्राम निवासी श्री गिरिधारी मिश्र की चचेरी बहन से हुआ । सम्पादकीय सूचना के अनुसार गिरिधारी मिश्र के पौत्र, ज्योतिषाचार्य श्री बबुआ जी मिश्र सन् १९४२ई० तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे ।

विद्याकर मिश्र विविधशास्त्रों में, विशेषतः धर्मशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे । सुना जाता है कि १२५७ मैथिलीब्द (१६ वीं शती) में वह मुजफ्फरपुर के न्यायालय में किसी न्याय पद को अलंकृत कर रहे थे । प्रस्तुत सहस्रक के अतिरिक्त कवि की अन्य रचनाओं में -- राक्षसकाव्यटीका, अमरुशतक व्याख्या, राधाविनोदकाव्याख्या तथा विदग्धमुसमण्डन काशिका आदि प्रसिद्ध हैं । किन्तु सब ग्रन्थ सन् १९४२ तक अप्रकाशित ही थे, सम्भवतः अब प्रकाशित हुए हों । कवि ने प्रस्तुत सहस्रक में 'एक सहस्र' पद्य संकलित करने का प्रयत्न किया था किन्तु इसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई । बाद में कोइलखा ग्राम के निवासी ज्योतिर्विद श्रीमदपूक शर्मा ने ग्रन्थ को पूर्ण किया ।

'विद्याकर सहस्रक' सुभाषितरत्नकौष के ही अनुकरण पर संकलित किया गया एक सुन्दर संग्रह ग्रन्थ है । कवि ने पण्डितराज जगन्नाथ तथा १८ वीं शती तक के कवियों

(ज)

की रचनायें उद्धृत की हैं जिससे सिद्ध हो जाता है कि वह एक अर्वाचीन संग्रहकार हैं । वस्तुतः उसका समय उन्नीसवीं शती है, जैसा कि मैथिल जनश्रुति एवं बबुआ मिश्र के प्रमाणों से सुस्पष्ट है । ग्रन्थ 'मंगलाचरण' से प्रारम्भ होकर विविध प्रकार के पद्यों में समाप्त होता है । मंगलाचरण के बाद ही अन्योक्तियों का प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है जो कि शफरान्योक्ति में समाप्त होता है । अन्य संग्रहग्रन्थों की मांति विद्याकरसहस्रक में भी संकलित संकलित अन्योक्ति-विषयों एवं उनके प्रणेताओं का अपेक्षित विवरण इस प्रकार है --

१- अन्योक्ति के विषय -- हंस, सिंह, गज, चातक, कौकिल, प्रमर, शुक, चक्रवाक, चक्रवाकी, बक, केतक, कमल, समुद्र, मेघ, चन्द्र, वृद्ध, पर्वत एवं शफर-- कुल १८ विषय ।

२- अन्योक्ति प्रणेता -- क्षिप्तप, सुरभि, पण्डितराज, भोजदेव, डिम्बोक, उमापतिघर, मोहनोपाध्याय, पद्मघरमिश्र, मवनाथमिश्र, शंकरमिश्र, पाम्पाक, अमरसिंह, संग्रामचन्द्र, नंगदत्त, कंकण, मर्तुमैण्ठ, पीताम्बरकल्लिक, मर्तुहरि, शरण, लक्ष्मीघर, जलचन्द्र, चौरकवि, हरिहरोपाध्याय, भेरीकांकार, रामदास, विद्यापति, लक्ष्मीदेवी, धीरेन्द्रोपाध्याय, वसन्तमिश्र, उपाध्याय-पदांकित पंजीकार प्रेम (प्राण), नारायण नृप, कृष्णपत्युपाध्याय, रामदासोपाध्याय, लौकिक भानुकवि, कालिदास, लक्षिमा, ठक्कुरात्री, माहसांक, मधु, नाथूमिश्र, मारवि, उमानाथपण्डित, श्रीशुक, अमिनव कालिदास, मुरारि, नारायण शर्मा, मट्टादित्य ( कुल ४७ कवि)

इनमें से, 'रामदास तथा रामदासोपाध्याय' प्रायः एक ही प्रतीत होते हैं । इस प्रकार विद्याकर सहस्रक में कुल ४६ कवियों द्वारा १८ विषयों पर प्रणीत २६२ अन्योक्तियों का संकलन किया गया है ।